



वार्षिक प्रतिवेदन Annual Report 2020-2021



लक्ष्य LAKSHAY



एक टीम, एक स्वप्न ONE TEAM, ONE DREAM

BANK ON OUR SAFETY TIPS

- Use Digital Signature for Login
- Use UCO Bank Card for payment
- Remember Date for Your Transaction
- Use Wiretrans payment channel like NEFT/RTGS/IMPS with UCO
- Remember
- Use UCO Authentication for Fund transfer with your mobile
- NEFT/RTGS/IMPS, e-Receipt

CORONA से चर्चो
Call UCO Sompark
1800-103-0123
for Phone Banking Services

3 अधिक आय
कम समय

999

5.30

999

दिनों में

यूको बैंक की लांकर सेवा का लाभ उठाए औरलाइव।
आ UCO लांकरिंग फ़ोन एप डाउनलोड करें।

Your wallet just needs a touch

The digital wallet for you from UCO Bank, a step towards Digital India

Download Today

UCO POS (POINT OF SALE)
(with Cash at POS Facility)

कोरोना से जवाब, डिजिटल सोलिंग है उपाय।
कोरोना की राह में सुरिसाते, आपके जोकाइए पढ़ें।

www.ucobank.com Toll Free No. 1800 103 0123

यूको बैंक UCO BANK

(भारत सरकार का उपक्रम)

(A Govt. of India Undertaking)

सम्मान आपके विश्वास का

Honours Your Trust

यूको बैंक UCO BANK

प्रधान कार्यालय : 10, वि. त्रै. म. सरणी, कोलकाता - 700 001
Head Office : 10, B. T. M. Sarani, Kolkata - 700 001

वार्षिक प्रतिवेदन - 2020-21 Annual Report - 2020-21

विषय-सूची / CONTENTS

मद / Item	पृष्ठ सं. / Page No.	मद / Item	पृष्ठ सं. / Page No.
● सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक Statutory Central Auditors	02	● महाप्रबन्धकों का संक्षिप्त विवरण Brief Profile of General Managers	117-119
● निदेशक मंडल Board of Directors	03	● सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट Secretarial Audit Report	120-123
● वार्षिक आम बैठक हेतु सूचना एवं कार्यसूची Notice for AGM and Agenda	04-15	● तुलन-पत्र 2020-21 Balance Sheet 2020-21	124-125
● प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश Managing Director & CEO's Message	16-20	● लाभ-हानि लेखा Profit & Loss A/c	126-127
● निदेशकों की रिपोर्ट एवं प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण Directors' Report & Management Discussion and Analysis	21-63	● लेखों से संबंधित अनुसूची Schedule to Accounts	128-194
● महत्वपूर्ण कार्यनिष्पादन संकेतक Key Performance Indicators	64	● स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट Independent Auditor's Report	195-207
● व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट/ Business Responsibility Report	65-84	● नकदी प्रवाह विवरण Cash Flow Statement	208-210
● कारपोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट Report on Corporate Governance	85-112	● लाभांश वितरण दिशानिर्देश Dividend Distribution Guidelines	211
● कारपोरेट अभिशासन का अनुलग्नक Annexures to Corporate Governance	113-116	● बासेल-III प्रकटीकरण Basel-III Disclosures	212-274

सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक / STATUTORY CENTRAL AUDITORS

रावला एंड कं.
सनदी लेखाकार
RAWLA & CO.
Chartered Accountants

आर गोपाल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
R GOPAL & ASSOCIATES
Chartered Accountants

खंडेलवाल काकानी एंड कं.
सनदी लेखाकार
KHANDELWAL KAKANI & CO.
Chartered Accountants

एस के अग्रवाल एंड कं. चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
S K AGRAWAL AND CO CHARTERED ACCOUNTANTS LLP
Chartered Accountants

घोषाल एंड घोषाल
सनदी लेखाकार
GHOSHAL & GHOSAL
Chartered Accountants

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट / REGISTRAR & SHARE TRANSFER AGENT

मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
(इकाई: यूको बैंक)
कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32
गचीबाउली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा
हैदराबाद - 500032

फोन : 040-67162222, टोल फ्री नं. 1800 345 4001
फैक्स : 040 23420814
ई-मेल : einward.ris@kfintech.com

M/s. KFin Technologies Private Limited
(Unit : UCO Bank)
Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31&32,
Gachibowli, Financial District, Nanakramguda,
Hyderabad - 500032

Phone: 040-67162222, Toll Free No. 1800 345 4001
Fax: 040 23420814
e-mail: einward.ris@kfintech.com

शेयरधारक आवश्यकतानुसार रजिस्ट्रार मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजी प्रा.लि. के निम्नलिखित कार्यालयों से सम्पर्क कर सकते हैं।
The Shareholders may also contact the following offices of the Registrar, M/s KFin Technologies Pvt. Ltd. in case of need.

मुंबई	:	महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स लेन, फोर्ट, मुंबई - 400 023 फोन : 022-2286-2425/2427
At Mumbai	:	Maharashtra Chamber of Commerce Lane, Fort, Mumbai - 400 023 Phone 022-2286-2425 / 2427
चेन्नै	:	22, विजय राघवन रोड, टी. नगर, चेन्नै - 600 017 फोन : 044-2815-1034/3445
At Chennai	:	22, Vijaya Raghavan Rd. T. Nagar, Chennai - 600 017 Phone : 044-2815-1034 / 3445
नई दिल्ली	:	305, नई दिल्ली हाउस, 27 बारखंबा रोड, नई दिल्ली - 110001, फोन : 011-43681700
At New Delhi	:	305, New Delhi House, 27 Barakhamba Road, New Delhi-110001 Phone: 011-43681700
कोलकाता	:	एपीजे हाउस, 15 पार्क स्ट्रीट, सी ब्लॉक 3रा तल, कोलकाता - 700 016 फोन : 033-66285900
At Kolkata	:	Apeejay House, 15, Park Street, C Block, 3rd Floor, Kolkata - 700 016 Phone : 033-66285900

निदेशक मंडल /BOARD OF DIRECTORS



श्री ए. के. गोयल
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य
कार्यपालक अधिकारी
SHRI A. K. GOEL
Managing Director & CEO



श्री अजय व्यास
कार्यपालक निदेशक
SHRI AJAY VYAS
Executive Director



श्री इशराक अली खान
कार्यपालक निदेशक
SHRI ISHRAQ ALI KHAN
Executive Director



डॉ. तुली रॉय
निदेशक
DR TULI ROY
Director



श्री के राजीवन नायर
निदेशक
SHRI K. RAJIVAN NAIR
Director



डॉ. संजय कुमार
निदेशक
DR SANJAY KUMAR
Director



प्रधान कार्यालय : 10, वि. त्रै. म. सरणी, कोलकाता - 700 001

Head Office : 10, B. T. M. Sarani, Kolkata - 700 001

सूचना

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि यूको बैंक के शेयरधारकों की 18वीं वार्षिक आम बैठक मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई, 2021 को पूर्वाह्न 11.00 बजे वीडियो कंफरेंस (वीसी)/अन्य श्रव्य दृश्य माध्यम (ओएवीएम) माध्यम से निम्नलिखित कार्यों के लिए आयोजित की जाएगी:-

मद संख्या 1

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र, साथ ही लाभ-हानि लेखा एवं बैंक का नकदी प्रवाह, 31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए बैंक के कार्यों और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि लेखा और नकदी प्रवाह पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करना, उसे अनुमोदित करना एवं अपनाना।”

मद संख्या 2

इक्विटी पूंजी जुटाने की योजना 2021-2022

निम्नांकित विशेष संकल्प पर विचार करना और यदि उसे ठीक माना जाता है तो संशोधन सहित या रहित विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

‘संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक(प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना,1970(योजना) और यूको बैंक (शेयर एवं बैंक) विनियम 2003 के प्रावधानों के अनुसरण में तथा किसी संशोधन या पुनरधिनियमन सहित लागू अन्य सभी अधिनियम/कानून तथा भारत सरकार (जी ओ आई), भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) या अन्य किसी संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय-समय पर यथा लागू अन्य नियम/अधिसूचनाएं/परिपत्र/विनियम/दिशानिर्देश, यदि कोई हो तथा भारतीय रिजर्व बैंक (‘आरबीआई’), भारत सरकार (‘जीओआई’), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (‘सेबी’) और/ या इस संबंध में अपेक्षित अन्य किसी प्राधिकरण के अनुमोदन, सहमति और मंजूरी के अधीन एवं ऐसे अनुमोदन प्रदान करने के लिए उनके द्वारा निर्धारित ऐसी शर्तों और उन पर संशोधनों के अधीन और जिनसे बैंक का निदेशक मंडल सहमत हो तथा भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी और प्रासंगिक अन्य सभी प्राधिकरणों द्वारा समय समय पर निर्धारित विनियमों अर्थात् सेबी (पूँजी निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018 (आई सी डी आर विनियम), सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 (सेबी अल ओ डी आर विनियम), विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियम 2000 तथा लिरिस्टिंग समझौते के अधीन स्टॉक एक्सचेंजों के साथ प्रवेश किया, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, एतद्वारा बैंक के शेयरधारकों की सहमति, बैंक के निदेशक मंडल (जिसे यहाँ इसके बाद ‘निदेशक मंडल’ कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारी सहित अपने अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड द्वारा

Notice

NOTICE is hereby given that the 18th Annual General Meeting of the Shareholders of UCO Bank will be held through Video Conference (VC) /Other Audio Visual Means (OAVM) on Tuesday, the 20th July, 2021 at 11.00 AM to transact the following business:-

Item no.1

To discuss, approve and adopt the Balance Sheet together with statement of Profit & Loss and cash flow of the Bank made upto 31.03.2021, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period ended 31.03.2021 and Auditors report on Balance sheet and statement of Profit & Loss and Cash flow.

Item no.2

Equity Capital Raising Plan 2021-2022

To consider and if thought fit, to pass with or without modifications the following Special Resolution :

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the UCO Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended from time to time and all other applicable Acts/laws, including any amendment thereto or re-enactment thereof and other Rules / Notifications / Circulars /Regulations / Guidelines, if any prescribed by the Government of India (“GOI”), Reserve Bank of India (“RBI”), Securities and Exchange Board of India (“SEBI”), or any other relevant authority, from time to time, to the extent applicable and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the RBI, GOI, SEBI and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (ICDR Regulations), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI LODR Regulations), Foreign Exchange Management (Transfer or issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter

गठित की गई या आगे की जानेवाली कोई समिति भी शामिल) को दी जाती है कि वह प्रत्येक ₹10/- के 300,00,00,000 तक के इक्विटी शेयरों का सृजन, प्रस्ताव, निर्गम एवं आबंटन करे (निर्गम के ऐसे हिस्से को पक्का और/या प्रतिस्पर्धा आधार पर और यथा अनुमत व्यक्तियों की श्रेणियों के लिए विधि सम्मत प्रकार से आरक्षित करने के प्रावधान सहित) प्रस्ताव के दस्तावेज/नियमावली, भले ही बाज़ार मूल्य या निर्गम मूल्य या फ्लोर मूल्य पर छूट या प्रीमियम पर हो अथवा ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के जरिए जिसमें एक या अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीय ('एनआरआई') कंपनियों, निजी या सार्वजनिक, निवेश संस्थाओं, सोसाइटियों, न्यासों, अनुसंधान संगठनों, अर्हक संस्थागत खरीदारों ('क्यू आई बी') जैसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, बैंक, वित्तीय संस्थाएं, भारतीय म्यूच्युअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेंशन फंडों, विकास वित्तीय संस्थाओं, विदेशी संस्थागत निवेशकों ('एफआईआई') या अन्य इकाइयों, प्राधिकरणों अथवा मौजूदा विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के इक्विटी शेयरों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य श्रेणी के निवेशकर्ताओं या बैंक द्वारा उचित समझे गए तरीके से इनमें से किसी का मिश्रण हो, जैसा कि बैंक द्वारा फॉलो ऑन पब्लिक इश्यू, निजी प्लेसमेंट/अर्हक संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईबी) या भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित किसी अन्य रीति से अधि-आबंटन के विकल्प सहित या रहित ठीक हो।

"आगे संकल्प किया जाता है कि ऐसे इश्यू, प्रस्ताव या आबंटन, अतिरिक्त आबंटन के विकल्प सहित या रहित सार्वजनिक इश्यू, निजी प्लेसमेंट/अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईबी) या भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित कोई अन्य तरीका के जरिए, अधिक-आबंटन या ग्रीन शू आप्रान के साथ या उसके बिना और ऐसा प्रस्ताव, इश्यू, प्लेसमेंट और आबंटन, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के प्रावधानों, सेबी (पूँजी निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं विनियमावली 2018 (आई सी डी आर विनियमावली) एवं भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी या अन्य किसी यथा-लागू प्राधिकरण द्वारा ऐसे समय पर और तरीके और ऐसी शर्तों पर किया जाए जो निदेशक मंडल अपने पूरे विवेकाधिकार के तहत उचित समझे।"

"आगे संकल्प किया जाता है कि जहां आवश्यक हो, लीड प्रबंधक और/या हामीदार और अन्य सलहकार से परामर्श करने के बाद या बोर्ड की ऐसी शर्तों व निबंधनों के अनुसार आईसीडीआर विनियमावली, अन्य नियमावली की शर्तों के अनुसार और अन्य सभी लागू नियम विनियमावली और दिशानिर्देश के अधीन ऐसे निवेशक जो बैंक के विद्यमान सदस्य हो या न हो, के लिए अपने संपूर्ण विवेक से मूल्य निर्धारित करने के बारे में निर्णय लेने का अधिकार बोर्ड या इस उद्देश्य के लिए गठित बोर्ड की समिति का होगा जो आईसीडीआर विनियमावली की संबद्ध प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य से कम मूल्य न हो।"

"आगे संकल्प किया जाता है कि पात्र संस्थागत स्थान नियोजन के मामले में, आई सी डी आर विनियम के अध्याय VI के अनुसरण में

ए) पात्र संस्थागत खरीदारों को ही प्रतिभूतियों का आबंटन होगा जो आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VI के अर्थ के दायरे में होगा और इस प्रकार की प्रतिभूतियां पूर्णतः प्रदत्त होगीं और इस संकल्प की तिथि से 365 दिनों के भीतर या अन्य समय जिसकी अनुमति समय-समय पर आई सी डी आर विनियम में दी जा सकती है।"

called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot upto 300,00,00,000 equity shares of Rs.10/- each (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document/prospectus or such other document, in India or abroad, whether at a discount or premium to the market price or issue price or floor price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies, private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organisations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity shares of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank".

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment of equity shares shall be by way of Follow on public issue, Private Placement/Qualified Institutional Placement (QIP) or any other mode approved by GOI/RBI, with or without over-allotment or Green Shoe option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Act, ICDR Regulations and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit".

"RESOLVED FURTHER THAT Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary, in consultation with the lead managers and/or underwriters and/or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT in case of qualified Institutional placement pursuant to Chapter VI of the ICDR Regulations

a) the allotment of securities shall only be to Qualified Institutions Buyers within the meaning of Chapter VI of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid up and the allotment of such securities shall be completed within 365 days from the date of passing of this resolution, or such other time as may be permitted under the ICDR Regulations from time to time.

बी) बैंक आई सी डी आर विनियमावली के विनियम 176(1) के प्रावधानों के अनुसार आधार मूल्य से कम मूल्य पर, जो पाँच प्रतिशत से कम न हों, पर शेयर आवंटित करने के लिए प्राधिकृत है।

सी) आई सी डी आर विनियमावली के अनुसार प्रतिभूतियों के न्यूनतम मूल्य निर्धारण की संबंधित तिथि होगी।

"आगे संकल्प किया जाता है कि अपना अनुमोदन,सहमति,अनुमति एवं मंजूरी प्रदान करते समय और निदेशक मंडल द्वारा सहमत हुए अनुसार, भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी/स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या अन्य समुचित प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव में अपेक्षित या लगाए गए किसी संशोधन को स्वीकार करने का निदेशक मंडल को प्राधिकार होगा।"

"आगे संकल्प किया जाता है कि अनिवासी भारतीयों / विदेशी निवेशक व्यक्तियों और या अन्य पात्र विदेशी निवेशक को नए इक्विटी शेयर / अधिमान्य शेयर/प्रतिभूतियों को जारी और आवंटित करना,यदि कोई हो,विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन होगा जो अधिनियम के तहत निर्धारित समग्र सीमा के अंदर होगा।"

"आगे संकल्प किया जाता है कि जारी किये जानेवाले उक्त नए इक्विटी शेयर यथा संशोधित यूको बैंक (शेयर एवं बैटर्के) विनियम 2003 के अधीन जारी किये जाएंगे और ये बैंक के मौजूदा शेयरों के साथ सभी दृष्टियों से समान होंगे और घोषणा के समय प्रचलित सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार घोषित किये जानेवाले किसी भी लाभांश के लिए पात्र होंगे।"

"आगे संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को किसी भी वुक रनर्स, लीड प्रबंधकों, बैंकरों, हामीदारों, निक्षेपागारों, रजिस्ट्रारों, लेखापरीक्षकों एवं इस प्रकार की सभी एजेंसियों से जो इस प्रकार के इक्विटी, अधिमान शेयरों, प्रतिभूतियों के प्रस्ताव में शामिल या संबंधित हो, के साथ इस प्रकार के समझौते करने एवं एजेंसियों को कमीशन, दलाली, शुल्क या अन्य ऐसे द्वारा पारिश्रमिक देने तथा ऐसे एजेंसियों के साथ ऐसे सभी करार, ज्ञापन, दस्तावेज आदि निष्पादित करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है तथा उन स्टॉक एक्सचेंजों पर निर्गमित इक्विटी शेयरों का सूचीकरण करते हो, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध है।"

"आगे संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त को प्रभावी बनाने के लिए बोर्ड को किसी भी लीड प्रबंधकों, हामीदारों, परामर्शदाताओं और/या बैंक द्वारा यथा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति को निवेशकों के वर्ग सहित ईश्यू की प्रकृति एवं शर्तों, प्रत्येक ट्रांच में आवंटित किए जाने वाले शेयरों की संख्या, जारी मूल्य (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो), अंकित मूल्य के निर्धारण करने, रिकार्ड तारीख या लेखा-बंदी एवं अन्य संबंधित या अनुषंगी मामले निर्धारित करने, भारत और/या विदेश में एक या एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंजों को सूचीबद्ध करने हेतु एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है, जैसा कि बोर्ड अपने विवेकाधिकार के अनुसार उचित समझे।"

"आगे संकल्प किया जाता है कि अभिदान न किए गए ऐसे शेयरों/ प्रतिभूतियों का, निदेशक मंडल द्वारा अपने संपूर्ण विवेकाधिकार के अधीन ऐसे तरीके से निपाटन किया जाएगा, जो वह उचित समझे और विधि द्वारा अनुमत है।"

"आगे संकल्प किया जाता है कि किसी निर्गम को प्रभावी बनाने के लिए या इक्विटी शेयर आवंटित करने के लिए सार्वजनिक प्रस्ताव, योग्य संस्थागत नियोजन की शर्तें निर्धारित करने हेतु जिसमें निवेशकों का वर्ग जिन्हें प्रतिभूतियां आवंटित की जानी है, प्रत्येक शृंखला में आवंटित किए

b) The Bank pursuant to provisions of Regulation 176(1) of ICDR Regulations authorized to offer at a discount not more than five percent on the floor price.

c) the relevant date for determination of the floor price of securities shall be in accordance with the ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according/granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investors be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (including rules and regulations framed thereunder) as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act."

"RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the UCO Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003, as amended, and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository (ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity shares and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents etc., with such agencies and to seek the listing of such Equity Shares issued on the Stock Exchanges where the Equity Shares of the Bank are listed."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares are to be allotted, number of shares to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, fixing of record date or book closure and related or incidental matter, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit."

"RESOLVED FURTHER THAT such of these shares as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares, the Board be and is hereby authorised to determine the terms of the public offer, Qualified Institutional Placement including the class of investors

जाने वाले शेयर/प्रतिभूतियों, निर्गम मूल्य, निर्गम पर किस्त की राशि जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित समझे एवं इस प्रकार के कार्य, मामले और किसी बात और ऐसे विलेख, दस्तावेज व करार निष्पादित करने हेतु वे अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत आवश्यक, उचित या वांछित समझे तथा सार्वजनिक प्रस्ताव, निर्गम, आबंटन और निर्गम में प्राप्त आय के उपयोग के संबंध में किसी प्रकार के सवाल, कठिनाई या संदेह जो उत्पन्न होता हो और ऐसे आशोधनों, बदलावों, भिन्नताओं, परिवर्तनों, उच्छेदन, संवर्धन, संबंधी शर्तों को प्रभावी बनाने के लिए जो कि वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अधीन सर्वाधिक हित में उपयुक्त और समुचित समझे, सदस्यों से आगे बिना अन्य किसी अनुमोदन की अपेक्षा के इस संकल्प द्वारा बैंक और बोर्ड को प्रदत्त सभी या किसी शक्ति का प्रयोग बोर्ड द्वारा किया जा सकता है।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए इसके द्वारा मंडल को प्राधिकृत किया जाता है कि वह ऐसी सभी कार्यवाहियों, कृत्यों, मामलों और बातों को क्रियान्वित करे जिन्हें वह अपने विवेक के अनुसार आवश्यक, उपयुक्त एवं वांछनीय समझे, ईविवटी शेरों के निर्गमन के संबंध में उठने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या शंका का निपटारा करे और ऐसी सभी कार्यवाहियों, कृत्यों, मामलों और बातों को, सभी दस्तावेजों और लेखों को अंतिम रूप दे और कार्यान्वित करे, जो आवश्यक, वांछनीय या समीचीन हो, उसके विवेकानुसार उपयुक्त, उचित या वांछनीय प्रतीत हो, जिसके लिए शेयरधारकों की सम्मति या अनुमोदन प्राप्त करने की आगे कोई भी आवश्यकता न पड़े, अथवा इस उद्देश्य या प्रयोजन से प्राधिकृत किया जाता है कि शेयरधारकों द्वारा इस संकल्प के प्राधिकार से, व्यक्त रूप से इस पर अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया जाना मान लिया गया है।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि मंडल द्वारा स्वयं को प्रदत्त सभी या किन्हीं शक्तियों को बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशकों में से किसी को, अथवा ऐसे किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित करने के लिए इसके द्वारा प्राधिकृत किया जाता है जिसे वह उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए उपयुक्त मानता है।"

निदेशक मंडल के आदेश से

ह/-

(ए.के. गोयल)

प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 22 जून 2021

to whom the equity shares are to be allotted, the number of shares to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alternations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper of desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Chairman or to the Managing Director & CEO or to the Executive Director/(s) or to Committee of Directors or such other officer(s) to give effect to the aforesaid Resolutions."

By order of the Board of Directors

sd/-

(A. K. Goel)

Place: Kolkata
Date: 22nd June, 2021

Managing Director &
Chief Executive Officer

व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या 2 इक्विटी पूंजी जुटाने की योजना 2021-2022

31 मार्च, 2021 तक बैंक की पूंजी पर्याप्तता अनुपात 13.74% है। बैंक की मौजूदा प्राधिकृत पूंजी रु. 15000 करोड़ है। 31 मार्च, 2021 तक बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी रु. 9918.34 करोड़ है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 की भावी योजना तथा बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित व्यवसाय का विस्तार करने के लिए बासेल III दिशानिर्देश के तहत न्यूनतम पूंजी एवं लीवरेज अनुपात की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से बैंक सेबी (पूंजी का निर्गमन और आवश्यकताओं का प्रकटीकरण) विनियम, 2018 और आज की तारीख तक संशोधित तथा इस संबंध में अन्य प्रयोज्य विनियमों/ आरबीआई/सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार अहर्ता-प्राप्त संस्थागत नियोजन क्यूआईपी/निजी नियोजन/सार्वजनिक निर्गम का अनुसरण या किसी अन्य तरीके या संयोजन के द्वारा इक्विटी पूंजी को जुटाने का संकल्प करता है। अहर्ता-प्राप्त संस्थागत नियोजन से पूंजी जुटाने के क्रम में, यही पूंजी सेबी (पूंजी का निर्गमन और आवश्यकताओं का प्रकटीकरण) विनियम, 2018) के अध्याय VI के अनुसार होगी।

उपर्युक्त के अलावा, इक्विटी शेयर के माध्यम से पूंजी जुटाने से बैंक में पब्लिक हिस्सेदारी को बढ़ाने में मदद मिलेगी जो कि वर्तमान में प्रतिभूति करार (विनियम) नियम, 1957 में दिये गए नियम 19ए के अनुसार 25% की न्यूनतम आवश्यक पब्लिक हिस्सेदारी से कम है।

बैंक अपनी प्रदत्त पूंजी में वृद्धि करने के लिए बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2बी)(सी) के अनुसार भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करेगा।

सेबी (दायित्व सूचीकरण एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 का विनियमन 41(4) प्रावधान करता है कि बैंक द्वारा जब भी कोई नया शेयर जारी किया जाता है या नई पेशकश की जाती है, तो मौजूदा शेयरधारकों को प्रो-राटा आधार पर उसी के साथ पेश किया जाना चाहिए जब तक कि सामान्य बैठक में शेयरधारक इसके अतिरिक्त तय न कर लें। यदि उक्त संकल्प पारित हो जाता है, तो बोर्ड को बैंक की तरफ से मौजूदा शेयरधारकों को प्रो-राटा आधार पर उसके अलावा कुछ प्रतिभूति जारी करने तथा आबंटित करने का अधिकार होगा।

संकल्प के लिए विस्तृत नियम और शर्तें सलाहकारों, अग्रणी प्रबंधकों और हामीदारों (अंडरराइटर्स) और ऐसे अन्य प्राधिकारी या प्राधिकरणों के परामर्श से, मौजूदा बाजार की स्थितियों और अन्य नियामक आवश्यकताओं को देखते हुए, जो आवश्यक हो, निर्धारित की जा सकती है।

वर्तमान संकल्प बैंक के निदेशक मंडल को उचित समय, माध्यम, प्रीमियम और अन्य शर्तों पर इक्विटी शेयर जारी करने में सक्षम बनाने के लिए प्रस्तावित है।

आबंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों का दर्जा सभी मायनों में अन्य बातों के साथ-साथ बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के बराबर होंगे। इस

EXPLANATORY STATEMENT

Item No. 2 - Equity Capital Raising Plan 2021-2022

The Capital Adequacy Ratio of the Bank as on 31st March, 2021 is 13.74%. The Authorized Capital of the Bank is, at present, Rs.15000 crore. The Paid up Equity Share capital of the Bank as on 31st March, 2021 is Rs. 9918.34 crore.

Based on the projection for FY 2021-22 and in order to meet the Minimum Capital and Leverage Ratio requirements under BASEL III guidelines for expansion of business, as approved by the Board of Directors of the Bank, the Bank proposes to raise equity capital by way of Qualified Institutional Placement (QIP)/ Private Placement/ Follow on Public Issue or any other mode(s) or combination(s) thereof, in accordance with SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 and as amended up to date and other applicable Regulations/Guidelines of SEBI/ RBI in this regard. In the event of raising of capital undertaken through Qualified Institution Placement (QIP), the same will be in accordance with chapter VI of SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018.

Besides the above, raising of capital through issue of equity shares would help in increasing the public shareholding in the Bank which is at present below the Minimum required Public Shareholding of 25% as stipulated in Rule 19A of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957.

The Bank will obtain the requisite approval of the Government of India and the Reserve Bank of India in terms of Section 3(2B)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for increasing the paid up capital of the Bank.

The Regulation 41(4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered with the same on pro rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements.

The Present resolution is proposed in order to enable the Board of Directors of the Bank to issue equity shares at an appropriate time, mode, premium and other terms.

The equity shares allotted, shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank. For this purpose the

प्रयोजन के लिए बैंक को एक विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। इसलिए उपर्युक्त संकल्प के लिए आपकी सहमति हेतु अनुरोध किया जाता है।

बैंक के निदेशकों में से किसी को भी अपने शेयर होल्डिंग, बैंक में यदि कोई है, की सीमा को छोड़कर उपर्युक्त संकल्पों में इच्छा या अपेक्षा नहीं है।

निदेशक मंडल प्रस्तावित विशेष संकल्पों को पारित करने की अनुशंसा करता है।

Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence your consent is requested for the above proposal.

None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding, if any in the Bank.

The Board of Directors recommends passing of the proposed Special Resolutions.

निदेशक मंडल के आदेश से

ह/-

(ए. के. गोयल)

प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 22 जून 2021

By order of the Board of Directors

sd/-

(A. K Goel)

Managing Director &
Chief Executive Officer

Place: Kolkata
Date: 22th June, 2021

वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने तथा रिमोट ई-वोटिंग सहित इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से पहुंच एवं वोटिंग करने के लिए सामान्य निर्देश

1. कोविड-19 के कारण विनियामक निर्देश

कोविड 19 महामारी के प्रकोप के कारण, सामाजिक दूरी एवं लोगों को इकट्ठा होने पर लॉकडाउन प्रतिबन्ध लागू है। सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन करने के लिए, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी किया परिपत्र सं 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी किया परिपत्र सं सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 के अनुसार वार्षिक आम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जायेगी, एमसीए और सेबी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का विधिवत पालन करते हुए वार्षिक आम बैठक का आयोजन होगा।

वार्षिक आम बैठक को अब आगे से 'ई-एजीएम' कहा जाएगा। बैठक के लिए माना गया स्थान यूको बैंक, प्रधान कार्यालय, 10, वि.त्रै.म. सरणी, कोलकाता-700 001 होगा।

2. वीसी के माध्यम से बैठक में शामिल होना

बैंक ने वार्षिक आम बैठक के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराने तथा ई-एजीएम के संचालन के लिए उपस्थिति समर्थ करने हेतु मेसर्स केफिन टेक्नॉलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट नियुक्त किया है।

सदस्य नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और 30 मिनट बाद तक वीसी मोड में वार्षिक आम बैठक में शामिल हो सकते हैं।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भागीदारी की सुविधा पहले आए पहले पाएं के आधार पर कम से कम 1000 सदस्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रतिबंध में बड़े शेयरधारक (2% या अधिक हिस्सेदारी वाले शेयरधारक), प्रोमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति तथा हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष, लेखा परीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे जिन्हें पहले आए पहले पाएं के आधार पर प्रतिबंध के बिना वार्षिक आम बैठक में भाग लेने की अनुमति दी गई है।

3. उपस्थिति

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति को कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।

4. प्रॉक्सी और प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

सेबी के परिपत्र में निहित विषय-वस्तु के अनुसार तथा वीसी के माध्यम से आयोजित बैठक के मद्देनजर, सदस्यों को मत देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा इस वार्षिक आम बैठक के लिए समाप्त कर दी गई है।

तथापि, निगमित निकाय वीसी के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने और उसके बाद ई-वोटिंग के माध्यम से मत डालने के हकदार हैं। इस संबंध में, संबंधित बोर्ड संकल्प की स्कैन प्रति तथा मत करने के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के सत्यापित हस्ताक्षर संवीक्षक को ई-मेल से

GENERAL INSTRUCTIONS FOR ACCESSING AND PARTICIPATING IN THE ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VC/OAVM FACILITY AND VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS INCLUDING REMOTE E-VOTING

1. Regulatory Instructions Due to COVID-19

Due to the outbreak of COVID 19 pandemic, there are norms for complying with social distancing and restrictions on assembly of persons. To comply with social distancing norms, the Annual General Meeting will be held through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) pursuant to the Circular no. 02/2021 dated January 13, 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and circular no. SEBI/HO/CFD/CMD2/ CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) duly following the guidelines issued by MCA and SEBI in conducting Annual General Meeting of the Bank.

The Annual General Meeting hereinafter is called as "e-AGM". The deemed venue for the meeting shall be UCO Bank Head Office, 10, BTM Sarani, Kolkata-700001.

2. Joining of Meeting through VC

Bank has appointed M/s. KFin Technologies Private Limited, Registrars & Transfers Agents, to provide Video Conferencing facility for Annual General Meeting and the attendant enablers for conducting of e-AGM.

The Members can join the Annual General Meeting in the VC mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice.

The facility of participation at the Annual General Meeting through VC/OAVM will be made available for at least 1000 members on first come first served basis. This restriction will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the Annual General Meeting without restriction on account of first come first served basis.

3. Attendance

The attendance of the Members attending the Annual General Meeting through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum.

4. Appointment of Proxy and Authorised Representative

In line with SEBI Circular and in view of the meeting conducted through VC, the facility to appoint proxy to attend and cast vote for the members is dispensed for this Annual General Meeting.

However, the Body Corporates are entitled to appoint authorised representatives to attend the Annual General Meeting through VC and participate thereat and cast their votes through e-voting. In this connection, scanned copy of relevant Board Resolution are required to be sent along with attested signature of the

savitajyotiassociates05@gmail.com पर भेज दी जाये और इसकी प्रति evoting@kfintech.com और hosgr.calcutta@ucobank.co.in बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् 15 जुलाई, 2021, को सायं 5:00 बजे से पहले जमा करा दी जाये।

बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को यूको बैंक (शेयर और बैठक) विनियमन, 2003 के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

5. वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ई-एजीएम में भाग लेने हेतु शेयरधारकों के लिए निर्देश

- मेसर्स केफिन टेक्नॉलोजिस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराए गए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से सदस्य को ई-एजीएम में भाग लेने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सदस्य <https://emeetings.kfintech.com> पर जाकर 'वीडियो कॉन्फ्रेंस' पर क्लिक कर दूरस्थ ई-वोटिंग पहचान का उपयोग करके शेयरधारकों/सदस्यों पर लॉग-इन कर सकते हैं।
- ई-एजीएम के लिए लिंक दूरस्थ ई-वोटिंग पहचान का उपयोग करके शेयरधारक/ सदस्य लॉग-इन में उपलब्ध होगा। ई-एजीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्यों के लॉग-इन में उपलब्ध होगा, जहां ई-वोट और यूको बैंक को चुना जाना है।
- कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं हैं या उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम मिनट की भीड़ से बचने के लिए नोटिस में उल्लिखित दूरस्थ ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।
- सदस्य बेहतर अनुभव के लिए गूगल क्रोम के साथ लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल हो सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त, बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए सदस्यों को एक अच्छी गति के साथ इंटरनेट का उपयोग करना आवश्यक होगा।
- कृपया ध्यान दें कि मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से मोबाइल डिवाइस या टैबलेट या लैपटॉप से कनेक्ट होने वाले प्रतिभागियों को अपने नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो सुनाई या दिखाई नहीं देने का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की उक्त खामियों को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

6. ई-एजीएम से पहले वक्ता के पंजीकरण और प्रश्नों की रिकॉर्डिंग की सुविधा:

- जो शेयरधारक बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं / प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे खुद को एक वक्ता के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं और <https://emeetings.kfintech.com> पर लॉग इन कर सकते हैं और नाम, डी मेट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करके उपलब्ध कराई गई विंडो 'अपने प्रश्न पोस्ट करें' पर क्लिक करके अपने सवाल/विचार/प्रश्न पोस्ट कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर तभी दिया जाएगा, जब निर्दिष्ट तारीख को शेयरधारक के पास शेयर रहते हैं। प्रश्नों की पोस्टिंग दिनांक 17 जुलाई, 2021 (10.00 बजे प्रातः) से शुरू होगी और दिनांक 18 जुलाई, 2021 (5.00 बजे सायं) को बंद होगी।
- जिन शेयरधारकों ने खुद को एक वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, केवल उन्हीं वक्ताओं को अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति होगी। बैंक द्वारा प्रश्नों का उत्तर उपयुक्त रूप से दिया जाएगा।
- ई-एजीएम के दौरान, जो सदस्य पहले से पंजीकृत हैं, उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में बोलने की अनुमति दी जाएगी और फिर ई-एजीएम के दौरान पंजीकरण करने वालों को बोलने का विकल्प दिया जाएगा।

Authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the scrutinizer by email to savitajyotiassociates05@gmail.com with a copy marked to evoting@kfintech.com and hosgr.calcutta@ucobank.co.in, not less than four days before the date of the meeting on or before 5:00 PM of 15th July, 2021.

An employee or officer of the Bank cannot be appointed as authorized representative as per provisions of UCO Bank (Shares and Meetings) Regulation, 2003.

5. Instructions for shareholders for attending e-AGM through Video conference

- Member will be provided with a facility to attend e-AGM through Video conferencing platform provided by M/s. KFin Technologies Private Limited. Members may access the same at <https://emeetings.kfintech.com> and click on the "Video Conference" and access the shareholders/members login by using the remote e-voting credentials.
- The link for e-AGM will be available in shareholder/member login by using the remote e-voting credentials. The link for e-AGM will be available in shareholder/members login where the EVENT and UCO Bank can be selected.
- Please note that the members who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice to avoid last minute rush.
- Members are encouraged to join the Meeting through Laptops with Google Chrome for better experience.
- Further, Members will be required to use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
- Please note that participants connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

6. Facility for Speaker registration & Recording of questions prior to e-AGM:

- Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker and may log into <https://emeetings.kfintech.com> and click on "post your questions" to post their queries/views/questions in the window provided by mentioning the name, demat account number/folio number, email id, mobile number. Please note that members questions will be answered only, the shareholder continue to hold the shares as per the benpos as on cut off date. The posting of questions shall commence on 17th July, 2021 (10.00 AM) and closed on 18th July, 2021 (5.00 PM) .
- Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions. The same will be replied by the Bank suitably.
- During e-AGM, the members who have already registered will be allowed to speak in the chronological order and then the option will be given for those who registered during the e-AGM.

- ई-एजीएम के दिन प्रश्न और उत्तर के दौरान वक्ताओं का पंजीकरण ट्रांसमिशन और तकनीकी समन्वय की बाधाओं के कारण समाप्त किया जा सकता है।

7. इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 (यथासंशोधित) के नियम 20 के अनुसार पठित एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित सेबी (सूचीकरण और प्रकटीकरण की आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 (यथासंशोधित) के विनियमन 44 के प्रावधानों तथा एमसीए परिपत्रों के अनुसरण में बैंक वार्षिक आम बैठक में किए जाने वाले व्यवसाय के संबंध में अपने सदस्यों को दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है।

वे सदस्य जो सदस्यों के मत देने के अधिकार का निर्धारण करने के लिए निर्दिष्ट तारीख दिनांक 13 जुलाई, 2021 को शेयर धारण कर रहे हैं, मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराए गए ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से या ई-एजीएम में मतदान करने के हकदार होंगे। जो व्यक्ति निर्दिष्ट तारीख को सदस्य नहीं हैं वे केवल सूचना के उद्देश्य से इस नोटिस को समझें।

यूको बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमन, 2003 के अनुसार संयुक्त धारकों के मामले में, जिस सदस्य का नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर के अनुसार पहले प्रकट होगा, वह वार्षिक आम बैठक में मत देने का हकदार होगा, बशर्ते कि दूरस्थ ई-मतदान के जरिए मत पहले ही न डाल दिए गए हों।

8. रिमोट ई-मतदान के लिए निर्देश

- दूरस्थ ई-मतदान के लिए प्रक्रिया और तरीके का विवरण नीचे दिया गया है। प्रारंभिक पासवर्ड ई-मेल में दिया गया है।
- रिमोट ई-वोटिंग के लिए <https://evoting.kfintech.com> पर लॉग-इन करें
- बैंक के शेयरधारक अपना मत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दर्ज कर सकते हैं, भले ही अंतिम तारीख को वे मूर्त रूप में अथवा अमूर्त रूप में शेयर धारित किए हुए हों।
- लॉगइन विवरण (यानी एजीएम की नोटिस में उल्लिखित आईडी एवं पासवर्ड) दर्ज करें। आपका फोलियो नं./डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी ही आपका यूजर आईडी होगा।
- सही तरीके से विवरण भरने के पश्चात लॉगइन पर क्लिक करें।
- अब आप पासवर्ड बदलने वाले पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां आपको अपना पासवर्ड अनिवार्य रूप से बदलना पड़ेगा। नए पासवर्ड में कम से कम 8 अक्षर होंगे जिनमें कम से कम एक अपर केस (A-Z), एक लोअर केस (a-z) अक्षर, एक संख्या (0-9) और एक विशेष चिह्न होगा। सिस्टम द्वारा पहली बार लॉग इन करने पर पासवर्ड बदलने तथा संपर्क-विवरण, जैसे मोबाइल नंबर, ई-मेल आदि को अपडेट करने के लिए कहा जाएगा। आप गुप्त प्रश्न में जाकर अपनी पसंद का उत्तर दर्ज कर सकते हैं जिससे यदि आप पासवर्ड भूल जाएं तो उसे पुनः प्राप्त कर सकें। आपको सचेत किया जाता है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा न करें एवं उसे गोपनीय रखने हेतु पूरी सावधानी बरतें।
- आपको नए विवरण के साथ फिर से लॉगइन करना होगा।
- सफल लॉग-इन पर, सिस्टम आपको ईवेंट, यूको बैंक का चयन करने के लिए संकेत देगा। मतदान पृष्ठ पर, आपके द्वारा निर्दिष्ट तारीख को धारित शेयरों की संख्या (जो वोटों की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है) दिखाई देगी। यदि आप सभी मतों को संकल्प के पक्ष/विपक्ष में डालना चाहते हैं तो सभी शेयरों को दर्ज करें और 'पक्ष/विपक्ष', जैसी भी स्थिति हो, या आंशिक रूप से 'पक्ष' और

- Speaker Registration during Question & Answers on the day of e-AGM may be dispensed with due to limitations of transmission and technical coordination.

7. VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS

Pursuant to the provisions Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (as amended) read with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014, (as amended), and the MCA Circulars, the Bank is providing facility of remote e-voting to its Members in respect of the business to be transacted at the Annual General Meeting.

The members who are holding shares as on 13th July, 2021 being the cut off date fixed for determining voting rights of members, entitled to participate in the remote e-voting process, through the e-voting platform provided by KFin Technologies Private Limited or to vote at the e-AGM. Person who is not a member as on cut off date should treat this notice for information purpose only.

In terms of UCO Bank (Shares and Meetings) Regulation 2003, in case of joint holders, the Member whose name appears first as per the Register of Members of the Company will be entitled to vote at the Annual General Meeting provided the votes are not already cast through remote e-voting.

8. INSTRUCTION FOR REMOTE E-VOTING

- The details of the process and manner for remote e-voting are given below. The initial pass word is provided in the body of the e-mail.
- Log-in-to for Remote e-voting at <https://evoting.kfintech.com>
- Shareholders of the Bank holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut off date i.e. 13th July, 2021 may cast their vote electronically.
- Enter the login credentials (i.e., user id and password mentioned in the notice of AGM). Your Folio No./DP ID & Client ID will be your user ID.
- After entering the details appropriately, click on LOGIN.
- You will reach the Password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (e-z), one numeric value (0-9) and a special character. The system will prompt you to change your password and update any contact details like mobile, email etc. on first login. You may also enter the secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- You need to login again with the new credentials.
- On successful login, the system will prompt you to select the EVENT i.e., UCO Bank. On the voting page, the number of shares (which represents the number of votes) held by you as on the cut-off date will appear. If you desire to cast all the votes assenting/dissenting to the resolution, enter all shares and click 'FOR'/AGAINST' as the case may be or partially in 'FOR' and partially in 'AGAINST', but the total

आंशिक रूप से 'विपक्ष' पर क्लिक करें लेकिन 'पक्ष' और/या 'विपक्ष' की कुल संख्या निर्दिष्ट तारीख को आपकी कुल शेयरहोल्डिंग से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप अनुपस्थित विकल्प का भी चयन कर सकते हैं लेकिन धारित शेयरों की गणना किसी भी पक्ष में नहीं की जाएगी।

- ix. एक उपयुक्त विकल्प चुनकर अपना मत डालें और 'सबमिट' पर क्लिक करें। एक पुष्टीकरण बॉक्स प्रदर्शित किया जाएगा।
- x. कॉर्पोरेट/संस्थागत सदस्यों (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि को छोड़कर) को प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के अभिप्रायित नमूना हस्ताक्षर के साथ संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकार पत्र आदि की प्रमाणित प्रति की स्कैन की गई छवि (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) को संवीक्षक को ईमेल पर savitajyotiassociates05@gmail.com भेजना होगा तथा अपने लॉग-इन में ई-वोटिंग मॉड्यूल में भी अपलोड करना होगा। उपरोक्त दस्तावेजों की स्कैन की गई छवि का नामकरण प्रारूप 'यूको बैंक इवेंट सं.' होगा।
- xi. निर्दिष्ट तारीख यानी 13 जुलाई, 2021 को शेयर धारित करनेवाले शेयरधारक संकल्प के पक्ष या विपक्ष में अपना मत दे सकते हैं।
- xii. पुष्टि के लिए 'OK' पर या संशोधन करने हेतु 'CANCEL' पर क्लिक करें। एक बार पुष्टि करने के बाद आपको अपने मत के पुनः संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। मतदान अवधि के दौरान शेयरधारक कितनी भी बार लॉग इन कर सकते हैं, जब तक कि उन्होंने संकल्प पर मत न दे दिया हो।
- xiii. कई फोलियो/डीमैट खाते वाले शेयरधारक प्रत्येक फोलियो/डीमैट खाते के लिए अलग से मतदान प्रक्रिया का चयन करेंगे।
- xiv. शेयरधारक द्वारा एक बार संकल्प पर अपना मत दे देने पर बाद में उसे पुनः संशोधित करने का मौका नहीं दिया जाएगा।
- xv. पोर्टल 17 जुलाई, 2021 को सुबह 9.00 बजे से लेकर 19 जुलाई, 2021 के शाम 5.00 बजे तक खुला रहेगा।
- xvi. इस संबंध में किसी भी जानकारी के लिए आप शेयरधारकों हेतु अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा <https://evoting.kfintech.com> के डाउनलोड सेक्शन में शेयरधारकों के ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का अवलोकन कर सकते हैं या केफिन टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड को 1800 345 4001 (टोल फ्री) पर फोन कर सकते हैं।

9. ई-एजीएम के दौरान ई-वोटिंग हेतु सदस्यों के लिए निर्देश:

ई-एजीएम कार्यवाही के दौरान वीडियो स्क्रीन के बाएं कोने पर ई-वोटिंग 'थंब साइन' अध्यक्ष के निर्देश पर सक्रिय किया जाएगा। शेयरधारक उन्हें 'इंस्टापोल' पृष्ठ पर ले जाने के लिए उसी पर क्लिक करेंगे।

सदस्यों को संकल्प पृष्ठ पर पहुंचने के लिए 'इंस्टापोल' आइकन पर क्लिक करना है और संकल्प पर मतदान करने के लिए निर्देशों का पालन करना है।

केवल वे शेयरधारक, जो ई-एजीएम में उपस्थित हैं और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्प पर अपना मत नहीं डाला है और अन्यथा उन्हें ऐसा करने से वंचित नहीं किया गया है, वे ई-एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मत डालने के लिए पात्र होंगे।

10. मतदान का परिणाम

बैंक ने मेसर्स सविता ज्योति, पेशेवर कंपनी सचिव को संवीक्षक के रूप से नियुक्त किया है जो अच्छे और पारदर्शी तरीके से दूरस्थ ई-मतदान तथा एजीएम में ई-मतदान प्रक्रिया के संचालन की देखरेख करेंगे।

संवीक्षक वार्षिक आम बैठक में मतदान के समापन के तुरंत बाद, वार्षिक आम बैठक के दौरान पहली बार डाले गए वोटों की गिनती करेगा तथा

number in 'FOR' and/or 'AGAINST' taken together should not exceed your total shareholding as on the cut-off date. You may also choose the option 'ABSTAIN' and the shares held will not be counted under either head.

- ix. Cast your votes by selecting an appropriate option and click on 'SUBMIT'. A confirmation box will be displayed.
- x. Corporate/institutional members (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned image (PDF/JPG format) of certified true copy of relevant board resolution/authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorised signatory(ies) who is/are authorised to vote, to the Scrutinizer through email at savitajyotiassociates05@gmail.com and may also upload the same in the e-voting module in their login. The scanned image of the above documents should be in the naming format 'UCO BANK_EVENT No.'
- xi. Those holding shares as on the Cut-off Date i.e. 13th July, 2021 can cast their vote in favour of or against the resolution.
- xii. Click OK to confirm else CANCEL to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, shareholders can login any number of times till they have voted.
- xiii. Shareholders holding multiple folios/demat account shall choose the voting process separately for each folios/demat account.
- xiv. Once the vote on the resolution is cast by the shareholder, he/she shall not be allowed to change it subsequently.
- xv. The Portal will be open for voting from: 9 a.m. on 17th July, 2021 to 5 p.m. on 19th July, 2021.
- xvi. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting User Manual for shareholders available at the download section of <https://evoting.kfintech.com> or contact M/s KFin Technologies Pvt. Ltd. on 1800 345 4001 (Toll free)

9. Instructions for members for e-voting during the e-AGM:

The e-voting "Thumb Sign" on the left hand corner of the video screen shall be activated upon instructions of the chairman during the e-AGM proceedings. Shareholders shall click on the same to take them to "instapoll" page.

The members to click on the "Instapoll" icon to reach the resolution page and follow the instructions to vote on the resolution.

Only those shareholders, who are present in the e-AGM and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system available during the e-AGM.

10. Voting Results:

The Bank has appointed Ms. Savita Jyoti, Practising Company Secretary, as Scrutinizer who will oversee the conduct of the remote e-voting and e-voting at the AGM in a fair and transparent manner.

The Scrutinizer shall, immediately after the conclusion of voting at the Annual General Meeting, first count the votes cast during

उसके बाद दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से डाले गए वोटों को अनब्लॉक करेगा तथा वार्षिक आम बैठक की समाप्ति के 48 घंटे के भीतर पक्ष या विपक्ष में डाले गए कुल मतों, यदि कोई हो, पर समेकित संवीक्षक रिपोर्ट अध्यक्ष या उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत करेगा जो उसपर अपने प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।

संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम को बैंक की वेबसाइट www.ucobank.com पर तुरंत प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही साथ बैंक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड को परिणामों को अग्रेषित करेगा, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं।

11. लाभांश

आरबीआई अधिसूचना सं. डीबीओडी.नं.बीपी.बीसी.88/21.02.067/2004-05 दिनांक 04.05.2005/DOR.ACC.REC.7/21.02.067/2021-22 दिनांक 22.04.2021, के अनुसार केवल वे ही बैंक लाभांश घोषित करने के पात्र हैं जो उपर्युक्त परिपत्र में सूचीकृत मानदंडों का अनुपालन करते हैं। लाभ की अपर्याप्तता को देखते हुए बोर्ड द्वारा कोई लाभांश घोषित नहीं किया जाता है।

12. अदत्त / अदावाकृत लाभांश

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 ख के अनुसार यदि कोई राशि अदत्त लाभांश खाते में अंतरित की जाती है और ऐसे अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि तक अदत्त/अदावाकृत रहती है तो उसे कंपनी अधिनियम, 1956/2013 की धारा 205ग(1)/125 के तहत स्थापित "निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि" में अंतरित किया जाएगा।

जिन शेयरधारकों ने वित्तीय वर्ष 2013-14 (अंतिम) तथा 2014-15 तक लाभांश का दावा नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि वे रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट मे. केफिन टेक्नोलॉजिज प्राइवेट लिमिटेड के पास वैध दावा(वे) प्रस्तुत करें। जिन शेयरधारकों का लाभांश का अभी तक दावा नहीं किया गया है उनका विवरण बैंक की वेबसाइट के निवेशक खण्ड में उपलब्ध है।

13. शेयरों के हस्तांतरण के लिए अनिवार्य अमूर्तीकरण

अधिसूचना दिनांक 01.04.2019 के साथ पठित गजट अधिसूचना दिनांक 8 जून, 2018 द्वारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (विनियमन और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का सूचीकरण), विनियमन, 2015 के विनियमन 40 के संशोधन के अनुसरण में सभी शेयरों को दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से ही अनिवार्य रूप से अमूर्तीकरण रूप में हस्तांतरित करना है।

तदनुसार, दिनांक 01.04.2019 से, कोई भी शेयर भौतिक रूप में हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। तथापि, उक्त प्रतिबंध प्रतिभूतियों के प्रसारण या हस्तांतरण के अनुरोधों पर लागू नहीं होता है।

उपरोक्त संशोधन के मद्देनजर, यूको बैंक के भौतिक शेयर रखने वाले बैंक के शेयरधारकों से एक बार फिर से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने शेयरों को अमूर्तीकरणरूप में हस्तांतरित करें। शेयरधारक दोनों डिपॉजिटरी यथा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड या सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड में किसी भी डिपॉजिटरी प्रतिभागी के माध्यम से डीमैट खाता खोल सकते हैं।

14. डाक पता/बैंक अधिदेश में परिवर्तन

मूर्त रूप में धारित शेयर

मूर्त रूप में शेयर धारित करनेवाले शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि डाक पता, बैंक खाता विवरण यथा बैंक का नाम, शाखा का नाम, खाता संख्या, ईसीएस अधिदेश, ई-मेल पता आदि में परिवर्तन होने की

the Annual General Meeting, thereafter unblock the votes cast through remote e-voting and make, not later than 48 hours of conclusion of the Annual General Meeting, a consolidated Scrutinizer's Report of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman or a person authorised by him in writing, who shall countersign the same.

The result declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Bank's website www.ucobank.com immediately. The Bank shall simultaneously forward the results to National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited, where the shares of the Bank are listed.

11. Dividend

As per RBI Notification No. DBOD. No.NP.BC.88/21.02.067/2004-05 DATED 04.05.2005 read with DOR.ACC.REC.7/21.02.067/2021-22 dated 22.04.2021, ONLY THOSE Banks which comply with the criteria listed out in the above said circular are eligible to declare dividend. No dividend is declared by the Board in view of inadequacy of profit.

12. Unpaid/Unclaimed Dividend

As per section 10B of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act 1970 any money which is transferred to unpaid dividend account and remains unpaid/unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to "Investor Education and Protection Fund" established under section 205C(1)/125 of the Companies Act 1956/2013.

Shareholders who have not claimed their dividend for the financial year 2013-14 (Final) and 2014-15 are requested to lodge valid claim(s) with Registrar and Transfer Agent M/s KFin Technologies Private Limited. The details of the shareholders whose dividend remained unclaimed are available on our Bank's website under Investors Section.

13. Mandatory Dematerialisation For Transfer of Shares

Pursuant to amendment to Regulation 40 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, vide gazette notification dated June 8, 2018 read with notification dated 01.04.2019, all the transfer of shares shall be mandatorily carried out in dematerialised form only w.e.f. April 1st, 2019

Accordingly, with effect from 01.04.2019, no shares can be transferred in physical form. However, above restriction do not apply for the requests for transmission or transposition of securities.

In view of the aforesaid amendment, the shareholders of the Bank, who are holding physical shares of UCO Bank, are once again requested to get their shares dematerialized. Shareholders can open a demat account in either of the two Depositories, viz. National Securities Depository Ltd., or Central Depository Services India Ltd through any of the depository participant.

14. CHANGE IN ADDRESS/BANK MANDATE

i. Holding of shares in Physical Form

Shareholders holding shares in physical form are requested to inform the Registrar and Share Transfer Agent i.e. M/s. KFin Technologies Pvt. Ltd., Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32,

सूचना रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट यानी मे. केफिन टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड, कार्वाी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31-32, गचीबावली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, हैदराबाद - 500 032 को दें।

ii. इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयर

इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरधारण करनेवाले हिताधिकारी मालिकों से अनुरोध किया जाता है कि वे सुनिश्चित कर लें कि उनके निक्षेपागार भागीदार के पास उनका डाक पता, बैंक खाता विवरण यथा बैंक का नाम, शाखा का नाम, खाता संख्या, ईसीएस अधिदेश, ई-मेल पते आदि ठीक से अद्यतन किए गए हैं।

15. शेयर अंतरण एजेंटों के साथ पत्राचार

शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि अपने पंजीकृत पते या अन्य किसी प्रकार के विवरण में परिवर्तन से संबंधित सूचना, यदि कोई हो, डीमैट शेयरों के मामले में अपने निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से एवं प्रत्यक्ष शेयरों के मामले में सीधे बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर दें:

मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड,
यूनिट: यूको बैंक,
कार्वाी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, गचीबावली,
फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, हैदराबाद - 500 032
दूरभाष: (040) 67162222; फैक्स: (040) 23420814

ऑनलाइन पूछताछ/शिकायत के लिए बैंक के शेयरधारक मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट www.kfintech.com पर लॉग-इन करें और अपनी पूछताछ/शिकायत, यदि कोई हो, दर्ज कराने के लिए इन्वेस्टर सर्विसेस पृष्ठ पर क्लिक करें।

16. शेयर अनुभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष

शेयरधारकों को त्वरित एवं बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय, कोलकाता में निवेशक शिकायत कक्ष की स्थापना की है। शेयरधारक एवं किसी भी प्रकार की सहायता के लिए निम्नलिखित पते पर इस कक्ष से संपर्क कर सकते हैं:

श्री एन. पूर्ण चंद्र राव, कंपनी सचिव, शेयर अनुभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष, यूको बैंक, प्रधान कार्यालय: 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस(तीसरा तल), कोलकाता- 700 001 दूरभाष: 033-44557227, फैक्स: 033-22485625

Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032 in respect of change of address, Bank Account details, viz, Name of Bank, Name of Branch, Account Number, ECS Mandate, e-mail addresses etc.,

ii. Holding of shares in Electronic Form

Beneficial owners holding shares in electronic form, are requested to update the address, Bank details i.e. Name of Bank, Name of Branch, Account Number, ECS Mandate, e-mail addresses etc. with their Depository Participant.

15. COMMUNICATION WITH SHARE TRANSFER AGENTS

Shareholders are requested to intimate changes, if any, in their registered address or any other particulars through their Depository Participant in case of DEMAT shares and directly in case of physical shares to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank at the following address :

M/s KFin Technologies Private Limited,
Unit : UCO BANK,
Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli,
Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032
Tel : (040) 671612222; Fax : (040)23420814

For on line queries/grievances, shareholders of the Bank may login on the website of M/s KFinTechnologies Private Limited i.e., www.kfintech.com and click on Investor Services page to register their queries/grievances, if any.

16. SHARE SECTION & INVESTORS GRIEVANCE CELL

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, the Bank has set up Investors Grievance Cell at its Head Office, Kolkata, Shareholders and investor may contact this Cell at the under mentioned address for any assistance :

Shri N Purna Chandra Rao, Company Secretary, Share Section & Investors Grievance Cell, UCO Bank, Head Office : 2, India Exchange Place (3rd Floor), Kolkata - 700 001, Telephone : 033-44557227, Fax : (033) - 22485625

निदेशक मंडल के आदेश से

ह/-

(ए. के. गोयल)

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 22 जून 2021

प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

By order of the Board of Directors

sd/-

(A. K. Goel)

Place: Kolkata
Date: 22th June, 2021

Managing Director &
Chief Executive Officer

प्रबंध निदेशक और सीईओ का संदेश Managing Director & CEO's Message



प्रिय शेयरधारकों

मुझे वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आपके बैंक की वार्षिक रिपोर्ट आपके सामने रखते हुए और वर्ष के दौरान बैंक के प्रदर्शन एवं शुरु की गई पहलों की मुख्य विशेषताएँ साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही है। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि चुनौतीपूर्ण व्यापक आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद बैंक सभी मोर्चों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन पर करते हुए ग्राहकों के निरंतर समर्थन, स्टाफ सदस्यों के समर्पित प्रयासों और बैंक के निदेशकों और अन्य हितधारकों के मार्गदर्शन से पाँच साल के अंतराल के बाद लाभप्रदता पर वापस लौट आया है।

वर्ष 2020-21 में कोविड-19 वायरस का अतुलनीय संकट देखा गया और यह महामारी मानव जाति और देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत बड़ा खतरा बनकर उभरी। मैं यूको बैंक के कर्मचारियों का आभारी हूँ जिन्होंने परीक्षा के इस घड़ी में अपने ग्राहकों को निर्बाध रूप से सेवाएँ प्रदान करने में सद्भावना और साहस दिखाया है। मैं उन कर्मचारियों को श्रद्धांजलि देता हूँ जिन्होंने कोविड-19 संक्रमण के कारण अपनी जान गंवाई है।

आर्थिक अवलोकन

इस महामारी ने आर्थिक विकास के प्रति नजरिये के बारे में अनिश्चितता की हवा पैदा कर दी है। वैश्विक अर्थव्यवस्था ने मौद्रिक और राजकोषीय प्रोत्साहन का सहारा लेने वाले विभिन्न देशों के साथ वसूली के शुरुआती संकेत प्रदर्शित किए। दुनिया भर में सरकारों और केंद्रीय बैंकों ने अपनी अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए विभिन्न नीतिगत साधनों की घोषणा की जैसे कि नीतिगत दरों को कम करना, मात्रात्मक सहजता के उपाय आदि। फिर भी आर्थिक गतिविधियाँ उन देशों में असमान बनी हुई हैं जहाँ अत्याधिक अनिश्चितता के साथ ही नकारात्मकता का जोखिम भरा हुआ है। टीकाकरण सर्वोपरि है और आर्थिक विकास के अनुमानों की सभी आशाएँ टीकाकरण की समय सीमा से संबन्धित है। अप्रैल 2021 में, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 2021 के लिए अपने वैश्विक विकास अनुमान को इस सोच के साथ संशोधित कर 6% कर दिया 2021 की गर्मियों तक टीके उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) और कुछ

Dear Shareholders,

I have immense pleasure to place before you the Annual Report of your Bank for the Financial Year 2020-21 and share the highlights of Bank's performance and initiatives taken during the year. I am happy to inform you that despite challenging macroeconomic conditions, Bank returned to profitability after a gap of five years with outstanding performance on all fronts and through constant support of customers, dedicated efforts of staff members and guidance from the Directors of the Bank and other stakeholders.

The year 2020-21 witnessed unparalleled crisis with the COVID - 19 virus and the resultant pandemic emerged as the biggest threat to mankind & also economic growth of the country. I am grateful to UCO Bank's employees who have shown spirit and courage in providing uninterrupted services to our customers amidst these testing times. I pay my homage to employees who have lost their lives due to COVID-19 infection.

Economic Overview

The pandemic has created an air of uncertainty regarding outlook of economic growth. The global economy exhibited incipient signs of recovery with various countries resorting to monetary and fiscal stimulus. Governments and central banks across the globe deployed various policy tools to support their economies such as lowering policy rates, quantitative easing measures, etc. Still, the economic activity remains uneven across countries with highly uncertain outlook clouded with downside risks. Vaccination remains of paramount importance and assumptions of economic growth projections correlate with the extent of vaccination. In April 2021, the International Monetary Fund (IMF) revised its global growth projection for 2021 to 6.0 per cent on the assumption that vaccines would be

उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में उपलब्ध होंगे और अन्य देशों में 2022 की दूसरी छमाही तक उपलब्ध हो जाएंगे।

सरकार और आरबीआई द्वारा प्रदान की गई असाधारण वित्तीय और मौद्रिक सहायता के समर्थन से घरेलू अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही में फिर से पटरी पर आई। एनएसओ द्वारा जारी अंतिम अनुमानों ने 2020-21 के लिए भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को 7.30% पर सीमित रखा। उद्योग क्षेत्र के सकल मूल्य में 6.96% की कमी दर्ज की गई, सेवा क्षेत्र में 8.36% की कमी हुई, जबकि कृषि, वानिकी और मछली पकड़ने के क्षेत्रों में 2020-21 में 3.60% की वृद्धि हुई। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सकल उत्पाद की वृद्धि 9.5% अनुमानित है।

भारत सरकार और आरबीआई द्वारा किए गए उपाय

भारत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों की चिंताओं को दूर करने और अर्थव्यवस्था में ऋण के प्रवाह को सुविधा जनक बनाने के लिए आत्मनिर्भर पैकेज के माध्यम से अर्थव्यवस्था को वांछित प्रोत्साहन प्रदान किया है। आरबीआई ने समाहित आधार पर विकास को पुनर्जीवित करने और बनाये रखने और अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए अपना उदार रुख जारी रखा। रिजर्व बैंक द्वारा किए गए उपायों ने महामारी के दौरान अनुकूल वित्तीय स्थितियाँ बनाईं। विभिन्न परिचालनों के माध्यम से पर्याप्त प्रणाली स्तर की तरलता सुनिश्चित की गई है और इसके परिणाम स्वरूप ऋण लेने की लागत और स्प्रेड (कीमत-लागत अंतर) ऐतिहासिक रूप से निम्न स्तर पर आ गए हैं। नीतिगत दरों को कम रखा गया। वर्तमान में सीमांत स्थाई सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 4.25% पर बनी हुई है। रिवर्स रेपो रेट भी 3.35% पर बनी रही।

अन्य सामाजिक उपायों जैसे मोरटोरियम, परिसंपत्ति वर्गीकरण फ्रीज़ और पुनर्गठन ने दबावग्रस्त ऋणकर्ताओं को बड़ी राहत प्रदान की है।

बैंक का कार्यनिष्पादन

महामारी के बावजूद, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सभी मानकों पर मजबूत प्रदर्शन किया है। पिछले 5 वित्तीय वर्षों में लगातार घाटे के पश्चात बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में शुद्ध लाभ अर्जित किया। मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ रु 167.03 करोड़ रहा जबकि मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान रु. 2436.83 करोड़ का शुद्ध नुकसान हुआ था।

- बैंक का वैश्विक कारोबार 31.03.2021 को 3,24,324 करोड़ रुपए रहा जो 31.03.2020 के 3,08,165 करोड़ रुपए की तुलना में 5.24% की वृद्धि दर्ज की।
- वैश्विक जमा 6.58% की बढ़त के साथ 31.03.2021 को रु. 2,05,919 रही और वैश्विक अग्रिम 3% की वृद्धि के साथ 31.03.2020 के रु. 1,14,961 के मुकाबले रु. 1,18,405 रहा।
- 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए परिचालन लाभ बढ़कर 5420.62 करोड़ रु हो गया जो कि 31.03.2020 के रु. 4835.60 से 12% की वृद्धि है। यह किसी भी वित्तीय वर्ष में आपके बैंक द्वारा दर्ज किया गया अब तक का सबसे अधिक परिचालन लाभ है।
- वित्तीय वर्ष 2021-21 में जमा की लागत कम होने के कारण शुद्ध ब्याज में 7.61% की वृद्धि दर्ज करते हुए पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 के 5092.27 करोड़ रु से बढ़कर रु. 5479.70 करोड़ तक पहुंची है।
- 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए अन्य आय बढ़कर रु. 3720.27 करोड़ हो गई, जो कि 31.03.2020 को समाप्त वर्ष में रु. 2871.21 करोड़ थी जिसमें 29.57% की वृद्धि दर्ज की गई। यह किसी भी वित्तीय वर्ष में आपके बैंक द्वारा पंजीकृत अब तक की सबसे अधिक अन्य आय है।

available in advanced economies (AEs) and some emerging market economies (EMEs) by the summer of 2021 and in most other countries by the second half of 2022.

Backed by extraordinary fiscal and monetary support provided by the government and RBI, domestic economy rebounded from Q3 FY 2020-21. The provisional estimates released by NSO placed India's real gross domestic product contraction at 7.30% for 2020-21. The Gross Value Added of the industry sector reported a contraction at 6.96%, service sector contracted by 8.36% while agriculture, forestry and fishing surged by 3.60% in 2020-21. GDP growth for FY 2021-22 is projected at 9.5%.

Measures by Government of India and RBI

Government of India provided much needed stimulus to economy through Atmanirbhar package promptly addressing concerns of various sectors and facilitating flow of credit to the economy. RBI continued its accommodative stance to revive and sustain growth on a durable basis and continue to mitigate the impact of COVID-19 on the economy. Measures taken by Reserve Bank, created conducive financial conditions throughout the pandemic. Adequate system level liquidity has been ensured through various operations and as a result borrowing costs and spreads have reduced to historic lows. The Policy rates were kept low. Presently, the marginal standing facility (MSF) rate and the bank rate remained at 4.25 per cent. The reverse repo rate also remained at 3.35 per cent.

Other timely measures such as Moratorium, Asset classification freeze and restructuring have provided huge relief to stressed borrowers.

Banks' performance

Despite pandemic, Bank has shown robust performance during the FY 2020-21 across all the parameters. Bank registered Net Profit in Financial Year 2020-21 after continuous losses in the previous 5 financial years. Net Profit during the year ended March 2021 is Rs. 167.03 Crore as against Net Loss of Rs 2436.83 Crore during the year ended March 2020.

- Global business of the Bank stood at Rs. 3,24,324 crore as on 31.03.2021 as compared to Rs. 3,08,165 crore as on 31.03.2020 registering a growth of 5.24%.
- Global Deposits stood at Rs. 2,05,919 crore has increased by 6.58% as of 31.03.2021 and. Global advances increased by 3.00% and stood at Rs. 1,18,405 crore compared to Rs. 1,14,961 crore as of 31.03.2020.
- Operating Profit for the year ended 31.03.2021 has increased to Rs 5420.62 Crore from Rs. 4835.60 Crore for the year ended 31.03.2020 reflecting a growth of 12.10%. This is the highest ever Operating profit registered by your Bank in any Financial Year.
- Net Interest Income for the financial year 2020-21 has increased to Rs. 5479.70 Crore from Rs 5,092.27 Crore for the previous financial year 2019-20 registering a growth of 7.61% due to decrease in cost of deposit.
- Other Income for the year ended 31.03.2021 has increased to Rs 3720.27 Crore from Rs 2871.21 Crore for the year ended 31.03.2020 registering a growth of 29.57%. This is the highest ever Other income registered by your Bank in any Financial Year.

- वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान जमा की लागत 4.90% से घटकर वित्तीय वर्ष 2020-21 में 4.29% हो गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान शुद्ध ब्याज मार्जिन बढ़कर 2.73% हो गया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान यह 2.69% था।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक की संपत्ति की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 31.03.2021 को सकल एनपीए घटकर ₹.11351.97 करोड़ हो गया है। 31.03.2020 को यह ₹.19281.95 करोड़ था।
- सकल एनपीए 31.03.2021 को घटकर 9.59% हो गया, जो 31.03.2020 को 16.77% था, जबकि शुद्ध एनपीए 31.03.2020 के 5.45% से घटकर 31.03.2021 को 3.94% हो गया है।
- 31.03.2021 को बेसल III के तहत पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) 13.74% और सीईटी-1 अनुपात 11.14% रहा। भारत सरकार ने 31.03.2021 को ₹.2600 करोड़ का पूंजी निवेश किया।
- वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक का घरेलू निवेश 4.42% की वृद्धि दर्ज कर 31.03.2020 के 89,532 करोड़ ₹. से बढ़कर 31.03.2021 को 93,501 करोड़ ₹. हो गया, जो बड़े पैमाने पर पुनर्पूँजीकरण बांड के आबंटन और सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद के कारण संभव हुआ।

बैंक ने परिचालन लाभ में वृद्धि के मानदंडों को पूरा किया है जो आपके बैंक के कर्मचारियों को 10 दिनों का कार्यनिष्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) दिये जाने हेतु सक्षम बनाता है। यह गर्व की बात है कि बैंक उन 5 पीएसबी में से एक है जो इस वित्तीय वर्ष के दौरान 10 दिनों या उससे अधिक की पीएलआई के लिए पात्र थे।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में शुरू की गई पहल

कोविड-19 का प्रकोप बहुत भीषण रहा है और हर बैंक इससे प्रभावित हुआ है। इससे एक सीख लेते हुए हमने अपने आस पास सब कुछ बदल दिया और ग्राहकों की सेवा के लिए और अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए नई नीतियों, प्रथाओं और नए उत्पादों के साथ अपने को भी इन परिस्थितियों में ढाल लिया है।

कोविड से उत्पन्न प्रभाव को कम करने की पहल

आपका बैंक, जो कोविड महामारी के कारण दबाव में था, की आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से व्यक्तियों, किसानों, रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं, व्यापारियों और बड़े कॉर्पोरेट्स को सहायता प्रदान करने में तत्पर है।

- बैंक ने कृषि के अंतर्गत निवेश ऋण को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन संरचना विकास निधि, कृषि संरचना निधि और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारिकरण में योगदान दिया। बैंक ने कोविड महामारी से प्रभावित किसानों और स्वयं सहायता समूह सदस्यों को भी ऋण दिया।
- महामारी के कारण वित्तीय दबाव को कम करने के लिए बैंक ने जीईसीएल 1.0 और 2.0 और पीएमस्वनिधि के माध्यम से व्यापारियों, एमएसएमई, स्ट्रीट वेंडरों को ऋण दिया।
- जीईसीएल को विभिन्न दबावग्रस्त क्षेत्रों के पात्र कॉर्पोरेट्स तक विस्तारित किया गया और आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना को पात्र एनबीएफसी के लिए विस्तारित किया गया।
- आपके बैंक ने ऋण लेने वालों को स्थगन अवधि बढ़ाने और पात्र खातों को पुनर्गठन करके उन्हें राहत प्रदान की।

- Cost of Deposits has decreased from 4.90% during FY 2019-20 to 4.29% in FY 2020-21. Net Interest Margin improved to 2.73% during FY 2020-21 as against 2.69% during FY 2019-20.
- Asset Quality of the Bank improved remarkably during the financial year 2020-21. Gross NPA has reduced to Rs 11351.97 Crore as on 31.03.2021 from Rs. 19281.95 Crore as on 31.03.2020.
- Gross NPA dropped to 9.59% as on 31.03.2021 from 16.77% as on 31.03.2020 while net NPA has reduced to 3.94% as on 31.03.2021 from 5.45% as on 31.03.2020.
- Capital Adequacy Ratio (CAR) under BASEL III stood at 13.74% and CET-1 Ratio at 11.14% as on 31.03.2021. Government of India infused Rs.2600 Crore towards capital on 31.03.2021.
- Domestic Investment of the Bank during the year 2020-21 increased by 4.42% from Rs.89,532 crore as on 31.03.2020 to Rs.93,501 crore as on 31.03.2021 largely due to allotment of recapitalization bond and purchase of Government Securities.

Bank has met the criteria of growth in operating profit which enables your Bank to make 10 days Performance Linked Incentive (PLI) to employees. It is a matter of pride that the Bank is among those 5 PSBs which were eligible for 10 days or more of PLI during this financial year.

INITIATIVES TAKEN UP IN FY 2020-21

COVID-19 outbreak has been a leveller and every Bank was caught off guard. Taking a cue, we transformed everything around us and swiftly adapted to new policies, practices and products to serve customers and also to compete with other financial institutions.

Initiatives to reduce impact of COVID stress

Your Bank was quick in adopting and extending assistance to individuals, farmers, street vendors, traders and large corporates, under stress due to COVID-19 pandemic, through various schemes to resume economic activities.

- Bank has contributed to Animal Husbandry Infrastructure Development Fund, Agri Infrastructure Fund, and PM Formalization of Micro Food Processing Enterprises to boost investment credit under Agriculture. Bank also extended loans to farmers and SHG members impacted by COVID pandemic.
- Bank extended credit to Traders, MSMEs, Street Vendors through GECL 1.0 & 2.0 and PMSVANidhi to assuage financial stress due to pandemic.
- GECL was extended to eligible Corporates from different stressed sectors and Partial Credit Guarantee Scheme was extended to eligible NBFCs.
- Your Bank provided relief to borrowers in the form of extending moratorium and restructuring eligible accounts.

आई टी पहल

- बैंक ने ग्राहक सुविधा के लाभों को बढ़ाने और डिजिटल लेनदेन की हिस्सेदारी में सुधार करने के लिए रुपये डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग एप और ई-बैंकिंग में कई सुविधाएं जोड़ी हैं।
- ऋण वितरण प्रणाली में सुधार के लिए एंड टू एंड लोन उत्पत्ति प्रणाली को अपनाया है
- बैंक ने इंटर एक्टिव चैटबोट उमा लॉच किया है जो ग्राहकों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए वेबसाइट के साथ-साथ मोबाइल एप पर भी उपलब्ध है।
- बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग में पोजिटिव पे प्रणाली का विकास और पोजिटिव पे प्रणाली जमा करने के बाद ग्राहक को एसएमएस भेजना।
- बैंक ने पंजीकृत मोबाइल नंबर द्वारा टोल फ्री नंबर के माध्यम से "यूको संपर्क" नामक आईवीआर आधारित फोन बैंकिंग समाधान शुरू किया ताकि सहायता के लिए किसी एजेंट की न्यूनतम भागीदारी के साथ लेनदेन किया जा सके।

ग्राहक सुविधा पहल

- यूको बैंक ने चेक लेने, 15जी/एच फार्म, आई टी/जी एस टी चालान और खाता विवरण की डिलीवरी, टी डी एस/फार्म 16 प्रमाणपत्र जारी करने, सावधि जमा रसीद जैसी सेवाओं के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा सामूहिक रूप से "पीएसबी एलायंस" के रूप में दी जाने वाली डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं का भी अनावरण किया।
- बैंक ने पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए यूको पे प्लस और नया बचत खाता खोलने के लिए वीडियो केवाईसी के माध्यम से शुरुआत की है।

खुदरा कृषि एमएसएमई पहल

- ऋणों के प्रसंस्करण में देरी से बचने और प्रसंस्करण त्रुटियों को कम करने के लिए ऋणों के त्वरित और आसान प्रसंस्करण के लिए नई ऋण प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई है।
- बैंक ने कोविड-19 महामारी के कारण ग्राहकों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को हो रही कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा ऋण योजनाओं को आसान और सरल बनाया है।
- अन्य क्षेत्रों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कृषि क्षेत्र में कोविड -19 का न्यूनतम प्रभाव देखा गया। बैंक ने कृषि ऋण को बढ़ावा देने के लिए वर्ष के दौरान कृषि समृद्धि, कृषि संपदा, लक्ष्य 700 और कृषि उत्सव जैसे विभिन्न विशेष अभियान शुरू किए।

आगे का रास्ता :

कोविड-19 संक्रामण की दूसरी लहर को रोकने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए कदम, टीके विकसित करने के लिए वैज्ञानिक ऊर्जा जुटाना, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का उन्नयन और मेगा टीकाकरण अभियान हमें आशा और विश्वास दिलाता है कि हम इस महामारी से पार पा लेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने उदार रुख अपनाते हुए पर्याप्त प्रणाली चलनिधि सुनिश्चित करके हमारी उम्मीदों को ऊंचाईयों पर रखा।

चूंकि बैंकिंग प्रणाली, ऋण परिनियोजन के माध्यम से अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, आपका बैंक ग्राहकों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं को कार्यान्वित करना जारी रखेगा, जिससे आजीविका की रक्षा होगी और व्यावसायिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने में मदद मिलेगी।

IT Initiatives

- Bank has added several features to Rupay Debit cards, Mobile Banking App, and E-banking to extend the benefits of customer convenience and to improve share of digital transactions.
- End to End Loan Origination system has been adopted to improve loan delivery system.
- Bank has launched the interactive chatbot UMA which is available on website as well as on mobile app to provide instant help to the customers.
- Development of Positive Pay System in Internet Banking and sending SMS to customer after submission of Positive Pay System.
- Bank introduced IVR based Phone Banking solution called "UCO SAMPARK" through toll free number from registered mobile number to transact with minimal to no involvement of an agent for assistance.

Customer Convenience Initiatives

- UCO Bank also unveiled Doorstep Banking Services offered collectively by Public Sector Banks as "PSB Alliance" for service such as pick -up of cheques, 15G/H form, IT/GST challan and delivery of account statement, TDS/Form 16 certificate issuance, term deposit receipt, etc.
- Bank has introduced video KYC for opening new Savings Account through UCO Pay plus and video KYC for submission of Life certificate for pensioners.

Retail Agriculture MSME initiatives

- New Loan Management System has been introduced for quick and easy processing of loans to avoid delays in processing of loans and minimise processing errors.
- Bank has improvised and simplified existing loan schemes keeping in view of the difficulties being faced by the customers, frontline workers, owing to COVID 19 pandemic.
- Agriculture sector witnessed minimal impact of COVID 19 during the FY 2020-21 compared to other sectors. Bank launched various special campaigns namely Krishi Samridhi, Krishi Sampada, Lakshya 700 and Agri Fest during the year to boost agricultural credit.

Way Forward:

Steps initiated by the Government to contain second wave of COVID 19 infections, mobilization of scientific energies to develop vaccines, upgrading health infrastructure and mega vaccination drive gives us hope and confidence that we will sail through this pandemic. Reserve Bank of India kept the hopes high by ensuring ample system liquidity with the accommodative stance.

As the Banking system plays a vital role in reconstruction of economy through credit deployment, your Bank will continue to participate in the Schemes introduced by the Government to provide additional support to customers thereby safeguarding livelihoods, and helping in seamless resumption of business activity.

रेम सेगमेंट में बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए आपका बैंक खुदरा ऋण और कासा वृद्धि पर अपना ध्यान केन्द्रित करना जारी रखेगा। आपका बैंक ग्राहक अधिग्रहण, बेहतर अंडर राईटिंग मानकों और निगरानी और लीड जनरेशन के लिए व्यापक रूप से आई टी का लाभ लेता रहेगा।

एनपीए की वसूली और दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान लाभप्रदता को बनाए रखने में सर्वोपरि है। प्री-पैकेज इनसोलवेंसी एंड नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड की शुरुआत के माध्यम से परिसंपत्ति गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार का अनुमान है।

महामारी ने ग्राहक आधार के बीच डिजिटल उत्पादों की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि की है। आपका बैंक ने हमारे डिजिटल उत्पादों में कई उन्नयन किए हैं और बैंकिंग के लगभग हर क्षेत्र में डिजिटलीकरण में तेजी लाना जारी रखेंगे। आपका बैंक मौजूदा कोर बैंक समाधानों के उन्नत संस्करण की ओर अग्रसर होगा और इसे और अधिक सुरक्षित और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए ई-बैंकिंग समाधानों को भी अपग्रेड करेगा।

हालांकि बैंक की पूंजी पर्याप्तता नियामक आवश्यकता से काफी ऊपर है, लेकिन विवेकपूर्ण तरीके से बैलेन्स शीट वृद्धि के माध्यम से पूंजी संरक्षण पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

वसूली, नवीन गुणवत्ता ऋण, लागत प्रबंधन, आईटी के उपयोग के माध्यम से ग्राहक सुविधा और वैकल्पिक वितरण चैनल को अपनाने के निरंतर प्रयासों से, आपका बैंक वित्तीय वर्ष 2021-22 में समावेशी, स्वच्छ और निरंतर विकास के लिए अपनी विकास यात्रा जारी रखेगा।

Your Bank will continue its focus towards retail loans and CASA growth while continuing to increase our market share across RAM segments. Your Bank will be leveraging technology extensively for customer acquisition, improved underwriting standards & monitoring and Lead generation.

Recovery in NPAs and resolution of stressed assets occupies paramount importance in sustaining profitability. Significant improvement in asset quality is anticipated through introduction of Pre-package insolvency and National Asset Reconstruction Company Ltd.

Pandemic has significantly augmented the demand for digitalized products among the client base. Your Bank has made several upgradations to digital products and will continue to accelerate digitization in almost every sphere of Banking. Your Bank will move to an advanced version of existing Core Banking Solutions and also upgrade e-banking solutions to make it more secure and user friendly.

Though the Banks' capital adequacy is well above the regulatory requirement, focus will remain on capital conservation through a prudent balance sheet growth.

With persistent efforts in recovery, fresh quality lending, cost management, customer convenience through use of technology and adoption of alternative delivery channels, your Bank will continue its journey for inclusive, clean and sustained growth in FY 2021-22.

सादर

Yours Sincerely

(ए के गोयल)
(प्रबंध निदेशक और सीईओ)

(A. K. Goel)
Managing Director & CEO

निदेशक मंडल की रिपोर्ट : 2020-21

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS : 2020-21

I. प्रबंधन विमर्श और विश्लेषण

1. वैश्विक अर्थव्यवस्था

वर्ष 2020 कोविड -19 महामारी से त्रस्त रहा; जिसके कारण विश्व के समक्ष अति भयानक आर्थिक चुनौतियां उपस्थित हुईं। भौतिक दूरी का पालन करने, टीकाकरण अभियान का हिस्सा बनने तथा उपचार की वजह से वायरस के प्रकोप को धीमा करने में बड़ी सहायता मिली और जीवन को बचाया जा सका। संक्रमण की द्वितीय और तृतीय लहरों के कारण अनेक देशों में पाबंदियों को फिर से लगाने की आवश्यकता पड़ी। नतीजतन वर्ष 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था (-) 3.3% से नीचे गिरने का अनुमान लगाया गया और वर्ष 2021 में 6% की दर से बढ़ने की परिकल्पना की गयी; वर्ष 2022 में 4.4% बने रहने का अनुमान लगाया गया।

अमरीकी अर्थव्यवस्था वर्ष 2020 में 3.5 % सिकुड़ गयी। वर्ष 2020 की चौथी तिमाही में जापान की अर्थव्यवस्था में 11% का विस्तार हुआ। वायरस की दूसरी लहर के कारण और प्रमुख घटक अर्थव्यवस्थाओं में पाबंदियों के कारण यूरोपीय देशों के सकल घरेलू उत्पादों में 6.6 % की गिरावट दर्ज की गयी। वर्ष 2020 में यूके का सकल घरेलू उत्पाद सिकुड़ कर 9.8 % रह गया। 2021 की प्रथम तिमाही में महामारी की दूसरी लहर ने, जो अधिक खतरनाक थी और जनवरी, 2021 माह आते-आते विश्व को तृतीय लाकडाउन में धकेल दिया। वर्ष 2020 में चीन में अर्थव्यवस्था सुधार पर रही और उनका जीडीपी 2.3 % बढ़ा। महामारी की दौर में चीन एक मात्र प्रमुख अर्थव्यवस्था वाला देश रहा। रूस की अर्थव्यवस्था भी 2020 में सिकुड़ गयी थी किंतु अभी उसमें थोड़ी-बहुत स्थिरता आई है अन्यथा रूसी अर्थव्यवस्था गहरे संकट में पहुंच जाती। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में जैसे-जैसे वायरस के कारण आर्थिक गतिविधियां बाधित होती रहीं वैसे-वैसे उन देशों की अर्थव्यवस्था में गिरावट दर्ज होती रही जो 2.2% से 8.3 % तक रही। वाणिज्यिक व्यापार और सेवाओं में अंतर्देशीय व्यापार मंद पड़ गया। वैश्विक हवाई गतिविधियां और पत्तन गतिविधियां मार्च 2021 में जोर पकड़ना शुरू की और धीरे-धीरे उनमें सुधार देखा गया हालांकि स्थानीय स्तर पर प्रतिबंध कायम रहे। ऐसा ही एक प्रतिबंध यूरोप और एशिया को व्यापार-धमनी की तरह जोड़ने वाली स्वेज नहर जिसके रास्ते विश्व का 12% व्यापारिक लेनदेन होता था, को जब 6 दिनों के लिए इसे अवरुद्ध किया गया और परिणामस्वरूप वैश्विक आपूर्ति शृंखला बाधित हुई।

स्थानीय स्तर पर बंदी, मुद्रास्फीति और विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों के बांड प्राप्तियों के बढ़ने के बावजूद अमरीकी बचाव योजना और टीकाकरण अभियान के बढ़ने के फलस्वरूप वैश्विक इक्विटी बाजार तेजी पर रहा। यूके के एफटीएसई- 100 के साथ मिल कर किए जा रहे मौद्रिक और राजकोषीय प्रयासों के फलस्वरूप सतत चल रहे टीकाकरण से आशावित आर्थिक सुधार के मद्देनजर यूरोप के देशों के शेयरों में 3.6% का उछाल आया। कुल मिलाकर, विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों के स्टॉक बाजार में बढ़त देखी गयी। जापानी सरकार की बजट की घोषणा के साथ ही उनके निक्की में 0.7% की बढ़ोत्तरी हुई। चीन के प्रति अमरीकी नीति में कठोरता आने, हाउसिंग मार्केट में आस्तियों की कीमतों में सुधार होने और कोविड के बढ़ते मामलों के कारण चीनी स्टॉक-मार्केट में उतार आया। बढ़ती हुई बांड प्राप्तियां और कठोर अमरीकी मौद्रिक नीति ने बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों में पूंजी पहुंचाने में रुकावट पैदा किया।

I. MANAGEMENT AND DISCUSSION ANALYSIS

1. GLOBAL ECONOMY:

The year 2020 was predominated by covid-19 pandemic, posing the most formidable economic challenges to the world. Social distancing, vaccinations and treatments have helped to slow the spread of the virus and saved lives. Second and third infection waves have necessitated reviewed/revived restrictions in many countries. Global economic output is estimated to fall by (-) 3.3% in 2020 and projected to grow at 6% in 2021, moderating to 4.4% in 2022.

The US economy contracted by 3.5 % in 2020. The Japanese economy expanded by 11.7% in Q4 in 2020. European GDP declined by 6.6 % in 2020 as emergence of the second wave of the virus and lockdowns across major constituent economies. In UK, GDP contracted at 9.8 % in 2020. In the early Q1,2021 infection reached a new peak with newer and more contagious variants pushing the economy into third nationwide lockdown in January, 2021. The economic recovery continued in China and overall GDP increased to 2.3 % in 2020 and making it only major economy to register growth in pandemic period. Russian economy contracted in 2020 with a modest recovery in H2 preventing a deeper plunge. Across major South East Asian economies GDP declined in the range of 2.2 % to 8.3 % on Y-o-Y basis as the virus impeded economic activity. Merchandise trade-volumes and cross-border trade in services remained subdued. The Global commercial flight activity and port activity began rising in March, 2021 with recovery gaining ground amid localised movement restriction. In a one-off event, the Suez Canal, a trade artery connecting Europe with Asia and facilitating 12% of global trade was blocked for 6 days disrupting the Global supply chains.

Global equity markets remain bullish driven by American rescue plan and gain in vaccination, besides localised lockdown, inflationary concerns and rising Bond yields across advance economies. European share rose amid hopes of an economic recovery reinforced by ongoing inoculations forecast by sustained monetary and fiscal efforts with UK's FTSE 100 claiming up by 3.6 %. Overall, advanced economies stock markets posted gains. Japanese Nikkei rose modestly by 0.7 % with the government records budget announcements. Chinese stock witnessed losses, amid policy tightening elevated US bond yields, asset price correction in housing market and rising covid-19 cases. Rising Bond yield and concerns over monetary tightening in the US reined in capital flows to emerging market and developing economies.

वर्ष 2020 के प्रारम्भ में आई मंदी से उबरने के बाद वैश्विक वस्तु कीमतें मई 2020 से बढ़ रही हैं। मांग में कमी आने के कारण सितम्बर माह में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आयी थी किंतु अब नवम्बर 2020 से कीमतें गति पकड़ने लगी हैं, अगस्त 2020 और फरवरी 2021 के बीच धातुओं की कीमतों में 30% का इजाफा हुआ। चीन और अन्य विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में आर्थिक गतिविधियों में प्रोत्कर्ष और अमरीकी राजकोषीय प्रोत्साहन की वजह से धातुओं के प्रति लोगों की भावनाएं उद्वेलित हुईं। वर्ष 2020 के द्वितीय हमारी अर्धवर्ष के दौरान गेहूं, मक्के, सोयाबीन और खजूर के तेल सहित मुख्य फसलों की कीमतों में वृद्धि हुई जो महामारी की शुरुआत में इन फसलों की कीमतों में आई गिरावट के विपरीत थी।

सरकार और केंद्रीय बैंक मार्च 2020 से ही अप्रत्याशित और बड़े पैमाने पर राजकोषीय और मौद्रिक प्रोत्साहन देते रहे। केंद्रीय बैंकों द्वारा अति विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों और उभरती बाजार अर्थव्यवस्था में आसित खरीद कार्यक्रमों और विशेष नकदी कार्यक्रमों का दायरा बढ़ा कर मौद्रिक नीति को और सरल बनाया गया। उभरते बाजार अर्थव्यवस्थाओं द्वारा ब्याज दरों में निरंतर कटौती की जाती रही। तथापि मार्च माह में मुद्रास्फीति के चलते ब्याज दर थोड़े बढ़ाने पड़े थे। “फेड” ने संघीय निधि ऋण रूप में देने के लिए 0-0.25% ब्याज दर का लक्ष्य रखा था। बैंक आफ इंग्लैंड ने मार्च 2020 से ही हमेशा बैंक रेट जो 0.1% था पर रोक लगा कर रखा था। बैंक आफ कनाडा ने मार्च 2020 में दर घटा कर 0.25% करने के बाद उस पर कायम रहा। बड़े एई सेंट्रल बैंकों में आस्ट्रेलिया और आईसलैंड ने 2020 की चौथी तिमाही में ब्याज दर घटा दिया था। दि पीपुल बैंक ऑफ चाइना ने अप्रैल 2020 से ही एक वर्ष के लिए ब्याज दर घटा कर 3.85% रखा था। दि सेंट्रल बैंक आफ फिलिपींस और बैंक आफ इंडोनेशिया सितम्बर में ब्याज दर कम करने के बाद उसी पर बने रहे। इन बैंकों ने फरवरी में 25 बीपीएस और दूसरी बार मार्च में 25 बीपीएस घटाया। अप्रैल 2020 में फेडरल बैंक ने घर-गृहस्थी की सहायता के लिए मुख्य गली ऋण कार्यक्रम की घोषणा की। फेडरल बैंक ने संकेत दिया कि वह वर्तमान गति के अनुसार आसितियों को खरीदना जारी रखेगा।

मुद्रा बाजार में मार्च 2020 से लम्बे समय तक ब्याज दर कम रहने के कारण अमरीकी डालर कमजोर पड़ा। पूंजी प्रवाह फिर से चालू होने के परिणामस्वरूप डालर की तुलना में यूरो डालर काफी मजबूत हुआ। वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही से ज्यादातर उभरते बाजारों की मुद्राएं मजबूत हुई हैं।

2. भारतीय अर्थव्यवस्था

वर्ष 2020 अत्यधिक चुनौतीपूर्ण रहा। सितंबर 2020 के मध्य से प्रथम उछाल का सामना करने के बाद, भारत में कोविड -19 के नए मामलों में लगातार गिरावट आई है। हालांकि, फरवरी, 2021 के मध्य से नए मामलों में तेजी आई है, जो दूसरी लहर की शुरुआत का प्रतीक है। भारत नए सक्रिय मामलों में विश्व में अब पाँचवें स्थान पर है तथा दैनिक आधार पर अधिकतम संख्या में नए मामलों रिकार्ड हो रहे हैं। भारत में 4 अप्रैल, 2021 तक रोजाना 1 लाख से अधिक नए मामलों रिकार्ड हो रहे थे। इस वर्ष के आरंभ में कोरोना के मामलों में औसत गिरावट के बाद अब रोजाना एक लाख जाँच हो रहे हैं। सक्रिय मामलों बहुत तेजी से बढ़े हैं तथा 15 अप्रैल, 2021 तक यह आँकड़ा 2 लाख पार गया। मार्च में, महाराष्ट्र में नए मामलों की संख्या, समग्र आँकड़ों का 60% से अधिक थी। नए मामलों में शीर्ष पर रहने वाले अन्य दूसरे राज्यों में केरल, पंजाब, कर्नाटक एवं गुजरात हैं।

कोविड -19 टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण 1 मार्च 2021 को 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों और 45 वर्ष और उससे अधिक आयु

Global commodity prices are rising since May 2020, after recovering from a plunge in the early part of 2020. Crude oil prices lost some steam in September, on waning demand prospects but have picked up since November 2020, base metal prices increased by 30% between August 2020 and February 21. The resurgent industrial activity in China and other advanced economies coupled with US fiscal stimulus boosted sentiment towards metals. The second half of 2020 saw a surge in prices of many staple crops including wheat, corn, soybeans and Palm oil reversing an earlier trend of stable or declining prices over the first months of pandemic.

Government and Central banks have provided unprecedented and large fiscal and monetary stimulus since March 2020. Monetary policy turned even more accommodative with expansion of asset purchase programmes and launch/ extension of special liquidity programme by central banks in most advanced economies and emerging market economies (EMEs). Rate cuts continued mainly by EMEs. A few major EMEs, however, raised rates in March in response to inflation concerns. The Fed maintained the target range for the federal funds rate 0 to 0.25% since March 2020. The Bank of England has maintained a pause on the bank rate at all-time low of 0.1 % since March 2020. The bank of Canada had maintained a pause on the policy rate since reducing its 0.25% in March 2020. Among the major AE Central Bank, Australia and Iceland reduced policy rates in Q4 2020. The People's Bank of China has maintained the one-year loan price rates at 3.85 % since April 2020. The central bank of Philippines and Bank of Indonesia, which were on pause after cutting rates in September, cut their policy rates by 25 bps each in February 2020, and by 50 bps and 25 bps, respectively, in March to support growth. In April 2020 Fed announced the main street lending program, to support household. The Fed has indicated that it would continue asset purchase at the current pace.

In currency markets, the US dollar has weakened considerably since March 2020, expecting of the policy rates staying low for a considerable time. The euro has strengthened considerably against the dollar with resumption of capital flows, most emerging market currencies have strengthened since Q2, 2020.

2. Indian Economy:

The year 2020 remained extremely challenging. India has been experiencing a steady decline in new covid-19 cases after experiencing the first peak of mid-September 2020. However there has been resurgence in fresh cases since mid-February 2021, marking the onset of a second wave. India is now 5th in number of active cases in the world and has been experiencing the largest number of the daily new cases. India scaled daily new cases of more than 1 lakh on 4th April 2021. Daily tests per lakh have also started rising again after declining moderately at the beginning of this year. The active cases have increased at a faster pace and by 15th April 2021, it crossed more than 2 lakh. In absolute numbers, Maharashtra accounting more than 60% of the new cases in March. Kerala, Punjab, Karnataka and Gujarat are the other top states in contributing to the case rise.

The second phase of covid-19 vaccination drive began on 1st March 2021 for all the individuals above 60 years age and for

के लोगों के लिए निर्दिष्ट सह-रूपता के साथ शुरू हुआ। 1 अप्रैल, 2021 को 24 घंटे में 36.7 लाख से अधिक टीका लगाकर, भारत ने टीकाकरण अभियान के क्षेत्र में एक दिन में सबसे अधिक टीका लगाने का कीर्तिमान स्थापित किया। भारत ने माना कि महामारी अर्थव्यवस्था में आपूर्ति और मांग दोनों को प्रभावित करती है।

2019 में धीमी वृद्धि के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने जनवरी 2020 के दौरान गति हासिल करना शुरू कर दिया था एनएसओ द्वारा जारी राष्ट्रीय आय के अंतिम अनुमानों ने 2020-21 के लिए भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद संकुचन को 7.3% पर रखा। उद्योग क्षेत्र के जीवीए ने 6.96% पर संकुचन की सूचना दी। सेवा क्षेत्र में भी 8.36% अनुबंध दर्ज किया गया, जबकि कृषि, वानिकी और मछली पकड़ने में 3.6% की वृद्धि हुई। तब से कई उच्च आवृत्ति संकेतकों ने वी आकार की वसूली का प्रदर्शन किया है। भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत मिशन के कार्यान्वयन और सरकार और आरबीआई द्वारा प्रदान की गई असाधारण वित्तीय और मौद्रिक सहायता के पीछे वित्तीय वर्ष 2020-2021 की तीसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था में प्रगति दिखाई गई।

भारत में पण्य निर्यात मार्च, 20 के 313.2 बिलियन डॉलर की तुलना वित्तीय वर्ष 21 के दौरान 290.6 बिलियन डॉलर रहा। वित्तीय वर्ष 21 में 7.3% की गिरावट दर्ज की गई। पिछले वर्ष 474.2 बिलियन डॉलर की तुलना में वित्तीय वर्ष 21 में पण्य आयात 389.2 बिलियन डॉलर कम रहा। वित्तीय वर्ष 2021 में व्यापार घाटा 98.6 बिलियन डॉलर रहा।

कई देशों में लागू लॉकडाउन एवं परिणामी वैश्विक व्यापार व्यवधान के कारण अप्रैल- मई, 2020 में भारतीय निर्यात एवं आयात बुरी तरह से प्रभावित हुआ। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) द्वारा मापी गई भारत की हेडलाइन मुद्रास्फीति 21 मार्च में चार महीने के उच्च स्तर 5.52% पर पहुंच गई, जिसका मुख्य कारण ईंधन में वृद्धि और खाद्य पदार्थों की उच्च कीमतें थीं। वित्त वर्ष 21 के दौरान, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में वित्त वर्ष 20 में 0.8% की नकारात्मक वृद्धि की तुलना में 8.6% की वृद्धि हुई है। इसका तात्पर्य है कि लगातार राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण औद्योगिक उत्पादन में संकुचन आया है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर दृष्टिकोण के साथ-साथ अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिफल में वृद्धि के कारण सप्ताहांत में अमेरिकी डॉलर की मजबूती से नज़र रखे हैं। मार्च में कच्चे तेल एवं पण्य की कीमतों में वृद्धि ने रूपया को कमजोर किया है। आईएनआर ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले दोनों दिशाओं में आंदोलनों का प्रदर्शन किया। 2020-21 की पहली छमाही के दौरान, अप्रैल 2020 को अपने निम्नतम स्तर 76.81 रुपये के मूल्यहास के बाद घरेलू इक्विटी बाजार में एफपीआई प्रवाह के कारण बाद में आईएनआर की सराहना की गई।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में घरेलू इक्विटी बाजारों में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में निफ्टी 50 और सेंसेक्स में क्रमशः 71% और 68% की उछाल दर्ज की गई। वसूली को सरकार द्वारा घोषित प्रोत्साहन उपायों, आरबीआई के तरलता उपायों और एफपीआई द्वारा रिफॉर्ड निवेश द्वारा समर्थित किया गया था, वित्त वर्ष 2020-21 में 36.2 बिलियन डॉलर का रिफॉर्ड एफपीआई प्रवाह देखा गया।

केंद्रीय बजट 2021 ने मांग और समग्र विकास के पुनरुद्धार के लिए प्रमुख क्षेत्र के रूप में बुनियादी ढांचे के निवेश पर स्पष्ट जोर देने के साथ पूंजीगत व्यय की गति को एक मजबूत गति प्रदान की है। भारत की बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश को मौजूदा 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। यह बीमा क्षेत्र को निजी बैंकिंग क्षेत्र के बराबर लाता है। बुनियादी ढांचे के खर्च को वित्त पोषित करने के लिए, बुनियादी ढांचे की संभावनाओं के लिए ऋण वृद्धि प्रदान करने के लिए एक विशेष विकास वित्तपोषण संस्थान स्थापित करने सहित विभिन्न नवीन उपायों को सुनिश्चित किया गया है।

people aged 45 and above with specified co-morbidities. India achieved Milestone in its vaccination drive with the highest ever single day figure of more than 36.7 lakh vaccination coverage recorded in 24 hours on 1st April 2021. India recognised that the pandemic impacts both supply and demand in the economy.

Indian economy after subdued growth in 2019 had begun to regain momentum during January 2020 onwards. The provisional estimates of National Income released by NSO placed India's real gross domestic product contraction at 7.3% for 2020-21. The GVA of the industry sector reported a contraction at 6.96%. Service sector also recorded contract at 8.36% while Agriculture, forestry and fishing surged to 3.6%. Since then several high frequency indicators have demonstrated a V shaped recovery. The implementation of Atmanirbhar Bharat Mission by government of India and on the back of extraordinary fiscal and monetary support provided by the government and RBI shown progress in the economy in Q3 of the financial year FY 2020-2021 onwards.

India's merchandise exports during FY21 were at \$290.6 billion compared with \$313.2 billion in March 20. There has been de-growth of 7.3 % in FY 21. Merchandise import was down to \$389.2 billion in FY 21 compared with \$474.2 billion in the previous year. Trade deficit in FY2021 was \$98.6 billion.

India's exports and imports were severely impacted in April-May 2020 with several countries imposing lockdowns and resultant Global trade disruption. India's headline inflation as measured by consumer price index (CPI) rose to a four-month high of 5.52 % in March 21 largely owing to the rise in fuel and higher prices of food items. During FY 21, the Index of Industrial Production has de-growth by 8.6% compared with negative growth of 0.8% in FY 20. This means that Industrial production contracted due to continuous nation-wide lockdown. Rupee weekend marginally tracking the strength in the US Dollar on account of an uptick in US Treasury yields coupled with improved outlook for the US economy. Rise in crude oil prices and commodity price in March also weighed on the weakness in the rupee. The INR exhibited movements in both directions against the US dollar. During first half of 2020-21, after depreciating to its lowest level of Rs. 76.81 on April 2020 the INR subsequently appreciated owing to FPI flows to the domestic equity market.

Domestic equity markets recovered in FY 2020-21 to register a jump of 71% and 68% in Nifty 50 and Sensex respectively over the last fiscal. The recovery was supported by stimulus measures announced by the government, RBI's liquidity measures and record investment by FPI, FY 2020-21 witnessed a record FPI inflow of \$36.2 billion.

Union Budget 2021 has provided a strong fillip to the capex momentum with clear emphasis on infrastructure investment as key sector for revival of demand and overall growth. Foreign investment in India insurance companies has been raised from existing 49% to 74%. This brings the insurance sector at par with the private banking sector. To fund the infrastructure spending, various innovative measures have been ensured including setting up a special Development Financing Institutions to provide credit enhancement for infrastructure prospects.

बैंकिंग क्षेत्र में विकास

महामारी की बढ़ती स्थिति में, भारत का बैंकिंग क्षेत्र काफी बेहतर स्थिति में है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने मार्च 2020 से पांच बार बैठक की और नीति रेपो दर को 115 बीपीएस घटाकर 5.15% से 4.0% कर दिया। 2020-21 के दौरान, अर्थव्यवस्था में उच्च तरलता के कारण पिछले कुछ वर्षों की तुलना में मौद्रिक समुच्चय में उच्च वृद्धि देखी गई।

आरबीआई ने फरवरी 2020 से अर्थव्यवस्था में तरलता के प्रबंधन के लिए कई पारंपरिक और अपरंपरागत उपाय किए। पर्याप्त तरलता समर्थन बनाए रखने के लिए आरबीआई के लगातार प्रयासों से घरेलू वित्तीय स्थितियाँ सहज बनी हुई हैं। केंद्रीय बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 में रु. 3.13 लाख करोड़ और अप्रैल 2021 में रु. 25000 करोड़ की खुली बाजार में खरीदारी की है।

2020-21 की पहली छमाही के दौरान, बैंक क्रेडिट ऑफ टेक एक एनीमिक था जो कमजोर मांग और महामारी के मद्देनजर अनिश्चितता को दर्शाता है। कमजोर गति और आधार प्रभावों से प्रेरित मार्च 2021 तक गैर-खाद्य ऋण वृद्धि (वर्ष-दर वर्ष) 5.6% थी जो एक साल पहले 6.1% से कम थी। मार्च 2020 से कुछ वृद्धि के साथ पीएसबी की क्रेडिट वृद्धि मामूली बनी रही। एससीबी की जमा राशि में साल-दर-साल 11.4% की वृद्धि हुई।

घरेलू बांड बाजार पहले से ही भारत के प्रतिचक्रिय राजकोषीय विस्तार को बनाए रखने के लिए बड़े पैमाने पर गिल्ट जारी करने के आपूर्ति पक्ष के दबाव का सामना कर रही है। भारत की 10-वर्षीय जी-सेक उपज 5 फरवरी 2021 को 6.12 प्रतिशत से बढ़कर 12 मार्च 2021 तक 6.38 प्रतिशत हो गई। 26 मार्च 2021 तक, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, सकल बाजार उधारों के रूप में 13.7 लाख करोड़ जुटाए थे, जो कि 2019-20 में इसी अवधि की तुलना में 93.0 प्रतिशत अधिक है।

महामारी के प्रकोप के बाद, अप्रैल 2020 में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने इक्विटी और डेब्ट दोनों सेगमेंट के शुद्ध विकेता बन गए। कमजोर वैश्विक संकेतों के साथ घरेलू विकास की संभावनाओं के बारे में नई चिंताओं ने एफपीआई के इक्विटी सेगमेंट को नेट सेलर्स में बदल दिया। 75 बीपीएस नीतिगत दर में कटौती और मार्च 2020 को तरलता बढ़ाने के उपायों की घोषणा के बाद, टी बिलों पर प्रतिफल तेजी से रिवर्स रेपो दर से नीचे गिर गया।

एससीबी की संपत्ति की गुणवत्ता में 2020-21 के दौरान सुधार हुआ है, दिसंबर 2020 में कुल एनपीए अनुपात घटकर 6.8% हो गया, जो मार्च 2020 में 8.3% था। एससीबी का सीआरएआर 20 मार्च और 20 सितंबर के बीच 14.7% से बढ़कर 15.8% हो गया। मनी सप्लाई (एम3) मार्च 2021 तक विकास 12.6% पर स्थिर रहा।

नीति दर में कटौती के संयुक्त प्रभाव को दर्शाते हुए 20 मार्च से नीतिगत दर का संचरण, जमा में रेपो दर में परिवर्तन और एससीबी की उधार दरों में सुधार हुआ है।

एंकर बैंक पीएनबी, केनरा बैंक, यूनिन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक के साथ अन्य 10 पीएसबी का समेकन अप्रैल 2020 से प्रभावी हो गया। एमएसएमई को ऋण का एकमुश्त पुनर्गठन जो डिफॉल्ट थे, लेकिन 1 जनवरी, 2019 तक मानक थे, को पुनर्गठन करने की अनुमति थी। व्यवहार्य एमएसएमई का समर्थन करने के लिए कट-ऑफ तिथि मार्च 2020 तक बढ़ा दी गई थी। जुलाई 2020 तक किए गए संवितरण के लिए बैंकों द्वारा स्वीकृत प्री-शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट निर्यात ऋण की अधिकतम अनुमति अवधि को 1 वर्ष से बढ़ाकर 15 महीने कर दिया गया था।

Banking Sector Development

Heading into the Pandemic, the Banking Sector of India is in a much improved position. The Monetary Policy Committee (MPC) of the RBI met five times since March 2020 and reduced the policy repo rate by 115 bps from 5.15% to 4.0% so far. During 2020-21, the growth of monetary aggregates witnessed higher growth as compared to previous few years on account of higher liquidity in the economy.

RBI undertook several conventional and unconventional measures to manage the liquidity in the economy starting from Feb 2020. Domestic financial conditions continue to remain comfortable with RBI's consistent efforts to maintain adequate liquidity support. The Central bank has conducted open market purchases to the tune of Rs. 3.13 lakh crore in FY 2020-21 and Rs. 25000 crore in April 2021.

During first half of 2020-21, Bank credit off take was an anaemic reflecting weak demand and uncertainty in the wake of the pandemic, Non-Food Credit growth (Y-o-Y) at 5.6% as of March 2021 was lower than 6.1% a year ago driven by weak momentum and base effects. Credit growth of PSBs remained modest although with some uptick since March 2020. Deposit of SCBs grew by 11.4% on Y-o-Y.

The domestic bond markets already facing supply side pressures of massive gilt issuances to sustain India's countercyclical fiscal expansion. India's 10-year G-Sec yield rose from 6.12 per cent as on 5th February 2021 to reach 6.38 per cent as on 12th March 2021. As on 26 March 2021, the Central Government had raised 13.7 lakh crore as gross market borrowings during FY 2020-21, which is 93.0 per cent higher than the corresponding period in 2019-20

After the outbreak of the pandemic, the foreign portfolio investors turned net sellers in both the equity and the debt segments in April 2020. Renewed concerns about domestic growth prospects coupled with weak global cues, turned FPI into Net sellers in the equity segment as against net buyers in the debt segments. After a 75 bps policy rate cut and the announcement of liquidity augmenting measures on March 2020, yields on T bills softened sharply dipping below the reverse repo rate.

The Asset quality of SCBs improved during 2020-21 with the overall NPA ratio declining to 6.8 % in Dec 2020 from 8.3 % in March 2020. CRAR of SCBs increased from 14.7 % to 15.8% between March 20 and Sep 20. Money Supply (M3) growth remained steady at 12.6 % as on March 2021.

The transmission of policy rate, repo rate changes to deposits and lending rates of SCBs has improved since March 20 reflecting the combined impact of policy rate cuts.

Consolidation among another 10 PSBs with PNB, Canara Bank, Union Bank of India and Indian Bank as anchor Banks come into effect from April 2020. One-time restructuring of loans to MSMEs that were in default but standard as on Jan 1, 2019 was permitted. The cut-off date was extended to March 2020 to support-viable MSME. The maximum permissible period of Pre-shipment and Post shipment export credit sanctioned by banks was increased from 1 year to 15 months for disbursement made up to July 2020.

II. 2020-21 में बैंक का कार्यनिष्पादन:

1. यूको का कारोबार वितरण चैनल:

1.1 पारंपरिक नेटवर्क :


बैंक के पास भारत एवं विदेश में भौगोलिक दृष्टि से भलीभांति फैला शाखा नेटवर्क है। 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार बैंक के 42 अंचल एवं 3087 घरेलू शाखाएं तथा 2 विदेशी शाखाएं (सिंगापुर एवं हांग - कांग में एक - एक) हैं। तेहरान, ईरान में बैंक का प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित किया गया है जो 25.03.2017 से कार्य कर रहा है।

विगत 05 वर्षों में वैश्विक शाखा नेटवर्क इस प्रकार रहा : - (वैश्विक)

मार्च / March '17	मार्च / March '18	मार्च / March '19	मार्च / March '20	मार्च / March '21
3104	3108	3088	3088	3089

1.2 शाखा एवं कार्यालय नेटवर्क:

31.03.2020 एवं 31.03.2021 को जनसंख्या श्रेणीवार देशी शाखाओं का वर्गीकरण नीचे दिया गया है:



II. PERFORMANCE OF THE BANK DURING 2020-21:

1. UCO's Delivery Channels:


1.1 BRICK AND MORTAR NETWORK:

Bank has a geographically well-spread branch network in India and also has presence abroad. As of 31.03.2021, Bank has 42 Zones and 3087 domestic branches and 2 overseas branches (one each in Singapore and Hong-Kong). Bank's representative office has been established in Tehran, Iran which is functional w.e.f. 25.03.2017.

The Global branch network over 5 years is as under:- (Global)

1.2 BRANCHES & OFFICES NETWORK:

The population category-wise break-up of domestic branches as of 31.03.2020 & 31.03.2021 is given below:



देशी शाखाओं में 6 फ्लैगशिप कॉर्पोरेट शाखाएं, 7 आस्ति प्रबंधन शाखाएं, 4 सेवा शाखाएं तथा 1 केंद्रीय प्रोसेसिंग केंद्र तथा 1 एकीकृत कोष प्रबंधन शाखा शामिल है। इसके अतिरिक्त, देशभर के विभिन्न केंद्रों की बड़ी शहरी शाखाओं से संबंधित 31 रिटेल लोन हब, 8 एसएमई हब, 72 मुद्रा तिजोरिया भी कार्य कर रही हैं।

2. कारोबार प्रोफाइल:

2.1. वैश्विक:

- दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार बैंक का वैश्विक कारोबार 3,24,324 करोड़ रहा और इसमें मार्च 2020 के रु. 3,08,165 करोड़ की तुलना में 5.25% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
- वैश्विक जमा राशि में 6.58% की बढ़ोतरी हुई और दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार यह रु. 2,05,919 करोड़ हो गई। वैश्विक

The domestic branches include 6 Flagship corporate branches, 7 Asset Management branches, 4 service branches, 1 central processing centre and 1 integrated treasury branch. Further 23 MCU branches, 31 Retail loan Hubs, 10 SME Hub and 72 currency chests are also functioning across the country attached to the major city branches of various centres.


2. BUSINESS PROFILE:

2.1.GLOBAL:

- Global business of the Bank stood at Rs. 3,24,324 crore as of 31.03.2021 compared to Rs. 3,08,165 crore showing an increase of 5.24% over March 2020.
- Global Deposits has increased by 6.58% as of 31.03.2021 and stood at Rs. 2,05,919 crore. Global advances increase

अग्रिमों में 3.00% की बढ़ोतरी हुई और यह दिनांक 31.03.2020 के रु. 1,14,961 करोड़ की तुलना में बढ़कर रु.1,18,405 करोड़ हो गई।

by 3.00% and stood at Rs. 1,18,405 crore compared to 1,14,961 crore as of 31.03.2020.




2.2. घरेलू :

- बैंक के समग्र देशी कारोबार में 5.03 % की बढ़ोतरी हुई और दिनांक 31.03.2020 के रु. 2,93,665 करोड़ से बढ़कर दिनांक 31.03.2021 को रु. 3,08,448 करोड़ पर पहुँच गया।
- कुल जमा राशि 7.08 % की बढ़ोतरी के साथ रु. 2,01,528 करोड़ हो गई।
- अग्रिम में 1.39 % की बढ़ोतरी हुई तथा यह दिनांक 31-03-2020 के 1,05,458 करोड़ से बढ़कर दिनांक 31.03.2021 को 1,06,920 करोड़ हो गई।
- कासा जमा राशि वर्ष दर वर्ष 5.59 % की बढ़ोतरी के साथ रु. 79,922 करोड़ हो गई, बचत बैंक जमा राशि में 11.17 % की वृद्धि हुई और यह 70,713 करोड़ हो गई। चालू जमा राशि में वर्ष - दर - वर्ष आधार पर 23.80 % की कमी हुई और यह दिनांक 31.03.2020 के 12,085 करोड़ से घटकर रु. 9,209 करोड़ हो गई।
- देशी जमा राशि में अल्प लागत वाली जमा राशियों (कासा) की हिस्सेदारी दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के 40.22 % से घटकर दिनांक 31.03.2021 की स्थिति को 39.66 % हो गया।

2.2. DOMESTIC:

- Overall domestic business of the Bank has increased by 5.03% reached at Rs. 3,08,448 crore as of 31.03.2021 from Rs. 2,93,665 crore as of 31.03.2020.
- Total deposits increased by 7.08% and stood at Rs. 2,01,528 crore.
- Advances shown increase growth by 1.39 % to Rs. 1,06,920 crore as of 31.03.2021 from Rs. 1,05,458 crore as of 31.03.2020.
- CASA deposits increased by 5.59% on Y-O-Y and stood at Rs. 79,922 crore, SB deposits grew by 11.17% and stood at Rs. 70713 crore. Current deposits stood at Rs. 9,209 crore compared to Rs. 12,085 crore as of 31.03.2020, showing a fall of 23.80% on Y-o-Y basis.
- Share of low cost deposits (CASA), in domestic deposits decreased from 40.22% as of 31.03.2020 to 39.66% as of 31.03.2021.



2.3 वित्तीय कार्यनिष्पादन

वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान शुद्ध लाभ बढ़कर 167.03 करोड़ रुपये हो गया, पिछले वर्ष शुद्ध घाटा 2436.83 करोड़ रुपये था। पिछले 5 वित्तीय वर्षों में लगातार नुकसान के बाद वित्तीय वर्ष 2020-21 में बैंक ने शुद्ध लाभ दर्ज किया। 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए परिचालन लाभ 12.10% की वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के 4835.60 करोड़ रुपये से बढ़कर 5420.62 करोड़ रुपये हो गया है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अनुपालन में, बैंक ने चालू वर्ष के शुद्ध लाभ का 25%, ₹ 41.75 करोड़ सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित कर दिया है। लाभ की अपर्याप्तता को देखते हुए बोर्ड द्वारा किसी लाभांश की सिफारिश नहीं की जाती है।

सकल एनपीए दिनांक 31.03.2020 के ₹.19,281.95 करोड़ (16.77%) से घटकर दिनांक 31.03.2021 को ₹. 11,351.97 करोड़ (9.59%) हो गया है। कुल आय 0.89% बढ़ी और वित्त वर्ष 2021 में 18,166 करोड़ रुपये रही। वर्ष के दौरान बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021 में ₹. 5254 करोड़ का प्रावधान किया जो वित्तीय वर्ष 2020 में ₹. 7272 करोड़ था। मार्च 2021 तक शुद्ध ब्याज आय 5092 करोड़ रुपये से बढ़कर 5480 करोड़ रुपये हो गई, पूंजी पर्याप्तता अनुपात 31.03.2020 के 11.70% के मुकाबले 13.74% पर था। 31.03.2021 को सामान्य इक्विटी टियर I अनुपात 8.98% से बढ़कर 11.14% हो गया है। जमा की लागत वित्तीय वर्ष 2020 के 4.90% से घटकर वित्त वर्ष 2021 में 4.29% हो गई। परिसंपत्ति पर रिटर्न में (-)0.96% से सकारात्मक 0.06 तक सुधार हुआ है। प्रावधान कवरेज अनुपात मार्च 21 में बढ़कर 88.40% हो गया है। ईपीएस वित्तीय वर्ष 2020 के रुपये (-)3.10 से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2021 में 0.17 रुपये हो गया है। 17 सितंबर 2020 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार बैंक की अधिकृत पूंजी 10,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 15,000 करोड़ रुपये हो गई है। वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान भारत सरकार ने 2600 करोड़ रुपये की पूंजी प्रदान की। भारत सरकार का स्वामित्व मार्च 2021 को 94.44% हो गया।

3. कोष एवं अंतरराष्ट्रीय

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक के निवेश में 4.42% की वृद्धि हुई जो दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार ₹. 89,532 करोड़ से बढ़कर दिनांक 31.03.2021 को ₹. 93,501 करोड़ हो गया। ऐसा पुनर्पूँजीकरण बांड के आवंटन और सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद के कारण हुआ।

बैंक के एसएलआर निवेश में 6.29% की वृद्धि हुई जो दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार ₹. 60,520 करोड़ से बढ़कर दिनांक 31.03.2021 को ₹. 64,326 करोड़ हो गया। ऐसा मुख्य रूप से उच्च प्रतिफल वाली सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद के कारण हुआ। गैर-एसएलआर निवेश (देशी) में 0.52% की वृद्धि हुई जो दिनांक 30.03.2020 की स्थिति के अनुसार ₹. 29011 से बढ़कर दिनांक 31.03.2021 को ₹. 29163 हो गया। हमें भारत सरकार से ₹. 2600 करोड़ के पुनर्पूँजीकरण बॉन्ड का आवंटन प्राप्त हुआ।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2019-20 की अवधि में ₹. 7762.28 करोड़ की तुलना में निवेशों के विक्रय से प्राप्त आय सहित कोष परिचालनों से ₹. 8436 करोड़ की आय अर्जित की जिससे वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर कोष आय में 8.68% की वृद्धि दर्ज की गई। ऐसा निवेशों से प्राप्त आय तथा निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ के कारण हुआ।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, बैंक ने देशी निवेशों से प्राप्त ब्याज आय में 3.71% की वृद्धि दर्ज की है जो दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार ₹. 5873.69 करोड़ की तुलना में दिनांक 31.03.2021 की स्थिति को ₹. 6091.78 करोड़ हो गई जिससे वर्ष-दर-वर्ष आधार पर ₹. 218.09 करोड़ की संवृद्धि दर्ज की गई जो देशी निवेश पोर्टफोलियो में वृद्धि होने के कारण हुआ।

2.3 FINANCIAL PERFORMANCE

Bank's Net Profit surged to Rs. 167.03 crore during FY 2021 as against Net loss of Rs. 2436.83 crore. Bank registered Net profit in Financial Year 2020-21 after continuous loss in previous 5 financial years. Operating Profit for the year ended 31.03.2021 has increased to Rs. 5420.62 crore from Rs. 4835.60 crore for the year ended 31.03.2020 registering a growth of 12.10%. Bank has transferred Rs. 41.75 Crore, 25% of current year net profit, to statutory reserve fund in compliance with Banking Regulation Act 1949. No dividend is recommended by the Board in view of inadequacy of profits.

Gross NPA has reduced to Rs. 11351.97 crore (9.59%) as on 31.03.2021 from Rs. 19,281.95 crore (16.77%) as on 31.03.2020. Total income grew by 0.89% and stood at Rs. 18166 crore in FY 2021. During the year Bank made provision of Rs. 5254 crore in FY 21 against Rs. 7272 crore in FY20. Net Interest income has increased from Rs. 5092 crore to Rs. 5480 crore as of March 2021. Capital Adequacy ratio stood at 13.74 % against 11.70% as on 31.03.2020. Common Equity Tier I ratio has increased from 8.98% to 11.14% as on 31.03.2021. Cost of Deposit decreased to 4.29% in FY21 against 4.90% in FY20. Return on Asset has Improved from (-)0.96% to positive 0.06%. Provision Coverage Ratio has improved to 88.40% in March 21. EPS has improved from Rs. (-)3.10 in FY20 to Rs. 0.17 in FY21. The authorized capital of the Bank increased from Rs.10,000 crore to Rs.15,000 crore to Gazette notification dated 17th September, 2020. Govt. of India infused Capital to the tune of Rs. 2600 during the FY 21. Govt. of India holding stood at 94.44 % as of March 21.

3. TREASURY & INTERNATIONAL

Domestic Investment of the Bank during the year 2020-21 increased by 4.42% from Rs. 89,532 crore as on 31.03.2020 to Rs. 93,501 crore as on 31.03.2021 largely due to allotment of recapitalization bond and purchase of Government Securities.

The SLR investment of the Bank increased by 6.29% from Rs. 60,520 crore as on 31.03.2020 to Rs. 64326 as on 31.03.2021 mainly due to purchase of high yielding Govt. Securities. The Non-SLR Investment (Domestic) grew by 0.52% from Rs. 29011 as on 31.03.2020 to Rs. 29163 as on 31.03.2021. We received allotment of recapitalization bond from GoI amounting to Rs. 2600 crore.

During the year 2020-21, the bank has earned income from Treasury operations including profit from sale of investments amounting to Rs. 8436 crore vis-a-vis Rs. 7762.28 crore during the year 2019-20, thereby registering a 8.68% increase in treasury income Y-o-Y basis mainly due to higher interest income from investments and profit from sale of investments.

During the year 2020-21, the bank has registered a growth of 3.71% in interest income from domestic investments which stands at Rs. 6091.78 crore as on 31.03.2021 as compared to Rs. 5873.69 crore as on 31.03.2020 thereby registering a growth of Rs. 218.09 crore Y-o-Y basis mainly due to increase in domestic Investment portfolio.

3.1 विदेशी कारबार

31 मार्च, 2021 तक, बैंक की विदेशी शाखाओं यथा सिंगापुर और हॉंगकॉंग से कुल कारबार रु.15,876 करोड़ का था जो वैश्विक कारबार का 4.89% दर्ज किया गया। विदेशी व्यापार के तहत कुल जमा राशि रु. 4391.38 करोड़ और कुल अग्रिम रु. 11,484.62 करोड़ दर्ज किया गया।

भारत वर्ष में स्थित 68 बी-श्रेणी की शाखाओं के साथ हमारा बैंक सक्रिय रूप से निर्यातकों / आयातकों की समुदाय तथा अनिवासी भारतीय ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक का कुल व्यापारी कारबार रु. 33,324.41 करोड़ रहा।

हमारा बैंक फरवरी, 2012 से भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक की अनिवार्यता के अनुसार "रुपया भुगतान प्रणाली" के अंतर्गत ईरान के साथ द्विपक्षीय बैंकिंग व्यापार लेन-देन सुलभ करा रहा है जिससे भारतीय निर्यातकों को ईरान को अनुमत वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात में सुविधा होती है।

4. सामाजिक बैंकिंग

4.1 प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिम:

बैंक कुछ वर्षों से प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार देने में महत्वपूर्ण कार्य प्रदर्शित करता रहा है और अपनी ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी शाखाओं के विशाल नेटवर्क द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र एवं कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता प्रदान करता रहा है।

दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार बैंक द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दिया गया अग्रिम रु. 57279 करोड़ था जो समायोजित नेट बैंक ऋण (एएनबीसी)का 41.23% था।

4.1.1 कृषि अग्रिम:

दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार बैंक का कुल कृषि अग्रिम रु. 24509 करोड़ रहा जो एएनबीसी का 17.82% था।

4.1.2 कमजोर वर्गों को अग्रिम:

दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार कमजोर वर्गों को रु. 18334 करोड़ प्रदान किया गया जो एएनबीसी का 13.33% रहा।

4.1.3 अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण:

दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार बैंक द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय को प्रदान किया गया कुल ऋण रु. 8792 करोड़ रहा जो प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम ऋण का 15.35% रहा।

4.2 विकास के लिए पहल:

कृषि समृद्धि: बैंक ने कृषि में निवेश ऋण और उत्पादन पर ध्यान केन्द्रित करते हुए दिनांक 16.11.2020 से 24.12.2020 तक विशेष अभियान शुरू किया था। इस अभियान में बैंक ने कुल शामिल 31879 खातों के तहत रु. 463.86 करोड़ की राशि संस्वीकृत किया।

कृषि संपदा: बैंक ने कृषि अग्रिम को बढ़ाने के लिए दिनांक 12.10.2020 से 10.11.2020 तक विशेष पहल की। जिसमें कुल 32354 खातों को शामिल करते हुए रु. 625.04 करोड़ की राशि संस्वीकृत की गई।

लक्ष्य 700: इस पहल के तहत, बैंक ने दिनांक 13.01.2021 से 20.02.2021 तक कृषि अग्रिम के लिए रु. 700 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया था। जिसमें कुल 35583 खातों के साथ रु. 628.73 करोड़ का ऋण संस्वीकृत किया गया।

3.1 International Business

As of March 31, 2021, the Bank's total business from Overseas Branches at Singapore and Hong Kong was Rs. 15,876 Crore and constituted 4.89% of the global business. The Overseas Business constituted of total deposits of Rs. 4,391.38 Crores and total advances of Rs. 11,484.62 Crore.

Our Bank with 68 B-category Branches across India is committed to actively cater to the needs of Exporters / Importers Community and also serve the NRI Customers. The Total Merchant Turnover of the Bank during the Financial Year ended on 31st March, 2021 stood at Rs. 33,324.41 Crores.

Our Bank has also been facilitating Bi-lateral Banking Trade transaction with Iran under "Rupee Payment Mechanism" since Feb, 2012 as mandated by Govt. of India /RBI, thereby facilitating Indian Exporters, exporting permissible goods and services to Iran.

4. SOCIAL BANKING

4.1 Priority Sector Advances:

The Bank has been showing significant performance in lending to Priority Sector over the years and has been effectively servicing the priority sector and agriculture sector with its vast network of rural and semi-urban branches.

As on 31.03.2021, the Priority Sector Advances of the Bank stood at Rs. 57279 Crore constituting 41.23 % of Adjusted Net Bank Credit (ANBC)

4.1.1 Agriculture Advances:

Total Agriculture Advances of the Bank stood at Rs. 24509 Crore as of 31st March 2021 constituting 17.82% of ANBC.

4.1.2 Advances to Weaker Sections:

Advances to Weaker Section stood at Rs.18334 Crore as of 31st March 2021 consisting 13.33% of ANBC.

4.1.3 Minority Community Advances:

Total Minority Community Advances of the Bank as on 31.03.2021 stood at Rs. 8792 Crore constituting 15.35% of Priority Sector Advances.

4.2 Initiatives for growth:

KRISHI SAMRIDHI: Bank has launched special campaign from 16.11.2020 to 24.12.2020 focusing investment credit & production credit in Agriculture. Bank has achieved Rs. 463.86 crores sanction in this campaign involving 31879 number of accounts.

KRISHI SAMPADA: Bank has taken initiative to increase Agriculture advance from 12.10.2020 to 10.11.2020 and achieved sanction of Rs. 625.04 crores involving 32354 accounts.

LAKSHYA 700: under this initiative, Bank had set a target of Rs.700 crores in Agriculture advance from 13.01.2021 to 20.02.2021. The achievement was Rs. 628.73 crores involving 35583 accounts.

एग्री फेस्ट: इस पहल के तहत, दिनांक 14.12.2020 से 06.01.2021 तक कुल 24933 खातों के साथ रु. 492.26 करोड़ का कृषि अग्रिम संस्वीकृत किया गया।

5. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (क्षेत्राबैंक)

यूको बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्राबैंक का नाम पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक है जिसका मुख्यालय हावड़ा, पश्चिम बंगाल में है तथा दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय और 230 शाखाएँ हैं।

5.1 पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक की पूंजी की स्थिति:

दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी रु. 309.02 करोड़ थी जिसमें भारत सरकार का रु. 154.51 करोड़, यूको बैंक (प्रायोजित बैंक के रूप में) का रु. 108.16 करोड़ पश्चिम बंगाल राज्य सरकार का रु. 46.35 करोड़ शामिल है।

5.1.1 वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक का कार्यनिष्पादन

गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के अनुसार दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक की कुल जमा राशि रु. 5900.54 करोड़ रही जो 6.67 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार 8.01 प्रतिशत की वार्षिक संवृद्धि के साथ कुल अग्रिम रु. 3191.62 करोड़ तक पहुँच गया। दिनांक-31.03.2021 को सीडी अनुपात 54.09% था जबकि दिनांक 31.03.2020 को सीडी अनुपात 53.42% था।

दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार रु. 422.86 करोड़ के मुकाबले दिनांक 31.03.2021 को सकल अनर्जक आस्ति रु. 412.60 करोड़ रही। दिनांक 31.03.2021 के अनुसार सकल अग्रिम 12.93% था जो कि दिनांक 31.03.2020 को 14.31% थी। दिनांक 31.03.2021 को क्षेत्राबैंक का शुद्ध अनर्जक आस्ति अनुपात 8.09% था जो दिनांक-31.03.2020 को 9.28% रहा।

पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक ने दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार अर्जित रु. 117.58 करोड़ के परिचालन लाभ की तुलना में 13.11% की वृद्धि दर्शाते हुए दिनांक 31.03.2021 को रु. 133 करोड़ का परिचालन लाभ अर्जित किया।

पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार रु. 142.73 करोड़ की शुद्ध हानि की तुलना में दिनांक 31.03.2021 को रु. 59.23 करोड़ की शुद्ध हानि हुई तथा इस तरह दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार रु. 243.90 करोड़ की संचित हानि दिनांक 31.03.2021 को बढ़कर रु. 303.13 करोड़ हो गई।

6. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत बैंक ने विविध कार्यक्रम बनाए हैं/पहल की हैं, इनमें से कुछ कार्यक्रम/पहल इस प्रकार से हैं :

क) हमारे बैंक ने 7 राज्यों असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में 27 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए हैं। ये 27 संस्थान समर्पित बुनियादी संरचना के साथ ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने तथा उनके कौशल को उन्नयन प्रदान करने एवं उनकी बेरोजगारी और अल्प रोजगार की समस्याओं को कम करने हेतु समर्पित है। ग्रामीण युवाओं में उद्यमिता कौशल के विकास के लिए समर्पित प्रशिक्षण संस्थाएँ स्थापित करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल के रूप में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत ये संस्थाएँ स्थापित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान इन आर-सेटी ने 9414 अभ्यर्थियों को शामिल करते हुए 360 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और

AGRI FEST: under this initiative, from 14.12.2020 to 06.01.2021, Rs. 492.26 Crores Agriculture advance were sanctioned involving 24933 accounts.

5. REGIONAL RURAL BANKS (RRBs)

UCO Bank sponsored RRB namely, Paschim Banga Gramin Bank (PBGB) is head quartered at Howrah, West Bengal with four regional offices and 230 branches as on 31.03.2021.

5.1 Capital position of Paschim Banga Gramin Bank

The total capital of Paschim Banga Gramin Bank as on 31.03.2021 stood at Rs. 309.02 crores comprising Rs.154.51 crore from Govt. of India, Rs.108.16 crore from UCO Bank (as sponsor Bank) & Rs.46.35 crore from West Bengal State Govt.

5.1.1 Performance of Paschim Banga Gramin Bank during 2020-2021:

As per unaudited financial results, total deposit of Paschim Banga Gramin Bank stood at Rs. 5900.54 crore as on 31.03.2021, registering growth of 6.67 percent. Total advance reached a level of Rs. 3191.62 crore with an annual growth of 8.01 percent as on 31.03.2021. CD ratio stood at 54.09% on 31.03.2021 as against 53.42% on 31.03.2020.

The gross NPA stood at Rs.412.60 crore as on 31.03.2021 vis-a-vis Rs. 422.86 crore as on 31.03.2020. Gross NPA to Gross Advance stood at 12.93% as on 31.03.2021 as against 14.31% as of 31.03.2020. The net NPA ratio of the RRB stood at 8.09% as on 31.03.2021 as against 9.28% as of 31.03.2020.

Paschim Banga Gramin Bank has earned an operating profit of Rs.133 crore as on 31.03.2021 as compared to operating profit of Rs. 117.58 crore as on 31.03.2020, registering growth of 13.11%.

Paschim Banga Gramin Bank has recorded a net loss of Rs. 59.23 crore as on 31.03.2021 as compared to net loss of Rs. 142.73 crore as on 31.03.2020, thereby increasing accumulated loss from Rs. 243.90 crore as on 31.03.2020 to Rs. 303.13 crore as on 31.03.2021.

6. Corporate Social Responsibility

Bank has taken several programmes/initiatives as a part of Corporate Social Responsibility. Few of these programmes/initiatives are as under:

a) Our Bank has set up 27 Rural Self Employment Training Institutes in 7 states namely Assam, Bihar, Himachal Pradesh, Odisha, Punjab, Rajasthan and West Bengal. These 27 institutes with dedicated infrastructure are devoted to impart training skill up gradation and to mitigate the unemployment and under employment problems of rural youths. These institutes are set up by the Bank as a part of initiative taken up by the Ministry of Rural Development to establish dedicated training Institutions for development of entrepreneurship skills in rural youth, under Corporate Social Responsibility (CSR). All RSETIs conducted 360 training programmes involving 9414 candidates and 2890

2890 हिताधिकारियों को 25.81 करोड़ रुपये की ऋण सहबद्धता उपलब्ध कराई गयी। वर्ष 2020-21 के दौरान, ग्रामीण प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए चार (4) नवनिर्मित आर-सेटी भवनों का उद्घाटन कर जिलों की जनता को समर्पित किया गया।

- ख) वित्तीय और सामाजिक अंतःक्षेप द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहनेवाले परिवारों के उत्थान के लिए तथा अंगीकृत ग्रामों के समग्र विकास के लिए यूको उत्थान योजना के अंतर्गत बैंक ने अपने 19 अंचलों की 26 यूको शाखाओं के अंतर्गत आने वाले 31 गांवों को गोद लिया है।
- ग) भारतीय रिजर्व बैंक की पहल पर, बैंक ने ओडिशा के भद्रक और ढेंकनाल जिलों के 10 ब्लॉकों, प्रत्येक जिले में 5, कुल 10 सीएफएल (वित्तीय साक्षरता केंद्र) स्थापित किए हैं। बैंक और नाबार्ड इन सीएफएल का परिचालन व्यय 40:60 के अनुपात में वहन करते हैं। आगे, बैंक को 7 राज्यों और 25 जिलों को शामिल करते हुए 54 सीएफएल आवंटित किए गए हैं, जिनका परिचालन 31 दिसंबर 2021 तक शुरु किया जाना है।
- घ) सम्पूर्ण देश में बैंक की 35 वित्तीय साक्षरता केंद्र हैं तथा वित्तीय साक्षरता अभियान के आयोजन के लिए 22 वित्तीय साक्षरता सलाहकारों की भर्ती की है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, वित्तीय साक्षरता सलाहकारों ने 1958 वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किए हैं, और 28 फरवरी 2021 तक इसके द्वारा 54429 प्रतिभागियों के बीच वित्तीय जागरूकता फैलाई गई है।

7. वित्तीय समावेशन

7.1 प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)

बैंक रहित/कम बैंक सुविधा वाले क्षेत्रों में समावेशी बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पूरे देश में बैंक को 16280 ग्राम आवंटित किए गए हैं। वित्तीय सेवाएं विभाग के निदेशों के अनुरूप इन ग्रामों को 4121 उप सेवा क्षेत्र (एसएसए) में वर्गीकृत किया गया है। सर्वभौमिक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने और समग्र आबादी को सुनियोजित बैंकिंग सेवा के दायरे में लाने के लिए 4121 उपसेवा क्षेत्रों में से 3655 सेवा क्षेत्र बीसी एजेंटों द्वारा तथा टियर 5 ग्रामों (5000 से अधिक आबादी वाले) के बाकी 466 उप सेवा क्षेत्र शाखाओं द्वारा कवर किए जाते हैं।

इन आवंटित उप सेवा क्षेत्रों में बैंक ने 3655 बैंक मित्र नियोजित किए हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बीसी एजेंटों द्वारा व्यवहृत माइक्रो एटीएम के माध्यम से रु. 8640.23 करोड़ के कुल 235.70 लाख लेन-देन किए गए और इस तरह प्रत्येक माह औसतन रु. 720.01 करोड़ के लगभग 19.64 लाख लेन-देन किए गए।

मार्च, 2021 के अंत तक, बैंक ने 100.99 लाख पीएमजेडीवाई खातों में 3678.75 करोड़ रुपये जमा किए हैं, जिसमें जमा और खाता खोलने की वृद्धि क्रमशः 29.81% और 17.77% दर्ज की गई है। पीएमजेडीवाई खातों में औसत शेष राशि 3304.58 रुपये से बढ़कर 3642.68 रुपये प्रति खाता हो गई। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक ने 15.24 लाख पीएमजेडीवाई खाते खोले हैं। बैंक ने पात्र पीएमजेडीवाई खाताधारकों को लगभग 22.50 लाख रुपये कार्ड वितरित किए हैं। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान बीसी एजेंटों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रो एटीएम पर रुपये कार्ड के माध्यम से औसतन 3.42 लाख रुपये का औसत लेनदेन हुआ, जो औसतन 160.50 करोड़ रुपये था।

7.2 आधार को सीड किया जाना तथा उसका सत्यापन

संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, ग्राहक खाते खोलने के लिए पहचान प्रमाण के रूप में आधार संख्या ऐच्छिक रूप से दी जा सकती है। विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आधार की आवश्यकता होती है। 31 मार्च 2021 तक, लगभग 85.08% सक्रिय बचत खातों को आधार संख्या के साथ जोड़ा गया है और 48.69% सक्रिय

beneficiaries have been provided Credit Linkage of Rs. 25.81 Crore during the Financial Year 2020-21. During the year 2020-21, four (4) newly constructed RSETI Buildings were inaugurated and dedicated to the people of the districts for conducting rural training.

- b) Bank under UCO Utthan Scheme has adopted 31 villages falling under 26 UCO Branches in 19 Zones of the Bank for upliftment of BPL families and all-round development of adopted villages with financial & social intervention.
- c) Under the initiative of Reserve Bank of India, Bank has set up 10 CFLs (Centres for Financial Literacy) in 10 Blocks, 5 each in Bhadrak and Dhenkanal district of Odisha. The Bank and NABARD bear the cost of operationalisation of these CFLs in 40:60 ratios. Bank has been further allocated 54 CFLs involving 7 states and 25 Districts, which are to be made operational by 31st December 2021.
- d) Bank has 35 Financial Literacy Centres across the country and has recruited 22 Financial Literacy Counsellors for conducting Financial Literacy Camps. During Financial Year 2020-21, the Financial Literacy Counsellors have conducted 1958 Financial Literacy Camps thereby spreading Financial Awareness to 54429 participants as of 28th February 2021.

7. FINANCIAL INCLUSION

7.1 Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna (PMJDY)

Bank has been allotted with 16280 villages across the country to provide inclusive Banking Facility in unbanked / under banked areas. In line with DFS directives these villages were categorized into 4121 Sub Service Areas (SSAs). Out of these 4121 SSAs, 3655 SSAs are covered through BC agents and 466 SSAs in tier 5 villages (Population above 5000) are covered through Branches for ensuring universal Financial Inclusion and to bring the entire population under ambit of structured Banking facility.

Bank has deployed 3655 Bank Mitras in these allotted SSAs. During FY 2020-21 total 235.70 lacs transactions amounting Rs. 8640.23 Crores (averaging every month about 19.64 lacs transactions amounting Rs. 720.01 Crores) carried out through Micro ATMs used by BC Agents.

Bank has garnered deposit of Rs. 3678.75 Cr at the end of March 21 in 100.99 lakhs PMJDY accounts registering the growth of deposit and account opening of 29.81% and 17.77 % respectively. The average balance in PMJDY accounts increased from Rs. 3304.58 to Rs. 3642.68 per account. Bank has opened 15.24 lakhs PMJDY accounts during FY 2020-21. Bank distributed around 22.50 lacs RuPay Cards to the eligible PMJDY account holders. During the FY 2020-21 average transactions to the order of 3.42 lacs took place through Rupay Cards on Micro ATMs used by BC agents amounting Rs. 160.50 Crores in Average.

7.2 Aadhaar Seeding & Authentication

As per revised guidelines, Aadhaar number can be given voluntarily as identity proof for opening customer accounts. Aadhaar is required for availing benefits under various government welfare schemes. By 31st March 2021, around 85.08% operative saving accounts have been seeded with Aadhaar number and Aadhaar authentication has been done in

बचत खातों में आधार प्रमाणीकरण किया गया है। आधार आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सेवा के माध्यम से रु. 8312.50 करोड़ की राशि हिताधिकारियों के खातों में अंतरित किए गए।

7.3 माइक्रो क्रेडिट-ओवरड्राफ्ट सुविधा

मार्च 2021 तक बैंक से पीएमजेडीवाई खातों में ओडी सुविधा का उपयोग करने वालों की संख्या 3.74 लाख है, जिसमें कुल स्वीकृत राशि 75.30 करोड़ रुपये है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कुल 1.92 लाख पीएमजेडीवाई खाताधारकों को ओवरड्राफ्ट स्वीकृत किया गया है। व्याप्त कोविड 19 महामारी को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने आईबीए द्वारा अधिदेशित अधिकतम रु. 10,000/- के अतिरिक्त रु. 1000/- का अतिरिक्त ओवरड्राफ्ट दिया था।

7.4 सामाजिक सुरक्षा योजना

अब तक बैंक रहित जनता को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के सरकार की योजना के अंतर्गत, बैंक ने बीमा और पेंशन उत्पादों यथा प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), अटल पेंशन योजना (एपीवाई) का कार्यान्वयन शाखा तथा बीसी नेटवर्क के माध्यम से किया है। पीएमजेजेबीवाई योजना के तहत, 10.98 लाख तथा पीएमएसबीवाई योजना के अंतर्गत 22.47 लाख सब्सक्राइवर बीमित हुए हैं। पीएमजेजेबीवाई के तहत अब तक कुल 5652 दावों का तथा पीएमएसबीवाई के तहत 1071 दावों का निपटारा किया गया है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 20-21 के अंत तक अटल पेंशन योजना के अंतर्गत कुल सब्सक्राइवर का आकड़ा 4.02 लाख को पार कर गया।

7.5 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना

कोविड 19 महामारी को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने मार्च 2020 में महिला पीएमजेडीवाई खाताधारकों के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की। पीएमजेडीवाई योजनाओं के तहत डीबीटी भुगतान के माध्यम से बैंक द्वारा 3 चरणों (अप्रैल, मई और जून) में 47.97 लाख पीएमजेडीवाई महिला हिताधिकारियों के खाते में 719.83 करोड़ रुपये की राशि को सफलतापूर्वक अंतरित किया गया।

7.6 बीसी एजेंटों को वित्तीय सहायता

देश भर में कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन की स्थिति के दौरान, हमारे बीसी चैनलों ने महिला पीएमजेडीवाई लाभार्थियों को पीएमजेडीवाई फंड के वितरण में सहायता प्रदान की। बीसी एजेंटों द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के लिए प्रशंसा के प्रतीक के रूप में, बैंक ने प्रत्येक बीसी एजेंट को सैनिटाइज़र और मारक की खरीद के लिए 1000/- रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की। बैंक ने पात्र बीसी एजेंटों को भी पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के लिए नामांकन करने की सलाह दी है और उन्हें प्रीमियम की लागत की प्रतिपूर्ति की है।

7.7 शहरी बीसी

अल्प बैंकिंग सेवा वाले शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को प्रवेश कराने तथा शहरों में अधिक उपस्थिति और व्यापार वृद्धि के लिए, बैंक ने देश के 199 शहरी केंद्रों पर 500 शहरी बीसी पॉइंट स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन शहरी बीसी पॉइंटों को स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है।

7.8 कॉर्पोरेट बीसी

बीसी एजेंटों पर बेहतर नियंत्रण और निगरानी के लिए, बैंक ने सभी व्यक्तिगत बीसी को कॉर्पोरेट बीसी में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। मार्च 2020 के दौरान, बैंक द्वारा इन स्थानों पर मौजूदा व्यक्तिगत बीसी एजेंटों के स्थांतरण/नए बीसी एजेंटों के पैनल में शामिल होने के लिए 12 कॉर्पोरेट बीसी को सूचीबद्ध किया गया था और इन कॉर्पोरेट बीसी को एसएसए और गैर-एसएसए पॉइंट्स आवंटित किए गए थे।

48.69% of operative saving accounts. Aadhaar based Direct Benefit Transfer worth Rs. 8312.50 Crore was transferred to the accounts of beneficiaries.

7.3 Micro Credit-Overdraft facility

Number of PMJDY accounts using the OD facility from the bank as on March 2021 is 3.74 Lakhs involving aggregate sanctioned amount of Rs.75.30 Crores. Total 1.92 Lakhs PMJDY account holders has been sanctioned overdraft during the financial year 2020-21. Keeping in view the emerging COVID 19 pandemic, Bank had given extra overdraft of Rs. 1000/- over and above maximum Rs. 10,000/- mandated by IBA.

7.4 Social Security Schemes

Working on the government's theme of providing social security to hitherto unbanked masses, Bank has implemented Insurance and Pension products namely, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojna (PMJJBY), Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna (PMSBY), Atal Pension Yojna (APY) through its Branch and BC network. Under PMJJBY Scheme, 10.98 lakh subscribers are insured and under PMSBY scheme 22.47 lakh lives are insured. So far a total of 5652 claims are settled under PMJJBY and 1071 claims are settled under PMSBY. Further, total subscribers under Atal Pension Yojana crossed 4.02 lac till end of FY 20-21.

7.5 Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana

Keeping in view the COVID19 pandemic, Government of India in March 2020 announced financial assistance to women PMJDY account holders. DBT payment under PMGKY schemes successfully processed to 47.97 lakhs PMJDY women beneficiaries in 3 tranches (April, May and June) amounting Rs.719.83 Crore by the Bank.

7.6 Financial Assistance to BC Agents

During COVID 19 Pandemic and lockdown situation across the country, our BC channels done commendable job in distribution of PMGKY funds to women PMJDY women beneficiaries. As a token of appreciation for the good work done by BC agents, Bank provided financial assistance of Rs. 1000/- to each BC agents for purchase of sanitiser and masks. Bank has also advised eligible BC agents to enrol for PMJJBY and PMSBY and reimbursed the cost of premium to them.

7.7 Urban BC

To penetrate Banking services at under-served urban areas and to have greater presence in cities and business growth, Bank has decided to establish 500 Urban BC points at 199 urban centres of the country. Setting up of these urban BC points is in process.

7.8 Corporate BCs

For better control and monitoring of BC agents, Bank has decided to convert all individual BCs to Corporate BCs. During March 2020, Bank had empanelled 12 Corporate BCs and allotted SSA and non-SSA points to these corporate BCs for conversion of existing individual BC Agents / empanelment of new BC agents at these locations.

7.9 आधार इनरोलमेंट केंद्र

यूआईडीएआई दिशानिर्देशों के अनुसार हमारे बैंक में 10% शाखाओं को कवर करते हुए अब तक कुल 300 आधार इनरोलमेंट केंद्र स्थापित किए गए हैं। एईसी के कुशल संचालन और बैंक के कर्मचारियों के इष्टतम उपयोग के लिए बैंक ने आधार ऑपरेटर गतिविधि हेतु कॉर्पोरेट बीसी को आउटसोर्स किया है। वर्तमान में बैंक प्रति केंद्र लगभग 8 नामांकन/अपडेशन प्रतिदिन कर रहा है।

7.10 वित्तीय समावेशन परिकल्प के माध्यम से राजस्व प्राप्ति

वित्तीय समावेशन के तहत लगातार किए गए प्रयासों ने अच्छे परिणाम दिए हैं और बैंक ने इन गतिविधियों से मूर्त और अमूर्त दोनों तरह के लाभ प्राप्त करना शुरू कर दिया है। शाखाओं की भीड़भाड़ कम करना, लेन-देन की लागत में कमी और कासा आधार में वृद्धि एफआई परियोजना के अमूर्त लाभ हैं। विभिन्न उत्पादों के तहत अर्जित कमीशन के रूप में मूर्त लाभ प्राप्त हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक ने पीएमजेजेबीवाई में 393.6 लाख रुपये, पीएमएसबीवाई में 43.64 लाख रुपये और एपीवाई के कमीशन में 75.40 लाख रुपये अर्जित किए हैं। इसी प्रकार वर्ष के दौरान कुल 7.28 करोड़ रुपये की राशि डीबीटी/डीबीटीएल के माध्यम अर्जित की गई।

8. सरकारी कारोबार

सरकारी कारोबार सेल भारत सरकार का लघु बचत योजना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का संग्रहण, सॉवरेन गोल्ड बांड निर्गमन, अस्थिर दर वाले बचत बांड, केंद्र और राज्य सरकार के पेंशन और राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा योजना यथा अटल पेंशन योजना और राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) इत्यादि को संभालता है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में बैंक लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) और सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) के व्यापन को बढ़ाने की परिकल्पना करता है। पीपीएफ के अंतर्गत खोले गए खातों में 24247 (35%) की वृद्धि तथा सुकन्या समृद्धि (एसएसवाई) के अंतर्गत खोले गए खातों में 19384 (32%) की वृद्धि वित्तीय वर्ष 21 में हुई है।

एपीवाई योजना के अंतर्गत खोले गए खातों में वृद्धि हुई। वित्तीय वर्ष 2020 से 27% की साल-दर-साल वृद्धि दर्ज कर यह 293514 से 373476 हो गई है। बैंक को एपीवाई बिग विलिवर के अंतर्गत सराहना और बैंक का एपीवाई के लिए संकल्पित "कायम रहने के लिए संकल्प" पुरस्कार प्राप्त हुई।

शुल्क आधारित आय बढ़ाने के लिए बैंक सरकारी कारोबार चैनल को प्रोत्साहित करने पर जोर देता है। विभिन्न सरकारी कारोबार उत्पाद यथा कर संग्रहण, पेंशन योजना, लघु बचत योजना, बांड निर्गमन, इत्यादि के द्वारा वित्तीय वर्ष 20 में 26.00 करोड़ की हुई व्यापारावर्त कमीशन की आय की जगह वित्तीय वर्ष 21 में 32.36 करोड़ की व्यापारावर्त कमीशन की आय दर्ज हुई। यह 24.46% की साल-दर-साल वृद्धि दिखाता है। सरकारी कारोबार को मजबूती से उत्कृष्ट बनाने के लिए बैंक ने अपने संकल्प को बनाए रखा है।

9. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

वित्तीय वर्ष 2020-21 में एमएसएमई कोविड-19 महामारी के कारण बुरी तरह प्रभावित हुई। एमएसएमई को अपने कारोबार शुरू करने में सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार और बैंक ने खुद अनेक उपाय अपनाए हैं।

- भारत सरकार के जीईसीएल योजना के कार्यावयन के अंतर्गत बैंक ने 1518 करोड़ रुपये का व्यवसाय अर्जित किया।
- भारत सरकार के पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत बैंक ने 34495 खातों से 34 करोड़ का व्यवसाय किया।
- बैंक ने भारत सरकार के गौण ऋण योजना (डीएएफ-एसडीएसएम) का कार्यावयन किया।
- रिटेल और एमएसएमई अनुभाग में क्रेडिट वृद्धि के लिए बैंक द्वारा अभियान चलाया गया।

7.9 Aadhaar Enrolment Centre

A total no of 300 Aadhaar Enrolment centres has been set up covering 10% of the branches as per UIDAI guidelines in our Bank. Bank has outsourced the Aadhaar Operator activity to Corporate BCs in order to create efficient operation of AECs and optimum use of Bank's staff. At present Bank is doing about 8 enrolments/updates per day per centre.

7.10 Revenue generated through Financial Inclusion Project

Consistent, efforts under Financial Inclusion have given good results and Bank has started gaining both tangible and intangible benefit out of these activities. Decongestion of branches, reduction of transaction cost and increase in CASA base are intangible benefits of FI Project. Tangible benefits have come in the form of commission earned under various products. Bank has earned Rs. 393.6 lacs in PMJJBY, Rs. 43.64 lacs in PMSBY and Rs. 75.40 lacs in APY as commission during FY-2020-21. Similarly an aggregate amount of Rs. 7.28 Crore is earned against DBT / DBTL during the year.

8. GOVERNMENT BUSINESS

Government Business Cell handles Small Savings Deposit Schemes of GOI, collection of Direct and Indirect Taxes, issuance of Sovereign Gold Bonds, Floating Rate Savings Bonds, Central and State Government Pension and National Social Security Scheme - Atal pension Yojna (APY) & National pension Scheme (NPS).

During the year 2020-21 bank envisages to increase penetration of Public Provident Fund (PPF) and Sukanya Sanruddhi Yojana (SSY) schemes. There was an increase in accounts opened under PPF - 24247 (35%), Sukanya Samruddhi (SSY) accounts - 19384(32%) in FY 21.

There was an increase in account opened under APY scheme, from 293514 in FY 20 to 373476 in registering 27% YoY growth. Bank has received the Appreciation under APY Big Believers and "Pledge to Persist" award meant for Banks APY persistency.

Bank emphases to promote Govt. business channel to increase fee base income. Turnover commission earned to the tune of Rs. 32.36 crores in FY 21 from various Govt. Business products i.e. Tax collections, Pensions schemes, Small Saving Schemes, Bond issuance etc. as against Rs. 26.00 crores in FY 20, showing YoY growth of 24.46%. Bank has continued its pledge to improve Government Business Substantially.

9. MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISE (MSME)

MSMEs were badly hit by COVID-19 pandemic in FY 2020-21. Government of India and Bank on its own took various measures to help MSMEs restart their businesses.

- Under implementation of GECL Scheme of Government of India, Bank mobilised business of Rs. 1518 Crores
- Under implementation of PM SVANidhi Scheme of Government of India, Bank mobilised business of Rs. 34 Crores in 34,495 accounts
- Bank implemented Subordinate Debt Scheme (DAF-SDSM) of Government of India
- Campaigns launched to augment credit to Retail & MSME Segment

(राशि करोड़ में/Amt in Crs)

क्र. सं. S.L.	अभियान Campaign	अभियान अवधि Campaign Period	रिटेल कारोबार Retail Business	एमएसएमई कारोबार MSME Business	कुल Total
1.	फेस्टिव डिलाइट/Festive Delight	05/10/20 से/to 30/11/20	2270	664	2934
2.	न्यू ईयर बोनांजा/New Year Bonanza	04/01/21 से/to 17/02/21	1489	443	1932

- कोविड-19 महामारी में स्वास्थ्य सेवा समुदाय को सहायता करने के लिए यूको डॉक्टर स्कीम के मास्टर दिशानिर्देशों को संशोधित कर पुनः जारी किया।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 में ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर 319.16 करोड़ रुपये की कुल 5388 बिल बढ़े पर भुनाए गए।
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए एसआरईआई के साथ सह-वित्तपोषण व्यवस्था के अंतर्गत बैंक ने 10 करोड़ रुपये के कारोबार का अर्जन किया।
- एमएसएमई को वित्तपोषण के लिए 2 नए एसएमई केंद्र (हब) को चालू किया गया। इस प्रकार एसएमई केंद्र (हब) की संख्या 10 पहुँच गई।
- मुद्रा-शिशु ऋण के लिए ब्याज अनुदान योजना का लागू किया। 2.03 करोड़ रुपये का अनुदान फरवरी 21 तक प्राप्त हुई है।
- सिडबी/मुद्रा से चार ट्रेण्डों में 1732 करोड़ रुपये (145 करोड़ रुपये 3.58 % दर पर, 292 करोड़ रुपये 2.43 % दर पर, 1000 करोड़ रुपये 2.94 % दर पर और 295 करोड़ रुपये 2.94 % दर पर) का पुनर्वित्त प्राप्त किया।
- उद्योग बेंचमार्क के आधार पर एमएसएमई पॉलिसी को संशोधित किया गया।
- टीएटी को घटाने के लिए ऑनलाइन आवेदन को उद्यममित्रा, पीएमईजीपी और पीएसबीलोन पोर्टल से निगरानी
- हामीदारी अंकन को सुधारने के लिए बैंक ने ऋण आवेदन का संपूर्ण रूप से डिजिटल प्रोसेसिंग के लिए ऋण प्रोसेसिंग पद्धति (एलपीएस) की शुरुआत की। चार एमएसएमई उत्पाद यथा पीएम स्वनिधि, यूको ट्रेडर, यूको व्यापार समृद्धि और यूको उद्योग बंधु को एलपीएस में सक्रिय किया गया।
- बैंक ने 2676 करोड़ के मुद्रा ऋण की मंजूरी दी और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 2500 करोड़ रुपये के लक्ष्य को पार किया।
- प्रायोजित आरआरबी सहित बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित 3700 करोड़ रुपये की लक्ष्य के जगह 3780 करोड़ के मुद्रा ऋण की मंजूरी दी।
- बैंक ने एमएसएमई ऋण के लिए न्यूनतम क्रिफ हाई मार्क/सिबिल स्कोर की शुरुआत की।
- To help the healthcare community amid COVID-19 pandemic, Bank modified and reissued Master Guidelines on UCO Doctor Scheme
- On TReDS Platforms, a total of 5388 bills discounted amounting Rs. 319.16 crore during FY 20-21 on this platform
- Bank mobilised more than Rs. 10 Crores business under Co-lending arrangement with SREI for Co-origination of Priority Sector Loans
- 2 new SME Hubs operationalised for funding MSME Sector taking the tally to 10 SME Hubs
- Implemented "Interest Subvention Scheme for Mudra-Shishu Loans". Subvention of Rs. 2.03 Crore received till Feb'21
- Refinance from SIBDI/Mudra of Rs. 1732 Crs (Rs. 145 Cr @ 3.58%, Rs. 292 Crs @ 2.43%, Rs. 1000 Crs @ 2.94% and Rs. 295 @ 2.94%) taken in four Trenches
- MSME Policy modified as per Industry benchmark
- Monitoring of Online Applications through Portals like Udyamimitra, PMEGP and Psbloans etc. to reduce TAT
- To improve credit underwriting, bank introduced Loan Processing System (LPS) for end to end digital processing of loan applications. Four MSME products namely PM SVANidhi, UCO Trader, UCO Vyapar Samridhi and UCO Udyog Bandhu made live in LPS.
- Bank sanctioned Mudra loans of Rs. 2676 Crore and surpassed the target of Rs. 2500 Crore for FY 2020-21
- Bank including sponsored RRB sanctioned Mudra loans of Rs. 3780 Crore against target of Rs. 3700 Crore for FY 2020-21
- Bank introduced Minimum CRIF High Mark/CIBIL Score for MSME Loans

10. रिटेल बैंकिंग

10. RETAIL BANKING

(₹ करोड़ में/ ₹ in crore)

उत्पाद / Product	मार्च 2020 की स्थिति As on March 2020	मार्च 2021 की स्थिति As on March 2021	% वृद्धि वर्ष-दर-वर्ष % Growth Y-o-Y
आवास ऋण /Home Loan	14,679	16,206	10%
कार ऋण/ Car Loan	1,507	1,748	16%
वैयक्तिक ऋण/ Personal Loan	538	748	39%
अन्य रिटेल ऋण/ Other Retail Loan	8,499	9,835	16%
कुल रिटेल / Total Retail	25,223	28,537	13%

- रिटेल ऋण पोर्टफोलियो में कुल 13% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्ज की गई है। मूल रिटेल ऋण पोर्टफोलियो में 18% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्ज की गई।
- फोकस क्षेत्र कार, आवास एवं स्वर्ण ऋण में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 13%, 17% एवं 44% दर्ज की गई है।
- नकद ऋण योजना, प्रीमियर शिक्षा ऋण योजना, स्वर्ण ऋण योजना एवं रिटेल ऋण हाब का परिचालन दिशानिर्देश को बेहतर किया गया।
- स्वर्ण ऋण हेतु आरबीआई द्वारा अनुज्ञेय एलटीवी की अनुमति में बढ़ोत्तरी पर विचार करते हुए बैंक द्वारा एक विशेष स्वर्ण ऋण योजना "यूको स्वर्ण ऋण धमाका" की शुरुआत की गई। जहाँ स्वर्ण मूल्य के 855 तक ऋण लेने की अनुमति है। यह योजना 31 मार्च तक वैध है एवं 31.03.2021 तक शेष राशि 1655 करोड़ है।
- आवास ऋण को और अधिक आकर्षक बनाने हेतु बैंक द्वारा आवास ऋण योजना में ओवरड्राफ्ट सुविधा की शुरुआत की गई। इस योजना की मुख्य विशेषताएँ कि उधारकर्ता के लिक बचत / चालू खाता से अतिरिक्त राशि ओवरड्राफ्ट आवास ऋण खाते में अंतरण होगा एवं उधारकर्ता आवास ऋण खाते से अतिरिक्त राशि को ओवरड्राफ्ट आवास ऋण खाते में अंतरण कर सकता है। इससे उधारकर्ता के लिए ब्याज का अतिरिक्त बोझ कम होगा एवं बैंक उच्च मूल्य के ग्राहकों को बनाए रख पाएगा।
- कोविड महामारी संकट के दौरान बहुत सारे संगठन अपने कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की अनुमति प्रदान की। ऐसे वातावरण में ग्राहकों के कार्यालय में जाकर पीएसवीआर करना संभव नहीं है। इसपर विचार करते हुए आवास ऋण एवं कार ऋण पीएसवीआर 2 दिशानिर्देश को संशोधित किया गया जो कि 31 मार्च 2021 तक वैध है।
- ऋण प्रस्ताव के पहले चरण में फिल्ड से प्री-स्क्रीन सुविधा को शुरू करने बैंक ने "एसएमएस आधारित ग्राहक प्रोफाइल समाधान" का शुरुआत किया, जहाँ बैंक स्टाफ नामित मोबाइल नम्बर को एसएमएस करता है और समाधान में इनमें से चार जवाब एसएमएस के माध्यम से आता है जैसे वाई,एन,आर, एनआर।
- स्वर्ण ऋण व्यवसाय करते समय इसमें निहित जोखिम पर विचार करते हुए एवं इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जैसे मूल्यांक एवं गोल्ड सेफ की उपलब्धता, बैंक ने 1330 शाखाओं को रिटेल स्वर्ण ऋण व्यवसाय के लिए चुना है।
- Total Retail Loan Portfolio registered Y-o-Y growth of 13%. Core Retail Loan Portfolio (excluding Pool & LRD) registered Y-o-Y growth of 18%
- Focus Areas such as Home, Car and Gold (excluding Pool) registered Y-o-Y growth of 13%, 17% and 44% respectively
- Cash Loan Scheme, Premier Education Loan Scheme, Gold Loan Scheme and Operational Guidelines of Retail Loan Hubs were improvised
- Considering the increase in permissible LTV allowed by RBI for Gold Loans, Bank has introduced a special Gold Loan Scheme "UCO Swarna Rinn Dhamaka" wherein loan up to 85% of value of Gold was allowed. The Scheme was valid till 31st March and O/s Balance as on 31/03/2021 is Rs.1655 crore.
- To make Home Loan product more attractive, Bank has introduced Overdraft Facility in Home Loan Scheme. Salient features of the Scheme are that excess fund of Borrower in linked Savings/Current account would be transferred to Overdraft Home Loan Account and Borrower can draw excess fund from Home Loan Account. This reduces interest burden for Borrower and helps Bank in retaining high value customers
- Owing Covid-19 pandemic, many organisations are allowing their Employees to work from Home. In such scenario, raising PSVR-II by visiting Borrower's Office may not be feasible. Considering this, PSVR-2 guidelines for Home and Car Loan Products were modified and were valid till 31st March 2021
- To enable field to Pre-Screen prospect at an early stage of Loan Proposal, Bank has introduced "SMS Based Customer Profiling Solution" wherein Bank staff sends an SMS to a designated Mobile Number and the Solution sends one of the four responses i.e. Y, N,R, NR through a return SMS
- Considering the inherent risk in conducting Gold Loan Business and keeping in mind factors such as availability of Appraiser and Gold Safe, Bank has identified 1330 Branches to carry out Retail Gold Loan Business

11. बैंकाश्योरेंस

- बैंकाश्योरेंस कारबार जैसे जीवन, सामान्य एवं स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बैंक एक कॉर्पोरेट एजेंट है। बैंक एक एएमएफआई पंजीकृत म्युचुअल फंड वितरक भी है।
- बैंक का प्रत्येक बीमा सेगमेंट में एक चैनल पार्टनर भी है। जैसे
जीवन बीमा- जीवन बीमा कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एवं एसबीआई जीवन बीमा को.लिमिटेड
सामान्य बीमा- द ओरियेंटल बीमा को. लिमिटेड एवं फ्यूचर सामान्य भारतीय बीमा को. लिमिटेड
स्वास्थ्य बीमा- स्टार हेल्थ एवं संबद्ध बीमा को.लिमिटेड एवं केयर स्वास्थ्य बीमा लिमिटेड
समूह क्रेडिट जीवन बीमा कवरेज के लिए जिससे आवास, शिक्षा एवं रिटेल ऋण उधारकर्ता का जोखिम कवर हो, बैंक का कोटक महिंद्र जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड के साथ गठजोड़ हुआ है।
- बैंक ग्राहकों के अस्पताल के खर्चों के क्षतिपूर्ति के लिए समूह स्वास्थ्य बीमा एवं समूह स्वास्थ्य ऋण सुरक्षा बीमा स्वास्थ्य संबंधी खर्च पर ऋण चुकौती के लिए शुरू किया। कोविड -19 महामारी के दौरान बैंक

11. BANCASSURANCE

- Bank is a Corporate Agent for Soliciting Insurance Business for Life, General and Health Segment. Bank is also an AMFI registered Mutual Fund Distributor.
- Bank is having 2 channel partners in each segment of insurance viz.,
Life insurance - Life Insurance Corporation of India and SBI Life Insurance Co. Ltd
General Insurance: - The Oriental Insurance Co. Ltd and Future Generali India Insurance Co. Ltd.
Health Insurance: - Star Health & Allied Insurance Co. Ltd & Care Health Insurance Ltd.
- For Group Credit Life Insurance Bank is having tie up with Kotak Mahindra Life Insurance Company Ltd to cover life risk of Home, Education and Retail Loan borrowers.
- Bank has launched Group Health Insurance Policies for indemnifying customers against hospitalisation expenses and Group Health Loan Protect policies for insuring loan repayment against health related expenditure. During the

कोरोना कवच एवं कोरोना रक्षक बीमा की शुरुआत की है और ग्राहकों को 7217 पॉलिसी जारी किया है।

- प्रीमियम भुगतान एवं प्रस्तावों का सिमलेस डिजिटल मोड में करने जिससे बीमा जारीकरण टैट को कम किया जाए इस उद्देश्य से सूचना प्रद्योगिकी का चैनल पार्टनर के साथ एकीकरण करने में जिससे बैंक द्वारा किया गया। बैंक बीमा पॉलिसी को एम बैंकिंग के माध्यम से कार्यावित करने हेतु प्रक्रियारत है।
- बैंक राजकोषीय वर्ष 2020-21 के दौरान बैंकाश्योरेंस व्यवसाय को बढ़ाने हेतु विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की संख्या को बढ़ाया। ये विनिर्दिष्ट व्यक्ति प्रशिक्षित हैं और भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकारी(आईआरडीए) द्वारा प्रमाणीकृत हैं। हमने 388 नए विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को चयन किया है जो 31 मार्च 2021 तक मौजूद एसपी में जोड़ा जाएगा।
- बैंक ने निम्नलिखित नौ प्रबंधन कंपनियों के साथ गठबंधन किया है।

1. कोटक महिंद्र एएमसी लिमिटेड
2. एसबीआई निधि प्रबंधन प्राइवेट लिमिटेड
3. भारतीय निप्पोन जीवन परिसंपत्ति प्रबंधन लिमिटेड
4. यूटीआई एएमसी लिमिटेड
5. एचडीएफसी एएमसी लिमिटेड
6. भारतीय बड़ौदा परिसंपत्ति प्रबंधन लिमिटेड
7. आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल एएमसी लिमिटेड
8. भारतीय फ्रैंकलिन टेम्प्लेटॉन प्रबंधन प्राइवेट लिमिटेड
9. आदित्य बिड़ला सन लाइफ एएमसी लिमिटेड

pandemic period COVID-19 bank has introduced Corona-Kavach and Corona Rakshak policies and issued 7217 such policies to the customers.

- Bank has taken initiative for IT Integration with Channel Partners for end-to-end seamless digital mode of sourcing of proposal and payment of premium resulting in reducing policy issuance TAT. Bank is in process to implement to mBanking solution for online booking of insurance policy.
- Bank increased the number of Specified Persons (SPs) during the fiscal year 2020-21 for augmenting Bancassurance Business. These Specified Persons are duly trained and certified by insurance Regulatory & Development Authority of India (IRDAI). We have identified 388 new Specified Persons, which will add to the existing strength of 391 SPs as of March 2021.
- Bank has tie-up with the following Nine Asset Management Companies:-

1. Kotak Mahindra AMC Ltd.
2. SBI Funds Management Pvt Ltd.
3. Nippon Life India Asset Management Ltd.
4. UTI AMC LTD.
5. HDFC AMC LTD.
6. Baroda Asset Management India Ltd.
7. ICICI Prudential AMC Ltd.
8. Franklin Templeton Asset Management (India) Pvt. Ltd.
9. Aditya Birla Sun Life AMC Ltd.

जीवन, सामान्य बैंकश्योरेंस एवं म्यूचुअल निधि व्यवसाय के अंतर्गत कार्य निष्पादन/

Business Performance under bancassurance Life, Non-life & Mutual fund Business; (01/04/2020 to 31/03/2021)

क्रमांक SI	कंपनी का नाम Name of the Company	संगृहीत प्रीमियम (लाख ₹ में) Premium Collected (₹ in Lakhs)	अर्जित कमीशन (लाख ₹ में) Commission Earned (₹ in Lakhs)	पॉलिसी/फोलियो की सं. No of Policy/ Folio
1.	भारतीय जीवन बीमा निगम Life Insurance Corporation of India	1524.15	226.94	1990
2.	एसबीआई जीवन बीमा कं लिमिटेड SBI Life Insurance Co. Ltd.	6969.97	737.28	14316
3.	भारतीय फ्यूचर सामान्य बीमा कं लिमिटेड Future Generali India Insurance Co. Ltd.	3996.06	520.83	181819
4.	द ओरियेंटल बीमा कं लिमिटेड The Oriental Insurance Co. Ltd.	216.26	28.03	10431
5.	स्टार स्वास्थ्य एवं संबद्ध बीमा कं लिमिटेड Star Health & Allied Insurance Co. Ltd.	461.66	62.67	6691
6.	केयर स्वास्थ्य बीमा लिमिटेड Care Health Insurance Ltd.	565.03	76.21	10615
7.	कोटक महिंद्र जीवन बीमा बीमा कं लिमिटेड Kotak Mahindra Life Insurance Co. Ltd.	2190	NIL	10622
8.	म्यूचुअल निधि व्यवसाय Mutual Fund Business	NA	7.96	NA

12. विधिक मामले

किसी बैंकिंग संस्थान में किसी भी विधि विभाग का कार्य केवल कानूनी सलाह देने या कानून के विभिन्न मंचों के समक्ष बैंकों के कानूनी मामलों को संभालने तक ही सीमित नहीं है; उन्हें बहुमुखी विधिक कार्य सौंपा गया है।

विधिक विभाग दिन-प्रतिदिन बैंकिंग में विधिक कौशल के विभिन्न डोमेन को प्रभावित करने वाले दस्तावेजों, नीतियों और दिशानिर्देशों के प्रारूपण, पुनरीक्षण, समीक्षा में शीट एंकर की भूमिका निभाता है। विधिक विभाग उन नीतियों / दिशानिर्देशों को क्रम में रखता है जो अधिवक्ताओं के पैनल में शामिल हैं, अधिवक्ता शुल्क का भुगतान, मृत खाताधारकों और लापता व्यक्तियों आदि के दावों का निपटान, और कानून के विभिन्न विषयों पर हैंडबुक तैयार करना, परिपत्र जारी करना, विधि संबंधी विभिन्न मंचों के समक्ष लंबित मुकदमों की अनुवर्ती कार्रवाई और निगरानी और प्रशिक्षण आदि प्रदान करना।

विधि विभाग - वसूली विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, खुदरा विभाग, ऋण विभाग, तनावग्रस्त आस्ति कार्यक्षेत्र विभाग, कार्यनीति योजना विभाग, वित्त विभाग, अंतर्राष्ट्रीय विभाग आदि जैसे विशिष्ट विभागों की विशिष्ट आवश्यकताओं को भी विभिन्न अनुबंधों के दस्तावेजों, सर्विस लेवल एग्रीमेंट (एसएलए), सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर खरीद, विभिन्न प्रकार की टाई-अप व्यवस्था/नए उत्पाद /संवीक्षा आदि के माध्यम से पूरा करता है।

इसके अलावा, फील्ड पदाधिकारियों के बीच जागरूकता पैदा करने की दृष्टि से, वित्त वर्ष 2020-21 में विधि विभाग ने 37 परिपत्र और 65 सामान्य पत्र जारी किए हैं, जो कि विधियों और नए विधानों पर विभिन्न संशोधनों के संबंध में हैं। इसके अलावा, बैंक के ऋण दस्तावेजों को कानूनी गतिशीलता की बदलती गति के साथ संरेखित करने के लिए, विभाग ने यूको सिक्योरिटीज और एफडीआर, गोल्ड लोन आदि पर ऋण से संबंधित दस्तावेजों की जांच की है। उपरोक्त के अतिरिक्त, विधिक विभाग ने भी निम्नलिखित को पूरा किया है :

- 3.00 करोड़ रुपये और उससे अधिक के घोखाघड़ी खातों में बैंक द्वारा दर्ज की गई शिकायतों/एफआईआर की कानूनी जांच;
- किसी भी कानून/अधिनियम में नए कानून/संशोधन सहित विभिन्न मामलों पर वित्त मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय बैंक संघ के पत्राचार में भाग लेना;
- विधि के विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान करने में सेंट्रल स्टाफ कॉलेज को संकाय के रूप में अपना सहयोग देना;

13. वसूली

हमारे बैंक का सकल एनपीए % मार्च, 2021 से घटकर 9.59% कर दिया गया है, जो मार्च, 2021 में 16.77% था, जिससे मार्च 2021 में जीएनपीए की मात्रा घटकर 11351.97 करोड़ रुपये हो गई जो कि मार्च, 2020 में क्रमशः 19,281.95 करोड़ था। मार्च 2021 में बैंक का एनपीए% घटकर 3.94% हो गया, जो कि मार्च 2020 में 5.45% था।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक रुपये 3137.55 करोड़ नए स्लिपेज का साक्षी रहा है। रुपये की नकद वसूली हुई। 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष में रु. 1168.30 करोड़ की नकद वसूली हुई। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान अनर्जक आस्ति में कुल 1621.65 करोड़ की नकद वसूली और अपग्रेडेशन हुआ। बैंक की आस्ति गुणवत्ता को बनाए रखना और अशोध्य ऋणों की वसूली ही वह क्षेत्र है जिस पर बैंक ने पूरा ध्यान दिया है।

12. LEGAL MATTERS

The task of any Law Department in a banking institution is not only confined to furnishing legal advice or handling law suits of Banks before various fora of Law; they are entrusted with versatile legal works.

Law Department plays a role of sheet anchor in drafting, vetting, reviewing of documents, policies & guidelines effecting various domain of legal acumen in day to day Banking. Law Department puts in order the policies/guidelines that swathe the empanelment of Advocates, payment of Advocate Fees, settlement of claims of deceased account holders and missing persons etc, and preparing Handbooks on various topics of law, issuance of Circulars, follow-up & monitoring of litigations pending before various fora of law and to impart training etc.

The Law Department also caters to the specific needs of specialized Departments like Recovery Department, Information Technology Department, Retail Department, Credit Department, Stressed Asset Vertical Department, Strategic Planning Department, Finance Department, International Department etc., by Drafting/Vetting of documents of various contracts/ Service Level Agreements (SLAs), Software/Hardware procurement, various types of tie-up arrangements /new products etc.

Besides, with a view to create awareness amongst the Field Functionaries, in the FY 2020-21 the Law Department has issued 37 Circulars and 65 Common letters regarding various amendments on Statutes and new Legislations. Further to align the Bank's loan documents with changing pace of legal dynamics, Department has examined documents related to UCO Securities and loan against FDR, Gold Loan etc. In addition to the above, the Legal Department has also catered to:

- Legal vetting of Complaints/FIRs filed by Bank in the fraud accounts related to Rupees 3.00 Crores & above;
- Attending to correspondences of the Ministry of Finance, Reserve Bank of India and Indian Banks' Association on different matters including new legislation/amendments in any Statute/Act;
- Extend its support to the Central Staff College as faculty in imparting training on varied topics of law;

13. RECOVERY

Gross NPA % of our Bank has been decreased to 9.59% in March, 2021 from 16.77% in March, 2020 thereby quantum of GNPA's has decreased to Rs.11351.97 Crore in March 2021 from Rs. 19,281.95 crore in March, 2020 respectively. The NNPA % of the bank has declined to 3.94% in March 2021 against 5.45% in March 2020.

During the FY 2020-21 the Bank has witnessed fresh slippages including addition to old NPA of Rs. 3137.55 Crore. Cash Recovery was Rs. 1168.30 Crore for the year ended 31st March, 2021. The total reduction in NPA through Cash Recovery & Upgradation of NPA during FY 2020-21 is Rs. 1621.65 Crore. Maintaining Bank's Asset quality and recovery of Bad Debts remain main focus area for the Bank.

13.1 वसूली कार्यनिष्पादन :

संगठन के सभी स्तरों पर संशोधित निपटान योजना, यथा एनडीएनडी योजना सरफेसी अधिनियम, डीआरटी, लोक अदालतों, एनसीएलटी, देशव्यापी मेगा वसूली शिविरों, विशिष्ट स्थानों पर माइकिंग माओ अभियानों, जानबूझ कर चूककर्ताओं की घोषणा एलओसी जारी करने आदि से लाभ उठाते हुए वसूली में तेजी लाने के प्रयास किए गए।

पिछले तीन वर्षों के जीएनपीए, एनएनपीए, नकद वसूली और कोटि उन्नयन के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

13.1 Recovery performance:

Bank's recovery mechanism is also geared up at all levels of the organization to take advantage of modified compromise settlement scheme, NDND Scheme, SARFAESI Act, DRTs, Lok Adalats, NCLT, Country wide Mega Recovery Camps, Miking in specific locations, MAO campaigns, declaration of wilful defaulters, issuance of LOCs etc. were organized for speedy recovery.

The details of GNPA, NNPA, Cash Recovery and upgradation for the last three years are as under:

(₹ करोड़ में / ₹ in crore)

विवरण/Particulars	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021
नकद वसूली/Cash Recovery	2991.52	2716.28	1168.30
कोटि उन्नयन/Up gradation	2332.20	1592.39	453.35
कुल /Total	5323.72	4308.67	1621.65
एमएल और तकनीकी राइट ऑफ खाते में नकद वसूली Cash recovery in ML & Technical Write-off accounts	440.46	886.03	982.39
सकल अनर्जक आस्ति/Gross NPA	29888.33	19281.95	11351.97
सकल अनर्जक आस्ति%/Gross NPA %	25.00%	16.77%	9.59%
शुद्ध अनर्जक आस्ति/Net NPA	9649.92	5510.66	4389.51
शुद्ध अनर्जक आस्ति%/Net NPA %	9.72%	5.45%	3.94%

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के ₹ 1621.65 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष में कुल नकदी वसूली एवं अपग्रेडेशन में ₹. 4308.67 करोड़ हुई थी। तकनीकी राइट ऑफ खातों में नकद वसूली पिछले वर्ष के ₹. 872.75 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष में ₹. 971.10 करोड़ की हुई है।

हानिग्रस्त आस्ति में वसूली होने से लाभप्रदता पर उसका सीधा असर पड़ता है और इसे देखते हुए बैंक ऐसे खातों में वसूली की निगरानी/ अनुवर्ती कार्रवाई को प्राथमिकता दे रहा है।

13.2 कुछ वसूली पहल :

- ₹5.00 करोड़ तक की बकाया शेष राशि वाले अनर्जक आस्ति एवं एमएल खातों के लिए बैंक के पास उदार समझौता निपटान योजना है। जिसके तहत शाखा प्रमुखों को अनुमोदन करने की शक्ति दी गई है। ताकि प्रस्तावित गैरविवेकाधीन गैर भेदभावपूर्ण ओटीएस योजना के अंतर्गत अधिकाधिक अनर्जक आस्ति खातों को कवर किया जा सके।
- सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत प्रभावी व समयबद्ध कार्यवाही करने तथा अनर्जक आस्ति खातों के शीघ्र समाधान हेतु वसूली एजेंटों और व्यापार प्रतिनिधियों (बीसी) की सेवाओं का उपयोग कर रहा है।
- प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों और अंचल कार्यालयों की सुविधा के उद्देश्य से खातों की प्रभावी निगरानी और उनके शीघ्र समाधान के लिए सरफेसी कार्यवाही, कानूनी मामलों आदि की निगरानी के उद्देश्य से बैंक ने विधिक प्रबंधन प्रणाली को मजबूत किया है।

The total cash recovery plus upgradation for the year ended 31st March, 2021 is Rs. 1621.65 Crore as against Rs. 4308.67 Crore for the year ended 31st March, 2020. The cash recovery in technically written-off accounts is Rs. 971.10 Crore for the year ended 31st March, 2021 compared to Rs. 872.75 Crore for the previous year.

Recovery in Loss and Written Off assets has a direct impact upon the profitability hence Bank giving priority in monitoring / follow-up for recovery in such accounts.

13.2. Some Recovery initiatives:

- Bank has liberal Compromise Settlement Scheme for NPA and ML accounts having O/s Balance up to Rs. 5.00 Crore under which the branch heads are empowered to approve compromise proposal to ensure more NPA accounts are covered under the proposed non-discretionary/ non-discriminatory OTS Scheme.
- Bank is utilizing services of Enforcement & Recovery Agents and Business Correspondents (BCs) for effective and time-bound enforcement of action under SARFAESI Act and early resolution of NPA accounts.
- Bank has strengthened the Legal Management System with the objective to facilitate different departments at Head Office & Zonal Offices for monitoring status of SARFAESI actions, legal matters etc. for effective monitoring and early resolution of accounts.

- अड़ियल उधारकर्ताओं के विरुद्ध नियमित आधार पर माओ (एक के विरुद्ध अनेक) दृष्टिकोण अपनाया जाता है और प्रधान कार्यालय स्तर पर इसकी निगरानी की जाती है।
- प्रत्येक माह में दो दिन देशव्यापी मेगा वसूली शिविर आयोजित किए जाते हैं।
- संभावित खरीददारों द्वारा सार्थक खोज करने हेतु नीलाम की जाने वाली पात्र संपत्तियों को आईबीए के कॉमन वेब पोर्टल "ई बिद्री" (<https://ibapi.in>) (भारतीय संघ की नीलामी सूचना) पर दिनांक 01.04.2020 पर अपलोड किया जा रहा है।
- सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत संपत्तियों की मेगा ई-नीलामी मासिक आधार पर की जा रही है।
- एनसीएलटी के लिए पात्र खातों का जोरदार तरीके से पता लगाया जा रहा है। एनसीएलटी मामले दायर किए जाने के संबंध में आगे विचार विमर्श करने हेतु बैंक अन्य वित्तीय ऋणदाताओं के साथ नियमित संपर्क में है।
- MAO (Many against One) approach is adopted against recalcitrant borrowers on a regular basis and being monitored at HO level.
- Countrywide Mega Recovery Camps are being organized to augment recovery in NPA accounts.
- All eligible properties are uploaded and put for auction on 'e-Bikray' a common web portal of IBA (<https://ibapi.in>) (Indian Banks Auction Properties Information) only w.e.f. 01.04.2020.
- Mega e-auction of properties under SARFAESI is being conducted on monthly basis.
- Accounts eligible for NCLT are being explored vigorously. Bank is in liaison with other financial creditors on regular basis, for considering the way forward in respect of NCLT cases.

एनसीएलटी के अंतर्गत अधिकांश खाते कॉन्सोर्टियम/बहु बैंकिंग खाते हैं, जिनके समाधान हेतु कॉन्सोर्टियम आदि के लीडर के साथ परामर्श कर प्रत्येक मामले के आधार पर निगरानी की जाती है। जहां बैंक कॉन्सोर्टियम का लीडर है, वहां समाधान हेतु विभाग प्रत्येक खाते पर पूरी बारीकी से अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है।

जहां हमारा बैंक कॉन्सोर्टियम/जेएलएफ का सदस्य है, वहां हम प्रधान कार्यालय से विशेषकर नियमित अंतरालों पर जेएलएफ की बैठक बुलाने और उक्त बैठकों में उचित स्तरों पर हमारे बैंक की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु संबंधित लीडर बैंकों के उच्च प्रबंधन के समक्ष महत्वपूर्ण मुद्दों को नियमित आधार पर रख रहे हैं।

- 31.03.2021 तक, विभिन्न एआरसी को 298 खाते सौंपे गए हैं, जो सुरक्षा रसीद के रूप में मौजूद हैं। इन खातों की बुक वैल्यू 1465.01 करोड़ रुपये है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान एआरसी को कोई खाता नहीं सौंपा गया।
- संबंधित राज्यों की राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के माध्यम से राज्य स्तरीय ऋण माफी के तहत अपेक्षा के अनुसार अनर्जक आस्ति की वसूली के क्षेत्र को बढ़ाने हेतु महाराष्ट्र राज्य का एसएलबीसी अर्थात् महाराष्ट्र सरकार कृषि ऋण माफी योजना "महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकारी कर्जमुक्ति योजना, 2019 (एमजेपीएसकेवाई-2019)" का निरूपण किया गया।

14. ऋण निगरानी

वर्तमान आर्थिक स्थिति में बैंकिंग उद्योग में बेड लोन की लहर जोरों से चल रही है और बैंक को एनपीए खातों को डील बहुत ही सक्रियता से करना पड़ता है जिससे दवाब ग्रस्त संपत्ति प्रबंधन द्वारा फ्रेस स्लिपेज को रोक जा सके। बैंक के द्वारा इस तंत्र को अच्छे से लागू करने के लिए कुछ आरंभिक कदम इस प्रकार उठाए हैं :-

1. बैंक के अर्लि वार्निंग सिस्टम (EWS) ट्रिगर से रेड फ्लैग्ड अकाउंट (RFA) को चिह्नित करने का ढांचा (फ्रेमवर्क) प्रस्तुत किया गया है। इस ढांचे द्वारा ऐसे फांड खाते को चिह्नित किया जाता है जिन्हें प्रॉड चिह्नित किया जा सके और जिन खातों के रेड फ्लैग्ड अकाउंट (RFA) मार्किंग 06 माह के अंदरकी न हो। अर्लि वार्निंग सिस्टम (EWS) चिह्नित प्रक्रिया में ऐसे सॉफ्टवेर पैकेज बनाया गया है जो कि 42 अर्लि वार्निंग सिस्टम (EWS) टीगर चलाने की क्षमता रखता है जिन्हें आरबीआई द्वारा सुझाया गया है साथ ही 84 अर्लि वार्निंग सिस्टम (EWS) टीगर चलाने की क्षमता रखता है जिसे डीएफएस (DFS) द्वारा EASE ,पब्लिक सैक्टर सुधार अजेंडा के अंतर्गत सुझाया गया है।

Most of the accounts under NCLT are Consortium / Multiple Banking accounts which are being monitored for resolution on case to case basis in consultation with leader of consortium etc. Where Bank is the leader of the consortium, follow up was made in each and every account for the purpose of resolution.

Where our Bank is a member of Consortium / JLF, Bank is taking up the critical issues with the top management of the respective Leader Banks on regular basis, specifically to convene meeting of JLF at frequent intervals and ensuring our Bank's participation at suitable levels in such meetings.

- As on 31.03.2021, there are 298 accounts assigned to various ARCs, which exists in the form of Security Receipt. These accounts have a book value of Rs.1465.01 Crore. No accounts were assigned to ARCs during FY 2020-21.
- State specific Schemes were formulated to widen the scope of NPA recovery as per requirement under Debt Waiver at the State Level through the SLBC of Maharashtra State namely Maharashtra Government Agricultural Debt Waiver Scheme "Mahatma Jyotirao Phule Shetkari Karjamukti Yojana, 2019 (MJPSKY-2019)"

14. CREDIT MONITORING

Present economic situation has accentuated upsurge of bad loans in the banking industry and force banks to deal with NPA more proactively by stressed asset management for arresting fresh slippage. Bank has geared up mechanism of tracking by initiating measures as under:-

1. Bank has put in place framework for identification of Red Flagged Account (RFA) based on triggers known as Early Warning Signals (EWS) as per guidelines on Framework for dealing with loan frauds leading to the identification of the account as fraud or not within the period of six months from date of marking the account as RFA. Regarding System identification of EWS, a software package has been implemented which is capable of generating 42 EWS triggers as suggested by RBI along with 84 EWS triggers as suggested by DFS under EASE-Public Sector Reform Agenda.

2. भारी दबाव वाले माइक्रो, स्माल और मीडियम एंटरप्राइजेस को ध्यान में रखते हुए, माइक्रो, स्माल और मीडियम एंटरप्राइजेस के पुनरुत्थान और पुनर्वास के लिए रूपरेखा बनाई गई है और आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एमएसएमई के एकबारगी रिस्ट्रक्चरिंग का सूत्र अपनाया गया और इन क्षेत्र के अंतर्गत दबावग्रस्त संपत्ति के लिए हल निकाला गया है।
3. जैसे कि दबावग्रस्त संपत्ति प्रबंधन का एक भाग है जिसमें 05 करोड़ और उससे ऊपर के डिफ़ॉल्ट संपत्ति को साप्ताहिक आधार पर आरबीआई के सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ़ इन्फॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट (CRILC) के प्लैटफ़ॉर्म पर रिपोर्टिंग और प्रतिदिन के आधार पर निगरानी की जाती है।
4. एनपीए और दबावग्रस्त खातों को एनपीए ट्रैकर जो की मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से निगरानी की जाती है।
5. कोविड -19 से संबंधित दबाव से संबंधित रूपरेखा का निर्धारण आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार लागू किया गया है और समेकित आधार पर स्वीकृत आवेदन के ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा रिस्ट्रक्चरिंग की जा रही है।
6. बैंक के द्वारा एक डैशबोर्ड बनाया गया है जो सभी स्तरों पर बेहतर ऋण निगरानी करेगा।
7. RAM (रिटेल, एग्रिकल्चर, एमएसएमई) सेगमेंट के खातों के लिए बैंक के द्वारा आईटी आधारित कलेक्शन सिस्टम बनाया गया है।

मूल स्तर पर कार्य में सुधार हेतु बैंक ने निम्नलिखित कार्यनीति और दिशानिर्देशों बनाया है-

- क) ऋण निगरानी 2021-22 के परिचालन दिशानिर्देश का अद्यतन तथा निदेशक मंडल के अनुमोदन के बाद जारी कर दिया गया है।
- ख) टीईवी परामर्शदाताओं के एमपनेलमेंट पॉलिसी को संशोधित कर उसे 01.04.2021 को जारी कर दिया गया है।
- ग) स्टॉक और बुक डेट ऑडिटर्स की नियुक्ति और एमपनेलमेंट पॉलिसी को संशोधित कर उसे 01.04.2021 को जारी कर दिया गया है।
- घ) ऋण सुविधा के लिए दी जाने वाली प्रतिभूतियों प्राइमरी और कोलटेरल संपत्तियों के मूल्यांकन की नियुक्ति और एमपनेलमेंट पॉलिसी को संशोधित कर उसे 01.04.2021 को जारी कर दिया गया है।
- ङ) वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान क्षेत्र कार्यकर्ताओं से प्राप्त फीडबैक और आरबीआई दिशानिर्देशों को ध्यान में रख ऋण निगरानी को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सैंतिस (37) परिपत्रों को जारी किया गया है।
- च) बोर्ड के अनुमोदन के बाद रुपया 250 करोड़ से ऊपर के एक्सपोजर उधार खातों की विशेष निगरानी हेतु एक ऐजेंसी की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देशों को 01.04.2021 से संशोधित किया गया।
- छ) कार्यपालक निदेशक के मार्गदर्शन में हर पखवाड़ा 05 करोड़ और उससे ऊपर के दबाव ग्रस्त खातों की निगरानी हाई पावर कमेटी द्वारा की गई।

15. जोखिम प्रबंधन

वित्तीय वर्ष 2020-21, हालांकि कोविड प्रभाव के कारण बैंकों और उद्योग के लिए चुनौतियों के साथ शुरू हुआ, बैंक ने बैंकिंग व्यवसाय से जुड़े विभिन्न जोखिमों को कम करने के लिए विभिन्न पहल की और बैंक स्तर पर कई सिस्टम और प्रक्रियाएँ लागू की है। जोखिम प्रबंधन विभाग के मार्गदर्शन में, वॉर्किंग विभिन्न जोखिमों के मूल्यांकन एवं निर्धारण तथा उनके निवारक उपायों की दिशा में विभिन्न परिपत्रों, मानक परिचालनगत प्रक्रिया, दिशानिर्देश तथा वर्चुअल प्रशिक्षण मॉड्यूल के माध्यम से सक्रिय कार्य कर रहा है।

2. Considering severe stress in Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sectors, Framework for revival and rehabilitation of Micro, Small and Medium Enterprises and onetime restructuring of MSME, formulated in terms of RBI guidelines and has been put in place for resolution of stressed asset under these sectors.
3. As a part of stressed asset management, default assets Rs. 5 crore and above weekly reporting done to RBI at Central Repository of Information on Large Credit (CRILC) platform and monitored on daily basis.
4. NPA Tracker through mobile application has been introduced for monitoring stressed and NPA accounts at base level.
5. As per the RBI's Resolution Framework for COVID-19 Related Stress, bank has implemented the Restructuring through seamless online process starting from Application to Sanction Level.
6. Bank has launched one Dedicated Dashboard for better Credit Monitoring at all level.
7. Bank has created model for IT base collection system for RAM segment accounts.

To improve upon functioning at the grass root level, bank has devised following strategic policy and guidelines:

- a) Operational guidelines for Credit Monitoring 2021-22 has been updated and put in place after obtaining approval of the Board.
- b) Policy for empanelment of TEV consultants has been revised and put in place on 01.04.2021.
- c) Guidelines for empanelment and appointment of Stock & Book Debt auditors has been revised and put in place on 01.04.2021.
- d) Policy for empanelment of valuers for the properties offered as securities, both primary and collateral while processing of credit facility has been revised and put in place on 01.04.2021.
- e) Based on the feedback received from field functionaries and following the guidelines of Reserve Bank of India (RBI), thirty Seven (37) numbers of circulars issued on effective credit monitoring during Financial Year (FY) 2020-21.
- f) Engagement of Agencies for Specialized Monitoring and effective monitoring of Large Borrowal accounts with exposure above Rs. 250.00 Crore has been revised on 01.04.2021 after obtaining approval of the Board.
- g) Stressed accounts of Rs. 5.00 Crore and above was directly monitored by High Power Committee (HPC), headed by Executive Director (ED) on fortnightly basis.

15. RISK MANAGEMENT

Financial Year 2020-21, though commenced with challenges for Banks & Industry due to COVID impact, Bank had taken various initiatives and implemented a number of System & Procedures at Bank level to mitigate various Risk associated with Banking Business. Under the umbrella of Risk Management Department, verticals are actively functioning towards evaluation & assessment of various risks and its preventive measures by issuing circulars, SOP, Guidelines and Virtual Training modules.

बेसल III अपेक्षाओं के अनुरूप जोखिम प्रबंधन क्षेत्र के मुख्य क्षेत्र निम्नानुसार है :-

15.1 ऋण जोखिम प्रबंधन

- नए अनुमोदन या ऋण-सीमा में वृद्धि से पहले ऋण प्रस्तावों में निहित ऋण जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए क्रेडिट रिस्क वर्टिकल (सीआरवी) की शुरुआत की है। सीआरवी मॉड्यूल को सफलतापूर्वक सिस्टम में लाइव किया गया है और 34 जोखिम मैट्रिक्स के आधार पर जोखिम स्कोरिंग के लिए ऑनलाइन इसका उपयोग किया जा रहा है। बैंक संपूर्ण जोखिम प्रबंधन प्रणाली को, विशेष रूप से पूर्व चेतावनी संकेत (ईडब्ल्यूएस), ऋण प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) और क्रेडिट रेटिंग मॉड्यूल आदि, को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) सुधार एजेंडा वृद्धिगत पहुँच एवं सेवा उत्कृष्टता (ईज-ईएसई) के अंतर्गत आवश्यकताओं के अनुस्यू एकीकृत करने की प्रक्रिया में है।
- कारपोरेट उधारकर्ताओं हेतु हमारे ऋणों की कीमतों का निर्धारण, पूंजी पर जोखिम समायोजित प्रतिफल (आरएआरओसी) मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है और इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। आर्स्टि देयता प्रबंधन (एलएम) कक्ष हमारी सभी देनदारियों और आर्स्टि उत्पादों के मूल्य निर्धारण के मामले में भी पूरी तरह से एकीकृत है जो आरबीआई नीति दर के साथ जुड़ा हुआ है और यह बाजार संचालित है।
- निदेशक मंडल के अनुमोदन से बैंक की ऋण नीति को समय-समय पर अद्यतन किया जा रहा है।

15.2 परिचालन जोखिम प्रबंधन

- बैंक ने ऋण एवं परिचालन जोखिम के क्षेत्र में उद्योग स्तर पर श्रेष्ठ पद्धतियों की पहचान की है। हमारे बैंक की सभी नीतियों की समीक्षा की गई और कुछ नीतियों की जांच बाहरी एजेंसियों द्वारा भी की गई। जोखिम प्रबंधन प्रणाली को अंचल कार्यालय और शाखा स्तर तक विस्तारित कर दिया गया है।
- विभिन्न परिचालन जोखिमों के त्वरित शमन के लिए शाखा/अंचल स्तर से ऑनलाइन रियल टाइम ऑपरेशनल लॉस इवेंट्स की सूचना दी जा रही है।
- शाखा स्तर पर परिचालन जोखिम क्षेत्रों की समीक्षा तथा इसके मूल कारणों का विश्लेषण करने तथा उसे दूर करने के लिए अंचल कार्यालय स्तरीय परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है।

15.3 बाजार जोखिम प्रबंधन

- बैंक ने अपनी बाजार जोखिम नीतियों को अपने कोष संबंधी कार्यों को नियंत्रित करने और निगरानी करने के लिए संरचित किया है, जो बाजार जोखिम की स्थिति की देखरेख का कार्य करती है। बैंक दैनिक आधार पर संशोधित अवधि, पीवी01 एवं वीएआर के माध्यम से अपनी ट्रेडिंग बुक में ब्याज दर जोखिम को मापता है। विदेशी मुद्रा जोखिम को दैनिक आधार पर नेट ओवरनाइट ओपन पोजिशन लिमिट (एनओओपी), वीएआर लिमिट, एजीएल (एग्रीगेट गैप लिमिट), इंडिविजुअल गैप लिमिट के रूप में भी मापा जाता है। वीएआर एवं पोर्टफोलियो आकार सीमा को लेनदेन स्तर पर हमारे पोर्टफोलियो की निगरानी के साथ-साथ स्टॉप लॉस-वार और डीलर-वार सीमा के साथ मापा जाता है।
- बाजार जोखिम से जुड़े सभी मापदंडों का बैंक-टेस्टिंग और स्ट्रेस टेस्टिंग किया गया है।
- स्ट्रेस टेस्टिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत, हमारा बैंक तिमाही आधार पर, दर संवेदनशील संपत्ति और देनदारियों के बीच बेमेल होने के कारण अपने ट्रेडिंग बुक पोर्टफोलियो तथा साथ-साथ बैंकिंग बुक में ब्याज दर

Major scope of Risk Management Areas is as under, in line with BASEL III requirements:-

15.1 Credit Risk Management:

- Credit Risk Vertical (CRV) has been introduced to evaluate inherent credit risk in credit proposals before its fresh sanction and enhancement. The CRV model has been successfully made live in the system and is being used online for Risk Scoring based on 34 Risk Matrix. Bank is in process of integrating the entire Risk Management System especially with Early Warning Signal (EWS), Loan Management System (LMS) and Credit Rating Modules are in place in line with Enhanced Access & Service Excellence (EASE) requirements, under the PSB reforms agenda.
- Pricing of loan to Corporate Borrowers is linked with Risk Adjusted Return on Capital (RAROC) Model which has been made available online and is being used extensively. ALM cell is also fully integrated in terms of pricing all our Liabilities and Asset products linked with RBI policy rate which is market driven.
- Bank's Loan Policy is being updated from time to time with the approval of Board of Directors.

15.2 Operational Risk Management:

- Bank has identified Best practices at Industry level in Credit & Operational Risk areas. All the Policies of our Bank have been reviewed and some policies have also been vetted by the external agencies. Risk Management culture has been percolated down to the Zonal Office and Branch Level.
- Online Real Time Operational Loss Events are being reported from field level for prompt mitigation of various Operational Risks.
- Zonal Office Level Operational Risk Management Committee has been formed to review the operational risk areas at field level and analysis of its Root Cause and its plugging thereof.

15.3 Market Risk Management:

- Bank has structured its Market Risk Policies to control and monitor their treasury functions which undertake market risk positions. Bank measures Interest Rate Risk in its trading book through Modified Duration, PV01 and VaR on a daily basis. Foreign Exchange Risk is also measured in terms of Net Overnight Open Position Limits (NOOP), VaR limit, AGL (Aggregate Gap Limit), Individual Gap Limit on daily basis. VaR and portfolio size limit are measured along with monitoring of our portfolio at transaction level, stop loss wise and dealer wise limit.
- Back-testing and Stress Testing of all the parameters associated with Market Risk have been done
- Under stress testing framework, our bank conducts comprehensive stress of its trading book portfolio as well as interest rate risk in the banking book due to mismatch

जोखिम के व्यापक तनाव की देखरेख करता है, जो आम तौर पर बाजार में ब्याज दर बदलाव के साथ बैंकों की आय / इक्विटी को प्रभावित करता है। हम जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण के अंतर्गत पारंपरिक गैप विश्लेषण, जोखिम पर आय आदि उपायों का उपयोग करते हैं।

15.4 चलनिधि जोखिम प्रबंधन :

बैंक ने एलसीआर (तरलता कवरेज अनुपात) के स्तर में चलनिधि मानकों पर बेसल-III फ्रेमवर्क को लागू किया है और हमेशा बिना भार वाली उच्च गुणवत्तायुक्त तरल संपत्ति के पर्याप्त स्तर का रखरखाव सुनिश्चित किया जाता है जिसे 30 कैलेंडर दिनों की अवधि के लिए चलनिधि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है।

15.5 क्रेडिट रेटिंग कक्ष :

- वर्तमान 7 मॉडलों के स्थान पर 14 मॉडल विकसित करके आंतरिक क्रेडिट रेटिंग (आईसीआर) मॉडल को और अधिक मजबूत बनाया गया है। इसे एक बाहरी एजेंसी द्वारा भी अनुमोदित किया गया है।
- हमारे रेटिंग मॉडल को इस तरह से अद्यतन किया गया है कि अब यह लगभग बाहरी रेटिंग एजेंसियों के बराबर है और निशान/मानक के अंतर को कम करता है। अब रेटिंग माइग्रेशन और डिफॉल्ट विश्लेषण भी किए गए हैं और आंतरिक रेटिंग के साथ तेजी से मेल खाते हैं।

साथ ही, नीति के अनुसार ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से पोर्टफोलियो आधार पर क्रेडिट ऑडिट भी किया जाता है।

15.6 कपट जोखिम प्रबंधन कक्ष :

कपट जोखिम प्रबंधन कक्ष ने संभावित कपट का समय पर पता लगाने के लिए इकाई-वार कपट जोखिम प्रबंधन समाधान (ईएफआरएमएस) को लागू करने की पहल की है जिसमें जोखिम आधारित लेनदेन निगरानी प्रणाली (आरटीएमएस) शामिल है। इस परियोजना को शीघ्र ही लागू किया जाएगा।

यह कपट जोखिम प्रबंधन समूह (एफएमजी) समय-समय पर कपट के मूल कारणों और कार्यपालकों की समिति (सीओई) द्वारा अंतर्निहित कपटी तत्वों, यदि कोई हो, के मूल्यांकन तथा आकलन के माध्यम से कपट के स्तर में खालों की पहचान, आदि विश्लेषण कर रहा है।

15.7 ईज कार्यनिष्पादन :

पीएसबी सुधार एजेंडा (बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप और आईबीए द्वारा समन्वित तथा वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निगरानीयुक्त) ईज 3.0 के अंतर्गत हमारे बैंक के स्कोर में पिछले वर्षों में सुधार हुआ है और 31-12-2020 की स्थिति में सभी पीएसबी में हमारे बैंक को 7 वॉ स्थान प्राप्त हुआ है।

31-03-2021 की स्थिति में बैंक ने आरबीआई के मानदंडों के अनुसार पीसीए से बाहर आने के लिए आवश्यक सभी मापदंडों में सुधार की दिशा में पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान कायापलट रणनीतियों की शुष्कता की है। भारत सरकार द्वारा टियर-1 पूंजी डालने के बाद हम 31-03-2021 को सभी निर्धारित सीमाओं से बाहर हैं।

15.8 अन्य पहलें :

- यूको बैंक ने पीएसबी द्वारा सामूहिक स्तर से "पीएसबी अलायंस" के रूप में प्रदान की जाने वाली डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं की भी शुरुआत की है, जैसे कि संपूर्ण भारत के प्रमुख शहरों में चेक एवं आय-कर फ्लूट प्रमाणपत्र एकत्रित करने तथा आय-कर चालान, ड्राफ्ट, खाता विवरण की में सुपुर्दगी, आदि। कोविड-19 महामारी संकट के दौरान, बैंक ने

between rate sensitive asset and liabilities on quarterly basis, which generally impact the earnings/ Equity of the banks with the change in the interest rate in the market. We use Traditional Gap analysis, Earning at Risk kind of tools under Risk Management approach.

15.4 Liquidity Risk Management:

Bank has implemented the BASEL III framework on Liquidity Standards as LCR (Liquidity Coverage Ratio) and always ensures maintenance of adequate level of unencumbered High Quality Liquid Asset which can be converted into Cash to meet liquidity needs for a 30 calendar days' time.

15.5 Credit Rating Cell:

- Internal Credit Rating (ICR) Models have been made more robust by developing 14 Models in place of existing 7 Models. The same has also been approved by an External Agency.
- Our Rating Models are recalibrated in such a way that it is now almost at par with External Rating Agencies and minimises the notch differences. Now the rating migration and default analysis also undertaken and are matching exponentially with the Internal Rating.

Also credit audit on portfolio basis is conducted through online system as per the policy.

15.6 Fraud Risk Management Cell:

Fraud Risk Management Cell has taken initiatives to implement Enterprise wise Fraud Risk Management Solution (EFRMS) comprising of Risk Based Transaction Monitoring System (RTMS) for timely detection of potential fraud. The project will be implemented very shortly.

This Fraud Risk Management Group (FMG) is periodically analysing the root causes of fraud and identification of accounts as fraud by the Committee of Executives (COE) is done through evaluation and assessment of inherent fraud elements, if any.

15.7 EASE Performance:

The score of our bank under EASE 3.0 of PSB reform agenda (Co-ordinated by Boston Consultancy Group and IBA, also monitored by DFS, MoF, GoI) has improved over last years and our banks position is 7th among all PSBs as on 31-12-2020.

Bank has initiated various turn around strategies during the entire financial year towards improvement across all the parameters required for coming out of PCA as per RBI norms as on 31-03-2021. As on 31/03/2021 we are out of all the identified thresholds after infusion of Tier - I Capital by the Govt. Of India.

15.8 Other Initiatives:

- UCO Bank also unveiled Doorstep Banking Services offered collectively by PSB as "PSB Alliance" for service such as pick -up of cheques and income-tax exemption certificates and delivery of Income tax challans, drafts and account statements in major cities across India. During Covid-19

बिना समय गंवाए आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत भारत सरकार के सभी दिशानिर्देशों का पालन किया तथा एमएसएमई एवं गैर-एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइंस का विस्तार किया।

- बैंक ने निम्नलिखित के लिए जोखिम उठाने की क्षमता आकलन किया है :
 - (i) उद्योग-वार एक्सपोजर और इसकी उच्चतर सीमा
 - (ii) राज्य सरकार-वार एक्सपोजर सीमा (राज्य सरकार की गारंटी सहित अथवा गारंटी रहित)
 - (iii) बैंक-वार एक्सपोजर सीमा
 - (iv) देश-वार एक्सपोजर सीमा
- बैंक ने सभी खुदरा और एमएसएमई ऋणों के लिए बाहरी बेंचमार्क उधार दर (ईबीएलआर) में अंतरण कर लिया है, जो नीति ब्याज दर में बदलाव के लाभ को स्वचालित रूप से पारित करता है।
- बैंक ने बजट व्यवसाय योजना और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन नीति (आईसीएएपी) दस्तावेज में जोखिम उठाने की क्षमता को प्राप्त कर लिया है। कार्यानिष्ठादन के आधार पर बैंक के जोखिम मानदंडों के मूल्यांकन हेतु उद्यम-वार जोखिम प्रबंधन मूल्यांकन और आकलन नीति तैयार की गयी है।

16. सूचना प्राद्योगिकी, बीपीआर एवं बीटी विभाग

16.1 ए.टी.एम/ डेबिट कार्ड:

ग्राहकों की सुविधा हेतु निम्नलिखित पहल की गई हैं।

- रुपये सेलेक्ट कार्ड की शुरुआत
- विभिन्न शाखाओं में नए 800 पासबुक प्रिंटिंग कियोस्क लगाए गए।
- परिचालनगत क्षता को बढ़ाने के लिए 400 नए ए.टी.एम. लगाए गए।
- आज की तारीख तक 95 नए कैश रीसाइक्लर्स लगाए।
- एसएसओसीटी मैसस्र विबो से मैसर्स यालामनचिली को अंतरण किया गया।
- आरबीआई द्वारा निर्धारित किए गए ए.टी.एम नियंत्रण मानदंडों को सभी ए.टी.एम. में लागू किया गया।
- आर.एम.ए., भूटान में रुपये कार्ड को स्वीकृति।
- अन्य बैंकों के ए.टी.एम. उपयोगकर्ताओं को एस.एम.एस. की सुविधा।
- लेनदेन की सीमा एवं डेबिट कार्ड चैनल का सक्रियण व असक्रियण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक कार्ड का नियंत्रण।
- उपहार कार्ड का प्रारंभ।
- प्री पेड एपीआई कार्ड इंटीग्रेशन।
- यूको माई मोमेंट कार्ड (इमेज कार्ड) का प्रारंभ।
- भागीदारी खातों में डेबिट कार्ड जारी किया जाना।
- भारत ई-कार्मस पेमेंट गेटवे प्रथम चरण की विशेषताओं को लागू किया गया।
- प्वाइंट ऑफ सेल के माध्यम से रुपये कार्ड का सिंगापुर में स्वीकार्यता।

pandemic crisis, Bank implemented all the directives of Govt of India under Aatma Nirbhar Bharat, without loss of time and Emergency Credit Lines were also extended to MSME and Non MSME borrowers.

- Bank has assessed Risk appetite for
 - (i) Industry wise exposure and its ceiling
 - (ii) The State Government wise exposure ceiling (With/ Without State Govt. Guarantee)
 - (iii) Bank wise Exposure Ceiling
 - (iv) Country wise Exposure Ceiling
- Bank has shifted to External Benchmark Lending Rate (EBLR) for all Retail & MSME Loans which automatically passes on the benefit of Policy Interest Rate changes.
- Bank captured Risk Appetite Capacity in Internal Capital Adequacy Assessment Policy (ICAAP) Document duly approved by the Board considering the Budgeted Business Plan and Objective into account. Assessment and Evaluation Policy for Enterprise wise Risk Management has been framed to evaluate the risk parameters of the Bank on performance basis.

16. INFORMATION TECHNOLOGY, BPR & BT DEPARTMENT

16.1 ATMs/Debit Cards :

Following initiatives are taken for customer convenience:

- Launching of Rupay Select Card .
- 800 new Passbook Printing Kiosks have been installed at various branches.
- 400 new ATMs have been installed to increase operational efficiency.
- 95 New Cash Recyclers have been installed till date.
- SSOCT Migration from M/s Wibmo to M/s Yalamanchili.
- RBI ATM Control Measures implemented in all ATMs.
- Rupay card acceptance at RMA, Bhutan.
- SMS to customers who are using other bank ATMs.
- RBI card controls for enabling / disabling of debit card channel and transaction limit.
- Introduction of Gift Card.
- Prepaid card API integration.
- Introduction of UCO My Moment Card(Image Card)
- Debit card issuance in Partnership account.
- Bharat E-Commerce Payment Gateway phase-1 feature implemented.
- Acceptance of Rupay Card in Singapore through POS Channel.

16.2 एम - बैंकिंग :

मोबाइल बैंकिंग में निम्न विशेषताएं लागू की गई हैं:

नवीन एम-बैंकिंग ऐप को निम्नलिखित अतिरिक्त सुविधाओं के साथ लाया गया है:

- चैटबोट की शुरुआत
- पीपीएफ खाता खोलने में स्थायी अनुदेश की सुविधा
- एम-बैंकिंग में फीड बैक/ सेवा हेतु अनुरोध की सुविधा
- एम-बैंकिंग में शाखा में परिवर्तन/ संपर्क के पते में परिवर्तन की सुविधा
- एम-बैंकिंग में तृतीय पक्ष के पीपीएफ में निधि अंतरित किया जाना।
- एम-बैंकिंग में पीपीएफ हेतु स्थायी अनुदेश
- एम-पासबुक में वीडियो जीवन प्रमाण पत्र
- यूपीआई जीएसटी एवं मैं व्यापारी विशेषता
- एम-बैंकिंग प्लस में नामिति शामिल किया जाना
- एम-बैंकिंग प्लस में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस शुरू करना
- एम-बैंकिंग प्लस के लाभार्थी प्रबंधन में पीपीएफ लाभार्थी को जोड़ना
- एम-बैंकिंग प्लस में ऐड ऑन कार्ड हेतु आवेदन
- एम-बैंकिंग प्लस में यूपीआई सीमा निर्धारित करना
- एम-बैंकिंग प्लस में आल इन वन क्यू आर सुविधा
- एम-बैंकिंग प्लस में आईएमपीएस में सीमा का निर्धारण
- एम-बैंकिंग प्लस में पाजिटिव पे
- कोर बैंकिंग शाखाओं में आईएमपीएस

16.3 ई बैंकिंग:

बैंकिंग और ग्राहक सुविधा ईज के संदर्भ में की गई पहल के अंतर्गत विगत वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित को प्रारंभ किया गया :

- ई-बैंकिंग के माध्यम से पीपीएफ खाता खोलना
- ई-बैंकिंग के माध्यम से एनपीसीआई ई-अधिदेश
- ई-बैंकिंग के माध्यम से पीपीएफ में स्थायी अनुदेश
- यूको पे + वालेट में बीबीपीएस की शुरुआत
- स्मार्ट पे मॉड्यूल में 2 मर्चेन्ट का एकीकरण
 - आम्रपाली क्रेता योजना के अंतर्गत रु. 450 करोड़ एकत्रित
 - एसएमएस - में रु. 100 करोड़ की निधि एकत्रित,

16.2 M-banking :

Features implemented in Mobile Banking:

New Mobile Banking App mBanking plus launched with following additional services:

- Implementation of Chatbot.
- SI in PPF Account Opening
- Seek Feedback/Service Request in M-Banking.
- Change Branch/ change communication address in M-Banking.
- Third Party PPF fund transfer in M-Banking.
- PPF standing instruction in M-Banking.
- Video Life Certificate in M-Passbook.
- UPI GST & I am Merchant feature.
- Add Nominee in M-banking Plus.
- Apply for SBI Life Insurance in M-banking Plus.
- Allow to add PPF beneficiary in Beneficiary Management in M-banking Plus.
- Add on card apply in M-banking Plus.
- UPI Limit Setup in M-banking Plus.
- All in One QR facility in M-banking Plus.
- IMPS limit setup in M-banking Plus.
- Positive Pay in M-banking Plus.
- IMPS @ Branch in CBS.

16.3 E-Banking :

As part of EASE of Banking and Customer Convenience initiatives following features have been implemented during last financial year:

- PPF Account opening through e-Banking
- NPCI e-Mandate through e-Banking.
- Implementation of standing instruction for PPF through e-Banking.
- BBPS implementation in UCOPAY+ wallet
- Integration of 2 merchants in Smart pay module.
 - Amrapalli Buyer's project- Funds collected Rs. 450 Crores
 - SAMS- Funds collected Rs. 100 crores.

16.4 ग्राहकों की सुविधा हेतु अन्य सुविधाओं का प्रारंभ

- ग्रीन चैनल बैंकिंग का शुभारंभ
- बैंक के डीमैट ग्राहकों को ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ब्रोकिंग पार्टनर के साथ ऑन लाइन शेयर ट्रेडिंग के मंच की शुरुआत
- एसबीआई लाईफ एवं रेलीगेयर बीमा कंपनी का बैंक की शाखाओं के माध्यम से प्रीमियम एकत्र करने के उद्देश्य से एकीकरण, यह 27 अगस्त 2020 से प्रारंभ हुआ।
- डेबिट कार्ड के ऑन लाइन आवेदन के लिए वेब माड्यूल का विकास
- ई-बैंकिंग के माध्यम से ऑन लाइन अधिदेश प्रबंधन तंत्र का विकास
- इंटरनेट बैंकिंग में पॉजिटिव पे सिस्टम का विकास एवं पॉजिटिव पे सिस्टम में जमा के उपरांत ग्राहकों को एसएमएस भेजना।

16.5 दूरभाष बैंकिंग :

बैंक ने पंजीकृत मोबाइल नम्बर से आईवीआर आधारित दूरभाष बैंकिंग सॉल्यूशन का प्रारंभ “यूको सम्पर्क” नाम से टोल फ्री नम्बर 18001030123 के माध्यम से किया है। इंटरैक्टिव आवाज़ प्रतिक्रिया प्रणाली ग्राहकों को अभिकर्ता की सहायता के बिना या न्यूनतम सहायता से विभिन्न बैंकिंग क्रियाएं करने में मदद करता है।

दूरभाष बैंकिंग के अंतर्गत निललिखित नवीन सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

- ए.टी.एम. कार्ड की स्थिति
- चेक बुक प्रेषण की स्थिति
- चेकबुक हेतु आवेदन
- चेक का भुगतान रोकना
- फरवरी 2021 से अभिकर्ता कॉल और ब्लास्टर संदेश द्वारा एसएमएस0, एसएमएस1, एसएमएस 2 हेतु अनुवर्ती कार्रवाई का प्रारंभ

हिंदी, अंग्रेजी और अन्य 10 क्षेत्रीय भाषाओं में सेवाएं उपलब्ध है और इस तक कभी भी, कहीं भी पहुंच संभव है।

मिस्ड कॉल नम्बर 7666399400 से लीड प्राप्त करना।

एसएमएस नम्बर 7045022400 से लीड प्राप्त करने की सुविधा बंगलोर और नई दिल्ली के अंचल कार्यालय में नवीन कॉल सेंटर का प्रारंभ

16.6 ऋण प्रबंधन प्रणाली :

ऋणों की त्वरित एवं आसान प्रक्रिया हेतु बैंक ने नई ऋण प्रबंधन प्रणाली तैयार की है, जिससे कि यह ग्राहकों तथा स्टाफ सदस्यों के लिए सुविधाजनक हो सके। ऋणों की प्रक्रिया बिना किसी विलम्ब तथा न्यूनतम त्रुटियों के

16.4 Other important facility implemented for Customer Convenience

- Introduction of green Channel Banking.
- Implementation with Broking Partners Online share Trading platform in order to provide Online Share Trading facility to Banks DEMAT Customers
- Integration with SBI Life & Religare Insurance Company in order to collect premium through branches has been completed and made live on 27th August 2020
- Development of Web Module for online Application of Debit Card.
- Development of Online Mandate Management System through e-Banking
- Development of Positive Pay System in Internet Banking and sending SMS to customer after submission of Positive Pay System.

16.5 Phone Banking:

Bank introduced IVR based Phone Banking solution called “UCO SAMPARK” through toll free number 18001030123 (New SIP Trunk) from registered mobile number. Interactive Voice Response (IVR) systems help customers complete various banking activities with minimal to no involvement of an agent for assistance.

Following new facilities have been introduced under Phone Banking:

- ATM Card Status
- Cheque books dispatch status
- Cheque Book request
- Stop Payment of Cheques
- SMA0, SMA1, SMA2 follow up calls has been initiated through agent calls and blaster messages from Feb 2021
- Lead generation

Services are available in **Hindi, English and ten (10) other regional languages** and can be accessed anytime and anywhere.

Lead Generation through Missed Call number 7666399400

Lead Generation through SMS facility number 7045022400

Opening of new call centre facility at Bangalore and New Delhi Zonal Offices.

16.6 Loan Management System:

Bank has now incorporated new Loan Management System for quick and easy processing of loans thus making it convenient for both staff and customer to process loans without delays

साथ हो सके। मॉड्यूल पर निम्नलिखित योजनाएं उपलब्ध है-

1. स्वर्ण ऋण
2. कार ऋण
3. यूको केश ऋण
4. पेंशन ऋण
5. गृह ऋण
6. पीएम स्वानिधि
7. यूको बंधु
8. व्यापार समृद्धि
9. यूको ट्रेडर
10. केसीसी

16.7 आगामी योजनाएं

1. फिनेकल 10.x - बैंक अपने कोर बैंकिंग सोल्यूशन जो कि वर्तमान में फिनेकल 7.x है, को नवीनतम एवं अत्यधिक सक्षम वर्जन 10.x. से अपग्रेड कर रहा है। इस अपग्रेडेशन से बैंक विभिन्न तृतीय पक्ष समाधानों का अनुप्रयोग आसान एकीकरण के माध्यम से कर सकेगा।

2. ई-बैंकिंग से एफईवीए में अपग्रेडेशन - वर्तमान ई-बैंकिंग सोल्यूशन हमारे नवीनतम एवं अत्यधिक अद्यतन मोबाइल बैंकिंग प्लस की तुलना में पुराना है। अपने तकनीकी जानकार ग्राहकों को सुरक्षित एवं बहुमुखी बैंकिंग अनुभव प्रदान कराने के लिए हम अपने ई-बैंकिंग प्लेटफार्म को इफोसिस के फेबा साल्यूशन से अपग्रेड कर रहे हैं।

3. कॉर्पोरेट मोबाइल बैंकिंग - हमारे कॉर्पोरेट ग्राहकों को उत्कृष्ट बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के लिए, बैंक कॉर्पोरेट मोबाइल बैंकिंग सुविधा ला रहा है जोकि व्यस्त कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए आसान समाधान है।

17. साइबर सुरक्षा

साइबर हमलों और साइबर आतंकवाद जैसे 'शून्य दिन' हमलों, रिमोट एक्सेस खतरों और लक्षित हमलों का जवाब देने के लिए बैंक में साइबर संकट प्रबंधन योजना है। यह महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्यों को प्रभावित करने वाले साइबर खतरों को कम करने और उनसे उबरने के लिए उनकी तेजी से पहचान, सूचना के आदान-प्रदान, त्वरित प्रतिक्रिया और उपचारात्मक कार्रवाइयों को सुनिश्चित करने में भी मदद करता है।

साइबर सुरक्षा नीति बैंक की सूचना संपत्तियों को साइबर खतरों, चाहे वह आंतरिक हो या बाहरी, इच्छित अथवा संयोगवश उत्पन्न हुआ हो, से बचाने के लिए लागू है। यह बैंक के साइबर स्पेस को सुरक्षित करने के लिए रणनीतिक उद्देश्य प्रदान करता है।

व्यावसायिक आवश्यकताओं, प्रासंगिक कानूनों और विनियमों के अनुसार दिशा और सहायता प्रदान करने के लिए बैंक में सूचना सुरक्षा नीति है।

- बैंक की सूचना प्रणाली (गोपनीयता) पर संग्रहीत या संसाधित जानकारी के अनधिकृत प्रकटीकरण को रोकने के लिए;

and minimal faults. The following loan schemes have been made live in the module:

1. Gold Loan
2. Car Loan
3. UCO Cash Loan
4. Pension Loan
5. Housing Loan
6. PM SVANidhi
7. UCO Bandhu
8. Vyapar Samridhi
9. UCO Trader
10. KCC

16.7 Upcoming Projects

1. Finacle 10.x - Bank is in process of upgrading its Core Banking Solution which is Finalce 7.x at present to the latest and most established version 10.x. With this upgradation Bank will be in a position to harness various third party solutions through easy integration and well defined robust application.

2. Upgradation of eBanking to FEBA - Existing eBanking solution is obsolete in comparison to our latest and most up to date mobile banking plus application. To offer secure and versatile Banking experience to our tech savvy customers, we are upgrading our e-Banking platform to FEBA solution offered by Infosys.

3. Corporate Mobile Banking - to provide niche Banking experience to our Corporate Customers, Bank is bringing Corporate Mobile Banking facility which is going to be handy solution for busy Corporate clients.

17.CYBER SECURITY

Bank has Cyber Crisis Management Plan in place for responding to Cyber Attacks and Cyber Terrorism such as 'zero-day' attacks, remote access threats, and targeted attacks. It also helps in ensuring rapid identification, information exchange, swift response and remedial actions to mitigate and recover from cyber threats impacting critical business functions.

Cyber Security Policy is in place to protect Bank's information assets from cyber threats, whether internal or external, deliberate or accidental. It provides the strategic objectives for securing Bank's cyber space.

Bank has Information Security Policy in place to provide direction and support in accordance with business requirements, relevant laws and regulations:

- To prevent unauthorized disclosure of information stored or processed on Bank's information systems (CONFIDENTIALITY);

- आकस्मिक या अनधिकृत जानबूझकर परिवर्तन करने या जानकारी के हटाने (अखंडता) को रोकने के लिए;
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिकृत व्यक्तियों को जानकारी जब भी आवश्यक हो उपलब्ध रहे (उपलब्धता)।

स्टाफ सदस्यों की साइबर समझ का मूल्यांकन करने के लिए समय-समय पर मासिक ऑनलाइन परीक्षण, ऑनलाइन क्विज़, सर्वेक्षण आदि के माध्यम से साइबर सुरक्षा जागरूकता का मूल्यांकन किया गया।

फ़िशिंग ईमेल / एसएमएस की प्राप्ति जैसी साइबर घटनाओं का पता लगाने और उनका जवाब देने में शाखाओं और कार्यालयों की तैयारी और दक्षता का आकलन करने के लिए टेबल टॉप अभ्यास किए जाते हैं।

उभरते साइबर खतरों और उनके सर्वोत्तम अभ्यासों पर जागरूकता का प्रसार करने हेतु केंद्रित कार्यक्रमों, वेबिनार और वीडियोकांफ़रेंसिंग के समय-समय पर आयोजन के माध्यम से कर्मचारी जागरूकता सुनिश्चित की जाती है।

ग्राहक जागरूकता बढ़ाने के लिए हमारे बैंक के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज जैसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर साइबर जोखिम परिदृश्य में साइबर खतरों के संबंध में समय-समय पर सर्वोत्तम प्रथाओं को पोस्ट किया जाता है।

ग्राहकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए एमबैंकिंग प्लस एप्प के माध्यम से पुश अधिसूचना संदेश भेजे जाते हैं।

कर्मचारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए "साइबर स्मार्ट" पर एक पुस्तिका प्रकाशित की गई है। यह पुस्तिका साइबर सुरक्षा खतरों और सर्वोत्तम प्रथाओं पर विशेष जोर देती है।

बैंक के ई-लर्निंग सिस्टम में दो पाठ्यक्रम - "साइबर सुरक्षा" और "सूचना सुरक्षा" - साइबर सुरक्षा और सूचना सुरक्षा जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए शुरू किए गए हैं।

सीआईएसओ कार्यालय द्वारा जारी एडवाइजरी को यूको ऑनलाइन पोर्टल में "साइबर सुरक्षा" सुरक्षा जागरूकता कॉर्नर में अपलोड किया जाता है ताकि कर्मचारियों को उनके संदर्भ हेतु यह आसानी से उपलब्ध रहे।

तेनाली की "साइबर कथाएं" नाम से एक पाक्षिक शृंखला शुरू की गई है। इस शृंखला के माध्यम से सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ ग्राफिक उदाहरण देते हुए हाल के साइबर कदाचार के तौर-तरीकों को साझा किया गया है।

कर्मचारी/ग्राहक जागरूकता को विभिन्न अन्य स्पर्श बिंदुओं के माध्यम से भी बढ़ाया गया है, अर्थात्

- साइबर सुरक्षा मंत्र ऑफ द डे जिसमें हमारे स्टाफ सदस्यों की साइबर स्वच्छता कौशल को सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अंश सम्मिलित होते हैं।
- एचआरएमएस लॉगिन पेज पर साइबर सुरक्षा की सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रदर्शन करना ताकि कर्मचारियों के कार्यों में सुरक्षा लाई जाए।
- साइबर पत्रिका, जिसमें नवीनतम साइबर धोखाधड़ी/आईटी सुरक्षा संबंधी समीक्षाएं और उन धोखाधड़ी पर आधारित एहतियाती सुझाव शामिल होते हैं।
- शाखा/एटीएम परिसर में एडवायजरी प्रदर्शित करना।
- बैंक की आधिकारिक वेबसाइट में "साइबर सुरक्षा" जागरूकता कॉर्नर में साइबर जागरूकता संबंधी सलाह को अपलोड करना।

- To prevent the accidental or unauthorized deliberate alteration or deletion of information (INTEGRITY);
- To ensure that information is available to authorized persons whenever required (AVAILABILITY).

Assessment on cyber security awareness is carried out periodically through monthly online tests, online quizzes, surveys etc to evaluate cyber quotient of staff members.

Table Top Exercises are carried out to assess the preparedness and efficiency of Branches and Offices in detecting and responding to cyber incidents like receipt of phishing email / SMS.

Employee awareness is ensured through periodic webinars, video conferencing and programmes focussing on dissemination of awareness on emerging cyber threats and best practices thereof.

Best practices in respect of cyber threats in the cyber risk landscape are posted in Official Social Media Pages of our Bank like Facebook, Twitter and Instagram to enhance customer awareness on periodic basis.

Push notification messages are sent through Mbanking Plus app for enhancing awareness of customers.

A handbook on "Cyber Smart" has been published to spread awareness amongst employees. The book puts special emphasis on cyber security threats & best practices.

Twin courses - 'Cyber Security' and 'Information Security' - focussing on cyber security and information security awareness respectively have been introduced in E-Learning System of the Bank.

Advisories issued by CISO Office are uploaded in 'Cyber Security Awareness Corner' in UCO Online Portal to provide easy accessibility to employees for their reference.

A fortnight series namely 'Cyber Tales by Tenali' has also been started. Modus operandi of recent cyber malpractices with an illustrative graphic along with the best practices is shared through this series.

Employee / Customer awareness has also been enhanced through various other touchpoints viz.

- 'Cyber Security Mantra of the Day' comprising of awareness snippets to ensure re-skilling of cyber hygiene of our staff members.
- Showcasing of cyber security best practices in HRMS login page to bring security in the culture of the employees.
- 'Cyber Patrika', consisting of latest Cyber Fraud / IT Security related reviews and precautionary tips based on those frauds.
- Displaying of advisories in Branch / ATM premises
- Uploading of cyber awareness related advisories in 'Cyber Security Awareness Corner' in Official Website of Bank

18. ग्राहक सेवा

मानकीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली (एसपीजीआरएस)

एसपीजीआरएस जनता के लिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने हेतु उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त कुल शिकायतों में से 98.79% का निवारण किया जा चुका है।

सूचना का अधिकार, 2005

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान आरटीआई के तहत कुल 1080 आवेदन प्राप्त हुए। आरटीआई के तहत 234 अपीलें की गईं।

वीडियो अपने ग्राहक को जानें (वीकेवाईसी)

बैंक ने वीडियो केवाईसी के माध्यम से तत्काल बचत बैंक खाता खोलना प्रारंभ किया है। वीडियो केवाईसी रियल टाइम में स्वचालित एआई फेस मैच द्वारा चेहरे के मिलान का उपयोग करके ग्राहक सत्यापन और दस्तावेजों और हस्ताक्षर के सत्यापन की अनुमति देता है। मोबाइल ऐप (यूकोपे+) के माध्यम से खोले गए कुल 32,040 बचत खातों में से 4441 ग्राहकों ने केवाईसी सत्यापन के लिए वीकेवाईसी विकल्प का लाभ उठाया है।

19. एमआईएस और एडीएफ सेल

आंतरिक रिपोर्टिंग के साथ-साथ विनियामक और विभिन्न सांख्यिक निकायों आदि को रिपोर्टिंग करने के लिए बैंक में प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) संप्रभाग है।

एमआईएस-एडीएफ हमारे बैंक में उपलब्ध सभी असतत प्रणालियों अर्थात् फिनेकल (घरेलू और विदेशी), जीबीएम, एलएपीएस, डोमेस्टिक ट्रेजरी, ई-बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एम-वॉलेट आदि के साथ एकीकृत है तथा डाटा विश्लेषण, कार्यनीति आयोजना, व्यवसाय योजनाएँ बनाने तथा इसके कार्यान्वयन एवं शीर्ष प्रबंधन स्तर पर निर्णय लेने हेतु संगठन की जानकारी उपलब्ध कराने में वन स्टॉप समाधान के रूप में कार्य कर रहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक को विवरणियां/ आंकड़े यथा बीएसआर, एसआईबीसी, एनआरडीसीएसआर आदि प्रस्तुत करने हेतु बैंक ने बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के एक्सबीआरएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एमआईएस एडीएफ के तहत रिपोर्टिंग प्रणाली बनाई है। नियंत्रण, निगरानी एवं कारबार मानक की दैनिक रिपोर्टिंग हेतु व्यवसायिक संप्रभागों- ऋण, जोखिम प्रबंधन, वसूली, कोष, अंतरराष्ट्रीय एवं वित्त को आंतरिक रिपोर्ट उपलब्ध कराई जा रही है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार को दैनिक आधार पर डिजिटल चैनल कार्यानिष्पादन की रिपोर्टिंग की जा रही है।

बैंक विभिन्न केडिट ब्यूरो जैसे सिबिल, क्रिफ हाईमार्क, इक्विफैक्स को मासिक आधार पर उपभोक्ता, वाणिज्यिक खंडों की केडिट जानकारी की रिपोर्टिंग कर रहा है।

विभाग ने मानकीकृत प्रारूप के अनुसार सीधे एसएलबीसी पोर्टल पर एसएलबीसी डेटा प्राप्त करने / प्रस्तुत करने के लिए स्वचालित प्रक्रिया विकसित की है।

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) परियोजना को सफलतापूर्वक लागू किया है। इस परियोजना के तहत 117 आरबीआई रिटर्न को समयबद्ध तरीके से स्वचालित किया जाना है। सीआईएमएस का एकीकरण एंड टू एंड कनेक्टिविटी सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया, रिपोर्ट्स के पहले चरण की ऑटोमेशन प्रक्रिया प्रगति पर है।

विभाग ने डेटा वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट द्वारा डाटा विश्लेषण और बीआई मॉड्यूल के कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

18. CUSTOMER SERVICE

Standardised Public Grievance Redressal System (SPGRS)

SPGRS is available for the public to lodge complaints online. 98.79 % of the total complaints received during the financial year 2020-21 have been redressed.

Right to Information, 2005

Under RTI, a total of 1080 application were received, during FY2020-21. There were 234 appeals made under RTI.

Video Know Your Customer (VKYC)

Bank has started instant Saving Bank Account opening with Video KYC. Video KYC allows customer verification using facial matching by automated AI Face match and verification of documents and signature all in real time. Out of total 32,040 saving account opened through Mobile App (UCOPAY+), 4441 customers have availed VKYC option for KYC verification.

19. MIS & ADF CELL

Bank is having Management Information System (MIS) vertical for internal reporting as well as reporting to regulatory and various statutory bodies etc.

MIS-ADF is integrated with all the discrete systems available in our Bank, viz. Finacle (Domestic and Overseas), GBM, LAPS, Domestic Treasury, E-Banking, Mobile Banking, M-Wallet etc. and performing as a one stop solution for providing information to the organization for the purpose of data analysis, strategic planning, evolving the business plans, its implementations and TOP Management level decision making.

Bank has developed reporting system under MIS ADF for submission of RBI returns/data viz. BSR, SIBC, NRDCSR etc. without any manual intervention through XBRL platform. Internal reports made available for business verticals - Credit, Risk Management, Recovery, Treasury, International, Overseas and Finance for control, monitoring and reporting day to day business parameters.

Digital channel performance reporting to Ministry of Electronics & Technology, Govt. of India on daily basis.

Bank is reporting credit information of consumer, commercial on monthly basis to different Credit Bureau like CIBIL, CRIF Highmark, Equifax.

Department has developed automated process for SLBC data generation /submission directly to SIBC portal as per standardized format.

Bank has successfully implemented Centralised Information Management System (CIMS) project launched by RBI . Under this project 117 RBI returns to be automated in a time bound manner. Integration of CIMS end to end connectivity successfully implemented, 1st phase of reports automation process is under progress.

Department has initiated the process of implementation of data analytics and BI module by Data ware housing project.

20. कॉर्पोरेट संसूचना

बैंक ने अपनी उच्चस्तरीय पारदर्शिता और हितधारकों को सूचना में संगति एवं बैंक के वेबसाइट के माध्यम से रियल टाइम सूचना सहित समय पर स्पष्ट, सुसंगत, विश्वसनीय सूचनाओं को जारी कर पुनः सुदृढ़ कॉर्पोरेट प्रतिष्ठा बनाई है। बैंक का उद्देश्य संधारणीय, सुसंगत एवं प्रासंगिक संदेशों तथा कर्मचारियों को सूचना के बाह्य एवं आंतरिक माध्यमों के सम्यक मिश्रण से सूचित एवं राजी कराते हुए बैंक की गतिविधियों एवं विकास में शामिल करना है।

बैंक ने अपने विश्वस्तरीय वित्तीय संस्थान की छवि को बनाने एवं उसे अनुरक्षित करने हेतु विभिन्न चैनलों तथा प्रिंट मीडिया, आउटडोर मीडिया, विभिन्न कार्यक्रमों के प्रायोजन, सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से एवं हितधारकों के बीच अपेक्षित सूचना का प्रसार करने की पहल की है।

ए) प्रचार अभियान:

प्रिंट मीडिया :

प्रिंट मीडिया जनसाधारण से जुड़ने का एक प्रभावी माध्यम है। कॉर्पोरेट संसूचना विभाग ने पूरे वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान जोरदार अभियान चलाकर इसका प्रभावी उपयोग किया है। देनदारी उत्पादों तथा लेनदारी उत्पादों यथा यूको होम लोन, यूको कार लोन, यूको गोल्ड लोन, यूको एडुकेशन लोन, पीएमएमवाई, स्टैंड-अप इंडिया, केसीसी आदि का इस अवधि के दौरान अधिक प्रचार किया गया।

वैकल्पिक वितरण प्रणाली (एडीसी) के माध्यम से लेनदेन करने पर जोर देने तथा बैंकिंग को अधिक व्यक्तिगत और ग्राहक उन्मुख बनाने के लिए यूको पेअ, ई-बैंकिंग आदि का इस अवधि के दौरान प्रिंट मीडिया के माध्यम से बृहत स्तर से प्रचार-प्रसार किया गया।

प्रिंट मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय एवं स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में वित्तीय परिणाम प्रकाशित किए गए।

आउटडोर मीडिया :

बाजार में एक सुदृढ़ ब्रांड वैल्यू को स्थापित करने में आउटडोर मीडिया के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आउटडोर मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार विशेषतः होर्डिंग, कियोस्क, दीवार पर पेंटिंग, बैनर, प्रायोजन तथा बगीचों/ पार्कों के सौंदर्यीकरण आदि द्वारा किया जाता है। आयोजन, स्वास्थ्य जांच शिविर, खेलकूद के कार्यक्रम आदि के प्रायोजन से संबंधित प्रस्ताव भी समय-समय पर लिए जाते हैं।

ग्रामीण प्रचार:

अखिल भारतीय अवस्थिति एवं ग्रामीण क्षेत्र में अधिक शाखाओं के होने के कारण ग्रामीण प्रचार यूको बैंक के प्रचार अभियान का अभिन्न अंग है। देश भर में स्थित अंचल कार्यालयों के माध्यम से बैंक की निगरानी में अनेक ग्रामीण प्रचार अभियान चलाए गए। बैंक के उत्पादों एवं सेवाओं के संबंध में जागरूकता हेतु दीवार पर पेंटिंग, रिक्शे से उद्घोषणाएँ करवाई गईं एवं ऋण मेला आदि का आयोजन किया गया।

बी) 78वां स्थापना दिवस समारोह:

बैंक ने 6 जनवरी, 2021 को राष्ट्र की सेवा में गौरवपूर्ण 78 वर्ष पूरे किए। देश भर में तथा विदेशों में स्थित कार्यालयों में इस समारोह को पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर देश भर में स्थित अंचल कार्यालयों एवं शाखाओं ने विभिन्न गतिविधियों यथा पौधारोपण, रक्तदान

20. CORPORATE COMMUNICATION

Bank reinforces strong corporate reputation through its high degree of transparency and consistency in communication with stakeholders and also disseminates timely information with clarity, coherence and credibility including information through the websites of the Bank on real-time basis. Bank aims to inform, persuade and involve one and all in the activities and growth through sustained, consistent and relevant messages and using a judicious mix of both external and internal communication tools.

Bank has taken up multiple initiatives through various channels namely Print Media, Outdoor Media, sponsorship of different events, CSR activities and dissemination of requisite information to stakeholders to build and maintain the brand-image of a world class financial institution.

a) Publicity Campaigns :

Print Media:

Print Media is an effective medium to connect to masses. Corporate Communications Department has utilized it effectively by carrying out intensified and vigorous publicity campaigns throughout the FY 2020-21. Liability products and Asset products viz. UCO Home Loan, UCO Car Loan, UCO Swarn Rinn, UCO Education Loan, PMMY, Stand Up India, KCC etc. were prominently promoted during the period.

With a thrust on routing the transactions through Alternate Delivery Channels (ADC) and making banking more personalized and customer-oriented, UCO Pay+, E-Banking etc. were widely publicized through Print Media during the period.

Publication of financial results in leading national and local dailies was also executed through Print Media.

Outdoor Media:

The contribution of Outdoor Media towards establishing a strong brand value in the market cannot be underestimated. Outdoor media publicity is basically done through hoardings, kiosks, wall paintings, banners, sponsorship and beautification of gardens/parks etc. Proposals related to sponsorship of events, health check-up camps, sporting events etc. are also done from time to time.

Rural Publicity:

Rural publicity is an integral part of publicity-campaign for UCO Bank having pan-India and strong rural presence. Bank has promoted and monitored various rural publicity campaigns through zonal offices located across the country. Wall-Paintings, announcements by Rickshaw, Loan fairs etc. were carried out for promoting awareness about products and services offered by the Bank.

b) Celebration of 78th Foundation Day:

The Bank completed 78th glorious years of service to the nation on 6th January, 2021. The occasion was celebrated with much enthusiasm and vigor across the country and overseas centers. Zonal Offices and branches across the

शिविर, स्वास्थ्य जांच शिविर आदि का आयोजन किया।

सी) जन-संपर्क :

● प्रेस सम्मेलन :

सूचनाओं को जारी करना एवं महत्वपूर्ण गतिविधियों का कवरेज यथा वित्तीय परिणाम, पुरस्कार एवं सम्मान, नई शाखा का शुभारंभ करना जनसंपर्क को मजबूत करने के आधार हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कॉरपोरेट संसूचना विभाग ने तिमाही और वार्षिक परिणामों की घोषणा तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिए आभासी (वर्चुअल) प्रेस सम्मेलनों का आयोजन किया।

विभाग ने पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय परिणामों, एजीएम और ईजीएम तथा अन्य महत्वपूर्ण आयोजनों हेतु राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर के प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रेस विज्ञापित जारी की।

घ) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व :

बैंक का मानना है कि सीएसआर गतिविधियों को करने से मूर्त मूल्य निर्माण में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त सीएसआर से ग्राहकों के मस्तिष्क और समाज में एक सकारात्मक छवि का निर्माण होता है। यह मौजूदा और भावी ग्राहकों में निष्ठा एवं अपनत्व की भावना पैदा करता है।

ङ) यूको टॉवर :

बैंक "यूको टॉवर" नाम से एक आंतरिक पत्रिका भी प्रकाशित करता है जिसमें यूकोजनों को भागीदारी हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। यूको टॉवर का उद्देश्य कार्मिकों को बैंक में हो रही सभी प्रकार के आयोजनों और गतिविधियों से अवगत कराना भी है।

21. मानव संसाधन

मानव संसाधन प्रबंधन विभाग के अंतर्गत ऐसे विविध प्रकोष्ठ शामिल हैं जिसमें विभागों के अलग अलग खण्डों को देखना होता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान ऐसे सारे प्रकोष्ठ मिलकर एक सामंजस्य और काम करने का माहौल सृजित करते हैं। स्टाफ के ज्ञान एवं कौशल संवर्धन / समुन्नत करने के लिए कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

21.1. श्रमशक्ति प्रबंधन

31 मार्च 2021 को कुल स्टाफ संख्या 22012 रही जिसमें विदेश में काम करने वाले स्टाफ भी शामिल हैं। हमारे पास 12048 अधिकारी एवं 6985 लिपिक हैं जिसमें से 3242 अनुसूचित जाति, 1658 अनुसूचित जनजाति, एवं 4313 अन्य पिछड़े वर्ग से हैं। हमारे बैंक में 2979 सबस्टाफ हैं।

कुल स्टाफ में से 493 कर्मचारी अलग अलग तरीके से अक्षम श्रेणी में एवं 1455 अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित हैं। 31 मार्च 2021 को कुल कार्यदल में से 26.68% महिला कर्मचारी (5875) हैं।

21.2 आईआर परक्राम्य प्रकोष्ठ

इस अवधि के दौरान, बैंक में प्रबंधन एवं यूनियन/ एसोसिएशन के बीच औद्योगिक संबंध सौहार्द्रपूर्ण रहे। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आपसी सहयोगात्मक दृष्टिकोण एवं सम्मानजनक रवैये से समय समय पर यूनियन/ एसोसिएशन के बीच बैठकें एवं चर्चाएं हुईं।

21.3 आरक्षण प्रकोष्ठ

भारत सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार बैंक अनुसूचित जाति/ जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/अलग रूप से सक्षम लोगों एवं भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों को

country organised different activities viz. planting saplings, blood-donation camp, health check-up camp etc.

c) Public Relations:

● Press Meet :

Dissemination of information and coverage of important events and occasions viz. Financial Results, Awards & Recognition, Opening of new branch is prerequisite for strengthening the public relations. During the FY 2020-21, Corporate Communications Department organised Virtual Press Meets for declaration of quarterly and yearly financial results and other important events.

Department has also arranged for press-release of financial results, AGM & EGMs and other important events in leading national and local newspapers throughout the Financial Year.

d) Corporate Social Responsibility :

Bank believes that carrying out CSR activities help in tangible value creation. Moreover, CSR creates a positive image in the mind of customers and society at large. This creates a sense of belongingness and loyalty in existing and prospective customers.

e) UCO TOWER :

Bank is also publishing the in-house magazine "UCO Tower" where all the constituents are encouraged to participate. UCO Tower also aims to create awareness of all happenings and activities of the Bank among all employees.

21. HUMAN RESOURCE

Human Resource Management Department comprises of various Cells looking after different segments of the departments. All these cells worked in tandem during FY 2020-21 to create a harmonious and productive work environment. Training and workshop were organized for improving/enhancing the skills and knowledge of the staff.

21.1 Manpower Management:

The Total staff strength as on 31st March, 2021 stood at 22012 including employees serving overseas. We have 12048 Officers and 6985 Clerks, out of which, 3242 are SC, 1658 are ST and 4313 are OBC. There are 2979 Substaff in our Bank.

Out of total staff, 493 employees are Differentially-abled and 1455 belong to the Minority Communities. Women employees (5875) constitute 26.68% of the Total Workforce as on 31st March, 2021.

21.2 IR Negotiation Cell:

During the period, the Industrial Relations climate in the Bank remained cordial between the Management and the Unions/Associations. Meetings and discussions were held with Unions/Associations at periodic intervals through mutual co-operative attitude and respect during the financial year 2020-21.

21.3 Reservation Cell:

Bank has been implementing reservation, relaxation and other concessions extended to SC/ST/OBC / Differently Abled

आरक्षण के अनुसार छूट एवं अन्य रियायतों को कार्यान्वित करता रहा है। भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु आंतरिक पदोन्नति प्रक्रिया के दौरान अधिकारियों के लिए अंतर वेतनमान पदोन्नति हेतु बैंक ने 1549 ऐसे प्रत्याशियों को पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया है (अनुसूचित जाति - 506, अनुसूचित जनजाति - 234, अन्य पिछड़ा वर्ग - 730 एवं पीडब्ल्यूडी - 79); जिनमें से लिपिक संवर्ग से अधिकारियों हेतु 568 प्रत्याशी (अनुसूचित जाति - 164, अनुसूचित जनजाति - 114, अन्य पिछड़ा वर्ग - 281 एवं दिव्यांग पीडब्ल्यूडी - 12.

दो राज्यों अर्थात् शिमला और उड़ीसा में नोडल एजेंसी होने के चलते हमारा बैंक भर्ती पूर्व प्रशिक्षण भी प्रदान कराता है।

बैंक के अनुसूचित जाति/ जनजाति/ पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों के मुद्दों को सुलझाने हेतु अंचल कार्यालय स्तर के साथ साथ सर्वोच्च स्तर पर भी (जहां आरक्षण रोस्टर का रखरखाव होता है) ऐसे कर्मचारियों की वैल्फेयर एसोसिएशन के साथ बैठक बुलाई जाती है। संबंधित कर्मचारियों की शिकायतों को समझा जाता है और बाद में बैंक की नीति एवं दिशानिर्देशानुसार प्रकोष्ठ द्वारा निवारण किया जाता है।

21.4 भर्ती प्रकोष्ठ:

वर्ष 2021-21 में, बैंक ने 343 प्रोवेशनरी अधिकारियों की भर्ती की, कुल 343 में से 127 महिलाएं। वित्तीय वर्ष 2020- 21 के दौरान 471 लिपिकों की भर्ती हुई जिनमें से 134 महिलाएं रहीं। बैंक ने वर्ष 2020-21 के लिए सीआरपी - IX आरक्षित सूची के तहत 157 प्रोवेशनरी अधिकारियों एवं 134 लिपिकों के भर्ती होने का प्रस्ताव भेजा है, और सीआरपी - X के अंतर्गत 2021- 22 के लिए 470 लिपिकों एवं 350 प्रोवेशनरी अधिकारियों के भर्ती का प्रस्ताव भेजा है।

21.5 प्रशिक्षण प्रकोष्ठ:

सर्वाधिक गतिशील उद्योगों में से एक होने के नाते, हमारे संगठन, को संबंधित क्षेत्रों में विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ अपनी श्रमशक्ति को निरंतर अद्यतन करते हुए लगातार बदलते पर्यावरण के साथ चलते रहना है। अतएव प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्पोरेट विजन, मिशन एवं सर्वोच्च प्रबंधन की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए आयोजित किए जाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में, कोलकाता स्थित केंद्रीय स्टाफ कॉलेज (सीएससी) में एवं 7 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों में आयोजित आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में 48 कार्यपालक, 2425 अधिकारी एवं 1444 लिपिक, कुल 3917 लोगों को देश भर में प्रशिक्षित किया गया। हमने भी अपने कार्यपालकों एवं अधिकारियों को देश के जाने माने प्रशिक्षण संस्थानों जैसे, आईआईएम, एनआईटी, सीएबी (भारतीय रिजर्व बैंक) कैफराल, आईआईबीएम आदि में प्रशिक्षण हेतु प्रायोजित किया जिसमें से 7791 कर्मचारियों को बाहरी प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षित किया गया जिससे उनके अंदर वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच खुद को बेहतर कार्यकुशलता हासिल हो सकी।

देश भर में फिनेकल 10.X पर अंतिम उपयोगकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम देश भर में बाहरी प्रशिक्षण संस्थान एमिटी प्रशिक्षण संस्थानों एवं टाइम्स प्रोफेशनल्स के सहयोग से बैंक के प्रशिक्षण केंद्रों पर आयोजित किया गया।

महामारी कोविड- 19 की दूसरी लहर के चलते, 2020 की पहली तिमाही के दौरान प्रशिक्षण (आंतरिक एवं बाहरी दोनों) स्थगित कर दिए गए। जुलाई 2020 से ऑनलाइन मोड के जरिए प्रशिक्षण कार्यक्रम फिर से शुरू किए गए एवं कोविड- 19 की वजह से रूकावटों के धीरे धीरे खत्म होने के साथ ही, प्रशिक्षण केंद्रों पर ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम फिर से शुरू किए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2020-21 कुछ महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे बोर्ड सदस्यों के लिए साइबर सिक्योरिटी एवं आईटी में ऑनलाइन प्रमाणपत्र कार्यक्रम, सीएक्सओ एवं वरिष्ठ प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फाइनेंसिंग, नेतृत्व विकास कार्यक्रम और पीडब्ल्यूडी कर्मचारी आदि के लिए ऑनलाइन

Persons and Ex-Servicemen employees as per reservation policy of the Government of India. During internal promotion process for the FY 2020-21, as per GOI guidelines, Bank has imparted Pre-promotion Training to 1549 candidates for inter-scale promotion of officers (SC - 506, ST - 234, OBC - 730 and PWD - 79); 568 candidates for promotion from clerical to officers (SC - 164, ST - 114, OBC - 281 and PWD - 12.

Our Bank, being the Nodal Agency in two states i.e. Shimla and Odisha, also provides pre -recruitment training.

In order to address the issues of SC / ST & OBC employees of the Bank, meetings are called at Apex level as well as at Zonal office level (Where reservation roster is maintained) with Welfare Association of such employees. The grievances of the employees are also handled and subsequently redressed by the cell, as per Bank's policy and guidelines.

21.4 Recruitment Cell:

In the year 2020-21, Bank has recruited 343 Probationary officers. Out of total 343 officers, 127 officers are females. 471 clerks have also been recruited during the financial year 2020-21. Out of total 471 clerks 134 are females. Bank also proposes to recruit 157 Probationary officers and 179 Clerks under CRP-IX reserve list for year 2020-21, and 350 Probationary officers and 470 clerks for 2021-22 under CRP-X.

21.5 Training Cell:

Our Organization, being a part of one of the most dynamic industries, has to keep up with the constantly changing environment by continuously updating its workforce with various Training Programmes in the concerned Fields. Training programmes are held aligning the corporate vision, mission and fulfilling the expectations of the Top Management.

In FY 2020-21, 48 Executives, 2425 Officers and 1444 Clerks, totaling 3917 were trained in Internal Training programmes conducted at our Central Staff College (CSC) situated at Kolkata and 7 Regional Training Centres, across India. We also continued to sponsor our Executives & Officers in reputed External Training Institutes like IIMs, NIBM, CAB (RBI), IIBF, CAFRAL, IIBM, etc. in which 7791 employees were trained in External Training programmes which helped them in acquiring a global competitive edge.

End Users Training on Finacle 10.X was conducted at Bank's Training Colleges, together with External Training Institutes of Amity and Times Professional across the country.

Due to the wake of outbreak of pandemic COVID-19, training (both internal and external) was suspended during the 1st quarter of 2020. Training was resumed through online mode from July, 2020 and with gradual easing of restrictions due to COVID-19, offline training resumed at Training Centres. In FY 2020-21 some important Training programmes like Online Certification Programme in IT & Cyber Security for Board Members, CXO and Senior Management, Online Programme in International Trade Financing, Leadership Development Programme, and Online Programme for PWD Employees etc.

कार्यक्रम आयोजित किए गए। समस्त आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ग्राहक सेवा, शाखा लाभप्रदता, डिजिटल प्रोडक्ट, नैतिक मूल्य, प्रोत्साहन आदि को शामिल किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में, कुल 235 कर्मचारियों को बैंक अनुमोदित कोर्स पूरा करने पर मानदेय/ प्रोत्साहन राशि दी गयी।

21.6 भूमिका- आधारित ई-लर्निंग कार्यक्रम की शुरुआत:

स्टाफ की कार्यकुशलता एवं ज्ञान को निरंतर अद्यतन करने को सुनिश्चित करने हेतु, सभी कर्मचारियों के लिए भूमिका- आधारित ई-लर्निंग कार्यक्रम को अनिवार्य बनाया गया। ई-लर्निंग कार्यक्रम मोबाइल एप और वेब दोनों में ही उपलब्ध है।

मौजूदा समय में ई-लर्निंग पोर्टल पर 49 कोर्स सक्रिय रूप में तैयार किए गए हैं। ई-लर्निंग पोर्टल पर कुल 19485 उपयोगकर्ता हैं (अधिकारी-12261 + लिपिक -7224)

जुलाई 2020 से ई-लर्निंग सिस्टम के माध्यम से मासिक ऑनलाइन टेस्ट किए जा रहे हैं। नियमित कोर्स के अलावा, विविध, विचित्र/ प्रतियोगिताएं भी ई-लर्निंग सिस्टम के माध्यम से आयोजित की जा रही हैं।

सीखने की संस्कृति का विकास करने एवं व्यक्तिगत एवं पेशेवर तरीके से करियर में लगातार विकास करने हेतु कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए बैंक ने सराहना करने हेतु एक पद्धति की शुरुआत की है और ई-लर्निंग कोर्स पूरा करने पर कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया है। पहले चरण में, पहले ऐसे पचास (50) उपयोगकर्ताओं ने अगस्त 2020 तक ई-लर्निंग पोर्टल पर सफलतापूर्वक सबसे अधिक कोर्स संख्या को पूरा किया हो तो उन्हें मानदेय भुगतान के लिए अभिचिन्हित किया गया है।

21.7 आंतरिक अनुपालन समिति (आईसीसी)

बैंक लैंगिक समानता एवं स्त्री शक्ति संवर्धन हेतु संकल्पित है ताकि देश के आर्थिक विकास एवं स्त्री के आगे बढ़ने से समग्र रूप में राष्ट्र लाभान्वित हो सके।

स्त्रियों के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षित माहौल के मद्देनजर हमारे बैंक ने शीर्ष स्तर पर एवं स्थानीय स्तर पर आंतरिक शिकायत समिति की गठन किया है ताकि ऐसी किसी शिकायत के होने पर, कार्यस्थल पर स्त्री के यौन उत्पीड़न के संबंध में लागू अधिनियम 2013 (निवारक, निषेध एवं निवारण) के अनुसार त्वरित निवारण किया जा सके।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में ऐसी कुल शिकायतें केवल 2 हैं।

22. लेखापरीक्षा और निरीक्षण :

क) राजस्व रिसाव

वित्त वर्ष 2020-2021 के दौरान, हमारी विभिन्न लेखा प्रणालियों जैसे समवर्ती लेखा परीक्षा, आरबीआईए और राजस्व लेखा परीक्षा के माध्यम से 25.40 करोड़ रुपये के राजस्व रिसाव का पता लगाया गया और उसकी वसूली की गई।

ख) जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए)

1) वित्त वर्ष 2020-21 के लिए लेखापरीक्षा योजना के अनुसार, कुल 2376 शाखाओं को आंतरिक लेखापरीक्षा के अंतर्गत शामिल किया जाना था। इसमें वित्त वर्ष 2019-20 की 282 स्पिलओवर शाखाएं भी शामिल हैं। कोविड -19 के कारण, वित्तीय वर्ष की शुरुआत से सितंबर, 2020 तक लेखापरीक्षा का कार्य बाधित रहा, जिसके

were conducted. Cyber Security, Customer Service, Branch Profitability, Digital Products, Ethics, Motivation etc. have been included in all Internal Training Programmes.

In FY 2020-21, total of 235 employees were paid honorarium/ incentive for passing Bank approved courses.

21.6 Launch of Role-Based E-Learning Programme:

In order to ensure continuous upgradation of knowledge and skills of staffs, mandatory role-based E-Learning programme was launched for all employees. The E-Learning programme is available through both mobile app and web.

At present, 49 courses have been made active in the e-learning portal. There are total of 19485 (Officers -12261 + Clerks - 7224) users in the e-learning portal.

Monthly Online test has been conducted through the E-Learning system since July, 2020. Apart from the regular courses, various, quiz/ competitions are also conducted through the E-Learning system.

In order to inculcate a learning culture and motivating the workforce for their career growth through continuous personal and professional development, bank has launched a system for appreciating and incentivizing employees for completing e-learning courses. In the first phase, first fifty (50) users who successfully completed highest number of courses, in e-learning portal till August, 2020, have been identified for paying honorarium.

21.7 Internal Complaints Committee (ICC):

Bank is committed to promote gender equality and women's empowerment which result in economic development and inclusive growth and benefit the nation as a whole.

In terms of creating safe workplace environment for women our Bank has constituted Internal Complaints Committees at Apex level as well as Local Level enforcing the rules as laid out in the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 for quick redressal of such complaints, if any.

In FY 2020-21, total complaints received is 2.

22. AUDIT & INSPECTION :

a) Revenue Leakages

During FY 2020-2021, revenue leakage of Rs. 25.40 Crore has been detected and recovered through our various audit system such as concurrent audit, RBIA and revenue audit.

b) Risk Based Internal Audit (RBIA)

1) As per Audit plan for FY 2020-21, total 2376 no. of branches were to be covered under internal audit which includes 282 branches which was the spillover of FY 2019-20. On account of COVID-19, the audit work was disrupted from beginning of the financial year till September, 2020 as a result of which there was a huge pendency of RBIA of Branches as

परिणामस्वरूप 30.09.2020 तक शाखाओं के आरबीआईए का बड़ा भाग लंबित रहा। तथापि, लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण विभाग द्वारा लेखापरीक्षा योजना के लगातार फालो अप और सूक्ष्म स्तरीय प्रबंधन के कारण वार्षिक लेखापरीक्षा योजना के अनुसार सभी शाखाओं में जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा की गई और अब 31.03.2021 तक कोई आरबीआईए लम्बित नहीं है।

- 2) शाखाओं की जोखिम रेटिंग का नियमित अंतराल पर विश्लेषण किया गया। शाखाओं की जोखिम रेटिंग में गिरावट (निम्न से मध्यम, मध्यम से उच्च) के मामले में, बैंक के हितों की रक्षा के लिए जोखिम रेटिंग मानकों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई शुरू की जा रही है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान जारी कुल 1979 आरबीआईए रिपोर्टों में से केवल 15 शाखाओं को उच्च जोखिम श्रेणी के अंतर्गत और शेष 1964 शाखाओं को निम्न/मध्यम जोखिम श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया।
- 3) वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, 1051 आरबीआईए रिपोर्टें बंद की गईं और 31.03.2021 तक केवल छह आरबीआईए रिपोर्टें निर्धारित समय अवधि से अधिक समय यानी रिपोर्ट जारी होने की तारीख से 120 दिन से अधिक समय से बंद करने के लिए लंबित हैं।

ग) समवर्ती लेखा परीक्षा

लेखापरीक्षा अवधि अक्टूबर'20 से सितंबर'21 के लिए कुल 959 शाखाओं/ कार्यालयों को समवर्ती लेखापरीक्षा के लिए अनुमोदित किया गया है। इनमें 909 शाखाओं (4 कार्यालयों सहित) की मासिक समवर्ती लेखापरीक्षा के लिए और 50 शाखाओं/कार्यालयों की त्रैमासिक समवर्ती लेखापरीक्षा के लिए के लिए 953 सीए फर्मों/पूर्व कर्मचारियों को लगाया गया है। 526 सीए फर्मों / पूर्व कर्मचारियों के संबंध में आबंध (इंजेजमेंट) का नवीनीकरण किया गया है और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उपर्युक्त लेखा परीक्षा अवधि के लिए 427 सीए फर्मों / पूर्व कर्मचारियों का नया आबंध किया गया है।

घ) ऑफसाइट निगरानी प्रकोष्ठ (ओसीएएस)

- 1) लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण विभाग का ओसीएएस सेल सिस्टम द्वारा उत्पन्न अलर्ट और शाखाओं द्वारा प्रस्तुत अनुपालन की दैनिक निगरानी कर रहा है। इसके अलावा, ओसीएएस सेल बैकएंड डेटा माइनिंग के माध्यम से विभिन्न सस्पेंस खातों/कार्यालय खातों में लेनदेन की निगरानी भी कर रहा है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, ओसीएएस सेल ने विभिन्न ऋण/एसबी/टीडी खातों में गलत ब्याज लगाए जाने का पता लगाया और 37.01 करोड़ रुपये वसूल कर बैंक के लाभ - हानि खातों में जमा किए गए।

23. सतर्कता विभाग

23.1 बैंक की निवारक सतर्कता पहल

वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक द्वारा निम्नलिखित निवारक सतर्कता की पहल की गई है:

- औचक निरीक्षण के लिए सतर्कता अधिकारियों ने संवेदनशील शाखाओं/ कार्यालयों का दौरा किया और रिपोर्ट सीधे विभाग को प्रस्तुत की।
- आरबीआईए/समवर्ती लेखा परीक्षा रिपोर्ट की नियमित आधार पर जांच की गई ताकि किसी अनियमितता या उसकी सम्भावना का पता लगाया जा सके।
- बैंक के सभी कर्मचारियों के लिए एक मॉक फिशिंग ड्रिल जिसमें एक फिशिंग लिंक संदेश भेजा गया था, आयोजित किया गया। इसके बाद "फिशिंग अवेयरनेस" पर एक विवज़ का आयोजन किया गया। इस विवज़ में मॉक फिशिंग हमले के शिकार कर्मचारियों को भाग लेना अनिवार्य था।

on 30.09.2020. However, due to constant follow up and micro level management of Audit plan by Audit & Inspection Department, the RBIA has been conducted in all the Branches as per the annual audit plan and there is no pendency as on 31.03.2021.

- 2) Risk Ratings of Branches have been analysed on regular intervals. In case of deterioration of Risk rating of Branches (Low to medium, medium to High), necessary action is being initiated on the basis of Risk rating parameters in order to protect the interest of the Bank. Out of total 1979 RBIA reports released during FY 2020-21, only 15 branches were rated under high risk category and remaining 1964 branches were rated under Low/Medium risk category.
- 3) During the FY 2020-21, 1051 RBIA reports were closed and as on 31.03.2021 only six RBIA reports are pending for Closure beyond the stipulated time period i.e. 120 days from the date of release of report.

c) Concurrent Audit

A total of 959 branches/offices have been approved for conduct of Concurrent Audit for the audit period Oct'20 to Sep'21 where 953 CA Firms / Ex-Staff have been engaged for conduct of monthly Concurrent Audit of 909 branches (including 4 Offices) and quarterly concurrent audit of 50 Branches/Offices. The engagement in respect of 526 CA Firms / Ex-Staff has been renewed and fresh engagement of 427 CA Firms / Ex-Staff has been made during the current financial year for the above audit period.

d) Offsite Surveillance Cell (OCAS)

- 1) OCAS cell of Audit & Inspection Department has been monitoring alerts generated by system and compliance submitted by Branches on daily basis. Apart from this, OCAS cell is also monitoring transaction in various suspense accounts/office accounts through backend data mining. During FY 2020-21, OCAS cell has detected erroneous interest application in various Loan/SB/TD accounts and recovered Rs. 37.01 Cr which was credited in P/L accounts of Bank.

23. VIGILANCE DEPARTMENT

23.1 Preventive Vigilance Initiatives taken by the Organization

Following preventive vigilance initiatives have been taken by the Bank during the year 2020-21

- Vigilance officers have visited sensitive branches/offices for surprise inspection and have submitted reports directly to the Department.
- RBIA/Concurrent Audit Reports have been examined on a regular basis to detect any irregularity or scope for the same.
- A mock phishing drill was conducted for all employees of the bank wherein a message was sent containing a phishing link. This was followed up by a quiz on 'Phishing Awareness' where the participation of those employees who had fallen prey to the mock phishing attack was mandatory.

- घोखाघड़ी और/या प्रक्रियात्मक चूकों/अनियमितताओं की दृष्टि से संवेदनशील कुछ खास क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया। उदाहरण के लिए एटीएम में नकदी लोड करने और व्यापार प्रतिनिधियों (बीसी) के कामकाज और प्रणालीगत सुधारों के लिए शाखाओं में प्रतिदर्श जांच की गई तथा उसके निष्कर्ष से संबंधित विभागों को अवगत कराया गया।
- इस विश्वास के साथ कि सतर्कता सम्बंधी चूकों को रोकने के लिए ज्ञान और सूचना साझा करना महत्वपूर्ण है, "मासिक एडवाइजरी" और एक त्रैमासिक ई-पत्रिका "यूको विजिल" शुरू की गई है जिसमें कुछ मामलों को उनके तौर-तरीकों को बताते हुए को सार्वजनिक डोमेन में लाया गया है।
- अलर्ट यूकोइट की अवधारणा के तहत एक अभियान शुरू किया गया है जहां "जरा सी चूक" के कारण होने वाले नुकसान की रोकथाम को यथोचित महत्व दिया गया। घोखाघड़ी की रोकथाम के उदाहरणों को ग्राउंड जीरो पर काम करके साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ऐसी घटनाओं को त्रैमासिक पत्रिका यूको विजिल में प्रकाशित किया जाएगा जो निवारक सतर्कता में एक महत्वपूर्ण कार्य होगा और सूचना साझा करने के सतत प्रवाह को बढ़ावा देगा।
- सतर्कता जागरूकता सप्ताह (27.10.2020 से 02.11.2020 तक) में आउटरीच के नए तरीके अपनाए गए। ये कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार आभासी प्रकृति के थे। कई अंचलों ने साइबर सुरक्षा से लेकर निवारक सतर्कता और नैतिक व्यवहार तक के विविध विषयों पर कर्मचारियों के साथ वेबिनार का आयोजन किया गया। सभी आयोजन इस वर्ष के लिए चयनित विषय "सतर्क भारत, समृद्ध भारत" के अंतर्गत हुए। मुख्य वक्ता अपने-अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। इन आयोजनों के माध्यम से सरकारी निकायों / राज्य पुलिस के वक्ताओं या सम्मानित विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर्स द्वारा दी गई अंतर्दृष्टि सम्पन्न ज्ञान का प्रसार किया गया।
- निबंध, वाद-विवाद तथा पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिताओं में स्कूली बच्चों और कॉलेजी युवाओं ने उत्साह से भाग लिया।
- Certain specific areas vulnerable to fraud and/ or procedural lapses/ irregularities were looked into for instance physical cash loading in ATMs and the working of Business Correspondents through sample checking across branches and the observations sent to the Concerned Departments for systemic improvements.
- As part of the belief that knowledge and information sharing are the major thrust areas to prevent vigilance 'failures'. 'Monthly Advisories' and a quarterly E-Magazine 'UCO Vigil' have been introduced/ launched wherein certain cases and their modus operandi are brought into the public domain.
- A sustained drive has been initiated under 'Alert UCOite' concept where loss prevention due to 'near misses' has been paid due importance. Instances of fraud prevention are encouraged to be shared by working at ground zero. The incidents will be published in the Quarterly Magazine UCO Vigil serving as a crucial exercise in preventive vigilance and encouraging a steady flow of information sharing.
- Vigilance Awareness Week (from 27.10.2019 to 02.11.2019) saw new methods of outreach adopted which were virtual in nature due to the necessity of maintaining COVID protocols. Several Zones organized webinars taking on board staff members on topics ranging from Cyber Security to Preventive Vigilance and Ethical Behaviour, all under the broad framework of the chosen theme for the year "Satark Bharat, Samriddh Bharat". Key note speakers were experts in their respective fields. Insightful inputs were disseminated from the platform by speakers from Government bodies/ State Police or professors from esteemed Universities.
- Essay competitions, debates, poster making competitions saw young school children and college going youth participate enthusiastically.

23.2 प्रणालीगत सुधार की शुरुआत:

मासिक परामर्शी सीधे उन क्षेत्रों की ओर इशारा करते हैं जहां अनियमितताएं हो रही हैं या भविष्य में हो सकती हैं। इसलिए उन क्षेत्रों में जहां प्रणालीगत सुधार किए जा सकते हैं ये परामर्श उपयोगी हैं। इनके तथा जांच/निरीक्षण के दौरान की गई अन्य टिप्पणियों के आधार पर, निम्नलिखित प्रणालीगत सुधार किए गए हैं:

- वार्षिक संपत्ति रिटर्न की आसान निगरानी के लिए आईटी आधारित व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था फाइल की गई अचल / चल संपत्ति रिटर्न में हुई किसी भी वृद्धि और/या ह्रास का तुलनात्मक अध्ययन करेगा। यह डेटा की तुलना करते समय वर्षों से चले आ रहे हैं में मैन्युअल हस्तक्षेप का निराकरण करेगा।
- सम्यक तथा आवधिक समायोजन के लिए शाखाओं में नो लियन खातों का ग्राहक की आईडी के अनुसार रखरखाव करेगा।
- आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुशासनिक मामलों के समयबद्ध निपटान को सुनिश्चित करने के लिए टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) निर्दिष्ट किया गया।
- एटीएम नकद प्रबंधन पर परामर्शी जारी की गई और संबंधित विभाग द्वारा उसके संचालन की समीक्षा की गई।
- IT based application for easy monitoring of Annual Property Returns has been introduced which will compare any 'additions' and/ or deletions' made in immovable/ movable property returns filed. This will do away with manual intervention in scrutinizing the same while comparing data over the years.
- Maintenance of No Lien Accounts at branches in according to Customer ID for proper and periodic reconciliation.
- Turn Around Time (TAT) has been specified to ensure time bound disposal of Disciplinary cases as per the Commission's guidelines.
- Advisory on ATM Cash Management and review of operations by Concerned Department.

24. राजभाषा

बैंक ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। बैंक ने राजभाषा हिंदी के प्रयोग के संबंध में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में यथानिहित निदेशों के कार्यान्वयन हेतु समुचित अनुवर्ती कार्रवाई की है तथा इसमें निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास भी किया। बैंक ने वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के राजभाषा संबंधी अनुदेशों के पालन पर भी ध्यान दिया है।

24.1 संकल्प राजभाषा 2020-21

राजभाषा के क्षेत्र में राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा दिए जानेवाले राजभाषा कीर्ति पुरस्कार, प्रधान कार्यालय के लिए सर्वोच्च पुरस्कार एवं अंचल कार्यालय के लिए राजभाषा क्षेत्रीय पुरस्कार जीतने हेतु लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संकल्प राजभाषा कार्य योजना, 2020-21 को बैंक के शीर्ष प्रबंधन की प्रेरणा एवं सक्रिय समर्थन से जारी रखा है।

प्रधान कार्यालय के साथ-साथ अंचल कार्यालयों ने संकल्प राजभाषा कार्य योजना 2020-21 में शामिल सभी मदों को सक्रिय रूप में कार्यान्वित किया। इस प्रयास के परिणाम निम्नलिखित हैं:

24. OFFICIAL LANGUAGE

The Bank took proactive steps to implement the Official Languages Policy of Govt. of India. The Bank has also taken appropriate follow up actions to implement the directives as contained in the Annual Programme with regard to the use of Official Language Hindi issued by Departments of Official Language, Ministry of Home Affairs, Govt. of India and also endeavoured to achieve various targets prescribed in it. Bank has also given preferred attention to comply with the instructions of Department of Financial Services, Ministry of Finance, Govt. of India.

24.1 Sankalp Rajbhasha- 2020-21

With the Inspiration and active support of Top Management of the Bank Sankalp Rajbhasha Action Plan-2020-21 continued its journey towards achieving the target of winning Rajbhasha Kirti Puraskar / Rajbhasha Kshetreey Puraskar awarded by Official Language Department, Govt. of India in recognition for good work in the field of Official Language.

Head Office as well as Zonal Offices actively implemented all the items enumerated in the Sankalp Rajbhasha Action Plan - 2020-21, the outcome of the endeavour are as under:

<p>1. यूको बैंक जी डी बिड़ला स्मृति व्याख्यानमाला हमारे 24 अंचल कार्यालयों ने विभिन्न प्रासंगिक विषयों पर प्रख्यात वीसी, वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों, सेवानिवृत्त कार्यपालक निदेशक (ईडी) और बैंकों के महाप्रबंधकों, प्रोफेसरों और कई प्रतिष्ठित विद्वानों द्वारा व्याख्यान आयोजित किए।</p>	<p>1. UCO Bank G D Birla Memorial Lecture Our 24 Zonal Offices organised lectures by eminent VCs, Scientists, Economists, Retd. EDs & GMs of Banks, Professors and several distinguished Scholars on various relevant topics. like</p>
<p>2. यूको मातृभाषा सम्मान राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा हिंदी/क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से उत्तीर्ण करने वाले 8 राज्यों के 19 अभ्यर्थियों को हमारे 11 अंचल कार्यालयों ने रु.5000/- एवं स्मृतिका से सम्मानित किया।</p>	<p>2. UCO Matribhasha Samman Our 11 Zonal Offices honoured 19 candidates of 8 States with Rs. 5000/- and a memento who cleared Civil Services Exam of State Public Service Commission through Hindi/ Regional Languages.</p>
<p>3. यूको राजभाषा सम्मान एमए (हिंदी) परीक्षा में अब्बल आए विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुल 58 विद्यार्थियों को प्रधान कार्यालय सहित 28 अंचल कार्यालयों ने रु.5000/- एवं स्मृतिका से सम्मानित किया।</p>	<p>3. UCO Rajbhasha Samman Head Office and 28 Zonal Offices honoured 58 students of different Universities in India with Rs. 5000/- and a memento who topped MA (Hindi) Exam.</p>
<p>4. लोकप्रिय हिंदी कार्यक्रम का प्रायोजन विद्यार्थियों के लिए आयोजित विशालतम हिंदी कार्यक्रम सात दिवसीय 26वें हिंदी मेला में प्रधान कार्यालय ने रु.1.00 लाख का सहयोग प्रदान किया। इसके अलावा, हमारे कुछ अंचल कार्यालयों ने भी इस महामारी की स्थिति में अपने केंद्रों पर विभिन्न विश्वविद्यालयों के हिंदी कार्यक्रम में रु.10000/- प्रति अंचल सहयोग दिया।</p>	<p>4. Sponsoring Popular Hindi Programme Head Office supported 26th Hindi Mela, Kolkata the largest Hindi Programme organised for seven days for Students in India with Rs. 1.00 Lakh. Besides this, our some Zonal Offices also supported Hindi Programme of various Universities at their centres with Rs. 10000/- each in this pandemic situation also.</p>

24.2 राष्ट्रीय हिंदी संगोष्ठी एवं प्रतियोगिता

बैंक ने 'कोरोना महामारी आपदा- बैंकों की भूमिका और सामाजिक, आर्थिक परिदृश्य में बदलाव विषय पर राष्ट्रीय स्तर की हिंदी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया। 6 (छः) राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी संगोष्ठियों का आयोजन किया गया जिसमें श्री संदीप आर्य, निदेशक कार्यान्वयन, राजभाषा विभाग, भारत सरकार, श्री ओपी अग्रवाल, सेवानिवृत्त सहायक महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक एवं प्रसिद्ध माइक्रोसॉफ्ट प्रमाणित व्यक्ति, श्री के पी शर्मा, सहायक निदेशक, कार्यान्वयन और श्री राजेश श्रीवास्तव, सहायक निदेशक, कार्यान्वयन, राजभाषा विभाग को कंठस्थ-स्मृति आधारित अनुवाद उपकरण सहित विभिन्न तकनीकी और सामान्य विषयों पर मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था।

24.3 हिंदी प्रशिक्षण

- हिंदी में अपना दैनिक कार्य करने के लिए प्रधान कार्यालय और अंचल कार्यालयों द्वारा संचालित 180 ऑनलाइन हिंदी कार्यशालाओं के माध्यम से लगभग 10700 अधिकारियों एवं लिपिकों को प्रशिक्षित किया गया। इसके अलावा लगभग 750 अधिकारियों एवं लिपिकों को कंप्यूटर में हिंदी यूनिकोड पर डेस्क प्रशिक्षण भी दिया गया।
- सेंट्रल स्टाफ कॉलेज, कोलकाता एवं सभी क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों ने अपने प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भारत सरकार की राजभाषा नीति के सभी पक्षों को शामिल करते हुए हिंदी प्रशिक्षण दिया।
- इसके अलावा, लगभग 75 अधिकारियों एवं लिपिकों ने भारत सरकार की प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण की।

24.4 हिंदी प्रकाशन

हमारी हिन्दी पत्रिका "अनुगूँज" सतत प्रकाशित की जा रही है जिसमें क्षेत्रीय भाषाओं के लेख भी शामिल हैं। हमारे सभी अंचल कार्यालय क्षेत्रीय भाषाओं के लेखों के साथ-साथ नियमित रूप से अपनी आंचलिक हिंदी पत्रिकाएं भी प्रकाशित कर रहे हैं। कुल मिलाकर, वे एक ही समय में बैंक की गतिविधियों एवं स्टाफ की रचनात्मकता को प्रतिबिंबित करते हैं।

2(दो) ई-पत्रिकाओं यूको दैनिकी (258 अंक) दैनिक प्रकाशन और यूको मासिकी (10 अंक) मासिक प्रकाशन के अलावा, प्रधान कार्यालय ने भारत सरकार के दिशानिर्देश के अनुसार यूको संगम (1 अंक) नामक एक त्रैमासिक ई-पत्रिका की प्रकाशन शुरू की हैं। सभी को हमारी सभी शाखाओं और कार्यालयों को भेजी जा रही हैं। सभी अंचल कार्यालय भी अपने-अपने अंचलों के लिए अपने यूको दैनिकी और यूको मासिकी को निकाल रहे हैं।

24.5 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास)

प्रधान कार्यालय, जो नराकास (बैंक), कोलकाता का संयोजक है, के अतिरिक्त हमारे अजमेर एवं भागलपुर अंचल कार्यालय तथा चंडीगढ़ अंचल के अधीन अग्रणी जिला प्रबंधक कार्यालय, रूपनगर, धर्मशाला अंचल के अधीन अग्रणी जिला प्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर एवं शिमला अंचल के अधीन अग्रणी जिला प्रबंधक कार्यालय, सोलन क्रमशः अजमेर, भागलपुर, रूपनगर, बिलासपुर एवं सोलन में नराकास के संयोजक है।

श्री अरुण राहा, एयर चीफ मार्शल (सेवानिवृत्त), भारतीय वायु सेना को अगस्त, 2020 में आयोजित संकट, नेतृत्व और सफलता पर एक वेबिनार में वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था। अगस्त, 2020 में आयोजित नराकास की 69वीं समीक्षा बैठक में स्वर्गीय उषा गांगुली को स्मृतिका और रु.25000/- के साथ विद्यासागर मातृभाषा सम्मान प्रदान किया गया।

नराकास (बैंक), कोलकाता के लिए यह गर्व की बात है कि माननीया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल, झारखंड को 15 अक्टूबर, 2020 को ऑनलाइन आयोजित 70वीं अर्धवार्षिक समीक्षा बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था।

24.2 National Hindi Seminars & Competitions

Bank organised a National Level Hindi Essay Competition on 'Corona Mahamari Aapda- Bankon ki Bhumika & Samajik, Arthik Paridrishya me Badlaw. 6 (six) National level Hindi Seminars were organized wherein Shri Sandip Arya, Dir. Implementation, Dept. of OL, Govt. Of India, Shri O P Agrawal, Retd. AGM, RBI & renowned Microsoft Certified Person, Shri K P Sharma, DD, Implementation & Shri Rajesh Srivastav, DD, Implementation, Dept.of OL were invited as Chief Speaker on various Technical & General topics including Kanthasta- Memory based Translation Tool.

24.3 Hindi Training

- Approx. 10700 Officers and Clerks were trained through 180 Online Hindi Workshops conducted by HO & ZO's to do their day to day work in Hindi. Also, approx. 750 Officers and Clerks were also imparted Desk Training on computer on Hindi Unicode.
- Central Staff College, Kolkata & all Regional Training Centres imparted Hindi Training covering all aspects of OL Policy of GOI in each training programme.
- Further, approx. 75 Officers and Clerks passed Prabodh, Praveen & Pragya Hindi Exams of Govt. of India.

24.4 Publication

Our Hindi Magazine 'Anugoonj' is continuously being published in which Regional Languages Articles are also included. All our Zonal Offices also brings out their Zonal Hindi Magazines regularly along with Regional Languages articles. Altogether, they reflect the activities of the Bank and creativities of the Staff at same time.

Apart from 2 (two) e-magazines namely, UCO Dainiki (258 issues), a daily publication and UCO Masiki(10 issues), a monthly publication, HO brought out a Quarterly e-Magazine namely UCO Sangam (1 issue) as per Govt. Of India guidelines. All are being circulated to all our branches and offices. All Zonal Offices are also bringing out their UCO Dainiki and UCO Masiki for their respective Zones.

24.5 Town Official Language Implementation Committee (TOLIC)

Head Office, being the convener of TOLIC (Bank), Kolkata, our Ajmer & Bhagalpur ZOs and our LDM, Roopnagar, LDM, Bilaspur & LDM Solan under Chandigarh, Dharmashala & Shimla Zonal Offices are convener of TOLIC at Ajmer, Bhagalpur, Roopnagar, Bilaspur and Solan respectively.

Shri Arup Raha, Air Chief Marshal (Retd), Indian Air Force was invited as the Speaker in a webinar on 'Crisis, Leadership & Success' held in August, 2020. Vidyasagar Matribhasha Samman' along with a memento & Rs. 25000/-was conferred to Late Usha Ganguly in 69th TOLIC Review Meet held in August, 2020.

It is matter of pride for TOLIC (Bank), Kolkata that Hon'ble Smt. Draupadi Murmu, Governor, Jharkhand was invited as Chief Guest in the 70th Half Yearly Review Meet held Online on 15th October, 2020.

विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर 22 जनवरी, 2021 को "वैश्विक परिदृश्य में हिंदी भाषा और संस्कृति" पर एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। डॉ. मीनाक्षी जॉली, संयुक्त सचिव (राजभाषा), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था और प्रो. विनोद कुमार मिश्र, महासचिव, विश्व हिंदी सचिवालय, मॉरीशस इस वेबिनार में विशेष अतिथि थे। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के संयुक्त उत्सव में, 8 मार्च, 2021 को "मातृभाषा और हमारे संस्कार" पर एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। हिंदी साहित्य की एक प्रसिद्ध लेखिका श्रीमती मधु कांकरिया को आमंत्रित किया गया था, जो ढाका, बांग्लादेश से शामिल हुईं।

24.6 राजभाषा निरीक्षण

वर्ष के दौरान प्रधान कार्यालय ने 31 अंचल कार्यालयों एर्णाकुलम, बंगलुरु, सिउड़ी, भागलपुर, नई दिल्ली, देहरादून, बेगूसराय, रांची, मेरठ, बालेश्वर, संबलपुर, अहमदाबाद, कानपुर, हुगली, कोयंबतूर, इंदौर, भोपाल, सूरत, पटना, वाराणसी, वर्धमान, साल्त्लेक, हरियाणा, जालंधर, नागपुर, जोधपुर, अजमेर, चंडीगढ़, शिमला, धर्मशाला एवं हैदराबाद का ऑनलाइन माध्यम से निरीक्षण किया। इसी प्रकार, अंचल कार्यालयों ने भी अपने सम्बद्ध अंचलों की कुल 2885 शाखाओं का निरीक्षण किया।

24.7 उपलब्धियां

- यूको बैंक, प्रधान कार्यालय को नराकास (बैंक), कोलकाता का संयोजक होने के नाते राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 में पूर्वी क्षेत्र के नराकासों में राजभाषा कार्यान्वयन में उत्कृष्टता हेतु क्षेत्रीय राजभाषा के द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- हमारे अंचल कार्यालय- इंदौर, पटना, वाराणसी, मुंबई, सूरत, बंगलुरु हैदराबाद, जोरहाट, संबलपुर, भोपाल अंचल के अंतर्गत जवाहरगंज शाखा और चंडीगढ़ अंचल के अंतर्गत फरीदकोट शाखा ने अपने नराकास का प्रथम पुरस्कार जीता।
- हमारे रायपुर अंचल कार्यालय और चंडीगढ़ अंचल के अंतर्गत रूपनगर शाखा ने अपने नराकास का दूसरा पुरस्कार जीता।
- हमारे जोधपुर अंचल कार्यालय, अहमदाबाद अंचल कार्यालय, एर्णाकुलम अंचल कार्यालय, नई दिल्ली अंचल के अंतर्गत नोएडा शाखा, शिमला अंचल के अंतर्गत सोलन शाखा और वाराणसी अंचल के अंतर्गत गाजीपुर शाखा ने अपने नराकास का तीसरा पुरस्कार जीता।
- हमारे जयपुर अंचल कार्यालय, नई दिल्ली अंचल कार्यालय, चंडीगढ़ अंचल कार्यालय और शिमला अंचल के अंतर्गत कुल्लू शाखा ने अपने संबंधित नराकास का सातवना पुरस्कार जीता।
- इसके अलावा, देश भर के नराकासों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के अंतर्गत प्रधान कार्यालय एवं विभिन्न अंचलों के हमारे स्टाफ सदस्यों ने 12 प्रथम, 34 द्वितीय, 27 तृतीय एवं 21 सातवना पुरस्कार जीते। इसके अतिरिक्त, हमारे स्टाफ सदस्यों ने बैंक ऑफ बड़ौदा, सिडबी, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एवं यूको बैंक द्वारा आयोजित अखिल भारतीय अंतर बैंक हिंदी निबंध प्रतियोगिताओं में 05 प्रथम, 03 द्वितीय एवं 05 सातवना पुरस्कार जीते और इस प्रकार सभी बैंकों में अपने बैंक की छवि बढ़ी।

24.8 नई पहल

- ऑटोमेशन के एक हिस्से के रूप में, सिंगल साइन ऑन प्लेटफॉर्म के माध्यम से तिमाही प्रगति रिपोर्ट को ऑनलाइन जमा किया जाता है। सभी शाखाएं और अंचल कार्यालय अब सिंगल साइन ऑन के माध्यम से अपनी तिमाही प्रगति रिपोर्ट जमा कर रहे हैं। साथ ही, प्रस्तुतीकरण

An International webinar on "Hindi Language & Culture in Global Scenario" was organised on 22nd January, 2021 on the occasion of Vishwa Hindi Divas. Dr. Meenakshi Jolly, Joint Secretary (Rajbhasha), OL Deptt. MoH, GOI was invited as Chief Guest & Prof. Vinod Kumar Mishra, General Secretary, Vishwa Hindi Secretariat Mauritius was Special Guest in this webinar. In joint celebration of International Matribhasha Divas & International Women Day, an international webinar on 'Matribhasha Aur Hamare Sanskar' was organised on 8th March, 2021. A well-known writer of Hindi Literature Smt. Madhu Kankariya was invited who joined from Dhaka, BanglaDesh.

24.6 OL Inspection

Head Office inspected 31 Zonal Offices- Ernakulam, Bengaluru, Suri, Bhagalpur, New Delhi, Dehradun, Begusarai, Ranchi, Meerut, Balasore, Sambalpur, Ahmedabad, Kanpur, Hooghly, Coimbatore, Indore, Bhopal, Surat, Patna, Varanasi, Burdwan, Salt lake, Haryana, Jalandhar, Nagpur, Jodhpur, Ajmer, Chandigarh, Shimla, Dharmashala & Hyderabad through online. Similarly, Zonal Offices in altogether inspected 2885 Branches in their respective Zones.

24.7 Achievements

- UCO Bank, Head Office being the convenor of TOLIC (Bank), Kolkata was awarded Second Prize- Kshetriya Rajbhasha Puraskar by Department of OL, Ministry of Home Affairs, Govt. of India for better implementation of Rajbhasha for the year 2019-20 amongst all TOLICs in Eastern Region.
- Our Zonal Offices- Indore, Patna, Varanasi, Mumbai, Surat, Bengaluru, Hyderabad, Jorhat, Sambalpur, Jawaharganj Branch under Bhopal and Faridkot Branch under Chandigarh Zone won First Prize of their TOLIC.
- Our Raipur ZO, and Roopnagar Branch under Chandigarh Zone won 2nd prize of their TOLIC.
- Our Jodhpur ZO, Ahmedabad ZO, Ernakulam ZO, Noida Branch under New Delhi Zone, Solan Branch under Shimla & Ghazipur Branch under Varanasi Zone won 3rd Prize of their TOLIC.
- Our Jaipur ZO, New Delhi ZO, Chandigarh ZO & Kullu Branch under Shimla Zone won Consolation Prize of their respective TOLIC.
- Apart from this, our several staff members from Head Office & different Zones won 12 First, 34 Second, 27 Third and 21 Consolation Prizes under various competitions organised by TOLICs all over Country. Further, our staff won several Prizes - five First, three Second and five Consolation Prizes in All India Inter Bank Hindi Essay Competitions organized by Bank of Baroda, SIDBI, Indian Bank, Punjab National Bank & UCO Bank thus enhancing the image of the Bank among all Banks.

24.8 New Initiative

- As a part of Automation, the submission of Quarterly Progress Report was made online through Single Sign On platform. All branches & ZOs are now submitting their QPRs through SSO. Also, the submission has been linked with

को एपीएआर के साथ जोड़ा गया है यानी समय पर जमा करने से शाखाओं और अंचल कार्यालयों के सभी अधिकारियों को उनके एपीएआर में पूर्ण अंक दिए जाएंगे।

- हिंदी ज्ञान में सुधार के लिए, उप महाप्रबंधक स्तर तक के सभी अधिकारियों को पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान ई-लर्निंग के माध्यम से एक हिंदी पाठ्यक्रम पास करना होगा। इसे भी एपीएआर से जोड़ा गया है।
- भारत के संविधान में निहित राजभाषा की भावना का सम्मान करते हुए श्री ए के गोयल, एमडी और सीईओ ने 14 सितंबर-राष्ट्रीय हिंदी दिवस पर हिंदी भाषा के माध्यम से बैंक की वेबसाइट खोलने का शुभारंभ किया। अब बैंक की वेबसाइट सबसे पहले हिंदी में खुलती है और अंग्रेजी में देखने के लिए अंग्रेजी भाषा का चयन करना होता है।

24.9 विविध

- भारतीय भाषा सौहार्दस्वरूप हिंदी पखवाड़ा/माह प्रधान कार्यालय के साथ-साथ सभी अंचल कार्यालयों में सितंबर, 2020 के महीने में उत्साह और जोश के साथ मनाया गया। माह के दौरान महाप्रबंधकों सहित सभी संवर्गों के लिए एक अखिल भारतीय ऑनलाइन राजभाषा ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रो. शंभूनाथ, निदेशक, भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता को 'यूको राजा राममोहन राय भाषासेतु सम्मान से सम्मानित किया गया।
- बैंक के राजभाषा अधिकारियों का सम्मेलन 19-20 मार्च, 2021 को सेंट्रल स्टाफ कॉलेज, कोलकाता में आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन श्री अतुल कुमार गोयल, एमडी और सीईओ ने किया। श्री अजय व्यास, कार्यपालक निदेशक ने टीम भावना, नेतृत्व और सफलता विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। श्री बी एल मीना, निदेशक-कार्यान्वयन, राजभाषा विभाग, भारत सरकार ने भी ऑनलाइन उपस्थित होकर सम्मेलन की शोभा बढ़ाया। सम्मेलन श्री नरेश कुमार, महाप्रबंधक- मानव संसाधन प्रबंधन, कार्मिक सेवा एवं राजभाषा और श्री मनोहर पाढ़ी, प्राचार्य, सेंट्रल स्टाफ कॉलेज, कोलकाता के कुशल मार्गदर्शन में आयोजित किया गया था।

25. विपणन

विपणन विभाग खुदरा संपत्ति, देनदारियों और डिजिटल बैंकिंग उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर विभिन्न पहल शुरू कर रहा है और विभिन्न अभियानों का शुभारंभ कर रहा है।

अभियान मोड इसके में, विपणन संपारिर्वक जैसे वीडियो, ऑडियो, प्रस्तुतिकरण, पेजर, तुलनात्मक चार्ट आदि के माध्यम से हमारे बैंक के ब्रांड निर्माण पर लगातार जोर दिया गया है।

विपणन के प्रति एक बहुआयामी दृष्टिकोण का पालन किया गया है जिससे कि महत्वपूर्ण लोकप्रियता और व्यवसाय का विकास हुआ है।

बैंक ने अब सभी शाखाओं में ग्राहकों को हमारे उत्पादों के प्रचार / ग्राहक जागरूकता के लिए रिलेशनशिप एकजीक्यूटिव नामित किए हैं और उन्हें व्यक्तिगत अनुभव भी प्रदान किया है।

विभिन्न पहलों, अभियानों और महत्वपूर्ण आयोजनों के कार्यानिष्ठादन का सार इस प्रकार है

- **यूको रियल्टी** : स्थापना दिवस पर, अनुमोदित बिल्डर परियोजनाओं के लिए वेबसाइट (www.ucorealty.com) और ई-पत्रिका का शुभारंभ। इस पहल का उद्देश्य बिल्डर प्रोजेक्ट स्वीकृतियों को बढ़ाकर होम लोन पोर्टफोलियो को बढ़ाना और यूको बैंक द्वारा त्वरित वित्त के साथ पूरे भारत में संपत्तियों तक आसान पहुंच प्रदान करना है।

APAR i.e. timely submission will ensure full marks to all Officers of branches & Zonal Offices in their APAR.

- To improve the Hindi knowledge, all Officers up to DGM level have to pass one Hindi course through e-learning during the entire FY. This has also been linked with APAR.
- To honour the Spirit of Rajbhasha as contained in the Constitution of India, Shri A K Goel, MD & CEO launched the opening of Bank's website through Hindi language on 14th September- National Hindi Diwas. Now, Bank's website opens in Hindi first and to see in English, one has to select the English language.

24.9 Miscellaneous

- Bhartiya Bhasha Sauhard Swaroop Hindi Pakhwada/Mah was celebrated by Head Office as well as all Zonal Offices with enthusiasm and zeal in the month of September, 2020. An All India Online Rajbhasha Gyan Competitions for all cadres including GMs were organised during the month. Chief Guest Prof. Shambhunath, Director, Bhartiya Bhasha Parishad, Kolkata was honoured with 'UCO Raja Ramamohan Roy Bhasha Setu Samman' on this occasion.
- Official Language Officer's Conference of the Bank was held on 19-20 March, 2021 at Central Staff College, Kolkata. The Conference was inaugurated by Shri Atul Kumar Goel, MD & CEO. Shri Ajay Vyas, Executive Director expressed his view on the topic of 'Team Spirit, Leadership & Success'. Shri B L Meena, Director-Implementation, Dept. of OL, Govt. Of India also graced the conference online. The Conference was held under the able guidance of Shri Naresh Kumar, General Manager- HRM, PSD & OL and Shri Manohar Padhi, Principal, CSC, Kolkata.

25. Marketing

Marketing Department has been introducing various initiatives and launching various campaigns and from time to time to Promote Retail Asset, Liabilities and Digital Banking Products.

Apart from that in Campaign mode, there has been consistent emphasis on Brand building of our Bank through Marketing Collaterals e.g. Video, Audio, Presentation, One pager, Comparative Chart etc.

A Multidimensional approach towards the Marketing has been followed leading to significant popularity and business development.

Bank has now designated Relationship executives at all branches for promotion/customer awareness of our products to customers and also provide personalized experience to them.

The Gist of Performance of various initiatives, campaigns and Important Event are as follows:

- **UCO Realty**: On foundation day, Launch of website (www.ucorealty.com) and e-magazine for approved builder projects. The initiative aims to increase the home loan portfolio by increasing builder project approvals and to provide easy access to properties across India with quick finance by UCO Bank.

- **लीड जनरेशन मनेजमेंट प्रणाली** : विभिन्न चैनलों (कॉल, एसएमएस, वेबसाइट, कर्मचारी परामर्श, आदि) से उत्पन्न लीड की प्रगति का पता लगाने और निगरानी करने के लिए एक सिस्टम स्थापित किया गया है।
- खुदरा गृह ऋण पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए **'होम फेस्ट'** शुरू किया गया है। लगभग 3 महीनों में कुल 7691 (राशि 1553 करोड़ रुपए) गृह ऋण स्वीकृत किए गए हैं।
- कार ऋण बढ़ाने के लिए **'कार फेस्ट'** शुरू किया गया है। लगभग 3 महीनों में कुल 5977 (राशि 411 करोड़ रुपए) कार ऋण स्वीकृत किए गए हैं।
- **स्वर्ण ऋण धमाका** अभियान 4 महीने की अवधि में 1123 करोड़ रुपए के गोल्ड लोन पोर्टफोलियो में वृद्धि के साथ सफल रहा है।
- **यूको बैंक एसबीआई को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड**: सफल स्टाफ चरण के बाद, अब यूको एसबीआई को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जल्द ही बैंक के ग्राहकों के लिए भी उपलब्ध होगा।

26. लेन-देन बैंकिंग

इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा आबंटित डिजिटल लक्ष्य 25.19 करोड़ की तुलना में बैंक ने 30 करोड़ डिजिटल लेनदेन किया है। (MeitY द्वारा निर्धारित पैरामीटर के अनुसार)।

- बैंक ने एंड्रॉइड मोबाइल फोन पर "यूको एमगल्ला" ऐप के माध्यम से सॉफ्ट पीओएस सुविधा की शुरुआत की है। कुल 574 व्यापारी सॉफ्ट पीओएस धारक हैं।
- बैंक ने अक्टूबर 2020 में अपने आधिकारिक "लिंकडइन" पृष्ठ का शुभारंभ किया है तथा इसके कुल 7 हजार फॉलोअर्स हो गए हैं।
- बैंक ने अपनी कॉर्पोरेट वेबसाइट www.ucobank.com को उपयोगकर्ताओं के अधिक अनुकूल और इंटरैक्टिव बनाने के लिए नया रूप दिया है।
- पीओएस मशीनों में अमेजॉन पे / ईएमआई भुगतान / सोडेक्सो जैसी मूल्य वर्धित सेवाओं की शुरुआत।
- पीओएस मर्चेन्ट ऑन-बोर्डिंग के लिए डायरेक्ट सेलिंग एजेंट (डीएसए) की शुरुआत।
- वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान पीओएस में शामिल होने वाले व्यापारियों की संख्या 3875 है।
- ऑनलाइन फीस संग्रह मॉड्यूल के माध्यम से लेनदेन राशि में रु.1.66 करोड़ से रु.195 करोड़ की अच्छी छलांग।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान जारी / पुनः जारी किए गए कुल डेबिट कार्ड : 25.39 लाख।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान मोबाइल बैंकिंग में नया पंजीकरण : 14.52 लाख।
- पिछले तीन वर्षों से लगातार डिजिटल लेनदेन में MeitY द्वारा दिए गए लक्ष्य को प्राप्त किया।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सोशल मीडिया फॉलोअर्स की स्थिति में काफी वृद्धि हुई है।

- **Lead Generation Management System**: A System has been established to track and monitor the progress of leads generated from various channels (Call, SMS, Website, Employee referrals, etc.)
- **'HOME FEST'** has been launched to increase the retail home loan portfolio, a total number of 7691 (amount Rs. 1553 Cr) Home loan has been sanctioned in approximately 3 months.
- **'CAR FEST'** has been launched to increase the car loans, a total number of 5977 (amount Rs. 411 Cr) car loan has been sanctioned in approximately 3 months.
- **'Swarn Rinn Dhamaka'** campaign has been a success with Rs. 1123 Cr Gold Loan Portfolio increase in 4 months period.
- **UCO Bank SBI Co-Branded Credit Card**: After successful staff phase, now UCO SBI Co-Branded Credit Card will also be shortly available to customers of the bank.

26. Transaction Banking

Against the allotted Digital target of 25.19 Crores by Ministry of Electronic & Information Technology (MeitY), Bank has done 30 Crores Digital transactions. (As per parameter set by MeitY).

- Bank has launched Soft POS facility through "UCO MGalla" app on Android mobile phone. Total 574 merchants have been on boarded to soft POS .
- Bank has launched its official "Linkedin" page in October 2020 and total followers reached: 7 K
- Bank has revamped its corporate website www.ucobank.com to make it more user friendly & interactive.
- Introduction of Value added services like Amazon Pay/ EMI Payments/Sodexo in POS Machines.
- Introduction of Direct Selling Agent (DSA) for POS Merchant On-boarding.
- The Number of merchant onboarding to POS during FY 2020-21 is 3875.
- Good jump in Transactions Value through online fee collection module from Rs. 1.66 Crore to Rs.195 Crore.
- Total Debit Card Issued/Reissued during FY 2020-21: 25.39 Lac
- New Registration in Mobile Banking during FY 2020-21: 14.52 Lacs
- Achieved Target given by MeitY for Digital Transaction continuously for last three years.
- Social Media Followers status have increased significantly during FY 2020-21

सोशल मीडिया/Social Media	वृद्धि /Growth
फेसबुक/Facebook	11 हजार से 18 हजार/11 K to 18 K (वृद्धि/Growth of 64%)
ट्विटर/Twitter	7.6 हजार से 13.5 हजार /7.6 K to 13.5 K (वृद्धि/Growth of 78%)
यू ट्यूब/You Tube	2.3 हजार से 7 हजार/2.3 K to 7 K (वृद्धि/Growth of 204%)
इंस्टाग्राम/Instagram	0.8 हजार से 8 हजार/0.8 K to 8 K (वृद्धि/Growth of 900%)
लिंकडइन /Linkedin	0 से 7 हजार/0 to 7K

27. सामान्य प्रशासन विभाग

बैंक ने किराये खर्च की जांच एवं उस पर नियंत्रण रखने के साथ-साथ पट्टे के नवीनीकरण में होनेवाले विलंब को कम करने के लिए अखिल भारतीय आधार पर शाखाओं, एटीएम तथा अन्य प्रशासनिक भवनों के केंद्रीकृत किराया भुगतान हेतु पहल की है। केंद्रीकृत किराया भुगतान प्रणाली (सीआरपीएस) मॉड्यूल लागू हो गया है तथा जनवरी, 2020 माह से हमारी शाखाओं, एटीएम एवं प्रशासनिक भवनों से संबंधित किरायों का भुगतान प्रधान कार्यालय द्वारा केंद्रीकृत आधार पर किया जा रहा है। सीआरपीएस प्रणाली अब स्थिर और सुव्यवस्थित है, और सुचारु रूप से चल रही है।

28. अनुपालन विभाग

भारतीय रिज़र्व बैंक एवं अन्य सभी नियमकों द्वारा अधिदिष्ट कार्यों का घरेलू एवं वैश्विक स्तर पर अनुपालन करना अनुपालन विभाग की ज़िम्मेदारी है। नियमकों, भारत सरकार के प्राधिकारी, सेबी, एफ़आईयू-इंड, पीएमएलए अधिनियम के अंतर्गत रिपोर्टिंग इकाइयों को विभिन्न नियामक विवरणियों एवं प्रावधानों यथा; केवाईसी/एएमएल मामलों, एसटीआर (संदेहास्पद लेनदेन रिपोर्ट), सीटीआर (नकद लेनदेन रिपोर्ट), सीबीडब्ल्यूटीआर (सीमा पार तार अंतरण रिपोर्ट) सीएफ़टी (आतंकवाद हेतु वित्तपोषण का विरोध) आदि की रिपोर्टिंग में सतत पूर्णता पर ज़ोर दिया जा रहा है।

अनुपालन कार्यों में उल्लंघनों, यदि कोई हो, को कम करने हेतु अनुपालन एवं केवाईसी/एएमएल नीतियों की पुनरीक्षण एवं समीक्षा समय समय पर की जा रही है तथा निदेशक मंडल द्वारा इसका अनुमोदन प्राप्त किया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, सभी 3072 नियमित कारोबार शाखाओं और 42 अंचल कार्यालयों में अनुपालन परीक्षण जांच (सीटीसी) की गई। अंचल कार्यालयों सभी शाखाओं/कार्यालयों को समय पर अनुपालन कार्यों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में अवगत कराया गया। नियामक/सांविधिक प्राधिकारियों को सूचित किए जाने से पहले उपयुक्त स्तर पर गंभीर मुद्दों पर चर्चा की जा रही है, इस प्रकार यह प्रणाली की प्रभावकारिता को बढ़ाता है।

आरबीएस साइकिल 2020 के तहत निरीक्षण के अनुपालन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कॉर्पोरेट विभागों के जीएम, अनुपालन और नोडल अनुपालन अधिकारियों के साथ एसएसएम, आरबीआई और अन्य आरबीआई टीम के सदस्यों के मध्य एक बैठक आयोजित की गई थी। अनुपालन अधिकारियों द्वारा उठाई गई कई मदों का एसएसएम.आरबीआई द्वारा स्पष्टीकरण प्रदान किया गया था।

संकटमय एवं प्रभावी जोखिम प्रबंधन के भाग के रूप में अनुपालन कार्यों तथा मजबूत अनुपालन संस्कृति के विकास पर जोखिम प्रबंधन विभाग और लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण विभाग के साथ आवधिक विचार-विमर्श किया जा रहा है।

29. बैंक की भावी योजना

वर्ष 2020-21 में कोविड-19 वायरस का महासंकट देखा गया और जब देश में स्थिति में सुधार हो रहा था, भारत में कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर की उग्रता ने एक बार फिर देश को झकझोर कर रख दिया है और भारत की नाजुक आर्थिक स्थिति व बैंको में वसूली के लिए जोखिम बढ़ा रहा है। इस महामारी के दौरान बैंकों के लिए परिचालन का माहौल सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण रहेगा। यह दूसरी लहर कॉर्पोरेट साहस एवं उपभोक्ता से वसूली में निष्क्रियता, संपत्ति की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है और ऋण की मांग को कम कर सकती है।

27. GENERAL ADMINISTRATIVE DEPARTMENT

Bank has taken initiative for centralized rent payment of branches, ATMs and other administrative Buildings on pan India basis to check and balance the rental expenditure as well as minimize the pendency of renewal of lease. The Centralized Rent Payment System (CRPS) module has been implemented and made live since January 2020 onwards, and the rent payment related to branches, ATMs and other Administrative offices is being made centrally by Head Office. The CRPS system is now stabilized and streamlined, and running smoothly.

28. COMPLIANCE DEPARTMENT

Compliance Functions mandated by the Reserve Bank of India and such other regulators domestically as well as globally are the responsibility of Compliance Department. Emphasis is being laid on continuous perfection in reporting of various regulatory returns and provisions e.g. KYC/AML issues, STRs (Suspicious Transactions Report), CTRs (Cash Transaction Reports), CBWTRs (Cross Border Wire Transfer Reports, CFT (Combating of Finance for Terrorism), etc., to the Regulators, Govt. Of India Authorities, SEBI, FIU-IND, under PMLA Act 2002, as Reporting Entity (RE).

Compliance & KYC/AML Policies are being revisited / reviewed periodically and approved by the Board of Directors to mitigate breaches in Compliance Functions if any. During FY 2020-21, Compliance Test Checking (CTC) was undertaken in all the 3072 regular business Branches and forty-two Zonal Offices. All Branches/Offices have been sensitized about the need for ensuring timely Compliance functions. Critical issues are discussed at appropriate levels before being reported to the Regulatory/Statutory Authorities, thus enhancing the system efficacy.

A meeting between SSM, RBI and other RBI team members along with GM, Compliance and Nodal Compliance Officers from Corporate departments was held on 12.04.2021 to discuss issues relating to compliance of inspection under RBS Cycle 2020. Clarifications were provided by SSM.RBI on several points raised by Compliance Officers.

Periodic interactions with Risk Management Department and Audit & Inspection Department, is being done on critical control and compliance functions as a part of effective Risk Management and development of robust Compliance Culture.

29. Future Plan of the Bank

The year 2020-21 witnessed unparalleled crisis with the COVID-19 virus and when the condition in the country was improving, the ferocity of India's second wave of Covid -19 infection has shaken the nation once again and is posing increased risk for India's fragile economic recovery and banks. The operating environment for banks will most likely remain challenging against this backdrop. This second wave could dent the sluggish recovery in consumer and corporate confidence, affect asset quality and reduce loan demand.

राज्य में अपनी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले बैंकों में कार्यरत स्टाफ के लिए यह एक बहुत बड़ी परीक्षा का समय है और सभी बैंकर इस मुश्किल दौर में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। देश के कई जगहों पर लगातार लॉकडाउन की वजह से भारी आर्थिक गिरावट आई है। बैंक ने एमएसएमई और कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं को भुगतान ऋण और ब्याज दर में छूट एवं अन्य ऋण संबंधी लाभों पर मोरोटोरियम कोविड-आपातकालीन लाइन को बढ़ाने का प्रयास किया है।

यूको बैंक ने हाल ही में स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र के लिए "यूको संजीवनी", यूको आरोग्यम और यूको कवच नाम से तीन समर्पित उत्पाद लॉन्च किए हैं, जो ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के लिए रु. 2 करोड़, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए रु. 100 करोड़ एवं कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति के लिए रु. 5 लाख का ऋण प्रदान करते हैं। बैंक ने सितंबर के अंत तक सीमित अवधि के लिए अतिरिक्त 0.30% ब्याज की सुविधा देते हुए एक जमा उत्पाद भी लॉन्च किया है। बैंक ने ऑक्सीजन कंसंटेटर खरीदने के लिए सावधि ऋण और ब्याज मुक्त वेतन अग्रिम तथा कोविड-19 के कारण हुई दुर्भाग्यपूर्ण मौत के लिए स्टाफ के परिवार के सदस्यों को वित्तीय सहायता के रूप में 20 लाख रुपये के प्रतिपूर्ति देने की घोषणा की है,

एच1 '2020-21 में लगे झटके के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 20-21 की तीसरी और चौथी तिमाही में तेजी से वापसी की, जो दृढ़ता को दर्शाता है और अब भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 2021-22 में आरबीआई द्वारा 10.5% पर अनुमानित है। मैक्रो संकेतक भी नए वित्तीय वर्ष में मजबूत ऋण वृद्धि के साथ-साथ जमा वृद्धि की भविष्यवाणी करते हैं।

यूको बैंक में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के अनुमानों के अनुरूप बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं और हमें उम्मीद है कि वित्त वर्ष 21-22 के दौरान बैंक सभी व्यावसायिक मापदंडों में उल्लेखनीय वृद्धि प्रदर्शित करेगा। भारत सरकार द्वारा 2,600 करोड़ रुपये के नए इक्विटी निवेश ने तेजी से वृद्धि करने के लिए बैंक की पूंजी की स्थिति को सुविधाजनक बना दिया है। बैंक इस वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित व्यापक मानकों पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- ग्राहक अधिग्रहण के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर, उन्नत अंडरराइटिंग मानकों और रैम सेगमेंट में लीड उत्पन्न करके उच्च व्यापार विकास और बाजार हिस्सेदारी बढ़ाएं।
- बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहने और कम लागत वाली जमाराशियों को बढ़ावा देने के लिए सेवा मानकों में सुधार कर नए उत्पादों को लॉन्च करके ग्राहकों की वित्तीय बचत प्राथमिकताओं को पूर्ण करें।
- ठोस ऋण निगरानी के माध्यम से परिसंपत्ति गुणवत्ता का प्रभावी प्रबंधन करें और वसूली बढ़ाने हेतु सभी उपलब्ध उपायों को अपनाएं।
- प्रौद्योगिकी को अपग्रेड करें और ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करें और अद्यतन टेक्नोलोजी के साथ भी सहयोग करें। कंपनियां हमें डिजिटल नवोन्मेष(इनोवेशन) में सबसे आगे ले जाएंगी।
- लागत प्रबंधन और पूंजी का इष्टतम उपयोग

2020-21 में, वसूली में तेजी आएगी और एनपीए के अलावा, बैंक की दबावग्रस्त परिसंपत्तियां वर्तमान में उच्च स्तर पर हैं और बैंक के लिए चिंता का विषय है और इसे यथासमय ठीक किया जाएगा, अन्यथा वे विकास योजनाओं को विफल कर सकते हैं और हमारे हितधारकों के सामने छवि धूमिल कर सकते हैं। 2021-22 में, बैंकिंग प्रणाली ऋण परिणियोजन के

It has been a very testing time for the people working in the Banks in discharge of their duties in the essential services purview of the state and are exposed to great risks. There has been significant economic fallout due to continuous lockdown in many parts of the country. Bank has tried to extend Covid-emergency line to MSME and corporate borrowers extending moratorium on Payment loans and concession in interest rate and other loans related benefits. Banks will focus to strengthen its balance sheet which will create sustainable profit in future.

UCO bank has recently launched three dedicated products namely "UCO Sanjeevani", UCO Aarogyam and UCO Kavach for health care sector, which provide loans of up to Rs. 2 crore for setting up Oxygen Plant, up to Rs. 100 crore for creating health infrastructure and Rs. 5 lakh for individual infected with COVID-19. It has also launched a deposit product, offering an interest of additional 0.30% for a limited period till end September. The bank has announced a compensation of Rs. 20 lakhs as a financial assistance to family members of staff for the unfortunate death due to Covid-19, term loans to purchase oxygen concentrator and interest free salary advances.

Notwithstanding the setback suffered in H1' 2020-21, Indian economy bounced back rapidly in Q3 & Q4 of FY' 20-21 signifying the resilience and now India's real GDP growth is projected by RBI at 10.5% in 2021-22. Macro indicators too predict robust credit growth as well as deposit growth in the new fiscal year.

UCO bank has huge potential to grow in line with GDP growth estimates and we hope that Bank will exhibit discernible growth in all business parameters during the FY 21-22. Fresh equity infusion of Rs. 2,600 cr by Government of India has made capital position of bank comfortable to pursue growth aggressively. Bank will focus in this fiscal year on the following broad parameters:

- Drive higher business growth and increase market share by leveraging technology for customer acquisition, enhanced underwriting standards and also generate leads across RAM segments.
- Match financial savings preferences of customers' by launching new products & improving service standards to stay competitive in the market and boost low- cost deposits.
- Effectively manage asset quality through robust credit monitoring and adopt all available measures to boost recovery
- Upgrade technology and deliver quality services to customers and also collaborate with leading Tech. companies to take us to the forefront of digital innovation.
- Cost management and optimum use of capital.

In 2020-21, recovery to be step up and in addition to NPAs, Bank's stressed assets are currently at a high level and concerns for Bank and will be addressed promptly, otherwise they can destabilize the growth plans and can invite adverse observations from our stakeholders. In 2021-22, banking system will continue to play a vital role in reconstruction of economy

माध्यम से अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दबावग्रस्त आस्तियों में कमी के साथ-साथ समावेशी विकास के लिए यूको बैंक का एक केंद्रित दृष्टिकोण होगा। बैंक को आगे कई चुनौतियों का सामना करना होगा, लेकिन हमारे मजबूत बुनियादी सिद्धांतों एवं सामर्थ्य से चुनौतियों को पार कर लेंगे।

30. निदेशक मण्डल

30.1 कॉर्पोरेट अभिशासन से संबंधित रिपोर्ट

बैंक पारदर्शिता, व्यावसायिकता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण मूल्यों पर आधारित अच्छे कॉर्पोरेट अभिशासन प्रदान करने को निरंतर प्रयासरत है। अपने दैनिक व्यवहार में इन मूल्यों को निरंतर ध्यान में रखते हुए बैंक अपने हितधारकों को समृद्ध बनाने में भी प्रयासरत है। बैंक सुशासन के सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्ध है, तथापि इसके निदेशक मंडल ने बैंक के व्यवसाय के हर पहलू की निगरानी के लिए बोर्ड की विभिन्न समितियों का गठन किया है। बैंक की कार्य प्रणालियों एवं व्यावसायिक प्रक्रियाओं की नियमित रूप से पुनरीक्षा द्वारा कमियों की पहचान और उनके निवारण से, उन्हें सुदृढ़ बनाया जाता है। बैंक के निदेशकों का मानना है कि सुशासन ग्राहकों, व्यापारिक सहयोगियों, कर्मचारियों और निवेशकों के विश्वास, वफादारी और सद्भावना अर्जित करने और अंततः समाज में सम्मानजनक स्थिति हासिल करने की कुंजी है।

30.2 निदेशक मंडल में परिवर्तन

- बैंक के आरबीआई नामिती निदेशक डॉ अरविंद शर्मा के कार्यकाल की समाप्ति दिनांक 28.09.2020 को हुई।
- अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक डॉ. आशीष साहा के कार्यकाल की समाप्ति दिनांक 26.12.2020 को हुई।
- डॉ तुली रॉय को दिनांक 28.09.2020 से बोर्ड में आरबीआई नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- श्री इशराक अली खान को दिनांक 10.03.2021 से कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- श्री के राजीवन नायर, शेयरधारक निदेशक का कार्यकाल 01.12.2020 को समाप्त हुआ उन्हें दिनांक 01.02.2021 से तीन साल की अवधि के लिए पुनः शेयरधारक श्रेणी के तहत निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

30.3 निदेशक मंडल की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान निदेशक मंडल की चौदह बैठकें सम्पन्न हुईं। इस अवधि के दौरान आयोजित बोर्ड की विभिन्न समितियों की बैठकें

through credit deployment. UCO Bank will have a focused approach for an inclusive growth along with reduction in stressed assets. Bank has to face many challenges ahead but owing to our stable fundamentals and the strength we possess to overcome challenges.

30. Board of Directors

30.1 REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

Bank firmly believes in and has consistently practiced good corporate governance woven around its core values of transparency, professionalism and accountability. By constantly focusing on these aspects in its day-to-day operations, the Bank strives to enhance shareholders' value. The Bank being committed to the principles of good governance, its Board of Directors has formed various committees of the Board to monitor every aspect of Bank's business. The systems and business processes of the Bank are continuously reviewed at various levels for identifying and strengthening areas of weaknesses, if any. The Directors of the Bank believe that good governance is the key to earn trust, loyalty and goodwill of clients, business associates, employees and investors and also to have respectable position in the society at large.

30.2 Changes in the Board of Directors

- The tenure of Dr. Arvind Sharma, RBI Nominee Director of the Bank ended on 28.09.2020.
- The tenure of Dr. Asish Saha, Part-time Non-Official Director ended on 26.12.2020.
- Dr Tuli Roy appointed as RBI Nominee Director on the Board w.e.f 28.09.2020.
- Mr Ishraq Ali Khan appointed as Executive Director w.e.f 10.03.2021.
- The tenure of Shri K Rajivan Nair, Shareholder Director ended on 01.12.2020. He was again appointed as Director under Shareholder Category w.e.f 01.02.2021 for a period of three years.

30.3 Meetings of the Board of Directors

During the FY 2020-21, fourteen meetings of the Board of Directors were held. The number of meetings of

की संख्या अधोलिखित हैं :

various Committees of the Board held during the period is given below:

क्रम सं. SI.No	समिति का नाम Name of the Committee	आयोजित बैठकों की संख्या No. of meetings held
1.	निदेशक मंडल की प्रबंध समिति/Management Committee of the Board	12
2.	निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति/Audit Committee of the Board	07
3.	निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति/Risk Management Committee of Board	04
4.	निदेशक मंडल की शेयरधारक शिकायत निवारण समिति/Stake holders' Relationship Committee of the Board	02
5.	बड़ी राशि के कपट की निगरानी हेतु विशेष समिति/ Special Committee of the Board for Monitoring Large Value Frauds	07
6.	निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति/Customer Service Committee of the Board	05
7.	बैंक के मा.सं. संबंधी मामलों की समिति/Committee on HR Related Issues of the Bank	04
8.	नामांकन एवं निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति Nomination and Remuneration Committee of the Board	01
9.	निदेशक मंडल की अपील मामलों के निपटान की समिति/ Committee of the Board for Disposal of Appeal Cases against Non-Promotion	01
10.	निदेशक मंडल की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति/IT Strategy Committee of the Board	05
11.	एनपीए खातों में वसूली की निगरानी हेतु निदेशक मंडल स्तरीय समिति/ Board Level Committee for Monitoring Recovery in NPA Accounts	07
12.	निदेशक मंडल की अपील मामलों के निपटान की समिति/ Committee of the Board for Disposal of Appeal Cases	03
13.	समीक्षा समिति (इरादतन चूककर्ता) Review Committee (Wilful Defaulters)	02
14.	निदेशक मंडल की कार्यनिष्पादन मूल्यांकन समिति Performance Evaluation Committee of the Board	03
15.	निदेशक मंडल स्तरीय ऋण अनुमोदन समिति Board Level Credit Approval Committee	55

30.4 निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

निदेशक मंडल इस बात की पुष्टि करता है कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की वार्षिक लेखा विवरण के तैयार करने में यथाविधि लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है साथ ही असामान्य स्थितियों का स्पष्टीकरण भी प्रदान किया गया है भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार की गई लेखांकन नीतियों का पूर्णतया पालन किया गया है। बैंक के कार्य प्रणाली, एवं 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष में लाभार्जन, का सही और औचित्यपूर्ण स्थिति को निष्पक्ष निर्णय एवं आकलन द्वारा दर्शाया गया है। भारत में बैंकों को शासित करने वाले लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई; और खाते निरंतर आधार पर तैयार किए गए हैं। व्यवसाय के व्यवस्थित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए गए हैं।

30.4 Statement of Directors' Responsibility

The Board of Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2021, the applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any. The accounting policies framed in accordance with the guidelines of Reserve Bank of India, were consistently applied. Reasonable and prudent judgments and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit of the Bank for the year ended March 31, 2021. Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India; and the accounts have been prepared on an on-going basis. Internal financial controls have been laid down by the bank for ensuring orderly conduct of business.

30.5 आभार

बैंक का निदेशक मंडल वर्ष 2020-21 के दौरान बोर्ड में नामित श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक और डॉ तुली रॉय, निदेशक का स्वागत करता है और बैंक के विकास के लिए उनके बहुमूल्य सुझावों की अपेक्षा करता है। बोर्ड डॉ अरविंद शर्मा, निदेशक और डॉ आशीष साहा, निदेशक के बहुमूल्य योगदान का अंगीकार करता है, जिनका कार्यकाल वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान पूरा हुआ। बोर्ड डॉ. संजय कुमार, निदेशक का भी स्वागत करता है, जिन्हें बोर्ड में श्री आनंद मधुकर, निदेशक के स्थान पर 13.05.2021 में मनोनीत किया गया। बोर्ड श्री आनंद मधुकर के बहुमूल्य योगदान का अंगीकार करता है, जिनका कार्यकाल 13.05.2021 को पूरा हुआ।

बोर्ड वर्ष के दौरान हमारे ग्राहकों, विकेताओं, शेयरधारकों, व्यापारिक सहयोगियों और प्रतिनिधि बैंकों को उनके निरंतर समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता है। बोर्ड भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य नियामक प्राधिकरणों के समर्थन और मूल्यवान मार्गदर्शन के लिए आभारी है और भविष्य में उनके निरंतर समर्थन की अपेक्षा करता है।

बोर्ड कर्मचारी यूनियन /संघ द्वारा दिये गए समर्थन का आभार व्यक्त करता है। बोर्ड सभी स्तरों पर प्रत्येक कर्मचारी द्वारा समर्पित भाव से दिये गए योगदान की सराहना करता है, जिनकी कड़ी मेहनत, एकजुटता, सहयोग और समर्थन से ही चुनौतियों का सामना करने की हमारी क्षमता विकसित हुई है।

निदेशक मंडल के आदेश से

ह/-

(ए. के. गोयल)

प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 21-06-2021

30.5 Acknowledgements

The Board of Directors of the Bank welcomes Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director and Dr. Tuli Roy, Director, nominated on the Board during the year 2020-21 and look forward for their valuable inputs towards the growth of the Bank. The Board acknowledges the valuable contributions of Dr. Arvind Sharma, Director and Dr. Ashish Saha, Director whose tenure completed during the financial year 2020-21. The Board also welcomes Dr. Sanjay Kumar, Director, nominated on the Board on 13.05.2021 in place of Shri Anand Madhukar, Director. The Board acknowledges the valuable inputs and contribution of Shri Anand Madhukar whose tenure concluded on 13.05.2021.

The Board thank our customers, vendors, shareholders, business associates and correspondent banks for their continued support during the year. The Board remain thankful to the Government of India, Reserve Bank of India and other regulatory authorities for their support and valuable guidance and look forward to their continued support in the future.

The Board also thanks the staff unions/associations for the support extended by them. The Board place on record their deep appreciation of the dedication and contribution made by each employee at all levels. Our resilience to meet challenges was made possible by their hard work, solidarity, co-operation and support.

By order of the Board of Directors

sd/-

(A. K Goel)

Managing Director &
Chief Executive Officer

Place: Kolkata
Date: 21-06-2021

दिनांक 31.03.2021 को समाप्त 9 वर्ष की अवधि के महत्वपूर्ण कार्यानिष्पादन संकेतक
KEY PERFORMANCE INDICATORS FOR 9 YEARS PERIOD ENDED ON 31.03.2021

(₹ करोड़ में/ ₹ in Crore)

कारोबार मानदंड	मार्च 2021	मार्च 2020	मार्च 2019	मार्च 2018	मार्च 2017	मार्च 2016	मार्च 2015	मार्च 2014	मार्च 2013
Business Parameters	March2021	March2020	March2019	March2018	March2017	March2016	March2015	March2014	March2013
कुल जमा/Total Deposits	205919	193203	197907	181849	201285	207118	214337	199534	173431
कुल अग्रिम/Total Advances	118405	114961	119573	123990	131655	135508	151812	153163	131569
कुल कारोबार/Total Business	324324	308165	317480	305839	332940	342626	366149	352697	305000
निवेश/Investment	95835	92915	83810	72590	74768	84512	69231	67846	52515
ब्याज आय/Interest Income	14446	15134	14331	14020	16326	18561	19359	18230	16752
ब्याज व्यय/Interest Expenditure	8966	10042	10019	10895	12509	13713	13797	12171	12170
निवल ब्याज आय/Net Interest Income	5480	5092	4311	3125	3817	4848	5562	6059	4582
परिचालन लाभ/Operating Profit	5421	4836	2760	1334	2926	3603	4910	4940	3357
निवल लाभ/Net Profit	167	-2437	-4321	-4436	-1851	-2799	1138	1511	618
ऋण जमा अनुपात/Credit Deposit Ratio	57.50	59.50	60.42	68.18	65.41	65.43	70.83	76.76	75.86

दिनांक 31.03.2021 को समाप्त 9 वर्ष की अवधि की वित्तीय विशिष्टताएं
FINANCIAL HIGHLIGHTS FOR 9 YEARS PERIOD ENDED ON 31.03.2021

विवरण / Particulars	मार्च 2021	मार्च 2020	मार्च 2019	मार्च 2018	मार्च 2017	मार्च 2016	मार्च 2015	मार्च 2014	मार्च 2013
कारोबार मानदंड/Business Parameters	March2021	March2020	March2019	March2018	March2017	March2016	March2015	March2014	March2013
कुल आय के %रूप में शुद्ध ब्याज आय Net Interest Income as % to Total Income	30.16	28.28	27.21	20.64	20.70	24.05	26.04	30.99	25.88
जमा की औसत लागत (%) Average Cost of Deposits (%)	4.29	4.90	5.07	5.37	5.83	6.11	6.35	6.17	7.12
अग्रिमों से औसत आय (%) Average Yield on Advances (%)	7.81	9.20	9.52	8.69	9.60	10.17	9.92	9.91	10.63
निवल ब्याज मार्जिन (%) / Net Interest Margin (%)	2.73	2.69	2.52	1.79	1.96	2.42	2.69	3.19	2.72
पूंजी पर्याप्तता (%) बासेल- III Capital Adequacy (%) BASEL - III	13.74	11.70	10.70	10.94	10.93	9.63	12.17	12.68	
प्रति शाखा कारोबार (करोड़ ₹) Business per Branch (₹ Crore)	104.99	99.79	102.81	98.40	107.26	111.35	121.24	121.87	116.95
प्रति कर्मचारी कारोबार (करोड़ ₹) Business per Employee (₹ Crore)	14.70	13.70	13.69	12.74	13.48	13.81	15.51	15.28	13.43
सकल अनर्जक आस्ति अनुपात (%) Gross NPA Ratio (%)	9.59	16.77	25.00	24.64	17.12	15.43	6.76	4.32	5.42
निवल अनर्जक आस्ति अनुपात (%) Net NPA Ratio (%)	3.94	5.45	9.72	13.10	8.94	9.09	4.30	2.38	3.17
आस्तियों पर प्रतिफल (%) Return on Assets (%)	0.06	-0.96	-1.84	-1.88	-0.75	-1.25	0.48	0.70	0.33
प्रति शेयर बही मूल्य (₹ में) Book Value per Share (in ₹)	9.96	7.56	12.82	31.53	48.50	75.71	107.91	104.85	97.19
प्रति शेयर अर्जन (₹ में)* Earning per Share (in ₹)*	0.17	-3.10	-11.16*	-25.23*	-13.29*	-26.03	11.20*	19.44*	6.28*

* शेयरों की संख्या का भारित औसत/* Weighted average number of Share

कारोबार दायित्व रिपोर्ट
BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT

खंड क : कंपनी के संबंध में सामान्य जानकारी

SECTION A: GENERAL INFORMATION ABOUT THE COMPANY

1.	कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) Corporate Identity Number (CIN) of the Company	लागू नहीं Not applicable
2.	कंपनी का नाम/Name of the Company	यूको बैंक/UCO BANK
3.	पंजीकृत पता/ Registered address	10, वि. त्रै. म. सरणी, कोलकाता- 700 001 10, B.T.M. Sarani, Kolkata - 700 001
4.	वेबसाइट / Website	www.ucobank.com
5.	ई-मेल आईडी / E-mail id	hosgr.calcutta@ucobank.co.in
6.	रिपोर्ट का वित्तीय वर्ष / Financial Year reported	2020-21
7.	वे क्षेत्र जिनमें कंपनी सक्रिय है (कोड-वार औद्योगिक गतिविधि) Sector(s) that the Company is engaged in (industrial activity code-wise)	क्षेत्र : Sectors: 1. बैंकिंग सेवाएं / Banking Services 2. सरकारी कारोबार / Government Business 3. कृषि बैंकिंग / Agriculture Banking 4. रिटेल बैंकिंग / Retail Banking 5. कोष परिचालन / Treasury Operations 6. कारपोरेट बैंकिंग / Corporate Banking 7. मर्चेंट बैंकिंग / Merchant Banking 8. बीमा (एजेंसी व्यवसाय) / Insurance (Agency business)
8.	ऐसे तीन उत्पाद / सेवाएँ बताएँ जो कंपनी निर्मित / आपूर्ति करती है List three key products/services that the Company manufactures/provides	यूको बैंक व्यापक बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएँ देने में लगा है जिसमें रिटेल बैंकिंग, कारपोरेट बैंकिंग एवं कोष परिचालन शामिल हैं। UCO Bank is engaged in providing wide range of banking and financial services including Retail Banking, Corporate Banking and Treasury Operations.
9.	उन स्थानों की कुल संख्या जहां कंपनी का कारोबार होता है Total number of locations where business activity is undertaken by the Company i. अंतरराष्ट्रीय स्थानों की संख्या Number of International Locations ii. राष्ट्रीय स्थानों की संख्या Number of National Locations	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार यूको बैंक का देश भर में 3087 शाखाओं का नेटवर्क है तथा विदेश में हांगकांग एवं सिंगापुर केंद्रों पर दो विदेशी शाखाएँ हैं। As on 31.03.2021, UCO Bank has a net-work of 3087 branches spread across India and 2 overseas branches situated at Hong Kong and Singapore centres.
10.	कंपनी द्वारा सेवित बाजार — स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय Markets served by the Company - Local/State/National/ International	यूको बैंक का ग्राहक वर्ग देशी एवं विदेशी केंद्रों में स्थित है। UCO Bank has clients in National and International locations.

खंड ख : कंपनी का वित्तीय ब्योरा / SECTION B : FINANCIAL DETAILS OF THE COMPANY

1.	प्रदत्त पूँजी / Paid up Capital	₹9,918.34 करोड़ / crores
2.	कुल टर्नओवर (आईएनआर) / Total Turnover (INR) :	₹3,24,324 करोड़ / crores
3.	कर पश्चात कुल लाभ (आईएनआर) Total Profit after taxes (INR) :	₹167.03 करोड़ / crores
4.	कारपोरेट सामाजिक दायित्व पर किया गया कुल व्यय (सीएसआर) कर के बाद लाभ का प्रतिशत Total Spending on Corporate Social Responsibility (CSR) as percentage of profit after tax (%)	₹6.59 करोड़ / crores
5.	कार्यकलापों की सूची जिनमें उपर्युक्त 4 पर व्यय किया गया है : List of activities in which expenditure in 4 above has been incurred :	बैंक ने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत कई कार्यकलाप संचालित किए। इनमें से कुछ की सूची सिद्धांत 8 के तहत दी गई है। Bank took up several activities under Corporate Social Responsibility. Few of the activities are listed under Principle 8.

खंड ग : अन्य ब्योरे / SECTION C : OTHER DETAILS

1.	क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी/कंपनियाँ हैं ? Does the Company have any Subsidiary Company/ Companies?	नहीं / No
2.	क्या सहायक कंपनी / कंपनियाँ वर्तमान कंपनी की कारोबार दायित्व पहल में शामिल होती हैं ? यदि हाँ, तो ऐसी सहायक कंपनी (कंपनियों) की संख्या का उल्लेख करें : Do the Subsidiary Company/Companies participate in the BR Initiatives of the parent company? If yes, then indicate the number of such subsidiary company (s):	लागू नहीं / Not Applicable
3.	क्या कोई अन्य संस्था / संस्थाएँ (यथा आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि), जिसके साथ कंपनी कारोबार करती है, कंपनी के कारोबार दायित्व में शामिल होती हैं ? यदि हाँ, तो ऐसी संस्था / संस्थाओं के प्रतिशत का उल्लेख करें (30% से कम, 30-60%, 60% से अधिक) Do any other entity/entities (e.g. suppliers, distributors etc.) that the Company does business with, participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity/entities? (Less than 30%, 30-60%, More than 60%) :	नहीं / No

खंड घ : कारोबार दायित्व संबंधी सूचना

1. कारोबार दायित्व के प्रति उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों के ब्योरे।

क) कारोबार दायित्व नीति/नीतियों के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों के ब्योरे।

- नाम : श्री इशराक अली खान
- पदनाम : कार्यपालक निदेशक

ख) कारोबार दायित्व प्रमुख के ब्योरे

SECTION D : BR INFORMATION

1. Details of Director/Directors responsible for BR

a) Details of the Director/Directors responsible for implementation of the BR Policy/Policies.

- Name : Shri Ishraq Ali Khan
- Designation : Executive Director

b) Details of the BR head

क्रम सं.	विवरण	ब्योरे
1	डीआईएन (यदि लागू हो)	लागू नहीं
2	नाम	श्री एस के सांख्यान
3	पदनाम	महाप्रबंधक
4	दूरभाष संख्या	033 44558060
5	ई-मेल आईडी	hopdev.calcutta@ucobank.co.in

Sl. No.	Particulars	Details
1.	DIN (if applicable)	Not Applicable
2.	Name	Shri S. K. Sankhyan
3.	Designation	General Manager
4.	Telephone number	033 44558060
5.	E-mail id	hopdev.calcutta@ucobank.co.in

2. सिद्धांतवार कारोबार दायित्व नीति/नीतियाँ / Principle-wise BR Policy/policies

क्र.सं. Sr.No.	प्रश्न / Questions	राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देश (एनवीजी) के सिद्धांत Principles of National Voluntary Guidelines (NVG)								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	क्या उक्त सिद्धांत हेतु आपकी कोई नीति/नीतियाँ हैं ? Do you have a policy/policies for the said principle?	हाँ / Yes								
2.	क्या यह नीति संबद्ध जोखिम धारकों के परामर्श से बनाई गई है ? Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	हाँ / Yes								
3.	क्या यह नीति राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है ? Does the policy conform to any national /international standards?	बैंक की कारोबार दायित्व नीतियाँ सामान्यतः भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों पर सम्यक विचार कर बनाई जाती हैं। The Business Responsibility Policies of the Bank are formulated duly considering the guidelines issued by Government of India, Reserve Bank of India from time to time.								
4.	क्या यह नीति बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई है ? Has the policy being approved by the Board?	हाँ / Yes								
5.	क्या नीति की कार्यान्वयन की देख-रेख हेतु कंपनी में बोर्ड/निदेशक/अधिकारियों की कोई विनिर्दिष्ट समिति है ? Does the company have a specified committee of the Board/ Director/Official to oversee the implementation of the policy?	हाँ / Yes								
6.	नीति की ऑनलाइन देखी जानेवाली लिंक का उल्लेख करें ? Indicate the link for the policy to be viewed online?	https://www.ucobank.com/about-us								
7.	क्या इस नीति को सभी संबंधित आंतरिक और बाह्य हितधारकों को औपचारिक रूप से सूचित कर दिया गया है? Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	हाँ। कारोबार दायित्व सिद्धांतों से संबंधित नीतियाँ बैंक की वेबसाइट पर अपलोड की गई हैं। हितधारकों को विभिन्न सामाजिक मीडिया प्लेटफॉर्म/संचार के अन्य साधनों द्वारा इन नीतियों के संबंध में भी सूचित किया जाता है। Yes. The policies relating to the Business Responsibility principles are uploaded on the Bank's website. Stakeholders are also kept informed about these policies through various social media platforms/other means of communication.								
8.	क्या नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए कंपनी की कोई आंतरिक संरचना है? Does the company have in-house structure to implement the policy/policies	हाँ / Yes								
9.	क्या नीति/नीतियों से संबंधित हितधारक शिकायतों पर ध्यान देने के लिए कंपनी की नीति/नीतियों से संबंधित कोई शिकायत निवारण प्रणाली है? Does the Company have a grievance redressal mechanism related to the policy/policies to address stakeholders' grievances related to the policy/policies?	हाँ / Yes								
10.	क्या किसी आंतरिक या बाह्य एजेंसी द्वारा कंपनी ने इस नीति की कार्यप्रणाली की स्वतंत्र लेखापरीक्षा/आकलन करवाया है? Has the company carried out independent audit/ evaluation of the working of this policy by an internal or external agency?	कारोबार दायित्व के सिद्धांतों के तहत बैंक द्वारा किए गए कार्यकलापों को उनकी समीक्षा/आकलन के लिए बोर्ड/उच्च प्रबंधन को रिपोर्ट किया जाता है। The activities taken up by the Bank under the principles of Business Responsibility are reported to the Board/Top Management for its review/evaluation.								

3. बीआर से संबंधित अभिशासन/Governance related to BR

<p>कंपनी के बीआर निष्पादन का निर्धारण करने हेतु निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति अथवा सीईओ की बैठकों की बारंबारता बताएँ। 3-6 माह के अंदर, वार्षिक, एक वर्ष से अधिक।</p> <p>Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the Company. Within 3-6 months, Annually, More than 1 year</p> <p>क्या कंपनी बीआर या सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने का हाइपरलिंक क्या है? इसके प्रकाशन की अवधि क्या है?</p> <p>Does the Company publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently it is published?</p>	<p>वार्षिक/ Annually</p> <p>बैंक वर्ष में एक बार बीआर रिपोर्ट प्रकाशित करता है। इस रिपोर्ट को देखने का हाइपरलिंक है http://www.ucobank.com/aboutus</p> <p>Bank publishes BR report annually. The hyperlink for viewing the report is http://www.ucobank.com/aboutus</p>
--	--

खंड ड. : सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन

सिद्धांत 1 : व्यवसाय का संचालन और अभिशासन नैतिकता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के अनुरूप किया जाना चाहिए।

बैंक की कारोबार नीतियाँ पारदर्शिता और व्यवसायपरकता के मूलभूत मूल्यों के ताने बाने से बनाई गई हैं। कारपोरेट अभिशासन मानकों की विस्तृत जानकारी वार्षिक रिपोर्ट के कारपोरेट अभिशासन की रिपोर्ट भाग में देखी जा सकती है।

बैंक ने निदेशक मंडल में मौजूद अपने निदेशकों और कोर प्रबंधन के लिए आचार संहिता बनाई है जिनमें सत्यनिष्ठ एवं नैतिक आचार के उच्चतम मानकों का अनुपालन विहित किया गया है। इसमें वैयक्तिक और व्यावसायिक संबंधों के वास्तविक अथवा आभासी हितपरक टकरावों के साथ निर्वह की समुचित और नैतिक प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। बैंक के निदेशक मंडल ने यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1976 बनाए हैं जिनमें बैंक के अधिकारी कर्मचारियों के आचार की मर्यादा दी गई है।

उपर्युक्त के अलावा बैंक नैतिकता, रिश्त और भ्रष्टाचार के संबंध में मूलतः केन्द्रीय सतर्कता आयोग (लिंक :<https://cvc.gov.in/publications/vigilance-manual>) द्वारा जारी सतर्कता मैनुअल में निहित सीवीसी दिशानिर्देशों का अनुसरण करता है।

ग्राहकों की शिकायतों को कम करने के उद्देश्य से बैंक ने बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित ग्राहक शिकायत निवारण नीति बनाई है जिसके माध्यम से उचित सेवा, डिलिवरी एवं मेकैनिज्म की समीक्षा की जाती है और ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित निवारण सुनिश्चित किया जाता है। यह नीति बैंक के वेबसाइट पर उपलब्ध है।

ग्राहक सेवा में सुधार संबंधी नीति की समीक्षा और बैंक द्वारा दी जा रही ग्राहक सेवा की गुणवत्ता की समीक्षा के लिए बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति का गठन किया गया है।

बैंक के आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र को और मजबूत करने के लिए बैंक ने आंतरिक बैंकिंग लोकपाल नियुक्त किया है ताकि बैंक के आंतरिक शिकायत निवारण के सर्वोच्च तंत्र द्वारा अस्वीकृत या आंशिक रूप से स्वीकृत सभी शिकायतों की जांच की जा सके।

SECTION E : PRINCIPLE-WISE PERFORMANCE

Principle 1 : Businesses should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability

The Bank's business policies are woven around the core values of transparency and professionalism. Details of Corporate Governance standards are specified in the 'Report on Corporate Governance' section of annual report.

Bank has laid down Code of Conduct for its Directors on the Board and its Core Management that envisages adherence to the highest standards of honest and ethical conduct, including proper and ethical procedures in dealing with actual or apparent conflicts of interest between personal and professional relationships. Board of the Bank framed UCO Bank Officer Employees' (Conduct) Regulations, 1976 which envisages conduct of the officer employees of the Bank.

Besides the above, the Bank follows primarily the CVC guidelines as contained in the Vigilance Manual issued by the Central Vigilance Commission (Link: <https://cvc.gov.in/publications/vigilance-manual>) in relation to ethics, bribery and corruption.

Bank has put in place a Customer Grievance Redressal Policy, approved by the Board, with an aim to minimise instances of customer complaints and grievances through proper service, delivery and review mechanism and to ensure prompt redressal of customer complaints and grievances. The Policy is made available on Bank's website.

Customer Service Committee of the Board has been constituted for review of policies in regard to improving customer service and also to examine issues having a bearing on the quality of customer service rendered by the bank.

Further to strengthen the internal Grievance Redressal mechanism of the Bank, Internal Banking Ombudsman (IO) has been appointed by the Bank to examine all the complaints which were rejected or partially accepted by the highest level of Bank's internal redressal machinery.

सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन पर प्रतिक्रिया: Response to principle-wise performance :

<p>क्या नैतिकता, रिश्वत और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी पर लागू होती है? क्या इसका विस्तार समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्य तक भी है?</p> <p>Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the company? Does it extend to the Group/Joint Ventures/Suppliers/Contractors/NGOs/Others?</p> <p>पिछले वित्तीय वर्ष में हितधारकों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनमें से कितनी प्रतिशत शिकायतें प्रबंधन द्वारा संतोषजनक रूप से निपटा दी गईं?</p> <p>How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management?</p> <p>वर्ष के प्रारंभ में शिकायतों की संख्या No. of Complaints at the beginning of the year</p> <p>वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या No. of Complaints received during the year</p> <p>वर्ष के दौरान दूर की गई शिकायतों की संख्या No. of Complaints redressed during the year</p> <p>वर्ष के दौरान लंबित शिकायतों की संख्या No. of Complaints pending during the year</p> <p>समाधान की गई शिकायतों का प्रतिशत Percentage of complaints redressed</p>	<p>नैतिकता, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीतियाँ बैंक और उसके कर्मचारियों पर लागू होती हैं। बैंक का कोई सहयोगी निकाय या संयुक्त उद्यम नहीं है।</p> <p>The policies relating to ethics, bribery and corruption covers the Bank and its employees. Bank does not have subsidiaries or joint ventures.</p> <p>बैंक ग्राहकों की शिकायतों के निवारण को मजबूत करने के उपाय कर रहा है तथा 'मानकीकृत लोक शिकायत समाधान प्रणाली (एसपीजीआरएस) नामक ऑनलाइन ग्राहक शिकायत निवारण मॉड्यूल कार्यान्वित किया जा चुका है।</p> <p>The Bank is taking measures to strengthen Customer Complaints Redressal and had already implemented a web based on-line customer redressal module called 'Standardized Public Grievance Redressal system'(SPGRS).</p> <p>517</p> <p>18385</p> <p>18671</p> <p>231</p> <p>98.78%</p>
---	---

सिद्धांत 2: कारोबार ऐसी वस्तुएँ और सेवाएँ प्रदान करे जो निरापद हों और अपने पूरे जीवन काल में धारणीयता बनाए रखें।

बैंक के पास अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न वित्तीय उत्पाद और सेवाएँ हैं, चाहे वह कारपोरेट हो या एमएसएमई क्षेत्र, निर्यात, कृषि, बुनियादी ढांचा या व्यक्तिगत खंड। बैंक प्रौद्योगिकी का बेहतरीन उपयोग करके समाज और ग्राहकों की वरीयताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने उत्पादों और सेवाओं में नवीनता लाता है। इस दिशा में बैंक द्वारा किए गए उपायों में से कुछ निम्नानुसार हैं।

- बैंक ने ऋण आवेदनों के शुरू से अंत तक डिजिटल प्रसंस्करण हेतु ऋण हामीदारी में सुधार के लिए ऋण प्रक्रिया प्रणाली (एलपीएस) की शुरुआत की। 31 मार्च, 2021 तक, रिटेल ऋण उत्पाद यथा यूको होम, यूको कार, यूको गोल्ड, यूको कैश एवं यूको पेंशन तथा चार एमएसएमई उत्पाद यथा यूको ट्रेडर, यूको उद्योग बंधु, पीएम स्वनिधि एवं यूको व्यापार समृद्धि एलपीएस पर लाइव हुए।
- बैंकों और एनबीएफसी द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को सह-ऋण पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र दिनांक 5 नवंबर, 2020 के अनुसार प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के लिए स्वर्ण ऋण हेतु बैंक ने मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड के साथ सह-ऋण व्यवस्था में प्रवेश किया है। इस व्यवस्था के

Principle 2: Businesses should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle

Bank has variety of financial products and services for different sectors of the economy whether it is corporate or MSME sector, exports, agriculture, infrastructure or the personal segment. Bank continuously brings in innovation in its products and services for meeting the changing needs of the society and customer preferences by making best use of technology. Few of the measures taken up by the Bank in this direction are as under:

- Bank introduced Loan Processing System (LPS) to improve credit underwriting for end to end digital processing of loan applications. As on 31st March, 2021, five retail loan products namely UCO Home, UCO Car, UCO Gold, UCO Cash and UCO Pension and four MSME products namely UCO Trader, UCO Udyog Bandhu, PM SVANidhi and UCO Vyapar Samridhi made live on LPS.
- Bank has entered into Co-Lending arrangement with Muthoot Fincorp Limited for Gold Loans to priority sector in line with the Reserve Bank of India circular dated 5th November, 2020 on "Co-Lending by Banks and NBFCs to Priority Sector". Under

तहत बैंक ने 31 मार्च, 2021 तक 644 करोड़ रुपये का कारोबार किया है।

- बैंक ने एक विशेष स्वर्ण ऋण योजना 'यूको स्वर्ण ऋण धमाका' शुरू की है जिसमें सोने के मूल्य के 85% तक ऋण की अनुमति है। यह योजना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वर्ण ऋण के लिए अनुमेय ऋण से मूल्य (एलटीवी) अनुपात में वृद्धि के अनुरूप शुरू की गई है। उक्त योजना 31 मार्च, 2021 तक वैध थी और 31 मार्च, 2021 तक इस योजना के तहत बकाया राशि 1,655 करोड़ रुपये थी।
- बैंक ने गृह ऋण योजना में ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू करके एक नई विशेषता जोड़ी है। इस योजना की मुख्य विशेषताएं यह हैं कि उधारकर्ता के लिंक्ड बचत/चालू खाते में अतिरिक्त निधि को ओवरड्राफ्ट गृह ऋण खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और उधारकर्ता गृह ऋण खाते से अतिरिक्त धनराशि निकाल सकता है। यह उधारकर्ता के लिए ब्याज का बोझ कम करता है और बैंक को अपने मूल्यवान ग्राहकों को बनाए रखने में मदद करता है।
- क्षेत्र के अधिकारियों से प्राप्त प्रतिपुष्टि को ध्यान में रखते हुए बैंक ने अपने विभिन्न रिटेल ऋण उत्पादों अर्थात् यूको कैश, यूको प्रीमियर शिक्षा ऋण, यूको गोल्ड ऋण आदि के नियमों और शर्तों में सुधार किया है। रिटेल ऋण केंद्रों के परिचालन दिशानिर्देशों में भी सुधार किया गया है।
- बैंक ने ऋण प्रस्ताव के प्रारंभिक चरण में प्री-स्क्रीन संभावना को सक्षम करने के लिए 'एसएमएस आधारित ग्राहक प्रोफाइलिंग समाधान' शुरू किया है।
- भारत सरकार की गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन (जीईसीएल) योजना का कार्यान्वयन तथा 1426 करोड़ रुपये का कारोबार जुटाया।
- भारत सरकार की पीएम स्वनिधि योजना का कार्यान्वयन तथा 34,495 खातों में 34 करोड़ रुपये का कारोबार जुटाया।
- भारत सरकार की अधीनस्थ ऋण योजना (डीएएफ-एसडीएसएम) का कार्यान्वयन।
- बैंक ने रिटेल और एमएसएमई खंड में ऋण बढ़ाने के लिए निम्नलिखित अभियान शुरू किए:

this arrangement, Bank has mobilised business of Rs.644 crore till 31st March, 2021.

- Bank has introduced a special Gold Loan Scheme "UCO Swarna Rinn Dhamaka" wherein loan up to 85% of value of Gold was allowed. This scheme is introduced in line with increase in permissible Loan to Value (LTV) ratio for Gold loans by Reserve Bank India. The said scheme was valid upto 31st March, 2021 and outstanding balance under this scheme as on 31st March, 2021 was Rs.1,655 crore.
- Bank has added a new feature by introducing Overdraft Facility in Home Loan Scheme. Salient features of the Scheme are that excess fund of Borrower in linked Savings/Current account would be transferred to Overdraft Home Loan Account and Borrower can draw excess fund from Home Loan Account. This reduces interest burden for Borrower and helps Bank in retaining its valued customers.
- Keeping in view the feedbacks received from field functionaries, Bank has improvised the terms and conditions of its different retail loan product i.e. UCO Cash, UCO Premier Education loan, UCO Gold loan etc. Operational guidelines of Retail Loan Hubs has also improvised.
- Bank has introduced "SMS Based Customer Profiling Solution" to enable field to Pre-Screen prospect at an early stage of Loan Proposal.
- Implementation of Guaranteed Emergency Credit Line (GECL) scheme of Government of India and mobilised business of Rs.1426 crore.
- Implementation of PM SVANidhi Scheme of Government of India and mobilised business of Rs. 34 Crores in 34,495 accounts.
- Implementation of Subordinate Debt Scheme (DAF-SDSM) of Government of India.
- Bank launched following campaigns to augment credit to Retail & MSME segment :

(राशि करोड़ रु. में / Amount in ₹ crores)

मक्र सं SL	अभियान Campaign	अभियान अवधि Campaign Period	रिटेल कारोबार Retail Business	एमएसएमई कारोबार MSME Business	कुल Total
1	फेस्टिवल डिलाइट Festive Delight	05.10.2020 to 30.11.2020	2270	664	2934
2	न्यू ईयर बोनांजा New Year Bonanza	04.01.2021 to 17.02.2021	1489	443	1932

- कोविड-19 महामारी के बीच स्वास्थ्य सेवा समुदाय की मदद करने के लिए बैंक ने यूको डॉक्टर योजना पर मास्टर दिशानिर्देशों को संशोधित और फिर से जारी किया।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक ने TReDS प्लेटफॉर्म पर 317.55 करोड़ रुपये राशि के 5302 बिलों में छूट दी है।
- बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋणों के सह-उत्पत्ति के लिए एसआरआई के साथ सह-ऋण व्यवस्था के तहत 10 करोड़ से अधिक का कारोबार किया।
- एमएसएमई क्षेत्र को वित्तपोषण हेतु दस एसएमई हब तक ले जाने के लिए दो नए एसएमई हब का संचालन किया गया।
- 'मुद्रा-शिशु ऋण हेतु ब्याज आर्थिक सहायता योजना' लागू की गई। फरवरी, 2020 तक 2.03 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त हुई।
- सिडबी/मुद्रा से रु. 1732 करोड़ (रु.145 करोड़ 3.58% की दर से, रु. 292 करोड़ 2.43% की दर से, रु.1000 करोड़ 2.94% की दर से एवं रु. 295 करोड़ 2.94% की दर से) का पुनर्वित्त चार चरणों में लिया गया।
- उद्योग बेंचमार्क के अनुरूप एमएसएमई नीति को संशोधित किया गया है।
- प्रतिवर्तन काल (टर्न अराउंड टाइम-टीएटी) को कम करने हेतु उद्यमी मित्र, पीएमईजीपी और पीएसबीलोन्स आदि जैसे पोर्टलों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदनों की निगरानी
- बैंक ने 2676 करोड़ रुपये के मुद्रा ऋण स्वीकृत किए और वित्तीय वर्ष 2020-21 के 2500 करोड़ रुपये के लक्ष्य को पार कर गया।
- प्रायोजित आरआरबी सहित बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के 3700 करोड़ रुपये के लक्ष्य की तुलना में 3780 करोड़ रुपये के मुद्रा ऋण स्वीकृत किए।
- बैंक ने एमएसएमई ऋणों के लिए न्यूनतम सीआरआईएफ उच्च मार्क/सिबिल स्कोर पेश किया।
- बैंक ने ग्राहकों को अपने उत्पादों के प्रचार/ग्राहक जागरूकता के लिए तथा उन्हें वैयक्तिकृत अनुभव प्रदान करने के लिए सभी शाखाओं में संपर्क अधिकारियों को नियुक्त किया है।
- बैंक ने यूको पे प्लस के माध्यम से बचत बैंक खाता खोलने के लिए वीडियो आधारित ई-केवाईसी सुविधा शुरू की है।
- यूको सुविधा वेतन बचत खाता उत्पाद को तत्काल ओडी सुविधा विशेषताओं के साथ संशोधित किया गया है।
- एक नए उत्पाद यूको रेरा चालू खाता को विशेष सुविधा के साथ शुरू किया गया।
- कृषि वस्तुओं के ई-विपणन के लिए एक उत्पाद 'जेम पूल' खाता शुरू किया गया।
- To help the healthcare community amid COVID-19 pandemic, Bank modified and reissued Master Guidelines on UCO Doctor Scheme.
- During the financial year 2020-21, Bank has discounted 5302 bills amounting to Rs. 317.55 crore on TReDS Platforms.
- Bank mobilised more than 10 Crores business under Co-lending arrangement with SREI for Co-origination of Priority Sector Loans.
- Two new SME Hubs operationalized for funding to MSME sector taking the tally to ten SME Hubs.
- Implemented "Interest Subvention Scheme for Mudra-Shishu Loans". Subvention of Rs. 2.03 crore received till Feb'2020.
- Refinance from SIBDI/Mudra of Rs. 1732 crore (Rs. 145 Cr @ 3.58%, Rs. 292 Crs @ 2.43%, Rs. 1000 Crs @ 2.94% and Rs. 295 @ 2.94%) taken in four Tranches
- MSME Policy have been modified in line with Industry benchmark.
- Monitoring of Online Applications through Portals like Udyamimitra, PMEGP and psbloans etc. to reduce Turn Around Time (TAT)
- Bank sanctioned Mudra loans of Rs. 2676 Crore and surpassed the target of Rs. 2500 Crore for FY 2020-21.
- Bank including sponsored RRB sanctioned Mudra loans of Rs. 3780 Crore against target of Rs. 3700 Crore for FY 2020-21.
- Bank introduced Minimum CRIF High Mark/CIBIL Score for MSME Loans.
- Bank has designated Relationship executives at all branches for promotion/customer awareness of our products to customers and also provide personalized experience to them.
- Bank has introduced Video Based e-KYC facility to open savings bank account through UCO Pay Plus.
- A product UCO Suvidha Salary Saving account is modified with instant OD facility features.
- A new product UCO RERA current account launched with specialized feature.
- A Product 'GeM Pool' account launched for e-Marketing of agricultural goods.

सिद्धांत-वार कार्यनिष्पादन पर जवाब: / Response to principle-wise performance:

<p>अपने उन 3 उत्पादों या सेवाओं की सूची बनाएं जिनके डिज़ाइन में सामाजिक या पर्यावरण संबंधी चिंताओं, जोखिमों और / या अवसरों को शामिल किया गया है:</p> <p>List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and /or opportunities :</p>	<p>बैंक सतत विकास में विश्वास रखता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि इसका कारबार मॉडल पर्यावरण सुरक्षित रहे। इसके लिए बैंक ने यह दिशानिर्देश जारी किए हैं कि किसी भी मीयादी ऋण के संवितरण के पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि उधारकर्ता द्वारा, जब भी आवश्यक हो, पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड सहित सभी अनिवार्य सांविधिक तथा अन्य अनुमोदन/अनुमति प्राप्त किए जाते हैं। बैंक निम्नलिखित वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है जिसमें सामाजिक सरोकार तथा सुविधाएं शामिल हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● स्वयं सहायता समूह तथा संयुक्त देयता समूह ● किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ● वित्तीय साक्षरता केंद्र <p>The Bank believes in sustainable development and ensures that its business model incorporates environment protection. Towards this concern, Bank has put in place guidelines that before the disbursement of any Term Loan, it should be ensured that, whenever required, all necessary statutory and other approvals/permissions including those from Pollution control boards have been obtained by the borrower. Bank offers the following financial services which has incorporated social concerns and opportunities :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Self Help Groups and Joint Liability Groups ● Kisan Credit Card (KCC) ● Financial Literacy Centres
<p>ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए, संसाधन उपयोग (ऊर्जा, पानी, कच्चा माल आदि) के संबंध में निम्नलिखित विवरण दें : उत्पाद की इकाई (वैकल्पिक) डालें:</p> <p>For each such product, provide the following details in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) put unit of product (optional) :</p> <p>i) मूल्य श्रृंखला भर में पिछले वर्ष से प्राप्त सोर्सिंग / उत्पादन / वितरण के दौरान कमी?</p> <p>Reduction during sourcing/ production/ distribution achieved since the previous year throughout the value chain?</p> <p>ii) पिछले वर्ष की तुलना में उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग के दौरान (ऊर्जा, पानी) कम उपयोग किया जाना।</p> <p>Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since the previous year?</p>	<p>लागू नहीं / Not Applicable</p> <p>लागू नहीं / Not Applicable</p>
<p>क्या कंपनी के पास स्थायी सोर्सिंग (परिवहन सहित) के लिए प्रक्रियाएं हैं?</p> <p>Does the company have procedures in place for sustainable sourcing (including transportation)?</p>	<p>लागू नहीं / Not Applicable</p>
<p>क्या कंपनी ने स्थानीय और छोटे उत्पादकों से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए कोई कदम उठाया है, जिसमें उनके कार्यस्थल के आसपास के समुदाय शामिल हैं? यदि हां, तो स्थानीय तथा छोटे विक्रेताओं की क्षमता तथा सामर्थ्य में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?</p> <p>Has the company taken any steps to procure goods and services from local & small producers, including communities surrounding their place of work? If yes, what steps have been taken to improve the capacity and capability of local and small vendors?</p>	<p>लागू नहीं / Not Applicable</p>

क्या कंपनी के पास उत्पादों और कचरे को रिसायकल करने का कोई तंत्र है? यदि हाँ तो, उत्पादों और अपशिष्टों के पुनर्चक्रण का प्रतिशत क्या है (अलग-अलग <5%, 5-10%, >10%)। इसके अलावा, लगभग 50 शब्दों में विवरण प्रदान करें।

Does the company have a mechanism to recycle products and waste? If year, that is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5-10%, >10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.

बैंक एक विनिर्माण इकाई नहीं है और इसके कार्यालयों में उत्पन्न कचरे का प्रबंधन कचरे के निपटान की प्रक्रियाओं का पालन करके किया जाता है।

Bank is not a manufacturing unit and the waste generated in its offices is managed by following the procedures for disposal of wastes.

सिद्धांत 3: कारोबार से सभी कर्मचारियों के कल्याण का संवर्धन होना चाहिए।

- यूको बैंक बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रबंधन संबंध (एमआर) नीति तथा औद्योगिक संबंध (आईआर) नीति के पालन द्वारा कर्मचारियों के हितों को बनाए रखता है तथा उसे बढ़ावा भी देता है। कर्मचारी अपने एसोसिएशन का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं। बैंक में प्रबंधन तथा यूनियन/एसोसिएशन के बीच औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण हैं। पारस्परिक सहयोगपूर्ण मनोभाव तथा सद्भावना के साथ आवधिक अंतराल पर यूनियन/एसोसिएशन के साथ बैठकें आयोजित की जाती हैं तथा विचार-विमर्श किए जाते हैं।
- कर्मचारियों की भर्ती तथा पदोन्नति नीतियां बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाती हैं जिसके द्वारा भर्ती के समय तथा पदोन्नति के दौरान जाति, पंथ, लिंग, नस्ल, धर्म, दिव्यांगता या यौन अभिविन्यास से ऊपर उठकर समान अवसर प्रदान किए जाते हैं।
- यूको बैंक अपने कर्मचारियों विशेषकर महिलाओं का उनके कार्य-जीवन में संतुलन का ध्यान रखता है। मातृत्व अवकाश, सबैटिकल अवकाश, स्पाउस स्थानांतरण, एकबारगी महिला अधिकारी स्थानांतरण आदि कई ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनके माध्यम से कार्य-जीवन संतुलन को बनाए रखा जाता है।
- यूको बैंक बराबरी तथा बिना भेदभाव के सभी कर्मचारियों को सीखने का अवसर उपलब्ध कराता है जिससे उनका कौशल एवं क्षमता लगातार बेहतर हो सके। सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रशिक्षण कैलेंडर अनुमोदित किया जाता है जिससे पूरे वर्ष के दौरान सभी कर्मचारियों का कौशल उन्नयन होता रहे।
- कोविड 19 महामारी को देखते हुए बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) को लागू किया है और संगठन के कर्मचारियों एवं अन्य हितधारकों की भलाई के लिए कई उपाय किए हैं -
 - भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप आवश्यक दिशानिर्देश एवं मार्गदर्शन कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए समय-समय पर परिचालित किया गया।
 - प्रधान कार्यालय में विशेष कोविड-19 हेल्प डेस्क का सृजन।
 - शाखाओं को निर्देश दिया गया था कि वे शाखा परिचालन समय के संबंध में संबंधित राज्यों के राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) के दिशानिर्देशों तथा स्थानीय अधिकारियों के आदेशों द्वारा निर्देशित हों।
 - बैंक के सभी शाखाओं/कार्यालयों में रोस्टर सिस्टम यानी 40% से 50% कर्मचारियों के साथ काम करना लागू किया गया।

Principle 3: Businesses should promote the well-being of all employees

- UCO Bank maintains and promotes the well-being of employees by following Board Approved Management Relation (MR) Policy & Industrial Relation (IR) Policy. Employees are free to choose their associations. The Industrial Relations climate in the Bank is cordial between the Management and the Unions/Associations. Meetings and discussions are held with Unions/Associations at periodic intervals through mutual co-operative attitude and respect.
- Employee recruitment and promotion policies are approved by Board which provides equal opportunities at the time of recruitment as well as during the course of promotion irrespective of caste, creed, gender, race, religion, disability or sexual orientation.
- UCO Bank take cognizance of the work-life balance of its employees, especially that of women. Maternity leave, Sabbatical leave, spouse transfer, one-time Lady officer transfer, etc. are various processes through which work-life balance is maintained.
- UCO Bank provides continuous skill and competence upgrading of all employees by providing access to necessary learning opportunities, on an equal and non-discriminatory basis. Training calendars are approved by the competent authority for providing skill up-gradation for all employees throughout the year.
- In view of Covid 19 pandemic, Bank has implemented Board Approved Business Continuity Plan (BCP) and taken several measures for the well-being of employees and other stakeholders of the organisation -
 - Necessary guidelines and advisories in line with Government of India guidelines were circulated from time to time to contain the spread of COVID-19.
 - Creation of exclusive Covid 19 Help Desk at Head Office.
 - Branches were instructed to be guided by State Level Banker's Committee (SLBC) guidelines of respective states and orders from local authorities in respect of branch operation timings.
 - Roster system i.e. working with 40% to 50% staff was implemented in all branches/offices of the Bank.

- पूर्ण लॉकडाउन की अवधि के दौरान दिव्यांग कर्मचारियों को घर से काम करने का निदेश दिया गया।
- लॉकडाउन के दौरान फंसे कर्मचारियों को निकटतम शाखाओं/कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति।
- नियमित अंतराल पर कार्यालयों/शाखाओं को सेनिटाइज करना।
- आईबीए के दिशानिर्देशों के अनुसार कोविड प्रभावित कर्मचारियों के लिए विशेष अवकाश का प्रावधान।
- शाखाओं/कार्यालयों को दिशानिर्देश एवं सलाह जारी करने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्यूआरटी) का गठन तथा समयबद्ध आधार पर बैठकों का आयोजन।
- कोविड-19 के दौरान शाखाओं में भीड़ से बचने के लिए डिजिटल उत्पादों को बढ़ावा।
- कोविड-19 के कारण स्टाफ सदस्यों की मृत्यु होने पर बीस लाख रुपये (2000000/- रुपये) की क्षतिपूर्ति का प्रावधान।
- कर्मचारियों को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता।
- Employees with disabilities were advised to work from home during the period of complete lockdown.
- Deputations to nearest branches/offices to employees who were stuck during lockdown.
- Sanitization of offices/branches at frequent intervals.
- Provision of Special Leave for the Covid affected employees as per the directives of IBA guidelines.
- Formation of Quick Response Team (QRT) and conduction of meetings on timely basis for issuing guidelines and advisories to branches/offices.
- Promotion of digital products for avoiding rushes at branches during COVID-19.
- Provision for compensation to deceased of staff members of Rupees Twenty Lakh (Rs 2000000/-) in case of death due to COVID-19.
- Financial assistance in the form of interest free loan to employees.

सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन की प्रतिक्रिया : / Response to principle-wise performance:

1. कर्मचारियों की कुल संख्या Total number of employees	22012
2. अस्थायी/संविदात्मक/आकस्मिक आधार पर नियुक्त कुल कर्मचारियों की संख्या (वर्ष के दौरान) Total number of employees hired on temporary/contractual/casual basis (during the year)	0
3. स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या Number of permanent women employees	5875
4. कृपया स्थायी विकलांगता वाली स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या बताएं (वर्ष के दौरान) Number of permanent women employees with permanent disabilities	93
5. क्या आपके यहा प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त कर्मचारि एसोसिएशन है Do you have an employee association that is recognized by the management.	हां / Yes
6. आपके स्थायी कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत इस मान्यताप्राप्त कर्मचारी एसोसिएशन के सदस्य हैं ? Percentage of your permanent employees who are members of recognized employee association ?	87.17%

<p>7. कृपया पिछले वित्तीय वर्ष में बाल श्रम, मजबूर श्रम, अनैच्छिक श्रम, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों तथा वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या बताएं।</p> <p>Number of complaints relating to child labour, forced labour, involuntary labour, sexual harassment in the last financial year and pending, as on the end of the financial year.</p>	क्र.सं.	श्रेणी	वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या
	SN	Category	No. of complaints filed during the financial year	No. of complaints pending as on the end of the financial year
	1	बाल श्रम, मजबूर श्रम, अनैच्छिक श्रम Child labour/forced labour/involuntary labour	शून्य Nil	शून्य Nil
	2	यौन उत्पीड़न Sexual harassment	2	2
	3	भेदभावपूर्ण रोजगार Discriminatory Employment	शून्य Nil	शून्य Nil
<p>8. पिछले वर्ष में नीचे दिए गए आपके कितने प्रतिशत कर्मचारियों को सुरक्षा एवं कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया ?</p> <p>Percentage of under mentioned employees who given safety and skill up-gradation training in the last year?</p>	क) स्थायी कर्मचारी a) Permanent Employees		65.91%	
	ख) स्थायी महिला कर्मचारी b) Permanent Women Employees		29.13%	
	ग) आकस्मिक/अस्थायी/संविदा कर्मचारी c) Casual/Temporary/ Contractual Employees		0	
	घ) दिव्यांग कर्मचारी d) Employees with disabilities		47.97%	

सिद्धांत 4: कारोबारियों को चाहिए कि वे सभी हितधारकों, खासकर वंचित, कमजोर और सीमांत हितधारकों के हितों का आदर करें और उन पर त्वरित प्रतिक्रिया दें।

बैंक आंतरिक एवं बाह्य हितधारकों के साथ सुदृढ़ संबंध रखता है। इसके लिए वह अपने द्वारा पेश की गई सेवाओं में नवोन्मेष बढ़ाते हुए उनको समझ-बूझकर निर्णय लेने के अवसर देता रहता है। विभिन्न स्तरों पर बैंक

Principle 4: Businesses should respect the interests of, and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalised

Bank builds strong relationship with internal as well as external stakeholders by continuously engaging with them for making informed decisions in enhancing innovation in services offered. Bank at its various levels frequently engages with its stake

अपने हितधारकों, जैसे निवेशकों और हितधारकों, ग्राहकों और क्लाइंटों, कर्मचारियों, सरकार एवं नियामकों, समुदायों तथा एनजीओ के साथ निरंतर संपर्क रखता है। ग्राहक सेवा में उत्तमता हासिल करने के लिए बैंक ने कई कदम उठाए हैं जैसे रिलेशनशिप प्रबंधकों की नियुक्ति, ग्राहकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए चौबीसों घंटे के कॉल सेंटरों की स्थापना, कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन तथा बैंक के उत्पादों से जुड़ी विशिष्टताओं के बारे में ग्राहकों को अवगत कराना। बैंक ने कर्मचारियों से संपर्क करने और उनके ज्ञान वर्धन के लिए पोर्टल बनाए हैं।

holders viz. Investors and Shareholders, Customers and Clients, Employees, Government and Regulators, Communities and NGOs. To achieve excellence in customer service, Bank has taken up measures like appointment of Relationship Managers, establishment of 24 x 7 Call centre to address any queries of the customers, conducting training programmes to employees and educating customers about various special features associated with the products of the Bank. Bank has developed portals to communicate with the employees and to enrich their knowledge.

सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन की प्रतिक्रिया : / Response to principle-wise performance:

<p>क्या कंपनी ने आंतरिक एवं बाह्य हितधारकों का खाका तैयार किया है? हाँ।</p> <p>Has the company mapped its internal and external stakeholders?</p> <p>उपर्युक्त में से क्या कंपनी ने वंचित, कमजोर और सीमांत हितधारकों की पहचान की है?</p> <p>Out of the above, has the company identified the disadvantaged, vulnerable & marginalised stakeholders?</p> <p>क्या कंपनी ने वंचित, कमजोर और सीमांत हितधारकों को अपने साथ लेकर चलने की कोई विशेष पहल की है? यदि हाँ तो लगभग 50 शब्दों में इसका विवरण दें।</p> <p>Are there any special initiatives taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalised stakeholders. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.</p>	<p>हाँ / Yes</p> <ul style="list-style-type: none"> ● हितधारकों को कई श्रेणियों यथा सरकार, विदेशी संस्थागत निवेशक, वित्तीय संस्थान / बैंक, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड में वर्गीकृत किया गया है। Shareholders are classified into different categories viz. Government, Foreign Institutional Investors, Financial Institutions/Banks, Insurance Companies, Mutual Funds. ● ग्राहकों को बड़े कार्पोरेट, मिड-कार्पोरेट, छोटे एवं मध्यम उद्यम तथा खुदरा ग्राहकों में बांटा गया है। Customers are segmented into Large corporate, Mid-corporate, Small and Medium enterprises and retail customers. ● मानव संसाधन प्रबंधन विभाग बैंक कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखता है। HRM Dept. looks after the interest of the bank employees. <p>हाँ / Yes</p> <p>बैंक ने वंचित, कमजोर तथा सीमांत हितधारकों की पहचान की है जिसमें लघु एवं सीमांत किसान, किराएदार और पट्टे वाले किसान, भूमिहीन श्रमिक तथा ग्रामीण महिलाएं शामिल हैं। उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड, ट्रैक्टर / पावर टिलर ऋण, मत्स्यपालन ऋण, पीएमजेडीवाई, ओवरड्राफ्ट आदि जैसी विशेष ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।</p> <p>Bank has identified the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders which include Small and Marginal Farmers, Tenant and Leased Farmers, Landless Labourers and Rural Women. They are provided with special credit facilities viz. Kisan Credit Card, Tractor/Power Tiller Loan, Fishery loan PMJDY Overdraft Facility etc.</p> <p>बैंक का मानना है कि हाशिए पर पड़े, बैंकरहित और वित्त सहायता से रहित व्यक्तियों को मदद देने से वे अर्थव्यवस्था की उत्पादकता में योगदान देंगे। सीमांत वर्गों को मजबूत करने और उनके सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए बुनियादी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच महत्वपूर्ण है। बैंक विभिन्न सरकारी योजनाओं में एक इच्छुक भागीदार रहा है और वंचित और सीमांत हितधारकों के लिए डिज़ाइन किए गए उत्पादों और सेवाओं के साथ आया है। छोटे / सीमांत किसानों को अनुदानित दर पर ऋण दिया जाता है। सूक्ष्म / लघु उद्यम, महिला एसएचजी, अल्पसंख्यक समुदाय और महिला लाभार्थी बैंक समाज के हाशिए वाले वर्गों को सशक्त बनाने के लिए ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर-सेटी), वित्तीय साक्षरता केंद्र जैसे विभिन्न ट्रस्ट / केंद्र चला रहे हैं।</p>
--	--

	The Bank believes that helping the marginalized, unbanked and financially excluded will enable them to contribute productively to the economy. Access to basic financial services is crucial to strengthen marginalized sections and make a significant contribution to their social and economic development. The Bank is an active participant in various Government Schemes and has come out with products and services designed for disadvantaged and marginalised stakeholders. Loans are given at subsidized rates to small/marginal farmers. Micro/small enterprises, Women SHG's, minority community and women beneficiaries The Bank is running various Trusts/Centres such as Rural Self Employment Training Institutes (RSETI's), Financial Literacy Centres in order to empower the marginalised sections of society.
--	---

सिद्धांत 5 : कारोबारियों को चाहिए कि वह मानव अधिकारों का सम्मान एवं संवर्धन करें।

Principle 5: Businesses should respect and promote human rights

- यूको बैंक भारत के संविधान, राष्ट्रीय कानूनों और नीतियों तथा मानवाधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय बिल में अंतर्निहित मानवाधिकार को समझता है। कारोबारियों को इस बात की सराहना करनी चाहिए कि मानव अधिकार अंतर्निहित, सार्वभौमिक, अविभाज्य और अन्योन्याश्रित प्रकृति के हैं।
- यूको बैंक ने उत्पीड़न मुक्त कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए किसी भी यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिए अंचल स्तर और शीर्ष स्तर पर आंतरिक शिकायत समिति बनाई है जिससे कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में सुरक्षित और निरापद महसूस करते हैं।

- UCO Bank understands the human rights content of the Constitution of India, national laws and policies and the content of International Bill of Human Rights. Businesses should appreciate that human rights are inherent, universal, indivisible and interdependent in nature.
- UCO Bank created Internal Complaints Committee at Zonal Level & Apex Level to deal with any sexual harassment complaints to ensure a harassment free workplace where employees feel safe and secure in discharging their responsibilities

सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन की प्रतिक्रिया : / Response to principle-wise performance:

कंपनी मानवाधिकार नीति में मात्र कंपनी शामिल है या इसका विस्तार समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्य तक भी है ? Does the policy of the company on human rights cover only the company or extend to the Group/Joint Ventures/Suppliers/Contractors/ NGOs/Others?	नीति सभी के लिए लागू है। The policy is applicable to all.
पिछले वित्तीय वर्ष में कितनी हितधारक शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनमें से कितनी प्रतिशत प्रबंधन द्वारा संतोषजनक रूप से निपटा दी गई? How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?	वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त कुल शिकायतें: 18385 Total complaints received during the FY 2020-21 : 18385 दूर की गई शिकायतें: 98.78% Complaints Redressed : 98.78%

सिद्धांत 6 : कारोबारी पर्यावरण का सम्मान, रक्षा और उसे बचाने के प्रयास करें।

Principle 6: Businesses should respect, protect and make efforts to restore the environment

यूको बैंक अपनी न्यायसंगत एवं चेतना के माध्यम से पर्यावरण की रक्षा करने हेतु हर तरह के अवशिष्टों को दूर करने का सतत प्रयास कर रहा है।

UCO Bank, with due consideration and consciousness towards protecting the environment, is striving for the use of reducing the waste in all fronts.

सभी जमाकर्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक चैनल यथा एटीएम, ई- बैंकिंग, आरटीजीएस/एनईएफटी आदि का उपयोग करते हुए कागजरहित बैंकिंग अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया ताकि प्रकृति एवं हरियाली का संरक्षण हो सके। ग्राहकों को ई-विवरण प्रदान की जा रही है एवं हितधारकों के साथ ई- पत्राचार को बढ़ावा दिया जा रहा है फलस्वरूप कागज के उपयोग में काफी कमी आई है। नई नई सामान्य परिस्थितियों को देखते हुए बैंक की अधिकांश आंतरिक समीक्षा बैठकें भी वस्तुतः वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही आयोजित की जाती हैं।

All depositors are encouraged to do paperless transactions by using electronic channels such as ATM, E-banking, RTGS/NEFT etc. which greatly reduce the use of paper thereby conserving the nature and greenery. The customers are provided with e-statement and efforts are being made for maximising the use of e-correspondence with all stakeholders thus minimising the use of paper. Most of the internal review meetings of the Bank are also held virtually through Video Conference in view of the new normal situations.

जिन परियोजनाओं को पर्यावरण से संबंधित अनापत्तिपत्र प्राप्त करना वांछित है उन्हें वित्तपोषित करते समय बैंक ने उधारकर्ताओं को पर्यावरण की रक्षा करने को ध्यान में रखते हुए सभी मानदंडों का अनुपालन करने पर जोर डाला। पुनः परियोजना जो टिकाऊविकास के रूप में पर्यावरण के लिए चिंता दिखाती है उन्हें रिन्यूएबल प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग करने, अपशिष्ट न्यूनीकरण करने एवं प्रदूषण संरक्षण करने पर जोर डाला गया।

बैंक कार्बन के उत्सर्जन और विकिरण से बचने के लिए अपने विभिन्न कार्यालयों में वातानुकूलन मशीनों में इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेट गैस, ग्रीन जेनेरेटर, सीएफएल लाइट का उपयोग करते हुए आंतरिक रूप से भी पर्यावरण का संरक्षण कर रहा है। बैंक की जिन शाखाओं में बार-बार बिजली कटती रहती है वहां सौर उर्जा का उपयोग किया जा रहा है। बैंक के कुछ फिक्सचर्स में अनुपयोगी लकड़ी के उत्पादों से बने पुनर्नवीनीकरण एमडीएफ/पार्टिकल बोर्ड जैसे उत्पाद इस्तेमाल किए गए। बैंक के सभी नए उपकरणों में भूजल स्तर को बनाए रखने के लिए बारिश के पानी का संग्रहण किया गया।

जेनरेटर जनित प्रदूषण को रोकने के लिए जेनरेटर के स्थान पर हमारा बैंक पावर बैक अप के रूप में इंवर्टर का इस्तेमाल शुरू कर रहा है।

While financing those projects which require environmental clearances, bank insists compliance, by borrowers, of all related stipulations in order to protect the environment. Further, the projects that show concern for environment in the form of sustainable development, use of renewable natural resources, waste minimisation and pollution prevention are encouraged.

Bank also involves in the preservation of environment internally by using eco-friendly refrigerant gas in air conditioners, green generators and CFL lights in several of its offices to avoid carbon emissions and radiation. Bank is also exploring the use of solar energy for branches where power failures take place very frequently. Recycled MDF/Particle Boards made of discarded wooden particles are used for the use of bank's furniture at some locations. In all the new ventures of Bank, rain water harvesting is being undertaken to preserve the ground water level.

Further our Bank is introducing use of Inverters as power back up in place of Generator in Branches/ Offices to prevent pollution caused by the generators.

सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन की प्रतिक्रिया :/ Response to principle-wise performance:

सिद्धांत 6 से संबंधित नीति में मात्र कंपनी शामिल है अथवा इसका विस्तार समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्य तक भी है ? Does the policy related to Principle 6 cover only the company or extends to the Group/Joint Ventures/Suppliers/Contractors/NGOs/ Others.	लागू नहीं। बैंक में कोई भी सहयोगी निकाय नहीं है। Not Applicable. Bank does not have any subsidiaries.
क्या कंपनी में पर्यावरणीय बदलाव, वैश्विक ताप आदि जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर विचार करने के लिए नीतियाँ/पहल हैं ? Does the company have strategies/initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc?	उपर्युक्त सिद्धांत 6 के अंतर्गत समझाए गए अनुसार है। As explained above under Principle 6.
क्या कंपनी संभाव्य पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान और पकड़ करती है ? Does the company identify and assess potential environmental risks?	उपर्युक्त सिद्धांत 6 के अंतर्गत समझाए गए अनुसार है। As explained above under Principle 6.
क्या कंपनी में स्वच्छ विकास प्रणाली से संबंधित कोई परियोजना है ? Does the company have any project related to Clean Development Mechanism ?	कोई नहीं / None.
क्या कंपनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा कार्यक्षमता, अक्षय ऊर्जा आदि पर अन्य कोई पहल की है ? Has the company undertaken any other initiatives on - clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc.	लागू नहीं / Not Applicable.
रिपोर्ट किए जा रहे वित्तीय वर्ष में कंपनी द्वारा उत्पन्न निकासी पदार्थ/कचरा सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा प्रदत्त अनुमत सीमाओं के अंदर हैं ? Are the Emissions/Waste generated by the company within the permissible limits given by CPCB/SPCB for the financial year being reported ?	लागू नहीं / Not Applicable.
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त कारण बताओ/वैध नोटिसों की संख्या जो लंबित (यानी जिनका संतोषजनक समाधान नहीं हुआ) हैं ? Number of show cause/legal notices received from Central pollution control Board/State Pollution Control Board which are pending (i.e. not resolved to satisfaction) as on end of Financial Year.	शून्य / Nil

सिद्धांत 7: सार्वजनिक नियामक नीतियों को प्रभावित करने में कारोबारियों को जिम्मेदार तरीके से पेश आना चाहिए।

बैंक नियामक नीति के कार्यकारी ढाँचे के भीतर अपने उत्पादों और सेवाओं का स्वरूप निर्धारित करता है जिसका उद्देश्य देश को आर्थिक विकास की ओर उन्मुख करना है। बैंक के निदेशक मंडल ने अपने प्रचार एवं जनसंपर्क संबंधी कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए एक प्रचार नीति निर्मित की है। इसमें राष्ट्र के जन-जन के बीच बैंक के उत्पादों, सेवाओं और पहलों आदि को लोकप्रिय बनाने के दिशानिर्देश निहित हैं।

Principle 7: Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner

Bank designs its products and services within the frame work of the regulatory policy and with the objective to bring in economic development of the country. The Board of the Bank has laid out a Publicity Policy for implementation of the Publicity & PR related activities. It contains the guidelines for popularising the Bank's Products, Services and Initiatives etc among masses across the Nation.

सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन की प्रतिक्रिया : / Response to principle-wise performance:

<p>क्या आपकी कंपनी किसी व्यापार और चैम्बर अथवा संघ की सदस्य है? यदि हाँ, तो केवल उन प्रमुख संगठनों का नाम बताएँ जिनसे आपका कारोबारी व्यवहार होता है:</p> <p>Is your company a member of any trade and chamber or association? If Yes, Name only those major ones that your business deals with :</p>	<p>हां / Yes.</p> <p>बैंक निम्नलिखित का सदस्य है / Bank is a member of :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● भारतीय बैंक संघ (आइबीए) Indian Banks Association (IBA) ● इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (आईबीपीएस) Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) ● इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस (आईआईबीएफ) Indian Institute of Banking and Finance (IIBF) ● नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट (एनआईबीएम) National Institute of Bank Management (NIBM) ● नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) National Payments Corporation of India (NPCI) ● बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी) Banks Board Bureau (BBB)
<p>क्या आपने सार्वजनिक भलाई की उन्नति या सुधार के लिए उपर्युक्त संघों के माध्यम से वकालत/पैरवी की है? यदि हाँ, तो विस्तृत क्षेत्र विनिर्दिष्ट करें (ड्रॉप बॉक्स: अभिशासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, सतत व्यापार सिद्धांत, अन्य)</p> <p>Have you advocated / lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good? If yes, specify the broad areas (drop box: Governance and Administration, Economic Reforms, Inclusive Development Policies, Energy Security, Water, Food Security, Sustainable Business Principles, Others)</p>	<p>बैंक इन संघों के साथ मिलकर काम करता है और नीति निर्माताओं के लिए आर्थिक, वित्तीय और समावेशी विकास नीतियों पर इनपुट देता है।</p> <p>Bank closely works with these associations and gives inputs on economic, financial and inclusive development policies for the policy makers.</p>

सिद्धांत 8 : कारोबारी समावेशी उन्नति और एकसमान विकास का समर्थन करें।

बैंक ने व्यापक रूप से वंचित वर्गों को संरचनायुक्त बैंकिंग प्रणाली की छत्रछाया में लाने के उद्देश्य से अपना योगदान दिया है। इसके पीछे लक्ष्य यह रहा है कि अब तक अर्थजगत की मुख्यधारा से कटे हुए लोगों में बचत करने की आदत को बढ़ावा दिया जाए और गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की ऋण संबंधी जरूरतों को आगे लाया जाए। बैंक ने भारत सरकार द्वारा अभियान की शकल में चलाई जा रही वित्तीय समावेशन परियोजना "प्रधानमंत्री जन धन योजना" में अब तक 100.16 लाख खाते खोल दिए हैं और ₹ 3584 करोड़ की राशि जमा हो चुकी है। इन प्रमंजघयो खातों में औसतन ₹ 3578 करोड़ की जमाराशि है।

बैंक ने 3.74 लाख पीएमजेडीवाई खाता धारकों को ओवर ड्राफ्ट सुविधा देते हुए देश के बैंकविहीन लोगों को सूक्ष्म ऋण सुविधा प्रदान करने में

Principle 8 : Businesses should support inclusive growth and equitable development

Bank contributed largely to the objective of bringing the excluded masses under the umbrella of structured banking system with an aim to inculcate saving habit among the people who are so far excluded from the economic mainstream and to cater to the credit needs of people below the poverty line. Bank has so far opened more than 100.16 lakh accounts under the Government of India's mission mode financial inclusion project "Pradhan Mantri Jan DhanYojna" and mobilized Rs. 3584 crore with average balance of Rs. 3578 crore in these PMJDY accounts.

Bank took part in the initiative of Government of India in providing micro credit facility to unbanked people of the country through successful implementation of Over Draft Facility to 3.74 lakhs

भारत सरकार की पहल में भाग लिया। इसमें कुल मिलाकर रु. 75.30 करोड़ की राशि लगी।

अब तक बैंक विहीन रही आबादी को केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के विषय पर काम करते हुए, बैंक ने अपनी शाखाओं एवं बीसी नेटवर्क के माध्यम से बीमा एवं पेंशन उत्पाद यथा प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), अटल पेंशन योजना (एपीवाई) लागू कीं। पीएमजेबीवाई के तहत, 10.98 लाख ग्राहकों का बीमा किया गया है और पीएमएसबीवाई योजना के तहत 22.47 लाख लोगों का बीमा किया गया है। पीएमजेबीवाई के तहत अब तक कुल 5652 दावों को निपटाया गया है, और 1071 दावों को पीएमएसबीवाई के तहत निपटाया गया है। इसके अलावा साल के अंत तक अटल पेंशन योजना के तहत कुल 4.02 लाख ग्राहक संख्या पार कर ली गई है।

भारत सरकार ने 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) शुरू की है। किफायती आवास के सरकार के दृष्टिकोण को पूरा करने में बैंक ने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। दिनांक 31.03.2021 तक बैंक ने ब्याज सब्सिडी के रूप में 6601 लाख रुपये का वितरण करके 3101 लाभार्थियों को अपने आवास होने के सपने को पूरा किया है।

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत बैंक ने अनेक कार्यक्रम/पहल कार्यान्वित किए हैं जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं :

1. बैंक के पास देश भर में 27 आर-सेटी (ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान) हैं, जो उद्यमिता विकास की दिशा में ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन प्रदान करते हैं।
2. कोविड-19 के प्रसार को रोकने के प्रयासों से संबंधित महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए सुरक्षात्मक चिकित्सा उपकरणों की खरीद एवं बैठक व्ययों को पूरा करने के लिए मिजोरम मुख्यमंत्री राहत कोष में योगदान।
3. भोपाल के विभिन्न अस्पतालों में पीपीई किट दान की गई।
4. वेस्ट पोर्ट पुलिस स्टेशन की सहायता से प्रधान कार्यालय और मेटियाबुरुज क्षेत्र के आसपास रहने वाले गरीब और जरूरतमंद लोगों के बीच राशन/ खाद्य सामग्री वितरित की गई।
5. विद्यासागर विश्वविद्यालय को फोर्स मोटर्स की 13 सीटों वाली एक मिनी बस दान की गई।
6. माननीय सांसद सुश्री अपराजिता सारंगी के अनुरोध पर भुवनेश्वर संसदीय क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में सौर पैनल आधारित 25 एलईडी स्ट्रीट लाइट।
7. यूको बैंक की तुमकुर शाखा के माध्यम से तुमकुर नगर निगम के कर्मचारियों को 500 धोने योग्य मास्क वितरित किए गए।
8. कोविड 19 महामारी के कारण देशव्यापी तालाबंदी के दौरान कोच्चि नगर निगम सीमा के भीतर प्रवासी मजदूरों को भोजन और आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने के लिए कोच्चि नगर निगम को निधि दी गई।
9. कानपुर अंचल के अंतर्गत लाला लाजपतराय अस्पताल को आरओ सहित वाटर कूलर का दान।

PMJDY account holders involving aggregate sanctioned amount of Rs. 75.30 crore.

Working on the Government's theme of providing social security to hitherto unbanked masses, Bank has implemented Insurance and Pension products namely, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti BimaYojna (PMJJBY), Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna (PMJBY), Atal Pension Yojna (APY) through its Branch and BC network. Under PMJJBY Scheme, 10.98 lakh subscribers are insured and under PMSBY scheme 22.47 lakh lives are insured. So far a total of 5652 claims are settled under PMJJBY scheme and 1071 claims are settled under PMSBY. Further, total subscribers under Atal Pension Yojna crossed 4.02 lac till year end.

Government of India has launched Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) with an aim to provide housing for all in urban areas by 2022. In fulfilling Government's vision of affordable housing, Bank has signed Memorandum of Understanding with National Housing Bank for implementation of Scheme. As of 31.03.2021, Bank has fulfilled the dream of owning a house of 3101 beneficiaries by disbursing Rs. 6601 Lacs towards the interest subsidy.

Corporate Social Responsibility

Bank has taken several programmes/initiatives as a part of Corporate Social Responsibility. Few of these programmes/initiatives areas under:

1. The Bank has 27 RSETIs (Rural Self Employment Training Institutes) spread across nation to impart training and skill upgradation of rural youth geared towards entrepreneurship development.
2. Contribution to Mizoram Chief Minister's Relief Fund for procurement of protective medical equipment and meeting expenses for the critical activities pertaining to the efforts to contain the spread of COVID-19.
3. PPE kits donated to various hospitals in Bhopal.
4. Distributing ration/food items among the poor and needy people residing in the vicinity of Head Office and Metiaburuz area with the help of West Port Police Station
5. Donating a 13-seater mini bus of Force Motors to Vidyasagar University.
6. 25 units of solar panel based LED street lights in different areas within Bhubaneswar Parliamentary Constituency as requested by its Hon'ble M.P. Ms. Aparajita Sarangi
7. 500 washable masks distributed to Tumkur Municipal corporation workers through UCO Bank Tumkur Branch.
8. Fund given to Kochi Municipal corporation for providing food and essentials to migrant labours during country wide lockdown on account of COVID19 pandemic within Kochi Municipal Corporation limit.
9. Donation of water cooler with RO to Lala Lajpat Rai Hospital under Kanpur ZO.

ग्रामीण स्वरोजगार संस्थान (आरसेटी)

ग्रामीण स्वरोजगार संस्थान (आरसेटी) देश भर के 27 अग्रणी जिलों में स्थापित हैं। यूको बैंक के तत्वावधान में यूको डेवलपमेंट ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित ये संस्थान स्थायी आजीविका के साथ स्वरोजगार लेने के लिए बेरोजगार युवाओं की पहचान, प्रशिक्षण, प्रेरित और सुविधा प्रदान करने के उद्देश्यों के साथ काम कर रही है। गुणवत्तापूर्ण परिणाम लाने के लिए मानक प्रशिक्षण सुविधाओं और इनपुटों को जोखिमधारकों की विविधता के समर्थन के साथ प्रदान किया जाता है। आरसेटी ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, बैंक और राज्य सरकार के बीच एक तीन-तरफा साझेदारी है। कार्यक्रम के अनुसार राज्य सरकार एक एकड़ भूमि और ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार प्रत्येक आरसेटी भवन के निर्माण के लिए 1.00 करोड़ रुपए का अनुदान देती है। बीपीएल / एसईसीसी ऑटो समावेश सूची के तहत उम्मीदवारों के लिए प्रशिक्षण की लागत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम एनआरएलएम के तहत, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार और इसके निर्धारित नियमों के संशोधित नियम के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाती है। आशोधित मानक प्रचालन प्रक्रिया के अनुसार सेटलमेंट प्रतिशत तथा ऋण लिंकेज प्रतिशत के साथ प्रतिपूर्ति सम्बद्ध की जाती है।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान आरसेटी के लिए व्यय का विवरण यहां दिया जा रहा है:

(क) राजस्व व्यय: ₹ 7,69,50,594.72

यह राशि एनआरएलएम से बीपीएल / एसईसीसी अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण और केवीआईसी / अन्य एजेंसियों से प्राप्तियों के लिए व्यय दावों की प्रतिपूर्ति के साथ नेट की गई है।

(ख) पूंजीगत व्यय: ₹ 2,53,01,393.25

(राशि वास्तुकारों / ठेकेदार / एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत किए गए बिलों के आधार पर आरसेटी के भवन निर्माण के लिए खर्च की जाती है)

जैसा कि ऊपर कहा गया है, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कुल ₹ 10,22,51,987.97/- (दस करोड़ बाईस लाख इक्यावन हजार नौ सौ सत्तासी रुपये एवं सतानबे पैसे मात्र) का व्यय किया गया है।

वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल)

वित्तीय साक्षरता के लिए नवीन और भागीदारीपूर्ण दृष्टिकोण का पता लगाने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने तीन वर्षों के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने और नाबार्ड के माध्यम से वित्तीय समावेशन निधि के समर्थन से नौ राज्यों में ब्लॉक स्तर पर 80 सीएफएल स्थापित करने का निर्णय लिया है। पायलट प्रोजेक्ट को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पहचान किए गए एनजीओ / एजेंसियों के सहयोग से बैंकों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। बैंक परियोजना की समग्र व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होंगे, जबकि चिन्हित गैर सरकारी संगठन आंबंटि ब्लॉकों में निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजना का निष्पादन करेंगे।

आरबीआई ने ओडिशा के भद्रक जिले के तहत पांच ब्लॉक और दैकनाल जिले के तहत पांच ब्लॉकों को सीएफएल परियोजना की स्थापना के लिए यूको बैंक को आवंटित किया है। यूको बैंक ने इस उद्देश्य के साथ सीएफएल परियोजना शुरू की है:

- घरेलू बजट बनाने और वित्तीय लेनदेन का अभिलेख बनाने की आदत को विकसित करने के लिए।
- बचत खाते में लेन-देन को प्रोत्साहित करना और बैंक में सावधि जमा/ आवर्ती जमा में जमा करके सक्रिय बचत करना।
- जब भी आवश्यकता हो लोगों को वित्तीय संस्थानों से उधार लेना सुनिश्चित करना।
- बैंकिंग और बैंकिंग लोकपाल में शिकायत निवारण तंत्र के बारे में जागरूकता पैदा करना। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेनदेन को प्रोत्साहित करना अर्थात् एनईएफटी, आरटीजीएस, आइएमपीएस, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई आदि।

RURAL SELF EMPLOYMENT INSTITUTES (RSETIS)

Rural Self Employment Institutes (RSETIs) established in 27 lead districts across the country and managed by UCO Development Trust under the aegis of UCO Bank are operating with objectives of identifying, training, motivating & facilitating unemployed youth to take up Self Employment with sustainable livelihood. To bring in quality outcome, standardized training infrastructure and inputs are provided with the support of stake holder's multi diversity. RSETI is a three way partnership between the Ministry of Rural Development, Govt. of India, the Bank and the State Govt. As per the programme State Government provides land measuring around one acre and MoRD, Govt. of India gives a Grant-in-aid of Rs.1.00 crore for construction of each RSETI Building. The cost of training for candidates under BPL/SECC Auto Inclusion list are reimbursed as per revised rule of MoRD, GoI and its stipulations, under flagship programme NRLM of Govt. of India through SRLM. In the modified standard operating procedure reimbursement is linked with settlement percentage and credit linkage percentage.

The details of expenditure for RSETIs incurred during the FY 2020-21 are mentioned hereunder:

A. Revenue Expenditure: Rs. 7,69,50,594.72

The amount is netted with the reimbursement of expenditure claims from NRLM for trainings to BPL/SECC candidates and receivables from KVIC/other agencies

B. Capital Expenditure: Rs.2,53,01,393.25

(The amount is expended against Building Construction of RSETIs against the bills raised by Architect / Contractor / Agencies)

As stated above, the total amount of expenditure incurred is Rs. 10,22,51,987.97 (Ten Crore Twenty Two Lac Fifty One thousand Nine hundred Eighty Seven and Ninety Seven Paise only) during the FY 2020-21.

Centre for Financial Literacy (CFL)

To explore innovative and participatory approaches to financial literacy, RBI has decided to commission a pilot project for three years and setting up 80 CFLs at block level across nine states with support from Financial Inclusion Fund through NABARD. The pilot project will be implemented by Banks in collaboration with NGOs/Agencies identified by RBI. The Banks would be responsible for overall governance of the project whereas the identified NGOs will execute the project as per stipulated guidelines in the allotted blocks.

RBI have allotted five blocks under Bhadrak district and five blocks under Dhenkanal district of Odisha to UCO Bank for setting up of CFL project. UCO Bank has undertaken the CFL project with the objective as follows:

- To inculcate the habit of making a household budget and recording financial transaction.
- Encourage transaction in saving account and active saving by depositing in bank through Fixed Deposit / Recurring Deposits.
- Ensure people to borrow from Financial Institutions whenever required.
- Create awareness about grievance redress mechanism in banking & Banking Ombudsman. Encourage transaction through electronic means viz. NEFT, RTGS, IMPS, Internet Banking, Mobile Banking, UPI etc.

- लोगों को जीवन बीमा और पेंशन संबंधी उत्पाद प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- उत्पाद, प्रक्रिया और वित्तीय साक्षरता के संरक्षण पर लक्षित समुदाय के ज्ञान, दृष्टिकोण और व्यवहार को बढ़ाने में सुविधा प्रदान करना।

सीएफएल बजट की स्थापना के लिए सीएपीईएक्स और ओपेक्स के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नाबार्ड के माध्यम से आवंटित किया गया था, जिसमें यूको बैंक को संचालन व्यय का 40% वहन करना पड़ता है और 60% नाबार्ड द्वारा वहन किया जाएगा। परिचालन व्यय के लिए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए धन फाउंडेशन को प्रेषित राशि का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए (सीएफएल) ओपेक्स /(CFL) OPEX for FY 2020-21		
धन फाउंडेशन को विप्रेषित राशि Amount Remitted to Dhan Foundation	नाबार्ड से प्राप्त दावा राशि (व्यय का 60%) Claim From NABARD (60% of Expenditure)	यूको बैंक का अंशदान (व्यय का 40%) Uco Bank Contribution (40% of Expenditure)
Rs.3642173/-	Rs.2185304/-	Rs.1456869/-

वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी)

वित्तीय साक्षरता केंद्र बिल्डिंग ब्लॉक हैं जो वित्तीय साक्षरता गतिविधियों को जमीनी स्तर पर शुरू करते हैं। बैंक बुनियादी ढांचा प्रदान कर रहे हैं और एफएलसी ईको-सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों के एफएलसी और ग्रामीण शाखाओं द्वारा वित्तीय साक्षरता शिविरों के संचालन के लिए परिचालन दिशानिर्देश जारी किए थे।

यूको बैंक के पास 7 राज्यों में अग्रणी जिले हैं। इन जिलों में से अभी 29 एफएलसी काम कर रहे हैं। वित्तीय साक्षरता उपभोक्ताओं को औपचारिक उत्पादों और प्रदाताओं के लाभों को समझने और उन विकल्पों को अपनाने में सक्षम बनाती है जो उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप हैं और पैसे के लिए अच्छे मूल्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। एफएलसी विभिन्न लक्षित समूहों के लिए उनकी आवश्यकता के अनुरूप दृष्टिकोण अपनाता है। किसान, सूक्ष्म और लघु उद्यमी, स्कूली बच्चे, एसएचजी, वरिष्ठ नागरिक आदि के रूप में वित्तीय साक्षरता परामर्शदाता वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) का नेतृत्व कर रहे हैं, जो जमीनी स्तर पर वित्तीय साक्षरता की पहल करने में प्रमुख हितधारक हैं। असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, पंजाब और ओडिशा के 7 प्रमुख जिलों में 29 वित्तीय साक्षरता परामर्शदाता काम कर रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए एफएलसी पर वित्तीय साक्षरता परामर्शदाताओं के वेतन पर किया गया कुल व्यय इस प्रकार है:

क्रम सं Sl. No.	वित्तीय साक्षरता परामर्शदाताओं की संख्या No. of Financial Literacy counsellors	यूको बैंक द्वारा प्रदत्त राशि Amount paid by UCO Bank
1	35	₹4131645/-

- Encourage people to get Life Insurance and Pension related products.
- To facilitate in enhancing Knowledge, Attitude and Behaviour of target community on Product, Process and Protection of Financial Literacy.

In connection to the setting up of CFL budget was allotted for CAPEX and OPEX by RBI through NABARD wherein UCO Bank has to borne 40% of operation expense and 60% will be borne by NABARD. The details of amount remitted to Dhan Foundation for the FY 2020-21 for operational expenditure is as follows:

Financial Literacy Centre (FLC)

Financial literacy centres are the building blocks that initiate the financial literacy activities at the ground level. Banks are providing basic infrastructure and strengthening the FLC Eco-system. RBI had issued operational guidelines for conduct of financial literacy camps by FLCs and rural branches of banks.

UCO Bank has lead districts spreading over 7 states. Out of these districts 29 FLCs are functioning at present. Financial literacy enables consumers to understand the benefits of formal products and providers and to make choices that fit their needs and represent good value for money. FLC adopts a tailored approach for different target groups viz. Farmers, Micro and Small Entrepreneurs, as school children, SHGs, senior citizens etc. Financial literacy counselors are heading the Financial Literacy Centres (FLCs) is the key stakeholder in driving the financial literacy initiatives at the ground level. 29 financial literacy counselors are working in districts of 7 states viz: Assam, Bihar, Himachal Pradesh, Rajasthan, West Bengal, Punjab and Odisha.

The total expenditure towards salary for financial literacy counsellors at FLCs for the FY 2020-21 is as follows:

सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन पर उत्तर : / Response to principle-wise performance:

<p>क्या कंपनी के पास सिद्धांत 8 से संबंधित नीति का विशेषीकृत कार्यक्रम/ पहल/परियोजना है? यदि हाँ, तो उसका विवरण दें। Does the company have specified programmes/initiatives/projects in pursuit of the policy related to Principle 8? If yes, details thereof.</p>	<p>जैसा ऊपर स्पष्ट किया गया है। As explained above</p>
<p>क्या कार्यक्रम / परियोजनाएं इन-हाउस टीम / स्वयं का फाउंडेशन/ बाहरी एनजीओ / सरकारी संरचनाओं / किसी अन्य संगठन के माध्यम से चलाई जाती हैं? Are the programmes/projects undertaken through in-house team/own foundation/external NGO/government structures/any other organization?</p>	<p>जैसा ऊपर स्पष्ट किया गया है। As explained above</p>
<p>क्या आपने अपनी पहल के प्रभाव का कोई आकलन किया है? Have you done any impact assessment of your initiative?</p>	<p>जैसा ऊपर स्पष्ट किया गया है। As explained above</p>
<p>सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है - राशि आइएनआर में और चालू परियोजनाओं के विवरण? What is your company's direct contribution to community development projects - Amount in INR and the details of the projects undertaken?</p>	<p>जैसा ऊपर स्पष्ट किया गया है। As explained above</p>
<p>क्या यह सुनिश्चित करने के लिए आपने कदम उठाए हैं कि समुदाय द्वारा इस सामुदायिक विकास पहल को सफलतापूर्वक अपनाया जाए? Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community?</p>	<p>जैसा ऊपर स्पष्ट किया गया है। As explained above</p>

सिद्धांत 9: कारोबारियों को एक जिम्मेदार तरीके से अपने ग्राहकों के साथ जुड़ना चाहिए और उसे उसका मूल्य प्रदान करना चाहिए

ग्राहक को उनकी नब्ज समझकर उसे मुदित करना बैंक का प्रमुख उद्देश्य रहा है। इसके लिए बैंक ने अपने ग्राहकों की अपने उत्पादों और सेवाओं के बारे में जो कुछ अनुभव किया है, उसे गौर से सुना है।

क्षेत्र में, ग्राहकों का सामना करने वाले शाखा कर्मचारी हमारी सेवाओं / उत्पादों / चैनलों के बारे में ग्राहकों की प्रतिक्रियाओं और राय के बारे में हमें जानकारी देते हैं। ग्राहक हमें अपने बैंक की वेबसाइट पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। हम इन फीडबैक को संकलित करते हैं और सुधार के सुझावों पर तुरंत अमल करते हैं। इनके अलावा, ग्राहक हमें लिखते भी हैं, जो उन्हें समझने का एक अच्छा माध्यम होता है। हमारे असंख्य ग्राहक हमारे कॉल सेंटर के माध्यम से ग्राहक संतुष्टि के बारे में हमारे अधिगम के समृद्ध स्रोत हैं। बैंक नियमित ग्राहक मिलन भी आयोजित करता है।

बैंक के पास ग्राहकों के लिए एक समर्पित ग्राहक सेवा सेल उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए बैंक के पास एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र है। ग्राहकों की शिकायतों के समय पर और कुशल निपटान की सुविधा के लिए, बैंक के पास एक एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली है जिसे "मानकीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली" (एसपीजीआरएस) कहा जाता है। बैंक ने उन लोगों की एक समर्पित टीम खड़ी की है जो अपने समर्पित प्रयासों से शिकायत समाधान में तेजी ला रहे हैं।

Principle 9: Businesses should engage with and provide value to their customers in a responsible manner

Achieving customer delight by understanding their pulse has been the prime objective of the bank. In achieving the same, bank has intently listened to what customers feel about our products, services and our channels.

At the field, the customer facing branch staffs provide the feedback regarding the customer's responses and opinions regarding our services/products/channels. Customers also provide us feedback on our bank's website. We compile these feedback and act on the suggestions for improvement immediately. Apart from these, the customers write to us, which also provides a good source of learning their pulse. Our umpteen customer interactions through our call centres serve as rich source of learning regarding customer satisfaction. The bank also conducts regular customer meets.

The bank has a dedicated customer service cell to be available to customers, when they are in need. The bank has a robust Grievance Redressal mechanism for customers. To facilitate timely and efficient disposal of customer complaints, the bank has an integrated Grievances Redressal system called the "Standardized Public grievance Redressal system" (SPGRS). Bank has dedicated team of people who are expediting complaint resolution through their dedicated efforts.

सिद्धांत-वार प्रदर्शन का जवाब: :/ Response to principle-wise performance:

<p>वित्तीय वर्ष के अंत तक ग्राहकों की शिकायतें / उपभोक्ता मामले कितने प्रतिशत लंबित हैं।</p> <p>What percentage of customer complaints/consumer cases are pending as on the end of financial year.</p>	<p>केवल 231 यानी 1.22% ग्राहक शिकायतें वित्त वर्ष 2020-21 में लंबित हैं।</p> <p>Only 231 i.e.1.22% of customer complaints are pending for FY 2020-21.</p>
<p>क्या कंपनी स्थानीय कानूनों की अपेक्षाओं के अतिरिक्त, उत्पादों के लेबलों पर उत्पाद की जानकारी, प्रदर्शित करती है? हां / नहीं / लागू नहीं/ मंतव्य (अतिरिक्त जानकारी)।</p> <p>Does the company display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes/No/NA/Remarks (additional information).</p>	<p>लागू नहीं / Not Applicable</p>
<p>क्या कंपनी के खिलाफ किसी भी हितधारक द्वारा अनुचित व्यापार व्यवहार, गैर-जिम्मेदाराना विज्ञापन और / या पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार और वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित होने का कोई मामला दर्ज किया गया है। यदि हां, तो इसके बारे में लगभग 50 शब्दों में विवरण दें।</p> <p>Is there any case filed by any stakeholder against the company regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/or anti-competitive behaviour during the last five years and pending as on end of financial year. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.</p>	<p>शून्य / Nil</p>
<p>क्या आपकी कंपनी ने कोई उपभोक्ता सर्वेक्षण / उपभोक्ता संतुष्टि रुझान सर्वेक्षण कराया है?</p> <p>Did your company carry out any consumer survey/consumer satisfaction trends?</p>	<p>ऑनलाइन ग्राहक प्रतिक्रिया पेज के माध्यम से और प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा बैंक ग्राहकों की संतुष्टि के विषय में निरंतर प्रतिक्रिया प्राप्त करता रहता है।</p> <p>Bank obtains feedback on continuous basis about customer's satisfaction through online customer feedback page and by direct interaction.</p>

कॉर्पोरेट अभिशासन से संबंधित रिपोर्ट

1. बैंक का कॉर्पोरेट अभिशासन दर्शन :

यूको बैंक कॉर्पोरेट अभिशासन प्रथाओं के क्षेत्र में सर्वोत्तम पद्धति के लिए अक्षरशः प्रतिबद्ध है। सर्वोत्तम कॉर्पोरेट अभिशासन प्रथाओं का पालन करना बैंक के कार्यों का एक अभिन्न हिस्सा है। बैंक का मानना है कि अच्छा कॉर्पोरेट अभिशासन अधिक से अधिक सांविधिक और नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन से है। सुशासन उच्च स्तर का व्यावसायिक सदाचार प्रदान करता है और बड़े पैमाने पर अपने सभी हितधारकों और समाज को अत्यधिक महत्व देता है।

यूको बैंक का कॉर्पोरेट अभिशासन दर्शन उसके कार्य में निहित उच्च-स्तरीय नैतिक मूल्यों को बनाए रखना है। बैंक की कॉर्पोरेट अभिशासन नीतियां पारदर्शिता एवं व्यावसायिकता के महत्वपूर्ण मूल्यों पर केंद्रित हैं। बैंक अपने सभी हितधारकों एवं समाज को अधिकतम महत्व देने हेतु कॉर्पोरेट अभिशासन को और अधिक समृद्ध करने के लिए अपनी सर्वोत्तम पद्धति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के प्रति लगातार प्रयासरत है।

2. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970 के उपबंधों द्वारा शासित होता है। कॉर्पोरेट अभिशासन संबंधी आवश्यकताओं को, जैसा कि सेबी (सूचीबद्ध दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 में दिया गया है, इन संविधियों के साथ पढ़ा जाए।

बैंकिंग कंपनी (अर्जन और उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम 1970 के अनुसार धारा 9 (3ए) (ए) के अंतर्गत खंड एच के अंतर्गत नामित निदेशकों तथा बैंकिंग कंपनी (अर्जन और उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) के क्लॉज (आई) के अंतर्गत शेरधारकों द्वारा निर्वाचित निदेशकों को निम्न में से किसी एक या एक से अधिक क्षेत्र का विशेष ज्ञान एवं व्यावहारिक क्षेत्र का अनुभव रहना चाहिए (i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था (ii) बैंकिंग (iii) सहकारी क्षेत्र (iv) अर्थशास्त्र (v) वित्त (vi) विधि (vii) लघु उद्योग या विशेष ज्ञान का कोई और क्षेत्र और व्यावहारिक अनुभव जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के लिए आवश्यक समझे।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने परिपत्र संख्या डीबीआर. एपीपीटी. बीसी. संख्या 38/29.39.001/2016-17 दिनांक 24.11.2016 द्वारा अधिसूचित किया है कि (i) सूचना प्रौद्योगिकी (ii) भुगतान एवं निपटान प्रणाली (iii) मानव संसाधन (iv) जोखिम प्रबंधन एवं (v) व्यापार प्रबंधन को बैंकिंग के लिए विशेष ज्ञान तथा व्यावहारिक अनुभव के क्षेत्र में उपयोगी समझा जाय।

बैंक के निदेशक अनुभवी हैं तथा उन्हें बैंक को उपयुक्त दिशा प्रदान करने एवं बैंक की कार्यप्रणाली पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु बैंकिंग, वित्त और प्रबंधन आदि के क्षेत्र में आवश्यक विशेषज्ञता हासिल है।

2.1. प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी और दो कार्यपालक निदेशक भारत सरकार द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक निदेशक हैं जबकि अन्य निदेशकों को बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1. Corporate Governance Philosophy of the Bank:

UCO Bank is committed to the best practices in the area of corporate governance practices, in letter and in spirit. Adherence to best corporate governance practices is an integral part of Bank's operations. Bank believes that good corporate governance is much more than complying with statutory and regulatory requirements. Good governance facilitates high level of business ethics and to optimise the value for all its stakeholders and the society, at large.

UCO Bank's Corporate Governance Philosophy is to maintain high standards of ethical practices in conduct of its business. The Bank's Corporate Governance policies are woven around the core values of transparency and professionalism. The Bank constantly endeavours to ensure implementation of best practices aimed at enhancing the corporate governance that optimize the value for all its stakeholders and the society, at large.

2 Board of Directors

The constitution of the Board of Directors is governed by the provisions of the Banking Regulation Act 1949, Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970, Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970. The requirements of Corporate Governance as envisaged in the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are to be read along with these statutes.

In terms of Section 9 (3A) (A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the directors nominated under Clause (h) and elected by the shareholders under Clause (i) of Section 9(3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, shall have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following matters namely: (i) agricultural and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operative, (iv) economics, (v) finance, (vi) law, (vii) small scale industry, or any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank, be useful to the bank.

Reserve Bank of India vide its circular No. DBR.Appt.BC.No.38/29.39.001/2016-17 dated 24.11.2016 notified that special knowledge or practical experience in matters or areas relating to (i) Information Technology (ii) Payment & Settlement Systems (iii) Human Resources (iv) Risk Management and (v) Business Management would be useful to a banking company.

The Directors of the Bank are experienced and have requisite expertise in the fields of banking, finance and risk management so as to provide appropriate directions and exercise effective control in the functioning of the Bank.

2.1 Managing Director & Chief Executive Officer and two Executive Directors are the whole time directors appointed by the Govt. of India while the other directors are appointed/

1970 की (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) 9(3) (क) से 9 (3) (ज) तक की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत नियुक्त / नामांकित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 9(3) (झ) के अधीन शेयरधारक अपने में से एक निदेशक का निर्वाचन (केन्द्र सरकार से भिन्न) कर सकते हैं।

2.2 दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल का संघटन :

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अनुसार निदेशक मंडल का गठन किया गया है। प्रत्येक निदेशक का विवरण, निदेशक मंडल की अन्य समितियाँ जिनमें वे सदस्य या अध्यक्ष हैं और अन्य कंपनियों में अध्यक्ष या निदेशक होने तथा बैंक में हितधारिता की जानकारी नीचे प्रस्तुत की जा रही है :

nominated under various sections viz., 9(3) (a) to 9(3) (h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 (hereinafter referred as Act). Besides, under Section 9(3) (i) of the said Act, the shareholders of the Bank are entitled to elect one director (other than the Central Government) from among themselves.

2.2 Composition of the Board of Directors as on 31.03.2021:

The Board is constituted in accordance with the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. The details of each Director, no. of various Board Committees where he/she is a member or Chairperson, directorship of other companies and shareholding in the Bank are as follows:

क्रम सं.	निदेशक का नाम एवं पदनाम	पदभार ग्रहण करने की तारीख	दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार धारित यूको बैंक शेयर	बैंक की समितियों में सदस्यता की संख्या	अन्य बैंक/कंपनियों के बोर्ड की समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता की संख्या	अन्य कंपनियों में धारित निदेशक पद
Sl. No.	Name & Designation of the Director	Date of assuming office	No. of UCO Bank shares held as on 31.03.2021	No. of membership in Committees of the Bank	No. of membership/ Chairmanship in committees of the board of other bank/companies	Directorship held in other companies
1.	श्री अतुल कुमार गोयल प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Shri Atul Kumar Goel Managing Director & Chief Executive Officer	02.11.2018	26500	10	16	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस (आईआईबीएफ) New India Assurance Co Ltd, Indian Institute Of Banking and Finance (IIBF) भारतीय बैंक संघ (आईबीए) Indian Banks Association (IBA)
2.	श्री अजय व्यास कार्यपालक निदेशक Shri Ajay Vyas Executive Director	03.04.2019	----	11	----	----
3.	श्री इशराक अली खान सरकार के नामिती निदेशक Shri Ishraq Ali Khan Govt. Nominee Director	10.03.2021	----	10	----	----
4.	श्री आनंद मधुकर सरकार के नामिती निदेशक Shri Anand Madhukar Govt. Nominee Director	04.12.2018	----	10	----	----
5.	डॉ. तुली रॉय आरबीआई के नामिती निदेशक Dr. Tuli Roy RBI Nominee Director	28.09.2020	----	04	----	----
6.	श्री के राजीवन नायर शेयरधारक श्रेणी के अंतर्गत निदेशक Shri K Rajivan Nair Director under Shareholder Category	01.02.2021	100	12	----	----

2.2.1 दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त /इस्तीफा देने वाले निदेशकगण

2.2.1 Directors who retired/resigned during the year ended on 31.03.2021:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	नियुक्ति की तारीख	निदेशक पद की समाप्ति की तारीख	यूको बैंक के निदेशक मंडल की समितियों की संख्या जिनके वे सदस्य थे
Sl. No.	Name of the Director	Date of Appointment	Date of Cessation of Directorship w.e.f.	No. of Committees of the Board of UCO Bank on which a member
1	डॉ. अरविंद शर्मा, आरबीआई के नामिती निदेशक Shri Arvind Sharma, RBI Nominee Director	23.02.2015	28.09.2020	04
2	श्री आशीष साहा, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक Sri Asish Saha, Part-time Non-Official Director	27.12.2017	26.12.2020	10

2.2.2 Directors who joined during the year ended on 31.03.2021:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	नियुक्ति की तारीख	निदेशक पद की समाप्ति की तारीख	यूको बैंक के निदेशक मंडल की समितियों की संख्या जिनके वे सदस्य थे
Sl. No.	Name of the Director	Date of Appointment	Date of Cessation of Directorship w.e.f.	No. of Committees of the Board of UCO Bank on which a member
1	श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director	10.03.2021	30.04.2023	10
2	डॉ. तुली रॉय, आरबीआई के नामिती निदेशक Dr. Tuli Roy, RBI Nominee Director	28.09.2020	Till further notification	04

नोट : शेयरधारक निदेशक श्री के राजीवन नायर का कार्यकाल 01.12.2020 को समाप्त हो गया। उन्हें फिर से शेयरधारक निदेशक के रूप में 01.02.2021 में चुना गया था।

Note : The tenure of Shareholder Director Shri K Rajivan Nair ended on 01.12.2020. He was again elected as Director under Shareholder Category w.e.f 01.02.2021.

2.2.3 निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

श्री अतुल कुमार गोयल

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

26 दिसंबर 1964 को जन्मे श्री अतुल कुमार गोयल ने 02 नवंबर 2018 को यूको बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का कार्यभार संभाला। इसके पूर्व वे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक थे।

श्री गोयल आनर्स के साथ कॉमर्स में स्नातक की उपाधि धारण करते हैं। वे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के सदस्य हैं। इसके साथ वे सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस (सीएआईआईबी) भी हैं।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के नाते श्री गोयल ने प्रायः सभी महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो यथा बड़े कारपोरेट, जोखिम प्रबंधन, वित्तीय आयोजना और निवेशक संबंध के साथ साथ सपोर्ट सेवा, कारोबार प्रक्रिया रूपांतरण, अनुपालन आदि में काम किया है। अपने समृद्ध अनुभव और ज्ञान से उन्होंने बड़े कारपोरेट और तुलन पत्र प्रबंधन विभागों में अमित सेवा दी है। इलाहाबाद बैंक में श्री गोयल ने अनेक महत्वपूर्ण विभागों में जिसमें बैंकिंग परिचालन, खासकर मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के पद पर कार्य किया है। उन्होंने इलाहाबाद बैंक के मुंबई अंचल कार्यालय के प्रधान का भी कार्यभार निभाया है। श्री गोयल अपने सर्वोत्तम नेटवर्किंग कौशल के लिए भी जाने जाते हैं।

2.2.3 Brief Profile of the Directors

Shri Atul Kumar Goel

Managing Director & Chief Executive Officer

Born on December 26, 1964, Shri Atul Kumar Goel assumed the charge as Managing Director & Chief Executive Officer of UCO Bank on November 02, 2018. Prior to his elevation as MD & CEO of UCO Bank, he was Executive Director in Union Bank of India.

Shri Goel holds a Bachelor Degree with Honours in Commerce and member of Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). He is also a Certified Associate of Indian Institute of Banking and Finance (CAIIB).

As Executive Director in Union Bank of India, Shri Goel handled almost all key portfolios like Large Corporate, Risk Management; Financial Planning & Investor Relations apart from Support Service, Business Process Transformation, Compliance etc. Through his rich knowledge and experience, his contribution especially to Large Corporate and Balance sheet Management department is immeasurable. During his stint at Allahabad Bank, Shri Goel handled key areas covering vast spectrum of Banking operations, most importantly as Chief Financial Officer (CFO). He also headed the Mumbai Zone of Allahabad Bank. Mr. Goel is also known for his high networking skills.

श्री गोयल ने आइबीए की करधान समिति के सदस्य रहने के अलावा प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों जिसमें एनआईबीएम, पुणे, आईएमटी, दिल्ली शामिल है, के द्वारा आयोजित अनेक कार्यक्रमों में भाग लिया है। उन्होंने काफराल के द्वारा देश और विदेश में आयोजित अनेक कार्यक्रमों में भी भाग लिया है।

श्री अजय व्यास, कार्यपालक निदेशक

15 अगस्त, 1962 को जन्मे श्री अजय व्यास एक अनुभवी और तकनीक-प्रिय बैंकर हैं।

श्री अजय व्यास ने 3 अप्रैल, 2019 को यूको बैंक के कार्यपालक निदेशक का पदभार ग्रहण किया। इससे पहले श्री व्यास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भोपाल में क्षेत्रीय महाप्रबंधक थे।

श्री व्यास सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि धारक हैं तथा उन्हें वाणिज्य बैंकिंग, वित्तीय समावेशन, सामान्य प्रशासन, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, अधिग्रहण सेवाओं और विपणन जैसे बैंकिंग के विभिन्न क्षेत्रों का वृहत अनुभव है। दिनांक 01.10.1993 को प्रबंधक (सिविल) के रूप में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कार्यग्रहण के साथ उनका बैंकिंग कैरियर शुरू हुआ।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अपनी छब्बीस वर्षों की सेवा के दौरान, उन्होंने शाखाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों और एफजीएम कार्यालयों में विभिन्न पदों पर कार्य किया। अपने बैंकिंग कैरियर के दौरान, उन्होंने बैंक के कई युवा कर्मचारियों की मेंटरिंग की है। उच्च शिक्षा और पेशेवर दौरे पर उन्होंने जापान, थाईलैंड, हॉलैंड, सिंगापुर, फ्रांस और मलेशिया जैसे देशों की व्यापक यात्रा की है।

वे बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, भोपाल के अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, मध्य प्रदेश के संयोजक और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न समितियों के सदस्य भी रहे हैं।

श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक

श्री इशराक अली खान ने दिनांक 10 मार्च, 2021 को यूको बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। श्री खान, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मुख्य महाप्रबंधक और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीटीओ) थे। वे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पहले मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) भी थे।

श्री खान विज्ञान में स्नातकोत्तर, सर्टिफाइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम प्रोफेशनल (पीएमपी) तथा आईटीआरबीटी, हैदराबाद से सूचना प्रौद्योगिकी एवं साइबर सिक्योरिटी में सर्टिफिकेट प्राप्त हैं। वह इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट (सीएआईआईबी) भी हैं।

मुख्य महाप्रबंधक और सीटीओ के रूप में श्री खान ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख समामेलन आईटी एकीकरण परियोजना को संभाला और नई तकनीकों को लाने और बैंक में ग्रीन डेटासेंटर स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अपनी 33 वर्षों की सेवा के दौरान उन्होंने विभिन्न क्षमताओं में क्षेत्र महाप्रबंधक और क्षेत्रीय प्रमुख के रूप में विभिन्न पदों पर क्षेत्रीय कार्यालय, अंचल कार्यालयों और क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालयों में कार्य किया। अपने बैंकिंग करियर के दौरान उन्होंने बैंक के कई युवा स्टाफ सदस्यों को मार्गदर्शित भी किया। श्री खान, मिलनसार कार्यपालक हैं और अपने उच्च टीम निर्माण नेतृत्व गुणों के लिए भी जाने जाते हैं।

श्री खान ने भारतीय बैंक संघ और इगन जेंडर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के परामर्श से बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा आयोजित आईआईएम, बंगलुरु के प्रतिष्ठित नेतृत्व कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने केलांग्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, शिकागो और आईएसबी, हैदराबाद से भी शिक्षा प्राप्त की है।

श्री आनंद मधुकर, सरकार के नामिती निदेशक

30 नवंबर, 1972 को जन्मे श्री आनंद मधुकर आईआरपीएस (भारतीय रेल कार्मिक सेवा) के 1997 बैच के अधिकारी हैं। अभी वे वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में

88

Shri Goel has attended prestigious training programme conducted by NIBM Pune, IMT Delhi apart from member of Taxation Committee in IBA. He has also undergone training programme held abroad conducted under aegis of CAFRAL.

Shri Ajay Vyas, Executive Director

Born on 15th August, 1962, Shri Ajay Vyas is a seasoned and tech-savvy banker.

Shri Ajay Vyas assumed the charge as the Executive Director of UCO Bank on 3rd April, 2019. Shri Vyas was Field General Manager in Central Bank of India, Bhopal.

Shri Vyas holds a Bachelor Degree in Civil Engineering and possesses varied experience in different areas of banking such as Commercial Banking, Financial Inclusion, General Administration, Electronic payments, Cards - Debit and Credit, Acquiring Services and Marketing. His career in Banking began when he joined Central Bank of India as Manager (Civil) on 01.10.1993.

During his twenty-six years of service at Central Bank of India, he held various positions in Branches, Zonal Offices and FGM Offices. During his banking career, he has mentored many young staff members of the Bank. He has travelled widely abroad in countries like Japan, Thailand, Holland, Singapore, France and Malaysia for advance studies and professional tours.

He has also held the post of Chairman of Banks' Town Official Language Implementation Committee, Bhopal, Convenor of State Level Bankers' Committee, Madhya Pradesh and Member of different committees set up by Govt. of Madhya Pradesh.

Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director

Shri Ishraq Ali Khan assumed the charge as Executive Director of UCO Bank on March 10, 2021. Shri Khan was Chief General Manager & Chief Technology Officer (CTO) in Union Bank of India. He was also first Chief Information Security Officer (CISO) in Union Bank of India.

Shri Khan holds a Master Degree in Science, Certified Project Management program professional (PMP), IT and Cyber security certification from IDRBT, Hyderabad. He is also a Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB).

As Chief General Manager & CTO, Shri Khan handled the key amalgamation IT integration project of the Union Bank of India and instrumental in bringing new technologies and establishing green datacenter in the Bank. During his 33 years of service at Union Bank of India, he held various positions in Regional Office, Zonal Offices and FGM Offices on various capacities such as Field General Manager and Regional Head. During his banking career, he has mentored many young staff members of the Bank. Shri Khan, an easy to approach Executive is also known for his high team building leadership qualities.

Shri Khan has attended prestigious leadership programme of IIM Bengaluru, curated by the Banks Board Bureau in consultation with IBA and Egon Zehnder International Pvt. Ltd. He has also attended Kellogs School of Management, Chicago and ISB, Hyderabad.

Shri Anand Madhukar, Govt. Nominee Director

Born on November 30, 1972, Shri Anand Madhukar is an IRPS (Indian Railway Personnel Service) Officer of 1997 Batch. At present, he is posted as Officer on Special Duty in Department

पदस्थापित हैं। बैंक के निदेशक मंडल में सरकार के नामिती निदेशक के रूप में उन्होंने 4 दिसंबर 2018 को कार्यभार संभाला। श्री मधुकर ने हंसराज कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने यूसीएलए, बर्कले से नीति तथा अभिशासन में एक अत्यावधिक पाठ्यक्रम भी किया है तथा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से नेगोशिएशन कौशल का पाठ्यक्रम भी किया है।

श्री आनंद मधुकर को विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर काम करने का लगभग 21 वर्षों का सुदीर्घ अनुभव है। इनमें कुछ इस प्रकार हैं:

1. वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, दक्षिण पूर्व रेलवे, चक्रधरपुर डिवीजन। प्रायः 22000 कर्मचारियों के मानव संसाधन विभाग के प्रधान का दायित्व निभाया है।
2. रेलवे भर्ती सेल, दक्षिण पूर्व रेलवे के अध्यक्ष के रूप में समूह डी के लिए प्रायः 8 लाख आवेदकों से में करीब 2500 भर्तियों की हैं।
3. कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय में निदेशक (एसीसी) के रूप में उन्होंने सीपीएसई, पीएसबी, स्वशासी निकायों, ट्रिब्यूनलों आदि में वरिष्ठ नियुक्तियों सम्पादित की हैं। इस क्रम में उन्हें मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति का अनुमोदन प्राप्त करने तथा भारत सरकार की मानव संसाधन नीतियों को विहंगम दृष्टि से देखने का अवसर मिला है। उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के लिए उन्हें वर्ष 2008-09 का रेल मंत्री अवार्ड भी प्राप्त हुआ है।
4. वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में विशेष ड्यूटी में अधिकारी के रूप में पदस्थापित थे।

डॉ. तुली रॉय, आरबीआई नामिती निदेशक

डॉ. (श्रीमती) तुली रॉय ने 1989 में भारतीय रिजर्व बैंक, कोलकाता में एक अधिकारी के रूप में कार्यग्रहण किया। इसके बाद उन्होंने कोलकाता, नई दिल्ली, केंद्रीय कार्यालय मुंबई और वर्तमान में कानपुर में विभिन्न पद क्षमताओं में काम किया। उन्हें बैंकिंग, गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण और विनियमन तथा विदेशी मुद्रा के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने का समृद्ध अनुभव है। विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में उन्होंने बेहतर नीति निर्माण के लिए फेमा विनियमों को ओवरहॉलिंग और सुव्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गैर-बैंकिंग विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में वह विभिन्न मुद्दों पर नीति नोटों में सक्रिय रूप से शामिल थीं। मार्च, 2013 में काठमांडू में आयोजित सार्क क्षेत्र में माइक्रोफाइनेंस संस्थानों के विनियमन और पर्यवेक्षण पर सार्क वित्त संगोष्ठी में उन्होंने एक विशेषज्ञ के रूप में आरबीआई का प्रतिनिधित्व किया। कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय में वह गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग में कार्यरत थीं। मुख्य महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नति पर वह उत्तर प्रदेश राज्य में क्षेत्रीय निदेशक की क्षमता में आरबीआई, कानपुर में तैनात थीं। डॉ. तुली रॉय आईआईटी, नई दिल्ली से अर्थशास्त्र में पीएचडी हैं। उन्होंने मनी मार्केट्स पर एक पेपर प्रकाशित किया है। उन्होंने सीएआईआईबी किया है। इसके अलावा, वह भारत और विदेशों में कई उन्नत स्तर के प्रबंधन और कार्यात्मक कार्यक्रमों में भाग ले चुकी हैं। उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों जैसे आईआईटी खड़गपुर, एमडीआई गुडगांव के साथ-साथ चेन्नई और पुणे के विभिन्न प्रशिक्षण कॉलेजों में कई वार्ताएं और व्याख्यान दिया है।

श्री के राजीवन नायर, शेरधारक श्रेणी के अंतर्गत निदेशक

1 सितंबर 1961 को जन्मे श्री के राजीवन नायर सम्प्रति भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत हैं तथा निगम के मुख्य जीवन बीमा परामर्शी विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में कार्यपालक निदेशक हैं। यूको बैंक के निदेशक मंडल में उन्होंने 2 दिसंबर, 2017 को शेर धारकों के निदेशक के रूप में योगदान दिया। उन्हें विपणन, वित्त, विधि तथा मानव संसाधन के क्षेत्र में काम करने का व्यापक अनुभव है।

of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India. He has joined Bank's Board as Government Nominee Director w.e.f December 04, 2018. Shri Madhukar holds a Masters Degree in History from Hansraj College, Delhi University. He has also pursued short term courses on Ethics and Governance from UCLA, Berkeley and on Negotiation Strategies from London School of Economics.

Mr Anand Madhukar has experience of around 21 years and has held several significant positions which include :

1. Senior Divisional Personnel Officer of Chakradharpur Division of South Eastern Railway heading HR functions for approximately 22,000 employees.
2. As Chairman of Railway Recruitment Cell of South Eastern Railway handled Group D recruitment for app. 2500 vacancies having 8 lakhs applicants.
3. As Director (ACC) in DOPT handled senior appointments in CPSEs, PSBs, Autonomous Bodies, Tribunals etc. requiring approval of the Appointments Committee of the Cabinet, getting a bird's-eye view of the HR policies of the Govt. of India in the process. He was awarded with Minister of Railways Award for outstanding performance for the year 2008-09.
4. He was posted as Officer on Special Duty in Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India.

Dr. Tuli Roy , RBI Nominee Director

Dr. (Smt.) Tuli Roy joined Reserve Bank of India as a trainee on Nov. 14, 1988 and was posted as an officer at RBI Kolkata in 1989. Thereafter, she worked at Kolkata, New Delhi, Central Office Mumbai and presently in Kanpur in different capacities. She has rich experience in areas dealing with Banking, Non-Banking Supervision and Regulation and Foreign Exchange, among others. In Foreign Exchange Department, Central Office, Mumbai, she has played an instrumental role in overhauling and streamlining FEMA Regulations for better policy making. In Department of Non-Banking Regulation, Central office, Mumbai, she was actively involved in policy notes on various issues. She represented RBI as a resource person in the SAARC FINANCE Seminar on regulation and supervision of Microfinance institutions in SAARC Region held in March 2013 in Kathmandu. In Kolkata Regional Office, she was instrumental in the working of Department of Non-Banking Supervision. On her promotion as, Chief General Manager she was posted at RBI, Kanpur in the capacity of Regional Director for the State of Uttar Pradesh. Dr. Tuli Roy holds a Ph.D. degree in Economics from IIT New Delhi. She has published a paper on Money Markets. She has completed CAIIB. Besides, she has attended numerous advanced level Management and Functional Programmes in India and abroad. She has delivered many talks and lectures at esteemed universities like IIT Kharagpur, MDI Gurgaon as well as training colleges in Chennai and Pune on various issues.

Shri K Rajivan Nair, Director under Shareholder Category

Born on 1st September 1961, Shri K Rajivan Nair is presently working with Life Insurance Corporation of India and is currently holding the post of Executive Director in Chief Life Insurance Advisor Department, Central Office, Mumbai. He joined the Board of UCO bank on 2nd December 2017 as Shareholder Director and has vast experience in the areas of Marketing, Finance, Law, Human Resource.

2.2.4. निदेशक मंडल की विशेषज्ञता / Expertise of the Board of Directors

क्र. सं. SI No	निदेशक के नाम एवं पदनाम Name & Designation of Director	विशेषज्ञता Expertise
1.	श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Shri Atul Kumar Goel, Managing Director & CEO	लेखाशास्त्र एवं बैंकिंग Accountancy and Banking
2.	श्री अजय व्यास, कार्यपालक निदेशक Shri Ajay Vyas, Executive Director	बैंकिंग Banking
3.	श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director	बैंकिंग और सूचना प्रौद्योगिकी Banking and Information Technology
4.	श्री आनंद मधुकर, सरकार के नामिती निदेशक Shri Anand Madhukar, Govt. Nominee Director	प्रशासन Administration
4.	डॉ. तुली रॉय, भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती निदेशक Dr. Tuli Roy, RBI Nominee Director	बैंकिंग Banking
6.	श्री के राजीवन नायर, शेयरधारक श्रेणी के अंतर्गत निदेशक Shri K Rajivan Nair, Director under Shareholder Category	बैंकिंग एवं विपणन Banking and Marketing

2.3 निदेशक मंडल की बैठकों की तारीख

समीक्षाधीन अवधि के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध उपबंध) योजना 1970 के खंड 12 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम 6 (छह) बैठकों तथा सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 में निर्धारित न्यूनतम 4 (चार) बैठकों की तुलना में निम्नलिखित तारीखों को निदेशक मंडल की 14 (चौदह) बैठकें आयोजित की गई :

02.05.2020	26.06.2020	30.06.2020	31.07.2020	25.08.2020	30.09.2020	22.10.2020
20.11.2020	15.12.2020	26.12.2020	25.01.2021	01.02.2021	20.02.2021	26.03.2021

3. निदेशक मंडल की समितियां:

भारतीय रिज़र्व बैंक/भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों/निदेशों के अनुसरण में बैंक में निदेशक मंडल की विभिन्न समितियों का गठन किया गया है जिसका उद्देश्य निर्णय प्रक्रिया को सुचारु और कारगर बनाना, समितियों के विचारार्थ विषयों के अंतर्गत आनेवाले विभिन्न कार्यकलापों की प्रभावी निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई करना है। निदेशक मंडल की विभिन्न स्थायी समितियों के विवरण नीचे दर्शाए गए हैं:

3.1 निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) :

भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशानुसार हमारे बैंक ने निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति का गठन किया है जिसमें स्टॉक एक्सचेंजों के साथ निष्पादित सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 में निर्धारित न्यूनतम 3 (तीन) निदेशकों की जगह 5 (पांच) निदेशक हैं। समिति के सभी निदेशक वित्तीय रूप से शिक्षित हैं।

3.1.1 एसीबी एक सशक्त प्रबंधकीय व्यवस्था के रूप में लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण की प्रभाविता को सुनिश्चित करने और बढ़ाने हेतु बैंक की आंतरिक लेखापरीक्षा/निरीक्षण कार्य का सर्वेक्षण, समीक्षा करती है एवं निदेश देती है। आंतरिक लेखापरीक्षा के संबंध में समिति इन उद्देश्यों के अनुसार बैंक के आंतरिक निरीक्षण/लेखापरीक्षा संबंधी कार्य - उसकी प्रणाली, गुणवत्ता एवं प्रभाविता की समीक्षा करती है। जहां तक बाह्य लेखापरीक्षा का संबंध है, समिति लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में उठाए गए सभी मुद्दों की समीक्षा करती है। इसके अतिरिक्त यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट के मसौदे में लेखांकन नीतियों, रीतियों, अर्हताओं में परिवर्तन तथा लेखांकन मानक के अनुपालन के विशेष संदर्भ में समीक्षाकृत/लेखापरीक्षित लेखों को अंतिम रूप दिए जाने के पूर्व बाह्य लेखापरीक्षकों के साथ

2.3 Dates of Board Meetings:

During the period under review, 14 (fourteen) meetings of the Board were held on following dates, as against a minimum of 6 (six) prescribed under Clause 12 of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 and minimum of 04 (four) meetings stipulated under SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations 2015:

3 Committees of the Board:

Pursuant to the instructions/guidelines/directives issued by the Reserve Bank of India/Government of India, various committees of the Board have been constituted with the objective of streamlining the decision making process, effective monitoring and follow up of various activities falling within the terms of references of such committees. Details of the various committees of the Board are as under:

3.1 Audit Committee of the Board (ACB):

As per directives of RBI, the Bank constituted the Audit Committee of the Board (ACB) with 5 (five) directors as against minimum of 3 (three) directors stipulated under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. All the Directors on the Committee are financial literates.

3.1.1 The ACB oversees, reviews and provides directions to the internal audit/ inspection function in the Bank in order to ensure and enhance the effectiveness of the audit and inspection function as a strong management tool. In respect of internal audit, the Committee reviews the internal inspection/ audit function of the Bank - the system, its quality and effectiveness in terms of the objectives. As regards external audit, the committee reviews all the issues raised in the Long Form Audit Report. Besides, it interacts with the external auditors before finalization of reviewed/ audited accounts with special reference to change in accounting policies, practices,

विचार-विमर्श करती है। इसके साथ ही यह भारतीय रिजर्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्टों में उठाए गए सभी मुद्दों/समस्याओं के संबंध में भी कार्रवाई करती है। यह समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, आंतरिक लेखा-कार्य, समाधान, कपट एवं अन्य संबंधित विषयों की भी समीक्षा करती है।

3.1.2 वर्तमान में निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति में श्री अजय व्यास, कार्यपालक निदेशक, श्री आनंद मधुकर, सरकार के नामित निदेशक एवं डॉ. तुली रॉय, आरबीआई की नामित निदेशक इसके सदस्य के रूप में शामिल हैं। निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक आमंत्रित हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 18 में निर्धारित 4 (चार) बैठकों की तुलना में निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति की 7 (सात) बैठकें आयोजित की गईं।

3.1.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति की 7 बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं:

26.06.2020	30.06.2020	31.07.2020	09.10.2020	22.10.2020
22.12.2020	25.01.2021			

3.2 निदेशक मंडल की प्रबंध समिति (एमसीबी):

समिति का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970 के उपबंधों के अनुसार किया गया है। इसके सदस्य हैं: प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशकगण, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ग) में निर्दिष्ट निदेशक तथा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) के खंड (ड), (च), (ज) एवं (झ) में निर्दिष्ट निदेशकों में से निदेशक मंडल द्वारा नामित तीन निदेशक। निदेशक मंडल द्वारा नामित निदेशक एक बार में एक वर्ष से अधिक समय तक पद पर नहीं रहेंगे। प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी एमसीबी के अध्यक्ष हैं।

3.2.1 समिति का उद्देश्य निम्नलिखित पर विचार करना और उन्हें अनुमोदित करना है :

- अधिक राशि के उधार/ऋण, समझौता और बड़े खाते डालने के प्रस्ताव,
- पूंजीगत और राजस्व व्यय हेतु तथा परिसर के अधिग्रहण और किराए पर लेने से संबंधित बड़ी राशि के प्रस्ताव, जिसमें परिसर के अधिग्रहण/किराए पर लेने के मानदंडों से विचलन भी शामिल है,
- कंपनियों के शेयरों/डिबेंचरों में निवेश सहित सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में अधिक राशि का निवेश करने के प्रस्ताव और हामीदारी, दान देने संबंधी अधिक राशि के प्रस्ताव और
- समय-समय पर इस समिति के पास भेजे गए इसी प्रकार के कोई अन्य मामले।

3.2.2 वर्तमान में निदेशक मंडल की प्रबंध समिति में अध्यक्ष के रूप में श्री ए के गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री अजय व्यास, कार्यपालक निदेशक, श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक, डॉ. तुली रॉय, आरबीआई की नामित निदेशक एवं श्री के. राजीवन नायर, शेयरधारक श्रेणी के अंतर्गत नियुक्त निदेशक इसके सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.2.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की प्रबंध समिति की 12 (बारह) बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं :

qualifications in the draft audit report and compliance with the accounting standards. It also addresses all issues/concerns raised in inspection report of RBI. Besides, the committee also reviews the internal control system, the areas of housekeeping, reconciliation, fraud and other related matters.

3.1.2 The ACB, at present, comprises Shri Ajay Vyas, Executive Director, Shri Anand Madhukar, Govt. Nominee Director and Dr. Tuli Roy, RBI Nominee Director as its members. Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director is the invitee to the meetings of ACB. During the period under review, 7 (seven) meetings of the ACB were held as against a minimum of 4 (four) meetings in a year stipulated in Regulation 18 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations 2015.

3.1.3 During the period under review, 7 (seven) meetings of the ACB were held on following dates:

26.06.2020	30.06.2020	31.07.2020	09.10.2020	22.10.2020
22.12.2020	25.01.2021			

3.2 Management Committee of the Board (MCB):

The Management Committee of the Board (MCB) is constituted as per provisions of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970. Its members are the Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors, directors referred in section 9(3)(c) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970 and three directors nominated by the Board from amongst the directors referred to in section 9(3)(e), 9(3)(f), 9(3)(h) and 9(3)(i) of the Banking companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970. The Directors nominated by the Board shall hold office for not more than one year at a time. The Managing Director & Chief Executive Officer acts as the Chairman of the MCB.

3.2.1 The objectives of the MCB are to consider and approve -

- High value credit/loan, compromise and write-off proposals,
- High value proposals for capital and revenue expenditure and those relating to acquisition and hiring of premises including deviation from prescribed norms for acquisition/hiring of premises,
- Proposal for high value investments in Govt. and other approved securities including investment in shares/debentures of companies as well as high value proposals of underwriting, making donations and
- Any other matter of similar nature referred to it from time to time.

3.2.2 The MCB, at present, comprises Shri A K Goel, Managing Director & Chief Executive Officer as its Chairman, Shri Ajay Vyas, Executive Director, Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director, Dr Tuli Roy, RBI Nominee Director and Shri K. Rajivan Nair, Director appointed under shareholder category as its members

3.2.3 During the period under review, 12 (twelve) meetings of the MCB were held on the dates as follows:

18.04.2020	18.05.2020	23.06.2020	13.07.2020	13.08.2020	16.09.2020
19.10.2020	12.11.2020	01.12.2020	09.02.2021	09.03.2021	19.03.02021

3.3 निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति :

3.3.1 निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसीबी) बैंक के कारोबार में आनेवाली विभिन्न प्रकार की जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, निगरानी करती है तथा बैंक को संबंधित दिशानिर्देश देती है और आवधिक समीक्षा एवं निगरानी के आधार पर ऐसी कार्यनीतियां बनाती है जिनसे बैंक के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय कारोबार के परिचालन में स्थायित्व और दक्षता सुनिश्चित हो। यह बैंक में आरिस्ट देयता प्रबंध (एएलएम) प्रणाली के क्रियाकलाप का पर्यवेक्षण एवं निगरानी भी करती है।

3.3.2 वर्तमान में निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति में अध्यक्ष के रूप में श्री ए के गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री अजय व्यास, कार्यपालक निदेशक, श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक एवं श्री के. राजीवन नायर, शेयरधारक श्रेणी के अंतर्गत नियुक्त निदेशक इसके सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.3.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान आरएमसीबी की 4 (चार) बैठकें इन तारीखों को आयोजित की गईं :

30.06.2020	25.08.2020	20.11.2020	26.03.2021
------------	------------	------------	------------

3.4.0 निदेशक मंडल की हितधारक संबंध समिति :

3.4.1 शेयरधारकों/अन्य प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों यथा- धन वापसी आदेश, शेयर प्रमाणपत्र, लाभांश वारंट आदि प्राप्त न होने के संबंध में फिकायतकर्ता की तृप्ति के अनुरूप शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 20 के अनुसार इस समिति का गठन किया गया है।

3.4.2 श्री के राजीवन नायर, शेयरधारक श्रेणी के अंतर्गत निदेशक इस समिति के अध्यक्ष हैं। श्री अजय व्यास, कार्यपालक निदेशक तथा श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक समिति के अन्य सदस्य हैं।

3.4.3 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड की पूर्ववर्ती पारिश्रमिक समिति की 2 (दो) बैठकें दिनांक 25.08.2020 एवं 26.03.2021 को आयोजित की गईं।

3.4.4 श्री एन पूर्ण चन्द्र राव, कंपनी सचिव, सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 6(1) के अनुसार अनुपालन अधिकारी हैं।

3.4.5 वित्तीय वर्ष के दौरान शेयरधारकों से प्राप्त शिकायतों की स्थिति

- वित्तीय वर्ष के दौरान शेयरधारकों से प्राप्त शिकायतें- 2030
- शेयरधारकों की संतुष्टि के अनुसार समाधान नहीं हुए शिकायतों की संख्या- शून्य
- वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक लंबित शिकायतों की संख्या- शून्य

3.5 निदेशक मंडल की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसीबी)

3.5.1 समिति बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करती है और निदेशक के रूप में निर्वाचित होने या चुने जाने वाले व्यक्तियों की "उचित एवं सही स्थिति" का निर्धारण करती है।

3.5.2 भारत सरकार के परिपत्र के दिशानिर्देशों के अनुसार समिति में बोर्ड के गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल होंगे।

3.5.3 श्री आनंद मधुकर, सरकार के नामित निदेशक और श्री के राजीवन नायर, शेयरधारक श्रेणी के अंतर्गत निदेशक वर्तमान में इस समिति में शामिल हैं।

3.5.4 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड की पूर्ववर्ती पारिश्रमिक समिति की 1 (एक) बैठकें दिनांक 09.10.2020 को आयोजित की गईं।

3.3 Risk Management Committee of the Board:

3.3.1 The Risk Management Committee of the Board (RMCB) identifies, evaluates, monitors and guides the Bank on various categories of risks to which the Bank's business is exposed and devises, based on periodical review and monitoring, such strategies as would ensure stability and efficiency of the domestic and International business operations of the Bank. It also supervises and monitors the functioning of the Asset Liability Management (ALM) System in the Bank.

3.3.2 The RMCB, at present, comprises of Shri AK Goel, Managing Director & Chief Executive Officer as its Chairman, Shri Ajay Vyas, Executive Director, Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director and Shri K Rajivan Nair, Director under Shareholder Category as its members.

3.3.3 During the period under review, 4 (four) meetings of the RMCB were held on the dates as follows:

30.06.2020	25.08.2020	20.11.2020	26.03.2021
------------	------------	------------	------------

3.4. Stake Holders' Relationship Committee of the Board:

3.4.1 The Committee is constituted in terms of regulation 20 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 for speedy redressal of complaints/grievances of shareholders/other security holders like non-receipt of refund orders, share certificates, dividend warrants etc., to the satisfaction of the complainants.

3.4.2 The Committee is chaired by Shri K Rajivan Nair, Director under Shareholder Category. Other members of the committee are Shri Ajay Vyas, Executive Director and Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director.

3.4.3 During the period under review, 2 (two) meetings of the Committee was held on 25.08.2020 and 26.03.2021. All the complaints received during the period under review were redressed.

3.4.4 Shri N Purna Chandra Rao, Company Secretary, is the compliance officer in terms of Regulation 6(1) of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

3.4.5 Status of shareholders' complaints received during the financial year:

- No. of shareholders' complaints received during the financial year - 2030
- No. of shareholders' complaints not solved to the satisfaction of shareholders - Nil
- No. of pending complaints at the end of the financial year - Nil

3.5 Nomination and Remuneration Committee of the Board (NRCB):

3.5.1 The Committee evaluates performance of Bank's Whole-time Directors and determines "Fit & Proper status" of elected or to be elected Director.

3.5.2 As per Government of India guidelines, the Committee shall comprise of non-executive Directors of the Board.

3.5.3 The Committee, at present, comprises Shri Anand Madhukar, Government Nominee Director and Shri K. Rajivan Nair, Director under Shareholder category.

3.5.4 During the period under review, 1(one) meeting of the Committee was held on 09.10.2020.

3.6 बड़ी राशि के कपटों की निगरानी हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति :

3.6.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन में बड़ी राशि के कपटों की निगरानी हेतु विशेष समिति का गठन किया गया है जिसका उद्देश्य ₹1 करोड़ एवं उससे अधिक की राशि के कपटों की निगरानी एवं उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करना है। बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी इस समिति के अध्यक्ष हैं।

3.6.2 वर्तमान में इस समिति के अध्यक्ष के रूप में श्री ए के गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री अजय व्यास, कार्यपालक निदेशक, श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक, श्री आनंद मधुकर, सरकार के नामित निदेशक एवं श्री के. राजीवन नायर, शेयरधारक श्रेणी के अंतर्गत नियुक्त निदेशक इसके सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.6.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान इस समिति की 7 (सात) बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं:

02.05.2020	30.06.2020	25.08.2020	30.09.2020	20.11.2020	22.12.2020	26.03.2021
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

3.7 निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी)

3.7.1 निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति का गठन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन में किया गया है।

3.7.2 समिति का उद्देश्य:

- जनसेवा प्रक्रिया एवं कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा समिति की संस्तुतियों का कार्यान्वयन एवं पालन, साथ ही उसकी संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु,
- सदैव सभी श्रेणी के ग्राहकों के लिए ग्राहक-तुष्टि के स्तर में सुधार लाने हेतु,
- ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए नवीन उपायों पर विचार करने हेतु।

3.7.3 वर्तमान में इस समिति के अध्यक्ष के रूप में श्री ए के गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री अजय व्यास, कार्यपालक निदेशक, श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक, श्री आनंद मधुकर, सरकार के नामित निदेशक एवं श्री के. राजीवन नायर, शेयरधारक श्रेणी के अंतर्गत नियुक्त निदेशक इसके सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.7.4 समीक्षाधीन अवधि के दौरान इस समिति की 5 (पाच) बैठकें इन तारीखों को हुईं:

02.05.2020	25.08.2020	09.10.2020	22.12.2020	26.03.2021
------------	------------	------------	------------	------------

3.8 बैंक के मानव संसाधन संबंधी मुद्दों से संबंधित समिति (निदेशक मंडल की मानव संसाधन समिति)

सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के लिए प्रबंधकीय स्वायत्तता संबंधी भारत सरकार के निदेशों के आलोक में बैंक के निदेशक मंडल को यह स्वतंत्रता दी गई है एवं उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वह सरकारी नीतियों के व्यापक ढांचे के भीतर प्रबंधकीय मुद्दों पर निर्णय ले। स्वायत्तता से संबंधित एक क्षेत्र का संबंध मानव संसाधन से संबंधित नीति एवं क्रियाविधि के निर्माण से है।

3.8.1 वर्तमान में इस समिति के अध्यक्ष के रूप में श्री ए के गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री अजय व्यास, कार्यपालक निदेशक, श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक, श्री आनंद मधुकर, सरकार के नामित निदेशक एवं श्री के. राजीवन नायर, शेयरधारक श्रेणी के अंतर्गत नियुक्त निदेशक इसके सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.8.2 समिति का उद्देश्य :

- स्टाफ ढांचा, भर्ती, पदस्थापना, स्थानांतरण, प्रशिक्षण, पदोन्नति, पेंशन आदि सहित बैंक से संबंधित मानव संसाधन संबंधी सभी मुद्दों के बारे में निर्णय करना,

3.6 Special Committee of the Board for Monitoring of Large Value Frauds:

3.6.1 In compliance with the guidelines issued by Reserve Bank of India, Special Committee for Monitoring Large Value Frauds has been constituted with the objective of monitoring and following up frauds involving ₹1.00 crore and above. The Managing Director & Chief Executive Officer of the Bank acts as the Chairman of the Committee.

3.6.2 At present, the Committee comprises of Shri A K Goel, Managing Director & Chief Executive Officer as its Chairman, Shri Ajay Vyas, Executive Director, Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director, Sri Anand Madhukar, Govt. Nominee Director and Shri K. Rajivan Nair, Director under shareholder category as its members.

3.6.3 During the period under review, 7 (seven) meetings of the Committee were held on the dates as follows:

3.7 Customer Service Committee of the Board (CSCB):

3.7.1 In compliance with the directives issued by Reserve Bank of India, the Customer Service Committee of the Board has been constituted.

3.7.2 Objectives of the Committee:

- To ensure implementation of and adherence to the recommendations of Committee on Procedures and Performance Audit of Public Services as well as compliance with its recommendations;
- To bring upon improvement in the level of customer satisfaction for all categories of clientele at all times;
- To consider innovative measures to enhance the quality of customer service.

3.7.3 At present, the Committee comprises Shri A K Goel, Managing Director & Chief Executive Officer as its Chairman, Shri Ajay Vyas, Executive Director, Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director, Sri Anand Madhukar, Govt. Nominee Director and Shri K. Rajivan Nair, Director under shareholder category as its members.

3.7.4 During the period under review, 5 (five) meetings of the Committee were held on the dates as follows:

02.05.2020	25.08.2020	09.10.2020	22.12.2020	26.03.2021
------------	------------	------------	------------	------------

3.8 Committee on HR Related Issues of the Bank (HR Committee of the Board):

In the light of directive of Govt. of India on Managerial Autonomy to the Public Sector Banks (PSB), the Board of Directors of the Bank is granted the freedom and responsibility for deciding on managerial issues within the broad framework of the Government policies. One of the areas of autonomy relates to framing of HR policies and procedures.

3.8.1 At present, the Committee comprises of Shri Atul Kumar Goel, Managing Director & Chief Executive Officer as its Chairman, Shri Ajay Vyas, Executive Director, Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director, Shri Anand Madhukar, Govt. Nominee Director and Shri K Rajivan Nair, Shareholder Director as its members.

3.8.2 Objectives of the Committee:

- To decide all Human Resource issues relating to the Bank including staffing pattern, recruitment, placement, transfer, training, promotions, pensions, etc.,

- ii) पात्रता मानदंड, चयन की पद्धति, प्रवेश के स्तरों आदि सहित भर्ती के लिए मानव संसाधन संबंधी नीति एवं क्रियाविधि बनाना,
 - iii) अधिकारियों एवं स्टाफ के पारिश्रमिक एवं क्षतिपूर्ति के बारे में निर्णय लेना,
 - iv) बैंक के पदधारियों की जवाबदेही और जिम्मेदारी से संबंधित नीति निर्धारित करना एवं
 - v) शाखाओं के वर्गीकरण के लिए मानदंड विहित करना।
- उपर्युक्त मामले सीधे बोर्ड से संबंधित हैं और इसलिए समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।

3.8.3 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की 4 (चार) बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित हुईं:

30.06.2020	30.09.2020	22.12.2020	26.03.2021
------------	------------	------------	------------

3.9 निदेशक मंडल की सू.प्रौ. कार्यनीति समिति

3.9.1 प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं अन्य सूचना प्रौद्योगिकी पहल से संबंधित मामलों पर कार्यनीति बनाने हेतु निदेशक मंडल की सू.प्रौ. कार्यनीति समिति का गठन किया गया है।

3.9.2 वर्तमान में इस समिति में कार्यपालक निदेशक श्री अजय व्यास, श्री झाराक अली खान, कार्यपालक निदेशक, सरकार के नामित निदेशक श्री आनंद मधुकर एवं शेरधरक श्रेणी के अंतर्गत निदेशक श्री के. राजीवन नायर सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.9.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 5 (पाच) बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं:

02.05.2020	30.06.2020	25.08.2020	20.11.2020	20.02.2021
------------	------------	------------	------------	------------

3.10 एनपीए खातों में वसूली की निगरानी के लिए निदेशक मंडल स्तरीय समिति:

3.10.1 बैंक में एक सख्त निगरानी प्रणाली कराने के संबंध में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशों के अनुपालन में दिनांक 07.12.2012 को एनपीए वसूली की निगरानी के लिए एक निदेशक मंडल स्तरीय समिति बनाई गई है, जो अनर्जक आस्तियों में वसूली की प्रगति पर लगातार निगरानी रखेगी।

3.10.2 वर्तमान में इस समिति के अध्यक्ष के रूप में श्री ए के गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री अजय व्यास, कार्यपालक निदेशक, श्री झाराक अली खान, कार्यपालक निदेशक एवं श्री आनंद मधुकर, सरकार के नामित निदेशक इसके सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.10.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 7 (सात) बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं:

02.05.2020	30.06.2020	25.08.2020	30.09.2020	20.11.2020	22.12.2020	26.03.2021
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

3.11 अपील मामलों के निपटान के लिए निदेशक मंडल की समिति:

3.11.1 अनुशासनिक प्राधिकारी की क्षमता में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा जारी आदेशों के विरुद्ध कर्मचारियों द्वारा की गई अपीलों का निपटान करने के लिए अपील मामलों के निपटान के लिए समिति गठित की गई है।

3.11.2 वर्तमान में, इस समिति में श्री आनंद मधुकर, भारत सरकार के निदेशक, डॉ. तुली रॉय, आरबीआई के नामित निदेशक तथा श्री के राजीवन नायर, शेरधरक निदेशक शामिल हैं।

3.11.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 3 (तीन) बैठकें 25.08.2020, 25.11.2020 एवं 22.12.2020 को आयोजित की गईं।

- ii) To frame HR policies and procedures for recruitment including eligibility criteria, mode of selection, levels of entry, etc.,
- iii) To take decisions on remuneration and compensation of officers and staff,
- iv) To lay down policy of accountability and responsibility of Bank officials, and
- v) To prescribe standards for categorization of branches.

The matters pertaining to aforesaid areas were taken up directly with the Board, and therefore no meeting of the Committee was held during the period under review.

3.8.3 During the period under review, 4 (four) meeting of the Committee was held on dates as follows:

30.06.2020	30.09.2020	22.12.2020	26.03.2021
------------	------------	------------	------------

3.9 IT Strategy Committee of the Board:

3.9.1 The IT Strategy Committee of the Board has been constituted to formulate strategies in the matters relating to technology upgradation and other IT initiatives.

3.9.2 At present, the Committee comprises Shri Ajay Vyas, Executive Director, Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director, Shri Anand Madhukar, Government Nominee Director and Shri K. Rajivan Nair, Director under Shareholder category as its members.

3.9.3 During the period under review 05 (five) meetings of the committee were held on the dates as follows:

02.05.2020	30.06.2020	25.08.2020	20.11.2020	20.02.2021
------------	------------	------------	------------	------------

3.10 Board Level Committee for Monitoring Recovery in NPAs accounts:

3.10.1 In compliance with the directives of Ministry of Finance, Government of India, to have a robust monitoring mechanism in the Bank, a Board Level Committee for Monitoring of Recovery in NPAs has been constituted on 07.12.2012 to monitor progress in recovery of Non-Performing Assets on regular basis.

3.10.2 At present, the Committee comprises Shri Atul Kumar Goel, Managing Director and Chief Executive Officer as its Chairman, Shri Ajay Vyas, Executive Director, Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director and Shri Anand Madhukar, Govt. Nominee Director as its members.

3.10.3 During the period under review, 7(seven) meetings of the committee were held on dates as follows:

3.11 Committee of the Board for disposal of Appeal Cases:

3.11.1 The Committee for disposal of Appeal Cases is constituted to dispose off appeals preferred by the employees against the orders issued by Managing Director & Chief Executive Officer in the capacity of Disciplinary Authority.

3.11.2 At present, the Committee comprises Shri Anand Madhukar, Govt. Nominee Director, Dr Tuli Roy, RBI Nominee Director and Shri K Rajivan Nair, Shareholder Director as its members.

3.11.3 During the period under review, 3(three) meetings of the Committee were held on the dates 25.08.2020, 25.11.2020 and 22.12.2020.

3.12 समीक्षा समिति (जान-बूझकर चूक करने वाले):

3.12.1 प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समीक्षा समिति (जान-बूझकर चूक करनेवाले) जान-बूझकर चूक करनेवाले की घोषणा करने हेतु जान-बूझकर चूक करनेवाले की पहचान करने के लिए कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति के आदेशों की पुष्टि करते हैं।

3.12.2 वर्तमान में इस समिति के अध्यक्ष के रूप में श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं एवं अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के अंतर्गत निदेशक श्री के राजीवन नायर सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.12.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 02 (दो) बैठकें क्रमशः 02.05.2020 एवं 30.09.2020 को आयोजित की गईं।

3.13 बोर्ड की कार्यनिष्पादन मूल्यांकन समिति

3.13.1 समिति का गठन भारत सरकार, एमओएफ, डीएफएस के दिशानिर्देश दिनांक 30.08.2019 के अनुसार किया गया है। समिति में सरकार द्वारा नामित निदेशक, एसीबी अध्यक्ष, शेयरधारक निदेशक शामिल हैं।

3.13.2 वर्तमान में, समिति में श्री आनंद मधुकर, सरकार के नामित निदेशक और श्री के राजीवन नायर, शेयरधारक श्रेणी के तहत निदेशक इसके सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.13.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की तीन बैठकें; दिनांक 30.06.2020, 15.07.2020 एवं 24.07.2020 को आयोजित की गईं।

3.14 गैर-पदोन्नति के विरुद्ध अपील के निपटान के लिए बोर्ड की समिति

3.14.1 वर्तमान में समिति के अध्यक्ष श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं तथा श्री अजय व्यास, कार्यपालक निदेशक, श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक और श्री के राजीवन नायर, शेयरधारक निदेशक इसके सदस्य हैं।

3.14.2 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 1 (एक) बैठक दिनांक 30.06.2020 को आयोजित की गई।

3.15 बोर्ड स्तरीय ऋण अनुमोदन समिति

3.15.1 वर्तमान में समिति के अध्यक्ष श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं तथा श्री अजय व्यास, कार्यपालक निदेशक, श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक और श्री के राजीवन नायर, शेयरधारक निदेशक इसके सदस्य हैं।

3.15.2 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 55 (पचपन) बैठकें आयोजित की गईं।

3.12 Review Committee (Willful Defaulters):

3.12.1 The Review Committee (Willful Defaulters) headed by the Managing Director & Chief Executive Officer, confirms the order of the ED-headed Committee for Identification of Willful Defaulters for declaration of willful defaulters.

3.12.2 At present, the Committee comprises Shri Atul Kumar Goel, Managing Director & Chief Executive Officer as its Chairman and Shri K Rajivan Nair, Director under Shareholder category as its members.

3.12.3 During the period under review, 02 (two) meetings of the Committee were held on the dates 02.05.2020 and 30.09.2020.

3.13 Performance Evaluation Committee of the Board

3.13.1 The committee is constituted in terms of GOI, MOF, DFS guideline dated 30.08.2019. The committee comprises of Government Nominee Director, ACB Chairperson, Shareholder Director.

3.13.2 At present, the Committee comprises Shri Anand Madhukar, Govt. Nominee Director and Shri K Rajivan Nair, Director under Shareholder category as its members.

3.13.3 During the period under review, 03 (three) meetings of the Committee were held on the dates 30.06.2020, 15.07.2020 and 24.07.2020.

3.14 Committee of the Board for Disposal of Appeal against Non-Promotion

3.14.1 At present, the committee comprises Shri Atul Kumar Goel, Managing Director and Chief Executive Officer as its Chairman, Shri Ajay Vyas, Executive Director, Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director and Shri K Rajivan Nair, Shareholder Director as its members.

3.14.2 During the period under review, 1 (one) meeting of the Committee was held on 30.06.2020.

3.15 Board Level Credit Approval Committee

3.15.1 At present, the Committee comprises Shri Atul Kumar Goel, Managing Director and Chief Executive Officer as its Chairman, Shri Ajay Vyas, Executive Director, Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director, Shri D K Mridha, General Manager-Risk Management, Shri Ram Kumar, General Manager- Credit and Finance as its members.

3.15.2 During the period under review, 55(Fifty Five) meetings of the Committee were held.

4 निदेशक मंडल और निदेशक मंडल की विभिन्न समितियों की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का ब्योरा :

4 The details of attendance of meetings of the Board by the directors and of various Committees of the Board are as under:

बैठक/ Meetings of the										
निदेशक का नाम Name of Director	निदेशक मंडल Board of Directors		निदेशक मंडल की प्रबंध समिति Management Committee of the Board		निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति Customer Service Committee of the Board		निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति Risk Management Committee of the Board		बैंक के मानव संसाधन संबंधी मामले (मानव संसाधन समिति) HR related issues of the Bank (HR Committee)	
	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended
श्री अतुल कुमार गोयल प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Shri Atul Kumar Goel MD & CEO	14	14	12	12	05	05	04	04	04	04
श्री अजय व्यास कार्यपालक निदेशक Shri Ajay Vyas Executive Director	14	14	12	12	05	05	04	04	04	04
श्री इशराक अली खान कार्यपालक निदेशक Shri Ishraq Ali Khan Executive Director	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
श्री आनंद मधुकर, निदेशक Shri Anand Madhukar Director	14	09	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	05	04	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	04	03
डॉ. अरविंद शर्मा, निदेशक Dr. Arvind Sharma Director	05	05	06	06	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
डॉ. तुली रॉय, निदेशक Dr. Tuli Roy Director	09	09	06	06	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
डॉ. आशीष साहा, निदेशक Dr. Asish Saha Director	10	10	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	03	03	03	03
श्री के. राजीवन नायर, निदेशक Shri K. Rajivan Nair Director	10	10	12	12	04	04	04	03	01	01

बैठक/Meetings of the										
निदेशक का नाम Name of Director	एनपीए खातों में वसूली की निगरानी के लिए निदेशक मंडल स्तरीय समिति Board Level Committee for monitoring of recovery in NPA Account		बड़ी राशि के कपटों की निगरानी हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति Special Committee of Board for Monitoring Large Value Frauds		निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति Audit Committee of the Board		निदेशक मंडल की सू.प्रौ. कार्यनीति समिति IT Strategy Committee of the Board		निदेशक मंडल की हितधारक संबंध समिति Stake Holders' Relationship Committee of the Board	
	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended
श्री अतुल कुमार गोयल प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Shri Atul Kumar Goel MD & CEO	07	07	07	07	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री अजय व्यास कार्यपालक निदेशक Shri Ajay Vyas Executive Director	07	07	07	07	07	07	05	05	02	02
श्री इशराक अली खान कार्यपालक निदेशक Shri Ishraq Ali Khan Executive Director	01	01	01	01	00	00	00	00	01	01
श्री आनंद मधुकर, निदेशक Shri Anand Madhukar Director	07	05	07	05	07	07	05	03	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
डॉ. अरविंद शर्मा, निदेशक Dr. Arvind Sharma Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	03	03	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
डॉ. तुली रॉय, निदेशक Dr. Tuli Roy Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	04	04	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री डॉ. आशीष साहा, निदेशक Dr. Asish Saha Director	06	06	06	06	06	06	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	01	01
श्री के. राजीवन नायर, निदेशक Shri K. Rajivan Nair Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	06	04	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	05	05	02	02

बैठक/Meetings of the										
निदेशक का नाम Name of Director	निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति Performance Evaluation Committee of the Board		निदेशक मंडल की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति Nomination and Remunerations Committee of the Board		निदेशक मंडल की अपील मामलों की निपटान समिति Committee of the Board for Disposal of Appeal Cases		समीक्षा समिति (जान-बूझकर चूककर्ता) Review Committee (Wilful Defaulters)		Committee of the Board for Disposal of Appeal against Non-promotion	
	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended
श्री अतुल कुमार गोयल प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Shri Atul Kumar Goel MD & CEO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	02	02	01	01
श्री अजय व्यास कार्यपालक निदेशक Shri Ajay Vyas Executive Director	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	01	01
श्री इशराक अली खान कार्यपालक निदेशक Shri Ishraq Ali Khan Executive Director	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	00	00
श्री आनंद मधुकर, निदेशक Shri Anand Madhukar Director	03	03	01	01	03	03	NA	NA	NA	NA
डॉ. अरविंद शर्मा, निदेशक Dr. Arvind Sharma Director	NA	NA	NA	NA	01	01	NA	NA	NA	NA
डॉ. तुली रॉय, निदेशक Dr. Tuli Roy Director	NA	NA	NA	NA	02	02	NA	NA	NA	NA
श्री डॉ. आशीष साहा, निदेशक Dr. Asish Saha Director	03	03	01	01	03	03	02	02	NA	NA
श्री के. राजीवन नायर, निदेशक Shri K. Rajivan Nair Director	03	03	01	01	NA	NA	02	02	01	01

नोट/Notes:

- *निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या / No. of meetings held during the tenure of the Director during the review period
- लागू नहीं - समिति के सदस्य नहीं / NA - Not a member

5.0 आम बैठक / General Body Meeting

5.1 पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित शेयरधारकों की बैठक / Shareholders Meetings held during the last three years :

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित शेयरधारकों की आम बैठकों के बारे में इस प्रकार हैं

The details of the General Meetings of the Shareholders held during the last 3 years :

बैठक का नाम Name of the meeting	तारीख एवं दिन Date and Day	समय Time	स्थान Venue
15वीं वार्षिक आम बैठक 15 th Annual General Meeting	27 जून, 2018 27 th June, 2018	सुबह 10.30 10.30 A.M.	मिनी ऑडिटोरियम, साइंस सिटी हॉल, जे.बी.एस. हॉल्डेन एवेन्यू, कोलकाता - 700 046 Mini Auditorium, Science City Hall, J.B.S Haldane Avenue, Kolkata - 700046
असाधारण आम बैठक Extraordinary General Meeting	20 फरवरी, 2019 20 th February, 2019	पूर्वाह्न 11.00 11.00 A.M.	भाषा भवन ऑडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड, अलीपुर कोलकाता - 700 027 Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata - 700027
असाधारण आम बैठक Extraordinary General Meeting	25 मार्च, 2019 25 th March, 2019	पूर्वाह्न 11.00 11.00 A.M.	भाषा भवन ऑडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड, अलीपुर कोलकाता - 700 027 Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata - 700027
16वीं वार्षिक आम बैठक 16 th Annual General Meeting	26 जून, 2019 26 th June, 2019	सुबह 10.30 10.30 A.M.	भाषा भवन ऑडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड, अलीपुर कोलकाता - 700 027 Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata - 700027
असाधारण आम बैठक Extraordinary General Meeting	6 नवंबर, 2019 6 th November, 2019	सुबह 10.30 10.30 A.M.	भाषा भवन ऑडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड, अलीपुर कोलकाता - 700 027 Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata - 700027
असाधारण आम बैठक Extraordinary General Meeting	14 फरवरी, 2020 14 th February, 2020	सुबह 10.30 10.30 A.M.	भाषा भवन ऑडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड, अलीपुर कोलकाता - 700 027 Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata - 700027
17वीं वार्षिक आम बैठक 17 th Annual General Meeting	7 अगस्त, 2020 7 th August, 2020	पूर्वाह्न 11.00 11.00 A.M.	वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से यूको बैंक, प्रधान कार्यालय, 10 बीटीएम सरणी, कोलकाता- 700001 प्रस्तावित स्थल Through Video Conference Deemed Venue was UCO Bank Head Office, 10, BTM Sarani, Kolkata-700001

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (i) के अंतर्गत केंद्र सरकार के अतिरिक्त शेयरधारकों में से एक शेयरधारक के चुनाव के लिए दिनांक 19.10.2020 को शेयरधारकों को असाधारण आम बैठक की नोटिस जारी की गई। उक्त नोटिस के परिप्रेक्ष्य में बैंक को निदेशक चुनाव हेतु दो उम्मीदवारों से वैध नामांकन प्राप्त हुए। हालांकि, एक उम्मीदवार ने अपना नामांकन चुनाव होने से पूर्व वापस ले लिया। इस प्रकार चुनाव के लिए केवल एक ही वैध नामांकन श्री के. राजीवन नायर से था। अतः निदेशक चुनाव नहीं हुआ और यूको बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 2003 के विनियमन 66(1) के तहत श्री के राजीवन नायर को निदेशक के रूप में चुना हुआ माना गया। दिनांक 26 नवंबर, 2020 को निर्धारित असाधारण आम बैठक को निरस्त कर दिया गया क्योंकि उक्त बैठक में चर्चा के लिए और कोई एजेंडा नहीं था। आरबीआई की अधिसूचना दिनांक 02.08.2019 के अनुसार बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा ठीक एवं उचित स्थिति का निर्धारण करने के बाद श्री के राजीवन नायर को 01.02.2021 से तीन साल की अवधि के लिए निदेशक के रूप में चुना गया है।

5.2. पिछली वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति :

पिछली वार्षिक आम बैठक 7 अगस्त, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) के माध्यम से आयोजित की गई थी। श्री ए. के. गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री अजय व्यास, कार्यपालक निदेशक तथा श्री आशीष साहा, आंकात्मिक गैर-सरकारी निदेशक और बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष ने बैठक में भाग लिया।

5.3. पिछले तीन वर्षों के दौरान पारित विशेष संकल्प

- 27 जून, 2018 को आयोजित शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक में सार्वजनिक प्रस्ताव/योग्य संस्थागत स्थानन और/या अन्य रूप में पूंजी जुटाने के विकल्पों के माध्यम से 10/- रुपये प्रत्येक के 150,00,00,000 इक्विटी शेयर जारी करने के लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया।
- 20 फरवरी, 2019 को आयोजित शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में तीन विशेष प्रस्ताव पारित किए गए जिसके माध्यम से जिनके माध्यम से बैंक के शेयरधारकों द्वारा निम्नलिखित अनुमोदन प्रदान किए गए हैं- i) सेबी आईसीडीआर विनियम, 2018 के विनियम 164(1) के अनुसार निर्धारित 3076 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश के सापेक्ष 20.95 रुपये प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर अधिमानतः आधार पर भारत सरकार को 146,82,57,756 इक्विटी शेयर को जारी एवं आवंटन करना ii) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 के तहत कर्मचारी शेयर खरीद योजना नामक यूको बैंक ईएसपीएस 2019 के माध्यम से कर्मचारियों को 20,00,00,000 इक्विटी शेयर जारी करना, iii) योग्य संस्थागत स्थानन के माध्यम से 1000 करोड़ रुपये की कुल राशि के लिए इक्विटी शेयर जारी करना।
- 25 मार्च, 2019 को आयोजित शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया जिसके अनुसार बैंक के शेयरधारकों ने इसे सक्षम करने के लिए बोर्ड को अपनी स्वीकृति प्रदान की जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सेबी आईसीडीआर विनियम, 2018 के विनियम 164(1) के अनुसार निर्धारित 3330 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश के सापेक्ष 19.01 रुपये प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर अधिमानतः आधार पर भारत सरकार को 175,17,09,626 इक्विटी शेयर जारी एवं आवंटन करना था।
- 06 नवंबर, 2019 को आयोजित शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया जिसके अनुसार बैंक के शेयरधारकों ने इसे सक्षम करने के लिए बोर्ड को अपनी स्वीकृति

A notice of Extraordinary General Meeting was issued to the shareholders on 19.10.2020 for election of one shareholder director from amongst the shareholders of the Bank other than Central Government under Section 9(3) (i) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. In response to the notice, Bank has received valid nominations from two candidates for contesting of election of Director. However, one of the candidates who filed nomination withdrew his nomination before contesting election. As there is only one valid nomination from Shri K Rajivan Nair available for contest, no election of director was held and he is deemed to have been elected as director pursuant to Regulations 66(1) of UCO Bank (Shares and Meetings) Regulations 2003. Extraordinary General Meeting scheduled on 26th November, 2020 stood cancelled since there was no other agenda to be transacted at the meeting. Shri K Rajivan Nair is elected as Director w.e.f 01.02.2021 for a period of three years after determination of Fit and Proper status by Nomination and Remuneration Committee of the Board in terms of RBI notification dated 02.08.2019.

5.2. Attendance of the Directors in the last Annual General Meeting:

The last Annual General Meeting was held on 7th August, 2020 through Video Conference (VC). Shri A.K. Goel, Managing Director & Chief Executive Officer, Shri Ajay Vyas, Executive Director and Shri Asish Saha, Part-time non-official Director and Chairman of Audit Committee of the Board, attended the meeting.

5.3. Special Resolutions passed during last three years:

- In the Annual General Meeting of the shareholders held on 27th June, 2018, a special resolution passed for issue of 150,00,00,000 equity shares of Rs.10/- each through Follow on public offer/Qualified Institutional Placement and/ or other capital raising options.
- In the Extraordinary General Meeting of the shareholders held on 20th February, 2019 three special resolutions have been passed through which following approvals have been accorded by the shareholders of the Bank (i) for issue and allot of 146,82,57,756 equity shares to Government of India on preferential basis at an issue price of Rs.20.95 per share determined in accordance with Regulation 164(1) of SEBI ICDR Regulations 2018 against its capital infusion of Rs.3076 Crore. ii) Issue of 20,00,00,000 equity shares to employees through Employees Share Purchase Scheme namely UCO Bank ESPS 2019 under Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014, iii) issue of equity shares for an aggregate amount of Rs.1000 Crores through Qualified Institutional Placement.
- In the Extraordinary General Meeting of the shareholders held on 25th March, 2019 a special resolution was passed in terms of which the shareholders of the Bank accorded their approval to the Board enabling it, inter alia, to issue and allot of 175,17,09,626 equity shares to Government of India on preferential basis at an issue price of Rs.19.01 per share determined in accordance with 164(1) of SEBI ICDR Regulations 2018 against its capital infusion of Rs.3330 crore.
- In the Extra Ordinary General Meeting of the shareholders held on 6th November, 2019 a special resolution was passed in terms of which the shareholders of the Bank accorded

प्रदान की जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सेबी आईसीडीआर विनियम, 2018 के विनियम 164(1) के अनुसार निर्धारित 2130 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश के सापेक्ष 16.89 रुपए प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर अधिमानतः आधार पर भारत सरकार को 126,11,01,243 इक्विटी शेयर जारी एवं आवंटन करना था।

- v) 14 फरवरी, 2020 को आयोजित शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया जिसके अनुसार बैंक के शेयरधारकों ने इसे सक्षम करने के लिए बोर्ड को अपनी स्वीकृति प्रदान की जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सेबी आईसीडीआर विनियम, 2018 के विनियम 164(1) के अनुसार निर्धारित 2142 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश के सापेक्ष 16.54 रुपए प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर अधिमानतः आधार पर भारत सरकार को 129,50,42,321 इक्विटी शेयर जारी एवं आवंटन करना था।
- vi) 7 अगस्त, 2020 को आयोजित शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक में सार्वजनिक प्रस्ताव/योग्य संस्थागत स्थानन और/या अन्य रूप में पूंजी जुटाने के विकल्पों के माध्यम से 10/- रुपये प्रत्येक के 300,00,00,000 इक्विटी शेयर जारी करने के लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया।

6.0 संचार के साधन:

बैंक का मानना है कि सभी हितधारकों को बैंक की गतिविधियों, कार्य और उत्पाद पहल की पूरी जानकारी होनी चाहिए। बैंक की प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध रखनेवाले स्टॉक एक्सचेंजों को बैंक के परिचालन और वित्तीय कार्यनिष्पादन के संबंध में उस तारीख को ही सूचित कर दिया जाता है जिस दिन बैंक के वित्तीय विवरणों का अनुमोदन/समीक्षा करनेवाली निदेशक मंडल की बैठक होती है। इसके अतिरिक्त बैंक का तिमाही/छमाही वार्षिक वित्तीय परिणाम बैंक की वेबसाइट (www.ucobank.com) पर प्रदर्शित किया जाता है। बैंक के ऐसे परिणाम को प्रेस विज्ञापितियों/विज्ञापनों के माध्यम से सार्वजनिक करने के साथ ही प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों एवं अन्य सचि लेनेवाले व्यक्तियों के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाता है।

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुसार 30.06.2020, 30.09.2020 एवं 31.12.2020 को समाप्त तिमाही के बैंक के गैर-लेखापरीक्षित किंतु समीक्षित वित्तीय परिणाम निर्धारित समय सीमा के भीतर कम से कम पूरे या अनौपचारिक रूप से पूरे भारत में प्रसारित होने वाले एक अंग्रेजी भाषा के राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र तथा क्षेत्र की भाषा में प्रकाशित एक दैनिक समाचार पत्र, जहां बैंक का पंजीकृत कार्यालय स्थित है यानी बांग्ला में प्रकाशित किए गए।

पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट की सॉफ्ट प्रतियां उन सभी शेयरधारकों को भेजी जाती हैं, जिन्होंने अपना ई-मेल पता या तो बैंक के पास या डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत किया है और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतिलिपि अन्य शेयरधारकों को भेजी जाती है। हालांकि, सेबी के 15 जनवरी, 2021, के परिपत्र के अनुसार, शेयरधारकों को कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाती है। केवल सॉफ्ट कॉपी उन सभी शेयरधारकों को भेजी जाती है जिनके ईमेल पते जमाकर्ताओं या बैंक के शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास पंजीकृत हैं।

7.0 साधारण शेयरधारकों के लिए सूचना :

7.1 रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट, शेयर अंतरण प्रणाली और निवेशकों की शिकायतों का निवारण:

बैंक द्वारा मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद (पूर्व में कार्वा फिन्टेक प्राइवेट लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) को अपना रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट नियुक्त किया गया है। शेयर/बांड के

their approval to the Board enabling it, inter alia, to issue and allot of 126,11,01,243 equity shares to Government of India on preferential basis at an issue price of Rs.16.89 per share determined in accordance with 164(1) of SEBI ICDR Regulations 2018 against its capital infusion of Rs.2130 crore.

- v) In the Extra Ordinary General Meeting of the shareholders held on 14th February, 2020 a special resolution was passed in terms of which the shareholders of the Bank accorded their approval to the Board enabling it, inter alia, to issue and allot of 129,50,42,321 equity shares to Government of India on preferential basis at an issue price of Rs.16.54 per share determined in accordance with 164(1) of SEBI ICDR Regulations 2018 against its capital infusion of Rs.2142 crore.
- vi) In the last Annual General Meeting of the shareholders held on 7th August, 2020, a special resolution passed for issue of 300,00,00,000 equity shares of Rs.10/- each through Follow on public offer/Qualified Institutional Placement and/ or other capital raising options.

6.0. Means of Communication:

The Bank believes that all the stakeholders should have access to complete information on its activities, performance and product initiatives. The information about the operational and financial performance of the Bank are communicated to the Stock Exchanges, where the securities of the Bank are listed immediately on the date of Board meeting approving/reviewing the financial statements of the Bank, besides posting of quarterly/half-yearly/annual financial results in Bank's website (www.ucobank.com). Such results are also made public through press releases/advertisements as well as by presentation made to the representatives from print and electronic media and other interested members of the public.

As per the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 Unaudited but Reviewed financial results of the Bank for the quarters ended on 30.06.2020, 30.09.2020 & 31.12.2020 were published within the prescribed time limit in at least one English Language national daily newspaper circulating in whole or substantially the whole of India and in one daily newspaper published in the language of the region, where the registered office of the Bank is situated i.e. in Bengali.

Soft copies of full Annual Report is sent to all those shareholders who have registered their e-mail address(es) either with the Bank or with Depositories and physical copy of Annual Report is sent to other shareholders. However, in line with SEBI circular dated 15th January, 2021, no hard copy is sent to the shareholders. Only soft copy is sent to all shareholders whose email addresses are registered with Depositories or Bank's Share Transfer Agent.

7.0. General Shareholders Information:

7.1 Registrar and Share Transfer Agent, Share Transfer System & Redressal of Investor's Grievances:

M/s KFin Technologies Private Limited (Formerly known as Karvy Fintech Private Limited), Hyderabad has been appointed by the Bank as its Registrars and Share Transfer Agent. All grievances

मुद्दे के संबंध में अन्य गतिविधियों के अलावा, पते में परिवर्तन, बैंक अधिदेश में परिवर्तन/अद्यतन, शेयरों के संचारण से संबंधित सभी शिकायतें उनके निम्नलिखित पते पर उन्हें संबोधित की जा सकती हैं:

मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड

(इकाई: यूको बैंक)

कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32
गचीबाउली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा
हैदराबाद - 500032

फोन : 040-67162222, टोल फ्री नं. 1800 345 4001

फैक्स : 040 23420814

ई-मेल : einward.ris@kfintech.com

बैंक ने निवेशकों के होल्डिंग के संबंध में विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्त विभाग, प्रधान कार्यालय, कोलकाता में पूर्ण सुविधा के साथ कक्ष स्थापना की है। निवेशकों की शिकायतें यदि बैंक के कार्यालयों में या रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट के कार्यालय में प्राप्त होती हैं, तो उनका त्वरित निष्पादन किया जाता है। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुपालन में, यूको बैंक के शेयरों के बारे में शेयरधारकों / निवेशकों द्वारा किसी भी शिकायत के लिए एक विशिष्ट ई-मेल आईडी- hosgr.calcutta@ucobank.co.in बनाया गया है।

निवेशक अपना अनुरोध / शिकायत बैंक के पास निम्नलिखित पते पर मेल कर सकते हैं:

श्री एन.पूर्ण चंद्र राव
कंपनी सचिव
यूको बैंक : प्रधान कार्यालय
वित्त विभाग
2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, तीसरा तल,
कोलकाता-700 001

टेलीफोन सं. (033)44557227
फैक्स सं. (033) 2248-5625
ई-मेल: hosgr.calcutta@ucobank.co.in

regarding change of address, change/updation of bank mandate, transmission of shares, amongst other activities in connection with the issue of Shares/ Bonds may be addressed to them in their following address:

M/s. KFin Technologies Private Limited

(Unit : UCO Bank)

Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31&32,
Gachibowli, Financial District, Nanakramguda,
Hyderabad - 500032

Phone: 040-67162222, Toll Free No. 1800 345 4001

Fax: 040 23420814

e-mail: einward.ris@kfintech.com

To meet various requirements of investor regarding their shareholding, the Bank has established full-fledged cell at Finance Department, Head Office, Kolkata. The investors' grievances whether received at the Bank's Offices or at the office of the registrar and share transfer agent are redressed expeditiously. In compliance with the SEBI guidelines, a dedicated email id- hosgr.calcutta@ucobank.co.in has been created for any complaints by the shareholders/investors regarding UCO Bank Shares.

The investors can mail their request /complaint to the Bank in the following address :

Shri N Purna Chandra Rao
Company Secretary
UCO Bank : Head Office
Finance Department
2, India Exchange Place, 3rd Floor,
Kolkata - 700 001

Telephone No. (033)44557227
Fax No. (033) 2248-5625
E-mail : hosgr.calcutta@ucobank.co.in


7.2.1 शेयर मूल्य का उतार-चढ़ाव

बीएसई बैंकेक्स और एनएसई निफ्टी 50 का तुलनात्मक इक्विटी प्रदर्शन निम्नलिखित लाइन चार्ट में प्रस्तुत किया गया है:


7.2.1 Share Price Movement

The equity performance in comparison to BSE Bankex and NSE Nifty 50 is presented in the following line charts:

एनएसई में स्टॉक प्रदर्शन / STOCK PERFORMANCE AT NSE (वित्तीय वर्ष/FY 2020-21)



बीएसई में स्टॉक प्रदर्शन / STOCK PERFORMANCE AT BSE (वित्तीय वर्ष/FY 2020-21)



*Share Price indicates monthly closing prices

7.2.2 बाज़ार मूल्य आंकड़े

बैंक के शेयरों का क्रय-विक्रय दिनांक 09.10.2003 को शुरू हुआ। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) बंबई स्टॉक एक्सचेंज लि. (बीएसई) में क्रय-विक्रय किए गए शेयरों का मासिक उच्च/निम्न भाव और टर्नओवर निम्नानुसार रहा:

7.2.2 Market Price Data

The trading of the Bank's shares commenced on 09.10.2003. The monthly high/low quotations and turnover of the share trading in The National Stock Exchange of India Ltd. (NSE), Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE) during the financial year 2020-21 were as follows:

माह Month	नेशनल स्टाक एक्सचेंज/N.S.E				बंबई स्टाक एक्सचेंज/B.S.E			
	उच्च High(₹)	निम्न Low(₹)	बंद Close	टर्नओवर(करोड़ ₹ में) Turnover (₹ in crore)	उच्च High(₹)	निम्न Low(₹)	बंद Close	टर्नओवर(करोड़ ₹ में) Turnover (₹ in crore)
अप्रैल/Apr-20	14.90	9.05	12.80	43.90	14.88	9.08	12.87	4.79
मई/May-20	12.25	10.90	10.95	14.15	12.26	10.91	10.98	1.58
जून/Jun-20	16.15	11.65	14.85	204.86	16.14	11.69	14.81	27.45
जुलाई/Jul-20	15.05	13.00	14.05	140.96	15.05	13.03	14.07	17.63
अगस्त/Aug-20	14.15	13.45	13.65	89.09	14.14	13.45	13.70	10.34
सितंबर/Sep-20	14.30	11.95	12.15	57.17	14.31	11.92	12.18	8.09
अक्टूबर/Oct-20	12.60	11.40	11.60	37.72	12.60	11.39	11.61	4.98
नवंबर/Nov-20	12.35	11.65	12.35	39.76	12.38	11.70	12.38	5.97
दिसंबर/Dec-20	13.85	12.25	12.70	96.33	13.86	12.26	12.68	13.37
जनवरी/Jan-21	13.35	12.75	12.85	92.46	13.38	12.76	12.83	11.82
फरवरी/Feb-21	15.30	12.85	13.90	466.35	15.30	12.83	13.94	53.92
मार्च/Mar-21	14.05	10.90	11.00	434.91	14.08	10.92	10.99	50.58

* Monthly high & low price are based on daily closing prices of shares

7.3. शेयरों का अमूर्तीकरण

7.3.1 सेबी ने अपनी प्रेस विज्ञापित संख्या 12/2019 दिनांक 27.03.2019 द्वारा निर्णय किया है कि प्रतिभूतियों के प्रसारण या स्थानांतरण के मामलों को छोड़कर, प्रतिभूतियों के हस्तांतरण को प्रभावित करने के अनुरोधों को तब तक संसाधित नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रतिभूतियों को दिनांक 01.04.2019 से डिपॉजिटरी के साथ अमूर्तीकरण रूप में नहीं रखा जाता है। इसलिए, हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे अपनी भौतिक होल्डिंग को तुरंत अमूर्तीकरण कर दें। अमूर्तीकरण के लिए, शेयरधारक अपने संबंधित निक्षेपागार सहभागी से संपर्क कर सकते हैं, जहां वे अपने संबंधित डीमैट खाते को बनाए रखते हैं। अमूर्तीकरण के लाभ इस प्रकार हैं:

- झंझट रहित अंतरण;
- शेयर प्रमाणपत्र के नुकसान का कोई खतरा नहीं;
- लाभांश/कॉर्पोरेट लाभों का प्रत्यक्ष और शीघ्र जमा;
- नामांकन सुविधा;
- एएसबीए/आईपीओ आदि के माध्यम से प्रत्यक्ष आवेदन।

भौतिक/डीमैट रूप में शेयर रखने वाले और अभी तक अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे भारत सरकार की हरित पहल का समर्थन करने के लिए अपनी ई-मेल आईडी को बैंक के आरटीए/अपने संबंधित निक्षेपागार सहभागी के साथ पंजीकृत करें।

बैंक के इक्विटी शेयर अनिवार्य रूप से डीमैट रूप में क्रय-विक्रय किए जाने हेतु उपलब्ध हैं। शेयरों के अमूर्तीकरण के लिए बैंक ने एनएसडीएल एवं सीडीएसएल के साथ समझौता किया है। शेयरधारक अपना खाता रखनेवाले निक्षेपागार सहभागियों के पास अपने शेयरों का अमूर्तीकरण एनएसडीएल या फिर सीडीएसएल के जरिए करवा सकते हैं। बैंक के इक्विटी शेयरों का आईएसआईएन कूट आईएनई 691ए 01018 है।

वर्ष 2020-21 के लिए स्टॉक एक्सचेंजों तथा डिपॉजिटरी के वार्षिक सूचीकरण शुल्क तथा कस्टडी शुल्क का भुगतान नियत तारीख को किया गया है।

7.3.2 बैंक के पास दिनांक 31 मार्च, 2021 तक भौतिक एवं अमूर्तीकरण रूप में इक्विटी शेयरों की संख्या निम्नलिखित है:

विवरण Particulars	शेयरों की संख्या No. of Shares	%शेयरधारिता % Shareholding
मूर्त/Physical	1,04,21,337	0.11
एनएसडीएल/NSDL	37,89,68,231	3.82
सीडीएसएल/CDSL	952,89,51,054	96.07
योग/Total	991,83,40,622	100.00

7.3. Dematerialization of Shares

7.3.1 SEBI vide its Press Release No. 12/2019 dated 27.03.2019 has decided that except in case of transmission or transposition of securities, requests for effecting transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialized form with a depository w.e.f. 01.04.2019. Hence, shareholders are requested to dematerialize their physical holding immediately.

For dematerialization, shareholders may contact their respective Depository Participant, where they maintain their respective demat account. Benefits of dematerialization are as follows:

- Hassle free transfer ;
- No threat of loss of share certificate;
- Direct and prompt credit of Dividend / Corporate benefits;
- Nomination facility;
- Direct application through ASBA/IPO etc.

Shareholders holding shares in Physical / Demat form and not yet registered their email IDs are requested to register their e-mail ID with RTA of Bank / their respective Depository participant to support GOI's green initiatives.

The equity shares of the Bank are available for trading compulsorily in Demat form. The Bank has entered into an agreement with NSDL and CDSL for dematerialisation of shares. Shareholders can get their shares dematerialised with their Depository Participants maintaining their account either with NSDL or CDSL. The ISIN Code for the Bank's equity share is INE691A01018.

Annual Listing Fee and Custody Fee of Stock Exchanges and Depositories for the year 2020-21 are paid by the Bank within due dates.

7.3.2 As on 31st March, 2021, the bank has following number of equity shares in physical and dematerialized form :

7.3.3 बैंक अपनी डी.एन. रोड शाखा, मुंबई के जरिए राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) के निक्षेपागार सहभागी (डी.पी) के रूप में कार्य कर रहा है। डी पी सेवा निम्नलिखित चुनिंदा शाखाओं, यथा-इंडिया एक्सचेंज प्लेस शाखा, कोलकाता, आश्रम रोड शाखा, अहमदाबाद, संसद मार्ग शाखा, नई दिल्ली, के.जी. रोड शाखा, बेंगलुरु, चेन्नै (मुख्य) शाखा, तथा बंजारा हिल्स शाखा, हैदराबाद में उपलब्ध कराई गई है जिससे अधिकाधिक ग्राहक उसका लाभ उठा सकें। बैंक ने एनएसडीएल और सीडीएसएल को उनकी अभिरक्षा सेवाओं के लिए वार्षिक शुल्क का भुगतान किया है।

7.3.4 बैंक ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं की है।

7.3.5 बैंक जिस बाजार की गतिविधियां नहीं करता है।

7.3.3 The Bank is functioning as a Depository Participant (D.P) of National Securities Depository Ltd. (NSDL) through D.N. Road Branch, Mumbai. The D.P. Services have since been extended to cover wide range of customers through select branches namely, India Exchange Place Branch, Kolkata, Ashram Road Branch, Ahmedabad, Parliament Street Branch, New Delhi and KG Road Branch, Bangalore, Chennai (Main) Branch and Banjara Hills Branch, Hyderabad. The Bank has paid the annual fees to NSDL and CDSL for their custodial services.

7.3.4 The Bank has not issued any GDRs/ADRs/Warrants or any convertible instruments during the period under review

7.3.5 The Bank does not undertake commodity market activities.

7.4 शेयरधारिता का वितरण

7.4 DISTRIBUTION OF SHAREHOLDING

7.4.1 दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता का स्वरूप / Shareholding Pattern As on 31.03.2021

शेयरधारकों की श्रेणी Category of Shareholders	धारकों की सं. No. of holders	धारित शेयरों की संख्या No. of shares held	इक्विटी का % % of equity
अ. प्रवर्तक की शेयरधारिता A. Promotes' shareholding			
भारत सरकार / Government of India	1	9367292970	94.44
आ. संस्थाएं B. Institutions			
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक Foreign Portfolio Investors	24	10548712	0.11
वित्तीय संस्थाएं/बैंक / Financial Institutions/Banks	10	572361	0.01
बीमा कंपनियों / Insurance Companies	5	153238638	1.55
म्यूचुअल फंड्स/ Mutual Funds	4	3794715	0.04
इ/सी. गैर-संस्थाएं / Non-Institutions			
i. ₹ 2 लाख तक के सामान्य शेयर पूंजी वाले वैयक्तिक शेयरधारक Individual shareholders holding nominal share capital up to ₹2 lakhs	370294	268296431	2.71
ii. ₹ 2 लाख से अधिक के सामान्य शेयर पूंजी वाले वैयक्तिक शेयरधारक Individual shareholders holding nominal share capital in excess of ₹ 2 Lakhs	2050	89870613	0.91
भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत एनबीएफसी NBFCs Registered with RBI	2	2400	0.00
ई/डी. अन्य/Others			
न्यास / Trust	15	40673	0.00
अनिवासी भारतीय / Non Resident Indians	966	3188219	0.03
समाशोधन सदस्य / Clearing Members	172	10954829	0.11
अनिवासी भारतीय गैर-प्रत्यावर्तनीय Non Resident Indian non repatriable	701	1038120	0.01
कार्पोरेट निकाय / Bodies corporates	955	9501941	0.10
योग/ TOTAL	375199	9918340622	100.00

7.4.2 31.03.2021 को शेयरधारिता श्रेणी का वितरण/Distribution of Shareholders Category wise as on 31.03.2021

श्रेणी(राशि ₹ में)/Category (Amt. in ₹)		शेयरधारकों की सं. No. of Share – Holders	कुल शेयरधारकों का % % of the total Shareholders	कुल शेयरों की सं. No. of Total Shares	कुल शेयरों का % % of the total Shares
से/From	तक/To				
1	5000	360687	96.14	139767471	1.40
5001	10000	6283	1.67	47431333	0.48
10001	20000	6002	1.60	85668524	0.86
20001	30000	1107	0.30	27440598	0.28
30001	40000	394	0.11	13852127	0.14
40001	50000	237	0.06	10971197	0.11
50001	100000	340	0.09	24003391	0.24
100001	और अधिक/And above	149	0.04	9569205981	96.48
कुल/TOTAL		375199	100.00	9918340622	100.00

7.4.3 दिनांक 31.03.2021 स्थिति के अनुसार फ्रॉक के शीर्ष 10 शेयरधारक **7.4.3 Top 10 shareholders of the Bank as on 31.03.2021**

क्र.सं. SN	शेयरधारक का नाम Name of the Shareholder	शेयरों की सं. No. of Share	कुल पूंजी में शेयर का % % if shares to total Capital
1	प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया /President of India	9367292970	94.44
2	लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया Life Insurance Corporation of India	152379882	1.54
3	इमर्जिंग मार्केट्स कोर इक्विटी पोर्टफोलियो (दि पोर्टफोलियो) ऑफ डीएफए इन्वेस्टमेंट डायमेंशंस ग्रुप आईएनसी (डीएफएआईडीजी) Emerging Markets Core Equity Portfolio (The Portfolio) of DFA Investment Dimensions Group Inc.(DFAIDG)	2841300	0.03
4	इमर्जिंग मार्केट्स स्माल कैप सीरीज ऑफ द डीएफए इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कंपनी Emerging Markets Small Cap Series of The DFA Investment Trust Company	2632442	0.03
5	एंजेल ब्रोकिंग लिमिटेड /Angel Broking Limited	2114763	0.02
6	संदीप कुमार हिसारिया /Sandeep Kumar Hisaria	2114499	0.02
7	निप्पन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लि. /Nippon Life India Trustee Ltd	1991215	0.02
8	डाइमेंशनल इमर्जिंग मार्केट्स वैल्यू फंड/Dimensional Emerging Markets Value Fund	1814473	0.02
9	कोटक पीएसयू बैंक ईटीएफ/Kotak PSU Bank ETF	1073468	0.01
10	स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. /Stock HLDG Corp OF I Ltd	1503346	0.02

7.5 कार्पोरेट लाभ/लाभांश परंपरा

शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश का विवरण निम्नानुसार है:

7.5 Corporate Benefits/Dividend History

Details of dividend paid to the shareholders are as under:

वर्ष Year	लाभांश प्रति शेयर (₹) Dividend Per Share (₹)	वर्ष Year	लाभांश प्रति शेयर (₹) Dividend Per Share (₹)
2003-04	0.80	2009-10	1.50
2004-05	1.00	2010-11	3.00
2005-06	-	2011-12	3.00
2006-07	1.00	2012-13	1.60
2007-08	1.00	2013-14 (अंतरिम/Interim)	2.00
2008-09	1.00	अंतिम/Final	1.00
		2014-15	2.00
		2015-16 to 2020-21	शून्य/NIL

7.5.1. निवेशकर्ता शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में अदत्त/अदावी लाभांश राशि का अंतरण

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 (बी)(1) के अनुसार जो लाभांश राशियां अदावी लाभांश खातों में अंतरित किए जाने की तारीख से सात वर्ष की अवधि तक अदत्त या अदावी रहती हैं उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेश शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित कर दिया जाएगा। इन प्रावधानों का अनुपालन करते हुए बैंक ने वर्ष 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 का अदत्त लाभांश आईईपीएफ को अंतरित किया।

7.5.2. दावे नहीं किए गए शेयर

बैंक के आरंभिक पब्लिक ऑफर जारी करने के बाद कुछ शेयर सर्टिफिकेट हमारे रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंटों के पास एप्लीकेशन फॉर्म में लिखे हुए पते के ठीक नहीं होने के कारण वापस लौट आए हैं। इसके बाद हुए परिवर्तन में बैंक को बोनाफाइड शेयर होल्डरों और ऐसे शेयरों के मालिकों से दावे अथवा अनुरोध प्राप्त होने हैं। सेबी एलओडीआर विनियम के अनुसार बैंक से अपेक्षा की जाती है कि वह बोनाफाइड शेयर होल्डरों अथवा उसके मालिकों से अब तक दावे न किए गए ऐसे शेयरों को डिमैटेरलाइज़ करे।

दिनांक 31.03.2021 तक जिन शेयरों का दावा नहीं किया गया है उनका विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं. Sl No	विवरण Particulars	शेयरधारकों की सं. No. of shareholders	शामिल शेयरों की सं. No. of shares involved
i.	दिनांक 01.04.2020 की स्थिति के अनुसार अदावाकृत शेयर/ Shares unclaimed as on 01.04.2020	204	28100
ii.	वर्ष 2019-20 के दौरान दावाकृत और हिताधिकारी खाते में अंतरित शेयर/ Beneficiary account during the year 2020-21	शून्य/NIL	शून्य/NIL
iii.	दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार अदावाकृत शेयर Shares unclaimed as on 31.03.2021	204	28100

असली धारक द्वारा दावा किए जाने तक दावा नहीं किए गए शेयरों के मामले में मताधिकार बद्धवत रहेगा।

7.6 बॉण्ड

7.6.1 बैंक ने समय-समय पर डिबेंचर प्रकृति के असुरक्षित, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय बॉण्ड उठाए हैं। दिनांक 31.03.2021 को ऐसे बकाया बांडों का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं. निर्गम विवरण SN. Issue Description	आईएसआईएन नं. ISIN No.	आकार (₹ करोड़ में) Size (₹ in Rs. Crore)	निर्गम की तारीख Date of Issue	परिपक्वता की तारीख Date of Maturity	क्रय विकल्प की तारीख Call option date
1. 9% बॉण्ड शृंखला XII 9% Bond Series XII	INE691A09185	1000	28.12.2012	28.12.2022	क्रय विकल्प नहीं No Call option
2. 8.95% बासेल III टियर II बॉण्ड 8.95% Basel III Tier II Bonds	INE691A08047	1000	31.03.2017	31.03.2027	31.03.2022
3. 9.64% बासेल III टियर II बॉण्ड 9.64% Basel III Tier II Bonds	INE691A08054	500	28.06.2019	28.06.2029	क्रय विकल्प नहीं No Call option
4. 9.71% बासेल III टियर II बॉण्ड 9.71% Basel III Tier II Bonds	INE691A08062	500	16.12.2019	16.12.2029	क्रय विकल्प नहीं No Call option

7.5.1. Transfer of Unpaid/Unclaimed Dividend amount to Investor Education and Protection Fund (IEPF)

As per Section 10 (B) (1) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the dividend amounts which remain unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to unclaimed dividend accounts, shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by Central Government. In pursuant to the above provisions, Bank transferred unclaimed dividend for the years 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 2011-12, 2012-13 and 2013-14 (interim) to IEPF.

7.5.2. Unclaimed Shares

Few of the share certificates issued after the Bank's Initial Public Offer returned undelivered to our Registrar & Share Transfer Agents on account of improper address mentioned in the application forms and subsequent change in addresses of the shareholders. Bank is yet to receive claim/request from the bona fide shareholders/owners of such shares. As per the SEBI LODR Regulations, the Bank is required to dematerialize the shares which remained unclaimed by the bonafide shareholders/owners of such shares.

Following are details of the shares unclaimed as on 31.03.2021 :

The voting rights in respect of the unclaimed shares will remain frozen till the claim by the rightful owner.

7.6 BONDS

7.6.1 The Bank has raised unsecured, redeemable, non-convertible bonds in the nature of debentures from time to time. The details of such bonds outstanding as on 31.03.2021 are as follows:

7.6.2 निर्गत करने के लिए बॉण्ड ट्रस्टी:

बैंक ने उपर्युक्त सभी बॉण्ड मुद्दों, बॉण्ड के निवेशकों के हितों के बचाव एवं सुरक्षा के लिए बॉण्ड ट्रस्टी के रूप में मेसर्स आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड, मुंबई को नियुक्त किया है। ट्रस्टी का पता नीचे दिया गया है:

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड
एशियन भवन, भू-तल,
17, आर कमानी मार्ग, बल्लार्ड एस्टेट
मुंबई - 400 001. फोन: (002) 40807000;
ई-मेल: itsl@idbitrustee.com

7.6.2 Bond Trustee to the Issue:

The Bank has appointed M/s IDBI Trusteeship Services Ltd., Mumbai as Bond Trustees to all the above Bond Issues, to safeguard and to protect the interest of the investors of the Bonds. Address of the Trustee is given below:

IDBI Trusteeship Services Ltd.
Asian Building, Ground Floor,
17, R Kamani Marg, Ballard Estate
Mumbai - 400 001. Tel: (022) 40807000;
Email: itsl@idbitrustee.com

7.6.3 क्रेडिट रेटिंग/Credit Rating

रेटिंग एजेंसी का नाम Name of the Rating Agencies	9% बॉण्ड श्रृंखला XII 9% Bond Series XII	8.95% बासेल III टियर II बॉण्ड 8.95% Basel III Tier II Bonds	9.64% बासेल III टियर II बॉण्ड 9.64% Basel III Tier II Bonds	9.71% बासेल III टियर II बॉण्ड 9.71% Basel III Tier II Bonds
ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड Brickwork Ratings India Pvt. Ltd.	ए+(स्थिर) A+(Stable)	ए+(स्थिर) A+(Stable)	---	---
क्रिसिल लिमिटेड CRISIL Ltd.	ए+ स्थिर A+ Stable	---	---	---
इंडिया रेटिंग एवं रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड India Rating & Research Pvt. Ltd.	---	एए-(नकारात्मक) AA - (Negative)	एए-(नकारात्मक) AA - (Negative)	एए-(नकारात्मक) AA - (Negative)
एक्विट रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड Acuite Ratings & Research Ltd.	---	---	एए - (स्थिर) AA - (Stable)	एए - (स्थिर) AA - (Stable)

8.0 प्रकटीकरण :

बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970 द्वारा शासित होता है। सेबी के निदेशों के अनुसार सूचीबद्ध सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर लागू, सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रावधान उसी सीमा तक लागू होंगे कि वह उन पर लागू संबंधित कानूनों एवं इस संबंध में भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों का अतिक्रमण नहीं करता है।

8.1 निदेशकों का पारिश्रमिक :

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण निम्नलिखित है। पूर्णकालिक निदेशकों को देय 'उत्पादकता से जुड़े प्रोत्साहन' के अलावा प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशक का पारिश्रमिक केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है।

8.0. Disclosures:

The Bank is governed under the Banking Regulations Act 1949, Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertaking) Act 1970, Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970. In terms of SEBI directives, the provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 will apply for Listed Public Sector Banks, only to the extent that it does not violate the relative statutes applicable to them and the guidelines issued by Government of India/Reserve Bank of India from time to time.

8.1. Remuneration of Directors:

Following are the details of remuneration paid to whole time director during the financial year 2020-21. Other than "Productivity Linked Incentives" payable to the whole time directors, the remuneration of the Managing Director & CEO and Executive Director is fixed by the Central Government.

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक/ Key Management Personnel	अवधि/ Period	मर्दे / Items	राशि (लाख ₹ में)/ Amount (₹ in lakhs)
श्री ए के गोयल एमडी एवं सीईओ Shri A. K. Goel MD & CEO	01.04.2020 से/to 31.03.2021	पारिश्रमिक, अनुलाभ एवं प्रोत्साहन / Remuneration, perquisites & Incentive जमाराशि/Deposits यूको शेयर में निवेश/Investments in UCO Shares प्राप्त ब्याज/Interest Received उधार/Borrowings	30.45 20.89 0.00 1.00 0.00
श्री अजय व्यास ईडी Shri Ajay Vyas ED	01.04.2020 से/to 31.03.2021	पारिश्रमिक, अनुलाभ एवं प्रोत्साहन / Remuneration, perquisites & Incentive जमाराशि/Deposits यूको शेयर में निवेश/Investments in UCO Shares प्राप्त ब्याज/Interest Received उधार/Borrowings	25.82 2.27 0.00 0.14 1.88
श्री इशराक अली खान ईडी Shri Ishraq Ali Khan ED	10.03.2021 से/to 31.03.2021	पारिश्रमिक, अनुलाभ एवं प्रोत्साहन / Remuneration, perquisites & Incentive जमाराशि/Deposits यूको शेयर में निवेश/Investments in UCO Shares प्राप्त ब्याज/Interest Received उधार/Borrowings	1.47 1.39 0.00 0.00 0.00

8.1.1 गैर-कार्यकारी निदेशक को भुगतान किया गया बैठक शुल्क :

पूर्णकालिक निदेशक बैठक शुल्क के लिए पात्र नहीं हैं। आंकाकालिक निदेशकों को निम्नलिखित दर पर बैठक शुल्क के अलावा बैंक उन्हें कोई अन्य पारिश्रमिक नहीं देता है।

निदेशक मंडल की बैठक के लिए : प्रति बैठक ₹ 40,000/-
समिति की बैठक के लिए : प्रति बैठक ₹ 20,000/-
और प्रति सदस्य समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए ₹ 5,000/-

हालांकि, गैर-कार्यकारी निदेशक को भुगतान करने के मानदंड बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं (<https://www.ucobank.com/english/SEBI-DISCLOSURE.aspx>)

गैर-कार्यकारी निदेशकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 के प्रावधानों के साथ पठित सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल और निदेशक मंडल समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2020-21 के दौरान भुगतान किए गए बैठक शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:

8.1.1 Sitting Fee paid to Non-Executive director:

Whole time directors are not entitled for sitting fee. The Bank does not pay any remuneration to the part time directors except sitting fees at the following rates.

For Board Meeting : ₹40,000/- per sitting
For Committee Meeting : ₹20,000/- per sitting and ₹5000/- per chairing committee meetings.

However, the criteria for making payment to Non-executive director is hosted on the Bank's website (<https://www.ucobank.com/english/SEBI-DISCLOSURE.aspx>)

The Sitting Fee is paid to the non-Executive Directors as per the provisions of Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, read with Government guidelines for attending Board and Board Committee meetings. Details of sitting fee paid during the Year 2020-21 are as under :

क्र. सं. SI No.	निदेशक का नाम Name of the Director	राशि (₹.) Amount (Rs)
1.	डॉ. अरविंद शर्मा / Dr. Arvind Sharma	4,00,000/-
2.	डॉ. आशीष साहा / Dr. Asish Saha	11,35,000/-
3.	श्री के राजीवन नायर / Shri K Rajivan Nair	11,55,000/-

8.2 भौतिक लेनदेन तथा आर्थिक संबंध का प्रकटीकरण :

बैंकिंग कारोबार के सामान्य अनुक्रम के अतिरिक्त बैंक ने अपने प्रवर्तकों, निदेशकों या प्रबंधन आदि के साथ कोई ऐसा तात्त्विक उल्लेखनीय लेनदेन नहीं किया है जो बैंक के व्यापक हितों पर संभावित संकट पैदा कर सके। वर्ष के दौरान बैंक के परिप्रेक्ष्य में गैर-कार्यपालक निदेशक का कोई आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं था।

बैंक के निदेशक तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता के अनुपालन में निदेशकगण, निदेशक मंडल या उसकी उपसमितियों की उन बैठकों में होने वाले विचार-विमर्श में भाग नहीं लेते हैं जिनमें निदेशकगण या उनके नातेदारों से संबंधित मामलों पर चर्चा की जाती है।

8.3 सार्वजनिक निर्गम आदि से प्राप्त राशि

बैंक को इक्विटी शेयर के अधिमानतः आवंटन के लिए दिनांक 31 मार्च, 2021 को भारत सरकार से ₹. 2600/- करोड़ का पूँजी सहयोग प्राप्त हुआ है। ऐसी राशि को शेयर आवेदन राशि, लंबित आवंटन के तहत रखा जाता है। बैंक, भारत सरकार को इक्विटी शेयर जारी एवं आवंटित करेगा जो शेयरधारकों के अनुमोदन सहित नियामक अनुमोदन के अधीन होगा। प्राप्त पूँजी का उपयोग बैंक की सामान्य इक्विटी एवं टियर 1 पूँजी को बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक ने पब्लिक/राइट इयू के माध्यम से कोई इक्विटी शेयर नहीं जुटाए।

8.4. 31 मार्च, 2021 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के दौरान पूँजी बाज़ार से संबंधित किसी भी मामले पर सेबी या किसी अन्य सांविधिक/नियामक प्राधिकरण द्वारा बैंक पर कोई गैर-अनुपालन का आरोप, दंड, आक्षेप नहीं लगाया गया है।

8.5 बैंक के संबंधित पार्टी लेनदेन का प्रकटीकरण 31.03.2021 के तुलन-पत्र के लेख पर नोट में किया गया है। संबंधित पार्टी लेनदेन से संबंधित नीति बैंक की वेबसाइट के तहत <https://www.ucobank.com/aboutus/Policies/RelatedPartyTransactionPolicy> पर दी गई है।

8.6 बैंक जिस बाजार की गतिविधियां नहीं करता है; इसलिए जिस मूल्य जोखिम और जिस हेजिंग गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

8.7 दिनांक 31 मार्च, 2021 को निदेशक मंडल के निदेशकों के बीच कोई अंतर्संबन्ध नहीं है।

8.8 बैंक सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और सूचनाओं के संरक्षण (पीआईडीपीआई) संकल्प के तहत व्हिसल ब्लोअर नीति की शिकायतों पर केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देशों का पालन करता है। बैंक ने व्हिसल ब्लोअर नीति तैयार की है जो बैंक की वेबसाइट <https://www.ucobank.com/> पर उपलब्ध है।

8.9 किसी भी कर्मियों को निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति तक पहुँचने से वंचित नहीं किया गया है।

8.10 बैंक ने सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 34 और अनुसूची V के तहत प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है और सेबी / कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय एवं किसी भी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किए गए किसी भी निदेशक को प्रतिबंधित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

8.11 गैर-कार्यकारी/स्वतंत्र निदेशकों को प्रदान किये गये परिचय कार्यक्रमों का विवरण बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है <https://www.ucobank.com/investors/shareholders information/SEBI Disclosure>

8.2. Disclosure of Material Transactions and Pecuniary relationship:

Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transaction with its promoters, directors or the management etc. that may have potential conflict with the interest of the Bank at large. There was no pecuniary relationship or transactions of the non-executive director vis-à-vis the Bank during the year.

In compliance of the Code of Conduct for Directors and Senior Management of the Bank, Directors do not take part in the deliberations of the Board and its sub-committees when the matters relating to them or their relatives are discussed.

8.3. Proceeds from Public Issues, Preferential issues etc.

Bank has received capital contribution of Rs.2600 crore from Government of India on 31st March, 2021 towards preferential allotment of equity shares. Such amount is kept under share application money, pending allotment. Bank will issue and allot equity shares to Government of India subject to regulatory approvals including shareholders' approval. The Capital received will be utilized for the purpose of shoring up the Common equity and Tier 1 Capital of the Bank. Bank did not raise any Equity Shares by way of Public/Right Issue during the financial year 2020-21.

8.4. There is no instance of non-compliance, penalties, strictures imposed on the Bank by SEBI or any other statutory/regulatory authority on any matter related to Capital Markets during the last three year ended on 31st March, 2021.

8.5. The related party transactions of the Bank are disclosed in the Note to accounts of the Balance Sheet as on 31.03.2021. The Policy on dealing with Related Party Transactions placed on website of the Bank under <https://www.ucobank.com/about us /Policies /Related Party Transaction Policy>.

8.6. The Bank does not undertake commodity market activities; hence there is no information on Commodity price risk and Commodity hedging activities.

8.7. Directors on the board have no inter se relationship as on 31st March, 2021

8.8. Bank follows Central Vigilance Commission (CVC) guidelines on Whistle Blower policy complaints under Public Interest Disclosure and Protection of Informers (PIDPI) resolution. Bank has framed Whistle Blower Policy which is available on the Bank's website at <https://www.ucobank.com/investors/shareholders information/SEBI Disclosure>

8.9 No personnel have/ has been denied access to the Audit Committee of the Board.

8.10 The Bank has obtained certificate under Regulation 34 and schedule V of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and none of the directors have been debarred or disqualified from being appointed by SEBI/ Ministry of Corporate Affairs and any statutory authority.

8.11 Details of familiarisation programmes imparted to Non-Executive /Independent Directors is available on the bank's website at <https://www.ucobank.com/investors/shareholders information/SEBI Disclosure>

8.12 बैंक का लाभांश वितरण दिशानिर्देश बैंक की वेबसाइट <https://www.ucobank.com/investors/shareholders information/SEBI Disclosure> पर उपलब्ध है।

8.13 सांविधिक लेखा परीक्षकों और नेटवर्क फर्म/नेटवर्क इकाई जिसका सांविधिक लेखा परीक्षक एक हिस्सा है, को समेकित आधार पर सूचीबद्ध इकाई और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा भुगतान की गई सभी सेवाओं के लिए कुल शुल्क :

लेखापरीक्षकों 'शुल्क एवं व्यय' (शाखा लेखापरीक्षकों सहित) Auditors' fee and expenses (including Branch auditors)	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2021	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2020
	46.74 करोड़/crore	42.69 करोड़/crore

8.14 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण:

वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या Number of Complaints filed during the Financial year	2
वर्ष के दौरान निपटाए गए शिकायतों की संख्या Number of Complaints disposed off during the year	0
वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या Number of Complaints pending as on end of the financial year	2

8.12 Dividend Distribution guidelines of the Bank is available on Bank's Website at <https://www.ucobank.com/investors/shareholders information/SEBI Disclosure>.

8.13 Total fees for all services paid by the listed entity and its subsidiaries, on a consolidated basis to the Statutory Auditors and all entities in the network firm/network entity of which the statutory auditor is a part:

8.14 Disclosure in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013:

9.0 विवेकाधीन आवश्यकताओं का अनुपालन

बैंक ने समय-समय पर संशोधित सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 में प्रदत्त सभी लागू अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। गैर अनिवार्य अपेक्षाओं के अनुपालन की स्थिति इस प्रकार है:

9.0 COMPLIANCE TO DISCRETIONARY REQUIREMENTS

The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time. The extent of implementation of discretionary requirements is as under:

क्र.सं. SN	विवेकाधीन आवश्यकताएं Discretionary Requirements	अनुपालन की स्थिति Status of Implementation
1.	निदेशक मंडल / The Board एक गैर-कार्यकारी अध्यक्ष सूचीबद्ध इकाई के खर्च पर एक अध्यक्ष कार्यालय को बनाए रखने का हकदार हो सकता है और अपने कर्तव्यों के निष्पादन में किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति भी कर सकता है। A non-executive chairperson may be entitled to maintain a chairperson's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.	भारत सरकार ने बैंक के बोर्ड में गैर-कार्यपालक अध्यक्ष को नामित नहीं किया है। वर्तमान में एमडी और सीईओ अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। Government of India has not nominated non-executive chairperson on the Board of the Bank. MD & CEO is currently acting as a chairperson .
2.	शेयरधारक का अधिकार / Shareholders Rights पिछले छह महीनों की महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय प्रदर्शन की छमाही घोषणा, प्रत्येक शेयरधारकों के घर में भेजी जा सकती है। A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, may be sent to each household of shareholders.	बैंक वित्तीय परिणाम को वेबसाइट पर अपलोड कर अनुपालन सुनिश्चित करता है। The Bank ensures compliances by uploading the financial results on the Bank's website.
3.	लेखा-परीक्षा योग्यता / Audit Qualifications कंपनी अनधिकृत वित्तीय विवरणों की व्यवस्था की ओर अग्रसर हो सकती है। Company may move towards a regime of unqualified financial statements.	वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट अनधिकृत है। The Audit Report on the financial statements is unqualified.
4.	आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंग / Reporting of Internal Auditor आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकता है। The Internal Auditor may report directly to the Audit Committee.	बैंक का अपना आंतरिक लेखा परीक्षा / निरीक्षण होता है और उनकी रिपोर्ट को समय-समय पर लेखापरीक्षा समिति के पास समीक्षा के लिए रखा जाता है। The Bank has its own Internal Audit/Inspection and their report are periodically placed to the Audit Committee for review.

बैंक ने सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 से 27 एवं विनियम 46 (2) के खंड (ख) से (झ) तथा अनुसूची V के पैरा ग, घ और ङ में निर्दिष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस आवश्यकताओं का अनुपालन इस सीमा तक किया है कि विनियमों की आवश्यकताएं बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के प्रावधानों और समय-समय पर भारत सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संबंधित दिशा-निर्देशों और निदेशों का उल्लंघन नहीं करती हैं।

10.0 कार्पोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अधीन यथापेक्षित सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए कार्पोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षित प्रमाणपत्र निदेशक मंडल को प्रस्तुत किया गया है और यह कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट 2020-21 का अभिन्न अंग है।

11.0 सीईओ एवं सीएफओ का प्रमाणपत्र

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अधीन सीईओ एवं सीएफओ का प्रमाणपत्र निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और यह कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट 2020-21 का अभिन्न अंग है।

12.0. बैंक-आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि

मैं घोषणा करता हूँ कि निदेशक मंडल के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बैंक की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

कृते यूको बैंक
ह/-
(ए. के. गोयल)
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

The Bank has complied with Corporate Governance requirements specified in Regulation 17 to 27 and clauses (b) to (i) of Regulation 46(2) and para C , D and E of Schedule V of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, to the extent that the requirements of the regulations do not violate the provisions of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertaking) Act 1970 and the relative guidelines and directions issued by Government of India/Reserve Bank of India from time to time.

10.0. Auditors Report on Corporate Governance

As required under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Auditors' Certificate on Corporate Governance for the year 2020-21 issued by the Statutory Central Auditors is submitted to the Board of Directors and the same is part & parcel of the Corporate Governance Report 2020-21.

11.0. CEO & CFO CERTIFICATE

The Certificate of CEO & CFO under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, is submitted to the Board of Directors and the same is part & parcel of the Corporate Governance Report 2020-21.

12.0. AFFIRMATION OF COMPLIANCE WITH THE BANK'S CODE OF CONDUCT

I declare that all Board Members and Senior Management have affirmed compliance with the Bank's Code of Conduct for the Financial Year 2020-21.

For UCO Bank
sd/-
(A. K. Goel)
Managing Director &
Chief Executive Officer

कार्पोरेट अभिशासन से संबंधित लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र

निदेशक मंडल,
यूको बैंक,
प्रधान कार्यालय,
10, वि.त्रै.म. सरणी
कोलकाता-700001

हमने सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 में यथाविनिर्दिष्ट 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए यूको बैंक द्वारा कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई क्रियाविधि और उसके कार्यान्वयन तक ही सीमित रही। यह न तो लेखापरीक्षा और न ही बैंक के वित्तीय विवरण के बारे में राय की अभिव्यक्ति है।

बैंक द्वारा धारित अभिलेखों और दस्तावेजों के बारे में हमारी समीक्षा तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम यह प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपर्युक्त विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन उस हद तक किया है कि वे आर.बी. आई के दिशानिर्देशों का अतिक्रमण नहीं करते हैं।

हम यह कथित करते हैं कि जोखिम धारक संबंध समिति द्वारा धारित अभिलेखों के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार बैंक के विरुद्ध एक भी निवेशक शिकायत एक माह से अधिक समय से लंबित नहीं।

हम आगे यह भी कथित करते हैं कि यह अनुपालन बैंक के कार्य संपादन में प्रबंधन की दक्षता या प्रभाविता अथवा बैंक की भावी लाभप्रदता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है।

कृते रावला एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन 001661एन

(सीए यश पाल रावला)
भागीदार
एमआरएन 010475
यूडीआईएन: 21010475AAAAAS1912

कृते खंडेलवाल काकानी एंड कं.
सनदी लेखाकार,
एफआरएन 001311 सी

(सीए वी के खंडेलवाल)
भागीदार
एमआरएन 070546
यूडीआईएन: 21070546AAAAABL4114

कृते आर गोपाल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000846 सी

(सीए राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
भागीदार
एमआरएन 051979
यूडीआईएन: 21051979AAAAABQ1904

कृते एस के अग्रवाल एंड कं. चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार,
एफआरएन 306033 ई/ ई 300272

(सीए संदीप अग्रवाल)
भागीदार
एमआरएन 058553
यूडीआईएन: 21058553AAAAABH5076

कृते घोषाल एंड घोषाल
सनदी लेखाकार
एफआरएन 304013 ई

(सीए सोमनाथ विश्वास)
भागीदार
एमआरएन 064735
यूडीआईएन: 21064735AAAAABZ9668

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 27-05-2021

Auditor's Certificate on Corporate Governance

To
The Board of Directors,
UCO Bank
Head Office,
10, B.T. M. Sarani
Kolkata – 700 001

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by UCO Bank for the year ended 31st March 2021, as stipulated in SEBI (Listing obligations and disclosure requirements) Regulations, 2015.

The compliance of the conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion of the Financial Statements of the Bank.

On the basis of our review of records and documents maintained by the Bank and the information and explanations given to us, in our opinion and to the best of our information and according to explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Regulations to the extent these do not violate RBI guidelines.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month as on 31st March 2021 against the Bank as per the records maintained by the Stake Holders Relationship Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For RAWLA & CO
Chartered Accountants
FRN 001661N

(CA YASH PAL RAWLA)
Partner
MRN 010475
UDIN: 21010475AAAAAS1912

For R GOPAL & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 000846C

(CA RAJENDRA PRASAD AGARWAL)
Partner
MRN 051979
UDIN: 21051979AAAABQ1904

For KHANDELWAL KAKANI & CO
Chartered Accountants
FRN 001311C

(CA V K KHANDELWAL)
Partner
MRN 070546
UDIN: 21070546AAAABL4114

For S K AGRAWAL AND CO CHARTERED ACCOUNTANTS LLP
Chartered Accountants
FRN 306033E/E300272

(CA SANDEEP AGRAWAL)
Partner
MRN 058553
UDIN: 21058553AAAABH5076

For GHOSHAL & GHOSAL
Chartered Accountants
FRN 304013E

(CA SOMNATH BISWAS)
Partner
MRN 064735
UDIN: 21064735AAAABZ9668

Place: Kolkata
Dated : 27-05-2021

निदेशक मंडल
यूको बैंक
प्रधान कार्यालय
कोलकाता

विषय : सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(8) के अंतर्गत सीईओ/सीएफओ का प्रमाण पत्र

महोदय,

सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुपालन में हम निम्न प्रकार से प्रमाणित करते हैं :

- क) हमने बैंक के वर्ष 2020-21 के वित्तीय विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार-
- इन विवरणों में कोई तात्त्विक असत्य विवरण अंतर्विष्ट नहीं है या किसी तात्त्विक तथ्य को छोड़ा नहीं गया है या कोई भ्रामक विवरण अंतर्विष्ट नहीं है,
 - ये दोनों विवरण बैंक के क्रियाकलापों का सही एवं उचित परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं और ये विद्यमान लेखांकन मानकों, लागू विधियों एवं विनियमों के अनुपालन में हैं।
- ख) हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक द्वारा ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया गया है जो कपटपूर्ण, अनियमित है या बैंक की आचार संहिता का अतिक्रमण करता है।
- ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने एवं बनाए रखने का उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन किया है। इसके साथ ही हमने लेखापरीक्षकों एवं लेखापरीक्षा समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रणों की ऐसी रूपरेखा या परिचालन संबंधी कमियों, यदि हों, का प्रकटीकरण किया है जिनका हमें पता चला है और इन कमियों को दूर करने के लिए हमारे द्वारा उठाए गए या प्रस्तावित कदमों का भी हवाला दिया है।
- घ) हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित से अवगत कराया है :
- वर्ष 2020-21 के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में उल्लेखनीय परिवर्तन
 - वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में उल्लेखनीय परिवर्तन तथा उसका प्रकटीकरण वित्तीय विवरण से संबंधित नोट में किया गया है; और
 - हमारी जानकारी में आए उल्लेखनीय कपट के मामले और उसमें वित्तीय रिपोर्टिंग पर प्रबंधन या बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में उल्लेखनीय भूमिका अदा करनेवाले किसी कर्मचारी की, यदि कोई हो, अंतर्ग्रस्तता।

भवदीय,

ह/-
शशि कांत कुमार
उप महाप्रबंधक
(मुख्य वित्त अधिकारी)

स्थान: कोलकाता
दिनांक : 27.05.2021

ह/-
ए. के. गोयल
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

शेयरधारकों से हरित पहल के तहत अपील

जो शेयरधारक डीमैट के रूप में शेयर धारण किए हैं उनसे अनुरोध है कि वे अपने जमाकर्ता के पास अपना ई-मेल आईडी दर्ज कराएँ। जो शेयरधारक अपने शेयर भौतिक रूप में धारण किए हुए हैं उनसे अनुरोध है कि हमारे रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट, कार्बी फिंटेक प्रा. लि. को निम्न प्ररूप में अपनी अनुमति भेजें :

मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड

यूनिट : यूको बैंक, कार्बी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, गचीबावली,
फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, सेरीलिंगमपल्ली, हैदराबाद - 500 032
दूरभाष : (040) 67162222; फैक्स : (040)23420814

मैं/हम _____, जो भौतिक रूप में बैंक के _____ शेयर धारण किए

हुए हूँ/हैं, नीचे दिए गए ई-मेल आईडी पर नोटिसों, वार्षिक रिपोर्टों सहित सभी सूचना-पत्र प्राप्त करने का इच्छुक हूँ/के इच्छुक हूँ :

फोलियो न. _____ ई-मेल आईडी _____

प्रथम धारक के हस्ताक्षर

Annexure-II

To
The Board of Directors
UCO Bank
Head Office
Kolkata

Dear Sirs,

Sub: CEO and CFO Certificate under Regulation 17(8) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby certify that:

- a) We have reviewed the financial statements and cash flow statement of the Bank for the year 2020-21 and to the best of our knowledge and belief
- i. these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statement that might be misleading;
 - ii. these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year 2020-21 which are fraudulent, illegal or violates Bank's Code of Conduct.
- c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- d) We have indicated to the Auditors and Audit Committee
- i. significant changes in internal control over financial reporting during the year 2020-21
 - ii. significant changes in accounting policies during the year and the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
 - iii. instances of significant fraud which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant roles in the Bank's internal control system over financial reporting.

For UCO Bank

For UCO Bank

Yours faithfully,

Sd/-

Sd/-

(Shashi Kant Kumar)

A. K. Goel

Place: Kolkata
Date : 27.05.2021

Deputy General Manager
(Chief Financial Officer)

Managing Director &
Chief Executive Officer

GREEN INITIATIVE APPEAL TO THE SHAREHOLDERS

The Shareholders holding shares in demat form are requested to register their e-mail id with their Depository. Shareholders holding shares in physical form are requested to send their consent to our Registrar and Transfer Agent, Karvy Fintech Pvt Ltd. on the following format.

M/s KFin Technologies Private Limited

Unit : UCO BANK, Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli,
Financial District, Nanakramguda Serilingampally, Hyderabad - 500 032
Tel : (040) 67162222; Fax : (040)23420814

I/We _____ holding _____ shares of the Bank in physical form intend to receive all communications including notices, annual reports, through our e-mail id given hereunder :

Folio No _____ E-mail id _____

Signature of the first holder

महाप्रबन्धकों का संक्षिप्त विवरण / Brief Profile of General Managers

क्र.सं. SI No	नाम Name	योग्यता Qualification	कौशल/अनुभव Skills/Experience
1	श्री नरेश कुमार Shri Naresh Kumar	एमए (डबल), एलएलबी, डीईई, पीजीडीएफए, पीजीडीएमए, एडीवी धन प्रबंधन, ट्रेजरी, निवेश और जोखिम प्रबंधन में डिप्लोमा MA(DOUBLE),LLB,DEE, PGDFA, PGDFM,ADV WEALTH MANAGEMENT, DIPLOMA IN TREASURY, INVESTMENT & RISK MANAGEMENT	इनका हमारे बैंक में विभिन्न क्षमताओं में 31 वर्ष का अनुभव है; इन्होंने अंचल प्रमुख तथा जोखिम प्रबंधन के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। वर्तमान में मा.सं.प्र. प्रशिक्षण, पीएसडी एवं ओएल विभाग के प्रमुख हैं। He has more than 31 yrs of experience in our bank in various capacities; He has worked as Zonal Head and Head of Risk management. Presently heading HRM Training, PSD & OL Department.
2	श्री संजय कुमार Shri Sanjay Kumar	बी.एससी.(एच), सर्टिफाइड क्रेडिट एवं ट्रेजरी प्रोफेशनल B.SC.(H), CERTIFIED CREDIT & TREASURY PROFESSIONAL	इनका हमारे बैंक में विभिन्न क्षमताओं में 31 वर्ष का अनुभव है। इन्होंने विदेशी केंद्रों में, पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष एवं अंचल प्रमुख के रूप में कार्य किया है। वर्तमान में ऋण निगरानी एवं दबावग्रस्त अस्तित्व संप्रभाग के प्रमुख हैं। He has more than 31 yrs of experience in our bank in various capacities. He has worked in overseas centre, Chairman of Paschim Banga Gramin Bank, Zonal Head, Presently heading Credit Monitoring & Stressed Asset Vertical.
3	श्री दिलीप कुमार मृधा Shri Dilip Kumar Mridha	एम.एससी(ईसीओ) M.SC(ECO)	इनका हमारे बैंक में विभिन्न क्षमताओं में 32 वर्ष का अनुभव है। इन्होंने प्रशिक्षण केंद्र के संकाय सदस्य के रूप में एवं विदेशी केंद्रों में कार्य किया है और वर्तमान में जोखिम प्रबंधन विभाग के प्रमुख हैं। He has more than 32 yrs of experience in our bank in various capacities. He has worked as faculty of training centre , worked in overseas centre and presently heading Risk Management Department.
4	श्री मनीष कुमार Shri Manish Kumar	बीए(एच) BA(H)	इनका हमारे बैंक में विभिन्न क्षमताओं में 31 वर्ष का अनुभव है। इन्होंने प्रशिक्षण केंद्रों के संकाय के रूप में, अंचल प्रमुख के रूप में कार्य किया है और वर्तमान में वह मुख्य अनुपालन अधिकारी हैं। He has more than 31 yrs of experience in our bank in various capacities. He has worked as Faculty of Training Centre, Zonal Head and presently he is Chief Compliance Officer of Bank.
5	श्री वी शंकर नारायणन Shri V Sankara Narayanan	बी.एससी. B.SC.	इनका हमारे बैंक में विभिन्न क्षमताओं में 30 वर्ष का अनुभव है। इन्होंने ट्रेजरी और विदेशी केंद्रों में कार्य किया है और वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय विभाग के प्रमुख हैं। He has more than 30 yrs of experience in our bank in various capacities. He has worked in treasury and both overseas centre .Presently heading International Department.
6	श्री निधु सक्सेना Shri Nidhu Saxena	बी.कॉम.,एमबीए B.COM.,MBA	इनका हमारे बैंक में विभिन्न क्षमताओं में 14 वर्ष का अनुभव है। इन्होंने बड़ी शाखाओं के शाखा प्रमुख तथा अंचल प्रमुख के रूप में कार्य किया है। वर्तमान में रिटेल विभाग के प्रमुख हैं। He has more than 14 yrs of experience in our bank in various capacities. He has worked as Branch head of Large Branches, Zonal Head. Presently heading Retail department.

7	श्री राम कुमार Shri Ram Kumar	एम.कॉम, एसीए M.COM,ACA	इनका हमारे बैंक में विभिन्न क्षमताओं में 36 वर्ष का अनुभव है। इन्होंने प्रशिक्षण केंद्रों के संकाय के रूप में, बड़ी शाखाओं के शाखा प्रमुख के रूप में तथा अंचल प्रमुख के रूप में कार्य किया है। वर्तमान में ऋण एवं वित्त विभाग के प्रमुख हैं। He has more than 36 yrs of experience in our bank in various capacities. He has worked as Faculty in training centre, Headed large branches, Zonal Head. Presently heading Credit & Finance Department
8	श्रीमती आशा राजीव Smt. Asha Rajiv	बी.कॉम B.COM.	इनका हमारे बैंक में विभिन्न क्षमताओं में 29 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इन्होंने अंचल प्रबन्धक के रूप में कार्य किया है। वर्तमान में निरीक्षण एवं बोर्ड विभाग की प्रमुख हैं। She has more than 29 yrs of experience in our bank in various capacities. She has worked as Zonal Head. Presently heading Inspection & Board Department.
9	श्री सरोज रंजन नायक Shri Saroj Ranjan Nayak	बी.ई. B.E	इनका हमारे बैंक में विभिन्न क्षमताओं में 11 वर्ष का अनुभव है। इन्होंने अंचल प्रमुख के रूप में कार्य किया है और वर्तमान में सू.प्रौ. विभाग के प्रमुख हैं। He has more than 11 yrs of experience in our bank in various capacities. He has worked as Zonal Head. Presently heading IT Department.
10	श्री पंथागनि मनोज Shri Panthagani Manoj	बी.ए. B.A	इनका हमारे बैंक में विभिन्न क्षमताओं में 31 वर्ष का अनुभव है। इन्होंने अंचल प्रमुख के रूप में कार्य किया है और वर्तमान में ये वसूली विभाग के प्रमुख हैं। He has more than 31 yrs of experience in our bank in various capacities. He has worked as Zonal Head and presently heading Recovery Department.
11	श्री के मोहन दास Shri K Mohan Doss	बी.एससी.,पीजीडीसीए B.SC.,PGDCA	इनका हमारे बैंक में विभिन्न क्षमताओं में 31 वर्ष का अनुभव है। इन्होंने बड़ी शाखाओं, ऋण निगरानी एवं दबावग्रस्त आस्ति संप्रभाग में कार्य किया है। वर्तमान में फील्ड निरीक्षणालय, गुवाहाटी के प्रमुख हैं। He has more than 31 yrs of experience in our bank in various capacities. He has worked in large branches, Credit Monitoring & Stress asset vertical. Presently incharge of Field Inspectorate, Guwahati
12	श्री विजय कुमार Shri Vijay Kumar	एम.एससी. M.SC.	इनका हमारे बैंक में विभिन्न क्षमताओं में 30 वर्ष का अनुभव है। इन्होंने अंचल प्रमुख के रूप में कार्य किया है और अब कृषि एवं ग्रामीण व्यवसाय विभाग के प्रमुख हैं। He has more than 30 yrs of experience in our bank in various capacities. He has worked as Zonal Head and now heading Agriculture and Rural Business Department.
13	श्री हरमोहन कुमार अरोड़ा Shri Harmohan Kumar Arora	एम.कॉम, एलएलबी, आईसीडबल्यू, सीएस M.COM,LLB,ICWA,CS	इनका हमारे बैंक में विभिन्न क्षमताओं में 38 वर्ष का से अधिक अनुभव है। इन्होंने बड़ी शाखाओं के शाखा प्रमुख के साथ-साथ बालासोर और मुंबई क्षेत्र के अंचल प्रमुख के रूप में काम किया है। वह वर्तमान में प्रधान कार्यालय में परिचालन और सेवा विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे हैं। He has more than 38 yrs of experience in our bank in various capacities. He has worked as Branch Head of large branches as well as Zonal Head of Balasore and Mumbai Zone. He is currently heading Operations & Services Department at Head Office.
14	श्री अशोक वी तेलंग Shri Ashok V Telang	बी.कॉम B.COM.	इनका हमारे बैंक में विभिन्न क्षेत्रों में 31 वर्ष का अनुभव है। इन्होंने अंचल प्रमुख के रूप में कार्य किया है और वर्तमान में वसूली विभाग के प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। He has 31 yrs of experience in our bank in various capacities. He has worked as Zonal Head and presently heading Recovery Department.

15	श्री ए जेना Shri A Jena	बी.एससी.,एमबीए B.SC,MBA	<p>इनका हमारे बैंक में विभिन्न क्षमताओं में 30 वर्ष का अनुभव है। इन्होंने विदेशी केंद्रों, बड़ी शाखाओं के शाखा प्रमुख के रूप में कार्य किया है और इस समय ये भुवनेश्वर अंचल के अंचल प्रमुख तथा एसएलबीसी प्रभारी हैं।</p> <p>He has 30 yrs of experience in our bank in various capacities. He has worked in overseas centre, Branch head of large branches & now Zonal Head of Bhubaneswar & SLBC in charge.</p>
16	श्री श्रवण कुमार सांख्यान Shri Shrawan Kumar Sankhyan	बी.एससी,एमबीए B.SC,MBA	<p>इनका हमारे बैंक में विभिन्न क्षमताओं में 36 वर्ष का अनुभव है। इन्होंने बड़ी शाखाओं के शाखा प्रमुख के रूप में तथा अंचल प्रमुख के रूप में कार्य किया है। वर्तमान में कार्यनीति आयोजना एवं सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख हैं।</p> <p>He has 36 yrs of experience in our bank in various capacities. He has worked as branch head of Large branches, Zonal Head. Presently heading Strategic Planning & General Administration Department.</p>

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

प्रति
सदस्यगण
यूको बैंक

यूको बैंक (जिसे आगे बैंक कहा जाएगा) द्वारा प्रयोज्य सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा उत्तम कार्पोरेट व्यवहार के प्रति निष्ठा पर हमने सचिवीय लेखा परीक्षा की है। यह सचिवीय लेखा परीक्षा इस प्रकार से की गई है कि उससे कार्पोरेट आचरणों /सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन करने का तर्कसंगत आधार मिले। हम इसपर अपना विचार इस प्रकार व्यक्त करते हैं।

सचिवीय लेखा परीक्षा के दौरान बहियों, कागजात, कार्यवाही बहियों, दाखिल किए गए फार्मों तथा रिटर्नों और बैंक द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों, वेबसाइट, बैंक द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों की गई फाइलिंग तथा प्रस्तुतियां तथा बैंक, उसके अधिकारियों, एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के हमारे द्वारा किए गए सत्यापन के आधार पर हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान हमारे विचार से बैंक ने नीचे सूचीकृत सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि बैंक में नीचे दी हुई रिपोर्टिंग की सीमा तक, उसी तरीके से तथा उसके अध्यक्ष निदेशक मंडल प्रक्रिया तथा अनुपालन-प्रणाली विद्यमान है:

हमने बहियों, कागजात, कार्यवाही बहियों, दाखिल किए गए फार्मों तथा रिटर्नों और बैंक द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों की निम्नलिखित के प्रावधानों के अनुरूप जांच की है:

- (i) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए)(यथा संशोधित) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
- (ii) डिपॉजिटरीज अधिनियम, 1996 (यथा संशोधित) और इसके अंतर्गत बनाए गए विनियम और उपनियम;
- (iii) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक;
- (iv) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश:-
 - (क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और टेकओवर) विनियम, 2011;
 - (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध) विनियम, 2015;
 - (ग) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2018;
 - (घ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014;

SECRETARIALAUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2021

(Pursuant to Regulation 24A of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 2015)

To,
The Members,
UCO BANK

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by UCO Bank (hereinafter called "the bank"). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the bank, the website, the filings and submissions made by the Bank to the Stock Exchanges and also the information provided by the bank, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit. We hereby report that in our opinion, the bank has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2021 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the bank has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank for the financial year ended on 31st March, 2021 according to the provisions of:

- (i) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') (as amended) and the rules made thereunder;
- (ii) The Depositories Act, 1996 (as amended) and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;
- (iii) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;
- (iv) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-
 - a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
 - b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
 - c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ;
 - d) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014; (Not applicable to the Bank during the Audit Period);

- (ड) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धता) विनियम, 2008;
- (च) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम और अपरिवर्तनीय एवं प्रतिदान योग्य अधिमान्य शेयर का सूचीकरण) विनियम, 2013; (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान बैंकों पर लागू नहीं)
- (छ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम और शेयर अंतरण एजेंट का रजिस्ट्रार) विनियम, 1993
- (ज) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डिलिस्टिंग) विनियम, 2009 (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान प्रयोज्य नहीं)
- (झ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी-खरीद) विनियम, 1998 (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान प्रयोज्य नहीं)
- (जे) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड प्केवाईसी (अपने ग्राहक को जाने) पंजीकरण एजेंसी विनियमन, 2011
- (के) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जमाकर्ताओं एवं प्रतिभागियों) विनियमन, 2018;
- (vi) बैंक पर विशिष्ट रूप से प्रयोज्य अन्य विधि:
- बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949
 - बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970,
 - राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970
 - यूको बैंक (शेयर तथा बैठकें) विनियम, 2003

हमने सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 यथा संशोधित के अनुपालन की भी जाँच की है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों के उपबंधों, दिशानिर्देशों, मानदंडों का अनुपालन किया है:

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि,

बैंक के निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है जिसमें बोर्ड के कार्यपालक एवं गैर कार्यपालक निदेशकों का इष्टतम संतुलन बनाया गया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक के निदेशक मंडल के गठन में जो परिवर्तन हुए हैं वे उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुकूल हैं। हालांकि, बैंक के कामगार कर्मचारियों में से एक निदेशक, बैंक के गैर-कर्मचारी कर्मचारियों में से एक और एक चार्टर्ड एकाउंटेंट निदेशक को केंद्र सरकार द्वारा उपर्युक्त अधिनियम की अपेक्षा के अनुसार नियुक्ति के लिए नामित नहीं किया जाता है। हालांकि रिक्त पदों को भरने के मामले को वित्त मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग के पास भेज दिया गया है। इसके अलावा हमने यह नोट किया है कि बैंक शीर्ष 500 सूचीबद्ध संस्थाओं में से एक है, लेकिन सेबी (दायित्व का सूचीकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 के मद्देनजर बोर्ड में कोई स्वतंत्र महिला निदेशक नहीं था।

- e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;
- f) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible and Redeemable Preference Shares) Regulations, 2013; (Not applicable to the Bank during the audit period)
- g) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993.
- h) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 (Not applicable to the Bank during the Audit Period);
- i) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998 (Not applicable to the Bank during the Audit Period);
- j) The Securities and Exchange Board of India {KYC (Know Your Client) Registration Agency} Regulations, 2011.
- k) The Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018;

(vi) Other laws specifically applicable to the Bank:

- The Banking Regulation Act 1949
- The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970
- Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970
- UCO Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003

We have also examined compliance with the applicable regulations of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended.

During the period under review, the Bank has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above.

We further report that,

The Board of Directors of the Bank is constituted under the provisions of The Banking Companies (Acquisition and transfer of undertakings) Act, 1970 which envisage optimum balance of Executive and Non-Executive Directors on the Board. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review happened in compliance with the provisions of the Act. However, one director among the workmen employees of the Bank, one among non-workmen employees of the Bank and one Chartered Accountant director are not nominated by the Central Government for appointment as per the requirement of the above mentioned Act. However the matter has been referred to the Ministry of Finance and Department of financial services for filling of the vacant positions. Furthermore, we noted that the Bank is among the top 500 listed entities, but there was no independent woman director on the Board pursuant to Regulation 17 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015.

बैंक ने आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति तथा नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया है। तथापि, लेखापरीक्षा समिति में दो तथा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में एक पद रिक्त था।

बैंक के बोर्ड में केवल एक स्वतंत्र निदेशक हैं क्योंकि बोर्ड और उसकी अन्य समितियों जैसे लेखापरीक्षा समिति तथा नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना सेबी (सूचीकरण दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के क्रमा: विनियम 18 और विनियम 19 के अनुपालन में नहीं हो सकती है और इसके कारण स्वतंत्र निदेशकों आदि की अलग बैठक का आयोजन नहीं किया गया।

सभी निदेशकों को निदेशक मंडल की बैठकों का विवरण, उसकी कार्यसूची तथा कार्यसूची पर विस्तृत नोट कम-से-कम साथ दिन पहले दे दी जाती है। बैठक में सार्थक सहभागिता हो सके इसके लिए बैठक से पहले कार्यसूची की मदों पर और अधिक सूचना तथा स्पष्टीकरण ली जा सके इसकी व्यवस्था विद्यमान है।

निर्णय लिए गए तथा सदस्यों की असहमति नहीं हुई।

इसके आगे हम रिपोर्ट करते हैं कि प्रयोज्य विधियों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों की निगरानी तथा उनके अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक के आकार तथा परिचालन के अनुरूप प्रणाली तथा प्रक्रिया बैंक में विद्यमान है।

इसके आगे हम रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान बैंक ने उक्त विधियों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों तथा मानकों के अनुसरण में ऐसा कोई विशेष आयोजन/कार्रवाई नहीं की जिसका कोई भारी प्रभाव बैंक पर पड़े सिवा इसके कि:

1. समीक्षाधीन अवधि के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक पर जुर्माना लगाया है:

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र आईडीएमडी.डीओडी.17/11.01.01 (बी) 2010-11 दिनांक 14 जुलाई, 2010 के संदर्भ में एसजीएल प्रपत्रों की बाउंसिंग के लिए रु. 5,00,000/- (रुपये पांच लाख मात्र)

2. समीक्षाधीन अवधि के दौरान 31.03.2021 को भारत सरकार से बैंक को रु. 2600 करोड़ का पूंजी योगदान प्राप्त हुआ है।

Bank has constituted Audit Committee of the Board and Nomination and Remuneration Committee as per RBI guidelines. However, there were Two vacancies in Audit Committee and One vacancy in Nomination and Remuneration Committee.

Bank has only one Independent Director on its Board as a reason the composition of the Board and its Other Committees such as Audit Committee and Nomination and Remuneration committee could not be in compliance with Regulation 18 and Regulation 19 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 respectively and this led to non-convening of separate meeting of Independent Directors etc.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were duly sent and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

All decisions were carried through and there was no dissenting members' views.

We further report that there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the Audit Period, the Bank has not incurred any specific event / action that can have a major bearing on the Bank's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standard etc. save and except:-

1. During the period under review The Reserve Bank of India has levied penalty on the Bank:

Rs. 5,00,000/- (Rupees Five Lacs Only) for bouncing of SGL Forms in term of RBI Circular IDMD.DOD.17/11.01.01 (B) 2010-11 dated July 14, 2010.

2. During the period under review, the Bank has received capital contribution of Rs. 2600 crore from Govt. of India (GOI) on 31.03.2021.

कृते एन के एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह/-

(नवीन कोठारी)

स्वत्वाधिकारी

एफसीएस सं. 5935

सीपी सं. 3725

युडीआईएन: F005935C000409901

For N.K & Associates
Company Secretaries

sd/-

(Navin Kothari)

Proprietor

FCS No. 5935

C P No. 3725

UDIN : F005935C000409901

दिनांक : 02.06.2021

स्थान : कोलकाता

Date: 02.06.2021

Place: Kolkata

प्रति
सदस्यगण
यूको बैंक

विषय: भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (दायित्व का सूचीकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 का विनियमन 34(3) तथा अनुसूची V पैरा सी खंड 10(i) के तहत प्रमाण-पत्र।

हमें दी गई जानकारी और विवरणों तथा सेबी (दायित्व का सूचीकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 34(3) के साथ पठित अनुसूची V पैरा-सी उप खंड 10(i) के संबंध में 31 मार्च, 2021 तक यूको बैंक ("बैंक") के निदेशकों से संबंधित प्रासंगिक अभिलेखों और प्रलेखों के सत्यापन के आधार पर हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक के निदेशक मंडल में से कोई भी निदेशक भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड/कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या ऐसी किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य नहीं हुआ है।

नियुक्ति हेतु पात्रता / बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की निरंतरता सुनिश्चित करना बैंक प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारे द्वारा किए गए सत्यापन के आधार पर इनके ऊपर अवधारणा व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है। यह प्रमाण पत्र न तो बैंक की भावी सक्षमता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का, जिसके द्वारा प्रबंधन ने बैंक का संचालन किया है।

To,
The Members,
UCO Bank

Sub: Certificate under Regulation 34(3) and Schedule V Para C clause 10(i) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Based on information and explanations given to us and on verification of the relevant records and documents related to the Directors of UCO Bank ("the Bank") as on 31st March, 2021 with respect to the regulation 34(3) read with Schedule V Para-C Sub clause 10(i) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we certify that none of the directors on the Board of the Bank have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as directors by the Securities and Exchange Board of India /Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority.

Ensuring the eligibility for the appointment / continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

कृते एन के एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह/-

(नवीन कोठारी)
स्वत्वाधिकारी
एफसीएस सं. 5935
सीपी सं. 3725
युडीआईएन: F005935C000409901

For N.K & Associates
Company Secretaries

sd/-

(Navin Kothari)
Proprietor
FCS No. 5935
C P No. 3725
UDIN : F005935C000409901

दिनांक : 02.06.2021
स्थान : कोलकाता

Date: 02.06.2021
Place: Kolkata

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2021

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

पूंजी एवं देयताएं	अनुसूची	31.3.2021 की स्थिति	31.3.2020 की स्थिति
CAPITAL AND LIABILITIES	Schedule	As on 31.3.2021	As on 31.3.2020
		₹	₹
पूंजी /Capital	1	9918 34 06	9918 34 06
शेयर में लगाई गई राशि Share Application Money		2600 00 00	—
आरक्षित निधियां और अधिशेष Reserves & Surplus	2	10088 07 29	9291 28 35
जमा राशियां / Deposits	3	205919 39 44	193203 44 35
उधार Borrowings	4	15382 63 23	15695 06 21
अन्य देयताएं और प्रावधान Other Liabilities & Provisions	5	9427 66 90	7800 02 16
योग /TOTAL		253336 10 92	235908 15 13

कृते रावला एंड कं.
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 001661एन
For RAWLA & CO
Chartered Accountants
Registration No. 001661N

(सीए यश पाल रावला)
भागीदार
सदस्यता संख्या 010475
(CA YASH PAL RAWLA)
Partner
Membership No. 010475

कृते आर गोपाल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 000846 सी
For R GOPAL & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Registration No. 000846C

(सीए राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता संख्या 051979
(CA RAJENDRA PRASAD AGARWAL)
Partner
Membership No. 051979

कृते खंडेलवाल काकानी एंड कं.
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 001311 सी
For KHANDELWAL KAKANI & CO
Chartered Accountants
Registration No. 001311C

(सीए वी के खंडेलवाल)
भागीदार
सदस्यता संख्या 070546
(CA V K KHANDELWAL)
Partner
Membership No. 070546

कृते एस के अग्रवाल एंड कं. चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 306033 ई/ई300272
For S K AGRAWAL AND CO CHARTERED ACCOUNTANTS LLP
Chartered Accountants
Registration No. 306033E/E300272

(सीए संदीप अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता संख्या 058553
(CA SANDEEP AGRAWAL)
Partner
Membership No. 058553

कृते घोषाल एंड घोषाल
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 304013 ई
For GHOSHAL & GHOSAL
Chartered Accountants
Registration No. 304013E

(सीए सोमनाथ विश्वास)
भागीदार
सदस्यता संख्या 064735
(CA SOMNATH BISWAS)
Partner
Membership No. 064735

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated : 27-05-2021

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र (जारी) BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2021 (Contd.)

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

आस्तियां	अनुसूची	31.3.2021 की स्थिति As on 31.3.2021	31.3.2020 की स्थिति As on 31.3.2020
ASSETS	Schedule	₹	₹
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में अधिशेष			
Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	9445 41 44	6776 72 84
बैंकों में अधिशेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि			
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	14154 82 95	11029 43 00
निवेश/Investments	8	93782 94 99	90998 81 30
अग्रिम/Advances	9	111354 54 09	101174 25 29
अचल आस्तियां/Fixed Assets	10	3218 23 24	2840 37 28
अन्य आस्तियां/Other Assets	11	21380 14 21	23088 55 42
योग /TOTAL		253336 10 92	235908 15 13
आकस्मिक देयताएं/Contingent Liabilities	12	73353 46 52	39082 15 89
वसूली के लिए बिल/Bills for Collection	-	7109 66 94	7822 35 04

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के आनुसूचियों 1 से 18 लेखे के अभिन्न अंग हैं
The Schedules 1 to 18 form an integral part of the accounts.
As per our report of even date

ए. के. गोयल

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

A. K. GOEL

Managing Director & CEO

अजय व्यास

कार्यपालक निदेशक

AJAY VYAS

Executive Director

इशराक अली खान

कार्यपालक निदेशक

ISHRAQ ALI KHAN

Executive Director

डॉ. तुली रॉय

निदेशक

DR TULI ROY

Director

के राजीवन नायर

निदेशक

K RAJIVAN NAIR

Director

डॉ. संजय कुमार

निदेशक

DR SANJAY KUMAR

Director

राम कुमार

महाप्रबंधक

RAM KUMAR

General Manager

शशिकांत कुमार

उप महाप्रबंधक

SHASHI KANT KUMAR

Deputy General Manager

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated : 27-05-2021

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा

PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

अनुसूची	31.3.2021	31.3.2020
Schedule	Year Ended	Year Ended
	31.3.2021	31.3.2020
	₹	₹
I. आय/INCOME		
अर्जित ब्याज / Interest Earned	13 14446 14 98	15134 33 32
अन्य आय /Other Income	14 3720 26 51	2871 21 30
योग/TOTAL	18166 41 49	18005 54 62
II. व्यय/EXPENDITURE		
व्यय किया गया ब्याज / Interest Expended	15 8966 45 18	10042 06 01
परिचालन व्यय / Operating Expenses	16 3779 34 79	3127 88 75
प्रावधान और आकस्मिक व्यय / Provisions & Contingencies	5253 58 12	7272 42 75
योग/TOTAL	17999 38 09	20442 37 51
III. लाभ/हानि/PROFIT / LOSS		
वर्ष का निवल लाभ/(हानि) / Net Profit/(Loss) for the Year	167 03 40	-2436 82 89
लाभ/(हानि) अग्रेनीत / Profit/(Loss) Brought Forward	-12537 39 74	-9975 45 40
योग/TOTAL	-12370 36 34	-12412 28 29

कृते रावला एंड कं.
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 001661एन
For RAWLA & CO
Chartered Accountants
Registration No. 001661N

(सीए यश पाल रावला)
भागीदार
सदस्यता संख्या 010475
(CA YASH PAL RAWLA)
Partner
Membership No. 010475

कृते आर गोपाल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 000846 सी
For R GOPAL & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Registration No. 000846C

(सीए राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता संख्या 051979
(CA RAJENDRA PRASAD AGARWAL)
Partner
Membership No. 051979

कृते खंडेलवाल काकानी एंड कं.
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 001311 सी
For KHANDELWAL KAKANI & CO
Chartered Accountants
Registration No. 001311C

(सीए वी के खंडेलवाल)
भागीदार
सदस्यता संख्या 070546
(CA V K KHANDELWAL)
Partner
Membership No. 070546

कृते एस के अग्रवाल एंड कं. चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 306033 ई/ 300272
For S K AGRAWAL AND CO CHARTERED ACCOUNTANTS LLP
Chartered Accountants
Registration No. 306033E/E300272

(सीए संदीप अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता संख्या 058553
(CA SANDEEP AGRAWAL)
Partner
Membership No. 058553

कृते घोषाल एंड घोषाल
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 304013 ई
For GHOSHAL & GHOSAL
Chartered Accountants
Registration No. 304013E

(सीए सोमनाथ विश्वास)
भागीदार
सदस्यता संख्या 064735
(CA SOMNATH BISWAS)
Partner
Membership No. 064735

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated: 27-05-2021

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा (जारी)
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH,
2021 (CONTD.)

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

अनुसूची	31.3.2021	31.3.2020
Schedule	Year Ended	Year Ended
	31.3.2021	31.3.2020
	₹	₹
IV. विनियोजन/APPROPRIATIONS		
सांविधिक आरक्षित निधियों में अंतरण / Transfer to Statutory Reserves	41 75 85	-
पूंजी आरक्षित निधियों में अंतरण / Transfer to Capital Reserves	244 91 08	125 11 45
प्रस्तावित लाभांश / Proposed Dividend		-
शेषराशि तुलनपत्र में आगे लाई गई		
Balance Carried over to Balance Sheet	-12657 03 27	-12537 39 74
योग /TOTAL	-12370 36 34	-12412 28 29

मुख्य लेखा नीतियां / Principal Accounting Policies 17
लेखों पर टिप्पणी / Notes on Accounts 18
मूल एवं न्यूनीकृत ई पी एस (₹) / Basic & Diluted EPS (₹) ₹ 0.17 ₹ - 3.10
हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचियां 1 से 18 लेखे के अभिन्न अंग हैं
The Schedules 1 to 18 form an integral part of the accounts
As per our Report of even date

ए. के. गोयल
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
A. K. GOEL
Managing Director & CEO

अजय व्यास
कार्यपालक निदेशक
AJAY VYAS
Executive Director

इशराक अली खान
कार्यपालक निदेशक
ISHRAQ ALI KHAN
Executive Director

डॉ. तुली रॉय
निदेशक
DR TULI ROY
Director

के राजीवन नायर
निदेशक
K RAJIVAN NAIR
Director

डॉ. संजय कुमार
निदेशक
DR SANJAY KUMAR
Director

राम कुमार
महाप्रबंधक
RAM KUMAR
General Manager

शशिकांत कुमार
उप महाप्रबंधक
SHASHI KANT KUMAR
Deputy General Manager

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated : 27-05-2021

**31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2021**

**अनुसूची 1 – पूंजी
Schedule 1 – CAPITAL**

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2021		31.3.2020 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2020	
	₹	₹	₹	₹
प्राधिकृत पूंजी/Authorised Capital				
प्रत्येक ₹ 10/- के 1500,00,00,000 (1000.00,00,000) ईक्विटी शेयर 1500,00,00,000 (1000,00,00,000) Equity Shares of ₹ 10/- each	15000	00 00	10000	00 00
		15000		10000
निर्गमित, अभिदत्त व प्रदत्त पूंजी Subscribed, Issued and Paid up Capital				
प्रत्येक ₹ 10/- के 991,83,40,622 (991,83,40,622) ईक्विटी शेयर 991,83,40,622 (991,83,40,622) Equity Shares of ₹ 10/- each [केन्द्र सरकार द्वारा धारित 936,72,92,970 (936,72,92,970) शेयर इसमें शामिल हैं] [includes 936,72,92,970 (936,72,92,970) shares held by Central Govt.]	9918	34 06	9918	34 06
		9918		9918
योग /TOTAL		9918		9918

Share Application Money Received (Pending Allotment)

2600 00 00

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2021
अनुसूची 2 – आरक्षित निधियां और अधिशेष
Schedule 2 — RESERVES & SURPLUS

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2021		31.3.2020 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2020	
	₹	₹	₹	₹
I. सांविधिक आरक्षित निधियां/Statutory Reserves:				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	2255 91 17		2255 91 17	
वर्ष के दौरान परिवर्धन / कटौती Addition / Deduction during the year	41 75 85			
		2297 67 02		2255 91 17
II. पूंजी आरक्षित निधियां/Capital Reserves :				
क) पूंजीगत प्राप्ति/ a) Capital Gain अंतिम लेखे के अनुसार शेष Balance as per last account		1 17 00		1 17 00
ख/b) निवेश/Investment :				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	639 50 46		514 39 01	
लाभ और हानि लेखे से अंतरण/ Transfer from Profit & Loss Account	244 91 08		125 11 45	
	884 41 54		639 50 46	
		884 41 54		639 50 46
ग) अचल आस्तियों का पुनर्मूल्यन : c) Revaluation of Fixed Assets :				
प्रारंभिक शेष /Opening Balance	2348 37 23		2349 75 51	
वर्ष के दौरान परिवर्धन Addition during the year	431 87 47		30 25 14	
	2780 24 70		2380 00 65	
वर्ष के दौरान कटौती/ Deduction during the year	88 80 49		31 63 42	
		2691 44 21		2348 37 23
III. शेयर प्रीमियम/ Share Premium				
प्रारंभिक शेष/ Opening Balance	15720 36 07		12257 83 35	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ Addition during the year			3462 52 72	
		15720 36 07		15720 36 07

**31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2021**

**अनुसूची 2 – आरक्षित निधियां और अधिशेष (जारी)
Schedule 2 — RESERVES & SURPLUS (Contd.)**

(000 ' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2021		31.3.2020 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2020	
	₹	₹	₹	₹
IV. राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियां/				
Revenue & Other Reserves				
क/अ) सामान्य आरक्षित निधि/ General Reserve :				
प्रारंभिक शेष/ Opening Balance	292 12 98		485 33 09	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/				
Addition during the year	389 38 74		31 01 89	
	<u>681 51 72</u>		<u>516 34 98</u>	
वर्ष के दौरान कटौती/				
Deduction during the year	79 69 00		224 22 00	
		601 82 72		292 12 98
ख) विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षित निधि/				
b) Foreign Currency Translation Reserve				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	566 06 39		476 86 70	
जोड़ें : विनिमय उचंचत लेखे में अंतरण/				
Add: Transfer to/ from Exchange Suspense			89 19 69	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Addition during the year	566 06 39		566 06 39	
वर्ष के दौरान कटौती/ Deduction during the year	23 01 18			
		543 05 21		566 06 39
ग) निवेश आरक्षित निधि				
c) Investment Reserve				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	5 16 79		5 16 79	
लाभ और हानि लेखे से अंतरण/				
Transfer to Profit & Loss Account		5 16 79		5 16 79
V. लाभ-शेष/Balance of Profit				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	-12537 39 74		-9975 45 40	
लाभ और हानि लेखे से अंतरण/				
Transfer from Profit & Loss Account	-119 63 53		-2561 94 34	
		-12657 03 27		-12537 39 74
योग (I से V तक) / TOTAL(I to V)		10088 07 29		9291 28 35

**31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2021
अनुसूची 3 — जमाराशियां/Schedule 3 — DEPOSITS**

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2021 ₹	31.3.2020 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2020 ₹
अ/A. I. मांग जमाराशियां/Demand Deposits		
i) बैंकों से/From Banks	125 66 74	197 30 06
ii) अन्य से/From Others	9695 34 60	12263 76 32
II. बचत बैंक जमाराशियां/Savings Bank Deposits	70808 70 37	63685 99 36
III. मीयादी जमाराशियां/Term Deposits		
i) बैंकों से/From Banks	1909 06 42	1794 04 99
ii) अन्य से/From Others	123380 61 31	115262 33 62
योग/TOTAL(I, II & III)	205919 39 44	193203 44 35
आ/B. i) भारत में शाखाओं की जमाराशियां/ Deposits of Branches in India	201528 00 40	188207 41 62
ii) भारत के बाहर की शाखाओं की जमाराशियां/ Deposits of Branches outside India	4391 39 04	4996 02 73
योग/TOTAL (i & ii)	205919 39 44	193203 44 35

**अनुसूची 4 — उधार
Schedule 4 — BORROWINGS**

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2021 ₹	31.3.2020 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2020 ₹
I. भारत में उधार/Borrowings in India		
i) भारतीय रिजर्व बैंक/Reserve Bank of India		7849 00 00
ii) अन्य बैंक/Other Banks	6375 31 75	3571 55 04
iii) * अन्य संस्थाएं और अभिकरण * Other Institutions and Agencies	8538 66 99	4228 46 25
II. भारत के बाहर उधार/Borrowings outside India	468 64 49	46 04 92
योग (I एवं II) TOTAL (I & II)	15382 63 23	15695 06 21
ऊपर I और II में शामिल प्रतिभूत उधार/ Secured borrowings included in I & II above	11913 86 19	12648 85 05
इसमें शामिल है/ Includes		
सिडबी पुनर्वित्त/SIDBI Refinance	1791 59 00	1061 35 00
नाबार्ड पुनर्वित्त/NABARD Refinance	1 15 62	2 92 25
एनएचबी पुनर्वित्त/NHB Refinance	32 77 00	164 19 00
मुद्रा पुनर्वित्त/MUDRA Refinance	344 70 00	
गौण ऋण/Subordinated Debt	1000 00 00	1000 00 00
अपर टियर II बॉण्ड/Upper Tier II Bond		
बासेल III कंप्लायंट टियर - II बॉण्ड Basel-III Compliant Tier-II Bonds	2000 00 00	2000 00 00
सीबीएलओ/CBLO		3368 45 37

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2021

अनुसूची 5 – अन्य देयताएं और प्रावधान Schedule 5 – OTHER LIABILITIES & PROVISIONS

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2021 ₹	31.3.2020 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2020 ₹
I. संदेय बिल/Bills Payable	508 25 75	433 51 21
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/ Inter Office Adjustments (Net)	378 54 97	288 56 78
III. प्रोद्भूत ब्याज/Interest Accrued	606 33 78	752 69 67
IV. * अन्य (इसमें प्रावधान शामिल हैं)/ * Others (including provisions)*	7934 52 40	6325 24 50
योग /TOTAL	9427 66 90	7800 02 16
इसमें शामिल हैं / Includes मानक आस्तियों के एवज में प्रावधान/Provision on Standard Assets	478 14 21	493 21 83

अनुसूची 6 – भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और अतिशेष Schedule 6 – CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2021 ₹	31.3.2020 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2020 ₹
I. हाथ-नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट सम्मिलित हैं)/ Cash in hand (including Foreign Currency Notes)	809 62 69	923 42 31
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाशेष/ Balances with Reserve Bank of India		
i) चालू खाते में/In Current Account	8614 93 11	5848 06 82
ii) अन्य खातों में/In Other Accounts	20 85 64	5 23 71
योग (I एवं II)/TOTAL(I & II)	9445 41 44	6776 72 84

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2021

अनुसूची 7 — बैंकों में जमाशेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Schedule 7 — BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2021 ₹	31.3.2020 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2020 ₹
I. भारत में/In India		
i) बैंकों में जमाशेष/Balances with Banks		
क) चालू खातों में		
a) In Current Accounts	6 40 21	10 04 61
ख) अन्य जमा खातों में		
b) In Other Deposit Accounts	6914 09 93	3385 95 28
ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Money at Call and Short Notice		
क) बैंकों के पास		
a) With Banks	1500 00 00	3325 00 00
ख) अन्य संस्थाओं के पास		
b) With Other Institutions		
योग / TOTAL	8420 50 14	6720 99 89
II. भारत के बाहर/ Outside India		
i) चालू खातों में/In Current Accounts	900 78 79	287 78 69
ii) अन्य जमा खातों में/In Other Deposit Accounts	4124 51 56	3548 72 17
iii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Money at Call and Short Notice	709 02 46	471 92 25
योग /TOTAL	5734 32 81	4308 43 11
कुल योग (I एवं II)/GRAND TOTAL (I&II)	14154 82 95	11029 43 00

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2021

अनुसूची 8 — निवेश

Schedule 8 — INVESTMENTS

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2021 ₹	31.3.2020 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2020 ₹
I. भारत में निम्नलिखित में निवेश/ Investments in India in		
i) सरकारी प्रतिभूतियां/Government Securities	64157 34 54	60518 42 23
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां/ Other Approved Securities	-	2 00 00
iii) शेयर/Shares	339 05 59	282 92 33
iv) डिबेंचर और बंधपत्र/Debentures and Bonds	26049 11 67	23216 21 65
v) अनुषंगी और/या संयुक्त उद्यम/एसोशिएट्स Investment in Associates	108 15 69	108 15 69
vi) अन्य (इंदिरा विकास पत्र, म्यूचुअल फंड, अन्य / Others	936 38 59	3633 37 75
योग/TOTAL	91590 06 08	87761 09 65
II. भारत के बाहर निम्नलिखित में निवेश/ Investments outside India in		
i) सरकारी प्रतिभूतियां (इनमें स्थानीय प्राधिकरण शामिल हैं)/ Government Securities (including Local Authorities)	2192 88 91	3237 71 65
ii) अन्य निवेश / Other Investments		
क/a) शेयर/Shares	-	-
ख/b) डिबेंचर/Debentures	-	-
ग/c) अन्य/Others	-	-
योग/TOTAL	2192 88 91	3237 71 65
कुल योग(I एवं II)*/GRAND TOTAL(I & II)**	93782 94 99	90998 81 30

** निवेशों पर मूल्यहास/अनर्जक निवेशों हेतु प्रावधान /

** Net of provision for Depreciation on Investments & provision for Non-Performing Investments

निवेश INVESTMENTS	31.3.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2021			31.3.2020 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2020		
	सकल मूल्य Gross Value ₹	प्रावधान # Provision # ₹	निवल मूल्य Net Value ₹	सकल मूल्य Gross Value ₹	प्रावधान # Provision # ₹	निवल मूल्य Net Value ₹
I. भारत में/ In India	93501 10 63	1911 04 55	91590 06 08	89531 51 59	1770 41 94	87761 09 65
II. भारत के बाहर Outside India	2334 17 17	141 28 26	2192 88 91	3383 33 73	145 62 08	3237 71 65
योग/TOTAL	95835 27 80	2052 32 81	93782 94 99	92914 85 32	1916 04 02	90998 81 30

निवेश पर मूल्यहास/अनर्जक आस्ति निवेशों के लिए प्रावधान

Provision for Depreciation on Investment & Provision for Non-Performing Investments.

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2021
अनुसूची 9 — अग्रिम
Schedule 9 — ADVANCES

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2021 ₹	31.3.2020 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2020 ₹
अ/A. (i) खरीदे और भुनाए गए बिल/ Bills Purchased and Discounted	4086 27 37	5722 74 54
(ii) नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर देय ऋण / Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	54104 65 03	46734 50 74
(iii) मीयादी ऋण/Term Loans	53163 61 69	48717 00 01
योग/TOTAL	111354 54 09	101174 25 29
आ/B. (i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत/ (बही ऋण के एवज में अग्रिम सहित)/ Secured by Tangible Assets (includes advances against book debts)	91941 61 96	90058 39 23
(ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा संरक्षित/ Covered by Bank/Govt. Guarantees	1267 36 87	2125 67 08
(iii) अप्रतिभूत/Unsecured	18145 55 26	8990 18 98
योग/TOTAL	111354 54 09	101174 25 29
इ/C. I. भारत में अग्रिम/Advances in India -		
(i) प्राथमिकता क्षेत्र/Priority Sectors	50052 02 13	42076 12 92
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र/Public Sectors	14854 08 25	11172 84 76
(iii) बैंक/Banks	1527 07 74	26 20 87
(iv) अन्य/Others	34203 16 47	39344 04 96
योग/TOTAL	100636 34 59	92619 23 50
II. भारत के बाहर अग्रिम/Advances outside India -		
(i) बैंकों से प्राप्य/ Due from Banks	-	-
(ii) अन्य से प्राप्य/Due from Others		
(क) खरीदे और भुनाए गए बिल		
(a) Bills Purchased and Discounted	1583 15 89	1691 96 91
(ख) सामूहिक उधार		
(b) Syndicated loans	8772 55 92	5720 54 36
(ग) अन्य		
(c) Others	362 47 69	1142 50 52
योग/TOTAL	10718 19 50	8555 01 79
कुल योग (इ-I एवं इ-II)/GRAND TOTAL (C.I & C.II)	111354 54 09	101174 25 29

**31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2021**

अनुसूची 10 — अचल आस्तियां/Schedule 10 — FIXED ASSETS

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2021 ₹	31.3.2020 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2020 ₹
I. परिसर/ Premises		
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	304 79 69	286 10 29
वर्ष के अंत में प्रचलित दरों पर विदेश स्थित शाखाओं से संबंधित आंकड़ों में परिवर्तन के कारण समायोजन Adjustment on account of conversion of figures relating to Foreign branches at rates as at year end	2 97 82	5 58 39
	<u>307 77 51</u>	<u>291 68 68</u>
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन Additions/adjustments during the year	1 44 07	17 99 37
	<u>309 21 58</u>	<u>309 68 05</u>
वर्ष के दौरान कटौती/Deduction during the year	4 23	4 88 36
	<u>309 17 35</u>	<u>304 79 69</u>
आज की तारीख तक पुनर्मूल्यन के कारण परिवर्धन-पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि Additions to date on account of revaluation credited to Revaluation Reserve	2952 86 91	2585 61 49
	<u>3262 04 26</u>	<u>2890 41 18</u>
निपटान हेतु धारित आस्तियों में अंतरण Transferred to Assets Held for Disposal	-	-
	<u>3262 04 26</u>	<u>2890 41 18</u>
अद्यतन मूल्यहास/Depreciation to date	357 45 39	326 54 36
योग/ TOTAL	<u>2904 58 87</u>	<u>2563 86 82</u>
II. अन्य अचल आस्तियां (इनमें फर्नीचर और फिक्सचर शामिल हैं)		
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures) At cost as on 31st March of the preceding year	1866 40 70	1753 80 25
वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार प्रचलित दरों पर विदेश स्थित शाखाओं से संबंधित आंकड़ों में परिवर्तन के कारण समायोजन Adjustment on account of conversion of figures relating to Foreign branches at rates as at year end	1 05 66	2 36 29
	<u>1867 46 36</u>	<u>1756 16 54</u>
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	85 36 98	125 26 66
	<u>1952 83 34</u>	<u>1881 43 20</u>
वर्ष के दौरान कटौती/Deductions during the year	2 52 16	15 02 50
	<u>1950 31 18</u>	<u>1866 40 70</u>
अद्यतन मूल्यहास/Depreciation to date	1703 69 57	1597 87 57
योग/ TOTAL	<u>246 61 61</u>	<u>268 53 13</u>
III. निपटान हेतु धारित आस्तियां/Assets Held for Disposal		
निवल बही मूल्य या निवल वसूली योग्य मूल्य पर, इनमें से जो भी कम हो At Net Book Value or Net Realisable Value whichever is less		
अ/A. परिसर/Premises	-	-
आ/B. अन्य अचल आस्तियां/Other Fixed Assets	-	-
योग/TOTAL	<u>-</u>	<u>-</u>
IV. चालू पूंजी संकर्म/Capital Work in Progress	67 02 76	7 97 33
योग/TOTAL	<u>67 02 76</u>	<u>7 97 33</u>
कुल योग (I,II और III+IV)/GRAND TOTAL (I,II & III+IV)	3218 23 24	2840 37 28

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2021

अनुसूची 11 — अन्य आस्तियां
Schedule 11— OTHER ASSETS

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2021 ₹	31.3.2020 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2020 ₹
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/ Inter-Office Adjustments (Net)	-	-
II. प्रोद्भूत ब्याज/Interest Accrued	1524 75 80	2098 53 86
III. अग्रिम रूप से संदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/Tax deducted at source	47 00 02	1864 06 26
IV. लेखन सामग्री और स्टॉप/Stationery and Stamps	4 85 52	5 47 91
V. दावों की तुष्टि में प्राप्त की गई गैर-बैंककारी आस्तियां Non-Banking Assets acquired in satisfaction of claims	-	-
VI. आस्थगित कर आस्तियां/Deferred Tax Assets	10037 89 00	9362 08 00
VII. अन्य/Others	9765 63 87	9758 39 39
योग/TOTAL	21380 14 21	23088 55 42

अनुसूची 12 — आकस्मिक देयताएं
Schedule 12 — CONTINGENT LIABILITIES

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2021 ₹	31.3.2020 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2020 ₹
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है Claims Against the Bank not Acknowledged as Debts	196 13 45	190 19 93
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयता Liability for partly paid investments	3 11 50	3 11 50
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं की बाबत देयता Liability on account of outstanding Forward Exchange Contracts	61483 20 30	26270 49 17
IV. ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियां/ Guarantees Given on behalf of Constituents - क) भारत में A) In India	1111 45 39	4642 56 64
ख) भारत के बाहर B) Outside India	64 60 11	62 04 61
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, Endorsements and other Obligations	3243 73 12	4156 20 32
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से दायी है Other Items for which the bank is contingently liable #	7251 22 65	3757 53 72
योग/ TOTAL	73353 46 52	39082 15 89
# इसमें आईआरएस शामिल हैं/Includes IRS	4770 78 65	1670 78 65

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा

PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021

अनुसूची 13 — अर्जित ब्याज / Schedule 13 — INTEREST EARNED

(000' को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

	31.3.2021 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2021 ₹	31.3.2020 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2020 ₹
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा/Interest/Discount on Advances/Bills	7764 68 74	8140 50 66
II. निवेशों पर आय/Income on Investments	6064 64 57	5939 08 85
III. भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमाशेष और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज Interest on Balances with Reserve Bank of India and other Inter-Bank Funds	252 23 00	476 29 52
IV. अन्य/Others	364 58 67	578 44 29
योग/TOTAL	14446 14 98	15134 33 32

अनुसूची 14 — अन्य आय

Schedule 14 — OTHER INCOME

(000' को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

	31.3.2021 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2021 ₹	31.3.2020 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2020 ₹
I. कमीशन, विनिमय और दलाली (निवल) Commission, Exchange and Brokerage (Net)	152 90 65	183 77 92
II. निवेशों की बिक्री से लाभ Profit on Sale of Investments	1833 36 89	1092 68 15
घटाएं : निवेशों की बिक्री से हानि Less: Loss on Sale of Investments	37 30 88	55 19 44
	1796 06 01	1037 48 71
III. भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ Profit on Sale of Land, Buildings and Other Assets	51 46	23 38
घटाएं : भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से हानि Less: Loss on Sale of Land, Buildings and Other Assets	21 47 32	12 76
	(20 95 86)	10 62
IV. विदेशी मुद्रा संव्यवहारों पर लाभ Profit on Exchange Transactions	213 01 94	244 60 17
घटाएं : विदेशी मुद्रा संव्यवहारों पर हानि Less: Loss on Exchange Transactions	1 56 67	8 33 68
	211 45 27	236 26 49
V. भारत/विदेश में स्थापित अनुषंगियों/कंपनियों और/या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय Income earned by way of Dividends, etc. from Subsidiaries/Companies and/or Joint Ventures abroad/in India	9 28 57	8 97 80
VI. विविध आय/ Miscellaneous Income #	1571 51 87	1404 59 76
योग/TOTAL	3720 26 51	2871 21 30

इसमें राइट ऑफ अकाउंट्स की रिकवरी शामिल हैं /
Includes Recovery in Written Off Accounts

986 39 86

1002 97 27

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021

अनुसूची 15 — व्यय किया गया ब्याज
Schedule 15 — INTEREST EXPENDED

(000' को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

	31.3.2021 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2021 ₹	31.3.2020 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2020 ₹
I. जमा राशियों पर ब्याज/Interest on Deposits	8468 33 19	9308 69 80
II. भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर-बैंक उधारों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India/Inter-Bank Borrowings	112 36 17	243 60 97
III. अन्य/Others	385 75 82	489 75 24
योग/TOTAL	8966 45 18	10042 06 01

अनुसूची 16 — परिचालन व्यय
Schedule 16 — OPERATING EXPENSES

(000' को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

	31.3.2021 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2021 ₹	31.3.2020 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2020 ₹
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	2467 19 00	1929 39 59
II. किराया, कर और बिजली/Rent, Taxes and Lighting	256 77 43	264 67 40
III. मुद्रण और लेखन-सामग्री/Printing & Stationery	24 10 92	27 26 22
IV. विज्ञापन और प्रचार/Advertisement and Publicity	4 11 24	8 30 96
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास/ Depreciation on Bank's Property	134 41 61	137 28 93
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय/ Directors' fees, allowances and expenses	42 52	76 98
VII. लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा-लेखापरीक्षकों सहित)/ Auditors' fees and expenses (Including Branch Auditors)	46 74 22	42 69 76
VIII. विधि प्रभार/Law Charges	4 75 28	4 06 78
IX. डाक महसूल, तार, टेलीफोन आदि/ Postages, Telegrams, Telephones, etc.	17 02 55	7 16 33
X. मरम्मत और अनुरक्षण/Repairs and Maintenance	9 80 00	13 24 52
XI. बीमा/Insurance	236 18 83	180 38 06
XII. अन्य व्यय/Other Expenditure	577 81 19	512 63 22
योग/TOTAL	3779 34 79	3127 88 75

अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

Schedule 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. सामान्य / GENERAL

1.1 लेखांकन का आधार / BASIS OF ACCOUNTING

ये वित्तीय विवरण, जब तक अन्यथा कथित न हो, लाभकारी कारोबारवाली संस्था की संकल्पना के तहत लेखांकन के परंपरागत लागत एवं प्रोद्भूत आधार पर तैयार किए जाते हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के तात्त्विक परिवर्तन के अनुरूप हैं। इनमें भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रयोज्य एवं सामान्यतः प्रचलित रीतियों की सीमा तक भारतीय रिज़र्व बैंक (आर. बी. आई.) द्वारा निर्धारित प्रयोज्य सांविधिक प्रावधान, नियामक मानदंड/दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई सी ए आई) द्वारा जारी लेखांकन मानक निहित हैं। विदेशी कार्यालयों/शाखाओं के मामले में, विशेष रूप से उल्लेख किए गए को छोड़कर, विदेशों में लागू सांविधिक प्रावधानों एवं लेखांकन प्रथाओं का अनुपालन किया गया।

The financial statements are prepared under 'going concern' concept on historical cost convention and on accrual basis of accounting unless otherwise stated and conform in all material aspects to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprise applicable statutory provisions, regulatory norms/guidelines prescribed by Reserve Bank of India (RBI), Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), to the extent applicable and generally the practices prevailing in the banking industry in India.

In respect of foreign offices/branches, statutory provisions and accounting practices prevailing in the respective foreign countries are complied with, except as specified elsewhere.

1.2 अनुमानों का उपयोग / USE OF ESTIMATES

जीएएपी के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने में वित्तीय विवरणों की तारीख को परिसंपत्तियों और देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा समीक्षा अवधि के दौरान आय-व्यय की रिपोर्टिंग करते समय प्रबंधन को अनुमान लगाने होते हैं। प्रबंधन को विश्वास है कि उक्त वित्तीय विवरण तैयार करने में लगाए गये अनुमान सटीक और वाजिब हैं। तथापि वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं। लेखा अनुमान मौजूदा एवं भविष्य की अवधियों में प्रत्याशित रूप से चिह्नित किया जाएगा।

The preparation of financial statements in conformity with GAAP requires the Management to make estimates and assumptions while reporting assets and liabilities (including contingent liabilities) as at the date of the financial statements and income and expenses during the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. However, actual results could differ from these estimates. Any revision to the accounting estimates is recognized prospectively in the current and future periods.

2. अग्रिम / ADVANCES:

2.1 ऋण एवं अग्रिम का अर्जक एवं अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांत के आधार पर किया जाता है और अग्रिम के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया जाता है।

भारत में अनर्जक अग्रिमों का निर्धारण विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया जाता है और भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (इसीजीसी) से प्राप्त / प्राप्य राशियों पर विचार करने के बाद उन्हें 'अवमानक', 'संदिग्ध' एवं 'हानि' आस्तियों में वर्गीकृत करके प्रावधान किए जाते हैं तथा अग्रिम का उल्लेख प्रावधान को घटाने के बाद किया जाता है।

Loans and advances are classified as performing and non-performing based on the guidelines issued by the RBI and provisions for advances are made as per prudential norms of the Reserve Bank of India.

Non-performing advances in India are ascertained as per the prudential norms and provisions are made upon classifying the same into 'Sub-Standard', 'Doubtful', and 'Loss' assets after considering the claims Received / Receivable from ECGC and advances are stated after netting of provisions.

2.2 विदेश स्थित शाखाओं के अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान संबंधित विदेशी राज्यों में लागू नियामक अपेक्षाओं या भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों, इनमें से जो भी अधिक हो, के अनुसार किया जाता है।

Provision on Non-performing advances of foreign branches is made on the basis of regulatory requirement prevailing at the respective foreign countries or RBI guidelines whichever is higher.

2.3 मानक पुनर्संरचित आस्तियों एवं परियोजना ऋण के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेक सम्मत दिशानिर्देशों एवं निदेशों के अनुसार किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार ग्लोबल पोर्टफोलियो के आधार पर मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान किए जाते हैं।

Provision on standard restructured assets and project loans have been made as per RBI prudential norms and directives. A general provision on Standard Assets is made on global portfolio basis as per prudential norms of RBI.

2.4 ओवरड्यू के माध्यम से केन्द्र सरकार की गारंटी द्वारा समर्थित ऋण सुविधाओं को केवल तभी एनपीए माना जा सकता है जब सरकार अपनी गारंटी राशि की मांग किए जाने पर इंकार करे।

The credit facilities backed by the guarantee of the Central Government though overdue is treated as NPA only when Government repudiates its guarantee when invoked

- 2.5 समझौता एवं निपटान संबंधी प्रस्तावों के मामले में पूर्ण वसूली के बाद बड़े खाते डाले जाते हैं।
In respect of Compromise and Settlement Proposals, write-off is done on complete realization.
- 2.6 खाते को अंशतः विवेकपूर्ण बड़े खाते डालने का कार्य सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद मामला-दर-मामला आधार पर अप्रतिभूत अंश के लिए किया जाता है।
Partial prudential write-off of accounts is done upto unsecured portion level on a case to case basis on approval by the Competent Authority.
- 2.7 अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान किए जाने के अतिरिक्त पुनर्संरचित/पुनर्निर्धारित आस्तियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रावधान किया जाता है जिसे पुनर्संरचना किए जाने के पहले एवं बाद के ऋण के उचित मूल्य बीच के अंतर को उपलब्ध कराना होता है। शुद्ध अग्रिम का आकलन करते समय उचित मूल्य (डीएफयू) में कमी के लिए प्रावधान एवं उपर्युक्त के फलस्वरूप ब्याज में कमी लाई जाती है।
For restructured/rescheduled assets, provisions are made in accordance with the guidelines issued by RBI, which require the difference between the fair value of loan before and after restructuring is provided, in addition to provisions for NPAs. The provision for diminution in fair value (DFU) and interest sacrifice arising out of the above is reduced while arriving at net advance.
- 2.8 पूर्ववर्ती वर्षों में बड़े डाले गए कर्ज में वसूली गई राशि को वसूली वर्ष में राजस्व के रूप में दिखाया जाता है।
Amount recovered against debts written off in earlier years are recognized as revenue in the year of recovery.
- 2.9 प्रतिभूतिकृत कंपनी (एससी)/ पुनर्संरचना कंपनी (आरसी) को वित्तीय आरिक्त की बिक्री आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप निर्धारित बोर्ड अनुमोदित नीति के आधार पर की जाती है।
Sale of Financial asset to Securitized Company (SC) / Reconstruction Company (RC) is done on the basis of Board approved Policy in line with the RBI guidelines.
- 3. निवेश / INVESTMENTS**
- 3.1 बैंक, निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार किए गये विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करता है।
Bank follows the prudential norms formulated by Reserve Bank of India for classification, valuation and operation of investment portfolio.
- 3.2 निवेश को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, यथा परिपक्वता तक धारित, विक्रय हेतु उपलब्ध एवं क्रय-विक्रय के लिए धारित तथा उसके बाद उन्हें सरकारी प्रतिभूतियों, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, शेयरों, डिबेंचरों एवं बांडों, अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यमों और अन्य में निवेश के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।
Investments are classified into three categories viz. Held to Maturity, Available for Sale and Held for Trading and are further classified into Investments in Government Securities, Other Approved Securities, Shares, Debentures & Bonds, Subsidiaries and Joint Ventures and Others.
- 3.3 (i) परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत निवेशों को लागत आधार पर आगे ले जाया जाता है। जहाँ लागत अंकित मूल्य से अधिक होती है वहाँ प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि तक के लिए प्रभावी ब्याज दर पद्धति के अनुसार परिशोधित किया जाता है। विक्रय से हुए लाभ को पहले लाभ-हानि लेखे में लिया जाता है और उसके बाद कर तथा सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित की जानेवाली राशि को छोड़कर उसका विनियोजन पूंजी आरक्षित निधि लेखे में किया जाता है। विक्रय से हुई हानि को लाभ-हानि लेखे पर भारित किया जाता है।
Investments classified as Held to Maturity are carried at cost. Wherever the cost is higher than the face value, the premium is amortized over the remaining period of maturity as per effective interest rate method. Profit on sale is initially taken to Profit and Loss Account and then appropriated to Capital Reserve Account net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserve. Loss on sale is charged to the Profit and Loss Account.
- (ii) विक्रय हेतु उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत निवेशों को बाजार मूल्य के रूप में अंकित किया जाता है। प्रत्येक वर्गीकरण हेतु मूल्यवृद्धि / मूल्यहास का समुच्चयन स्क्रिपवार किया जाता है। हालांकि प्रत्येक वर्गीकरण से संबंधित शुद्ध मूल्यहास को लाभ-हानि लेखे पर भारित किया जाता है, परंतु किसी भी वर्गीकरण से संबंधित शुद्ध मूल्यवृद्धि को नजरअंदाज किया जाता है। इन निवेशों को तुलन-पत्र में मूल्यहास घटाकर दर्शाया जाता है।
Investments classified as Available for Sale, are marked to market. Scrip-wise appreciation/depreciation is aggregated for each classification. While net depreciation in respect of each classification is charged to Profit & Loss Account, net appreciation in respect of any classification is ignored. These investments are shown, net of depreciation, in the Balance Sheet.
- (iii) क्रय-विक्रय के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निवेशों को बाजार मूल्य के रूप में अंकित किया जाता है। मूल्यवृद्धि / मूल्यहास का समुच्चयन स्क्रिपवार किया जाता है। हालांकि प्रत्येक वर्गीकरण से संबंधित शुद्ध मूल्यहास को लाभ-हानि लेखे पर भारित किया जाता है, परंतु किसी भी वर्गीकरण से संबंधित शुद्ध मूल्यवृद्धि को नजरअंदाज किया जाता है। इन निवेशों को तुलन-पत्र में मूल्यहास घटाकर दर्शाया जाता है।
Investments classified as Held for Trading are marked to market. Scrip-wise appreciation/depreciation is aggregated for each classification. While net depreciation in respect of each classification is charged to Profit & Loss Account, net appreciation in respect of any classification is ignored. These investments are shown, net of depreciation, in the Balance Sheet.
- 3.3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, वाणिज्यिक पत्रों तथा ट्रेजरी बिल में निवेशों का मूल्यन रखाव-लागत पर किया जाता है।
Investments in Regional Rural Banks, Commercial Papers and Treasury Bills are valued at carrying cost.
- 3.4 क्रय-विक्रय / निर्दिष्ट भाववाले निवेशों के संबंध में बाजार मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में उपलब्ध निर्दिष्ट भाव से लिया जाता है। सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यन बाजार मूल्य पर या निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ (एफआईएमएमडीए) एवं भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (पीडीआई) द्वारा संयुक्त रूप से घोषित मूल्य पर किया जाता है।

In respect of traded/quoted Investments, Market price is taken from the quotes available in the stock exchanges. Government securities are valued at Market price or price declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA).

- 3.5 अनकोटेड निवेश के मामले में : नवीनतम तुलनपत्र के अनुसार (12 माह से अधिक पुराना नहीं) विश्लेषित मूल्य (पुनर्मूल्यन आरक्षित, यदि कोई हो, पर विचार किया किए बिना) अन्यथा प्रति कंपनी ₹1।

In respect of unquoted investments:- at breakup value (without considering Revaluation Reserve, if any) as per the latest Balance sheet (not more than 12 months old) otherwise ₹ 1 per company.

- 3.6 बैंक द्वारा प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय परिसंपत्तियों की बाबत प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों को बैंक बहियों में प्रतिभूति रसीद के मोचन मूल्य और वित्तीय परिसंपत्तियों के निवल बही मूल्य से निम्नतर पर अग्रेनीत किया जाता है। आर.बी.आई द्वारा निर्धारित गैर एस.एल.आर. निवेशों पर लागू मूल्यांकन, वर्गीकरण एवं अन्य मानदंड एसी/आर सी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों में बैंक के निवेश पर लागू होते हैं।

Security receipts issued by securitization / reconstruction company (SC/RC) in respect of financial assets sold by the Bank to the SC/RC are carried in the books at lower of redemption value of the security receipt and the Net Book Value of the financial assets. Valuation, classification and other norms applicable to investment in non-SLR Investments prescribed by RBI are applied to Bank's investment in Security Receipts issued by SC/RC.

- 3.7 निवेश लेन-देन पर कमीशन, दलाली, खंडित अवधि का ब्याज नामे किया जाता है और / या लेन-देन के वर्ष में आय-व्यय खाते को जमा किया जाता है। ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के लिए प्रदत्त / प्राप्त ब्याज लागत / बिक्री की नियत राशि से अलग रखा जाता है।

Commission, brokerage, broken period interest on investment transactions are debited and /or credited to Profit and Loss Account in the year of transaction. Broken period interest paid/received on debt instruments are excluded from cost/sale consideration.

- 3.8 बैंक अनुप्रयोज्य निवेश की पहचान एवं प्रावधान तथा निवेश से मान्य आय हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों का अनुसरण करता है।

The bank follows the prudential norms for recognition income from investments and for ascertaining and provisioning non-performing investments.

4. संपदा, सयंत्र एवं उपकरण / PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT

- 4.1 भूमि तथा भवन को छोड़ कर संपदा, सयंत्र एवं उपकरण की मदों के लिए लागत मॉडल का उपयोग कर संचित मूल्य ह्रास को घटाते हुए ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया गया है। पुनर्मूल्यांकन पर होने वाले अधिशेष को पुनर्मूल्यांकित आरक्षित नीधि में जमा किया गया है।

Items of property, plant & equipment except land and building are stated at historical cost less accumulated depreciation using cost model. Land and building are stated at revalued amount less accumulated depreciation using revaluation model. Surplus arising on revaluation is credited to Revaluation Reserve.

- 4.2 भारत में स्थित स्थिर परिसंपत्तियों के संबंध में प्रबंधन द्वारा उचित मानी गई अवमूल्यन की दर तथा उसे भारित करने की पद्धति निम्नानुसार हैं :-

The rates of depreciation and method of charging depreciation as considered appropriate by the management in respect of fixed assets situated in India are as below:-

परिसंपत्ति की श्रेणी / CATEGORY OF ASSETS	अवमूल्यन / Depreciation		मॉडल / Model
	दर / Rate	पद्धति / Method	
दीर्घावधि अथवा बेमियादी/नवीकरणीय पट्टे के अंतर्गत भूमि सहित भूमि Land including land held under long-term or perpetual/renewable lease	शून्य/NIL	लागू नहीं/NA	पुनर्मूल्यांकन Revaluation
दीर्घावधि अथवा बेमियादी/नवीकरणीय पट्टे के अंतर्गत धारित भूमि पर भवन सहित भवन Building including building on land held under long-term or perpetual/renewable lease	शेष उपयोगी जीवन में परिशोधित Amortized over remaining useful life	एस एल एम SLM	पुनर्मूल्यांकन Revaluation
अन्य पट्टाधृत भूमि एवं भवन तथा ऐसी पट्टाधृत भूमि पर भवन Other lease-hold land & building and building on such leasehold land	पट्टे की अवधि में परिशोधित Amortized over lease period	एस एल एम SLM	लागत Cost
फर्नीचर और उपस्कर / Furniture and Fixtures	18.10	डब्ल्यूडीवी WDV	लागत Cost
कार्यालय उपकरण / Office Equipment	20.00	डब्ल्यूडीवी WDV	लागत Cost
इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन, वातानुकूलन मशीनरी, रेफ्रिजरेटर, फोटो कॉपी मशीन इत्यादि Electrical Installation, Air-conditioning Machinery, Refrigerator, Photo copying Machine etc.	20.00	डब्ल्यूडीवी WDV	लागत Cost

परिसंपत्ति की श्रेणी / CATEGORY OF ASSETS	अवमूल्यन / Depreciation		मॉडेल / Model
	दर / Rate	पद्धति / Method	
मशीनरी जैसे, फ्रैंकिंग मशीन, ऑफिस मशीनरी, तोलन मशीन, टाइप राईटर, एडिंग मशीन, डुप्लिकेटिंग मशीन Machinery e.g. Franking machine, office machinery, weighing machine typewriter, adding machine, Duplicating Machine	13.91	डब्ल्यूडीवी WDV	लागत Cost
मोटर वाहन / Motor Vehicle	25.89	डब्ल्यूडीवी WDV	लागत Cost
साइकिल / Cycle	20.00	डब्ल्यूडीवी WDV	लागत Cost
कंप्यूटर एवं कंप्यूटर के सहायक उपकरण (आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार) * Computers and computer peripherals (as per RBI guidelines) *	33.33	एस एल एम SLM	लागत Cost

* कंप्यूटर हार्डवेयर के आंतरिक हिस्सा वाले सॉफ्टवेयर तथा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर मूल्यहास का प्रावधान सीधी कटौती प्रणाली पर 33.33% की दर पर किया जाता है।

* Depreciation on computer software including the software forming integral part of computer hardware is provided at Straight Line Method at the rate of 33.33%.

4.3 भारत के बाहर स्थित अचल आस्तियों की बाबत मूल्यहास का प्रावधान संबंधित देश की स्थानीय विधि के अनुसार सीधी कटौती प्रणाली / अवलिखित मूल्य पद्धति के आधार पर किया जाता है।

Depreciation in respect of fixed assets situated outside India is provided on straight line/written down value method as per the local laws of respective country.

4.4 पुनर्मूल्यन के कारण अतिरिक्त मूल्यहास की सममूल्य राशि पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि से राजस्व आस्ति निधि में अंतरित की जाती है।

Equivalent amount of additional depreciation arising out of revaluation is transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve.

4.5 कम मूल्य की संपत्ति, सयंत्र एवं उपकरण की मर्दे जिनकी लागत ₹1000/- तक है को प्रभारित किया गया है जबकि ऐसी मर्दे जिनकी लागत ₹1001/- से लेकर ₹5000/- है प्रत्येक को जिस तिमाही में इसे क्रया किया गया है 100% की दर से मूल्यहास प्रभारित किया गया है।

Items of property, plant and equipment of small value costing upto Rs.1000 each are charged off whereas items costing between Rs.1001 and Rs.5000 each are depreciated @ 100% in the quarter in which the same are purchased.

4.6 30 सितंबर तक के लिए योग पर मूल्यहास संपूर्ण दर पर तथा इसके बाद योग पर आधे दर पर मूल्यहास किया गया है।

Depreciation is provided at full rate on additions made upto 30th September and at half the rate on additions made thereafter.

5. विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन का प्रभाव / EFFECT OF CHANGES IN FOREIGN EXCHANGE RATE

5.1 विदेशी मुद्रा का लेनदेन / FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

i) विदेशी मुद्रा में लेनदेन की तारीख को रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर लागू करके रिपोर्टिंग मुद्रा में प्रारंभिक पहचान पर विदेशी मुद्रा लेनदेन रिकार्ड किए जाते हैं।

Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction.

ii) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मर्दों की रिपोर्ट भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) की बंद / हाजिर दर का उपयोग करके की जाती है।

Foreign currency monetary items are reported using the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) closing/spot rate.

iii) विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मर्दों की, जो परंपरागत लागत आधार बिक्री के लिए उपलब्ध कराई जाती है, रिपोर्ट लेनदेन की तारीख को विनिमय दर का उपयोग करके की जाती है।

Foreign currency non-monetary items, which are carried in terms at historical cost, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

iv) विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयताओं की रिपोर्ट भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ की बंद हाजिर दर का उपयोग करके की जाती है।

Contingent Liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.

v) मौद्रिक मर्दों के निपटान पर ऐसी दरों पर उत्पन्न होनेवाले अंतर को, जो प्रारंभ में रिकार्ड की गई दरों से भिन्न है, उस अवधि में आय या व्यय माना जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

Exchange differences arising on settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognised as income or as expense in the period in which they arise.

vi) बकाया विदेशी मुद्रा संविदा एवं बिल का पुनर्मूल्यन भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ की दरों के अनुसार किया जाता है और परिणामी लाभ/हानि को प्रत्येक माह के अंत में राजस्व में ले जाया जाता है।

Outstanding forward exchange contracts are revalued every month as per month end FEDAI rates applicable based on maturity date of the forward contracts and the resultant gain/loss is taken to profit and loss at the end of each month.

- vii) जो विदेशी विनिमय स्वेप व्यापार के लिए धारित नहीं किए जाते हैं उन्हें मार्केट टू मार्केट नहीं किया जाता है। ऐसे स्वेप पर अदा या प्राप्त प्रीमियम, स्वेप की नियत अवधि पर खर्च के रूप में परिशोधित अथवा आय के रूप में ग्रहण किए जाते हैं।

The foreign exchange swaps which are not held for trading are not marked to market. The premium paid or received on such swaps are amortized as expense or accreted as income over the life of the swap.

5.2 विदेशी परिचालन / FOREIGN OPERATIONS

बैंक की विदेश स्थित शाखाओं और प्रतिनिधि कार्यालयों को गैर-समाकलित परिचालन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

Foreign Branches and representative offices of the Bank have been classified as non-integral operations.

अदला-बदली / Translation

- i) मौद्रिक एवं गैर-मौद्रिक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों एवं देयताओं तथा गैर-समाकलित विदेशी परिचालन की आकस्मिक देयताओं को तुलन-पत्र की तारीख को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा अधिसूचित बंदी विनिमय दरों पर परिणत किया जाता है।

Both monetary and non-monetary foreign currency assets and liabilities including contingent liabilities of non-integral foreign operations are translated at closing exchange rates notified by FEDAI at the balance sheet date.

- ii) गैर-समाकलित विदेशी परिचालन संबंधी आय एवं व्यय को तिमाही औसत बंद दरों पर परिणत किया जाता है।

Income and expenditure of non-integral foreign operations are translated at quarterly average closing rates.

- iii) गैर-समाकलित विदेशी परिचालन में निवल निवेश पर उत्पन्न विनिमय अंतर को निवल निवेश के निपटान तक विदेशी मुद्रा परिणत आरक्षित में संचित किया जाता है।

Exchange differences arising on net investment in non-integral foreign operations are accumulated in Foreign Currency Translation Reserve until the disposal of the net investment.

6. कर्मचारी हितलाभ / EMPLOYEE BENEFITS

6.1 अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ / Short Term Employee Benefits

कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवा के एवज में सेवावधि के दौरान उनकी सेवा के लिए कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा, आकस्मिक छुट्टी आदि अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ अदा / जमा किया जाता है।

Short-term employee benefits, such as medical benefits, casual leave etc. which are paid in exchange for the services rendered by employees are recognized during the period when the employee renders the service.

6.2 दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ / Long Term Employee Benefits

सेवोपरांत हितलाभ / Post-employment Benefits

अ/आ) निर्धारित अंशदान योजना / Defined Contribution Plan

- क/अ) एनपीएस भविष्य निधि जैसी निर्धारित अंशदान योजना में अंशदान को लाभ-हानि लेखा में भारित किया जाता है। जिन कर्मचारियों ने पेंशन हितलाभ का विकल्प नहीं लिया है उनका भविष्य निधि अंशदान बैंक द्वारा संचालित ट्रस्ट को किया जाता है।

Contributions to Defined Contribution Schemes such as NPS, Provident Fund etc., are charged to the Profit & Loss Account as and when incurred. In respect of certain employees who have not opted for Pension Benefits, Provident Fund Contributions are made to a Trust administered by the Bank.

- ख/ब) 1 अप्रैल, 2010 या उसके बाद बैंक सेवा में किए जानेवाले कर्मचारियों को एक निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना में शामिल किया जाता है जिसमें कर्मचारी वेतन के 10% एवं डीए का अंशदान करते हैं तथा बैंक भी उतना ही अंशदान करता है। यह योजना केन्द्र सरकार के कर्मचारियों हेतु 01 जनवरी, 2004 से प्रारंभ की गई अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधानों के अधीन है तथा समय-समय पर संशोधित की जाती है।

The employees joining the services of the bank on or after 1st April 2010 are covered by a defined contributory pension scheme where the employees contribute 10% of pay plus DA and the bank makes a matching contribution. The scheme is governed by the provisions of the contributory pension scheme introduced for the employees of central government w.e.f 1st January 2004 and modified from time to time.

आ/ब) निर्धारित हितलाभ योजना / Defined Benefit Plan

बैंक निर्धारित हितलाभ योजनाओं के अंतर्गत उपदान एवं पेंशन योजना चलाता है।

The bank operates gratuity and pension schemes which are defined benefit plans.

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को उपदान प्रदान करता है। इसके अंतर्गत उन सभी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नौकरी के दौरान मृत्यु पर, या नौकरी की समाप्ति पर एकमुश्त राशि/एकबारगी भुगतान इस प्रकार किया जाता है i) ₹20,00,000 की अधिकतम सीमा के अध्यक्ष सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों का वेतन (मूल + डीए) या ii) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों का वेतन (केवल मूल वेतन), इनमें से जो भी अधिक हो। पाँच वर्ष/ दस वर्ष की सेवा (यथा प्रयोज्य) पूरी करने के उपरांत यह लाभ प्रदान किया जाता है। नियमित अंतराल पर किए गए स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक द्वारा मूल्यांकन के आधार पर बैंक न्यासियों द्वारा संचालित निधि में वार्षिक अंशदान करता है।

The Bank provides for gratuity to all eligible employees. The benefit is in the form of lump sum / onetime payment to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment, for an amount equivalent to (i) 15 days salary (Basic + DA) payable for each completed year of service, subject to a maximum amount of Rs.20,00,000 or (ii) 15 days salary (Basic only) for each completed year of service, whichever is higher. Vesting occurs upon completion of five years / ten years (as applicable) of service. The Bank makes annual contributions to a fund administered by Trustees based on an independent external actuarial valuation carried out at regular intervals.

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों के लिए पेंशन का प्रावधान करता है। नियमानुसार यह लाभ पात्र कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नौकरी के दौरान मृत्यु पर या नौकरी की समाप्ति पर, जैसा कि इस विनियम में प्रावधान है, मासिक भुगतान के रूप में दिया जाता है। नियमानुसार विभिन्न स्तर पर यह

लाभ प्रदान किया जाता है। वेतन के 10% प्रतिमाह की दर से अंशदान के अलावा नियमित अंतराल पर किए गए स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक द्वारा मूल्यांकन के आधार पर बैंक न्यासियों द्वारा संचालित निधि में अतिरिक्त वार्षिक अंशदान करता है।

The Bank provides for pension to all eligible employees. The benefit is in the form of monthly payments as per rules and regular payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment as provided under regulation. Vesting occurs at different stages as per rules. The Bank makes additional annual contributions to funds administered by trustees based on an independent external actuarial valuation carried out at regular intervals besides monthly contribution @ 10% of pay per month.

निर्धारित प्रसुविधा प्रदान किए जाने की लागत का अवधारण बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड आधार पर किया जाता है जो साधारणतया तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है। निवल देयता को आस्थगित नहीं किया जाता है और उसे तत्काल लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

The cost of providing defined benefits is determined by actuarial valuation using the projected unit credit method which is normally carried out on quarterly basis. Net liabilities are immediately recognized in the statement of profit and loss and are not deferred.

इ/क) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ / Other Long Term Employee benefits

क/अ. बैंक के सभी पात्र कर्मचारी प्रतिपूरक अनुपस्थिति एवं छुट्टी यात्रा रियायत के हकदार हैं। इस प्रकार के दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ लागत की निधि बैंक द्वारा आंतरिक रूप से प्रदान की जाती है।

All eligible employees of the bank are entitled to compensated absences; leave travel concession. The costs of such long-term employee benefits are internally funded by the Bank.

ख/ब. इस प्रकार के अन्य निर्धारित दीर्घावधि हितलाभ प्रदान करने की लागत का अवधारण बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड आधार पर किया जाता है जो साधारणतया तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है। पश्च सेवा लागत को आस्थगित नहीं किया जाता है और उसे तत्काल लाभ-हानि लेखे में मान्यता दी जाती है।

The cost of providing these other long term benefits is determined by actuarial valuation using the projected unit credit method which is normally carried out on quarterly basis. Past service cost is immediately recognized in the statement of profit and loss and is not deferred.

ग/क. पूर्णकालिक निदेशकों को सेवानिवृत्ति के पश्चात सेवोपरांत चिकित्सा सुविधा के रूप में चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। लागत का आकलन एवं निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड आधार पर किया जाता है और ऐसा मूल्यांकन सेवानिवृत्ति के साथ-साथ कार्यरत पूर्णकालिक निदेशकों के लिए तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है। इस देयता को तत्काल लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है और इसे आस्थगित नहीं रखा जाता है।

Medical benefits are extended to full time Directors, after their retirement as post-retirement medical benefits. The cost is ascertained and determined by actuarial valuation using the projected unit credit method and such valuation is carried out on quarterly basis for retired as well as in service full time Directors. The liability is immediately recognized in the statement of profit & loss and not deferred.

6.3 विदेशी शाखाओं में नियुक्त कर्मचारियों के कर्मचारी हित लाभ का मूल्यांकन एवं लेखा जोखा संबंधित स्थानिय विधि/विनियमों के अनुसार किया जाता है। Employee benefits relating to employees employed at foreign branches and offices are valued and accounted for as per the respective local laws/regulations.

7. ब्याज दर स्वाप / INTEREST RATE SWAPS

7.1 बचाव व्यवस्था के लिए किए गए ब्याज दर स्वैप लेन-देन की गणना उपचय आधार पर की जाती है तथा क्रय-विक्रय संबंधी लेन-देन के बाजार मूल्य को बहियों में अंकित किया जाता है तथा निवल मूल्यहास के लिए, यदि कोई हो, प्रावधान किया जाता है, जबकि मूल्यवृद्धि को, यदि हो, नजरअंदाज किया जाता है।

The Interest Rate Swap transactions undertaken for hedging are accounted for on accrual basis and transactions for trading are marked to market and net depreciation is provided for whereas appreciation, if any, is ignored.

7.2 बचाव व्यवस्था के लिए किए गए समाप्त ब्याज दर स्वाप पर लाभ या हानि को आस्थगित रखा जाता है और उसकी पहचान स्वैप की संविदागत शेष अवधि अथवा आस्ति या देयता की शेष अवधि, इनमें से जो भी कम हो, में की जाती है।

Gain or loss on terminated interest rate swap transactions undertaken for hedging is deferred and recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or remaining life of the asset or liability.

7.3 क्रय-विक्रय स्वैप से संबंधित आय और व्यय की पहचान निपटान की तारीख को की जाती है।

Income and expenses relating to the trading swaps are recognized on the settlement date.

7.4 क्रय-विक्रय स्वैप की समाप्ति पर हुए लाभ या हानि को तत्काल आय या व्यय के रूप में रिकार्ड किया जाता है।

Gain or losses on the termination of the trading swaps are recorded as income or expense immediately.

8. आस्तियों की अनर्जकता / IMPAIRMENT OF ASSETS

जब कभी भी घटनाओं या स्थितियों में हुए परिवर्तन के कारण ऐसा लगे कि किसी आस्ति की रख-रखाव राशि की वसूली नहीं हो सकती है, तब अनर्जकता के आकलन हेतु संपदा सयंत्र एवं उपकरण की समीक्षा की जाती है। धारित और उपयोग की जानेवाली आस्तियों की वसूली योग्यता का आकलन किसी आस्ति की रख-रखाव राशि की तुलना में आस्ति द्वारा उत्पन्न होनेवाले आगामी निवल बड़ाकृत नकदी प्रवाह से करके किया जाता है। यदि ऐसी आस्तियों को अनर्जक माना जाता है तो उसकी अनर्जकता का आकलन आस्ति के रख-रखाव की उस राशि से किया जाता है जो आस्ति के उचित मूल्य से अधिक होती है।

Items of property, plant and equipment are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such assets are considered to be impaired, the impairment, to be recognized, is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the fair value of the asset.

9. गैर बैंकिंग परिसंपत्तियां / NON-BANKING ASSETS

गैर बैंकिंग परिसंपत्तियों को लागत के रूप में वर्णित किया जाता है / Non-Banking Assets are stated at cost.

10. राजस्व की पहचान/REVENUE RECOGNITION

10.1 उपचय आधार पर आय की पहचान की जाती है, जब तक अन्यथा न कहा जाए।

Income is recognized on accrual basis, unless otherwise stated.

10.2 विदेशी कार्यालयों के मामले में स्थानीय नियम/संबंधित देश के मानकों अनुसार आय की पहचान की जाती है।

In respect of foreign offices, income is recognized as per local laws/ standards of respective country.

10.3 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्तियों निवेशों से आय की पहचान वसूली आधार पर की जाती है।

Income from non-performing assets/investments is recognized on realization basis in terms of RBI guidelines.

10.4 साख पत्र/बैंक गारंटी जारी करने पर प्राप्त कमीशन का निर्धारण साख पत्र/बैंक गारंटी की अवधि के आधार पर होता है। लाभांश का दिसाब उसके प्राप्ति के अधिकार के सुस्थापित होने पर किया जाता है।

Commission on issuance of Letters of Credit/ Bank Guarantees is recognized over the tenure of LC/BG. Dividend is accounted when the right to receive the same is established.

10.5 लॉकर किराया, किराया आय, म्यूचुअल फंडों एवं विभिन्न जमा खातों के सेवा प्रभार से प्राप्त आय की पहचान वसूली के आधार पर की जाती है। Locker Rent, Rental Income, Income on Units of Mutual Funds and Service Charges on various Deposit Accounts are recognized on realization basis.

10.6 आयकर रिफंड पर ब्याज की पहचान वर्ष के दौरान वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर की जाती है।

Interest on Income-tax refund is recognized in the year it was actually received.

10.7 निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ या हानि की पहचान भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार की जाती है।

Profit or loss on sale of investments is recognized as per RBI guidelines.

10.8 बड़े खाते डाले गए अग्रिमों में वसूली/निवेश का लेखा जोखा "विविध आय" में रखा जाता है।

Recoveries in Written off Advances / Investments are accounted for as 'Miscellaneous Income'.

11. पट्टा / LEASE

ए एस 19 के अनुसार-पट्टे, परिचालन पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों के पट्टे के भुगतान की पहचान पट्टे की अवधि हेतु लाभ और हानि खाते में की जाती है तथा वित्तीय पट्टे के मामले में परिसंपत्तियों की पहचान पट्टे के प्रिमियम के लागत के रूप में लेखा बही में की जाती है तथा यह पट्टे की अवधि के साथ परिशोधित हो जाती है।

In accordance with AS 19 - Leases, lease payments for assets taken on operating lease are recognized in the profit & loss account over the period of lease and in respect of assets taken on finance lease, the asset is recognized in the books taking the lease premium as the cost and the same is amortized over the period of the lease.

12. आय पर कर / TAXES ON INCOME

12.1 चालू कर / Current Tax

लागू कर नियमों, न्यायिक उद्घोषणाओं/वैधिक मतों एवं विगत मूल्यांकन के आधार पर कर योग्य निर्धारित आय पर, लागू ब्याज दर के अनुसार चालू कर उपलब्ध करवाया जाता है।

Current tax is provided using applicable tax rates on the taxable income determined on the basis of applicable tax laws, judicial pronouncements / legal opinions and the past assessments.

12.2 आस्थगित कर / Deferred Tax

क/अ) आस्थगित कर, कर योग्य आय एवं लेखा आय में होने वाले एक समय अंतर को यथोचित रूप में लेने तथा एक या अधिक परवर्ती अवधि में प्रत्यावर्तित किए जाने को संकेतित करने वाला मान्य विषय है।

Deferred Tax is recognized subject to consideration of prudence, on timing difference, representing the difference between the taxable income and accounting income that originated in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods.

ख/ब) आय पर कर के हेतु लेखा मानक 22 द्वारा अधिनियमित अथवा तुलन पत्र की तारीख पर अधिनियमित कर दर का उपयोग करते हुए आस्थगित कर परिसंपत्तियां/देयताओं की पहचान की जाती है।

Deferred tax asset or liability is recognized using the tax rates that have been enacted or substantially enacted by the Balance Sheet date as per Accounting Standard 22 Accounting for Taxes on Income.

ग/क) प्रबंधन का निर्णय के अनुसार आस्थगित कर/देयताओं की वसूली निश्चित रूप से होगी या नहीं इसके आधार पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर इनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है।

Deferred tax assets/liabilities are re-assessed at each reporting date, based upon management's judgement as to whether their realisation is considered as reasonably certain.

घ/द) असमाविष्ट मूल्य ह्रास एवं कर हानि को आगे बढ़ाने से आस्थगित कर संपत्तियों की पहचान तभी होगी जब विश्वसनीय प्रभावयुक्त अमूर्त निश्चितता हो ताकि इस प्रकार की आस्थगित कर परिसंपत्ति को भविष्य में होने वाले लाभ से प्राप्त किया जा सके।

Deferred Tax Assets on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses are recognized only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realised against future profits.

13. प्रति शेयर अर्जन / EARNINGS PER SHARE

13.1 बैंक एस 20 - 'प्रति शेयर अर्जन', के अनुसार प्रति शेयर मूल और न्यूनीकृत अर्जन की रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल अर्जन का निर्धारण कर पश्चात निवल लाभ तथा अधिमानी शेयरों पर लाभांश को वर्ष में बकाया ईक्विटी शेयरों की औसत भारिता से भाग देकर किया जाता है। The Bank reports basic and diluted earnings per share in accordance with AS 20 - 'Earnings per Share'. Basic earnings per share computed by dividing the net profit after tax and dividend on preferential shares by weighted average number of equity shares outstanding for the year.

13.2 प्रति शेयर अर्जन में कमी उस संभाव्य कमी को प्रकट करती है जो वर्ष के दौरान प्रतिभूति या ईक्विटी शेयर जारी करने हेतु अन्य संविदा जारी या परिवर्तित करने पर होती है। प्रति शेयर अर्जन में कमी का निर्धारण वर्ष के अंत में बकाया ईक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या और कम होनेवाले संभाव्य ईक्विटी शेयरों का उपयोग कर किया जाता है।

Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at year end.

14. व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्स) / Derivatives

बैंक बहुत कम ही डेरिवेटिव्स यथा विदेशी वायदा संविदा, ब्याज-दर एवं मुद्रा डेरिवेटिव्स का काम करता है। रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप, वायदा दर करार एवं व्याज दर फ्यूचर बैंक के साथ संव्यवहार करने वाले ब्याज-दर डेरिवेटिव्स हैं। मुद्रा स्वैप एवं मुद्रा फ्यूचर बैंक के साथ मुद्रा डेरिवेटिव्स संव्यवहार करने वाले विकल्प हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निदेशों के अनुसार डेरिवेटिव्स का मूल्यंकन निम्नप्रकार से किया जाता है:

The Bank rarely deals in derivatives i e Forex Forward Contracts, interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps, Forward Rate Agreements and Interest Rate Futures. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options, Currency Swaps and Currency Futures. Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

(क/अ) बचाव-व्यवस्था पर आय/व्यय का आकलन उपचय आधार पर किया जाता है।

Income/expenditure on hedging derivatives are accounted on accrual basis.

(ख/ब) विदेशी वायदा संविदा बाजार के लिए चिह्नित होता है और परिणामी मुनाफा तथा हानि को लाभ एवं हानि लेखा में शामिल किया जाता है।

Forex forward contracts are Marked to market and the resultant gains and losses are recognized in the profit and loss account.

(ग/क) विनिमय व्यापार अनुबंध व्यापार उद्देश्य से किया जाता है जिसका मूल्यंकन विदेशी मुद्रा द्वारा निर्धारित दर के आधार पर मौजूदा बाजार के अनुसार किया जाता है और परिणामी मुनाफा तथा हानि को लाभ एवं हानि लेखा में शामिल किया जाता है।

Exchange Traded Contracts entered into for trading purposes are valued at prevailing market rates based on rates given by the Exchange and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss Account.

(घ/द) व्यापार स्वैप के समाप्ति से होने वाले हानि/लाभ को समाप्ति की तारीख में आय/व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है। प्रतिरक्षा स्वैप की समाप्ति से होने वाले किसी लाभ/हानि को आस्थगित रखा है और स्वैप की बची हुई संविदागत अवधि या नामित आस्त/देयताओं की शेष बची हुई अवधि के अनुसार चिह्नित किया जाता है।

Gains/ losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/ expenditure. Any gain/ loss on termination of hedging swaps are deferred and recognised over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the designated assets/liabilities.

(ङ/े) लाभ एवं हानि लेखे में देय रहने पर मुद्रा विकल्प के लिए प्रदत्त एवं प्राप्त प्रीमियम को लेखे में शामिल किया जाता है।

(e) Premium paid and received on currency options is accounted when due in the profit and loss account.

15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्त संबंधी लेखा विधि

ACCOUNTING FOR PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

आईसीएआई द्वारा इस संबंध में जारी एस 29 "प्रावधान, आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों" के अनुरूप बैंक प्रावधान की पहचान तभी करता है जब अतीत की किसी घटना के फलस्वरूप उसका वर्तमान दायित्व हो, संभव है कि आर्थिक लाभ को सन्निहित करनेवाले संसाधनों का बहिर्गमन दायित्व का निपटान करने हेतु अपेक्षित हो, और तब दायित्व की राशि का विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सके।

In conformity with Accounting Standard AS 29, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate of the amount of the obligation can be made. Contingent Assets are not recognized in the financial statements.

16. खंड रिपोर्टिंग / Segment Reporting

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एवं आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 17 अनुपालन कर व्यवसायिक खंड को प्राथमिक खंड रिपोर्टिंग के रूप में एवं भौगोलिक खंड को गौण मान्यता प्रदान करता है।

The Bank recognizes the Business segment as the Primary reporting segment and Geographical segment as the Secondary reporting segment, in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.

अनुसूची / SCHEDULE 18
लेखे के संबंध में टिप्पणियां / NOTES ON ACCOUNTS

1. पूंजी / Capital

1.1 पूंजी पर्याप्तता अनुपात/Capital Adequacy Ratio

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

मर्दे/Items	31.03.21 की स्थिति As on 31.03.21	31.03.20 की स्थिति As on 31.03.20
	बासेल/Basel-III	बासेल/Basel-III
(i) सामान्य शेयर टियर-1 पूंजी अनुपात (%) / Common Equity Tier 1 capital ratio (%)	11.14	8.98
(ii) टियर 1 पूंजी अनुपात (%) / Tier 1 capital ratio (%)	11.14	8.98
(iii) टियर 2 पूंजी अनुपात (%) / Tier 2 capital ratio (%)	2.60	2.72
(iv) कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (%) / Total capital ratio (CRAR) (%)	13.74	11.70
(v) भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत (%) / Percentage of the shareholding of the Government of India (%)	94.44	94.44
(vi) पूंजी के रूप में जुटाई गई राशि / Amount of equity capital raised	--	4494.94
(vii) टियर 1 पूंजी के रूप में जुटाई गई अतिरिक्त राशि; जिसमें से / Amount of Additional Tier 1 capital raised; out of which	--	--
(पीएनसीपीएस): / Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS):	--	--
पीडीआई: / Perpetual Debt Instrument (PDI):	--	--
(viii) टियर 2 के रूप में जुटाई गई पूंजी की राशि; जिसमें से		
ऋण पूंजी लिखत: Amount of Tier 2 capital raised;	--	1000
out of which		
Debt capital instrument:	--	1000
अधिमानी शेयर पूंजी लिखत : (बेमियादी संचयी अधिमानी शेयर (पीसीपीएस) / मोचन-योग्य असंचयी अधिमानी शेयर (आरएनसीपीएस) / मोचन-योग्य संचयी अधिमानी शेयर (आरसीपीएस)		
Preference Share Capital Instruments :	--	--
[Perpetual Cumulative Preference Share (PCPS) / Redeemable Non-Cumulative Preference Shares (RNCPS) / Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)		

भारत सरकार ने अपने पत्र सं. एफ सं. 7/23/2019- बीओए-1 दिनांक 17.03.2021 द्वारा इक्विटी शेयरों के अधिमानतः आवंटन के माध्यम से रु. 2600 करोड़ की पूंजी डाली और यह पूंजी योगदान बैंक को दिनांक 31.03.2021 को प्राप्त हुआ था। आरबीआई के पत्र सं. डीओआर.सीएपी.21.01.002/2021-22 दिनांक 19.05.2021 द्वारा अनुमोदन पश्चात इसे बैंक के कॉमन इक्विटी कैपिटल (सीईटी-1) में शामिल किया गया। आवश्यक विनियामक अनुमोदन प्राप्त होने तक इस राशि को शेयर आवेदन मुद्रा के तहत रखा गया है।

The Government of India vide its letter no. F. No. 7/23/2019 - BOA-I dated 17.03.2021 infused capital of Rs. 2,600 crore by way of preferential allotment of equity shares and the capital contribution was received by the Bank on 31.03.2021. The same has been included in Bank's Common Equity Capital (CET-1) after RBI approval vide letter no DOR.CAP.21.01..002/2021-22 dated 19.05.21. The amount has been kept under share application money pending receipt of necessary regulatory approvals.

2.0 निवेश

2.1 बैंक के निवेश एवं अनर्जक निवेश पर मूल्य-हास/के प्रति किए गए निवेश तथा प्रावधान के उतार-चढ़ाव के ब्योरे निम्नानुसार हैं :

2.0 Investments

2.1 The Details of investments and the movement of provisions held towards depreciation on the investments/Non Performing Investments of the Bank is given below:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

मर्दे/Items	31.03.21 की स्थिति As on 31.03.21	31.03.20 की स्थिति As on 31.03.20
(1) निवेशों का मूल्य/Value of Investments		
(i) निवेश का सकल मूल्य/Gross Value of Investments		
(a) भारत में/In India	93501.11	89531.52
(b) भारत के बाहर/ Outside India	2334.17	3383.34
(ii) मूल्यहास/एनपीआई हेतु प्रावधान/Provisions for Depreciation/NPI		
(a) भारत में/In India	1911.05	1770.42
(b) भारत के बाहर/Outside India	141.28	145.62
(iii) निवेशों का निवल मूल्य /Net Value of Investments		
(a) भारत में/In India	91590.06	87761.10
(b) भारत के बाहर/Outside India	2192.89	3237.72
(2) निवेशों पर मूल्यहास/एनपीआई के प्रति किए गए प्रावधान का उतार-चढ़ाव Movement of provisions held towards depreciation on investments/NPI.		
(i) प्रारंभिक शेष / Opening balance	1916.04	1577.91
(ii) जोड़े : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान Add : Provisions made during the year : विनिमय अंतर के जरिए : By Exchange Difference	302.76 (0.84)	474.38 8.98
(iii) घटाएं : वर्ष के दौरान बड़े खाते डाले गए / पुनरांकित किए गए अतिरिक्त प्रावधान Less: Write-off/ write-back of excess provisions during the year	165.64	145.23
(iv) अंतिम शेष/Closing balance	2052.33	1916.04

2.2 रेपो लेनदेन / Repo Transactions

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया बकाया Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत Daily Average outstanding during the year	31 मार्च 2021 को बकाया Outstanding as on 31 st March 2021
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ Securities sold under Repos				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ/Government securities	-	7591.00	20.80	3561.16
ii) कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ/ Corporate debt securities	-	-	-	-
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ Securities purchased under reverse Repos				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ/Government securities	-	8200.00	62.31	1500.00
ii) कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ/ Corporate debt securities	-	-	-	-

2.3 गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश संविभाग/Non-SLR Investment Portfolio

(i) गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश के जारीकर्ताओं की संरचना/ Issuer composition of Non SLR investments

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

सं. जारीकर्ता No. Issuer	राशि Amount	निजी तौर पर शेयर आवंटन की सीमा Extent of Private Placement	'निवेश श्रेणी से निम्न' प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Below Investment Grade' Securities	'रेटिंग से इतर' प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unrated' Securities	'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unlisted' Securities
(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i) स.क्षे.के उपक्रम/ PSUs	25072.02	24599.42	1.13	22456.15	18426.39
(ii) वित्तीय संस्थाएं /FIs	1416.49	825.24	760.00	5.50	305.50
(iii) बैंक / Banks	29.09	29.09	-	-	-
(iv) निजी कंपनियां / Private Corporates	1276.27	211.72	362.41	1042.34	990.99
(v) अनुषंगी/संयुक्त उद्यम/सम्बद्ध* Subsidiaries/ Joint Ventures/ Associates*	108.16	108.16	-	108.16	108.16
(vi) अन्य /Others	1413.31	1413.31	-	-	1413.31
(vii) उप योग (i से vi) तक Sub Total (I to vi)	29315.34	27186.94	1123.54	23612.15	21244.35
(viii) घटाएं- मूल्यहास के प्रति किया गया प्रावधान Less Provision held towards depreciation	918.75	-	140.83	140.83	140.83
(ix) योग / Total (vii-viii)	28396.59	27186.94	982.71	23471.32	21103.52

* आरआरबी में निवेश / Investment in RRB.

(ii) अनर्जक गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश / Non performing Non-SLR investments

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	31.03.2021	31.03.2020
प्रारंभिक शेष / Opening balance	1186.84	879.87
वर्ष के दौरान परिवर्धन /Additions during the year	17.99	387.64
वर्ष के दौरान कमी / Reductions during the year	270.58	90.47
विनिमय का अंतर / Exchange Difference	(0.84)	9.79
अंतिम शेष / Closing balance	933.41	1186.84
किए गए कुल प्रावधान / Total provisions held	918.73	1078.55

2.4 विभिन्न श्रेणियों की प्रतिभूतियों में किए गए निवेश का सकल मूल्य निम्नानुसार है :

The gross value of Investments held in different categories of securities is as under:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	31.3.2021	31.3.2020
परिपक्वता तक धारित/Held to Maturity		
- छूट प्राप्त श्रेणी /-exempted category	25961.61	22960.72
- अन्य/-others	41682.12	34879.34
बिक्री हेतु उपलब्ध/Available for Sale	28191.55	35074.79
क्रय-विक्रय हेतु धारित/Held for Trading	--	--

2.5 एचटीएम श्रेणी में/से बिक्री एवं अंतरण :

एचटीएम श्रेणी में/से बिक्री एवं अंतरण का मूल्य वर्ष के आरंभ में एचटीएम श्रेणी में रखे गए निवेशों के बही मूल्य के 5% से अधिक नहीं हुआ है। इसमें निदेशक मंडल के अनुमोदन से बैंक द्वारा ली गई प्रतिभूतियों का एकबारगी अंतरण शामिल नहीं है।

2.5 Sale and transfers to/from HTM Category :

The value of sales and transfers of securities to/from HTM Category, excluding the one time transfer of securities undertaken by the Bank with the approval of Board of Directors, has not exceeded 5 % of the book value of Investments held in HTM Category at the beginning of the year.

3.0 व्युत्पन्न / Derivatives

3.1 वायदा दर करार/ब्याज दर स्वाप / Forward Rate Agreement/ Interest Rate Swap

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

मर्दे / Items	2020-21	2019-20
i) स्वाप करार का आनुमानिक मूलधन The notional principal of swap agreements	4770.79	1670.79
ii) करार के अंतर्गत काउंटर पार्टियों द्वारा अपने दायित्वों को पूरा करने में चूक किए जाने पर उठाई जानेवाली हानि Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements	26.95	23.63
iii) स्वाप में शामिल होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक Collateral required by the bank upon entering into swaps	-	0.00
iv) स्वाप से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेंद्रण Concentration of credit risk arising from the swaps	-	0.00
v) स्वाप बही का उचित मूल्य The fair value of the swap book	7.55	4.00

3.2 विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न / Exchange Traded Interest Rate Derivatives:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

क्रम सं. S.No.	विवरण Particulars	2020-21	2019-20
(i)	वर्ष के दौरान प्रारंभ किए गए विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि (लिखतवार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise) क) \ a) ख) \ b) ग) \ c)	-	-
(ii)	दिनांक 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि (लिखतवार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31 st March 2019 (instrument-wise) क) \ a) ख) \ b) ग) \ c)	-	-
(iii)	ऐसे विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि (लिखतवार) जो बकाया हैं परंतु "अत्यंत प्रभावी" नहीं हैं Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise) क) \ a) ख) \ b) ग) \ c)	-	-
(iv)	ऐसे विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न का दैनिक बाजार मूल्य (लिखतवार) जो बकाया हैं परंतु "अत्यंत प्रभावी" नहीं हैं Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise) क) \ a) ख) \ b) ग) \ c)	-	-

3.3 व्युत्पन्न में ऋण जोखिम का प्रकटीकरण
क) गुणात्मक प्रकटीकरण

- i) व्युत्पन्न लेनदेन में जोखिम प्रबंध की संरचना और गठन :

संगठनात्मक ढांचे के अंतर्गत कॉर्पोरेट स्तर पर निवेश स्कंध है जो कार्यपालक निदेशकगण अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा अंततः निदेशक मंडल को रिपोर्ट करता है। लेन देन के समय उनके बारे में जोखिम प्रबंध विभाग को सूचित किया जाता है।

- ii) जोखिम मूल्यांकन, जोखिम सूचना और जोखिम निगरानी प्रणालियों का क्षेत्र और स्वरूप:

क) बैंक द्वारा किए गए ब्याज दर स्वाप (आईआरएस) संबंधी लेनदेन केवल बचाव व्यवस्था एवं क्रयविक्रय के प्रयोजनार्थ किए जाते हैं। व्युत्पन्न भी एक उत्पाद के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार ग्राहकों को दिए जाते हैं। ये लेन देन भारिबैंक की नीतियों के आधार पर बनाई गई बैंक की नीतियों के अनुसार किए जाते हैं।

ख) ब्याज दर स्वैप संविदाओं की शेष अवधि के लिए बेंच मार्क ब्याज दरों की उतार चढ़ाव के आधार पर ब्याज दर व्युत्पन्न लेन देन के आधार पर जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है। सभी ब्याजदर व्युत्पन्न लेनदेन को जोखिम मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ शामिल किया गया है। जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है और इसकी रिपोर्ट प्र.नि एवं मु.का.अ./

3.3 Disclosures on risk exposure in derivatives
a) Qualitative Disclosures

- i) The Structure and organization for management of risk in derivatives trading:

The organization structure consists of Investment Wing at the Corporate level which report to the Executive Directors, Managing Director & CEO and ultimately to the Board. Risk Management Department is informed of the transactions as and when they take place.

- ii) The scope and nature of risk measurement, risk reporting and risk monitoring systems:

a) The Interest Rate Swap (IRS) transactions undertaken by the Bank are for hedging and trading purposes. Derivative as a product is also offered to the customer as per RBI norms. Such transactions are undertaken as per policies of the Bank formulated based on RBI guidelines.

b) The risk is measured in the interest rate derivative transactions depending on the movement of benchmark interest rates for the remaining life of the interest rate swap contracts. All interest rate derivative transactions are included for the purpose of risk measurement. The risk is evaluated and reports are

का.नि. के समक्ष प्रतिदिन और निदेशक मंडल के समक्ष आवधिक रूप से प्रस्तुत की जाती है। ब्याज दर व्युत्पन्न लेन-देन की मार्क टू मार्केट स्थिति के आधार पर जोखिम की निगरानी की जाती है।

(iii) जोखिम से बचाव और/या उसके शमन के लिए नीतियां तथा बचाव/शमन की निरंतर प्रभाविता की निगरानी रखने हेतु कार्यनीति एवं प्रक्रिया:

परिसंपत्तियों या देयताओं के वास्तविक ब्याज भार के लिए ब्याज दर स्वाप किया जाता है। अनुमानिक मूल धन और बचाव की परिपक्वता निहित परिसंपत्ति/देयता के मूल्य/परिपक्वता से अधिक नहीं होती है। बकाया ब्याज दर स्वाप संविदाओं की मार्क टू मार्केट स्थिति के आधार पर जोखिम पर निगरानी रखी जाती है तथा तदनुसार बचाव की प्रभाविता निर्धारित की जाती है।

ब्याज दर स्वाप करने पर अपेक्षित संपार्श्विक शून्य है। पूंजी अपेक्षा अवधारित करने के लिए सुसंगत परिवर्तनकारक से गुणा की गई ब्याज दर स्वाप की अनुमानिक मूल राशि और प्रति पार्टी की संबंधित जोखिम भारिता को हिसाब में ले लिया गया है।

placed to the MD & CEO/ED daily and Board periodically. Risk is monitored based on the mark to market position of the interest rate derivative transactions.

(iii) Policies for hedging and /or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/ mitigates:

IRS is undertaken on the actual interest bearing underlying assets or liabilities. The notional principal amount and maturity of the hedge does not exceed the value and maturity of underlying asset/ liability. The risk is monitored on the mark to market basis of the outstanding interest rate swap contracts and accordingly the effectiveness of the hedge is determined.

Collateral required upon entering into IRS is Nil. Notional principal amount of IRS multiplied by the relevant conversion factor and the respective risk weight of the counter party has been taken into account for determining the capital requirements.

ख)/b) प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण/Quantitative Disclosures

(राशि करोड़ ₹ में) / (Amount in ₹ Crore)

क्र.सं. विवरण Sl.No. Particulars	2020-21		2019-20	
	मुद्रा व्युत्पन्न Currency Derivatives	ब्याज दर व्युत्पन्न Interest rate derivatives	मुद्रा व्युत्पन्न Currency Derivatives	ब्याज दर व्युत्पन्न Interest rate derivatives
1 व्युत्पन्न (आनुमानिक मूलधन राशि) Derivatives (Notional Principal Amount)	61483.20	4770.70	26270.48	1670.78
क)/a) बचाव के लिए / For hedging	61483.20	920.00	26270.48	920.00
ख)/b) क्रय-विक्रय के लिए /For trading	शून्य/Nil	3850.79	शून्य/Nil	750.78
2 मार्क टू मार्केट स्थिति / Marked to Market Positions				
क)/a) आस्ति (+) / Asset (+)	162.63	7.55	7.52	4.00
ख)/b) देयता (-) / Liability (-)	26.70	0.00	280.52	0.00
3 ऋण एकस्योजर / Credit Exposure	465.70	26.95	815.77	39.59
4 ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01) Likely impact of one percentage change in Interest rate (100*PV01)				
क) / a) बचाव व्युत्पन्न पर \ on hedging derivatives				
अधिकतम / Maximum	लागू नहीं/NA	-10.92	लागू नहीं/NA	40.20
न्यूनतम / Minimum	लागू नहीं/NA	-68.25	लागू नहीं/NA	-32.73
ख)/b) क्रय-विक्रय व्युत्पन्न पर \ on trading derivatives				
अधिकतम / Maximum	लागू नहीं/NA	6.59	लागू नहीं/NA	3.08
न्यूनतम / Minimum	लागू नहीं/NA	8.51	लागू नहीं/NA	4.93
5 वर्ष के दौरान 100*पीवी01 के अधिकतम और न्यूनतम निम्नलिखित पर पाए गए Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
बचाव-व्यवस्था पर- / on hedging				
अधिकतम / Maximum	लागू नहीं/NA	-35.28	लागू नहीं/NA	70.73
न्यूनतम / Minimum	लागू नहीं/NA	-67.67	लागू नहीं/NA	3.73
क्रय-विक्रय पर / on trading				
अधिकतम / Maximum	लागू नहीं/NA	7.41	लागू नहीं/NA	2.13
न्यूनतम / Minimum	लागू नहीं/NA	7.84	लागू नहीं/NA	4.01

* उपरोक्त आईआरएस पर आय का नुकसान अगर प्रतिपक्षी अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल हो तो वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ₹26.95 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए ₹23.63 करोड़) होगा।

*The loss of income on above IRS if counterparties fail to fulfil their obligations will be ₹26.95 crores for FY 2020-21 (₹23.63 crores for FY 2019-20)

ग) ब्याज दर स्वाप के लिए अन्य प्रकटन

बैंक में निहित परिसंपत्तियों और देयताओं पर स्थिर से अस्थिर और अस्थिर से स्थिर ब्याज दर व्युत्पन्न लिए हैं। यदि काउंटर पार्टियों ने अपने दायित्व पूरे नहीं किए तो उपर्युक्त ब्याज दर स्वाप पर ₹26.95 करोड़ का नुकसान होगा। ब्याज दर स्वाप के संबंध में किए गए लेनदेन से ऋण जोखिम का संकेन्द्रण नहीं हुआ है क्योंकि काउंटर पार्टी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है और एक्सपोजर अनुमत सीमा के भीतर है।

4.0 आस्ति गुणवत्ता / Asset Quality

4.1 अनर्जक आस्ति / Non-Performing Asset

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

मर्दे / Items	2020-21	2019-20
(i) (क) सकल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियाँ (%) /		
(a) Gross NPA as to Gross Advances (%)	9.59	16.77
(ख) निवल अग्रिम की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियाँ (%) /		
(b) Net NPAs to Net Advances(%)	3.94	5.45
(ii) अनर्जक आस्तियाँ (सकल) में घट-बढ़/ Movement of NPAs (Gross)		
(क)/(a) प्रारंभिक शेष / Opening Balance	19281.95	29888.33
(ख)/(b) वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	3102.06	6181.38
(ग)/(c) वर्ष के दौरान कमी /Reductions during the year :	11032.04	16787.76
(घ)/(d) अंतिम शेष / Closing Balance	11351.97	19281.95
(iii) सकल अनर्जक आस्तियाँ में उतार-चढ़ाव/Movement of Net NPAs		
(क)/(a) प्रारंभिक शेष /Opening Balance	5510.66	9649.92
(ख)/(b) वर्ष के दौरान परिवर्धन /Additions during the year	2636.75	5254.17
(ग)/(c) वर्ष के दौरान कमी / Reductions during the year	3757.90	9393.43
(घ)/(d) अंतिम शेष / Closing Balance	4389.51	5510.66
(iv) अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान में घट-बढ़ (मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान को छोड़कर)		
Movement of Provisions for NPAs (excluding provisions on standard Assets)		
(क)/(a) प्रारंभिक शेष /Opening Balance	12693.35	18993.71
(ख)/(b) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान /Provisions made during the year	2759.80	6178.73
(ग)/(c) वर्ष के दौरान राइट-ऑफ/राइट-बैक /Write-off/ write-back during the year :	9403.37	12479.09
(घ)/(d) अंतिम शेष / Closing Balance	6049.78	12693.35

c) Other Disclosures for Interest Rate Swaps

The Bank has undertaken fixed to floating and floating to fixed interest rate swaps on underlying assets and liabilities. The loss of income on the above IRS will be ₹ 26.95 Crores, in case counter-parties fail to fulfill their obligations. There is no concentration of credit risk arising from IRS transactions undertaken as the counter-parties are the Clearing Corporation of India Ltd. and the exposure is within the exposure limit permitted.

4.2 आस्ति वर्गीकरण में विचलन एवं आरबीएस 2019-20 के अनुसार एनपीए के लिए प्रावधान
Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs as per RBS 2019-20

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या आरबीआई /2018-19/157 डीबीआर. बीपी. बी.सी नंबर 32/ 21.04.018/ 2018-19 दिनांक अप्रैल 1, 2019 के अनुसार बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने आय वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन को भारतीय रिजर्व बैंक के वार्षिक पर्यवेक्षक प्रक्रिया के अनुसार अपने नोट को वित्तीय स्टेटमेंट के साथ उसके विवरण के साथ देंगे। प्रावधान में विचलन निम्नलिखित रूप से है:

In terms of RBI circular no. RBI/2018-19/157 DBR.BP.BC.No.32/ 21.04.018/2018-19 April 1, 2019, the Banks are required to disclose divergence in asset classification and provisioning consequent to RBI's annual supervisory process in their notes to the financial statements, the details of divergence in provisioning are as under:

(राशि करोड़ ₹ में/Amount in ₹crore)

क्रम सं. Sr.	विवरण Particulars	राशि Amount
1.	बैंक द्वारा किए गए रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च, 2020 को सकल अनर्जक आस्ति Gross NPAs as on March 31, 2020 as reported by the Bank	19281.95
2.	भारतीय रिजर्व बैंक के आकलन के अनुसार 31 मार्च, 2020 को सकल अनर्जक आस्ति Gross NPAs as on March 31, 2020 as assessed by RBI	19306.95
3.	सकल अनर्जक आस्ति में विचलन (2-1) Divergence in Gross NPAs (2-1)	25.00
4.	बैंक द्वारा किए गए रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च, 2020 को शुद्ध अनर्जक आस्ति Net NPAs as on March 31,2020 as reported by the Bank	5510.65
5.	भारतीय रिजर्व बैंक के आकलन के अनुसार 31 मार्च, 2020 को शुद्ध अनर्जक आस्ति Net NPAs as on March 31,2020 as assesses by RBI	5520.65
6.	शुद्ध अनर्जक आस्ति में विचलन (5-4) Divergence in Net NPAs (5-4)	10.00
7.	बैंक के रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च, 2020 की स्थिति में अनर्जक आस्ति के लिए प्रावधान Provisions for NPAs as on March 31, 2020 as reported by the Bank	12693.35
8.	भारतीय रिजर्व बैंक के आकलन के अनुसार 31 मार्च, 2020 की स्थिति में अनर्जक आस्ति के लिए प्रावधान Provisions for NPAs as on March 31, 2020 as assessed by RBI	12708.35
9.	प्रावधान में विचलन (8-7) Divergence in provisioning (8-7)	15.00
10.	Divergence in other Provisions (Standard Assets)	610.00
11.	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए रिपोर्ट किए गए अनुसार कर के बाद शुद्ध लाभ (पीएटी) Reported Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2020	-2436.83
12.	प्रावधान में विचलन को हिसाब में लेने के उपरांत 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कर के बाद (पीएटी) समायोजित (आनुमानिक) शुद्ध लाभ Adjusted (notional) Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2020 after taking into account the divergence in provisioning*	-3061.83

* रु. 625.00 करोड़ के कुल विचलन प्रावधान में से बैंक ने पहले ही सितंबर-20 तिमाही के दौरान रु. 421.00 करोड़ का तथा शेष रु. 204.00 करोड़ का दिसंबर-20 तिमाही में प्रावधान किया है। /

* Out of total divergence provision of Rs. 625.00 Cr, Bank has already made provision of Rs. 421.00 Cr during Sep-20 Quarter & remaining Rs. 204.00 Cr in Dec-20 Quarter.

दिनांक 31.03.2021 तक पुनर्संचयित खातों का प्रकटीकरण

बैंक का नाम : यूको बैंक		(राशि करोड़ ₹ में)																															
क्र. सं.	पुनर्संचयना का प्रकार →	सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत						एसएमई ऋण पुनर्संचयना प्रणाली के अंतर्गत						अन्य						कुल													
		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल												
5	द्वितीय वर्ष के पुनर्संचयित खाते की अवगति	खासकरकों 2021	0	0	0	0	0	-2077	-190	995	77	-1195	-846	-25	625	157	-89	-2923	-215	1620	234	-1284											
		की संख्या	0	0	-7	7		-1114	910	204	0		-413	190	83	140		-1527	1100	287	140												
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-86.59	16.41	186.64	-0.67	115.79	-13.64	126.27	3294.40	33.23	3440.26	-100.23	142.68	3481.04	32.56	3556.05											
		खाते की	0.00	0.00	-609	609		-93.59	77.68	15.91	0.00		-83.0	28.00	40.50	14.50			-176.59	105.68	-552.94	623.85											
		अवगति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.33	0.82	9.33	0.00	5.02	-1.36	12.63	329.44	3.32	344.03	-5.69	13.45	338.77	3.32	349.85											
6	द्वितीय वर्ष के दौरान पुनर्संचयित खाते बड़े खाते खाला जाना	खासकरकों 2021	0	0	26	7	33	0	89	15	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		की संख्या	0	0	0	2	2		0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		बकाया राशि	0.00	0.00	2081.04	609.35	2690.39	0.00	31.45	41.70	0.00	73.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		खाते	0.00	0.00	0.00	38.59	39		0.00	23.83	0.00	0.00																					
		जाना	0.00	0.00	0.00	609.35	609.35		0.00	0.00	0.00	0.00																					
7	द्वितीय वर्ष के 31 मार्च की स्थिति को पुनर्संचयित खाते (अंतिम आंकड़े)	खासकरकों 2021	2	0	0	0	2	2215	440	1152	79	3886	1225	69	2282	101	3677	3442	509	3434	180	7565											
		की संख्या	2	0	26	7	35	2580	994	220	2	3694	907	704	2931	143	4532	3489	1698	3184	145	8226											
		बकाया राशि	80.87	0.00	0.00	0.00	80.87	516.40	108.37	152.40	2.46	779.63	354.51	129.76	242.19	2.43	728.89	951.78	238.13	394.59	4.89	1589.39											
		खाते	67.35	0.00	2081.04	609.35	2757.74	346.13	125.73	12.84	3.13	487.83	74.61	99.69	4129.89	1143.98	5448.17	488.09	225.42	6223.77	1756.46	8651.20											
		आंकड़े	28.10	0.00	0.00	0.00	28.10	25.82	21.69	95.11	2.46	145.08	35.45	32.46	189.74	2.43	260.08	89.37	54.15	284.85	4.89	433.26											
		1.79	0.00	1040.52	609.35	1651.66	19.50	18.86	5.25	3.13	46.74	1.49	14.95	2064.95	1143.98	3225.37	22.77	33.81	3110.72	1756.46	4923.76												

मानक पुनर्संचयित आंकड़ों को छोड़कर जिन्हें उच्च प्रावधान या जोखिम भार की जरूरत नहीं होगी (यदि लागू हो)

विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत मात्रा एवं मूल्य में प्रारंभिक शेष को जहां भी आवश्यक समझा गया, पुनर्गठित, पुनर्व्यवस्थित एवं पुनःसंकलित किया गया है।

* संबंधित आंकड़ों (₹) करोड़ से कम के खातों के मामले में) की अनुपलब्धता के फलस्वरूप संबंधित सेल में संचयी सूचना नहीं दी गई है।

Disclosure of Restructured Accounts as on 31-03-2021

NAME OF THE BANK: UCO Bank		(Amount in ₹. Crore)																											
		Type of Restructuring →						Under CDR Mechanism						Under SME Debt Restructuring Mechanism						Others						Total			
Sl No	Asset Classification → Details ↓	2021		2020		Total	Sub-Standard		Doubtful	Loss	Total	Sub-Standard		Doubtful	Loss	Total	Sub-Standard		Doubtful	Loss	Total	Sub-Standard		Doubtful	Loss	Total			
		No. of borrowers	Amount outstanding	No. of borrowers	Amount outstanding		Standard	Loss				Standard	Loss				Standard	Loss				Standard	Loss				Standard	Loss	Standard
5	Down-gradations of restructured accounts during the FY	2021	0	0	0	0	-2077	-190	995	77	-1195	-846	-25	625	157	-89	-2923	-215	1620	234	-1284								
		2020	0	-7	7	-1114	910	204	0	-413	190	83	140	287	140	33.23	3440.26	-1527	1100	287	140								
		2021	0.00	0.00	0.00	-86.59	16.41	186.64	-0.67	115.79	-13.64	3294.40	33.23	3440.26	-100.23	142.68	3481.04	142.68	3481.04	32.56	3556.05								
		2020	0.00	-609	609	-93.59	77.68	15.91	0.00	-83.0	28.00	40.50	14.50	3440.26	-176.59	105.68	623.85	105.68	3481.04	32.56	3556.05								
6	Write-offs of restructured accounts during the FY	2021	0	0	26	7	33	0	89	15	104	0	0	656	129	785	0	89	697	136	922								
		2020	0	0	2	0	0	0	0	12	0	0	0	21	2	0	0.00	0.00	33.00	4.00	37								
		2021	0.00	0.00	2081.04	609.35	2690.39	0.00	31.45	41.70	0.00	73.15	0.00	0.00	7103.89	1171.80	8275.69	0.00	31.45	9226.63	1781.15	11039.23							
		2020	0.00	0.00	0.00	38.59	39	0.00	0.00	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	114.77	10.02	0.00	0.00	0.00	138.60	48.61	187.21							
7	Restructured Accounts as on March 31 of the FY (closing figures*)	2021	2	0	0	2	2215	440	1152	79	3886	1225	69	2282	101	3677	3442	509	3434	180	7565								
		2020	2	0	26	7	35	2580	994	220	2	3694	907	704	2931	143	4532	3489	1698	3184	145	8226							
		2021	80.87	0.00	0.00	80.87	516.40	108.37	152.40	2.46	779.63	354.51	129.76	242.19	2.43	728.89	951.78	238.13	394.59	4.89	1589.39								
		2020	67.35	0.00	2081.04	609.35	2757.74	346.13	125.73	12.84	3.13	487.83	74.61	99.69	4129.89	1143.98	5448.17	488.09	225.42	6223.77	1756.46	8651.20							
	Provision there on	2021	28.10	0.00	0.00	25.82	21.69	95.11	2.46	145.08	35.45	32.46	189.74	2.43	260.08	89.37	54.15	284.85	4.89	433.26									
		2020	1.79	0.00	1040.52	609.35	1651.66	19.50	18.86	5.25	46.74	1.49	14.95	2064.95	1143.98	3225.37	22.77	33.81	3110.72	1756.46	4923.76								

Excluding the figures of Standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable).

Opening Balances in quantity and value under different categories have been regrouped, rearranged and recomputed wherever considered necessary.

*In the absence of relevant details (Pertaining to account less than Rs. 1 Cr) the cumulative information in the relevant cell has not been given.

4.4 आस्ति पुनर्संरचना के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्संरचना कंपनियों को बेची गई वित्तीय आस्तियों के ब्योरे

Details of financial assets sold to Securitization / Reconstruction Companies for Asset Reconstruction

अ/A. बिक्री के विवरण/Details of sales

आस्ति पुनर्संरचना हेतु प्रतिभूतिकरण/पुनर्संरचना कंपनियों को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण Details of Financial Assets sold to Securitisation/Reconstruction Companies for Asset Reconstruction (राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)		
मर्दे / Item	2020-21	2019-20
(i) खातों की संख्या / No. of accounts	0	0
(ii) कुल बकाया राशि Aggregate Balance Outstanding	0.00	0.00
(iii) एफआईटीएल बकाया राशि FITL Balance Outstanding	0.00	0.00
(iv) कुल प्रावधान / Aggregate Provision	0.00	0.00
(v) एससी/आरसी(ii-iii-iv) को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों का निवल) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC (ii-iii-iv)	0.00	0.00
(vi) कुल प्रतिफल / Aggregate consideration	73.57	0.00
(vii) पूर्व के वर्षों में अंतरित खातों की बाबत वसूले गए अतिरिक्त प्रतिफल Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	0.00	87.36
(viii) निवल बही मूल्य से अधिक कुल लाभ / हानि Aggregate gain/(loss) over net book Value	0.00	0.00

4.5 एससी/आरसी के अतिरिक्त खरीदी गई/बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के ब्योरे

Details of Non performing financial assets purchased/sold to other than SC/RC

अ/A. खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के ब्योरे/Details of Non performing financial assets purchased:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	2020-21	2019-20
1. (क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या (a) No. of accounts purchased during the year	शून्य/Nil	शून्य/Nil
(ख)/(b) कुल बकाया/Aggregate Outstanding	शून्य/Nil	शून्य/Nil
2. (क) उपर्युक्त में से वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की संख्या / (a) Of these, number of accounts restructured during the year	शून्य/Nil	शून्य/Nil
(ख)/(b) कुल बकाया/Aggregate Outstanding	शून्य/Nil	शून्य/Nil

आ/B. बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के ब्योरे/Details of Non performing financial assets sold:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	2020-21	2019-20
1. बेचे गए खातों की संख्या / No. of Accounts sold	शून्य/Nil	शून्य/Nil
2. कुल बकाया / Aggregate Outstanding	शून्य/Nil	शून्य/Nil
3. कुल प्रतिफल प्राप्त / Aggregate consideration received	शून्य/Nil	शून्य/Nil

4.6 (a) प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश का ब्योरा /Details of Investment in Security Receipts:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	बैंक द्वारा विक्री किए गए एनपीए द्वारा नीचे दिए अनुसार समर्थित Backed by NPAs sold by the bank as underlying		गैर-बैंकिंग कंपनियों के द्वारा विक्री किए गए एनपीए द्वारा नीचे दिए अनुसार समर्थित Backed by NPAs sold by other banks/ financial institutions/non banking financial companies as underlying		Total कुल	
	गत वर्ष/ Previous Year 2019-20	चालू वर्ष/ Current Year 2020-21	गत वर्ष/ Previous Year 2019-20	चालू वर्ष/ Current Year 2020-21	गत वर्ष/ Previous Year 2019-20	चालू वर्ष/ Current Year 2020-21
प्रतिभूति प्राप्ति में निवेश का बही मूल्य Book Value of Investment in Security Receipts	1486.88	1413.31	0.00	0.00	1486.88	1413.31

4.6 (b) प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश का प्रकटीकरण / Disclosure of Investment in Security Receipts.

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण /Particulars		विगत 5 वर्षों में जारी प्र.प्रा. SRs issued within past 5 years	5वर्षों से अधिक परंतु विगत 8 वर्षों में जारी प्र.प्रा. SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years	विगत 8 वर्षों से पूर्व जारी प्र.प्रा. SRs issued more than 8 years ago
(i)	बैंक द्वारा विक्रय किए गए एनपीए द्वारा समर्थित प्र.प्रा.का नीचे दिए अनुसार बही मूल्य Book Value of SRs backed by NPAs sold by the Bank as underlying	533.78	653.78	225.75
	(i)के लिए किया गया प्रावधान Provision held against (i)	207.80	172.83	98.28
(ii)	अन्य बैंकों /वित्तीय कंपनियों द्वारा विक्रय किए गए एनपीए द्वारा समर्थित प्र.प्रा. का नीचे दिए अनुसार बही मूल्य Book value of SRs backed by NPAs sold by other Banks/ financial companies as underlying	0.00	0.00	0.00
	(ii) के लिए किया गया प्रावधान Provision held against (ii)	0.00	0.00	0.00
कुल/ Total (i) +(ii)		533.78	653.78	225.75

4.7 मानक आस्तियों पर प्रावधान / Provisions held on Standard Assets

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

मदें / Item	2020-21	2019-20
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान / Provisions towards Standard Assets	478.14	493.22

माननीय उच्चतम न्यायालय एवं भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी आवश्यक दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड 'डीएएमईपीएल' को मानक खाते के रूप में रखा है। तथापि, आईआरएसी मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान किए गए हैं जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

In terms of Supreme Court and necessary guidelines issued by Reserve Bank of India (RBI) the Bank has kept Delhi Airport Metro Express Pvt. Ltd. "DAMEPL" as standard account. However, necessary provision as per IRAC norms have been made which are detailed as under:-

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

आईआरएसी मानदंड के अनुसार एनपीए के रूप में नहीं मानी गई राशि Amount not treated as NPA as per IRAC norms	आईआरएसी मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान Provisions required to be made as per IRAC norms	किया गया वास्तविक प्रावधान Provision actually held
194.14	77.54	77.54

5.0 कारोबार अनुपात / Business Ratios

मदें / Items	2020-21	2019-20
(i) कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय (%) / Interest Income as a percentage to Working Funds (%)	5.59	5.98
(ii) कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याजैतर आय (%) / Non-interest income as a percentage to Working Funds (%)	1.44	1.13
(iii) कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन आय (%) / Operating Profit as a percentage to Working Funds(%)	1.46	1.91
(iv) आस्तियों पर आय /Return on Assets (%)	0.06	-0.96
(v) प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा व अग्रिम) (करोड़ ₹ में) / Business (Deposits plus advances) per employee (₹ in Crore)	14.70	13.70
(vi) प्रति कर्मचारी लाभ (लाखों ₹ में) / Profit per employee (₹ in lakh)	0.76	-10.84

6.0 आस्ति देयता प्रबंध-दिनांक 31.03.2021 को आस्तियों एवं देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का स्वरूप

6.0 Asset Liability Management - Maturity-pattern of certain items of asset and liabilities as on 31.03.2021

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण	1दिन	2 से 7 दिन तक	8 से 14 दिन तक	15 से 30 दिन तक	31 दिन से 2 माह तक	2 माह से अधिक से लेकर 3 माह तक	3 माह से अधिक से लेकर 6 माह तक	6 माह से अधिक से लेकर 1 वर्ष तक	1 वर्ष अधिक से लेकर 3 वर्ष तक	3 वर्ष तक अधिक से लेकर 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
PARTICULARS	1 Day	2 to 7 days	8 to 14 days	15 to 30 days	31days to 2 months	Over 2 months and upto 3 months	Over 3 months and upto 6 months	Over 6 months and upto 1 year	Over 1 year and upto 3 years	Over 3 years and upto 5 year	Over 5 years	Total
जमा/Deposits	2128 (2,593)	3689 (4,347)	3011 (4,089)	7279 (8,066)	8253 (9,579)	9021 (7,330)	24219 (21,494)	36279 (28,997)	30309 (32,067)	17021 (16,634)	64711 (58,007)	205919 (1,93,203)
सकल अग्रिम / Advances Gross	455 (672)	1654 (1,477)	1414 (1,893)	1916 (2,933)	2834 (3,448)	3453 (3,825)	6457 (7,701)	15243 (13,491)	15787 (13,854)	14731 (11,658)	54459 (54,009)	118405 (1,14,961)
सकल निवेश / Investments Gross	-	-	417 (35)	431 (337)	471 (701)	234 (925)	234 (2,012)	986 (2,531)	2639 (5,905)	8055 (8,785)	82368 (71,684)	95835 (92,915)
उधार/Borrowings	359 (46)	3734 (-)	1095 (5,535)	1769 (-)	1168 (35)	1861 (68)	726 (105)	1522 (2,628)	2150 (5,278)	-	1000 (2,000)	15383 (15,695)
विदेशी मुद्रा आस्तियां / Foreign Currency Assets	1209 (609)	3103 (142)	1564 (627)	6884 (3,961)	2585 (3,438)	4835 (3,622)	8355 (1,734)	15565 (3,177)	6045 (2,549)	2362 (189)	2663 (4,776)	55169 (24,824)
विदेशी मुद्रा देयताएं / Foreign Currency Liabilities	675 (440)	3573 (90)	1586 (469)	7129 (1,196)	2617 (588)	5070 (335)	8637 (1,144)	15774 (2,810)	6413 (7,588)	1648 (344)	2212 (3,362)	55336 (18,366)

7.0 एक्सपोजर/Exposure:

7.1 स्थावर-संपदा क्षेत्र को ऋण/Exposure to Real Estate Sector

(राशि करोड़ ₹ में/Amount in ₹ Crore)

विवरण/Category	2020-21	2019-20
क/अ) प्रत्यक्ष एक्सपोजर / Direct exposure		
(i) आवासीय संपत्ति बंधक - ऐसी आवासीय संपत्ति को बंधक रखकर दिए गए पूर्णतः प्रतिभूत उधार जो उधारकर्ता के दखल में है या होगी या जो किराए पर दी गई हो (प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम में शामिल करने योग्य वैयक्तिक आवास ऋण अलग से दर्शाए जाएं)		
(i) Residential Mortgages - Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented; (Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances may be shown separately);	18657.38	18680.39
(ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा को (कार्यालय भवन, खुदरा कारोबार का स्थान, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, बहु-किराए वाले वाणिज्यिक परिसर, उद्योग या वेयर हाउस के लिए खाली स्थान, भूमि अधिग्रहण, विकास एवं विनिर्माण आदि) बंधक रखकर दिए गए प्रतिभूत उधार। एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमा भी शामिल है। Commercial Real Estate – Lending secured by mortgages on commercial real estate's (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure would also include non-fund based (NFB) limits;	9076.54	9241.53
(iii) बंधक समर्थित प्रतिभूति (एमबीएस) एवं अन्य प्रतिभूत ऋणों में निवेश Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures -	645.27	1018.09
क/अ.आवासीय / Residential,	--	--
ख/ब.वाणिज्यिक स्थावर संपदा / Commercial Real Estate.	--	--
ख/ब) अप्रत्यक्ष ऋण/Indirect Exposure		
राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) एवं हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) को निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित ऋण Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).	4610.58	3620.77
स्थावर-संपदा क्षेत्र को कुल ऋण (क+ख)/Total Exposure to Real Estate Sector (a+b)	23913.23	23319.25

7.2 पूंजी बाजार को एक्सपोजर/Exposure to Capital Market

(राशि करोड़ ₹. में / Amount in ₹ Crore)

	विवरण/Particulars	2020-21	2019-20
(i)	ऐसे ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसकी आधारभूत निधि का पूर्णतः निवेश कॉर्पोरेट ऋण में न किया गया हो; Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	194.80	213.40
(ii)	शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों में निवेश हेतु व्यक्तियों को शेयर/बांड/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति या निर्बंध आधार पर अग्रिम; Advances against shares/ bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	--	--
(iii)	किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहां शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति माना जाता है; Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	--	--
(iv)	किन्हीं अन्य प्रयोजन के लिए उस सीमा तक अग्रिम, जो शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत हो यानी जहां शेयर/परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचर/ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिट से भिन्न प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिम को पूरी तरह संरक्षित न करती हो; Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/ convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	--	--
(v)	शेयर दलालों को दिए जाने वाले प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत अग्रिम तथा शेयर दलालों एवं शेयर संतुलनकर्ताओं की ओर से जारी गारंटी; Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	17.00	19.00
(vi)	संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयर/बांड/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति या निर्बंध आधार पर कंपनियों को संस्वीकृत ऋण; Loans sanctioned to corporate against the security of shares /bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	--	--
(vii)	प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाह/निर्गम के प्रति कंपनियों को दिए गए पूरक ऋण; Bridge loans to companies against expected equity flows/issues;	--	--
(viii)	शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों के प्राथमिक निर्गम की बाबत बैंकों द्वारा की गई हामीदारी प्रतिबद्धता; Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	--	--
(ix)	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए शेयर दलालों को वित्तपोषण/financing to stockbrokers for margin trading;	--	--
(x)	वेंचर कैपिटल फंड (रजिस्ट्रीकृत एवं अरजिस्ट्रीकृत दोनों) सभी एक्सपोजर All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	44.49	47.70
	पूंजी बाजार को कुल एक्सपोजर /Total exposure to Capital Market	256.29	280.10

7.3 जोखिम श्रेणीवार कंट्री एक्सपोजर / Risk Category wise Country Exposure

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

जोखिम श्रेणी Risk Category	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार ऋण (निवल) Exposure (net) as at 31 st March 2021	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार किया गया प्रावधान Provision held as at 31 st March 2021	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार ऋण (निवल) Exposure (net) as at 31 st March 2020	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार किया गया प्रावधान Provision held as at 31 st March 2020
नगण्य/Insignificant A1	9670.15	7.1433	12548.50	11.2021
कम/Low A2	10326.94	11.6627	2980.97	2.0976
सामान्य/Moderate B1/B2/C1	207.34	0.00	1.18	0.00
अधिक/High C2	—	—	—	—
अत्यधिक/Very High D	—	—	—	—
सीमित/Restricted	—	—	—	—
ऋणोत्तर/Off-credit	—	—	—	—
कुल/Total	20204.43	18.8061	15530.65	13.2997

7.4 बैंक द्वारा अतिक्रमित एकल उधारकर्ता ऋण सीमा (एसबीएल), समूह उधारकर्ता ऋण सीमा (जीबीएल) के ब्योरे

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण ऋण सीमा के भीतर एकल उधारकर्ता एक्सपोजर और समूह उधारकर्ता एक्सपोजर लिया था।

7.4 Details of Single Borrower Limit (SBL) Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the bank.

The Bank had taken single borrower exposure & Group Borrower exposure within the prudential limit prescribed by RBI.

अप्रतिभूत अग्रिम/Unsecured Advances

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार/ As at 31st March 2021	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार/ As at 31st March 2020
बैंक के कुल अप्रतिभूत अग्रिम Total Unsecured Advances of the Bank	15005	12121.38
क) जिनमें से अमूर्त प्रतिभूतियों यथा राइट्स, लाइसेंस, प्राधिकार आदि पर भार के प्रति बकाया अग्रिम की राशि a) Of which amount of advances outstanding against charge over intangible securities such as rights, licences, authority etc	0	0
ख) ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का आनुमानिक मूल्य b) The estimated value of such intangible securities	N/A	N/A

8. विविध

8.1 आयकर के लिए किए गए प्रावधान (बड़े खाते डाले गए) की राशि

विवरण/Particulars	31.03.2021	31.03.2020
आयकर के लिए प्रावधान/Provision for Income Tax		
भारत में/In India	258.69	शून्य/Nil
भारत के बाहर/Outside India	8.38	शून्य/Nil

8.2 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई शास्ति का प्रकटन

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 51 एवं 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47(ए)(1) (सी) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "एसजीएल बाउंसिंग" के मामले में रु. 5,00,000/- (पाँच लाख रुपये मात्र) का जुर्माना लगाया है।

9.0. लेखा मानक के अनुसार प्रकटन अपेक्षाएं

9.1 अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, अवधि पूर्व मदें तथा लेखा नीतियों में परिवर्तन (एएस-5)

लाभ-हानि लेखा में कोई 'अवधि पूर्व मद' शामिल नहीं की गई है, जिसे भा.रि. बैंक के दिशानिर्देशों के साथ पठित आईसीएआई द्वारा जारी एएस-5 के अनुसार प्रकट किया जाना अपेक्षित है। पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 की तुलना में 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

9.2 राजस्व को मान्यता (एएस-9):

राजस्व को मान्यता अनुसूची-17 की लेखांकन नीति सं. 10 के अनुसार दी गई है।

9.3 एएस-15-कर्मचारी हितलाभ (संशोधित) :

- बैंक द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2007 से भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 15 (संशोधित) 'कर्मचारी लाभ' को अपनाया गया।
- चालू वर्ष की देयताओं के लिए लाभ एवं हानि खाते में रु.1085.06 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए रु.820.84 करोड़) (₹0.30 करोड़, पिछले वर्ष का ₹0.40 करोड़ के वार्षिक चिकित्सा सहायता सहित) की राशि सुरक्षित की गई है। लेखा मानक -15 (संशोधित) के अनुसार आवश्यक लाभ एवं हानि लेखा और तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त रोजगार के बाद के लाभ और दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार है: -

8. Miscellaneous

8.1 Amount of Provision made/(written back) for Income Tax

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

8.2 Disclosure of penalties imposed by RBI.

During the financial year 2020-21, Reserve Bank of India, in exercise of powers conferred under Section 47(A)(1)(c) read with section 51 and 46(4)(i) of The Banking Regulation Act, 1949, has imposed penalty of Rs.5,00,000/- (Rupees Five Lakh Only) in case of "SGL Bouncing".

9.0. Disclosures Requirement as per Accounting Standards:

9.1. Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies (AS-5):

There were no material "prior period item" included in Profit and Loss account required to be disclosed as per AS - 5 issued by ICAI read with RBI guidelines. There is no change in the Significant Accounting Policies adopted during the year ended 31st March 2021 as compared to those followed in the previous financial year 2019-20.

9.2 Revenue Recognition (AS-9):

Revenue is recognized as per Accounting policy No. 10 of Schedule -17.

9.3 AS - 15 -Employee Benefits (Revised)

- The Bank had adopted Accounting Standard 15 (Revised) " Employees Benefits" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, with effect from 1st April, 2007.
- A sum of Rs. 1085.06 crore (Rs. 820.84 Crore for F.Y. 2019-20) (including Annual Medical Aid of Rs. 0.30 crores, previous year 0.40 crores) has been charged to the Profit & Loss Account towards current year's liabilities. The summarized position of Post-employment benefits and long term employee benefits recognized in the Profit & Loss Account and Balance sheet as required in accordance with Accounting Standard -15 (Revised) are as under:-

(a) (ए) परिभाषित हितलाभ योजनाएं
दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(a) Defined Benefit Schemes:
Changes in the present value of the obligations

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	निधित्त/FUNDED				अनिधित्त/UNFUNDED							
	पेंशन Pension		उपदान Gratuity		छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment		एलएफसी/ एलटीसी LFC/LTC		बीमारी छुट्टी Sick Leave		निदेशकों को चिकित्सा प्रसुविधा Med. Benefits to Directors	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
वर्ष के आरंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य Present Value of obligation as at the beginning of the year	7555.51	7216.32	822.38	849.64	530.63	490.69	37.11	39.36	12.06	14.72	2.56	1.95
ब्याज लागत Interest Cost	456.33	451.34	50.36	49.20	36.93	32.72	2.58	2.63	0.84	0.98	0.18	0.13
चालू सेवा लागत Current Service Cost	340.68	78.45	57.53	56.25	53.43	41.36	0	0	2.94	3.45	0	0
प्रदत्त हितलाभ Benefit Paid	983.22	899.28	197.70	224.00	0	0	0	0	0	0	0	0
बीमांकिक हानि/(लाभ) दायित्व Actuarial loss/(gain) on Obligations	684.16	708.68	52.00	91.28	19.20	(34.15)	1.22	(4.88)	1.08	(7.09)	(1.24)	0.48
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य Present Value of Obligation at year end	8053.46	7555.51	784.57	822.37	640.19	530.62	40.91	37.11	16.92	12.06	1.50	2.56

(b) (बी) योजना आस्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन

(b) Change in Fair Value of Plan Asset

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/ Particulars	पेंशन/ Pension 2021	पेंशन/ Pension 2020	उपदान/ Gratuity 2021	उपदान/ Gratuity 2020
वर्ष के आरंभ में योजना आस्ति के उचित मूल्य Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	7340.01	7004.15	767.15	832.23
योजना आस्ति पर अनुमानित प्रतिफल Expected return on Plan Assets	550.50	579.94	53.39	68.91
नियोक्ता आदान /Employer's contribution	990.80	677.18	114.15	95.06
प्रदत्त हितलाभ /Benefit Paid	983.22	899.28	197.70	224.00
दायित्व पर बीमांकिक लाभ/(हानि) Actuarial gain/(loss) on Obligation	(30.12)	(21.98)	(4.12)	(5.05)
वर्ष के अंत में योजना आस्ति का उचित मूल्य Fair Value of Plan Asset at the end of the year	7867.97	7340.01	732.87	767.15

(सी) तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त राशि

(c) Amount recognized in Balance Sheet

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	निधिक/FUNDED				अनिधिक/UNFUNDED							
	पेंशन Pension		उपदान Gratuity		छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment		एलएफसी/ एलटीसी LFC/ LTC		बीमारी छुट्टी Sick Leave		निदेशकों को चिकित्सा प्रसुविधा Med. Benefits to Directors	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
वर्ष के अंत में दायित्वों का अनुमानित वर्तमान मूल्य Estimated Present value of obligations as at the end of the year	8053.46	7555.51	784.57	822.37	640.19	530.62	40.91	37.11	16.92	12.06	2.56	2.56
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का वास्तविक उचित मूल्य Actual Fair value of Plan Assets as at the end of the year	7867.97	7340.00	732.87	767.15	732.87	525.47	40.86	40.86	15.62	15.62	(1.06)	2.25
तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयताए/आस्ति Net Liability /Asset recognized in Balance Sheet	-185.49	215.51	-51.70	55.22	92.68	5.15	0.05	0.00	1.30	0.00	1.50	0.31

(d) लाभ-हानि लेखा विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय/Expenses Recognized in the Profit and Loss Account

(राशि करोड़ ₹ में / ₹ in Crore)

	पेंशन		उपदान		छुट्टी का नकदीकरण		एलएफसी/एलटीसी		बीमारी छुट्टी		निदेशकों को चिकित्सा प्रसुविधा		
	Pension		Gratuity		Leave Encashment		LFC / LTC		Sick Leave		Medical Benefits to Directors		
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	
चालू सेवा लागत (ए) Current Service Cost (A)	340.68	78.45	57.53	56.25	53.43	41.36	0	0	2.94	3.45	0	0	
ब्याज लागत (बी) / Interest Cost (B)	456.33	451.34	50.36	49.20	36.93	32.72	2.58	2.63	0.84	0.98	0.18	0.13	
योजना अस्तित्व पर प्रत्याशित प्रतिफल (सी) Expected Return on Plan Asset (C)	550.50	579.94	53.39	68.91	0	0	0	0	0	0	0	0	
वर्ष में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक हानि/लाभ (डी) Net Actuarial Loss/Gain Recognized in the Year (D)	714.28	730.66	56.12	96.33	19.20	-34.15	1.22	-1.13	1.08	-3.87	(1.24)	0.48	
राशि /Amount (A+B-C+D)	960.79	680.51	110.62	132.87	109.57	39.93	3.80	1.50	4.86	0.56	1.06	0.61	
वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान लाभ-हानि लेखा विवरणी में व्यय को शामिल किया गया Expenses Recognized in Statement of Profit/Loss during the FY 2020-21	प्रावधान खाता के माध्यम से - नोट 1(ए) Through Provision Account-Note 1 (A)	864.84	644.96	110.62	132.87	109.56	39.93	3.80	1.50	4.86	0.56	1.06	0.61
	बैंक का सामान्य अंशदान (बी) Banks Ordinary Contribution (B)	95.95	35.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार, As per RBI direction,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल/Total (A+B+C)	960.79	680.51	110.62	132.87	109.56	39.93	3.80	1.50	4.86	0.56	1.06	0.61

Actuarial Gain/Loss Reconciliation

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	निधि/ FUNDED				अनिधि/ UNFUNDED							
	पेंशन Pension		उपदान Gratuity		छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment		एलएफसी/ एलटीसी LFC/ LTC		बीमारी छुट्टी Sick Leave		निदेशकों को चिकित्सा प्रसुविधा Med. Benefits to Directors	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
वर्ष के लिए बीमांकिक हानि/(लाभ)- दायित्व Actuarial Loss/(Gain) for the Year - Obligation	684.16	708.68	52.00	91.28	19.20	(34.15)	1.22	(4.88)	1.08	(7.09)	(1.24)	0.48
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/ (हानि)- आस्ति योजना Actuarial Gain/(Loss) for the Year - Plan Asset	(30.12)	(21.98)	(4.12)	(5.05)	0	0	0	0	0	0	0	0
वर्ष के लिए कुल हानि/(लाभ) Total Loss /(Gain) for the Year	714.28	730.66	56.12	96.33	19.20	(34.15)	1.22	(4.88)	1.08	(7.09)	(1.24)	0.48
वर्ष के दौरान मान्य बीमांकिक हानि/(लाभ) Actuarial Loss/(Gain) Recognized in the Year	714.28	730.66	56.12	96.33	19.20	(34.15)	1.22	(4.88)	1.08	(7.09)	(1.24)	0.48

निवेश के ब्योरे :

- क) उपदान निधि के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम में निवेश - 100%
 ख) पेंशन निधि की बाबत उचित मूल्य के प्रतिशत के रूप में योजना आस्तियों की प्रमुख श्रेणियाँ

Investment Details:

- a) Investment with LIC of India for Gratuity Fund - 100%
 b) Major Categories of Plan assets as percentage of Fair Value in respect of Pension Fund

निवेश की प्रकृति /Nature of Investment	% of Total Investment
ईक्विटी /Equities	0%
नियत आय एवं ऋण प्रतिभूतियाँ Fixed income & debt securities	100.00%
विशेष जमा / Special Deposit	-
अन्य आस्तियाँ एन्युटी कांट्रैक्टर Other Assets / Annuity contractor	-
कुल/Total	100.00%

मूल बीमांकिक अनुमान / Principal Actuarial Assumptions :

मृत्यु दर तालिका/Mortality Rate Table	जीवन बीमा निगम/LICI (1994-96)
अधिवर्षिता आयु/Superannuation Age	60 वर्ष/60 Years
समयपूर्व सेवानिवृत्ति और विकलांगता/Early Retirement & Disablement	10 प्रतिवर्ष प्रति हजार / 10 Per Thousand Per Annum 45 वर्ष की आयु से अधिक के 6 / 6 Above age 45 29 एवं 45 वर्ष के बीच के 3 / 3 between 29 and 45 29 वर्ष से कम आयु के 1 / 1 below age 29
रियायती दर/Discount Rate	6.46% (पेंशन हेतु/For Pension) 6.96% (उपदान हेतु/For Gratuity)
मुद्रास्फीति दर/Inflation Rate	6.00 %
योजना आस्ति पर प्रतिफल/Return on Plan Asset	7.50% (पेंशन हेतु/For Pension) 7.50% (उपदान हेतु/For Gratuity)
शेष सक्रिय जीवन/Remaining Working Life	औसतन 20 वर्ष (उपदान)/20 Years on an average (Gratuity) औसतन 11 वर्ष (पेंशन)/11 Years on an average (Pension)
प्रयुक्त सूत्र/Formula Used	अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति/Projected Unit Credit Method

9.4 सेगमेंट रिपोर्टिंग (एएस-17) / Segment Reporting (AS- 17)

भाग-अ : कारोबार सेगमेंट / Part A: Business Segment

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

कारोबार सेगमेंट Business Segment	ट्रेजरी Treasury		कारपोरेट/होलसेल बैंकिंग Corporate/Wholesale Banking		रिटेल बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations		योग Total	
	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
राजस्व Revenue	8758.97	8264.25	4605.74	5470.04	4767.12	4231.14	34.59	40.12	18166.42	18005.55
परिणाम Result	4289.79	2684.17	-2162.76	-2964.18	-2237.10	-2196.93	34.59	40.12	-75.45	-2436.83
अनावंटित व्यय Unallocated Expenses									0.00	0.00
परिचालन लाभ Operating Profit									5420.62	4835.60
आयकर Income Tax									-242.52	0.00
असामान्य लाभ/हानि Extraordinary Profit/Loss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल लाभ Net Profit									167.03	-2436.83
अन्य सूचना Other Information										
सेगमेंट आस्तियां Segment Assets	126005.51	119052.63	62388.94	66039.24	64561.76	50331.21	379.90	485.04	253336.11	235908.15
अनावंटित आस्तियां Unallocated assets									0.00	0.00
कुल आस्तियां Total Assets									253336.11	235908.15
सेगमेंट देयताएं Segment Liabilities	113313.95	108670.50	68812.81	72206.26	71209.35	55031.39	0.00	0.00	253336.11	235908.15
अनावंटित देयताएं Unallocated Liabilities									0.00	0.00
कुल देयताएं Total Liabilities									253336.11	235908.15

भाग-आ : भौगोलिक सेगमेंट / Part B: Geographic segment

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	देशी/Domestic		अंतरराष्ट्रीय/International		योग/Total	
	चालू वर्ष/ Current Year 2020-21	पिछला वर्ष/ Previous Year 2019-20	चालू वर्ष/ Current Year 2020-21	पिछला वर्ष/ Previous Year 2019-20	चालू वर्ष/ Current Year 2020-21	पिछला वर्ष/ Previous Year 2019-20
राजस्व/Revenue	17673.62	17423.73	492.79	581.81	18166.41	18005.55
आस्तियां/Assets	238053.86	222361.13	15282.25	13547.02	253336.11	235908.15

9.5 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (एएस-18) : प्रका- ईएसडब्ल्यू/पीएसडी

क) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

i) प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

श्री ए. के. गोयल (01.04.2019 - 31.03.2021)

ii) कार्यपालक निदेशकगण

श्री अजय व्यास (03.04.2019 - 31.03.2021)

श्री इराक अली खान (10.03.2021 - 31-03-2021)

9.5 Related Party Disclosures (AS-18): HO - ESW/PSD

a) Key Management Personnel

i) Managing Director (MD & CEO)

Shri A. K. Goel (01.04.2019 - 31.03.2021)

ii) Executive Directors (ED)

Shri Ajay Vyas (03.04.2019 - 31.03.2021)

Shri Ishraq Ali Khan (10.03.2021 - 31-03-2021)

प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के लेनदेन / b) Transactions with Key Management Personnel

(राशि लाख ₹ में / Amount in ₹ lakh)

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक Key Management Personnel	अवधि Period	मर्दे Items	राशि Amount
श्री ए. के. गोयल प्रबंध निदेशक एवं सी ई ओ Shri A. K. Goel MD & CEO	01.04.2020 से/to 31.03.2021	पारिश्रमिक, परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन Remuneration, perquisites & Incentive जमा/Deposits यूको बैंक के शेयरों में निवेश/Investments in UCO Shares प्राप्त ब्याज /Interest Received उधार/Borrowings	30.45 20.89 0.00 1.00 0.00
श्री ए. के. गोयल के रिश्तेदारा प्रबंध निदेशक एवं सी ई ओ Relatives of Shri A. K. Goel MD & CEO	01.04.2020 से/to 31.03.2021	जमा/Deposits यूको बैंक के शेयरों में निवेश/Investments in UCO Shares प्राप्त ब्याज /Interest Received उधार/Borrowings	10.18 1300 shares 0.27 0.00
श्री अजय व्यास कार्यपालक निदेशक Shri Ajay Vyas ED	01.04.2020 से/to 31.03.2021	पारिश्रमिक, परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन Remuneration, perquisites & Incentive जमा/Deposits यूको बैंक के शेयरों में निवेश/ Investments in UCO Shares प्राप्त ब्याज /Interest Received उधार/Borrowings	25.82 2.27 0.00 0.14 1.88
श्री अजय व्यास के रिश्तेदारा कार्यपालक निदेशक Relatives of Shri Ajay Vyas ED	01.04.2020 से/to 31.03.2021	जमा/Deposits यूको बैंक के शेयरों में निवेश/Investments in UCO Shares प्राप्त ब्याज /Interest Received उधार/Borrowings	0.99 0.00 0.00 0.00
श्री इराक अली खान कार्यपालक निदेशक Shri Ishraq Ali Khan ED	10.03.2021 से/to 31.03.2021	पारिश्रमिक, परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन Remuneration, perquisites & Incentive जमा/Deposits यूको बैंक के शेयरों में निवेश/ Investments in UCO Shares प्राप्त ब्याज /Interest Received उधार/Borrowings	1.47 1.39 0.00 0.00 0.00

प्रबंधन द्वारा यथा संकलित एवं प्रमाणित / As compiled and certified by the management.

ग. सहयोगी

बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) निम्नलिखित हैं:

- पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक (पीबीजीबी): यूको बैंक का ₹108.16 करोड़ का निवेश है जो पीबीजीबी की कुल शेयर पूंजी का 35% है अर्थात् ₹ 309.02 करोड़ रुपये दिशानिर्देशों के अनुसार।
- यूको बैंक द्वारा प्रायोजित बिहार ग्रामीण बैंक (बीजीबी) को भारत सरकार द्वारा दिनांक 21.12.2018 को जारी राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से समाहित कर दिया गया था। हमें शेयर पूंजी में हमारे योगदान की राशि ₹76.35 करोड़ दिनांक 30.03.2019 को प्राप्त हुई है। तथापि, शून्य कूपन बॉण्ड्स (टियर II बॉण्ड) के तहत ₹6.57 करोड़ का निवेश अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के साथ लेन-देन का प्रकटन एस-18, 'संबंधित पार्टी प्रकटन' के पैरा-9 के मद्देनजर नहीं किया गया है क्योंकि उसमें राज्य नियंत्रित उद्यमों को ऐसी अन्य संबंधित पार्टियों के साथ, जो स्वयं राज्य नियंत्रित उद्यम हैं, किए जानेवाले लेन-देन संबंधी प्रकटन करने से छूट दी गई है।

9.6. प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) का परिकलन-(एस-20):

	31.3.2021	31.3.2020
ईक्विटी शेयरधारकों के लिए उपलब्ध कर के बाद निवल लाभ (करोड़ ₹ में) Net profit after tax available for equity shareholders (₹ in crore)	167.04	-2436.83
ईक्विटी शेयरों की संख्या Number of equity shares	9918340622	9918340622
जोखिम धारित ईक्विटी शेयरों की संख्या Weighted Number of equity shares	9918340622	7865485592
प्रति शेयर सांकेतिक मूल्य (राशि ₹ में) Nominal Value per Share (Amount in ₹)	10.00	10.00
प्रति शेयर बेसिक एवं डाइल्यूटेड अर्जन (राशि ₹ में) Basic & Diluted Earnings per Share (Amount in ₹)	0.17	-3.10

9.7 एस-21, 23, 24, 27 की प्रयोज्यता

चूंकि सहयोगियों/संयुक्त उद्यमों में बैंक का सहयोगी या नियंत्रक हित नहीं है, अतः आईसीएआई द्वारा जारी समेकित वित्तीय विवरण एस 21, समेकित वित्तीय विवरण में सहयोगियों में निवेश का लेखा एस 23, असतत परिचालन-एस 24 और संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग एस 27 बैंक पर लागू नहीं हैं।

9.8 आय पर कर का लेखांकन (एस-22)

- बैंक का वर्ष के दौरान कोई वर्तमान आयकर दायित्व नहीं है। वर्ष के दौरान लेखा मानक एस-22 के अनुसार ₹675.81 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2019-20 ₹1275.71 करोड़) की निवल राशि की पहचान डेफर्ड टैक्स एसेट के रूप में की गई है।

c) Associates

Regional Rural Bank (RRB) sponsored by the Bank is as under:

- Paschim Banga Gramin Bank (PBGB): UCO Bank is having an investment of Rs.108.16 crore which is 35% of the total Share Capital of PBGB i.e. Rs.309.02 crore as per extent guidelines.
- Bihar Gramin Bank (BGB) sponsored by UCO Bank was amalgamated vide Gazette Notification issued by Government of India dated 21.12.2018. We have received our contribution towards share capital amounting Rs. 76.35 crore on 30.03.2019. However the investment under Zero Coupon Bonds (Tier II Bond) amounting Rs.6.57 crore is yet to be received.
- The transactions with RRB have not been disclosed in view of Para -9 of the AS-18, "Related Party Disclosure" which exempts State Controlled Enterprises from making any disclosures pertaining to their transactions with other related parties, which are State Controlled Enterprises

9.6. EARNINGS PER SHARE (EPS)- (AS-20):

9.7 Applicability of AS-21, 23, 24, 27

As the Bank does not have Subsidiaries or controlling interest in Associates/Joint Ventures, AS 21- Consolidated Financial Statements, AS 23 - Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements, AS-24 - Discontinuing Operations and AS 27 - Financial Reporting of Interest in Joint Ventures issued by the ICAI are not applicable to the Bank.

9.8 Accounting for Taxes on Income (AS-22) :

- The Bank does not have any current Income Tax obligation during the year. During the year net amount of ₹ 675.81 Crore (₹ 1275.71 Crore for FY 2019-20) has been recognized as Deferred Tax Assets as per accounting standard AS-22.

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2021	दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2020
आस्थगित कर आस्तियां / Deferred Tax Assets		
आगे ले जायी गई हानि / Carried Forward Loss	9574.09	8894.10
छुट्टी के नकदीकरण के लिए प्रावधान / Provision for leave encashment	223.71	185.40
उचित मूल्य में ह्रास / Diminution in fair value	0.00	23.69
कर्मचारियों के लाभ के लिए प्रावधान/ Provision for Employee Benefits	0.00	21.66
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Standard Assets	167.08	172.32
निवेश मूल्यांकन में अंतर / Difference in investment valuation	--	--
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास / Depreciation on Fixed Assets	73.01	64.91
योग:/TOTAL :	10037.89	9362.08

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2021	दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2020
आस्थगित कर देयताएं/Deferred Tax Liabilities		
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास / Depreciation on Fixed Assets	--	--
निवेश मूल्यन में अंतर / Difference in Investment valuations	--	--
योग:/TOTAL:	--	--
आस्थगित कर आस्तियां (निवल) / Deferred Tax Assets (Net)	10037.89	9362.08

भारत सरकार ने कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 के माध्यम से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 बीएए की घोषणा की है, जो घरेलू कंपनियों को कुछ शर्तों के अनुपालन के अधीन 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी दर से कम दर पर कॉर्पोरेट कर का भुगतान करने का एक गैर-प्रतिवर्ती विकल्प प्रदान करता है। बैंक वर्तमान में इस विकल्प के मूल्यांकन की प्रक्रिया में है और आयकर अधिनियम, 1961 के पहले के प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय पर करों की पहचान करना जारी है।

9.9 अमूर्त आस्तियां (एएस-26) :

अचल आस्तियों में कंप्यूटर साफ्टवेयर शामिल है जिसे आईसीएआई द्वारा जारी एएस-26 के अनुसार अमूर्त आस्तियां माना गया है। साफ्टवेयर आस्तित की घट-बढ़ नीचे दी गई है:

The Government of India has pronounced Section 115BAA of Income Tax Act, 1961 through Taxation Laws (Amendment) Ordinance, 2019 which provides domestic companies a non-reversible option to pay corporate tax at reduced rate effective from 1st April, 2019 subject to compliance of certain conditions. Bank is currently in the process of evaluating this option and continues to recognize the taxes on income for the quarter ended/year ended 31st March, 2021 as per the earlier provisions of the Income Tax Act, 1961.

9.9 Intangible assets (AS-26):

Fixed Assets include computer software, which has been considered as intangible assets as per AS-26 issued by the ICAI. The movement in software asset is given below:

दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार अमूर्त आस्तियां/Intangible Assets as on 31.03.2021

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

क्रम. सं. Sl. No	विवरण Particulars	दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2021	दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2020
1	वर्ष के प्रारंभ में सकल ब्लॉक Gross Block at the beginning of the year	55.14	30.68
2	घटाएं: पिछले वर्ष के एमओसी के खातों का समाधान Less: Adjustment on account of MOC of the previous year	0.00	0.00
3	वर्ष के आरंभ में निवल अवरुद्ध Net Block at the beginning of the year	55.14	30.68
4	वर्ष के दौरान परिवर्धन/Addition during the year	13.56	36.92
5	घटाएं: अमूर्त आस्तियों का पूर्णतः परिशोधित विमोचन Less: Retirement of intangibles fully amortised	11.69	12.46
6	योग/Total	57.01	55.14
7	घटाएं: अद्यतित परिशोधन (परिशोधित आस्तियों की नेट ऑफ राशि) Less: Amortization up to date (Net of amount on assets retired)	30.75	21.50
8	घटाएं: अपसामान्य हानि / Less: Impairment Loss	0.00	0.00
9	वर्ष के अंत में निवल ब्लॉक Net Block at the end of the year	26.26	33.64

दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार अमूर्त आस्तियां-परिशोधन/Intangible Assets - Amortization as on 31.03.2021

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

परिशोधन Amortization	दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2021	दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2020
10 सकल प्रारंभिक शेष/Gross Opening balance	21.49	17.56
11 घटाएं : पिछले वर्ष के एमओसी के कारण समायोजन Less: Adjustment on account of MOC of the previous year	0.00	0.00
12 शुद्ध प्रारंभिक शेष /Net Opening Balance	21.49	17.56
13 जोड़ें: अपसामान्य हानि/Add: Impairment Loss	-	0.00
14 जोड़ें: वर्ष के दौरान मान्य परिशोधन/ Add: Amortization recognised during the year	20.95	16.40
15 घटाएं: विमोचित आस्तियों पर विनियोजन/ Less: Appropriation on assets retired	11.69	12.46
16 अंतिम शेष/Closing Balance	30.75	21.50

9.10 आस्तियों की अनर्जकता (एस-28) :

लेखा मानक-28 "आस्तियों की अनर्जकता" के खंड 5 से खंड 13 तक के अर्थात्तर्गत तात्विक अनर्जकता के लक्षण नहीं दिखाई देने की बात को ध्यान में रखते हुए चालू वित्तीय वर्ष की बाबत अचल आस्तियों की अनर्जकता अपेक्षित नहीं है।

9.10 Impairment of Assets (AS-28):

In view of the absence of the indication of material impairment within the meaning of clause 5 to clause 13 of Accounting Standard - 28 "Impairment of Assets" no impairment of fixed assets is required in respect of current financial year.

10.0 अतिरिक्त प्रकटन : / Additional disclosures:

10.1 प्रावधान एवं आकस्मिकताएं / Provisions & Contingencies

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

लाभ-हानि लेखे में व्यय शीर्ष के अधीन दर्शित 'प्रावधान एवं आकस्मिकताओं' का विश्लेषण Break up of 'Provisions and Contingencies shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account	चालू वर्ष/ Current Year 2020-21	पिछले वर्ष/ Previous Year 2019-20
निवेश पर मूल्यहास के लिए प्रावधान/Provision for depreciation on Investment	296.09	59.32
अनर्जक आस्ति के लिए प्रावधान/Provision towards NPA	2759.79	6143.81
एनपीआई के लिए प्रावधान/Provision towards NPI	-158.39	342.83
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान/Provision towards Standard Assets	-14.74	-2.39
कराधान के लिए प्रावधान Provision towards Taxation	433.29	0.00
विधिक मामले / आकस्मिकताएं / कपट / Legal Cases / Contingencies/Frauds	-3.56	1.03
उचित मूल्य में ह्रास / Diminution in Fair Value	-14.70	-66.89
आस्थगित कर आस्तियां/Deferred Tax Assets	-675.81	-1275.71
बकाया वेतन पुनरीक्षण / Arrear Wage Revision	102.74	263.66
विविध प्रावधान / Miscellaneous Provision	2528.87	1806.77
योग / Total	5253.58	7272.43

10.2 आकस्मिक देयताएं

- क) तुलन-पत्र की अनुसूची 12 के क्रम सं. (1) यथाउल्लिखित देयताएं क्रमशः न्यायालय के निर्णय, माध्यस्थ पंचाट, न्यायालय से परे निपटारा, अपील के निपटान, मांगी गई राशि, संविदागत दायित्व की शर्तें, न्यागत होने और संबंधित पार्टियों द्वारा की गई मांग पर निर्भर करती है तथा जहां बैंक के विरुद्ध दावा तर्कसंगत हो तो उस स्थिति में आवश्यक प्रावधान किया जाता है।
- ख) आयकर विभाग द्वारा पारित आदेशों के अनुसार विवादित मांग एवं आयकर, टीडीएस, शास्ति, ब्याज एवं ब्याज कर हेतु ट्रेसेस (आय कर की वेबसाइट) में प्रदर्शित मांग राशि ₹37.58 करोड़ (₹14.51 करोड़) को आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत अनुसूची 12 में दर्शाया गया है; प्रबंधन द्वारा इसका प्रावधान किया जाना आवश्यक नहीं समझा गया है क्योंकि ये मामले विभिन्न सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष अपील के लिए लंबित हैं। यह उल्लेखनीय है कि माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय के समक्ष ₹3.38 करोड़ के ब्याज कर के लंबित मामले का निर्णय बैंक के पक्ष में किया गया है। आय कर विभाग से आदेश प्राप्त होने पर बैंक ब्याज के साथ पूरी राशि प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। बैंक को इस मामले पर किसी उच्चतर फोरम/उच्चतम न्यायालय के समक्ष आय कर विभाग द्वारा अपील दायर किए जाने के संबंध में सूचना/नोटिस प्राप्त नहीं हुई है।

10.3 अस्थायी प्रावधान

शून्य

10.4 रिजर्व से ड्रा डाउन

शून्य

10.5 शिकायतों एवं शिकायत निवारण का प्रकटीकरण

10.2 Contingent Liabilities

- a) Such liabilities as mentioned at Serial No. (I) of Schedule 12 of Balance Sheet are dependent upon the judgment of court, arbitration award, out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, respectively and necessary provision is made where claim against the Bank is tenable.
- b) Disputed demand as per orders passed by Income Tax Department and demand displayed at TRACES (Income Tax Website) on account of Income Tax, TDS, Penalty, Interest amounting to Rs. 37.58 Crore (Rs. 14.51 Crore) has been shown in Schedule 12 under Contingent Liability. No provision has been considered necessary by the Management as the matters are pending for disposal before various competent Authorities. It is pertinent to mention that Interest Tax issue pending before Hon'ble High Court of Kolkata amounting to Rs. 3.38 Crore has been decided in favour of the Bank. On receipt of order effect form Income Tax department, Bank shall be entitled to receive the entire amount along with interest. Bank has not received any intimation/notice regarding filing of appeal by Income Tax Department in any higher Forum/Supreme Court on this issue.

10.3 Floating Provisions

Nil

10.4 Draw Down from Reserves

Nil

10.5 Enhanced disclosures on complaints and grievance redress:

10.5.1 बैंक को ग्राहकों और ओबीओ से प्राप्त शिकायतों पर संक्षिप्त जानकारी

10.5.1 Summary information on complaints received by the bank from customers and from the OBOs

क्र.सं. S.No.	विवरण/Particulars	चालू वर्ष/ Current Year 2020-21	पिछले वर्ष/ Previous Year 2019-20
	बैंक को उसके ग्राहकों द्वारा प्राप्त शिकायतें Complaints received by the bank from its customers		
1.	वर्ष के प्रारम्भ में लंबित शिकायतों की संख्या Number of Complaints pending at the beginning of the year	517	371
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या Number of Complaints received during the year	18385	23067
3.	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या Number of Complaints disposed during the year	18671	22921
3.1	उनमें से बैंक द्वारा अस्वीकार की गई शिकायतों की संख्या Of which, number of Complaints rejected by the bank	00	00
4.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या Number of Complaints pending at the end of the year	231	517
	संपोषणीय* ओबीओ से बैंक को प्राप्त शिकायतें Maintainable* complaints received by the bank from OBOs		
5.	ओबीओ से बैंक को प्राप्त संपोषणीय शिकायतों की संख्या Number of maintainable complaints received by the bank from OBOs	2543	2183
5.1	मद 5 में से बीओ द्वारा बैंक के पक्ष में निपटाई गई शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved in favour of the bank by BOs	4126	464
5.2	मद 5 में से बीओ द्वारा जारी समझौता/ मध्यस्थता/परामर्श के माध्यम से निपटाई गई शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved through conciliation/mediation/advisories issued by BOs	124	36
5.3	मद 5 में से बीओ द्वारा बैंक के विरुद्ध पारित दण्ड के पश्चात निपटाई गई शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved after passing of Awards by BOs against the bank	02	02
6.	निर्धारित समय के भीतर लागू नहीं किए गए दंडों की संख्या Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)	00	00

*संपोषणीय शिकायतें बीओ योजना 2006 में विशेष रूप से उल्लिखित आधारों पर शिकायतों को संदर्भित करती हैं और इस योजना के दायरे में आती हैं।

*Maintainable complaints refer to complaints on the grounds specifically mentioned in BO Scheme 2006 and covered within the ambit of the Scheme.

बैंकिंग लोकपाल शिकायतों का विवरण / Banking Ombudsman Complaints Details: -

क्र.सं. S. No.	बैंकिंग लोकपाल शिकायतों का विवरण / Banking Ombudsman Complaints	विव/FY 2020-21	विव/FY 2019-20
1.	वर्ष के प्रारम्भ में लंबित बीओ शिकायतों की संख्या / No. of BO Complaints Pending at the Beginning of the Year	1845	164
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त बीओ शिकायतों की संख्या / No. of BO Complaints Received during the Year	2543	2183
3.	वर्ष के दौरान निपटाई गई बीओ शिकायतों की संख्या / No. of BO Complaints Redressed during the Year	4252	502
4.	वर्ष की समाप्ति पर लंबित बीओ शिकायतों की / No. of BO Complaints Pending at the End of the Year	136	1845

10.5.2. ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के उच्च पाँच आधार /
Top five* grounds of complaints received by the bank from customers

ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के उच्च पाँच आधार / Top Five Grounds of Complaints received by the bank from customers					
शिकायतों के आधार (से संबंधित शिकायतें) Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)	वर्ष के प्रारम्भ में लंबित शिकायतों की संख्या Number of Complaints pending at the beginning of the year	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या Number of Complaints pending at the beginning of the year	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में वृद्धि/कमी का % % increase/decrease in the number of complaints received over the previous year	वर्ष की समाप्ति में लंबित शिकायतों की संख्या Number of Complaints pending at the end of the year	मद सं. 5 में 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
चालू वर्ष/Current Year 2020-21					
असफल इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन (एटीएम/इंटरनेट बैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग/पीओएस) / Failed Electronic Transactions (ATM/Internet Banking/Mobile Banking/POS)	163	7369	-13.89%	57	11
जमा खाता से संबंधित / Deposit Account Related	42	1778	-2.01%	25	0
प्रौद्योगिकी से संबंधित (एटीएम/कोर बैंकिंग/इंटरनेट बैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग) / Technology Related (ATM/Core Banking/Internet Banking/Mobile Banking)	48	1708	-1.24%	16	2
ऋणों एवं अग्रिमों से संबंधित / Loans & Advances Related	49	1525	1.32%	31	5
शाखा में ग्राहक सेवा / Customer Service at Branch	50	964	-1.08%	11	0
अन्य / Others	165	5041	-3.39%	91	5
अन्य / Total	517	18385	-20.30%	231	23

**ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के उच्च पाँच आधार /
Top Five Grounds of Complaints received by the bank from customers**

शिकायतों के आधार (से संबंधित शिकायतें) Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)	वर्ष के प्रारम्भ में लंबित शिकायतों की संख्या Number of Complaints pending at the beginning of the year	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या Number of Complaints pending at the beginning of the year	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में वृद्धि/ कमी का % % increase/ decrease in the number of complaints received over the previous year	वर्ष की समाप्ति में लंबित शिकायतों की संख्या Number of Complaints pending at the end of the year	मद सं. 5 में 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या Of 5, number of com- plaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
विगत वर्ष/Previous Year 2019-20					
असफल इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन (एटीएम/ इंटरनेट बैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग/पीओएस) / Failed Electronic Transactions (ATM/ Internet Banking/ Mobile Banking/ POS)	-	10574	-	163	20
जमा खाता से संबंधित / Deposit Account Related	-	1995	-	42	8
प्रौद्योगिकी से संबंधित (एटीएम/कोर बैंकिंग/ इंटरनेट बैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग) / Technology Related (ATM/Core Banking/ Internet Banking/ Mobile Banking)	-	2241	-	48	11
ऋणों एवं अग्रिमों से संबंधित / Loans & Advances Related	-	1221	-	49	18
शाखा में ग्राहक सेवा / Customer Service at Branch	-	1214	-	50	11
अन्य / Others	-	5822	-	165	49
अन्य / Total	-	23067	-	517	117

10.6 चुकौती आश्वासन पत्र का प्रकटीकरण

बैंक अपने विभिन्न ग्राहकों की ओर से उनको संस्वीकृत ऋण सीमा के प्रति चुकौती आश्वासन पत्र जारी करता है। प्रबंधन की राय में बैंक द्वारा पहले एवं चालू वर्ष के दौरान जारी किए गए और फिलहाल बकाया चुकौती आश्वासन पत्र के अधीन किसी तात्त्विक वित्तीय प्रभाव तथा संचयी वित्तीय बाध्यता का अनुमान नहीं किया गया है। बैंक द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र के संक्षिप्त ब्योरे निम्नानुसार हैं:

10.6 Disclosure of Letter of Comforts

The Bank issues Letter of Comforts on behalf of its various constituents against the credit limits sanctioned to them. In the opinion of Management, no significant financial impact and cumulative financial obligations have been assessed under LOCs issued by the Bank in the past, during the current year and still outstanding. Brief details of LOCs issued by the Bank are as follows:

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

1	वर्ष 2020-21 के दौरान जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र Letter of Comforts issued during the year 2020-21	शून्य / Nil
2	वर्ष 2020-21 के दौरान परिपक्व / रद्द किए गए चुकौती आश्वासन पत्र Letter of Comforts matured/cancelled during the year 2020-21	शून्य / Nil
3	दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार बकाया चुकौती आश्वासन पत्र Letter of Comforts outstanding as on 31.03.2021	शून्य / Nil

10.7 प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात

10.7 Provisioning Coverage Ratio

	दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.03.2021 (Current Year)	दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (पिछले वर्ष) As on 31.03.2020 (Previous Year)
प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात/Provisioning Coverage Ratio	88.40%	85.46%

10.8 बैंकाश्योरेंस से आय

बैंक, बैंकाश्योरेंस लाइफ कारोबार के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम एवं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और बैंकाश्योरेंस नॉन-लाइफ के लिए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी एवं फ्यूचर जेनराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का कारपोरेट एजेंट है। बैंकाश्योरेंस कारोबार से आय के ब्योरे निम्नानुसार हैं:

10.8 Income from Bancassurance

Bank is a Corporate Agent of Life Insurance Corporation of India and SBI Life Insurance Co. Ltd. for Bancassurance Life and The Oriental Insurance Co. and Future Generali India Insurance Co. Ltd. for Bancassurance Non-Life business. Details of income from Bancassurance is given below:

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

कारोबार का प्रकार Type of Business	चालू वर्ष/Current Year 2020-21	पिछले वर्ष/Previous Year 2019-20
लाइफ कारोबार / Life Business	9.64	2.45
नॉन-लाइफ कारोबार / Non Life Business	6.88	6.05

10.9 जमा, अग्रिम, ऋण का संकेंद्रण**10.9 Concentration of Deposits, Advances, Exposures****क) जमा राशियों का संकेंद्रण****a) Concentration of Deposits**

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.03.2021 (Current Year)	दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (पिछले वर्ष) As on 31.03.2020 (Previous Year)
20 अत्यधिक बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा राशियां Total Deposits of 20 largest depositors	20285.06	20981.69
कुल जमा राशियां/Total Deposits	205919.40	193203.44
कुल जमा राशियों के % के अनुपात में 20 अत्यधिक बड़े जमाकर्ता/ Top 20 Depositors as % Total Deposits	9.85%	10.86%

ख) अग्रिमों का संकेंद्रण**b) Concentration of Advances**

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	चालू वर्ष/ Current Year 2020-21	पिछले वर्ष/ Previous Year 2019-20
बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम / Total advances to twenty largest borrowers	21489.88	17214.77
बैंक के कुल अग्रिम की तुलना में बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिम का प्रतिशत/ Percentage of advances to twenty largest borrowers to total advances of the Bank	17%	14.97%

ग) ऋण का संकेंद्रण**c) Concentration of Exposures**

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	चालू वर्ष/Current Year 2020-21	पिछले वर्ष/Previous Year 2019-20
बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए कुल ऋण Total exposure to twenty largest borrowers/customers	24917.32	19252.72
बैंक के उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए कुल ऋण की तुलना में बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए ऋण का प्रतिशत Percentage of exposures to twenty largest borrowers/customers to total exposure of the Bank on borrowers/customers	13.53%	9.26%

10.10 अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण**10.10 Concentration of NPAs**

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	2020-21	2019-20
चार बड़े अनर्जक आस्ति खातों को कुल ऋण Total Exposure to top four NPA accounts	1080.08	2291.90

10.11 क्षेत्रवार अनर्जक आस्तियां

10.11 Sector wise Advances

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

क्र. सं. Sl. No.	क्षेत्र /Sector	चालू वर्ष/ Current Year 2020-21			पिछले वर्ष/ Previous Year 2019-20		
		कुल बकाया अग्रिम/ Outstanding Total Advance	सकल एनपीए/ Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत/ Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	कुल बकाया अग्रिम/ Outstanding Total Advance	सकल एनपीए/ Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत/ Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
A	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र (आरआईडीए सहित) / Priority Sector (Including RIDF)						
1	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप/ Agriculture and allied activities	18030.81	4071.03	22.58	16818.44	4385.42	26.08
2	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार के लिए पात्र उद्योग क्षेत्र को अग्रिम/ Advances to industries sector eligible as priority sector lending	12473.06	682.66	5.47	1860.94	651.61	35.02
3	सेवा क्षेत्र/Services	21449.77	2310.97	10.77	18124.64	2207.93	12.18
4	वैयक्तिक ऋण /Personal Loans	860.74	88.59	10.29	900.86	129.41	14.37
	उप-योग(अ)/Sub-total (A)	52814.38	7153.25	13.54	37704.88	7374.37	19.56
B	गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Non Priority Sector						
1	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप/ Agriculture and allied activities	0	0	0	0	0	0
2	उद्योग/Industry	23393.24	2717.03	11.61	19210.70	6877.78	35.80
3	सेवा क्षेत्र/Services	2345.23	129.47	5.52	2885.57	161.49	5.60
4	वैयक्तिक ऋण/Personal Loans	17138.86	525.22	3.06	12727.15	1027.17	8.07
5	अन्य/Others	11228.49	827.00	7.37	42433.15	3841.14	9.05
	उप-योग (आ)/Sub-total (B)	54105.82	4198.72	7.76	77256.57	11907.58	15.41
	कुल (अ+आ)/Total (A+B)	106920.20	11351.97	9.59	114961.45	19281.95	16.77

10.12 अनर्जक आस्तियों की घट-बढ़ / Movement of NPAs

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

अनर्जक आस्तियाँ / Non-Performing Assets	2020-21	2019-20
विवरण / Particulars	2020-21	2019-20
क) दिनांक 01.04.2020 की स्थिति के अनुसार सकल अनर्जक आस्तियां (प्रारंभिक शेष) a) Gross NPAs as on 01.04.2020 (Opening Balance)	19281.95	29888.33
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन (नई अनर्जक आस्तियां) विनिमय अंतर जोड़कर b) Additions (Fresh NPAs) during the year plus Exchange Difference	3137.55	6118.08
	-35.49	63.30
उप योग (अ)/Sub Total (A)	22384.01	36069.71
ग/घटाएँ/ Less:		
(i) ग्रेड उन्नयन/Upgradations	453.35	1592.39
(ii) वसूली (ग्रेड बढ़ाए गए खातों से की गई वसूली को छोड़कर) / Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	1168.30	2716.28
(iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण बड़े खाते डालना/Technical/Prudential Write-offs	9174.27	11496.57
(iv) उक्त (iii) के अधीन को छोड़कर बड़े खाते डालना/Write-Off other than those under (iii) above	236.12	982.52
उप योग (आ)/Sub total (B)	11032.04	16787.76
दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार सकल अनर्जक आस्तियां (अंतिम शेष) (अ-आ) (d) Gross NPAs as on 31st March 2021 (Closing Balance) (A-B)	11351.97	19281.95

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

तकनीकी / विवेकपूर्ण बड़े खाते डाले गए खातों का ब्योरा / Details of Technical/Prudential Written-Off Accounts:

तकनीकी बड़े खाते डाले गए एवं वसूलियां/Technical Write-off and Recoveries		
विवरण/Particulars	2020-21	2019-20
दिनांक 01.04.2020 को तकनीकी /विवेकपूर्ण बड़े खाते डाले गए खातों का प्रारंभिक शेष Opening balance of Technical/Prudential written off accounts as at 01.04.2020	18620.88	8598.76
Add: (i) वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण बड़े खाते डाले गए Technical/Prudential write-offs during the year	9174.27	11496.57
(ii) पुराने खातों से अधिक/Addition to Old Accounts	57.37	193.75
उप योग (अ)/ (A) Sub-total	27852.52	20289.08
घटाएं / Less:		
वर्ष के दौरान पहले तकनीकी/विवेकपूर्ण बड़े खाते डाले गए खातों से वसूली (आ) (B) Recoveries made from previously technical/prudential written-off accounts during the year	1350.67	1668.20
(अ-आ) 31.03.2020 को अंतिम शेष / Closing balance as at 31.03.2020 (A-B)	26501.85	18620.88

10.13 विदेश स्थित आस्तियां, अनर्जक आस्तियां और राजस्व /Overseas Assets, NPA's and Revenue (राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	2020-21	2019-20
कुल आस्तियां/Total Assets	15282.25	13547.02
कुल अनर्जक आस्तियां/Total NPA's	826.99	1006.31
कुल राजस्व/Total revenue	492.79	581.81

10.14 तुलन-पत्र से इतर प्रायोजित एसपीवी

बैंक ने किसी एसपीवी को प्रायोजित नहीं किया है।

10.14 Off-balance Sheet SPVs sponsored

Bank has not sponsored any SPVs.

10.15 समाधान

केंद्रीकृत बैंकिंग समाधान (सीबीएस) के कार्यान्वयन से अधिकांश अंतर शाखा लेन-देन का समाधान अपने आप ही जाता है। अंतर शाखा लेन-देन एवं अंतर-बैंक शाखा लेन-देन में बहुत कम बैंक प्रविष्टियों के ही समाधान की आवश्यकता होती है जिसे सतत आधार पर किया जाता है।

दिनांक 31.03.2021 तक अंतर-शाखा लेखों और अंतर-बैंक लेखों के मामले में बकाया प्रविष्टियों का समाधान कर लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक नोस्ट्रो लेखों आदि सहित अंतर-बैंक लेखों और ड्राफ्ट, उचंत लेखों, शाखा समायोजन, समाशोधन संबंधी लेन-देन, निधि अंतरण, तार अंतरण, आस्तियों के अधिग्रहण हेतु प्रदत्त अग्रिम से संबंधित शेष, विविध लेनदार जैसे अंतर-शाखा लेखों में बकाया प्रविष्टियों के मिलान का कार्य प्रगति पर है। प्रबंधन की राय में राजस्व/आस्तियों/ देयताओं पर उसका कोई तात्त्विक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

10.15 Reconciliation:

Most of the inter branch transactions are reconciled automatically with implementation of Centralized Banking Solution (CBS). Very few entries under inter branch account & inter bank account requires reconciliation which is done on ongoing basis.

Reconciliation of entries outstanding has been drawn up to 31.03.2021 in case of Inter-Branch Accounts and in Inter-Bank Accounts. Elimination of entries outstanding in Inter-Bank Accounts including Reserve Bank of India, State Bank of India, NOSTRO Accounts etc. and in Inter-Branch Accounts viz., branch adjustment, balances pertaining to advances paid for acquisition of assets, sundry creditors etc. is in progress. In the opinion of the management, consequential effect of the above on the revenue/assets/liabilities are not be material.

10.16 अंतः समूह एक्सपोजर - रून्य**10.16 Intra Group Exposure - NIL****10.17 जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ) में राशि अंतरण****10.17 Transfer to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)**

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	चालू वर्ष/Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year
डीईएएफ को अंतरित राशि का प्रारंभिक शेष Opening balance of amounts transferred to DEAF	303.65	164.69
जोड़े : वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशि Add: Amount transferred to DEAF during the year	108.19	140.46
घटाएं : दावों हेतु डीईएएफ द्वारा प्रतिपूरित राशि Less: Amount reimbursed by DEAF towards claims	2.70	1.50
डीईएएफ को अंतरित राशि का अंत शेष Closing balance of amounts transferred to DEAF	409.14	303.65

10.18 अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, हमारे बैंक ने एसएमई एवं कारपोरेट सहित उधारकर्ताओं के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर पर नीति बनाई है जिसे निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है। इस नीति में अन्य बातों के अलावा निम्न प्रावधान हैं:

- एसएमई सहित सभी ग्राहकों के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएफसीई) की निगरानी एवं समीक्षा।
- अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर युक्त निकायों के एक्सपोजर के लिए वृद्धिशील पूंजी एवं प्रावधानगत आवश्यकताएं।
- संरक्षण प्रदान करने के लिए यूएफसीई प्रभार का निर्धारण और यूएफसीई रखनेवाले निकायों को हतोत्साहित करना।

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों तथा हमारे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुरूप उनके घटकों के लिए उपलब्ध आंकड़ों, वित्तीय विवरणों और उधारकर्ताओं से प्राप्त घोषणा के आधार पर बैंक ने पूंजी अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएफसीई) हेतु 31.03.2021 को ₹31.64 लाख की देयता का अनुमान लगाया है।

10.19 चल निधि कवरेज अनुपात (एलसीआर)

एलसीआर डाटा की गुणवत्ता मूल्यांकन एवं परिणाम

चल निधि कवरेज, बैंक को संभावी चल निधि के अव्यवस्थित होने पर यह सुनिश्चित करते हुए कि बैंक में उच्च स्तरीय चल निधि परिसंपत्तियां हैं जिन्हें 30 दिनों की अत्यधिक कठिन आर्थिक स्थितियों से उबरने हेतु चलनिधि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नकद में परिवर्तित किया जा सकता है, लघु अवधि हेतु संबंधित करता है। एलसीआर का परिकलन अगले 30 कैलेंडर दिनों में कठिन आर्थिक परिस्थितियों में निवल नकद बहिर्गमन के अनुपात में उच्च स्तरीय चल निधि संपत्तियों के आधार पर किया जाता है।

एलसीआर का निर्धारक तत्व

बैंक द्वारा लगातार एकल एवं समेकित आधार पर एलसीआर को नियामक की अपेक्षाओं से भी अधिक अनुरक्षित किया जा रहा है जिसके मुख्य निर्धारक तत्व हैं :

10.18 Unhedged Foreign Currency Exposure:

In terms of RBI Guidelines, our Bank has framed a policy on 'Unhedged Foreign Exchange Exposure by borrowers including SMEs and Corporates duly approved by the Board. The policy inter-alia provides for:

- Monitoring and review of Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE) of all customers including SMEs.
- Incremental capital and provisioning requirements for exposures to entities with Unhedged Foreign Currency Exposure.
- Stipulation of UFCE Charge in order to provide protection and discourage entities having UFCE.

Based on the available data and financial statements and the declaration from borrowers, the bank has estimated the liability of Rs. 31.64 lacs as on 31.03.2021 on Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE) to their constituents in terms of RBI Circulars and our Board approved policy and provision for the same has been provided in the books.

10.19 Liquidity Coverage Ratio (LCR):

Qualitative Assessment of LCR data and Result:

The Liquidity Coverage Ratio (LCR) promotes short term resilience of banks to potential liquidity disruptions by ensuring that they have sufficient High Quality Liquid Assets (HQLA) that can be converted into cash to meet their liquidity needs under a significantly severe stress scenario lasting for 30 days. The LCR is calculated as the ratio of High Quality Liquid Assets (HQLA) to Net Cash Outflows under stressed conditions over the next 30 calendar days.

Drivers of a Comfortable LCR:

The Bank has been maintaining the LCR well above the regulatory requirement on an ongoing basis on solo as well as consolidated basis the main drivers of which are as under:

तत्व / Drivers	विवरण/Particulars
उच्च गुणवत्ता चल परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) का सुविधाजनक स्तर Comfortable level of High Quality Liquid Assets (HQLA)	बैंक द्वारा बाध्यकारी एसएलआर जरूरतों से अधिक अतिरिक्त सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में एचक्यूएलए का सुविधाजनक स्तर बनाए रखा जा रहा है, जिसे संकटग्रस्त परिस्थितियों में जल्द तरलता उपलब्ध करने के लिए आसानी से बेचा या रेपो उधार के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। The Bank is maintaining comfortable level of HQLA in the form of Government Securities in excess over the mandatory SLR requirement which can be easily sold or could be used for repo borrowings to avail quick liquidity in stressed conditions.
न्यून रन ऑफ वाली निकासियों पर ध्यान देना Focus on Outflows having lower run-off	बैंक 5%/10% के न्यून रन ऑफ घटक युक्त रिटेल जमा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है तथा कॉर्पोरेट जमा एवं बैंक/एफआई/एनबीएफसी से प्राप्त जमाओं पर निर्भरता कम कर रहा है जिनका 40%/100% तक उच्च रन ऑफ घटक रहता है। The bank is focusing on accretion of retail deposits as they have lower run off factor of 5%/10% and is reducing dependence on corporate deposits and deposits from bank / FI / NBFC having higher run off factor of 40%/100%

उच्च गुणवत्ता चल परिसंपत्तियां (एचक्यूएलए): हमारे एचक्यूएलए में निम्नांकित शामिल हैं:

● **स्तर 1 की परिसंपत्तियां**

1. उपलब्ध तैयार नकदी जिसमें सीआरआर के अतिरिक्त में मौजूद नकदी रिजर्व शामिल है।
2. बाध्यकारी एसएलआर के अतिरिक्त में मौजूद सरकारी प्रतिभूतियां।
3. एसएलआर प्रतिभूतियों के रूप में शुद्ध मांग एवं मीयादी देयताओं के 3% तक की सीमांत स्थायी सुविधा।
4. एसएलआर प्रतिभूतियों के रूप में शुद्ध मांग एवं मीयादी देयताओं के 15% तक तरलता कवरेज अनुपात के लिए तरलता प्राप्ति की सुविधा।

● **स्तर 2 की परिसंपत्तियां (बैंकों/वित्तीय संस्था द्वारा जारी न की गई)**

● **स्तर 2ए परिसंपत्तियों के अंतर्गत**

1. सॉवरेन सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों (पीएसई) पर दावों या उनका द्वारा गारंटीकृत दावों का प्रतिनिधित्व करनेवाली विक्रय योग्य प्रतिभूतियां जिनका बासेल II के तहत जोखिम भार 20% का है।
2. कारपोरेट बॉन्ड एवं वाणिज्यिक कागजात जिनकी न्यूनतम रेटिंग एए- है।

● **स्तर 2बी परिसंपत्तियों के अंतर्गत**

1. सॉवरेन द्वारा निर्गमित या गारंटीकृत प्रतिभूतियां जिनका जोखिम भार 20% से अधिक परंतु 50% से अधिक नहीं है (जैसे एए एवं ए रेटिंग के बॉन्ड)।
2. कॉर्पोरेट कर्ज प्रतिभूतियां (वाणिज्यिक कागजात सहित) जिनकी बाह्य रेटिंग ए+ से बीबीबी- के मध्य है।
3. एनएसई सीएनएक्स निफ्टी सूचकांक और/या एस एंड पी बीएसई सेन्सेक्स सूचकांक में शामिल कॉमन ईक्विटी शेयर

निधियन स्रोतों का संकेन्द्रण : विविधतापूर्ण देयताओं से युक्त हमारे निधियन स्रोतों का आधार सुविस्तृत है जिसमें मुख्यतः शामिल हैं

- चालू जमा एवं बचत जमा, और
- मीयादी जमा (सामान्य एवं थोक)

बैंक निम्न स्थिरता वाली निधियों के संकेन्द्रण पर निगरानी रखने/कम करने के उद्देश्य से नियमित अंतराल पर निधि स्रोतों की निगरानी रख रहा है। बैंक ने थोक जमा को कम किया है तथा चालू एवं बचत जमा की अभिवृद्धि पर ध्यान दिया है। बैंक नियमित अंतराल पर 20 सबसे बड़े जमाकर्ताओं के संकेन्द्रण पर भी नज़र रखता है।

हमारे कोई सामूहिक निकाय नहीं हैं तथा एकल स्तर पर तरलता का प्रबंधन केंद्रीयकृत रूप से किया जाता है।

High Quality liquid Assets (HQLA): Our HQLA comprises of following

● **Level 1 Assets**

1. Cash in hand including Cash Reserve in excess of CRR
2. Govt. Securities in Excess of Mandatory SLR
3. Marginal standing Facility up to 3% of Net Demand and Time Liabilities in the form of SLR securities.
4. Facility to Avail Liquidity for liquidity Coverage Ratio up to 15% of Net Demand and Time Liabilities in the form of SLR securities.

● **Level 2 Assets (Not issued by Banks/Financial Institution)**

● **Under Level 2A assets**

1. Marketable securities representing claims on or claims guaranteed by Sovereigns Public Sector Entities (PSEs) having risk weight 20% under the Basel II
2. Corporate Bonds and Commercial Papers having minimum rating of AA-

● **Under Level 2B assets**

1. Securities issued or guaranteed by sovereigns having risk weight higher than 20% but not higher than 50% (i.e. Bonds with Rating AA & A)
2. Corporate Debt Securities (including Commercial Paper) having external rating between A+ and BBB-
3. Common Equity Shares Included in NSE CNX Nifty index and/or S&P BSE Sensex index

Concentration of Funding Sources: Our Funding sources is well spread with diversified liabilities portfolio comprising mainly of

- Current Deposit and Saving Deposit and
- Term Deposit (normal and Bulk)

The bank is monitoring the funding sources on regular interval with the objective to monitor / reduce the concentration of funds having lower stability. The bank has reduced the bulk deposits and focused on accretion of current and Savings deposits. The bank also monitors the concentration of top 20 depositors on regular intervals.

We do not have any group entities and liquidity at solo level is being managed centrally.

चलनिधि कवरेज अनुपात/LIQUIDITY COVERAGE RATIO

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण/Quantitative Disclosure:		(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)			
		चालू वर्ष/Current Year *		पिछले वर्ष/ Previous Year**	
		कुल अभाहित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल अभाहित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)
उच्च गुणवत्तायुक्त चल परिसंपत्तियां/High Quality Liquid Assets					
1	कुल उच्च गुणवत्तायुक्त चल परिसंपत्तियां Total High quality Liquid Assets		68056.98		57887.00
नकदी निकासी/Cash Outflow					
2	रिटेल जमा/Retails Deposit	142189.56	14089.06	1,32,104.98	10,739.76
(i)	स्थिर जमा /Stable Deposit	2598.00	129.90	49,414.78	2,470.74
(ii)	अल्प स्थिर जमा/Less Stable Depsoit	139591.57	13959.16	82,690.21	8,269.02
3	अप्रतिभूत थोक अग्रिम जिनमें Unsecured Wholesale Advance	37995.50	15962.93	40,882.52	22,515.86
(i)	परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षी पार्टियां) Operational Deposit (All Counter Parties)	3.52	0.88	1.03	0.26
(ii)	गैर-परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षी पार्टियां) Non- Operational Deposit (All Counter Parties)	37991.98	15962.05	40,881.49	22,515.60
(iii)	अप्रतिभूत ऋण/Unsecured Debt	-	-	-	-
4	प्रतिभूत थोक निधियन /Secured Wholesale Funding	453.13	-	608.36	-
5	अतिरिक्त जरूरतें, जिनमें Additional Requirements of Which	8453.37	1627.99	4,669.76	1,553.06
(i)	व्युत्पन्न एक्सपोजर एवं अन्य संपारिर्षक जरूरतों से संबंधित निकासी Outflows related to derivative exposures and other Collateral Requirements	1018.85	1018.85	1,314.21	1,314.21
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधियन हानि से संबंधित निकासी Outflows related to loss of funding on debt Products	-	-	-	-
(iii)	ऋण एवं चलनिधि सुविधाएं Credit and Liquidity facilities	7434.52	609.15	3,355.55	238.86
6	अन्य संविदा निधियन दायित्व Other Contractual funding Obligations	527.60	527.60	13,454.70	480.03
7	अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व Other Contingent Funding Obligations	9345.86	298.64	549.61	549.61
8	कुल नकदी निकासी/Total Cash Outflows	198947.02	32506.22	1,92,269.94	35,838.32
नकदी आगमन/ Cash Inflow					
9	प्रतिभूत उधार (उदा. रिवर्स रेपो) Secured Lending (eg. Reverse Repo)	610.37	-	2,140.98	-
10	पूर्णतः अर्जक एक्सपोजर से आगमन Inflows from Fully Performing Exposures	3426.80	2400.01	5,207.39	4,228.22
11	अन्य नकदी आगमन/Other Cash inflow	883.23	503.17	1,273.53	736.53
12	कुल नकदी आगमन/Total Cash inflow	4920.41	2903.18	8,621.89	4,964.75
		कुल समायोजित मूल्य/Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य/Total Adjusted Value	
21	कुल एचक्यूएलए/ Total HQLA	69739.12	68056.98	59,535.83	57,887.00
22	कुल निवल नकदी निकासी/Total Net Cash Outflow	-	29603.04	-	30,873.57
23	चलनिधि कवरेज अनुपात/Liquidity Coverage Ratio (%)	-	229.90%	-	187.50%

I पिछली तिमाही समाप्ति का औसत, यानी अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021/Average of Daily LCR of Current Year i.e. April 2020 to March 2021

II पिछले वर्ष, यानी अप्रैल, 2019 से मार्च 2020 के दैनिक एसीआर का औसत /Average of Daily LCR of Last Year i.e. April 2019 to March 2020

10.20 अचल आस्तियां

- (i) बैंक ने भूमि एवं भवन के लिए पुनर्मूल्यन मॉडल को तथा अन्य अचल आस्तियों के लिए लागत मॉडल को अपनाया है।
- (ii) बैंक ने स्वतंत्र सुयोग्य मूल्यांककों द्वारा अंतिम बार 31.03.2021 को अपने परिसर का पुनर्मूल्यन कराया था। बही मूल्य से अतिरिक्त उचित मूल्य को पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि में जमा किया जाता है। नियत तिथि को पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि की कुल राशि (हटाई गई आस्तियों से संबंधित पुनर्मूल्यन को छोड़कर) ₹2952.87 करोड़ (₹2585.61 करोड़) है तथा पुनर्मूल्यित भाग पर लगाया गया अवमूल्यन ₹261.43 करोड़ (₹237.24 करोड़) है। संशोधित एएस 10 के अनुसार भवन के पुनर्मूल्यन के कारण ₹85.01 करोड़ (₹31.20 करोड़) के अतिरिक्त अवमूल्यन के बराबर की पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि को पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि में अंतरित किया गया है।
- (iii) मूल्यांकक ने निम्नांकित रीतियों से उपर्युक्त संपत्तियों का मूल्यांकन किया है:

भूमि: नवीनतम लेन-देन के आधार पर स्थानीय पूछताछ द्वारा बाजार दरों पर, और जहाँ भी यह सूचना उपलब्ध नहीं है वहाँ सरकार द्वारा अनुमोदित दर को संदर्भ दर लिया गया है।

भवन: निर्माण प्रकार के आधार पर नवीनतम अनुसूची के अनुसार पीडब्ल्यूडी प्लिथ दर पर और भवन की आयु के अनुसार अवमूल्यन घटक लागू किया गया है।

31.03.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष की अचल आस्तियों से संबंधित अन्य प्रकटीकरण :

- क) परिसर में ₹437.95 करोड़ रु के पट्टे पर ली गई संपत्ति शामिल है एवं वर्ष के दौरान ₹1.65 करोड़ रु परिशोधित की गई।
- ख) दो वर्ष से अधिक समय से नवीनीकरण / पंजीकरण हेतु लंबित लीज़ की सात (7) लीज़ धारित संपत्तियों में से एक संपत्ति वर्ष 1995 से लंबित है। बैंक ने सभी मामलों में वांछित कार्रवाई की है और यह समय पर पूरा हो जाएगा।
- ग) 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कोलकाता – 700 001 में स्थित अपने भवन में अनधिकृत छब्बीस (26) किरायादारों में से अठारह (18) किरायादारों के विरुद्ध बैंक ने 20.05.2015 में मामला दायर किया है और यह मामला सिटी सिविल कोर्ट के समक्ष लंबित है।
- घ) देयताओं की प्रतिभूति रूप से गिरवी रखे गए हक, संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर पर बंधन का अस्तित्व एवं सीमा – शून्य
- ङ) निर्माण प्रक्रिया में संयंत्र उपस्कर की किसी वस्तु की वहनीय मात्रा में लिया गया व्यय – ₹67.02 करोड़ (₹7.28 करोड़)
- च) 31.03.2021 को संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के आधिग्रहण हेतु संविदागत वायदा - ₹30.45 करोड़ (₹25.31) करोड़।
- छ) सक्रिय उपयोग से हटाकर निपटान के लिए रखी गई परिसंपत्तियों की मात्रा - शून्य

10.21 अमर्जक अग्रिमों के सुविधावार, प्रतिभूतिवार एवं क्षेत्रवार प्रावधान का वर्गीकरण निर्धारित नहीं हैं। जैसा कि तुलन-पत्र अनुसूची-9 में कहा गया है कि विभिन्न वर्गों के सकल अग्रिमों से आनुमानिक आधार पर उसकी कटौती की जाती है ताकि निवल अग्रिम शेष प्राप्त किया सके।

10.20 Fixed Assets

- (i) Bank has adopted Revaluation Model for Land and Building and Cost Model for other Fixed Assets.
- (ii) Bank has revalued its premises last on 31.03.2021 by independent qualified valuers. The excess of fair market value over the book value is credited to revaluation reserve. As on date aggregate amount of revaluation reserve (net of revaluation relating to assets disposed of) is Rs. 2952.87 crore (Rs 2585.61 crore) and depreciation on the revalued portion charged is Rs 261.43 crore (Rs 237.24 crore). As per revised AS 10, Revaluation Reserve equal to the additional depreciation on account of Revaluation of the Building amounting to Rs. 85.01 Crore (31.20 Crore) has been transferred to Revenue Reserve.
- (iii) The valuer has valued the properties on the following methods :

Land: On market rates by enquiry from the locality based on the latest transactions and wherever this information is not available, Govt. approved rate is taken as reference rate.

Building: On PWD plinth rate as per latest schedule on the basis of type of construction and applying depreciation factor depending on age of the Building.

Other Disclosures regarding Fixed Assets for FY ending 31.03.2021:

- a) Premises include Leasehold property of Rs.437.95 Crores and amortised during the year Rs.1.65 Crores.
- b) In respect of Seven (7) lease hold properties, renewal/ registration of lease is due for more than two years, out of which registration of lease of one property is pending since year 1995. The Bank has taken necessary measures in these cases and shall be completed in due course.
- c) Out of twenty six (26) unauthorised tenants at its own building at 2, India Exchange Place, Kolkata-700001, suit has been filed by the Bank on 20.05.2015, against eighteen (18) tenants and case is pending before City Civil Court.
- d) Existence and amount of restriction on title, property, Plant & Equipment pledged as security for liabilities - NIL.
- e) Expenditure recognized in the carrying amount of an item of plant equipment and property in the course of construction is Rs 67.02 crore (7.28 crore).
- f) Contractual commitments for the acquisition of the property, plant & equipment as on 31.03.2021 - Rs. 30.45 Crore (25.31 crore).
- g) Amount of assets retired from active use and held for disposal - NIL

10.21 Break up of provision held against non-performing advances into facility-wise, security-wise and sector-wise is not ascertained. The same is deducted on estimated basis from Gross advances in the various categories to arrive at the balance of net advances as stated in Scheduled 9 of the Balance Sheet.

10.22 तुलन पत्र की तारीख के बाद होनेवाली घटनाओं के लिए परिसंपत्तियों एवं देयताओं को उपयुक्त प्रकार से समायोजित किया गया है। इससे तुलन-पत्र की तारीख को मौजूद स्थितियों से संबंधित राशियों का अनुमान सुलभ करने के लिए अतिरिक्त साक्ष्य उपलब्ध होता है।

10.22 Assets and liabilities have been suitably adjusted for events occurring after the balance sheet date that provide additional evidence to assist the estimation of amounts relating to conditions existing at the balance sheet date.

11. धोखाधड़ी का प्रकटीकरण / Disclosure on Frauds

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

क्र.सं./S.No.	विवरण/ Details	
1.	दि. 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या। No. of frauds reported during the year ended 31.03.2021	379
2.	शामिल राशि/ Amount involved	3336.96
3.	भारतीय रिजर्व बैंक को धोखाधड़ी रिपोर्ट करने के बाद की गई वसूली Recovery made after reporting the fraud to RBI	57.20
4.	दिनांक 31.03.2020 को बकाया राशि/Balance outstanding as on 31.03.2020	3277.65
5.	किए गए प्रावधान की मात्रा/Quantum of Provision made	3277.65

12. विद्यमान ऋणों की लचीली संरचना पर प्रकटीकरण / Disclosure on Flexible Structuring of Existing Loans

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

अवधि Period	लचीली संरचना हेतु चुने गए उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers taken up for flexibly structuring	लचीली संरचना हेतु ली गई ऋण राशि Amount of loans taken up for flexible structuring		लचीली संरचना हेतु लिए गए ऋण की औसत अवधि का वित्त भार Exposure weighted average duration of loans taken up for flexible structuring	
		मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	लचीली संरचना लागू करने के पूर्व Before applying flexible structuring	लचीली संरचना लागू करने के बाद After Applying flexible structuring
पिछला वित्त वर्ष Previous Financial Year	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
चालू वित्त वर्ष (अप्रैल, 20 से मार्च 21) Current Financial Year (From April 20 to March 21)	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL

13) नियोजित ऋण पुनर्संरचना योजना पर प्रकटीकरण (वे खाते जो वर्तमान में अवरुद्ध अवधि में हैं)

Disclosures on Strategic Debt Restructuring Scheme (accounts which are currently under the stand-still period)

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

खातों की सं. जिनमें एसडीआर दावा किया गया है No. of accounts where SDR has been invoked	रिपोर्टिंग की तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date		रिपोर्टिंग की तारीख को उन खातों में बकाया राशि जिनमें ऋण का ईक्विटी में परिवर्तन लंबित है Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending		रिपोर्टिंग की तारीख को उन खातों में बकाया राशि जिनमें ऋण का ईक्विटी में परिवर्तन हुआ है Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place	
	मानक रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
शून्य/NIL						

14) एसडीआर योजना के बाहर मालिकाना परिवर्तन पर प्रकटीकरण (वे खाते जो वर्तमान में अवरुद्ध अवधि में हैं)

Disclosures on Change in Ownership outside SDR Scheme (accounts which are currently under the stand-still period)

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

खातों की सं. जिनमें बैंकों ने मालिकाना परिवर्तन का निर्णय लिया No. of accounts where banks have decided to effect change in ownership	रिपोर्टिंग की तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date		रिपोर्टिंग की तारीख को उन खातों में बकाया राशि, जिनमें ऋण का ईक्विटी में परिवर्तन/ईक्विटी शेयरों के बंधक का दावा लंबित है Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares is pending		रिपोर्टिंग की तारीख को उन खातों में बकाया राशि, जिनमें ऋण का ईक्विटी में परिवर्तन/ईक्विटी शेयरों के बंधक का दावा लंबित है Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares has taken place		रिपोर्टिंग की तारीख को उन खातों में बकाया राशि, जिनमें नए शेयरों के निर्गम या प्रमोटर ईक्विटी की बिक्री द्वारा मालिकाना परिवर्तन किया जाता है Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where change in ownership is envisaged by issuance of fresh shares or sale of promoters equity	
	मानक रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
1	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL

15) कार्याधीन परियोजनाओं के मालिकाना परिवर्तन पर प्रकटीकरण (वे खाते जो वर्तमान में अवरुद्ध अवधि में हैं)

Disclosures on Change in Ownership of Projects Under Implementation (accounts which are currently under the stand-still period)

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

परियोजना ऋण खातों की सं. जिनमें बैंकों ने मालिकाना परिवर्तन करने का निर्णय किया है No. of project loan accounts where banks have decided to effect change in ownership	रिपोर्टिंग की तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date		
	मानक रूप में वर्गीकृत Classified as standard	पुनर्संरचित मानक रूप में वर्गीकृत Classified as standard restructured	एनपीए रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
	शून्य/NIL		

16) 31.03.2021 तक दबावग्रस्त परिसंपत्तियों (एस 4 ए) के सतत ढांचे के लिए योजना पर प्रकटीकरण

Disclosures on the Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A), as on 31.03.2021

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

खातों की संख्या जहाँ एस 4ए लागू किया गया है जो मानक के रूप में वर्गीकृत हैं। No. of accounts where S4A has been applied Classified as Standard	कुल बकाया राशि Aggregate amount outstanding	बकाया राशि Amount outstanding		धारित प्रावधान Provision Held
		भाग क में In Part A	भाग ख में In Part B	
2	259.42	80.85	178.57	162.80
एनपीए रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL

नोट: भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं. आरबीआई /2017 - 18 /131 डीबीआर नं. बीपी.बीसी.101 /21.04.048 /2017 - 18 दिनांक 12.02.2018 के पहले जबसे लागू

Note: Since implemented prior to RBI circular No. RBI/2017-18/131 DBR No. BP.BC.101/21.04.048/2017-18 dated 12.02.2018

17) एमएसएमई पुनर्संरचित खाते

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र - अग्रिमों की पुनर्संरचना पर आरबीआई सकार्युलर क्रमांक DBR No. BP. BC. 18/ 21.04.048/2018-19 दिनांक 01.01.2019, DOR No. BP.BC.34/ 21.04.048/2019-20 दिनांक 11.02.2020 and DOR. No. BO.BC/4/ 21.04.048/2019-20 दिनांक 06.08.2020 के अनुसार, एमएसएमई पुनर्संरचित खातों का विवरण 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान निम्नानुसार है:

17) MSME Restructured Accounts

In accordance with RBI circular No. DBR No. BP. BC. 18/ 21.04.048/2018-19 dated 01.01.2019, DOR No. BP.BC.34/ 21.04.048/2019-20 dated 11.02.2020 and DOR. No. BO.BC/4/ 21.04.048/2019-20 dated 06.08.2020 on "Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector - Restructuring of Advances" the details of MSME restructured accounts during the year ended 31st March, 2021 are as under:

पुनर्संरचित खातों की संख्या / No. of Accounts Restructured	राशि (करोड़ ₹ में) / Amount (₹ in Crores)
1825	281.19

18) आईएनडी एस पर प्रकटीकरण

पृष्ठभूमि:

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), को भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र दिनांक 11 फरवरी, 2016 के अनुसार 1 अप्रैल, 2018 से भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एस) लागू करना था। तथापि आरबीआई द्वारा यथासंस्तुत वैधानिक संशोधनों के कारण भारत सरकार की दिनांक 22.03.2019 की अधिसूचना द्वारा विचाराधीन होने के कारण आरबीआई ने आईएनडी एस के कार्यान्वयन को अगले आदेश तक आस्थगित रखा है।

18) Disclosure on IND AS

Background:

Scheduled Commercial Banks (SCBs), excluding Regional Rural Banks (RRBs), were required to implement Indian Accounting Standards (Ind AS) from April 1, 2018 vide RBI Circular dated February 11, 2016. However RBI has deferred implementation of Ind AS till further notice due to the legislative amendments as recommended by RBI are under consideration of the Government of India vide its notification dated 22.03.2019.

आईएनडी एएस के कार्यान्वयन की कार्यनीति:

बैंक ने कार्यपालक निदेशक के नेतृत्व में आईएनडी एएस की तकनीकी आवयकताओं, प्रणाली एवं प्रक्रिया बदलावों, कारोबार प्रभाव, संसाधनों के आकलन एवं परियोजना प्रबंधन की आयोजना के लिए आईएनडी एएस संचालन समिति गठित किया है।

बैंक ने अपने भीतर ही आईएनडी एएस कार्यदल भी गठित किया है जो आईएनडी एएस संस्थापन परियोजना पर काम करेगा जिसमें भांति भांति के कार्य करनेवाले विभागों के अधिकारी शामिल हैं।

आईएनडी एएस के कार्यान्वयन की प्रगति:

बैंक ने त्रैमासिक आधार पर ईक्विटी और लाभ परिवर्तनों को समायोजित कराते हुए प्रोफॉर्मा आईएनडी-एएस वित्तीय विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत कर दिया है। पिछले जीएपी आंकड़ों की तुलनात्मक स्थिति दर्शाते हुए 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त नौ माह की स्थिति के अनुसार इसे अंतिम बार 26 फरवरी, 2021 को प्रस्तुत किया गया।

19) संशोधित ढांचा के अंतर्गत दबावग्रस्त खातों के लिए समाधान योजना के कार्यान्वयन का प्रकटीकरण

क) दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचे पर आरबीआई के परिपत्र डीबीआर संख्या बीपी बीसी 45/21.04.048/2018-19 दिनांक 07.06.2019 के अनुसार बैंक के पास 13 खातों में कुल रु. 1083.49 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान है।

ख) आरबीआई के परिपत्र डीओआर.सं. बीपी.बीसी.63/21.04.048/2019-20 दिनांक 17 अप्रैल, 2020 के अनुसार जिन खातों में समाधान अवधि 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए बढ़ा दी गई थी, उनमें शामिल खातों की संख्या और राशि का विवरण:

खातों की संख्या जिनमें समाधान अवधि बढ़ाई गई थी / No. of accounts in which resolution period was extended	3
शामिल राशि / Amount involved	978.11 crores

20) कोविड-19 नियामक पैकेज

1) दुनिया भर में कोविड -19 महामारी के प्रसार ने आर्थिक गतिविधियों को काफी हद तक प्रभावित किया है। इस स्थिति में, बैंक चुनौतियों का सामना करने के लिए सभी मोर्चों पर खुद को तैयार कर रहा है। कोविड -19 महामारी की वर्तमान दूसरी लहर के प्रकोप के कारण स्थिति अत्यधिक अनिश्चित बनी हुई है और इसके परिणामस्वरूप देश के कई हिस्सों में क्षेत्रीय/स्थानीय लॉकडाउन उपायों को फिर से लागू किया गया है। बैंक लगातार स्थिति का आकलन कर रहा है। बैंक के लिए प्रमुख चुनौतियां विस्तारित कार्यशील पूंजी चक्र, नकदी प्रवाह के उतार-चढ़ाव और उधारकर्ताओं की अपने ऋण दायित्वों को समय पर पूरा करने में संभावित अक्षमता से हो सकती हैं। हालांकि, बैंक की आस्तियों पर संभावित तनाव की चुनौतियों के विरुद्ध बैंक सक्रिय रूप से उपलब्ध करा रहा है। कोविड -19 के प्रभाव की सीमा परिस्थितियों पर निर्भर करती है क्योंकि वे आनेवाली अवधि में विकसित होती हैं।

आरबीआई ने अपने परिपत्र दिनांक 27.03.2020, 17.04.2020 एवं 23.05.2020 के माध्यम से कोविड -19 महामारी से उत्पन्न व्यवधानों के कारण विकसित ऋण सेवा के बोझ को कम करने और व्यवहार्य कारोबारों की निरंतरता सुनिश्चित करने के उपायों की घोषणा की है।

आस्तित्व वर्गीकरण और प्रावधानीकरण पर 'कोविड-19 नियामक पैकेज' से संबंधित आरबीआई के दिनांक 27.03.2020, 17.04.2020 और 23.05.2020 के परिपत्र अनुसार बैंक ने आस्तित्व वर्गीकरण लाभ बढ़ाया है और निम्नानुसार प्रावधान किया है:

Strategy of IND AS Implementation:

Bank has constituted IND AS steering committee headed by Executive Director to plan the IND AS technical requirements, System & Process Changes, Business Impact, evaluation of Resources and project management.

Bank has also constituted IND AS working group within the bank who will be working on IND AS implantation project which comprises of officers from all the functional department.

Progress on IND AS implementation:

Bank has submitted the Proforma IND-AS Financial statements to Reserve Bank of India with reconciliation of change in Equity & profit on quarterly basis and last submitted on February 26, 2021 for the nine months ended December 31, 2020 compared with the previous GAAP figures.

19) Disclosure on Implementation of resolution plan on stressed accounts under Revised Framework:

- In accordance with RBI circular DBR No BP BC 45/21.04.048/2018-19 dated 07.06.2019 on prudential framework for resolution of stressed assets, Bank holds total additional provision of Rs. 1083.49 crore in 13 Accounts.
- As per RBI Circular DOR.No.BP.BC.63/21.04.048/2019-20 dated 17th April 2020, details of the number of accounts and the amount involved in those accounts where Resolution Period was extended for the year ended 31st March, 2021.

20) COVID-19 Regulatory Package-

1) The spread of Covid-19 pandemic across the globe has substantially impacted the economic activities. In this situation, Bank is gearing up itself on all fronts to meet the challenges. Due to the outbreak of current second wave of Covid-19 pandemic, the situation continues to be highly uncertain and resulted in re-imposition of regional/localized lockdown measures in several parts of the country. Bank is continuously evaluating the situation on an ongoing basis. Major challenges for the Bank could be from extended working capital cycles, fluctuating cash flow trends and probable inability of the borrowers to meet their loan obligations timely. However, the Bank is proactively providing against the challenges of likely stress on the Bank's assets. The extent of impact of Covid -19 is dependent upon the circumstances as they evolve in the subsequent period.

RBI vide its circulars dated 27.03.2020, 17.04.2020 and 23.05.2020 has announced measures to mitigate the burden of debt servicing evolved on account of disruptions caused by Covid-19 pandemic and to ensure the continuity of viable businesses.

In accordance with above RBI circulars relating to 'COVID 19 Regulatory Package' on asset classification and provisioning dated 27.03.2020, 17.04.2020 and 23.05.2020, the Bank has extended asset classification benefit and made provision as under:

क्रसं / SN	विवरण / Particulars	(राशि करोड़ ₹ में) (Amount in ₹ Crore)
1	एसएमए/अतिदेय श्रेणियों में संबंधित राशि, जहां अधिस्थगन/स्थगन बढ़ाया गया था Respective amounts in SMA/Overdue categories, where the moratorium/deferment was extended	1010.28
2	संबंधित राशि जहां आस्ति वर्गीकरण लाभ बढ़ाया गया है Respective amount where asset classification benefits is extended	1010.28
3	31.03.2020 एवं 30.06.2020 को समाप्त तिमाही के दौरान किए गए प्रावधानों का योग। Aggregate of provisions made during the quarter ended 31.03.2020 and 30.06.2020.	101.03
4	स्लिपेज और शेष प्रावधानों की तुलना में संबंधित लेखा अवधि के दौरान समायोजित प्रावधान Provisions adjusted during the respective accounting periods against slippages and the residual provisions	101.03

एक विवेकपूर्ण उपाय के रूप में बैंक ने रुपये 350 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान प्रदान किया है।

As a prudential measure, the Bank has provided an additional provision of Rs. 350 crore.

21) कोविड 19 से संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचा - ऋण निगरानी

21) Resolution framework for COVID 19 - related stress-Credit Monitoring

आरबीआई के दिनांक 06.08.2020 के परिपत्र के अनुसार कोविड 19 से संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचे के तहत कार्यान्वित समाधान योजना का विवरण नीचे दिया गया है:

Details of resolution plan implemented under Resolution Framework for COVID 19 related stress as per RBI circular dated 06.08.2020 are given below:

(खातों की संख्या को छोड़कर करोड़ रुपये में) Rs. in crore except number of accounts)

उधारकर्ता का प्रकार Type of Borrower	(ए) खातों की संख्या, जहाँ इस रिज़ॉल्यूशन के तहत समाधान योजना कार्यान्वित हो गया है (A) Number of accounts where resolution plan has been implemented under this window	(बी) इस योजना के कार्यान्वयन पूर्व (ए) में उल्लिखित खातों में एक्सपोजर (B) Exposure to accounts mentioned at (A) before implementation of the plan	(सी) (बी) के कुल ऋण की राशि जो अन्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित किया गया था (C) Of (B), aggregate amount of debt that was converted into other securities	(डी) अतिरिक्त स्वीकृत राशि, यदि कोई, योजना एवं कार्यान्वयन के प्रारम्भ होने के बीच में सहित (D) Additional funding sanctioned, if any, including between invocation of the plan and implementation	(ई) समाधान के कार्यान्वयन के कारण प्रावधान में वृद्धि (E) Increase in provisions on account of the implementation of the resolution
वैक्तिगत ऋण Personal Loans	708	92.29	0	0	9.23
कारपोरेट व्यक्तियों को Corporate Persons	1550	198.49	0	0	9.92
उनमें से एमएसएमई Of which, MSME's	1550	198.49	0	0	9.92
अन्य Others	0	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल/Total	2258	290.78	0	0	19.15

22) त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए)

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या आरबीआई/2016-17/276 डीबीएस.सीओ.पीपीडी.बीसी नंबर 8/11.01.005/ 2016-17 दिनांक 13 अप्रैल 2017 के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पत्र दिनांक 5 मई 2017 के माध्यम से यूको बैंक पर शुद्ध अनर्जक आस्ति में हुई वृद्धि एवं प्रतिकूल आरओए के फलस्वरूप सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) लागू किया है।

बैंक पीसीए द्वांचा मानदंड का कड़ाई से पालन कर रहा है। बैंक ने विभिन्न कदम उठाये हैं जिसके परिणामस्वरूप एनपीए अनुपात कम हुआ है और लाभप्रदता में सुधार हुआ है।

23) कोष्ठक में दिखाए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं। पिछले वर्ष के आंकड़ों को जैसा आवश्यक समझा गया है पुनः समूहित/पुनःव्यवस्थित/ पुनः निर्धारित किया गया है।

22) Prompt Corrective Action (PCA)

In terms of the RBI Circular No. RBI/2016-17/276 DBS.CO.PPD.BC.No. 8/11.01.005/2016-17 dated April 13, 2017, RBI through its letter dated May 05, 2017 put UCO Bank under Prompt Corrective Action (PCA) framework on account of high Net NPA and negative RoA.

Bank is complying the PCA framework norms meticulously. Bank has taken various steps as a result of which NPA ratio has reduced and profitability has improved.

23) The bracketed figures indicate previous year's figures. Previous year's figures have been re-grouped /re-arranged/ re-casted wherever considered necessary.

स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

यूको बैंक के सदस्यों

वित्तीय विवरणी पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने यूको बैंक (बैंक) की संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2021 के तुलन-पत्र, एवं लाभ और हानि लेखे तथा तत्संबंधी समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह विवरण महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सार सहित वित्तीय विवरणों पर नोट तथा अन्य विवेचनात्मक सूचना सम्मिलित है।

इनमें:

- 1 ट्रेज़री शाखा को शामिल करते हुए 21 शाखाओं की लेखापरीक्षा हमने की है,
- 1629 शाखाओं (सेवा शाखाओं को शामिल करते हुए) की लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों ने की है
- 2 विदेशी शाखाओं की लेखा परीक्षा स्थानीय विदेशी लेखा परीक्षकों ने की है।

हमारे तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा जिन शाखाओं की लेखा परीक्षा की गई है उन शाखाओं का चयन बैंक के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को दिए गए दिशानिर्देश के अनुसार किया गया है। इसी में 1419 शाखाओं से प्राप्त तुलनपत्र तथा लाभ-हानि खाते को भी, जिनका लेखा परीक्षण नहीं किया गया है, इसमें शामिल हैं। जिन शाखाओं की लेखा परीक्षा नहीं हुई है उन शाखाओं से 8.06 प्रतिशत अग्रिम का, 27.09 प्रतिशत जमा का, 10.42 प्रतिशत ब्याज आय का तथा 28.37 प्रतिशत ब्याज व्यय का कारोबार होता है।

हमारे विचार से तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त वित्तीय विवरणी बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के द्वारा बैंक के संबंध में यथा अपेक्षित, यथारूप अपेक्षित सूचना देता है तथा वह भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप है और यह निम्नलिखित बातों की जानकारी देता है:

- 31.03.2021 को तुलन पत्र तथा बैंक की स्थिति की सही तथा साफ छवि की
- उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि खाते में हानि के सही अतिशेष की तथा
- उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह की सही तथा साफ छवि की।

अभिमत का आधार

2. हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा की है जिसमें महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सार तथा अन्य व्याख्यात्मक नोट शामिल किए गए हैं। उन मानकों के तहत हमारे अन्य दायित्वों का विवरण हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणी भाग में लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के दायित्व के अंतर्गत दिया गया है। हम इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया के द्वारा जारी कोड ऑफ एथिक्स के साथ साथ वित्तीय विवरणी की हमारे द्वारा लेखा परीक्षा करने के लिए संगत अपेक्षित आचार के अनुसार हम बैंक से स्वतंत्र हैं तथा हमने इन अपेक्षाओं तथा कोड ऑफ एथिक्स की अपेक्षाओं को पूरा किया है। हम विश्वास करते हैं कि लेखा परीक्षा के लिए हमने जो साक्ष्य प्राप्त किया है वह हमारे विचार को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त तथा समुचित है।

3. ध्यान देने योग्य बातें

- हम कोविड- 19 वैश्विक महामारी के प्रभाव के संबंध में वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के नोट सं. 20 की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहेंगे। स्थिति अनिश्चित बनी हुई है और बैंक का वित्तीय प्रदर्शन भविष्य पर निर्भर है। बैंक निरंतर आधार पर सामना कर रही चुनौतियों से संबंधित स्थिति का मूल्यांकन कर रहा है। इन मामलों से संबंधित हमारी अवधारणा में संशोधन नहीं है।

मूल लेखा परीक्षा मामले

- मूल लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशागत निर्णय में चालू अवधि की वित्तीय विवरणी की हमारी लेखा परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्व के थे। इन मामलों को वित्तीय विवरणी की हमारी समग्र लेखा परीक्षा तथा उसपर अपना अभिमत बनाने के क्रम में बरता गया है तथा इन मामलों पर हम अलग से अपना कोई मत व्यक्त नहीं करते। नीचे दिए गए मामलों को अपनी रिपोर्ट में दर्ज करने के लिए हमने उसे मूल लेखा परीक्षा मामला माना है:

लेखापरीक्षा के प्रमुख विषय

अग्रिमों का वर्गीकरण, अनर्जक अग्रिमों की पहचान करना और उनका प्रावधान अग्रिमों के अंतर्गत

खरीदे एवं भुनाए गए बिल, नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट, मांग पर चुकाए जाने वाले ऋण और मीयादी ऋण। इन्हें बैंक / सरकारी गारंटी और असुरक्षित अग्रिमों के रूप में कवर की गई मूर्त संपत्ति (बुक देट के बदले अग्रिम) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

अग्रिमों को अर्जक और अनर्जक अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उन पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के

लेखापरीक्षा के प्रमुख विषयों पर लेखापरीक्षकों की प्रतिक्रिया

हमने आसित वर्गीकरण और इसके प्रावधान के संबंध में बैंक के सॉफ्टवेयर, भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों दिशानिर्देशों तथा निदेशों और बैंक के आंतरिक निर्देशों और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की और निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रिया अपनाई:

हमने अग्रिमों की निगरानी, पहचान / वर्गीकरण जिसमें संगत डाटा गुणता की जांच भी शामिल है, के संबंध में आईटी सॉफ्टवेयर नियंत्रण तथा अन्य महत्वपूर्ण आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की गुणवत्ता तथा सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट डाटा की समीक्षा, मूल्यांकन एवं जांच की।

लेखापरीक्षा के प्रमुख विषय

आधार पर प्रावधान किया जाता है। वर्गीकरण तथा प्रावधान बैंक के कोर बैंकिंग सौल्यूशन (सीबीएस) के तहत बैंक के आईटी साफ्टवेयर द्वारा किया जाता है। विवेकपूर्ण मानदंड के अनुसार एनपीए के लिए प्रावधान मुख्यतः उसके एनपीए होने की अवधि तथा उसके एवज में रखी हुई प्रतिभूति की वसूलीयोग्यता पर निर्भर है।

क्योंकि प्रतिभूति के मूल्यांकन में अनुमान और निर्णय का उच्च स्तर शामिल होता है, विवेकपूर्ण मानदंडों के किसी भी अनुचित आवेदन या प्रतिभूति के अवास्तविक मूल्य पर विचार करने की स्थिति में, अग्रिमों का अभिव्यक्त मूल्य व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से गलत तरीके से कहा जा सकता है और वित्तीय विवरणियों में अग्रिमों की राशि के महत्व को देखते हुए, अग्रिमों का वर्गीकरण तथा उन पर प्रावधानीकरण को हमारी लेखा परीक्षा में लेखापरीक्षा के प्रमुख विषय माना गया है।

निवेश का वर्गीकरण और मूल्यांकन, अनर्जक निवेश की पहचान और प्रावधान

निवेश में विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों, बांडों, डिबेंचर, शेयरों, प्रतिभूति रसीदों और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में बैंक द्वारा किए गए निवेश शामिल हैं।

ये आरबीआई के परिपत्रों और निर्देशों के अधीन प्रचालित होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के ये निर्देश, अन्य बातों के साथ-साथ निवेश का मूल्यांकन, निवेश का वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेश की पहचान, आय की संगत गैर-मान्यता और इसके एवज में किए प्रावधान को शामिल किए जाते हैं।

उपर्युक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन आरबीआई द्वारा जारी किए गए परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित विधि के अनुसार किया जाना है, जिसमें विभिन्न स्रोतों से डेटा / सूचना का संग्रह शामिल है, जैसे बीएसई / एनएसई द्वारा उद्धृत दरें, असूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण इत्यादि का मूल्यांकन, लेनदेन की मात्रा, त्वरित निवेश और विनियामक फोकस की डिग्री, जटिलताओं और निर्णय की सीमा को ध्यान में रखते हुए, इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा मानदंड के रूप में निर्धारित किया गया है।

तदनुसार, हमारा ऑडिट मूल रूप से निवेश के मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेश की पहचान और निवेश से संबंधित प्रावधान पर केंद्रित था।

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों सहित कुछ मुकदमों के संबंध में प्रावधान और आकस्मिक देनदारियों का आकलन, अन्य पार्टियों द्वारा दायर विभिन्न दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाना

बैंक कई कराधान और अन्य विवादों में शामिल है, जिसके अंतिम परिणामों की आसानी से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है और जिसके परिणामस्वरूप भारी देनदारियां हो सकती हैं। मुकदमों से जुड़े जोखिमों का मूल्यांकन जटिल धारणाओं पर आधारित है, जिसके लिए निर्णय करने की आवश्यकता होती है और इस तरह के निर्णय, मुख्य रूप से, कार्यवाही के परिणाम की भविष्यवाणी से जुड़ी अनिश्चितताओं के आकलन और वित्तीय वक्तव्यों में खुलासे की पर्याप्तता से संबंधित होते हैं। आवश्यक निर्णय, इस तरह के

लेखापरीक्षा के प्रमुख विषयों पर लेखापरीक्षकों की प्रतिक्रिया

वृहद और दबावग्रस्त अग्रिमों के टेस्ट जांच द्वारा परिचालनों / कार्यनिष्पादन और निगरानी की समीक्षा, एवं दस्तावेज़ीकरण ताकि किसी भी अग्रिम खाते में असंतोषजनक आचरण या कमजोरी का पता लगाया जा सके, यह सत्यापित किया जा सके कि इसका वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंड के अनुरूप है। इसके अलावा, हमने आंतरिक / विनियामक निरीक्षण, समवर्ती लेखा परीक्षकों आदि की कई रिपोर्टों का भी उल्लेख किया है और बैंक के अग्रिम पोर्टफोलियो पर इसकी टिप्पणियों के परिणामी प्रभाव का मूल्यांकन किया है।

निवेश के प्रति हमारा लेखा परीक्षा दृष्टिकोण भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र / निर्देशों के संदर्भ में मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान (एनपीआई), निवेश से संबंधित प्रावधान / मूल्यांकन के संबंध में आंतरिक नियंत्रण और टोस लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की समझ शामिल है।

हमने बैंक के आंतरिक नियंत्रण तंत्र का मूल्यांकन किया और देखा कि वर्गीकरण, एनपीआई की पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान / मूल्यांकन के संबंध में प्रासंगिक आरबीआई निर्देशों का अनुपालन किया जाता है या नहीं।

हमने इन निवेशों का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए विभिन्न स्रोतों जैसे एफआईएमएमडीए दरों, बीएसई / एनएसई आदि पर उद्धृत दरों से जानकारी एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया;

वर्तमान निवेश के चयनित नमूने के लिए, हमने आरबीआई के मास्टर परिपत्रों एवं निहित दिशा-निर्देश के साथ सटीकता और अनुपालन हेतु प्रत्येक वर्ग की प्रतिभूति का पुनर्मूल्यांकन कर परीक्षण किया।

हमने एनपीआई की पहचान की प्रक्रिया का और इसके विपरीत आय और प्रावधान के सृजन के उलट का आकलन और मूल्यांकन भी किया;

उपर्युक्त के अलावा, हमने आरबीआई के परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार प्रावधान को बनाए रखने और मूल्यांकन की फिर से गणना करने के लिए महत्वपूर्ण ऑडिट प्रक्रियाएं भी कीं। हमने आरबीआई के निर्देशों के संदर्भ में विभिन्न निवेश पोर्टफोलियो से जुड़े खुलासों की प्रस्तुतियों का भी मूल्यांकन किया।

इस प्रमुख लेखा परीक्षा के मामले के प्रत्युत्तर में हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में शामिल था :

- कानूनी और कर मुकदमों, और लंबित प्रशासनिक कार्यवाही की पहचान करने के लिए लागू प्रक्रिया और प्रासंगिक नियंत्रण का आकलन।
- विधिक पूर्वोदाहरणों तथा समान दावों के अन्य रूढ़िगों का विचार करते हुए बैंक द्वारा संभावित विधिक तथा कर जोखिमों के मूल्यांकन हेतु उपयोग की गई धारणा का आकलन।
- सबसे महत्वपूर्ण विवादों की स्थिति और प्रमुख प्रासंगिक प्रलेखों के निरीक्षण के बारे में कानूनी विभाग के साथ पूछताछ।

मुकदमों का महत्व और मूल्यांकन प्रक्रिया की जटिलता के कारण यह क्षेत्र हमारे ऑडिट के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया था।

- जहां कही उपलब्ध हो विशेषज्ञों से प्राप्त विचारों का विश्लेषण।
- वित्तीय विवरणी के नोट में प्रकटन की पर्याप्तता की समीक्षा।

कोविड-19 के प्रकोप के कारण संशोधित ऑडिट प्रक्रियाएँ:

कोविड 19 महामारी के प्रकोप के कारण सरकारी प्राधिकारियों द्वारा राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन और गतिशीलता प्रतिबंध लगाए गए थे, जिसे समय-समय पर बढ़ाया गया जो बैंक के वार्षिक वित्तीय समापन तथा बैंक की विभिन्न शाखाएं / अन्य कार्यालयों सहित इसकी लेखा-परीक्षा के समय के साथ जुड़ गया। लॉकडाउन संबंधी गतिशीलता प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए तथा आरबीआई द्वारा दूरस्थ आधार पर बैंक ऑडिट कार्य, जहाँ भी भौतिक पहुँच संभव नहीं थी, को करने के निदेश के अनुसरण में, कई शाखाओं-अंचलों - विभागीय कार्यालयों के मामले में दूरस्थ आधार पर लेखापरीक्षा की गई।

जैसा कि हम व्यक्तिगत रूप से / शारीरिक स्तर से या शाखाओं / अंचलों / कॉर्पोरेट कार्यालयों में अधिकारियों के साथ चर्चा और व्यक्तिगत बातचीत के माध्यम से लेखा परीक्षा के साक्ष्य एकत्र नहीं कर सके, हमने लेखा परीक्षा करने के लिए संशोधित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को अपनाया और इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामला माना गया। तदनुसार, सुदूर क्षेत्रों में लेखा परीक्षा करने के लिए हमारी ऑडिट प्रक्रियाओं को संशोधित किया गया था।

हमारी ऑडिट की अवधि के दौरान, सरकारी प्राधिकारियों द्वारा लगाए गए कोविड 19 महामारी संबंधी लॉकडाउन और गतिशीलता प्रतिबंधों के कारण, बैंक के कई लेखा परीक्षक आवंटित शाखाओं / क्षेत्रीय / विभागीय कार्यालयों तक नहीं पहुँचने के कारण ऐसे संबंधित कार्यालयों में भौतिक स्तर से लेखा परीक्षा नहीं कर पाए।

जहां भी जा पाना संभव नहीं थी, वहां बैंक द्वारा हमें डिजिटल माध्यम, ईमेल, सीबीएस के लिए दूरस्थ पहुँच / वैकल्पिक बैंक शाखाओं / कार्यालय स्थानों और अन्य प्रासंगिक एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवश्यक रिकॉर्ड / रिपोर्ट / दस्तावेज / प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए गए।

बताई गई सीमा तक, ऑडिट प्रक्रिया ऐसे दस्तावेजों, रिपोर्टों और रिकॉर्ड के आधार पर की गई, जो हमें उपलब्ध कराए गए थे, जो ऑडिट के लिए ऑडिट सबूत के रूप में और वर्तमान अवधि के लिए रिपोर्टिंग पर निर्भर थे।

इसके अलावा, हमने वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा पर कोविड 19 से संबंधित प्रभाव पर भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी किए गए विभिन्न मार्गदर्शन / परामर्श को भी ध्यान में रखा है।

उक्त के अनुसरण में हमने अपनी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को संशोधित किया है जो इस प्रकार है :

- ए. बैंकों की कुछ शाखाओं / अंचलों / अन्य कार्यालयों के संदर्भ में, जहाँ कहीं भी व्यक्तिगत दौरा / पहुँच संभव नहीं था, वहाँ सीबीएस / डिजिटल माध्यमों / ईमेल से उत्पन्न विवरणों आदि की समीक्षा सहित आवश्यक अभिलेखों और दस्तावेजों की जाँच की गई।
- बी. बैंक के सुरक्षित नेटवर्क पर ईमेल और सुदूर पहुँच के माध्यम से दस्तावेजों, विलेखों, प्रमाण पत्रों और संबंधित अभिलेखों की स्कैन की गई प्रतियाँ का सत्यापन कार्य किया गया।
- सी. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आपसी संवाद और फोन कॉल / कॉन्फ्रेंस कॉल, ईमेल और इसी तरह के संचार चैनलों पर चर्चा के माध्यम से आवश्यक लेखा परीक्षा के साक्ष्य जुटाए गए। बैंक के संबंधित अधिकारियों के साथ आमने-सामने की बातचीत के बजाय टेलीफोन के माध्यम से / ईमेल के माध्यम से हमारी ऑडिट टिप्पणियों का समाधान किया गया।

अन्य बातें

5. हमने बैंक के वित्तीय विवरणों में शामिल 1629 शाखाओं और 2 विदेशी शाखाओं के वित्तीय विवरणों / सूचनाओं का लेखा परीक्षा नहीं किया है, जिनकी वित्तीय विवरणी / वित्तीय जानकारी 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कुल अग्रिम रु. 68,198.98 करोड़ कुल ब्याज आय रु. 4018.08 करोड़ रुपये दर्शाती है, जैसा कि वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों / सूचनाओं का लेखा-जोखा शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, और अब तक हमारी राय में इस तरह के शाखा लेखा परीक्षकों की यह शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरण से संबंधित है, जो पूरी तरह से रिपोर्ट पर आधारित हैं।

उपर्युक्त मामले के संबंध में हमारी अवधारणा में परिवर्तन नहीं है।

वित्तीय विवरणी तथा उसपर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से इतर सूचना

6. बैंक का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचनाओं में प्रबंधन विमर्श और विश्लेषण, निदेशक की रिपोर्ट, बासेल III के तहत आधार 3 प्रकटन, लिवरेज अनुपात, तरलता कवरेज अनुपात, कॉर्पोरेट प्रशासन और शेयरधारकों की जानकारी शामिल है। लेकिन उसमें वित्तीय विवरण और उसपर हमारे लेखा परीक्षण की रिपोर्ट शामिल नहीं है, जो उस तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और बेसल III के तहत स्तम्भ 3 प्रकटीकरण और हम उसपर कोई आश्वासन निष्कर्ष नहीं देते हैं।

वित्तीय विवरणों के ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी उपर्युक्त में पहचान की गई अन्य जानकारी को पढ़ने की है और ऐसा करते हुए, हमें विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ गंभीर रूप से असंगत है या ऑडिट के संबंध में हमारी जानकारी, या और कोई बात प्रधान रूप से गलत रूप से कहीं (मिसस्टेटमेंट) गई प्रतीत होती है।

यदि, इस लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख से पहले प्राप्त की गई अन्य जानकारी पर हमने जो काम किया है, उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में कुछ महत्वपूर्ण गलत कथन (मिसस्टेटमेंट) है। हमसे उस तथ्य की रिपोर्ट करने की अपेक्षा है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

जब हम निदेशकों की रिपोर्ट पढ़ते हैं, जिसमें वार्षिक रिपोर्ट में अनुलग्नक, यदि कोई हो, तो, यदि हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि इसमें कोई सामग्री गलत है, तो हमें इस मामले को इससे संबंधित विभाग को बताना होगा।

प्रबंधन तथा वित्तीय विवरणी के गवर्नेस के लिए प्रभारीजनों का दायित्व

7. बैंक के निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणियों जो आमतौर पर भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तथा आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक, और समय-समय पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र और दिशानिर्देश को शामिल करते हुए वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और बैंक के नकदी प्रवाह के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है, की प्रस्तुति के संबंध में जिम्मेदार हैं। इस जिम्मेदारी में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव, उचित लेखांकन नीतियों का चयन और उसका प्रयोग; जो उचित और विवेकपूर्ण हैं जैसे निर्णय करना और धारणा बनाना और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन करना, कार्यान्वयन और रखरखाव करना, जो कि लेखांकन के रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और जिसमें चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण ही सही खास बातों का गलत कथन नहीं हो, भी शामिल है।

वित्तीय विवरणी तैयार करने में प्रबंधन का यह दायित्व है कि वह यथा प्रयोज्य रूप में चल संस्थान के संबंध में मामलों को प्रकट करते हुए यदि प्रबंधन लिक्विडेट करने, परिचालन बंद करने अथवा ऐसा करने के अतिरिक्त उसके पास कोई वास्तविक विकल्प न बचा हो इनमें से किसी प्रकार की योजना न हो तो चल संस्थान लेखाकरण आधारों का उपयोग करते हुए यह सुनिश्चित करे कि बैंक एक चल संस्थान के रूप में कारोबार करने में सक्षम है।

वित्तीय विवरणी की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षकों के दायित्व

8. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरण चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण ही क्यों न हो, प्रमुख रूप से गलत कथन से मुक्त हैं, और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी ओपीनियन भी शामिल होगी। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई परीक्षा यदि विद्यमान हो तो, किसी महत्वपूर्ण गलत कथन (मिस स्टेटमेंट) का पता हमेशा लगा ही लेगी। गलत कथन (मिस स्टेटमेंट) धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और इन्हें मेटेरियल तभी माना जाता है जब व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप में इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने में समर्थ हों।

इस के अनुसार किसी लेखा परीक्षा के एक अंग के रूप में हम संपूर्ण लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर निर्णय लेते हैं तथा पेशेवर संशयवादिता रखते हैं। हम यह भी कहते हैं:

- वित्तीय विवरणी के महत्वपूर्ण मिसस्टेटमेंट के जोखिम की पहचान तथा उसका आकलन चाहे वे कपट के कारण हुए हों या त्रुटि वश। हम अपनी लेखा परीक्षा को उन जोखिमों के प्रति अनुक्रियाशील बनाने के लिए डिजाइन तथा उसे पूरा करते हैं तथा ऐसा लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्तकरते हैं जो हमारे अभिमत को आधार देने में पर्याप्त तथा समुचित सिद्ध हों। चूंकि कपट में मिलीभगत, कपट, धोखाधड़ी, जानबूझ कर की गई चूक, मिस प्रेसेंटेशन अथवा इंटरनेट नियंत्रण की अवहेलना शामिल है, कपट के कारण हुए महत्वपूर्ण मिसस्टेटमेंट के जोखिम का पता न लगा पाना त्रुटि के कारण हुए महत्वपूर्ण मिसस्टेटमेंट के जोखिम का पता न लगा पाने से ज्यादा गंभीर बात है।
- प्रयुक्त लेखाकरण मानदंडों की समुचितता का मूल्यांकन करना तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखाकरण प्रावकलन तथा संबंधित प्रकटन की तार्किकता का पता लगाना।
- लेखाकरण के गोइंग कंसर्न आधार के प्रबंधन प्रयोग की तर्कसंगतता पर निष्कर्ष व्यक्त करना तथा प्राप्त किए गए लेखाकरण साक्ष्यों के आधार पर एक चल संस्थान के रूप में बैंक के बने रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करनेवाली महत्वपूर्ण अनिश्चयता है या नहीं यह बताना। यदि हम यह निष्कर्ष दें कि एक महत्वपूर्ण अनिश्चयता है तो हमें अपने लेखापरीक्षण रिपोर्ट में वित्तीय विवरणी में संबंधित प्रकटन के अंतर्गत इस ओर ध्यान खींचना होगा, यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हुए तो हमें अपने अभिमत में आशोधन करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारीलेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित है। तथापि, भविष्य की घटनाएं तथा परिस्थितियां बैंक को एक चल संस्थान (गोइंग कंसर्न) के रूप में जारी रहने से रोक भी सकती हैं।
- प्रकटनों सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं कि निष्पक्ष प्रस्तुति हो सके।
- जो गवर्नेस के प्रभार में हैं हम उन लोगों से अन्य मामलों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध क्षेत्र एवं समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों जिसमें हमारे द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आई आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की महत्वपूर्ण कमियां भी शामिल हैं, के विषय में बातचीत करते हैं।
- जो गवर्नेस के प्रभार में हैं हम उन लोगों को स्वतंत्रता के उम्र बनाई गई वह विवरणी भी उपलब्ध कराते हैं जिसे हमने संगत आचारगत अपेक्षाओं के साथ तैयार किया है तथा उनसे हम उन संबंधों तथा अन्य बातों के विषय में भी बताते हैं जिनका प्रभाव हमारी स्वतंत्रता पर पड़ता हुआ समझा जा सकता है। जहां आवश्यक हुआ हम संबंधित सुरक्षा के विषय में भी बताते हैं।
- जो गवर्नेस के प्रभार में हैं उनसे हुई बातों से हमने उन बातों का निश्चय किया जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणी की लेखापरीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इस प्रकार वे महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले (की ऑडिट मैटर) हैं। यदि हमें विधि एवं विनियम मामले को सार्वजनिक प्रकटन से वारित न करे अथवा जब अत्यंत विरल दशा में हमें किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में प्रकट न करने का निर्णय करें करें क्योंकि ऐसा करने का विपरीत प्रभाव जैसे संवाद के लोकहित लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, हम इन बातों को अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में रिपोर्ट करते हैं।

अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

9. बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किया गया है;
10. उक्त पैराग्राफ 5 एवं 6 में दर्शित लेखापरीक्षा की सीमाओं के अध्यक्षीन तथा बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम 1970/1980 तथा उसमें अभिव्यक्त प्रकटन की सीमाओं के अध्यक्षीन जैसा कि बैंकिंग विनियमन, 1949 की धारा 30 की उपधारा (3) के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:
- (क) हमने वे सभी जानकारियां और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे ऑडिट के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है;
- (ख) बैंक के जो लेन देन जो हमारे संज्ञान में आए हैं, बैंक की शक्तियों के भीतर हुए हैं; तथा
- (ग) हमारे ऑडिट के उद्देश्यों के लिए बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त रिटर्न पर्याप्त पाए गए हैं ।

11. इसके आगे हम रिपोर्ट करते हैं कि

- (क) हमारी राय में, विधि द्वारा यथावश्यक खातों की उचित बहियां बैंक द्वारा तक रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी परीक्षा से प्रकट होता है और जिन शाखाओं का हमने दौरा नहीं किया उन शाखाओं से प्राप्त विवरणियां हमारी लेखा परीक्षा उद्देश्य के लिए पर्याप्त है;
- (ख) इस रिपोर्ट में बरता गया तुलनपत्र, लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरणी, खाते की बहियों के साथ और हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई शाखाओं/कार्यालयों से प्राप्त विवरणियों के साथ संगत हैं;
- (ग) शाखा कार्यालयों के खातों पर रिपोर्ट जिनका लेखा परीक्षण बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 के अनुसरण के प्रावधान के अनुसार में बैंक के लेखापरीक्षकों ने किया है जो हमारे पास भेजे गए हैं, इस रिपोर्ट को तैयार करते समय उन्हें भली-भांति बरता गया है।
- (घ) हमारी राय में, तुलनपत्र, लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरणी प्रयोज्य लेखाकरण मानकों का अनुपालन करते हैं, जहां तक वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखाकरण नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।
12. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति - वित्तीय वर्ष 2019-20 से एससीए के लिए दायित्वों की रिपोर्टिंग, के साथ पठित बाद में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी संचार दिनांक 19 मई, 2020, के संबंध में पत्र सं. डीओएस.एआरजी.सं.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 की आवश्यकता के अनुसार आगे हम उपर्युक्त पत्र में निर्दिष्ट मामलों पर रिपोर्ट प्रस्तुत हैं जो इस प्रकार है:
- (क) हमारे विचार में, उपर्युक्त वित्तीय विवरण आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानकों का प्रत्येक दृष्टिकोण से अनुपालन करते हैं और वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।
- (ख) वित्तीय लेनदेन या उन मामलों पर कोई अवलोकन या टिप्पणी नहीं है जिनका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- (ग) 31 मार्च, 2020 तक निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के अनुसार 31 मार्च, 2020 तक किसी भी निदेशक को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
- (घ) खातों के रखरखाव और संबंधित अन्य मामलों से संबंधित कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।
- (ङ) जैसा कि बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 से "आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों" को वित्तीय वर्ष 2020-21 से लागू करने के विकल्प का प्रयोग किया है जैसा कि आरबीआई ने 19 मई, 2020 को अनुमति दी थी, हम इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं देते हैं।

कृते रावला एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन 001661एन

(सीए यश पाल रावला)
भागीदार
एमआरएन 010475
यूडीआईएन: 21010475AAAAAS1912

कृते आर गोपाल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000846 सी

(सीए राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
भागीदार
एमआरएन 051979
यूडीआईएन: 21051979AAAAABQ1904

कृते खंडेलवाल काकानी एंड कं.
सनदी लेखाकार,
एफआरएन 001311 सी

(सीए वी के खंडेलवाल)
भागीदार
एमआरएन 070546
यूडीआईएन: 21070546AAAAABL4114

कृते एस के अग्रवाल एंड कं. चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार,
एफआरएन 306033 ई/ ई 300272

(सीए संदीप अग्रवाल)
भागीदार
एमआरएन 058553
यूडीआईएन: 21058553AAAAABH5076

कृते घोषाल एंड घोषाल
सनदी लेखाकार
एफआरएन 304013 ई

(सीए सोमनाथ विश्वास)
भागीदार
एमआरएन 064735
यूडीआईएन: 21064735AAAAABZ9668

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 27-05-2021

Independent Auditors' Report

To
The Members of UCO Bank
Report On The Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying financial statements of UCO Bank("the Bank"), which comprises the Balance Sheet as at 31st March, 2021, and the Statement of Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to the financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are incorporated the returns for the year ended on that date of:

- i) 21 branches inclusive of one treasury branch audited by us
- ii) 1629 branches (including Service branches) audited by statutory branch auditors
- iii) 2 overseas branches audited by overseas local auditors.

The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement are the returns from 1419 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 8.06 per cent of advances, 27.09 per cent of deposits, 10.42 per cent of interest income and 28.37 per cent of interest expenses.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 in the manner so required for bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and give:

- a. true and fair view in case of the Balance sheet, of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2021;
- b. true balance of profit in case of the Profit and loss account for the year ended on that date; and
- c. true and fair view of cash flows in case of statement of cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

2. We conducted our audit of the financial statements in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the financial statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the code of ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

3. Emphasis of Matter

i) We draw attention to Note No. 20 of Schedule 18 of the Financial Statements regarding impact of COVID-19 pandemic. The situation continues to be uncertain and Bank's financial performance is dependent on future development. Bank is evaluating the situation on an ongoing basis with respect to the challenges faced.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

4. Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report:

Key Audit Matters	Auditor's Response to Key Audit Matters
<p>Classification of Advances, Identification and Provisioning for non-performing advances</p> <p>Advances include Bills purchased and discounted, Cash credits, Overdrafts, Loans repayable on demand and Term loans. These are further categorized as secured by Tangible assets (including advances against Book Debts), covered by Bank/ Government Guarantees and Unsecured advances.</p> <p>The advances are classified as performing and non-performing advances (NPA) and provisioning thereon is made in</p>	<p>We obtained an understanding of the Bank's Software, circulars, guidelines and directives of the RBI and the Bank's internal instructions and procedures in respect of asset classification and its provisioning and adopted the following audit procedures</p> <p>We evaluated and tested of the effectiveness of the IT software controls and other key internal control mechanisms with respect to the advances monitoring, identification/ classification, including testing of relevant data quality, and review of the data entered in the software.</p>

Key Audit Matters	Auditor's Response to Key Audit Matters
<p>accordance with the prudential norms as prescribed by the Reserve Bank of India (RBI). The classification and provisioning is done by Bank's IT software under its Core Banking Solution (CBS).The extent of provisioning of NPA under the prudential norms are mainly based on its ageing and recoverability of the underlined security.</p> <p>In the event of any improper application of the prudential norms or consideration of the incorrect value of the security, as the valuation of the security involves high degree of estimation and judgement, the carrying value of the advances could be materially misstated either individually or collectively, and in view of the significance of the amount of advances in financial statements, the classification of the advances and provisioning thereon has been considered as Key Audit Matter in our audit.</p>	<p>Review of the documentations, operations/ performance and monitoring of the advance accounts, on test check basis of the large and stressed advances, to ascertain any overdue unsatisfactory conduct or weakness in any advance account, to verify that its classification is in accordance with the prudential norms of RBI. Further, we have also referred many of the reports of the internal/regulatory inspection, concurrent auditors etc. and evaluated the consequent impact of the observations therein on the advance portfolio of the Bank.</p>
<p>Classification and Valuation of Investments, Identification of and provisioning for Non-Performing Investments</p> <p>Investments include investments made by the Bank in various Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security receipts and other approved securities.</p> <p>These are governed by the circulars and directives of the RBI. These directions of RBI, inter-alia, cover valuation of investments, classification of investments, identification of non-performing investments, the corresponding non-recognition of income and provision there against.</p> <p>The valuation of each category (type) of the aforesaid securities is to be done as per the method prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/information from various sources such as FIMMDA rates, rates quoted on BSE/NSE, financial statements of unlisted companies etc. Considering the complexities and extent of judgement involved in the valuation, volume of transactions, investments on hand and degree of regulatory focus, this has been determined as a Key Audit Matter.</p> <p>Accordingly, our audit was focused on valuation of investments, classification, identification of non-performing investments and provisioning related to investments.</p>	<p>Our audit approach towards Investments with reference to the RBI Circulars/directives included the understanding of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of non-performing investments (NPIs), provisioning/depreciation related to Investments.</p> <p>We evaluated and made an understanding of the Bank's internal control mechanism to comply with relevant RBI directions regarding valuation, classification, identification of NPIs, provisioning/depreciation related to investments;</p> <p>We also assessed and evaluated the process adopted for collection of information from various sources like FIMMDA rates, rates quoted on BSE/NSE etc, for determining fair value of these investments;</p> <p>For the selected sample of investments in hand, we tested accuracy and compliance with the RBI Master Circulars and directions by re-performing valuation for each category of the security.</p> <p>We also assessed and evaluated the process of identification of NPIs and corresponding reversal of income and creation of provision thereagainst;</p> <p>In addition to above, we also carried out substantive audit procedures to re-compute independently the provision to be maintained and depreciation to be provided in accordance with the circulars and directives of the RBI. We also evaluated the presentations of the various investment portfolio related disclosures in terms of RBI directions.</p>
<p>Assessment of Provisions and Contingent liabilities in respect of certain litigations including Direct and Indirect Taxes, various claims filed by other parties not acknowledged as debt</p> <p>The Bank is involved in a number of taxation and other disputes for which final outcomes cannot be easily predicted and which could potentially result in significant liabilities. The assessment of the risks associated with the litigations is based on complex assumptions, which require the use of judgement and such judgement relates, primarily, to the assessment of the uncertainties connected to the prediction of the outcome of the proceedings and to the adequacy of the disclosures in the financial statements. Because of the judgement required,</p>	<p>Our audit procedure in response to this key Audit Matter included</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Assessment of the process and relevant controls implemented to identify legal and tax litigations, and pending administrative proceedings. ● Assessment of assumptions used in the evaluation of potential legal and tax risks performed by the Bank considering the legal precedence and other rulings in similar cases. ● Inquiry with the legal department regarding the status of the most significant disputes and inspection of the key relevant documentation.

the materiality of such litigations and the complexity of the assessment process, the area was considered a key matter for our audit.

- Analysis of opinion received from the experts where ever available.
- Review of the adequacy of the disclosures in the notes to the financial statements.

Modified Audit Procedures carried out in light of COVID-19 outbreak:

With the outbreak of COVID 19 pandemic, lockdown in various states and mobility restrictions were imposed by the Government authorities, which has been extended from time to time and coincides with the timing for annual financial closing of the bank as well as with the audit of the bank including its various branches/other offices. Considering the lockdown related mobility restrictions and RBI advisory to facilitate undertaking of the bank audit on remote basis, wherever, physical access was not feasible. As a consequent of the above, in case of many branches-zones-departmental offices audit were undertaken on remote basis.

As we could not gather audit evidence in person /physically or through discussions and personal interactions with the officials at the Branches/Zonal/Corporate Offices, we have to adopt modified audit procedures to undertake the audit and the same has been considered as a Key Audit Matter. Accordingly, our audit procedures were modified to carry out the audit remotely.

During the period of our audit, due to the COVID 19 Pandemic related lockdown and mobility restrictions as imposed by the Government authorities, many of the auditors of the Bank could not undertake travel to the allocated Branches/Zonal/ Departmental Offices and carry out the audit processes physically at such respective branches/offices.

Wherever physical access was not possible, necessary records/ reports/ documents/ certificates were made available to us by the Bank through digital medium, emails, remote access to CBS/access through alternative Bank branches/office locations and other relevant application software.

To the said extent, the audit process were carried out on the basis of such documents, reports and records made available to us which were relied upon as audit evidence for conducting the audit and reporting for the current period.

Further, we have also considered the various guidance/ advisory issued by the Institute of Chartered Accountants of India on the COVID 19 related impact on the audit of financial statements.

In the backdrop of above, we have suitably modified our audit procedures as follows:

- a. In respect of the certain branches/zones/Other offices of the banks, checking of necessary records and documents including review of the CBS housed/generated statements through digital mediums/emails etc, wherever, physical visit/ access was not feasible.
- b. Undertaking verification of scanned copies of the documents, deeds, certificates and the related records as made available to us through emails and remote access over secure network of the Bank.
- c. Making enquiries and gathering necessary audit evidence through Video Conferencing, dialogues and discussions over phone calls/conference calls, emails and similar communication channels. Resolution of our audit observations telephonically/ through email instead of a face-to-face interaction with the concerned officials of the Bank.

Other Matters

5. We did not audit the financial statements / information of 1629 branches and 2 overseas branches included in the Financial Statements of the Bank whose financial statements/ financial information reflects total advances of Rs. 68,198.98 crore at 31st March, 2021 and total interest income of Rs. 4018.08 crore for the year ended on that date, as considered in the Financial Statements. The financial statements/ information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and in our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, are based solely on the report of such branch auditors.

Our opinion is not modified in respect of above matter.

Information other than the Financial Statements and Auditors' Report Thereon

6. The Bank's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information primarily comprises the information included in the Management Discussion and Analysis, Director's Report, Pillar 3 Disclosures under Basel III, Leverage Ratio, Liquidity Coverage Ratio, Corporate Governance and Shareholders Information but does not include the financial statements and our auditor's report thereon, which is expected to be made available to us after that date.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosures under the Basel III disclosure and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of this auditors' report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

When we read the Directors' Report, including annexures in annual report, if any, thereon, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

7. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

8. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements. As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
- We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.
- From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

9. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;
10. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 5 and 6 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein as required by sub-section (3) of section 30 of the Banking Regulation, 1949, we report that:
- We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
 - The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and
 - The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.
11. We further report that:
- in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purpose of our audit have been received from branches/offices not visited by us;
 - the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us;
 - the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank as per the provisions under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and
 - In our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.
12. As required by letter No. DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks - Reporting obligations for SCAs from FY 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by the RBI, we further report on the matters as specified in the aforesaid letter as under:
- In our opinion, the aforesaid Financial Statements comply with the Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.
 - There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the bank.
 - On the basis of the written representations received from the directors as on March 31, 2021, none of the directors is disqualified as on March 31, 2021 from being appointed as a director in terms of sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013.
 - There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.
 - Our audit report on the operating effectiveness of the internal financial controls over financial reporting of the Bank is given in Annexure A to this report. Our report expresses an unmodified opinion on the operating effectiveness of internal financial controls over financial reporting of the Bank as at 31st March 2021

For RAWLA & CO
Chartered Accountants
FRN 001661N

(CAYASH PAL RAWLA)
Partner
MRN 010475
UDIN: 21010475AAAAAS1912

For R GOPAL & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 000846C

(CA RAJENDRA PRASAD AGARWAL)
Partner
MRN 051979
UDIN: 21051979AAAAAQ1904

For KHANDELWAL KAKANI & CO
Chartered Accountants
FRN 001311C

(CA V K KHANDELWAL)
Partner
MRN 070546
UDIN: 21070546AAAAABL4114

For S K AGRAWAL AND CO CHARTERED ACCOUNTANTS LLP
Chartered Accountants
FRN 306033E/E300272

(CA SANDEEP AGRAWAL)
Partner
MRN 058553
UDIN: 21058553AAAAABH5076

For GHOSHAL & GHOSAL
Chartered Accountants
FRN 304013E

(CA SOMNATH BISWAS)
Partner
MRN 064735
UDIN: 21064735AAAAABZ9668

Place: Kolkata
Dated : 27-05-2021

स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट- अनुबंध- ए
Annexure A to the Independent Auditor's Report

(सम तिथि पर हमारी रिपोर्ट खंड 'अन्य विधिक एवं नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' के अंतर्गत पैराग्राफ 10(अ) में संदर्भित)
(Referred to in paragraph 10(a) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section
of our report of even date)

भारतीय रिजर्व बैंक (द 'आरबीआई') के पत्र डीओएस.एआरजी.सं. 6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 (यथासंशोधित), (द 'आरबीआई पत्राचार') द्वारा अपेक्षित वित्तीय रिपोर्टिंग के अतिरिक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता पर रिपोर्ट
Report on the Operating Effectiveness of Internal Financial Controls Over Financial Reporting as required by the Reserve Bank of India (the "RBI") Letter DOS.ARG.No. 6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended), (the "RBI communication")

- हमने उस तिथि पर समाप्त वर्ष हेतु बैंक की वित्तीय विवरणी के लेखापरीक्षा के साथ संयोजक के रूप में 31 मार्च, 2021 तक यूको बैंक ('द बैंक') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावीलता का लेखापरीक्षा किया है जिसमें बैंक शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल है।

We have audited the Operating Effectiveness of internal financial controls over financial reporting of UCO Bank ('the "Bank") as of 31st March 2021 in conjunction with our audit of the financial Statements of the Bank for the year ended on that date which includes internal financial controls over financial reporting of the Banks branches.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी

Management's Responsibility for Internal Financial Controls over Financial Reporting

- भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक तत्वों के बारे में विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों के अतिरिक्त आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को बनाए रखने एवं स्थापित करने की जिम्मेदारी बैंक प्रबंधन की है। इन जिम्मेदारियों में डिजाइन, समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कार्यान्वयन एवं रखरखाव भी शामिल है जिसे बैंक की नीतियों का पालन, इसकी आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और गलतियों का पता लगाना एवं निवारण, लेखा संबंधी अभिलेखों की परिशुद्धता एवं पूर्णता सहित इसके कारोबार को व्यवस्थित एवं कुशल संचालन सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी रूप से संचालित किया गया तथा बैंकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों के अंतर्गत अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचनाओं को समय पर तैयार करना भी शामिल है।

The Management of the Bank is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business including adherence to Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India.

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी/Auditor's Responsibility

- हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता पर अपनी राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की डिजाइन एवं कार्यान्वयन डिजाइन की उपयुक्तता का मूल्यांकन शामिल है।

Our responsibility is to express an opinion on the operating effectiveness of internal financial controls over financial reporting of the Bank based on our audit. Our audit of internal financial controls over financial reporting includes an evaluation of the adequacy of the design and implementation of such internal financial controls over financial reporting.

- हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (द 'आसीएआई') द्वारा जारी (द 'गाइडेंस नोट') तथा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग (एसए) के गाइडेंस नोट के अनुसार लेखापरीक्षा किया है जोकि आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर किसी सीमा तक प्रयोज्य है। उन मानदंडों एवं गाइडेंस नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी रूप से संचालित हुआ है, के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें।

We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "ICAI") and the Standards on Auditing (SAs)

issued by the ICAI, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting operated effectively in all material respects.

5. हमारी लेखापरीक्षा में बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा प्रमाणन प्राप्त करने हेतु कार्यनिष्पादन प्रक्रिया शामिल है। चयनित प्रक्रिया वित्तीय विवरणियों के गलत अनुमान चाहे धोखाधड़ी के हों या गलती से किए गए हों, के जोखिम के मूल्यांकन के साथ वित्तीय विवरणियां लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करते हैं।

Our audit involves performing procedure to obtain audit evidence about the operating effectiveness of the internal financial control over financial reporting of the Bank. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risk of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

6. हम विश्वास करते हैं कि जो लेखापरीक्षा संबंधी साक्ष्य हमें मिले हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी लेखापरीक्षा राय हेतु आधार मुहैया कराने के लिए पर्याप्त और उचित हैं।

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the operating effectiveness of the Bank's internal financial controls over financial reporting.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का आय -

Meaning of internal Financial Controls over Financial Reporting

7. किसी बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता तथा लेखा सिद्धांतों पर सामान्यतः स्वीकार्य के अनुसार बाह्य प्रयोजनों हेतु वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के संबंध में यथोचित आश्वासन देती है। किसी बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां एवं प्रक्रियाएं शामिल हैं जो- (1) अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित जिसमें बैंक की आस्तियों के लेनदेन एवं वृत्तियां में सही और निष्पक्ष रूप से उचित विवरण हों (2) उचित आश्वासन प्रदान करना कि आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणियों को तैयार करने की अनुमति देने के लिए लेनदेन आवश्यक रूप से दर्ज किए जाते हैं और बैंक की प्राप्तियां एवं व्यय केवल बैंक के प्रबंधन एवं निदेशकों के अनुसार किए जा रहे हैं, और (3) बैंक की आस्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या स्वरूप का समय पर पता लगाना या निवारण के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान कराना जिससे वित्तीय विवरणियों के भौतिक प्रभाव का पता लगाया जा सके।

A Bank's internal financial controls over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Bank's internal financial controls over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank, (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the Bank, and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the financial statements.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

8. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें नियंत्रण पर अनुचित प्रबंधन का दबाव या आपसी सांठगांठ की संभावना या चूक या धोखाधड़ी के कारण भौतिक गड़बड़ी हो सकती है और जिसका पता नहीं चला हो। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन का कोई पूर्वानुमान जोखिम के अधीन है क्योंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है अथवा स्थितियों में बदलाव, या नीतियों या प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकती है।

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial controls over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

विचार / Opinion

9. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, बैंक के पास सभी भौतिक मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण है, और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2021 तक प्रभावी रूप से संचालित हो रहे थे और यह भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट में वर्णित आंतरिक

नियंत्रण के आवश्यक घटकों के बारे में विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदंडों पर आधारित है।
In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us, the Bank has, in all material respects, adequate internal financial controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2021, based on the criteria for internal control over financial reporting established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

अन्य मामले / Other Matters

10. हमारी उक्त रिपोर्ट, जहां तक कि 1631 शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के प्रभावपूर्ण परिचालन से संबंधित है और यह उन शाखाओं से संबंधित शाखा लेखापरीक्षकों की तत्सम्बंधी रिपोर्टों पर आधारित है।

इस मामले में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

Our aforesaid report insofar as it related to the operating effectiveness of internal control over financial reporting of 1631 branches are based on the corresponding reports of the respective branch auditors of those branches.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

कृते रावला एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन 001661एन
For RAWLA & CO
Chartered Accountants
FRN 001661N

(सीए यश पाल रावला)
भागीदार
एमआरएन 010475
यूडीआईएन: 21010475AAAAAS1912
(CA YASH PAL RAWLA)
Partner
MRN 010475
UDIN: 21010475AAAAAS1912

कृते आर गोपाल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000846 सी
For R GOPAL & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 000846C

(सीए राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
भागीदार
एमआरएन 051979
यूडीआईएन: 21051979AAAABQ1904
(CA RAJENDRA PRASAD AGARWAL)
Partner
MRN 051979
UDIN: 21051979AAAABQ1904

कृते खंडेलवाल काकानी एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन 001311 सी
For KHANDELWAL KAKANI & CO
Chartered Accountants
FRN 001311C

(सीए वी के खंडेलवाल)
भागीदार
एमआरएन 070546
यूडीआईएन: 21070546AAAABL4114
(CA V K KHANDELWAL)
Partner
MRN 070546
UDIN: 21070546AAAABL4114

कृते एस के अग्रवाल एंड कं. चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 306033 ई/ ई300272
For S K AGRAWAL AND CO CHARTERED ACCOUNTANTS LLP
Chartered Accountants
FRN 306033E/E300272

(सीए संदीप अग्रवाल)
भागीदार
एमआरएन 058553
यूडीआईएन: 21058553AAAABH5076
(CA SANDEEP AGRAWAL)
Partner
MRN 058553
UDIN: 21058553AAAABH5076

कृते घोषाल एंड घोषाल
सनदी लेखाकार
एफआरएन 304013 ई
For GHOSHAL & GHOSAL
Chartered Accountants
FRN 304013E

(सीए सोमनाथ विश्वास)
भागीदार
एमआरएन 064735
यूडीआईएन: 21064735AAAABZ9668
(CA SOMNATH BISWAS)
Partner
MRN 064735
UDIN: 21064735AAAABZ9668

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated : 27-05-2021

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

ब्योरे/Particulars	31.3.2021 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2021 ₹	31.3.2020 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2020 ₹
अ. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह:		
A. Cash flow from operating activities :		
कर पूर्व निवल लाभ /Net Profit before taxes	(849387)	(37125389)
समायोजन / Adjustments for :		
अचल आस्तियों पर अवक्षयण/ Depreciation on fixed assets	1344161	1372893
निवेश पर अवक्षयण/प्रावधान/Depreciation/Provision on investments	1377032	5304824
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान /Provision for non-performing assets	27340267	61438130
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Standard Assets	110245	(23932)
अन्य मदों के लिए प्रावधान / Provision for other items	20942959	6005254
अचल आस्तियों की बिक्री पर (लाभ)/ हानि /(Profit)/Loss on sale of fixed assets	209586	(1062)
गौण ऋण पर ब्याज के भुगतान/प्रावधान (इसे अलग माना गया)		
Interest paid on subordinated debt (treated separately)	2760234	1586520
अनुषंगियों/अन्य से प्राप्त लाभांश		
Dividend received	(92857)	(89780)
टियर-II बॉण्डों से प्राप्त ब्याज (इसे अलग माना गया)		
Interest received from Tier-II Bonds (treated separately)	(4525)	(14177)
अपर टियर-2 ऋण लिखतों पर प्रदत्त ब्याज (इसे अलग रखा गया)		
Interest paid on Upper Tier-2 Debt Instruments (treated separately)	0	1835952
उप-योग/Sub-total	53137715	40289232
घटाव : प्रदत्त प्रत्यक्ष कर/Less: Direct Tax Paid	0	0
	53137715	40289232
समायोजन/Adjustments for :		
निवेश में (वृद्धि)/कमी हेतु / (Increase)/Decrease in investments	(29218401)	(92976036)
अग्रिम में (वृद्धि)/कमी हेतु /(Increase)/Decrease in advances	(129143147)	(80042236)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी हेतु /(Increase)/Decrease in other assets	22274657	11469986
उधार में (वृद्धि)/कमी हेतु /Increase/(Decrease) in borrowings	(12541835)	70184282
जमा में (वृद्धि)/कमी हेतु /Increase/(Decrease) in deposits	127159509	(47033382)
अन्य देनदारियों एवं प्रावधान में (वृद्धि)/कमी हेतु		
Increase/(Decrease) in other liabilities & provisions	(7447540)	(8476005)
परिचालन कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह (अ)	24220959	(106584159)
आ. निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह:		
B. Cash flow from investing activities :		
अचल आस्तियों की खरीद/Purchase of fixed assets	(1458648)	(1432220)
अचल आस्तियों की बिक्री/निपटान/Sale/disposal of fixed assets	(183947)	200148
प्राप्त लाभांश/Dividend received	92857	89780

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण (जारी)
STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR
ENDED 31ST MARCH, 2021 (Contd.)

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

ब्योरे/Particulars	31.3.2021 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2021	31.3.2020 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2020
	₹	₹
टियर-II बांडों से प्राप्त ब्याज/Interest received from Tier-II Bonds	4525	14177
निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (आ)		
Net cash flow from investing activities (B)	(1545213)	(1128115)
इ. वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह/		
C. Cash flow from financing activities :		
ईक्विटी शेयरों का अधिमानी निर्गम/Preferential allotment of Equity Shares	0	25561436
ईक्विटी शेयरों के निर्गम पर शेयर प्रीमियम /Share Premium on issue of Equity Shares	0	17158564
भारत सरकार द्वारा दी गई पूँजी (शेयर एप्लिकेशन मुद्रा में रखा गया)		
Capital infusion by GOI (Kept in Share Application Money)	26000000	0
बासेल -III अनुपालित टीयर-2 बॉण्ड जारी करना /		
Issue of Basel-III compliant Tier 2 Bonds	0	10000000
अपर टियर-2 बॉण्डों का मोचन/Redemption of Upper Tier-2 Bonds	0	(5000000)
गौण ऋण का मोचन /Redemption of Subordinated Debts	0	(10750000)
नाबार्ड / सिडबी/एनएचबी से पुनर्वित्त प्राप्त/ को मोचन /		
Refinance from / Redemption to - NABARD/SIDBI/NHB	9417537	9279553
अपर टियर-2 ऋण लिखतों पर प्रदत्त ब्याज/		
Interest paid on Upper T-2 Debt Instruments	0	(1835952)
गौण ऋण पर प्रदत्त ब्याज/Interest paid on subordinated debts	(2760234)	(1586520)
वित्तपोषण कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह (इ)		
Net cash flow from financing activities (C)	32657303	42827081

ए. के. गोयल
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
A. K. GOEL
Managing Director & CEO

अजय व्यास
कार्यपालक निदेशक
AJAY VYAS
Executive Director

इशराक अली खान
कार्यपालक निदेशक
ISHRAQ ALI KHAN
Executive Director

डॉ. तुली रॉय
निदेशक
DR TULI ROY
Director

के राजीवन नायर
निदेशक
K RAJIVAN NAIR
Director

डॉ. संजय कुमार
निदेशक
DR SANJAY KUMAR
Director

राम कुमार
महाप्रबंधक
RAM KUMAR
General Manager

शशिकांत कुमार
उप महाप्रबंधक
SHASHI KANT KUMAR
Deputy General Manager

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated : 27-05-2021

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण (जारी)
STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR
ENDED 31ST MARCH, 2021 (Contd.)

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

ब्योरे/Particulars	31.3.2021 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2021	31.3.2020 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2020
	₹	₹
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (अ+आ+इ)		
Net increase in cash & cash equivalents (A+B+C)	55333049	(64885193)
विदेशी मुद्रा की घट-बढ़ के लिए समायोजन/Adjustment for Foreign Exchange Fluctuation(D)	2607806	(1374213)
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/Net increase in cash & cash equivalents (A+B+C+D)	57940855	(66259406)
क्रमशः 1 अप्रैल 2018 और 2017 की स्थिति के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य		
Cash and Cash Equivalents as on April 1, 2020 & 2019 respectively	178061584	244320990
क्रमशः 31 मार्च 2019 और 2018 की स्थिति के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य		
Cash and cash equivalents as on March 31,2021 & 2020 respectively	236002439	178061584
ई. वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य		
D. Cash and Cash Equivalents at the beginning of the Year		
हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट एवं स्वर्ण सहित)		
Cash in Hand (including foreign currency notes and gold)	9234231	5850833
भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियां/Balance with Reserve Bank of India	58533053	82379270
बैंकों में जमाराशियां तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि		
Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	110294300	156090887
	178061584	244320990
उ. वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य		
E. Cash and Cash Equivalents at the end of the Year		
हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट एवं स्वर्ण सहित)		
Cash in Hand (including foreign currency notes and gold)	8096269	9234231
भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियां/Balance with Reserve Bank of India	86357875	58533053
बैंकों में जमाराशियां तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि		
Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	141548295	110294300
	236002439	178061584

कृते रावला एंड कं.
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 001661एन
For RAWLA & CO
Chartered Accountants
Registration No. 001661N

(सीए यश पाल रावला)
भागीदार
सदस्यता संख्या 010475
(CA YASH PAL RAWLA)
Partner
Membership No. 010475

कृते आर गोपाल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 000846 सी
For R GOPAL & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Registration No. 000846C

(सीए राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता संख्या 051979
(CA RAJENDRA PRASAD AGARWAL)
Partner
Membership No. 051979

कृते खंडेलवाल काकानी एंड कं.
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 001311 सी
For KHANDELWAL KAKANI & CO
Chartered Accountants
Registration No. 001311C

(सीए वी के खंडेलवाल)
भागीदार
सदस्यता संख्या 070546
(CA V K KHANDELWAL)
Partner
Membership No. 070546

कृते एस के अग्रवाल एंड कं. चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 306033 ई/ ई300272
For S K AGRAWAL AND CO CHARTERED ACCOUNTANTS LLP
Chartered Accountants
Registration No. 306033E/E300272

(सीए संदीप अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता संख्या 058553
(CA SANDEEP AGRAWAL)
Partner
Membership No. 058553

कृते घोषाल एंड घोषाल
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 304013 ई
For GHOSHAL & GHOSAL
Chartered Accountants
Registration No. 304013E

(सीए सोमनाथ विश्वास)
भागीदार
सदस्यता संख्या 064735
(CA SOMNATH BISWAS)
Partner
Membership No. 064735

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated : 27-05-2021

लाभांश वितरण दिशानिर्देश / DIVIDEND DISTRIBUTION GUIDELINES

बैंक के शेयरधारकों को लाभांश के वितरण के समय बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन करता है:

Bank follows the following guidelines issued by RBI while making payment of Dividend to the shareholders of the Bank:

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र सं आरबीआई/451/2005 डीबीओडी/सं बीपी.बीसी 88/21.02.067/2004-05 दिनांक 4 मई, 2005 के माध्यम से बताया था कि बैंक यदि पूंजी पर्याप्तता, निवल एनपीए, बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 15 एवं 17 के संबंध में विशेषीकृत पात्रता मानदंडों का अनुपालन करता है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार अपनी आस्तियों में क्षय, स्टाफ अनुलाभ, लाभ की प्रारक्षितियों में अंतरण आदि के लिए प्रावधान कर के रखता है तो उसे लाभांश की घोषणा करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

Reserve Bank of India vide Circular No. RBI/451/2005 DBOD. NO. BP.BC. 88/21.02.067/2004-05 dated 4th May, 2005 advised that prior approval of Reserve Bank of India is not necessary for declaration of Dividend, if the Bank complies with the specified eligibility criteria regarding capital adequacy, Net NPA, Compliance of provision of Sec. 15 & 17 of Banking Regulation Act, and makes provision for impairment of assets, staff benefits, transfer of profit to reserve etc as per RBI guidelines.

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने उक्त परिपत्र में आगे कहा है कि लाभांश का भुगतान चालू वर्ष के लाभ से ही किया जाए। अधिकतम अनुमत लाभांश पेआउट अनुपात रेंज के लिए मानदंड मैट्रिक्स का जो विवरण नीचे दिया जा रहा है वह भी भारतीय रिज़र्व बैंक के उक्त परिपत्र में विहित है :

RBI in their aforesaid circular have further stipulated that the dividend should be paid out of the current year's profit. The matrix of criteria for maximum permissible range of Dividend pay-out ratio as detailed below has also been stipulated in the aforesaid RBI circular:

कोटि Category	सीआरएआर /CRAR	निवल एनपीए अनुपात/Net NPA Ratio			
		शून्य Zero	शून्य से अधिक पर 3% से कम More than Zero but less than 3%	3% से लेकर 5% से कम तक From 3% to less than 5%	5% से लेकर 7% से कम तक From 5% to less than 7%
लाभांश पेआउट अनुपात का रेंज (कर के बाद लाभ का %) Range of Dividend Pay out Ratio (% of Profit after Tax)					
क/A	प्रत्येक विगत 3 वर्षों के लिए 11% अथवा उससे अधिक 11% or more for each of last 3 years	40 तक Upto 40	35 तक Upto 35	25 तक Upto 25	15 तक Upto 15
ख/B	प्रत्येक विगत 3 वर्षों के लिए 10% अथवा उससे अधिक 10% or more for each of last 3 years	35 तक Upto 35	30 तक Upto 30	20 तक Upto 20	10 तक Upto 10
ग/C	प्रत्येक विगत 3 वर्षों के लिए 9% अथवा उससे अधिक 9% or more for each of last 3 years	30 तक Upto 30	25 तक Upto 25	15 तक Upto 15	5 तक Upto 5
घ/D	चालू वर्ष में 9% अथवा उससे अधिक 9% or more in the current year	10 तक Upto 10		5 तक Upto 5	निरंक NIL

हालांकि, आरबीआई ने अपने परिपत्र डीओआर.एसीसी.आरईसी.7/21.02.067/2021-22 दिनांक 22.04.2021 के माध्यम से बैंकों को 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए इक्विटी शेयरों पर लाभांश का भुगतान करने का निर्देश दिया है बशर्ते लाभांश की मात्रा ऊपर दिए गए लाभांश भुगतान के अनुपात के अनुसार निर्धारित राशि के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

However, RBI vide its circular DOR.ACC.REC.7/21.02.067/2021-22 dated 22.04.2021 instructed banks to pay dividend on equity shares from the profits for the financial year ended March 31, 2021, subject to the quantum of dividend being not more than fifty percent of the amount determined as per the dividend pay-out ratio given above.

31.03.2021 की स्थिति के अनुसार यूको बैंक का

बासेल III पिलर 3 प्रकटीकरण

**तालिका डीएफ - 1:
प्रयोज्यता का कार्य-विस्तार**

बैंकिंग समूह के प्रमुख का नाम जिस पर संरचनागत ढाँचा प्रयोज्य है: यूको बैंक						
(i) गुणात्मक प्रकटीकरण:						
निकाय का नाम/ जिस देश में शामिल है	क्या निकाय समेकन के लेखांकन कार्यक्षेत्र में शामिल है (हाँ/नहीं)	समेकन की कार्यविधि का विवेचन करें	क्या निकाय समेकन के नियमनकारी कार्यक्षेत्र में शामिल है	समेकन की कार्यविधि का विवेचन करें	समेकन की कार्यविधि में अंतर के कारणों का विवेचन करें	यदि समेकन के कार्यक्षेत्रों में से सिर्फ एक के तहत समेकन किया गया है तो इसके कारण का विवेचन करें
यूको बैंक						
भारत	नहीं	लागू नहीं	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
क. समेकन के लिए ग्रहण किए गए समूह निकायों की सूची - लागू नहीं.						
ख. लेखांकन एवं नियमनकारी दोनों कार्यक्षेत्रों के अंतर्गत समेकन के लिए ग्रहण नहीं किए गए समूह निकायों की सूची						
निकाय का नाम/ जिस देश में शामिल है	निकाय की प्रमुख गतिविधि	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का %	निकाय की पूँजी लिखत में बैंक के निवेशों का नियमनकारी उपचार	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)	
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
(ii) प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण :						
ग. समेकन के लिए ग्रहण किए गए समूह निकायों की सूची						
निकाय का नाम/जिस देश में शामिल है (उपर्युक्त (i) क. के अनुसार)	निकाय की प्रमुख गतिविधि	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)	कुल तुलन पत्र आस्तियाँ (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)			
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं			
घ. सभी अनुषंगियों में पूँजीगत कमियों की समग्र राशि, जो समेकन के नियमनकारी कार्यक्षेत्र में शामिल नहीं की जाती, यानी जिसकी कटौती की जाती है:						
अनुषंगियों का नाम/जिस देश में शामिल है	निकाय की प्रमुख गतिविधि	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का %	पूँजी की कमी		
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं		
ङ. बीमा निकायों में बैंक के कुल हितों की समग्र राशियाँ (उदाहरण-चालू बही मूल्य), जो जोखिम भारत हैं:						
बीमा निकायों का नाम/जिस देश में शामिल है	निकाय की प्रमुख गतिविधि	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)	कुल ईक्विटी/मत देने की शक्ति के अनुपात में बैंक की धारिता का %	नियमनकारी पूँजी पर प्रमात्रात्मक प्रभाव, जोखिम भार देने की कार्यविधि बनाम पूर्ण कटौती कार्यविधि का उपयोग		
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं		
च. बैंकिंग समूह के दायरे में निधियों या नियमनकारी पूँजी के अंतरण में प्रतिबंध या अवरोध: लागू नहीं						

BASEL III PILLAR 3 DISCLOSURE AS ON 31.03.2021

UCO BANK

**Table DF - 1:
Scope of Application**

Name of the head of the banking group to which the framework applies UCO BANK.						
(i) Qualitative Disclosures:						
Name of the entity / Country of incorporation	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes / no)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (yes / no)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
UCO Bank	No	NA	No	NA	NA	NA
India						
a. List of group entities considered for consolidation – Not applicable.						
b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation						
Name of the entity / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity	Regulatory treatment of bank's investments in the capital instruments of the entity	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	
NA	NA	NA	NA	NA	NA	
(ii) Quantitative Disclosures:						
c. List of group entities considered for consolidation						
Name of the entity /country of incorporation (as indicated in (i)a. above)	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)			
NA	NA	NA	NA			
d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted:						
Name of the subsidiaries / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity	Capital deficiencies		
NA	NA	NA	NA	NA		
e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted:						
Name of the insurance entities / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity / proportion of voting power	Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method		
NA	NA	NA	NA	NA		
f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group: Not applicable						

तालिका डी एफ - 2
पूँजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण	
(क) विद्यमान क्रियाकलापों एवं भावी क्रियाकलापों को समर्थन करने हेतु अपेक्षित विभिन्न पूँजीगत लिखतों को जारी करने के लिए बैंक की योजना से निदेशक मंडल को समय-समय पर अवगत कराया जाता है। निदेशक मंडल द्वारा इसकी आवधिक समीक्षा भी की जाती है।	
प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण	(₹ करोड़ में)
(ख) ऋण जोखिम के लिए पूँजीगत आवश्यकता: मानकीकृत दृष्टिकोण के अध्यक्षीन पोर्टफोलियो प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	8330.21 शून्य
(ग) बाजार जोखिम के लिए पूँजीगत आवश्यकता: मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण ब्याज दर जोखिम विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित) ईक्विटी जोखिम	1594.82 1481.79 4.47 108.56
(घ) परिचालनगत जोखिम के लिए पूँजीगत आवश्यकता: बुनियादी सूचक दृष्टिकोण • मानकीकृत दृष्टिकोण (यदि लागू हो)	1212.23
(ङ) सामान्य ईक्विटी टियर 1, टियर 1 एवं कुल पूँजी अनुपात : सामान्य ईक्विटी टियर 1 टियर 1 कुल पूँजी अनुपात शीर्षस्थ समेकित समूह के लिए महत्वपूर्ण बैंक अनुषंगियों हेतु (स्टैंड अलोन या उप-समेकित, जो इस पर निर्भर करेगा कि फ्रेमवर्क किस तरह लागू किया गया है।)	11.14% 11.14% 13.74% लागू नहीं लागू नहीं

Table DF - 2
Capital Adequacy

Qualitative Disclosures	
(a)	Board is apprised periodically of Bank's plan for raising different Capital instruments needed for supporting current activities and future activities. This is also reviewed periodically by the Board.
Quantitative Disclosures	
	(₹ in crore)
(b)	Capital requirements for Credit Risk : Portfolio subject to Standardized Approach Securitization Exposures
	8330.21 Nil
(c)	Capital requirements for Market Risk : Standardized Duration Approach Interest Rate Risk Foreign Exchange Risk (including Gold) Equity Risk
	1594.82 1481.79 4.47 108.56
(d)	Capital requirements for Operational Risk : Basic Indicator Approach • The Standardised Approach (if applicable)
	1212.23
(e)	Common Equity Tier 1, Tier 1 and Total Capital ratios: Common Equity Tier I Tier I Total Capital ratios For the top consolidated group For significant bank subsidiaries(stand alone or sub-consolidated depending on how the Framework is applied)
	11.14% 11.14% 13.74% Not Applicable Not Applicable

तालिका डीएफ - 3

ऋण जोखिम : सभी बैंकों हेतु सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

क) पिछला बकाया एवं अनर्जक खाते (लेखांकन प्रयोजन हेतु)

निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित बैंक की अनर्जक आरिष्ठ प्रबंध नीति के अनुसार किसी आरिष्ठ को निम्नांकित स्थिति में पिछला बकाया/ अनर्जक आरिष्ठ माना जाता है -

- मीयादी ऋण के मामले में ब्याज और/या मूल धन की किस्त 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहती है।
- ओवरड्राफ्ट/नकदी ऋण (ओडी/सीसी) के मामले में, नीचे दिए गए पैरा के अनुसार खाता 90 दिनों से अधिक समय तक 'आउट ऑफ ऑर्डर' रहता है।
- खरीदे गए बिल एवं भुनाए गए बिल के मामले में, बिल 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहता है।
- अल्पावधि की फसलों के लिए मूल धन की किस्त या उस पर ब्याज दो फसलों के मौसम तक बकाया रहता है।
- दीर्घावधि की फसलों के लिए मूल धन की किस्त या उस पर ब्याज एक फसल के मौसम तक बकाया रहता है।

किसी खाते को अनियमित माना जाता है जब

- बकाया शेष लगातार स्वीकृति सीमा-आहरण अधिकार से अधिक बना रहता है, तो खातों को अनियमित माना जाता है।
- बकाया शेष लगातार स्वीकृति सीमा-आहरण अधिकार से कम होता है किंतु लगातार 90 दिनों तक कोई राशि जमा नहीं की जाती है या जमा की गई राशि नामे किए गए ब्याज के लिए पूरी नहीं होती है।

ख) बैंक की ऋण जोखिम प्रबंध नीति

बैंक की ऋण जोखिम प्रबंध पद्धति निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित नीतिगत निदेशों पर आधारित है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

- ऋण जोखिम अधिग्रहण - कार्यनीति एवं नीतियां
- ऋण अनुमोदन प्रक्रिया
- ऋण जोखिम निगरानी प्रक्रिया
- ऋण जोखिम नियंत्रण प्रक्रिया

ऋण जोखिम के प्रबंध की सारी जिम्मेदारी निदेशक मंडल की होती है और निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति ऋण जोखिम प्रबंध एवं रिपोर्टिंग हेतु दिशानिर्देश निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है और वह नीति के अनुरूप ऋण जोखिम प्रबंध प्रक्रिया, विवेकपूर्ण सीमा का निर्धारण तथा उसकी समय-समय पर समीक्षा एवं जोखिम के मापांक की सुदृढ़ता सुनिश्चित करती है। ऋण जोखिम प्रबंध समिति ऋण नीति एवं प्रक्रिया से संबंधित मुद्दों को निपटाने तथा पूरे बैंक के आधार पर ऋण जोखिम की निगरानी तथा नियंत्रण के विश्लेषण हेतु उत्तरदायी है।

बैंक का ऋण जोखिम प्रबंध विभाग बैंक द्वारा निर्धारित जोखिम मानदंडों और विवेकपूर्ण ऋण सीमा लागू कराने और उसके अनुपालन की निगरानी करता है। यह विभाग जोखिम मूल्यांकन पद्धति का निर्धारण तथा ऋण संविभाग की गुणवत्ता की निगरानी, समस्याओं की पहचान तथा त्रुटियों का सुधार और संविभाग मूल्यांकन सहित इस प्रयोजन हेतु एमआईएस का विकास भी करता है। ऋण जोखिम प्रबंध विभाग की ऋण संसाधन एवं ऋण निगरानी विभाग से अलग एक स्वतंत्र सत्ता है।

ऋण जोखिम मूल्यांकन द्वि-आयामी ऋण रेटिंग प्रणाली के जरिए और एक पुख्ता ढंग से ऋण के निर्णय लेने के लिए किया जाता है। कृषि एवं एमएसई ऋणों के मामले में यह ऋण रेटिंग प्रणाली ₹25 लाख (योजनाबद्ध एवं रिटेल ऋण को छोड़ कर) से अधिक एवं ₹1 करोड़ तक की कुल ऋण सीमाओं वाले ऋण खातों पर लागू की जा रही है। बैंक श्रेणी निर्धारण माइग्रेसन का ध्यान रखता है तथा उसने सभी श्रेणी निर्धारण के लिए आंतरिक चूक दरें विकसित की हैं। चूक दरें ऐसे सभी ऋण प्रस्ताव ऋण स्कोरिंग मॉडलों के जरिए मूल्यांकन के अधीन लाई जाती हैं जो ऋण रेटिंग प्रणाली के अंतर्गत न आती हों।

बैंक, जहाँ कहीं संभव और अपेक्षित होता है, उपयुक्त संपार्श्विक या गारंटीकर्ताओं के माध्यम से ऋण खातों से जुड़े जोखिमों को कम करने की हर संभव कोशिश करता है। इसके अतिरिक्त जिन शर्तों एवं निबंधनों के अधीन ऋण स्वीकृत किए जाते हैं, वे भी ऋण से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायक होते हैं। जोखिमों को कम करने में खातों की नियमित निगरानी एवं नियंत्रण भी सहायक होते हैं। जोखिमों को कम करने के लिए बैंक ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए निर्यात ऋण गारंटी निगम एवं ऋण गारंटी निधि न्यास से योग्य खातों का आवश्यक बीमा भी करवाया है।

गुणात्मक प्रकटीकरण

(सभी आंकड़े ₹ करोड़ में)

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण (सभी राशियां करोड़ में)		संवितरण	
		निधि आधारित	गैर निधि आधारित
(क)	कुल सकल ऋण एक्सपोजर	118404.81	8004.00
(ख)	ऋणों का भौगोलिक संवितरण		
	देशी	106920.19	7400.97
	विदेशी	11484.62	603.03

ग) ऋणों के उद्योगवार संवितरण		
उद्योग का नाम	एक्सपोजर	
	निधि आधारित	गैर निधि आधारित
क. खदान और उत्खनन (क.1 + क.2)	635.97	828.36
क.1 कोयला	215.20	768.27
क.2 अन्य	420.77	60.09
ख. खाद्य प्रसंस्करण (ख.1 से ख.5)	1,959.18	531.30
ख.1 चीनी	248.78	34.13
ख.2 खाद्य तेल एवं वनस्पति	339.18	308.81
ख.3 चाय	586.65	12.58
ख.4 कॉफी	0.00	0.00
ख.5 अन्य	784.57	175.78
ग. मादक पेय (चाय व कॉफी छोड़कर) एवं तंबाकू	53.86	-
जिसमें से तंबाकू और तंबाकू उत्पाद	53.86	-
घ. वस्त्र (क से च तक)	1,252.30	130.20
क. सूती वस्त्र	650.28	73.68
ख. जूट	14.57	3.29
ग. हथकरघा/खादी (गैर प्राथमिक)	0.00	0.00
घ. सिल्क	0.00	0.00
ङ. ऊनी	0.00	0.00
च. अन्य	587.45	53.23
घ (अर्थात् कुल वस्त्रोद्योग) में से कताई मिलों को	0.00	0.00
ङ. चर्म एवं चर्म उत्पाद	71.43	0.50
च. लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद	93.48	1.13
छ. कागज एवं कागज उत्पाद	354.29	88.03
ज. पेट्रोलियम (गैर-प्राथमिक), कोयला उत्पाद (गैर-खनन) और आणविक ऊर्जा	1,448.03	10.95
झ. रसायन एवं रसायन उत्पाद (रंग, रंगलेप आदि) (1.1 से 1.4)	868.54	378.56
झ.1 उर्वरक	90.98	20.34
झ.2 औषध एवं फार्मास्यूटिकल्स	282.40	25.56
झ.3 पेट्रो-केमिकल्स (बुनियादी ढांचाको छोड़कर)	56.96	64.11
झ.4 अन्य	438.21	268.55
ञ. रबड़, प्लास्टिक एवं उनके उत्पाद	203.52	42.24
ट. कांच एवं कांच के सामान	176.23	39.26
ठ. सीमेंट एवं सीमेंट उत्पाद	393.22	57.40
ड. धातु एवं धातु उत्पाद (ड. 1 + ड.2)	5,294.75	708.97
ड.1 लोहा एवं इस्पात	4,393.16	561.14
ड.2 अन्य धातु एवं धातु उत्पाद	901.59	147.83
ण. समस्त इंजीनियरिंग (ण.1 + ण.2)	1,980.42	1,871.13
ण.1 इलेक्ट्रॉनिक्स	374.62	215.54
ण.2 अन्य	1,605.80	1,655.59
त. मोटरयान, यान के कलपुर्जे और यातायात उपकरण	71.09	23.44
थ. रत्न एवं जेवर	196.69	0.02
द. विनिर्माण	721.56	1,253.69
ध. आधार संरचना क्षेत्र (क से घ)	11,644.55	3633.37
क. यातायात (क.1 से क.6)	3,154.18	702.91
क.1 पथ एवं पुल निर्माण	3,154.18	702.91
क.2 बंदरगाह	0.0	0.00
क.3 अंतर्देशीय जलपथ	0.00	0.00
क.4 हवाईअड्डा	0.00	0.00
क.5 रेल पथ, सुरंग, वायडक्ट, पुल	0.00	0.00
क.6 शहरी सार्वजनिक यातायात (शहरी पथ यातायात के मामले में रोलिंग स्टॉक को छोड़कर)	0.0	0.0

(राशी ₹ करोड़ में)

उद्योग का नाम	एक्सपोजर	
	निधि आधारित	गैर निधि आधारित
ख. ऊर्जा (ख.1 से ख.6)	6,189.48	1,977.38
ख.1 बिजली (उत्पादन)	3914.90	1976.38
ख.1.1 केंद्रीय सरकार के उपक्रम	74.91	0.00
ख.1.2 राज्य सरकार के उपक्रम (रा.बि. बोर्ड सहित)	543.53	1491.14
ख.1.3 निजी क्षेत्र	3296.45	485.24
ख.2 बिजली (संचारण)	1248.60	1.00
ख.2.1 केंद्रीय सरकार के उपक्रम	0.00	0.00
ख.2.2 राज्य सरकार के उपक्रम (रा.बि. बोर्ड सहित)	1227.36	1.00
ख.2.3 निजी क्षेत्र	21.24	0.00
ख.3 बिजली (वितरण)	1025.99	0.00
ख.3.1 केंद्रीय सरकार के उपक्रम	0.00	0.00
ख.3.2 राज्य सरकार के उपक्रम (रा.बि. बोर्ड सहित)	1018.19	0.00
ख.3.3 निजी क्षेत्र	7.79	0.00
ख.4 तेल पाईपलाइन	0.00	0.00
ख.5 तेल/गैस/तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) भंडारण सुविधा	0.00	0.00
ख.6 गैस पाईपलाइन	0.00	0.00
ग. जल एवं सफाई का प्रबंध (ग.1 से ग.6)	0.00	0.00
ग.1 ठोस अपशिष्ट प्रबंध	0.00	0.00
ग.2 जल-आपूर्ति पाईपलाइन	0.00	0.00
ग.3 जलशोधन संयंत्र	0.00	0.00
ग.4 अपशिष्ट संग्रहण, शोधन एवं निपटान प्रणाली	0.00	0.00
ग.5 सिंचाई (बांध, नहर, तटबंध आदि)	0.00	0.00
ग.6 बाढ़ जल निकासी प्रणाली	0.00	0.00
घ. संचार (घ.1 से घ.2)	78.28	104.54
घ.1 दूरसंचार (नियत नेटवर्क)	0.00	0.00
घ.2 दूरसंचार टॉवर	78.28	104.54
ङ. सामाजिक एवं व्यावसायिक बुनियादी सुविधाएं (ङ.1 से ङ.9)	2,222.61	848.54
ङ.1 शिक्षण संस्थाएं (पूँजी स्टॉक)	74.61	9.81
ङ.2 अस्पताल (पूँजी स्टॉक)	18.61	0.15
ङ.3 1 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों के बाहर स्थित तीन सितारे वाले वर्गीकृत होटल	0.00	0.00
ङ.4 औद्योगिक पार्क, एसइजेड पर्यटन सुविधा एवं कृषि बाजार के लिए सामान्य बुनियादी सुविधाएं	2122.24	838.58
ङ.5 उर्वरक (पूँजी निवेश)	0.00	0.00
ङ.6 बागान एवं कृषि उत्पाद के भंडारण के लिए फसल कटाई के बाद कोल्ड स्टोरेज सहित भंडारणगत बुनियादी सुविधाएं	7.15	0
ङ.7 अंतिम बाजार	0.00	0.00
ङ.8 मिट्टी परीक्षण	0.00	0.00
ङ.9 शीत भंडारण की शृंखला	0.00	0.00
न. अन्य उद्योग	119311.09	5488.05
समस्त उद्योग (क से न तक)	146,730.20	15,086.58

घ) परिसंपत्तियों की अवशिष्ट निविदागत परिपक्वता वर्गीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	जमा	सकल अग्रिम	निवेश	ऋण	विदेशी मुद्रा आस्तियां	विदेशी मुद्रा देयताएं
१ दिन	2,128	455	-	359	1,209	675
२ से ७ दिन तक	3,689	1,654	-	3,734	3,103	3,573
८ से १४ दिन तक	3,011	1,414	417	1,095	1,564	1,586
१५ से ३० दिन तक	7,279	1,916	431	1,769	6,884	7,129
३१ दिन से २ माह तक	8,253	2,834	471	1,168	2,585	2,617
२ माह से अधिक परंतु ३ माह तक	9,021	3,453	234	1,861	4,835	5,070
३ माह से अधिक परंतु ६ माह तक	24,219	6,457	234	726	8,355	8,637
६ माह से अधिक परंतु १ वर्ष तक	36,279	15,243	986	1,522	15,565	15,774
१ वर्ष से अधिक परंतु ३ वर्ष तक	30,309	15,787	2,639	2,150	6,045	6,413
३ वर्ष से अधिक परंतु ५ वर्ष तक	17,021	14,731	8,055	-	2,362	1,648
५ वर्ष से अधिक	64,711	54,459	82,368	1,000	2,663	2,212
Total	2,05,919	1,18,405	95,835	15,383	55,169	55,336

च) एनपीए की राशि (सकल)	:	11351.97	करोड़
• अवमानक	:	2932.84	करोड़
• संदिग्ध 1	:	1873.64	करोड़
• संदिग्ध 2	:	3071.45	करोड़
• संदिग्ध 3	:	2434.94	करोड़
• हानि	:	1039.10	करोड़
छ) शुद्ध एनपीए	:	4389.50	करोड़
ज) एनपीए अनुपात: -			
• सकल अग्रिम पर सकल एनपीए	:	9.59%	
• शुद्ध अग्रिम पर शुद्ध एनपीए	:	3.94 %	
झ) एनपीए की घट-बढ़ (सकल)			
• प्रारंभिक शेष	:	19281.95	करोड़
• वृद्धि	:	3102.06	करोड़
• कमी	:	11032.04	करोड़
• अंत शेष	:	11351.97	करोड़

झ) विशेष एवं सामान्य प्रावधान की घट-बढ़

(₹ राशि करोड़ में)

प्रावधानों की घट-बढ़	विशेष प्रावधान #	सामान्य प्रावधान @
प्रारंभिक शेष	12693.35	493.22
अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	2759.80	470.77
बढ़े खाते डालना	9410.39	शून्य
अतिरिक्त प्रावधानों को बढ़े खाते से निकालना	शून्य	485.52
विनिमय अंतर	7.02	-0.33
अंत शेष	6049.78	478.14

#एनपीए प्रावधान प्रदर्शित करता है, @मानक अग्रिमों के लिए प्रावधान प्रदर्शित करता है

ज) बट्टे डाले गए ऐसे खाते एवं वसूली जो सीधे आय विवरण बही में शामिल की गई हैं

बट्टे डाले गए ऐसे खाते जो सीधे आय विवरण बही में शामिल किए गए हैं (बट्टे डाले गए खातों में) वसूली जो सीधे आय विवरण बही में शामिल की गई हैं		— ₹986.40 करोड़
ट) अनर्जक निवेशों की राशि	:	933.39 करोड़
ठ) अनर्जक निवेशों हेतु धारित प्रावधानों की राशि	:	918.73 करोड़
ड) निवेश अवमूल्यन के प्रावधानों की घट-बढ़		
• प्रारंभिक शेष	:	837.51 करोड़
• अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	:	299.64 करोड़
• बट्टे खाते डालना	:	शून्य
• विनिमय अंतराल	:	-0.02 करोड़
• अतिरिक्त प्रावधानों को वापस खाते में लेना	:	3.54 करोड़
• अंत शेष	:	1133.59 करोड़

ढ) उद्योगवार एनपीए एवं प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	उद्योग का नाम	एनपीए	विशेष एवं सामान्य प्रावधान
1	खदान और उत्खनन	255.94	250.40
2	खाद्य प्रसंस्करण	1594.12	1485.47
3	वस्त्र	1225.08	1168.33
4	चर्म एवं चर्म उत्पाद	34.44	25.22
5	लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद	68.22	54.01
6	कागज एवं कागज उत्पाद	328.61	289.13
7	पेट्रोलियम (गैर-प्राथमिक), कोयला उत्पाद (गैर-खनन) और आणविक ईंधन	1434.14	1433.16
8	रसायन एवं रसायन उत्पाद	356.26	337.60
9	रबड़, प्लास्टिक एवं उनके उत्पाद	51.71	31.99
10	कांच एवं कांच के सामान	73.84	72.44
11	सीमेंट एवं सीमेंट उत्पाद	541.97	529.33
12	मूल धातु एवं धातु उत्पाद	3593.25	3550.50
13	समस्त इंजीनियरिंग	2684.29	2307.79
14	मोटरयान, यान के कलपुर्जे और यातायात उपकरण	753.69	736.84
15	रत्न एवं आभूषण	265.99	244.01
16	निर्माण	2498.97	2389.49

ण) भूगोल-वार एनपीए एवं प्रावधान

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	घरेलू	विदेशी	कुल
कुल एनपीए	10524.98	826.99	11351.97
एनपीए के लिए प्रावधान	5283.36	766.42	6049.78
मानक अग्रिमों के प्रावधान	405.50	72.64	478.14

Table DF - 3
Credit Risk: General Disclosures for All Banks

Qualitative Disclosure

a) Past Due and Impaired Accounts (for accounting purpose):

In terms of Bank's NPA Management Policy duly approved by the Board of Directors, an asset is treated as Past due/impaired asset where -

- i. Interest and/or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan.
- ii. The account remains 'out of order' for a period of more than 90 days as given in para below, in respect of an overdraft/cash credit (OD/CC).
- iii. The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,
- iv. The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops.
- v. The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.

An account is considered out of order when

- i. The outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power; the account is treated as out of order.
- ii. The balance outstanding is less than the sanctioned limit/drawing power but there are no credits continuously for 90 days or the credits are not sufficient to cover the interest debited.

b) Bank's Credit Risk Management Policy:

Bank's Credit Risk Management practices are based on policy directives duly approved by the Board which, inter-alia, encompasses the following:

- i. Credit Risk acquisition - strategies & policies,
- ii. Credit approval processes.
- iii. Credit Risk monitoring processes.
- iv. Credit Risk control processes.

Board of Directors has over all responsibility for management of Credit risk and Risk Management Committee of the Board is responsible for setting up guidelines for Credit Risk Management and reporting, ensuring that Credit Risk Management processes conform to the policy, setting up prudential limit and its periodical review and ensuring robustness of risk modules. Credit Risk Management Committee is responsible to deal with issues relating to Credit policy and procedures and to analyze monitoring and control credit risk on bank wide basis.

Credit Risk Management Department of the Bank enforces and monitors compliance of the risk parameters and prudential limits set by the Bank. They also lay down risk assessment system, monitor quality of loan portfolio, identify problems and correct deficiencies, develop MIS for the purpose including portfolio evaluation. Credit Risk Management Department is independent of Credit Processing & Credit Monitoring Departments.

Credit Risk Assessment is done through two dimensional credit rating system and for taking credit decisions in a consistent manner. The credit rating system is being applied to loan accounts with total limits above ₹ 25 lacs (other than Schematic and Retail Loans) and above ₹ 1 Cr in case of Agriculture and MSE loans. Bank tracks rating migration and has developed internal default rates across rating. The mapping of default rates is also carried out with default rate of established rating agencies. All credit proposals which are not under Credit Rating System are subjected to be evaluated through Credit Scoring models.

The bank makes all possible efforts to mitigate risks associated with credit accounts through suitable collaterals or guarantors wherever it is considered feasible and desirable. In addition to that, terms and conditions under which credit is sanctioned also go a long way to mitigate risks associated with credit. Regular monitoring and control of accounts also add to the risk mitigation. In order to mitigate risk, the Bank has taken necessary cover for eligible accounts from Export Credit Guarantee Corporation and Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises.

Quantitative disclosures

(All figures in ₹ in Crores)

Quantitative Disclosures		
	Fund Based	Non Fund Based
a) Total Gross Credit Exposure	118404.81	8004.00
b) Geographical Distribution of Exposure		
Domestic	106920.19	7400.97
Overseas	11484.62	603.03

c) Industry type distribution of Exposures		(Amount in ₹ Cr)	
Industry Name	Exposures		
	Funded	Non-Funded	
A. Mining and Quarrying (A.1 + A.2)	635.97	828.36	
A.1 Coal	215.20	768.27	
A.2 Others	420.77	60.09	
B. Food Processing (B.1 to B.5)	1,959.18	531.30	
B.1 Sugar	248.78	34.13	
B.2 Edible Oils and Vanaspati	339.18	308.81	
B.3 Tea	586.65	12.58	
B.4 Coffee	0.00	0.00	
B.5 Others	784.57	175.78	
C. Beverages (excluding Tea & Coffee) and Tobacco	53.86	-	
Of which Tobacco and tobacco products	53.86	-	
D. Textiles (a to f)	1,252.30	130.20	
a. Cotton	650.28	73.68	
b. Jute	14.57	3.29	
c. Handicraft/Khadi (Non Priority)	0.00	0.00	
d. Silk	0.00	0.00	
e. Woolen	0.00	0.00	
f. Others	587.45	53.23	
Out of D (i.e., Total Textiles) to Spinning Mills	0.00	0.00	
E. Leather and Leather products	71.43	0.50	
F. Wood and Wood Products	93.48	1.13	
G. Paper and Paper Products	354.29	88.03	
H. Petroleum (non-infra), Coal Products (non-mining) and Nuclear Fuels	1,448.03	10.95	
I. Chemicals and Chemical Products (Dyes, Paints, etc.) (I.1 to I.4)	868.54	378.56	
I.1 Fertilizers	90.98	20.34	
I.2 Drugs and Pharmaceuticals	282.40	25.56	
I.3 Petro-chemicals (excluding under Infrastructure)	56.96	64.11	
I.4 Others	438.21	268.55	
J. Rubber, Plastic and their Products	203.52	42.24	
K. Glass & Glassware	176.23	39.26	
L. Cement and Cement Products	393.22	57.40	
M. Basic Metal and Metal Products (M.1 + M.2)	5,294.75	708.97	
M.1 Iron and Steel	4,393.16	561.14	
M.2 Other Metal and Metal Products	901.59	147.83	
N. All Engineering (N.1 + N.2)	1,980.42	1,871.13	
N.1 Electronics	374.62	215.54	
N.2 Others	1,605.80	1,655.59	
O. Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipments	71.09	23.44	
P. Gems and Jewellery	196.69	0.02	
Q. Construction	721.56	1,253.69	
R. Infrastructure (a to d)	11,644.55	3633.37	
a. Transport (a.1 to a.6)	3,154.18	702.91	
a.1 Roads and Bridges	3,154.18	702.91	
a.2 Ports	0.0	0.00	
a.3 Inland Waterways	0.00	0.00	
a.4 Airport	0.00	0.00	
a.5 Railway Track, tunnels, viaducts, bridges	0.00	0.00	
a.6 Urban Public Transport (except rolling stock in case of urban road transport)	0.0	0.0	

(Amount in ₹ Cr)

Industry Name	Exposure	
	Funded	Non-Funded
b. Energy (b.1 to b.6)	6,189.48	1,977.38
b.1 Electricity (Generation)	3914.90	1976.38
b.1.1 Central Govt PSUs	74.91	0.00
b.1.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	543.53	1491.14
b.1.3 Private Sector	3296.45	485.24
b.2 Electricity (Transmission)	1248.60	1.00
b.2.1 Central Govt PSUs	0.00	0.00
b.2.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	1227.36	1.00
b.2.3 Private Sector	21.24	0.00
b.3 Electricity (Distribution)	1025.99	0.00
b.3.1 Central Govt PSUs	0.00	0.00
b.3.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	1018.19	0.00
b.3.3 Private Sector	7.79	0.00
b.4 Oil pipelines	0.00	0.00
b.5 Oil/Gas/Liquefied Natural Gas (LNG) storage facility	0.00	0.00
b.6 Gas pipelines	0.00	0.00
c. Water and Sanitation (c.1 to c.6)	0.00	0.00
c.1 Solid Waste Management	0.00	0.00
c.2 Water supply pipelines	0.00	0.00
c.3 Water treatment plants	0.00	0.00
c.4 Sewage collection, treatment and disposal system	0.00	0.00
c.5 Irrigation (dams, channels, embankments etc)	0.00	0.00
c. 6 Storm Water Drainage System	0.00	0.00
d. Communication (d.1 to d.2)	78.28	104.54
d.1 Telecommunication (Fixed network)	0.00	0.00
d.2 Telecommunication towers	78.28	104.54
e. Social and Commercial Infrastructure (e.1 to e.9)	2,222.61	848.54
e.1 Education Institutions (capital stock)	74.61	9.81
e.2 Hospitals (capital stock)	18.61	0.15
e.3 Three-star or higher category classified hotels located outside cities with population of more than 1 million	0.00	0.00
e.4 Common infrastructure for industrial parks, SEZ, tourism facilities and agriculture markets	2122.24	838.58
e.5 Fertilizer (Capital investment)	0.00	0.00
e.6 Post harvest storage infrastructure for agriculture and horticultural produce including cold storage	7.15	0
e.7 Terminal markets	0.00	0.00
e.8 Soil-testing laboratories	0.00	0.00
e.9 Cold Chain	0.00	0.00
T. Other Industries	119311.09	5488.05
All Industries (A to T)	146,730.20	15,086.58

d) Residual contractual maturity breakdown of assets (₹ in Cr)

Particulars	Deposit	Advance Gross	Investment Gross	Borrowing	Foreign Currency-Asset	Foreign Currency-Asset
1 Day	2,128	455	-	359	1,209	675
2-7 days	3,689	1,654	-	3,734	3,103	3,573
8-14 Days	3,011	1,414	417	1,095	1,564	1,586
15-30 Days	7,279	1,916	431	1,769	6,884	7,129
31 days to 2 Month	8,253	2,834	471	1,168	2,585	2,617
Over 2 Months upto 3 Month	9,021	3,453	234	1,861	4,835	5,070
Over 3 Months upto 6 Month	24,219	6,457	234	726	8,355	8,637
Over 6 Months upto 1 Year	36,279	15,243	986	1,522	15,565	15,774
Over 1 Year upto 3 Year	30,309	15,787	2,639	2,150	6,045	6,413
Over 3 Year upto 5 Year	17,021	14,731	8,055	-	2,362	1,648
Over 5 Year	64,711	54,459	82,368	1,000	2,663	2,212
Total	2,05,919	1,18,405	95,835	15,383	55,169	55,336

e) Amount of NPAs (Gross)	:	11351.97 Cr
● Substandard	:	2932.84 Cr
● Doubtful 1	:	1873.64 Cr
● Doubtful 2	:	3071.45 Cr
● Doubtful 3	:	2434.94 Cr
● Loss	:	1039.10 Cr
f) Net NPAs	:	4389.50 Cr
g) NPA Ratios: -		
● Gross NPAs to gross advances	:	9.59%
● Net NPAs to net advances	:	3.94 %
h) Movement of NPAs (Gross)		
● Opening balance	:	19281.95 Cr
● Additions	:	3102.06 Cr
● Reductions	:	11032.04 Cr
● Closing balance	:	11351.97 Cr

i) Movement of Specific & General Provision

(₹ in Crore)

Movement of provisions	Specific Provisions#	General Provisions@
Opening balance	12693.35	493.22
Provisions made during the period	2759.80	470.77
Write-off	9410.39	NIL
Write-back of excess provisions	NIL	485.52
Exchange difference	7.02	-0.33
Closing balance	6049.78	478.14

#Represents provisions for NPA, @Represents provisions for Standard Advances

j. Details of write offs and recoveries that have been booked directly to the income statement

Write offs that have been booked directly to the income statement	—
Recoveries (in written-off) that have been booked directly to the income statement	₹986.40 crore

k) Amount of Non-Performing Investments:	933.39 Cr
l) Amount of provisions held for non-performing investments: -	918.73 Cr
m) Movement of provisions for depreciation on investments	
• Opening balance	: 837.51 Cr
• Provisions made during the period	: 299.64 Cr
• Write-off	: NIL
• Exchange Difference	: -0.02 Cr
• Write-back of excess provisions	: 3.54 Cr
• Closing balance	: 1133.59 Cr

n) Industry wise NPA and provisions

(₹ in Cr.)

Sl. No.	Industry Name	NPA	Specific and General Provisions
1	Mining and Quarrying	255.94	250.40
2	Food Processing	1594.12	1485.47
3	Textiles	1225.08	1168.33
4	Leather and Leather products	34.44	25.22
5	Wood and Wood Products	68.22	54.01
6	Paper and Paper Products	328.61	289.13
7	Petroleum (non-infra), Coal Products (non-mining) and Nuclear Fuels	1434.14	1433.16
8	Chemicals and Chemical Products	356.26	337.60
9	Rubber, Plastic and their Products	51.71	31.99
10	Glass & Glassware	73.84	72.44
11	Cement and Cement Products	541.97	529.33
12	Basic Metal and Metal Products	3593.25	3550.50
13	All Engineering	2684.29	2307.79
14	Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipments	753.69	736.84
15	Gems and Jewellery	265.99	244.01
16	Construction	2498.97	2389.49

o) Geography Wise NPA & Provisions

(₹ in Crore)

Particulars	Domestic	Overseas	Total
Gross NPA	10524.98	826.99	11351.97
Provisions for NPA	5283.36	766.42	6049.78
Provisions for Standard Advances	405.50	72.64	478.14

तालिका डीएफ - 4

ऋण जोखिम : मानक दृष्टिकोण के अधीन संविभागों हेतु प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण :

निम्नलिखित श्रेणी निर्धारक एजेंसियों द्वारा किए गए ऋण श्रेणी-निर्धारण का उपयोग, मानक दृष्टिकोण के अधीन हमारे ऋण खातों के जोखिम भार-निर्धारण हेतु किया जाता है :

- 1) सीएआरई
- 2) सीआरआईएसआईएल
- 3) इंडिया रेटिंग
- 4) इन्फोमेरिक्स
- 5) आईसीआरए
- 6) बिक्रवर्क
- 7) एसएमईआरए

(अकारादि क्रम से सूचीबद्ध)

- श्रेणी-निर्धारक एजेंसियों ने कार्पोरेट एक्सपोजर का श्रेणी-निर्धारण किया है।
- उम्पर उल्लिखित श्रेणी निर्धारक एजेंसियों द्वारा प्रदत्त सार्वजनिक निर्गम की श्रेणी पर आधारित खातों का श्रेणी-निर्धारण करने में बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन किया है।

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण :

मानक दृष्टिकोण में जोखिम को कम करने के बाद एक्सपोजर

1) 100% से कम का जोखिम भार	- ₹2,11,760.53 करोड़
2) 100% जोखिम भार	- ₹16,760.61 करोड़
3) 100% से अधिक का जोखिम भार	- ₹21,793.10 करोड़
4) कटौती	- ₹6,914.10 करोड़
योग	- ₹2,43,400.14 करोड़

Table DF - 4

Credit Risk: Disclosures for Portfolios Subject to the Standardised Approach

Qualitative disclosure:

Credit rating accorded by the following credit rating agencies has been used in assigning risk weights to our credit accounts under standardized approach:

- 1) CARE
- 2) CRISIL
- 3) INDIARATINGS
- 4) Infomercials
- 5) ICRA
- 6) Brickwork
- 7) SMERA

(Listed in alphabetical order)

- Rating agencies have rated corporate exposures.
- In assigning rating to accounts based on public issue rating given by the above mentioned rating agencies, bank has followed the guidelines of Reserve Bank of India.

Quantitative disclosure:

Exposure after risk mitigation in standardized approach:

1) Below 100% risk weight	- ₹ 2,11,760.53 Cr.
2) 100% risk weight	- ₹ 16,760.61 Cr.
3) More than 100% risk weight	- ₹21,793.10 Cr.
4) Deduction	- ₹6,914.10 Cr.
Total	- ₹ 2,43,400.14 Cr.

तालिका डीएफ - 5

ऋण जोखिम प्रशमन : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण :

(अ) तुलन पत्र और उसके इतर के समायोजन का उपयोग जिस सीमा तक बैंक द्वारा किया जाता है उसका सूचक तथा उसके लिए नीति एवं प्रक्रिया

ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक - तुलन पत्र के समायोजन संबंधी

बैंक इस शर्त के अध्यक्षीन निवल ऋण एक्सपोजर के आधार पर पूंजी आवश्यकता की गणना करता है कि -

- बैंक के पास यह निष्कर्ष निकालने का एक सुनिश्चित विधिक आधार है कि चाहे काउंटर पार्टी दिवालिया अथवा शोधन अक्षम है अथवा नहीं, प्रत्येक संगत क्षेत्राधिकार में नेटिंग या ऑफसेटिंग करार प्रवर्तनीय है।
- बैंक किसी भी समय उसी काउंटरपार्टी के ऋण/अग्रिम एवं जमाराशियों को निर्धारित कर सकता है जो नेटिंग व्यवस्था के अध्यक्षीन है।
- बैंक निवल आधार पर संगत एक्सपोजर पर निगरानी रखता है और उनपर नियंत्रण करता है, ऋणों और अग्रिमों को एक्सपोजर के रूप में माना जाता है और जमाराशि को संपार्श्विक प्रतिभूत के रूप में माना जाता है।

ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक- गारंटी

- गारंटी को प्रत्यक्ष, स्पष्ट, अपरिवर्तनीय एवं शर्तहित होना चाहिए।
- प्रतिस्थापन व्यवस्था लागू की जाएगी। इस प्रकार काउंटरपार्टी की तुलना में कम जोखिम भार वाली कंपनी द्वारा जारी गारंटी से पूंजी भार कम होगा क्योंकि काउंटरपार्टी एक्सपोजर के संरक्षित अंश में गारंटीकर्ता का जोखिम भार समनुदेशित है जबकि असंरक्षित अंश में मूल काउंटरपार्टी का जोखिम भार प्रतिधारित है।
- गारंटी के लिए परिचालन अपेक्षाएं अवश्य पूरी की जानी चाहिए।
- योग्य गारंटीकर्ताओं (काउंटर गारंटीकर्ताओं) की श्रेणी निम्नलिखित संस्था द्वारा दिए गए ऋण संरक्षण को मान्यता दी जाएगी:
 - सरकार, सरकारी कंपनी (बीआईएस, आईएमएफ, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, एमबीडी, एससीजीसी और सीजीटीएसएमई) बैंक एवं काउंटरपार्टी की तुलना में कम जोखिम भार वाले प्राथमिक व्यापारी;
 - 'एए' या उससे बेहतर रेटिंग वाली अन्य कंपनियां : इसमें मूल, सहायक एवं संबद्ध कंपनियों द्वारा दिया गया गारंटी कवर उस स्थिति में शामिल होगा, जब उनका जोखिम भार बाध्यताधारी से कम हो।
- संरक्षित अंश में संरक्षण प्रदाता का जोखिम भार समनुदेशित है।

(आ) संपार्श्विक मूल्यांकन एवं प्रबंध के लिए पद्धति एवं प्रक्रिया

यदि संपत्ति को बिक्री के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो एक बैंकर के रूप में हम संपत्ति के उस बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हैं, जिसकी उम्मीद क्रेता से की जाती है। मूल्यांकन आस्ति मूल्यांकन पद्धति द्वारा किया जाता है, जो प्रतिभूति के रूप में ली जाने वाली मूर्त आस्तियों के बाजार मूल्य को ध्यान में रखती है।

विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों के मूल्यांकन की पद्धति

(i) भूमि एवं भवन का मूल्यांकन

बैंक की चालू सूची में शामिल पंजीकृत मूल्यांकनों द्वारा सभी भू-संपत्तियों का मूल्यांकन किया जाए। भूमि का मूल्य अलग से लगाया जाएगा और नगरपालिका निकायों सहित सरकारी प्राधिकरणों द्वारा दर्ज मूल्यांकन से उसकी तुलना की जाएगी। उस भूमि पर किए गए निर्माण कार्य का मूल्यांकन अलग से किया जाएगा तथा उस संपत्ति का बीमा करने पर लगाए गए मूल्य से उसकी तुलना की जाएगी।

निम्नलिखित मदों को ध्यान में रखा जाएगा :

- निर्माण की प्रकृति
- भवन की आयु तथा उसकी विद्यमान मजबूती
- किराया से होने वाली आय
- निर्धारित /प्रदत्त कर की राशि
- भूमि एवं भवन का क्षेत्र
- निर्माण की लागत
- जगह का मूल्य

(ii) जंगम संपत्तियों का मूल्यांकन

दृष्टिबंधकित /गिरवी रखी गई आस्तियों का मूल्यांकन करते समय मूल्यांकन का आधार बीजक में दिए गए मूल्य या बाजार मूल्य को, इनमें से जो भी कम हो, ध्यान में रखा जाए।

(iii) शेयरों का मूल्यांकन :

बाजार मूल्य का परिकलन निम्न प्रकार से किया जाता है :

- शेयर का मौजूदा बाजार मूल्य
- पिछले 52 सप्ताह के दौरान प्रतिभूति के उच्चतम एवं निम्नतम मूल्यों में से जो भी कम हो उसका औसत। म्यूचुअल फंड के यूनिट के मामले में (अनुमोदित सूची में केवल मास्टर शेयरों को शामिल किया गया है) निवल आस्ति मूल्य (एनएवी)/पुनर्क्रय कीमत या बाजार मूल्य में से जो भी कम हो, को लिया जाए।

(iv) एल आई सी पॉलिसी का मूल्यांकन

पॉलिसी का वर्तमान समर्पण मूल्य

जो भी प्रतिभूति ली जाती हो, इस बात का ध्यान रखा जाए कि उसे पर्याप्त रूप से प्रभारित किया गया है और सभी आवश्यक विधिक औपचारिकताएं पूरी की गई हैं ताकि आपात स्थिति पैदा होने पर उसे बिना किसी कठिनाई के वसूला जा सके। इसके अतिरिक्त अग्रिम के विद्यमान रहने तक प्रतिभूति पर लगातार निगरानी रखना जरूरी है।

(ग) बैंक द्वारा लिए जाने वाले प्रमुख संपार्श्विक निम्नलिखित हैं :

- (i) भूमि एवं भवन जैसी स्थावर संपत्तियों का साम्यिक बंधक/रजिस्ट्रीकृत बंधक
- (ii) संयंत्र एवं मशीनरी, फर्नीचर/जुड़नार जैसी जंगम आस्तियों का दृष्टिबंधन
- (iii) शेयरों/डिबेंचरों/ईक्विटीयों/म्युचुअल फंड यूनितों को गिरवी रखना
- (iv) एलआईसी पालिसी का समनुदेशन
- (v) बैंक की अपनी सावधि जमा रसीदों पर ग्रहणाधिकार
- (vi) एनएससी/केवीपी को गिरवी रखना

(घ) प्रमुख प्रकार के गारंटीकर्ता काउंटरपार्टी एवं उनकी ऋण शोधक्षमता

सामान्यतः बैंक निम्नलिखित प्रकार के गारंटीकर्ता काउंटरपार्टी लेने हेतु अनुरोध करता है :

- i) भागीदारों/गैर-पेशेवर निदेशकों/अन्य पक्षकारों की वैयक्तिक गारंटी
- ii) कार्पोरेट गारंटी
- iii) राज्य सरकार की गारंटी

बैंक अपने स्वविवेक से मूल/धारक कंपनी से उस स्थिति में गारंटी प्राप्त कर सकता है जब ऋण सुविधा उसी समूह के उधारकर्ता यूनितों को प्रदान की जाती है।

जब वैयक्तिक गारंटी मांगी जाती है तो व्यक्ति की अनुमानित अर्थक्षमता के औचित्यपूर्ण अनुपात को ध्यान में रखा जाए।

(ङ) प्रशमन के भीतर ऋण जोखिम संकेंद्रण के बारे में सूचना :

ऋण जोखिम को कम करने हेतु एक्सपोजर को पूर्णतः या अंशतः नकदी, प्रतिभूति या उसी काउंटरपार्टी से जमाराशियों, किसी तृतीय पक्ष की गारंटी द्वारा केन्द्रीकृत किया जाता है।

बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव के कारण बाजार जोखिम उत्पन्न होता है, जिसे बिक्री संविदा, उपभोक्ता को वित्तपोषण, वापसी खरीद शर्त एवं त्रुटि करार के माध्यम से कम किया जाता है।

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण:

मानक दृष्टिकोण के अधीन मार्जिन को लागू करने के बाद योग्य वित्तीय संपार्श्विक द्वारा कुल ₹10126.92 करोड़ के एक्सपोजर को सुरक्षित किया गया।

तालिका डीएफ - 6

प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटीकरण

लागू नहीं क्योंकि यूको बैंक के पास कोई प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर नहीं है।

Table DF - 5

Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approaches

Qualitative disclosure:

(a) Policies and processes for, and an indication of the extent to which the bank makes use of, on and off balance sheet netting

Credit risk mitigation techniques- On Balance Sheet netting

The Bank computes capital requirements on the basis of net credit exposure subject to the conditions that the bank

- i) has a well founded legal basis for concluding that the netting or off setting agreement is enforceable in each relevant jurisdiction regardless of whether the counterparty is insolvent or bankrupt;
- ii) is able any time to determine loans/advances and deposits with the same counterparty that are subject to the netting arrangement;
- iii) monitors and controls the relevant exposures on a net basis;

Loans and advances are treated as exposure and deposits are treated as collaterals.

Credit risk mitigation techniques- Guarantees

- i) Guarantees should be direct, explicit, irrevocable and unconditional.
- ii) Substitution approach will be applied. Thus guarantees issued by entities with lower risk weight than the counterparty will lead to reduce capital charge since the protected portion of the counterparty exposure is assigned the risk weight of the guarantor, whereas the uncover portion retain the risk weight of the underlying counterparty.
- iii) Operational requirement for guarantees must be met.
- iv) Range of eligible guarantors (counter guarantors)

Credit protection given by the following entities will be recognized:

- a) Sovereigns, sovereign entities (including BIS, IMF, European Central Bank, MBDs, SCGC and CGTSME), Banks and Primary dealers with a lower risk weights than the counter party;
- b) Other entities rated AA- better. This would include guarantee covered provided by parent, subsidiary and affiliated companies when they have a lower risk weight than the obligor.
- v) Protected portion is assigned the risk weight of the protection provider.

(b) Policies and processes for collateral valuation and Management

As a banker we are concerned with market value of the property that can be expected from a buyer if the property is put to sale. So valuation is made by Asset Valuation Methodology which takes into consideration the market value of tangible assets taken as security.

Method of valuation of various types of securities:

(i) Valuation of land and building

All landed properties must be valued by Registered valuers who are in the current empanelled list of bank. The value of the land will be assessed separately and would be compared with valuation on record by Govt. Authorities including Municipal Bodies. Construction on the said land would be valued separately and compared with value of insurance taken to cover the said property.

The following points are taken into consideration:

- i) Nature of construction
- ii) Age of the building and its present strength
- iii) Rental yield
- iv) Tax amount assessed/paid
- v) Area of land and building
- vi) Cost of construction
- vii) Value of site

(ii) Valuation of Movable properties:

In valuation of hypothecated/pledged assets, basis of valuation is invoice price or market price whichever is lower.

(iii) Valuation of shares:

Market value is calculated as below:

- a) Current market price of the share
- b) Average of high and low prices of security during last 52 weeks whichever is lower. In case of units of mutual funds (only Master Share has been included in the approved list) Net Asset Value (NAV)/Repurchase price or the market price, whichever is less, has to be taken.

(iv) Valuation of LIC Policy:

Present surrender value of the policy

Whatever security is obtained, care should be taken to see that it is adequately charged and all necessary legal formalities are completed so that it can be realized without any difficulty, whenever an emergency arises. Moreover, during the lifetime of an advance constant watch over the security is necessary.

(c) Main types of collateral taken by Bank are -

- i) Equitable Mortgage/ Registered Mortgage of immovable properties like land and building.
- ii) Hypothecation of movable fixed assets like plant & machinery furniture/fixtures.
- iii) Pledge of shares/debentures/equities/units of Mutual Funds
- iv) Assignment of LIC Policies
- v) Lien over Bank's own Fixed Deposit receipts
- vi) Pledge of NSCs/KVPs

(d) The main types of guarantor counterparty and their credit worthiness

Normally Bank insists on following types of guarantor counterparty-

- i) Personal guarantee of partners/non-professional directors/third parties,
- ii) Corporate Guarantee
- iii) Guarantees of State Government

The bank may also obtain guarantees at its discretion from parent/holding Company when credit facilities are extended to borrowing units in the same group.

When personal guarantees are warranted, they should bear reasonable proportion to the estimated worth of the person.

(e) Information about credit risk concentrations within the mitigation taken -

In order to mitigate the credit risks, exposures are collateralized in whole or in part by cash, securities, deposits from the same counterparty, guarantee of a third party.

Market risks arise from movements in market prices which are mitigated through sales contacts, consumer financing, buy back clause and deficiency agreement.

Quantitative disclosure:

Total exposure covered by eligible financial collaterals after application of haircut under standardized approach- ₹10126.92 Cr.

Table DF - 6

Securitisation Exposures: Disclosure for Standardised Approach

Not Applicable as UCO Bank is not having any securitization exposure.

तालिका डीएफ - 7

क्रय-विक्रय बहियों में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण :

1. उद्देश्य एवं नीतियां:

निवेश और विदेशी मुद्रा लिखतों में बाजार जोखिम को सीमित करने हेतु। इसके लिए बैंक ने देशी और विदेशी शाखाओं हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां अपनाई हैं।

2. कार्यनीति एवं प्रक्रिया:

यह नीति एक्सपोजर पर विभिन्न सीमाओं का प्रावधान करती है। विदेश स्थित केन्द्रों के लिए अनुमोदित नीति के अनुसार विदेश स्थित केन्द्रों की स्थानीय एएलसीओ समिति कार्यनीति और प्रक्रिया पर ध्यान देती है।

3. संबंधित जोखिम प्रबंधन कार्य की संरचना एवं संगठन:

निवेश से संबंधित निर्णय कार्पोरेट निवेश समिति द्वारा लिए जाते हैं। इस समिति में कार्यपालक निदेशक व फ्लैगशिप कार्पोरेट ऋण, मिड कार्पोरेट, वित्त एवं कोष शाखा, मुंबई के महाप्रबंधकगण शामिल हैं। विदेश स्थित केन्द्रों पर केन्द्रों के मुख्य कार्यपालकों के अधीन स्थानीय समिति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निर्णय लेती है। बैंक में कठोर कार्यात्मक अलगाव हेतु फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस एवं बैक ऑफिस कार्यरत हैं। जोखिम प्रबंधन विभाग, प्रधान कार्यालय समग्र संविभाग के लिए मिड ऑफिस के रूप में कार्य करता है।

4. जोखिम की रिपोर्टिंग और/या माप पद्धति का कार्यक्षेत्र एवं स्वरूप

देशी एवं विदेशी शाखाओं द्वारा दिए गए बैंक ऋण का पूरा विवरण समय-समय पर प्रधान कार्यालय को भेजा जाता है। जोखिमों के मूल्यांकन के साथ तिमाही आधार पर रिपोर्टिंग भी की जाती है। बैंक द्वारा तय की गई विभिन्न विवेकपूर्ण एवं अन्य सीमाओं से किसी तरह के विचलन की सूचना भी आवश्यक अनुमोदन हेतु प्रधान कार्यालय को दी जाती है।

5. जोखिमों से बचाव और/या उसे कम करने के लिए नीतियां एवं बचाव/कमी की अनवरत प्रभावकारिता पर निगरानी रखने हेतु कार्यनीति एवं प्रक्रियाएँ :

बैंक की नीति है कि विदेशी मुद्रा में लगभग समान स्थिति बनाए रखी जाए। तथापि, संबंधित करेंसियों में दिनरात, रातभर जैसी विभिन्न सीमाओं तथा समग्र रूपों से बैंक के भारतीय रूपों में रातभर की मुक्त स्थिति सीमा का निर्धारण किया गया है और उसकी निगरानी समय-समय पर की जाने वाली रिपोर्टिंग के आधार पर की जाती है।

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण :

निम्नलिखित के लिए पूंजी की आवश्यकता	(₹ करोड़ में)
ब्याज दर जोखिम	1481.79
ईविवटी स्थिति जोखिम	108.56
विदेशी मुद्रा जोखिम	4.47

TABLE DF - 7

Market Risk in Trading Book

Qualitative Disclosure:

1. Objective & Policies:

To limit the market risk in Investment and Forex instruments. For this the Bank adopted policies approved by the Board for Domestic as well as Overseas Branches.

2. Strategies and Processes:

Policy provides various limits on exposures. Local ALCO Committee of overseas centers takes care of strategies and processes as per approved policy for overseas centers.

3. Structure and organization of the relevant risk management function:

Investment decisions are taken by Corporate Investment Committee comprising of Executive Director, General Managers of Corporate Credit, Finance, Risk Management, International and Treasury Branch, Mumbai. At overseas centers local committee under Chief Executives of the centers takes decision as per guidelines approved by the Board. The Bank has front office, mid office and back office for strict functional segregation. Risk Management Department at Head Office performs the function of mid office for overall portfolio.

4. The scope and nature of risk reporting and/or measurement system:

Periodic Reporting of full details of Bank's exposure undertaken by the domestic and overseas branches are sent to Head Office. Quarterly reporting with evaluation of risks are also made. Any breaches from various prudential and other limits fixed by the Bank are also referred to H.O for necessary approval.

5. Policies for hedging and/or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedge/s militants:

The Bank's policy is to maintain near square position in Forex. However various limits like daylight, overnight in respective currencies as well as overnight open position limit in Indian rupees for the Bank as a whole have been fixed and the same is monitored through periodic reporting.

Quantitative Disclosures:

(₹ in crore)

Capital requirements for :	
Interest Rate Risk	1481.79
Equity Position Risk	108.56
Foreign Exchange Risk	4.47

तालिका डीएफ - 8

परिचालनगत जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने निम्नलिखित के लिए पद्धति, प्रक्रिया एवं निगरानी व्यवस्था कायम की है –

- सभी महत्वपूर्ण उत्पादों, क्रियाकलापों, प्रक्रियाओं और पद्धतियों में विद्यमान परिचालनगत जोखिमों की पहचान तथा मूल्यांकन
- परिचालनगत जोखिम प्रोफाइल तथा हानि के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण एक्सपोजर पर निगरानी रखना तथा वरिष्ठ प्रबंधन एवं निदेशक मंडल को आवश्यक सूचनाएं प्रदान करना
- महत्वपूर्ण परिचालनगत जोखिमों को नियंत्रित करने तथा कम करने हेतु नीतियों, प्रक्रियाओं एवं कार्यप्रणाली का निर्माण करना

परिचालनगत जोखिम प्रबंधन के लिए संगठनात्मक ढांचा निम्न प्रकार से है –

- निदेशक मंडल
- निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी)
- परिचालनगत जोखिम प्रबंधन कक्ष (ओआरएमसी)
- कारबार परिचालनगत जोखिम प्रबंधन (बीओआरएम)
- परिचालनगत जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञ(ओआरएमएस)
- जोखिम प्रबंधन विभाग

निदेशक मंडल सभी उत्पादों, क्रियाकलापों, प्रक्रियाओं एवं पद्धतियों में परिचालनगत जोखिम के प्रबंध हेतु परिचालनगत जोखिम प्रबंध ढांचा और उसके कार्यान्वयन एवं नीतियों, प्रक्रियाओं एवं कार्यप्रणालियों का अनुमोदन करता है।

जोखिम की सूचना और/या माप पद्धति का कार्यक्षेत्र एवं स्वरूप

बैंक की स्थापित नीतियों एवं प्रक्रियाओं की पर्याप्तता के स्वतंत्र मूल्यांकन एवं अनुपालन हेतु निरंतर निगरानी के अंग के रूप में पर्याप्त आंतरिक लेखापरीक्षा की जाती है। निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति लेखापरीक्षा कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र एवं आवधिकता सुनिश्चित करती है। निरीक्षण विभाग आंतरिक कार्य का विकास एवं पर्यवेक्षण करता है।

सभी वित्तीय विभागों/कारोबार इकाइयों को सूचित किया गया है कि वे आरएमडी को नई गतिविधियों, नई पहलों, उत्पादों एवं परिचालनगत परिवर्तनों के बारे में पूरी तरह अवगत कराएं ताकि किसी भी आरंभिक स्थिति में सभी संबंधित जोखिमों की पहचान की जा सके।

बैंक और अधिक विकसित मापन दृष्टिकोणों की आवश्यकता पूरी करने के लिए हानि की घटना के प्रकार-वार और कारोबार प्रवृत्ति-वार परिचालन जोखिम हानि के प्रासंगिक आंकड़े एकत्रित करता रहा है। बाहरी हानि के आंकड़े प्राप्त करने के लिए बैंक ने कॉर्डेक्स की सदस्यता हासिल कर ली है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशानुसार बैंक मूलभूत संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) के अंतर्गत परिचालन जोखिम के अनुरूप पूँजी रख रहा है। 31.03.2021 की स्थिति को बीआईए के अनुसार पूँजी आवश्यकता ₹11147 करोड़ की है।

Table DF – 8

Operational Risk

Qualitative disclosure:

The Bank has put in place systems, processes and monitoring mechanism for -

- Identification and assessment of operational Risks inherent in all material products, activities, processes and systems,
- Monitoring operational risk profiles and material exposure to losses and reporting pertinent information to Senior Management and Board of Directors.
- Framing policies, processes and procedures to control and mitigate material operational risk.

The Organizational set up for operational risk management is as follows:

- The Board of Directors
- Risk Management Committee of the Board (RMCB)
- Operational Risk Management Cell (ORMC)
- Business Operational Risk Managers (BORM)
- Operational Risk Management Specialists (ORMS)
- Risk Management Department

Board of Directors approves Operational Risk Management framework, implementation and policies, processes and procedures for managing operational risk in all products, activities, processes and systems.

Scope and nature of Risk Reporting and/or measurement system:

In order to provide independent assessment of adequacy and compliance with bank's established policies and procedures, adequate internal audit coverage is in place as a part of ongoing monitoring. The Audit committee of the Board ensures the scope and frequency of the audit programme. The Inspection department develops and oversees the internal function.

All financial departments/business units have been informed to keep the RMD fully informed of new developments, initiatives, products and operational changes to identify all associated risks at an early stage.

The Bank has been collecting the relevant operational risk loss data loss event types and business lines wise to meet the requirement of Advanced Measurement Approaches. Bank has obtained membership of CORDEX for accessing the external loss data.

As per RBI directives, the bank has been maintaining capital for operational risk under Basic Indicator approach (BIA). The capital requirement as per BIA is ₹11147 crores as on 31.03.2021.

तालिका डीएफ - 9

बैंकिंग बहियों में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने अपनी आस्ति देयता प्रबंध नीति तैयार की है जो बैंकिंग की बहियों में ब्याज दर जोखिम से संबंधित मुद्दों का निपटान करती है। बैंक चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि और साथ ही एक वर्ष की अवधि के लिए जोखिम पर अर्जन (ईएआर) के प्रयोजन एवं आकलन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार ब्याज दर अस्थिरता के बारे में प्रत्येक माह विवरण तैयार करता है। बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रयोजन हेतु दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार संशोधित अवधि का विवरण भी प्रत्येक महीने तैयार करता है और ईक्विटी में परिवर्तन का आकलन करता है। दोनों ही विवरणों की समीक्षा बैंक के निदेशक मंडल की आस्ति देयता प्रबंधन समिति/जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा की जाती है।

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण

1) 100 आधार अंक के निम्नगामी (ऊर्ध्वगामी) दर शॉक के लिए अर्जन में अनुमानित वृद्धि (कमी)	+/- ₹96.18 करोड़
2) 100 आधार अंक के निम्नगामी (ऊर्ध्वगामी) दर शॉक के लिए आर्थिक मूल्य में अनुमानित वृद्धि (ह्रास)	+/- ₹452.05 करोड़

Table DF-9

Interest Rate Risk in the Banking Books (IRRBB)

Qualitative disclosure:

Bank has in place Asset Liability Management policy that addresses issues related to Interest rate risk in Banking Books. Bank draws every month statement of Interest Rate sensitivity in accordance with the guidelines given by Reserve Bank of India for the purpose and estimates of Earnings at Risk (EaR) for the remaining period of the current financial year and as well as over one year horizon. Bank also draws every month statement of modified duration in accordance with the guidelines given for this purpose by Reserve bank of India and estimates Equity Var. Both the statements are reviewed by Bank's Asset Liability Management Committee/ Risk management Committee of the Board.

Quantitative disclosure :

1) Estimated increase (decline) in earnings for Downward (upward) rate shock of 100 basis point	+/- ₹96.18 Cr.
2) Estimated increase (decline) in economic value for Downward (upward) rate shock of 100 basis point	+/- ₹452.05 Cr.

तालिका डीएफ-10

काउंटरपार्टी ऋण जोखिम से संबंधित एक्सपोजर का सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

i) डेरिवेटिव कारोबार में जोखिम प्रबंधन की संरचना एवं संगठन:

संरचनागत ढांचे में कारपोरेट स्तर पर निवेश स्कंध निहित है जो कार्यपालक निदेशकों और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अंततः निदेशक मंडल को रिपोर्ट करता है। जोखिम प्रबंधन विभाग को, जब भी इस प्रकार के लेन-देन किए जाते हैं, उनके बारे में सूचित किया जाता है।

ii) जोखिम प्रबंधन, जोखिम रिपोर्टिंग एवं जोखिम निगरानी प्रणालियों का कार्यक्षेत्र एवं प्रकृति:

क) बैंक द्वारा संपन्न किए जाने वाले ब्याज दर स्वाप (आईआरएस), बचाव एवं कारोबार के प्रयोजन से हैं। उत्पाद के रूप में डेरिवेटिव की पेशकश आरबीआई मानदंडों के अनुसार ग्राहक को भी की जाती है। ऐसे लेन-देन आरबीआई के दिशानिर्देशों के आधार पर बनाई गई बैंक नीतियों के अनुरूप संपन्न किए जाते हैं।

ख) ब्याज दर स्वाप संविदाओं की शेष अवधि की बेंचमार्क ब्याज दरों के उतार-चढ़ाव के अनुसार ब्याज दर डेरिवेटिव लेन-देन में जोखिम की माप की जाती है। जोखिम को मापने के प्रयोजन से सभी ब्याज दर डेरिवेटिव लेन-देन को शामिल किया जाता है। जोखिम आकलन करके प्राप्त रिपोर्टों को प्रतिदिन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / कार्यपालक निदेशकों तथा नियत अवधि में निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाता है। ब्याज दर डेरिवेटिव लेन-देन की मार्क टू मार्केट स्थिति पर जोखिम की निगरानी आधारित की जाती है।

iii) जोखिम से बचाव और/या प्रशमन की नीतियां तथा बचावों/प्रशामकों की निरंतर सक्रिय प्रभावशीलता की निगरानी हेतु कार्यनीतियां एवं प्रक्रियाएं :

आईआरएस को वास्तविक ब्याज पर, जिसमें अस्तियां या देयताएं अंतर्निहित होती हैं, आकलित किया जाता है। नोशनल मूल राशि एवं बचाव की परिपक्वता राशि, सन्निहित आस्तित्व/देयता के मूल्य एवं परिपक्वता से अधिक नहीं होती है। जोखिम की निगरानी बकाया ब्याज दर स्वाप संविदाओं के मार्क टू मार्केट आधार पर की जाती है तथा तदनुसार ही बचाव की प्रभावशीलता का निर्धारण किया जाता है। आईआरएस में प्रवेश के लिए संपार्श्विक की जरूरत नहीं है। पूंजीगत आवश्यकताओं का निर्धारण करने हेतु आईआरएस की नोशनल मूल राशि का गुणा प्रासंगिक परिवर्तन घटक एवं काउंटरपार्टी के संबंधित जोखिम भार से करके हिसाब में लिया जाता है।

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण:

काउंटरपार्टी ऋण जोखिम का एक्सपोजर:

₹ करोड़ में

विवरण	राशि
संविदाओं का कुल सकारात्मक मूल्य	449.94
नेटिंग लाभ	0.00
नेटेड चालू ऋण एक्सपोजर	449.94
धारित संपार्श्विक	0.00
शुद्ध डेरिवेटिव ऋण एक्सपोजर	449.94

₹ करोड़ में

मद	नोशनल राशि	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार चालू ऋण एक्सपोजर
क्रॉस सीसीवाई ब्याज दर स्वाप	0.00	0.00
अग्रगामी दर करार	61483.20	1474.33
एकल सीसीवाई ब्याज दर स्वाप	4770.78	65.41
भविष्य ब्याज दर	0.00	0.00
ऋण डिफाल्ट स्वाप	0.00	0.00
कुल	66253.98	1539.74

Table DF-10

General Disclosure for Exposures Related to Counterparty Credit Risk

Qualitative Disclosures

i) The Structure and organization for management of risk in derivatives trading:

The organization structure consists of Investment Wing at the Corporate level which report to the Executive Directors and Chairman & Managing Director and ultimately to the Board. Risk Management Department is informed of the transactions as and when they take place.

ii) The scope and nature of risk measurement, risk reporting and risk monitoring systems:

- a) The Interest Rate Swap (IRS) transactions undertaken by the Bank are for hedging and trading purposes. Derivative as a product is also offered to the customer as per RBI norms. Such transactions are undertaken as per policies of the bank formulated based on RBI guidelines.
- b) The risk is measured in the interest rate derivative transactions depending on the movement of benchmark interest rates for the remaining life of the interest rate swap contracts. All interest rate derivative transactions are included for the purpose of risk measurement. The risk is evaluated and reports are placed to the CMD / ED daily and Board periodically. Risk is monitored based on the mark to market position of the interest rate derivative transactions.

(iii) Policies for hedging and /or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/mitigants:

IRS is undertaken on the actual interest bearing underlying assets or liabilities. The notional principal amount and maturity of the hedge does not exceed the value and maturity of underlying asset/liability. The risk is monitored on the mark to market basis of the outstanding interest rate swap contracts and accordingly the effectiveness of the hedge is determined. Collateral required upon entering into IRS is Nil. Notional principal amount of IRS multiplied by the relevant conversion factor and the respective risk weight of the counter party has been taken into account for determining the capital requirements.

Quantitative Disclosure:

Exposure of Counterparty Credit Risk:

Particulars	₹ in Cr	
	Amount	
Gross positive value of contracts		449.94
Netting Benefits		0.00
Netted current credit exposure		449.94
Collateral held		0.00
Net derivative credit exposure		449.94

Item	₹ in Cr	
	Notional Amount	Current Credit Exposure As on 31.03.2020
Cross CCY Interest Rate Swaps	0.00	0.00
Forward Exchange Contracts	61483.20	1474.33
Single CCY Interest Rate Swaps	4770.78	65.41
Interest Rate Futures	0.00	0.00
Credit Default Swaps	0.00	0.00
Total	66253.98	1539.74

तालिका डीएफ - 11

पूँजी की संरचना

(₹ मिलियन में)

बासेल III सामान्य प्रकटीकरण तालिका		राशियां	संदर्भ
सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी : लिखत एवं आरक्षित निधियाँ			
1	सीधे जारी विशेषक साधारण शेयर पूँजी और संबंधित स्टॉक आधिक्य (शेयर प्रीमियम)*	282387.0	
2	प्रतिधारित उपार्जन		
3	संचित अन्य व्यापक आय (एवं अन्य आरक्षित निधियाँ)	-72535.1	
4	सीईटी1 से चरणबद्ध समाप्ति के अधीन सीधे जारी की गई पूँजी (केवल गैर संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर प्रयोज्य)		
5	सहायकों द्वारा जारी एवं अन्य पार्टियों द्वारा धारित सामान्य शेयर पूँजी (समूह सीईटी1 में अनुमत राशि)		
6	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी विनियमनकारी समायोजनों से पूर्व	209851.9	
सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी : विनियमनकारी समायोजन			
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन		
8	सुनाम (संबंधित कर देयता को छोड़कर)		
9	अमूर्त वस्तुएँ (संबंधित कर देयता का निवल)		
10	आस्थगित कर आस्तियाँ	95740.9	
11	नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि		
12	अपेक्षित हानियों के प्रावधानों में कमी		
13	बिक्री पर प्रतिभूतिकरण लाभ		
14	उचित मूल्यांकित देयताओं पर स्वयं के ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ एवं हानियाँ		
15	निर्धारित-लाभ पेंशन निधि निवल आस्तियाँ		
16	स्वयं के शेयरों में निवेश (यदि रिपोर्ट किए गए तुलन पत्र पर पहले ही प्रदत्त पूँजी से अलग न किया गया हो)		
17	सामान्य ईक्विटी में पारस्परिक प्रतिधारिता		
18	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूँजी में निवेश जो नियमनकारी समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं, पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर हैं, जहाँ बैंक जारी की गई शेयर पूँजी के 10% से ज्यादा का स्वामी नहीं है (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
19	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश जो नियमनकारी समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं, पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर हैं (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
20	बंधक चुकौती अधिकार (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
21	अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियाँ (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा, संबंधित कर देयता को छोड़कर)		

22	15% प्रारंभिक से अधिक राशि		
23	जिसमें से: वित्तीय निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश		
24	जिसमें से: बंधक चुकौती अधिकार		
25	जिसमें से: अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियाँ		
26	राष्ट्रीय विशिष्ट नियमनकारी समायोजन (26क + 26ख + 26ग + 26घ)		
	26क जिसमें से: असमेकित बीमा सहायकों की ईक्विटी पूँजी में निवेश		
	26ख जिसमें से: असमेकित गैर-वित्तीय सहायकों की ईक्विटी पूँजी में निवेश		
	26ग जिसमें से: प्रधान रूप से स्वाधिकृत वित्तीय निकायों की ईक्विटी पूँजी में कमी जिसे बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है।		
	26घ जिसमें से: अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय		
27	कटौतियों को पूरा करने में अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 एवं टियर 2 के कारण सामान्य ईक्विटी टियर 1 पर लागू नियमनकारी समायोजन		
28	सामान्य ईक्विटी टियर 1 को कुल नियमनकारी समायोजन		
29	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी (सीईटीआई) अतिरिक्त टियर 1 पूँजी: लिखत	114111.0	
30	सीधे जारी विशेषक अतिरिक्त टियर 1 लिखत के साथ संबंधित स्टॉक आधिक्य (31+32)	-	
31	जिसमें से: प्रयोज्य लेखांकन मानकों के तहत ईक्विटी के रूप में वर्गीकृत (स्थायी असंचयी अधिमानी शेयर)	-	
32	जिसमें से: प्रयोज्य लेखांकन मानकों के तहत देयताओं के रूप में वर्गीकृत (स्थायी ऋण लिखत)		
33	अतिरिक्त टियर 1 से चरणबद्ध समाप्ति के अधीन सीधे जारी पूँजी लिखत		
34	सहायकों द्वारा जारी एवं अन्य पार्टी द्वारा धारित अतिरिक्त टियर 1 लिखत (एवं सीआईटी 1 लिखत जो पंक्ति 5 में शामिल नहीं है) समूह एटी1 में अनुमत राशि		
35	<i>जिसमें से: चरणबद्ध समाप्ति के अधीन सहायकों द्वारा जारी लिखत</i>		
36	अतिरिक्त टियर 1 पूँजी नियमनकारी समायोजन से पूर्व अतिरिक्त टियर 1 पूँजी: नियमनकारी समायोजन	-	
37	स्वयं के अतिरिक्त टियर 1 लिखत में निवेश		
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखत में पारस्परिक प्रतिधारिता		
39	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूँजी में निवेश जो नियमनकारी समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं, पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर हैं, जहाँ बैंक जारी की गई शेयर पूँजी के 10% से ज्यादा का स्वामी नहीं है (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
40	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूँजी में महत्वपूर्ण निवेश जो नियमनकारी समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं, पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर हैं (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
41	राष्ट्रीय विशिष्ट नियमनकारी समायोजन (41क + 41ख)		
	41क जिसमें से असमेकित बीमा सहायकों की अतिरिक्त टियर 1 पूँजी में निवेश		
	41ख जिसमें से प्रधान रूप से स्वाधिकृत, वित्तीय निकायों की अतिरिक्त टियर 1 पूँजी में कमी जिसे बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है।		
42	कटौतियों को पूरा करने में अपर्याप्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 पर लागू नियमनकारी समायोजन		
43	अतिरिक्त टियर 1 पूँजी को कुल नियमनकारी समायोजन	-	
44	अतिरिक्त टियर 1 पूँजी (एटी1)	-	
45	टियर 1 पूँजी (टी1 = सीईटी + 1 एटी 1) (29 - 44) टियर 2 पूँजी: लिखत एवं प्रावधान	114111.0	
46	सीधे जारी विशेषक अतिरिक्त टियर 2 लिखत के साथ संबंधित स्टॉक आधिक्य		
47	टियर 2 से चरणबद्ध समाप्ति के अधीन सीधे जारी पूँजी लिखत	21000.0	
48	सहायकों द्वारा जारी एवं अन्य पार्टी द्वारा धारित टियर 2 लिखत (एवं सीईटीआई एवं एटी1 लिखत जो पंक्ति 5 या 34 में शामिल नहीं है) समूह टियर 2 में अनुमत राशि		
49	<i>जिसमें से: चरणबद्ध समाप्ति के अधीन सहायकों द्वारा जारी लिखत</i>		
50	प्रावधान	5731.4	
51	टियर 2 पूँजी नियमनकारी समायोजन से पूर्व टियर 2 पूँजी: नियमनकारी समायोजन	26731.4	

52	स्वयं के टियर 2 लिखत में निवेश	137.8	
53	टियर 2 लिखत में पारस्परिक प्रतिधारिता		
54	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूँजी में निवेश जो नियमनकारी समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं, पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर हैं, जहाँ बैंक जारी की गई शेयर पूँजी के 10% से ज्यादा का स्वामी नहीं है (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
55	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूँजी में महत्वपूर्ण निवेश जो नियमनकारी समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं (पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर)		
56	राष्ट्रीय विशिष्ट नियमनकारी समायोजन (56क+56ख) 56क जिसमें से कमी जिसे बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है। 56ख जिसमें से: प्रधान रूप से स्वाधिकृत, वित्तीय निकायों की टियर 2		
57	टियर 2 पूँजी को कुल नियमनकारी समायोजन		
58	टियर 2 पूँजी (टी2)	26593.6	
59	कुल पूँजी (टीसी=टी1 + टी2) (45 + 58)	140704.6	
60	कुल जोखिम भारत आस्तियाँ (60क + 60ख + 60ग)	1024116.7	
	60क जिसमें से: कुल ऋण जोखिम भारत आस्तियाँ	765997.0	
	60ख जिसमें से: कुल बाजार जोखिम भारत आस्तियाँ	146650.0	
	60ग जिसमें से: कुल परिचालन जोखिम भारत आस्तियाँ	111469.7	
	पूँजी अनुपात एवं वफर		
61	सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारत आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	11.14%	
62	टियर1 (जोखिम भारत आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	11.14%	
63	कुल पूँजी (जोखिम भारत आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	13.74%	
64	संस्था विशिष्ट अतिरिक्त आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी1 आवश्यकता के साथ पूँजी संरक्षण एवं प्रतिचक्रिय अतिरिक्त आवश्यकता, जोखिम भारत आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त)		
65	जिसमें से: पूँजी संरक्षण की अतिरिक्त आवश्यकता		
66	जिसमें से: बैंक विशिष्ट प्रतिचक्रिय अतिरिक्त आवश्यकता		
67	जिसमें से: जी-एसआईवी अतिरिक्त आवश्यकता		
68	बफर को पुरक करने के लिए उपलब्ध सामान्य ईक्विटी टियर-1 पूँजी की उपलब्धता (जोखिम भार आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)		
	राष्ट्रीय न्यूनतम (यदि बासेल III से भिन्न हो)		
69	राष्ट्रीय सामान्य ईक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III के न्यूनतम से भिन्न हो)		
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III के न्यूनतम से भिन्न हो)		
71	राष्ट्रीय कुल पूँजी न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III के न्यूनतम से भिन्न हो)		
	कटौती के लिए प्रारंभिक से कम राशि (जोखिम भार-निर्धारण से पूर्व)		
72	अन्य वित्तीय निकायों की पूँजी में गैर-महत्वपूर्ण निवेश		
73	वित्तीय निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश		
74	बंधक चुकौती अधिकार (संबंधित कर देयता को छोड़कर)		
75	अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियाँ (संबंधित कर देयता को छोड़कर)		
	टियर 2 के प्रावधानों के शामिल होने पर प्रयोज्य अधिकतम सीमाएँ		
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन ऋण जोखिम के संबंध में टियर 2 में शामिल करने के योग्य प्रावधान (अधिकतम सीमा लागू होने से पूर्व)		
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत टियर 2 के प्रावधानों को शामिल करने पर लागू अधिकतम सीमा		
78	आंतरिक श्रेणी-निर्धारण आधारित दृष्टिकोण के अधीन ऋण जोखिम के संबंध में टियर 2 में शामिल करने योग्य प्रावधान (अधिकतम सीमा लागू होने से पूर्व)		
79	आंतरिक श्रेणी-निर्धारण आधारित दृष्टिकोण के तहत टियर 2 के प्रावधानों को शामिल करने पर लागू अधिकतम सीमा		

* सीधे निर्गत विशेषक सामान्य शेयर पूँजी प्लस संबद्ध शेयर आधिक्य (अंश बढ़ौती) में शामिल है रु. 26000 मिलियन के शेयर एप्लीकेशन राशि (लंबित आवंटन) जो भारत सरकार से 31.03.2021 को प्राप्त हुए।

Table DF - 11
Composition of Capital

(₹ in million)

Basel III common disclosure template		Amounts	Ref No.
Common Equity Tier 1 capital: Instruments and reserves			
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)*	282387.0	
2	Retained earnings		
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	-72535.1	
4	<i>Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies¹)</i>		
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)		
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	209851.9	
Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments			
7	Prudential valuation adjustments		
8	Goodwill (net of related tax liability)		
9	Intangibles (net of related tax liability)		
10	Deferred tax assets	95740.9	
11	Cash-flow hedge reserve		
12	Shortfall of provisions to expected losses		
13	Securitisation gain on sale		
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities		
15	Defined-benefit pension fund net assets		
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)		
17	Reciprocal cross-holdings in common equity		
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)		
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)		
20	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)		
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)		
22	Amount exceeding the 15% threshold		
23	of which: significant investments in the common stock of financial entities		

24	of which: mortgage servicing rights		
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences		
26	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)		
	26a <i>of which:</i> Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries		
	26b <i>of which:</i> Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries		
	26c <i>of which:</i> Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank		
	26d <i>of which:</i> Unamortised pension funds expenditures		
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions		
28	Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1		
29	Common Equity Tier 1 capital (CET1)	114111.0	
	Additional Tier 1 capital: instruments		
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (Share Premium) (31+32)	-	
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	-	
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)		
33	<i>Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1</i>		
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties amount allowed in group AT1		
35	<i>of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out</i>		
36	Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments	-	
	Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments		
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments		
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments		
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)		
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)		
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b)		
	41a Of which : Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries		
	41b Of which : Shortfall in the additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank		
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions		
43	Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital	-	
44	Additional Tier 1 capital (AT1)	-	
45	Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (29 + 44)	114111.0	
	Tier 2 capital: instruments and provisions		
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus		
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	21000.0	
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)		
49	<i>of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out</i>		
50	Provisions	5731.4	
51	Tier 2 capital before regulatory adjustments	26731.4	

	Tier 2 capital: regulatory adjustments		
52	Investments in own Tier 2 instruments	137.8	
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments		
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)		
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)		
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)		
	56a of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated insurance subsidiaries		
	56b of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank		
57	Total regulatory adjustments to Tier 2 capital		
58	Tier 2 capital (T2)	26593.6	
59	Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58)	140704.6	
60	Total Risk weighted assets (60a + 60b + 60c)	1024116.7	
	60a of which: total credit risk weighted assets	765997.0	
	60b of which: total market risk weighted assets	146650.0	
	60c of which: total operational risk weighted assets	111469.7	
	Capital Ratios & Buffers		
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	11.14%	
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	11.14%	
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	13.74%	
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, plus G-SIB buffer requirement, expressed as a percentage of risk weighted assets)		
65	of which: capital conservation buffer requirement		
66	of which: bank specific countercyclical buffer requirement		
67	of which: G-SIB buffer requirement		
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)		
	National minima (if different from Basel III)		
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)		
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)		
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)		
	Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)		
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities		
73	Significant investments in the common stock of financial entities		
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)		
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)		
	Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2		
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)		
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach		
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)		
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach		

*Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium) includes Rs. 26000 million of Share Application Money (pending allotment) received from Govt. of India on 31.03.2021.

तालिका डीएफ - 12

पूँजी की संरचना - समाधान की अपेक्षाएं

चरण - 1

		(₹ मिलियन में)	
		रिपोर्टिंग तारीख की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरणों में यथारूप तुलन-पत्र	रिपोर्टिंग तारीख की स्थिति के अनुसार समेकन के विनियामक विस्तार के अंतर्गत तुलन-पत्र
क	पूँजी एवं देयताएं		
i	प्रदत्त पूँजी आरक्षित एवं अधिक निधि अल्प संख्य ब्याज शेयर एप्लीकेशन राशी कुल पूँजी	99183.406 100880.729 26000.000 226064.135	
ii	जमाराशि जिसमें से : बैंक जमाराशि जिसमें से : ग्राहक जमाराशि जिसमें से : अन्य जमाराशि (कृपया उल्लेख करें)	 20347.316 2038846.628	
iii	उधार जिसमें से: भा.रि. बैंक से जिसमें से: बैंकों से जिसमें से: अन्य एजेंसियों एवं संस्थाओं से जिसमें से: अन्य (भारत से बाहर) जिसमें से: पूंजीगत लिखत	 00.000 63753.175 55386.699 4686.449 30000.000	
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	94276.690	
	कुल	2533361.092	
ख	आस्तियां		
i	भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं शेष अल्प सूचना और मांग पर और बैंक के पास शेष	94454.144 141548.295	
ii	निवेश : जिसमें से : सरकारी प्रतिभूति जिसमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूति जिसमें से : शेयर जिसमें से : ऋणपत्र एवं बांड जिसमें से : सहायक कंपनी / संयुक्त उद्यम / सहायक जिसमें से : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युच्युल फंड आदि)	 663552.345 00.000 3390.559 260491.167 1081.569 9363.859	
iii	ऋण एवं अग्रिम जिसमें से : बैंकों को ऋण एवं अग्रिम जिसमें से : ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	 15270.774 991092.685	
iv	अचल आस्ति	32182.324	
v	अन्य आस्तियां जिसमें से : साख एवं अमूर्त आस्तियां जिसमें से : आस्थगित कर आस्तियां जिसमें से : अन्य	 100378.900 113422.521	
vi	समेकन पर साख		
vii	आय एवं व्यय खाते में नामे शेष		
	कुल आस्तियां	2533361.092	

		(₹ मिलियन में)	
		रिपोर्टिंग तारीख की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरणों में यथारूप तुलन-पत्र	रिपोर्टिंग तारीख की स्थिति के अनुसार समेकन के विनियामक विस्तार के अंतर्गत तुलन-पत्र
क	पूंजी एवं देयताएं		
i	प्रदत्त पूंजी जिसमें से : सीईटी 1 के लिए पात्र राशि जिसमें से : एटी 1 के लिए पात्र राशि आरक्षित एवं अधिक निधि शेयर एप्लोकेशन राशि अल्पसंख्य ब्याज कुल पूंजी	99183.406 99183.406 0.00 100880.729 26000.000 192096.241	
ii	जमाराशि जिसमें से : बैंकों से जमाराशि जिसमें से : ग्राहक जमाराशि जिसमें से : अन्य जमाराशियां (कृपया उल्लेख करें)	20347.316 2038846.628	
iii	उधार जिसमें से : भा.रि. बैंक से जिसमें से : बैंकों से जिसमें से : अन्य संस्थाओं एवं एजेंसियों से जिसमें से : अन्य (कृपया उल्लेख करें) जिसमें से : पूंजीगत लिखत	00.000 63753.175 55386.699 4686.449 30000.000	
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान जिसमें से : साख से संबद्ध डीएलटी जिसमें से : अमूर्त आस्तियों से संबद्ध डीएलटी कुल	94276.690 2533361.092	
ख	आस्तियां		
i	भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी और शेष अल्प सूचना और मांग पर और बैंक के पास शेष और बैंक के पास शेष	94454.144 141548.295	
ii	निवेश जिसमें से : सरकारी प्रतिभूतियां जिसमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां जिसमें से : शेयर जिसमें से : ऋण-पत्र एवं बांड जिसमें से : सहायक कंपनियों/ संयुक्त उद्यम / सहायक जिसमें से : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फंड आदि)	663552.345 00.000 3390.559 260491.167 1081.569 9363.859	
iii	ऋण एवं अग्रिम जिसमें से : बैंकों को ऋण एवं अग्रिम जिसमें से : ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	15270.774 991092.685	
iv	अचल आस्तियां	32182.324	
v	अन्य आस्तियां जिसमें से : साख और अमूर्त आस्तियां जिसमें से : साख अन्य अमूर्त आस्तियां (एमएसआर छोड़कर) आस्थगिक कर आस्तियां अन्य	100378.900 113422.521	
vi	समेकन पर साख		
vii	आय व व्यय खाते में नामे शेष		
	कुल आस्तियां	2533361.092	

सामान्य ईक्विटी टीयर 1 पूंजी : लिखत एवं आरक्षित निधियां

		(₹ मिलियन में)	
		बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई विनियामक पूंजी के घटक	चरण 2 में से विनियामक विस्तार के अंतर्गत तुलन-पत्र के पत्रों/संदर्भों पर आधारित स्रोत
1	सीधे निर्गत विशेषक सामान्य शेयर(और गैर संयुक्त पूंजी कंपनियों के लिए समकक्ष) पूंजी प्लस संबद्ध शेयर आधिक्य	282387.0	
2	प्रतिधारित आमदनी		
3	संचित अन्य व्यापक आय (एवं अन्य आरक्षित निधियां)	-72535.1	
4	सीईटी 1 से चरणबद्ध रूप से (केवल गैर संयुक्त उद्यम कंपनियों पर लागू) बाहर किए जाने के विषयाधीन प्रत्यक्ष निर्गत पूंजी		
5	सहायक कंपनियों द्वारा जारी एवं अन्य पक्षकारों (ग्रुप सीईटी 1 में अनुमत राशि) द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी		
6	विनियामक समायोजनों के पूर्व सामान्य ईक्विटी टीयर 1 पूंजी	209851.9	
7	विवेकसम्मत मूल्यांकन समायोजन		
8	साख (संबद्ध कर दायित्व को घटाकर)		
9	आस्थगित कर आस्तियां	95740.9	

* सीधे निर्गत विशेषक सामान्य शेयर पूंजी प्लस संबद्ध शेयर आधिक्य (अंश बढ़ौती) में शामिल है रु. 26000 मिलियन के शेयर एप्लीकेशन राशि (लंबित आवंटन) जो भारत सरकार से 31.03.2021 को प्राप्त हुए।

Table DF – 12
Composition of Capital – Reconciliation Requirements

Step - 1

		(₹ in million)	
		Balance sheet as in financial statements As on reporting date	Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on reporting date
A	Capital & Liabilities		
i	Paid-up Capital Reserves & Surplus Minority Interest Share Application Money Total Capital	99183.406 100880.729 26000.000 226064.135	
ii	Deposits <i>of which:</i> Deposits from banks <i>of which:</i> Customer deposits <i>of which:</i> Other deposits (pl. specify)	20347.316 2038846.628	
iii	Borrowings <i>of which:</i> From RBI <i>of which:</i> From banks <i>of which:</i> From other institutions & agencies <i>of which:</i> Others (Outside India) <i>of which:</i> Capital instruments	00.000 63753.175 55386.699 4686.449 30000.000	
iv	Other liabilities & provisions Total	94276.690 2533361.092	
B	Assets		
i	Cash and balances with Reserve Bank of India Balance with banks and money at call and short notice	94454.144 141548.295	
ii	Investments: <i>of which:</i> Government securities <i>of which:</i> Other approved securities <i>of which:</i> Shares <i>of which:</i> Debentures & Bonds <i>of which:</i> Subsidiaries / Joint Ventures / Associates <i>of which:</i> Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	663552.345 00.000 3390.559 260491.167 1081.569 9363.859	
iii	Loans and advances <i>of which:</i> Loans and advances to banks <i>of which:</i> Loans and advances to customers	15270.774 991092.685	
iv	Fixed assets	32182.324	
v	Other assets <i>of which:</i> Goodwill and intangible assets <i>of which:</i> Deferred tax assets <i>of which:</i> Others	100378.900 113422.521	
vi	Goodwill on consolidation		
vii	Debit balance in Profit & Loss account		
	Total Assets	2533361.092	

		(₹ in million)	
		Balance sheet as in financial statements As on reporting date	Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on reporting date
A	Capital & Liabilities		
i	Paid-up Capital <i>of which:</i> Amount eligible for CET1 <i>of which:</i> Amount eligible for AT1 Reserves & Surplus Share Application Money Minority Interest Total Capital	99183.406 99183.406 0.00 100880.729 26000.000 192096.241	
ii	Deposits <i>of which:</i> Deposits from banks <i>of which:</i> Customer deposits <i>of which:</i> Other deposits (pl. specify)	20347.316 2038846.628	
iii	Borrowings <i>of which:</i> From RBI <i>of which:</i> From banks <i>of which:</i> From other institutions & agencies <i>of which:</i> Others (pl. specify) <i>of which:</i> Capital instruments	00.000 63753.175 55386.699 4686.449 30000.000	
iv	Other liabilities & provisions <i>of which:</i> DTLs related to goodwill <i>of which:</i> DTLs related to intangible assets Total	94276.690 2533361.092	
B	Assets		
i	Cash and balances with Reserve Bank of India	94454.144	
	Balance with banks and money at call and short notice	141548.295	
ii	Investments <i>of which:</i> Government securities <i>of which:</i> Other approved securities <i>of which:</i> Shares <i>of which:</i> Debentures & Bonds <i>of which:</i> Subsidiaries / Joint Ventures / Associates <i>of which:</i> Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	663552.345 00.000 3390.559 260491.167 1081.569 9363.859	
iii	Loans and advances <i>of which:</i> Loans and advances to banks <i>of which:</i> Loans and advances to customers	15270.774 991092.685	
iv	Fixed assets	32182.324	
v	Other assets <i>of which:</i> Goodwill and intangible assets <i>Out of which:</i> Goodwill Other intangibles (excluding MSRs) Deferred tax assets Others	100378.900 113422.521	
vi	Goodwill on consolidation		
vii	Debit balance in Profit & Loss account		
	Total Assets	2533361.092	

Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves

		(₹in million)	
		Component of regulatory capital reported by bank	Source based on reference numbers/ letters of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation from step 2
1	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus*	282387.0	
2	Retained earnings		
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	-72535.1	
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)		
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)		
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	209851.9	
7	Prudential valuation adjustments		
8	Goodwill (net of related tax liability)		
9	Deferred tax assets	95740.9	

*Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium) includes Rs. 26000 million of Share Application Money (pending allotment) received from Govt. of India on 31.03.2021.

तालिका डीएफ - 13

नियमनकारी पूँजी लिखत की प्रमुख विशेषताएँ

लिखत : इक्विटी शेयर		
1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (उदा. निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी. आईसीआईएन या ब्लूमबर्ग)	आईएनई691ए01018
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम <i>विनियमनकारी उपचार</i>	प्रयोज्य भारतीय संविधि एवं विनियमनकारी आवश्यकताएँ
4	संक्रामी बासेल III नियम	कॉमन इक्विटी टियर 1
5	पश्च-संक्रामी बासेल III नियम	कॉमन इक्विटी टियर 1
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल का पात्र	एकल
7	लिखत का प्रकार	इक्विटी – कॉमन शेयर
8	नियमनकारी पूँजी के लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, रु. मिलियन में)	54233.982
9	लिखत का सममूल्य	₹10/- प्रति कॉमन शेयर
10	लेखांकन वर्गीकरण	इक्विटी पूँजी
11	जारी करने की मूल तारीख	दिसंबर 1969 एवं उसके बाद की विविध तारीखें
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	स्थायी
13	मूलभूत परिपक्वता तिथि	लागू नहीं
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	लागू नहीं
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	लागू नहीं
16	परवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो <i>कूपन/डिविडेंड</i>	लागू नहीं डिविडेंड
17	नियत या चल डिविडेंड/कूपन	चल डिविडेंड
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	लागू नहीं
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	लागू नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	पूर्णतया विवेकानुसार
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	लागू नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	लागू नहीं
24	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन का/के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	नहीं
31	यदि मूल्य-घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	लागू नहीं
32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्य-घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	सभी अन्य देनदारों के अधीनस्थ
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	लागू नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

लिखत: अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय टियर -II बांड 9.00% शृंखला XII

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (उदा. निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईसीआईएन या ब्लूमबर्ग)	आईएनई 691ए09185
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम <i>विनियमनकारी उपचार</i>	आरबीआई
4	संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
5	पश्च-संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल का पात्र	एकल
7	लिखत का प्रकार	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर-II बांड
8	विनियमनकारी पूँजी के लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, ₹ मिलियन में)	3000.00
9	लिखत का सममूल्य	₹ 10,00,000/-
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार
11	जारी करने की मूल तारीख	28.12.2012
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	तारीख पर
13	मूल परिपक्वता तिथि	28.12.2022
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	नहीं
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	लागू नहीं
16	परवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो	लागू नहीं
	<i>कूपन/डिविडेंड</i>	कूपन
17	नियत या चल डिविडेंड/कूपन	नियत
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	9.00%
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अनिवार्य
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	हाँ
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन का/के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	नहीं
31	यदि मूल्य-घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	लागू नहीं
32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्य-घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखत में निवेशकों का दावा करनेवाले निवेशकों से श्रेष्ठ होगा तथा ईक्विटी शेयरों की ईक्विटी में निवेश अन्य सभी देनदारों के दावे के अधीनस्थ होगा।
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	लागू नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

लिखत : अप्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तनीय गौण बासेल III अनुपालित टियर -II बांड 8.95% शृंखला ।

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (जैसे सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी प्लेसमेंट के लिए ब्लूमबर्गपहचान कर्ता)	आईएनई 691 ए INE691A08047
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम <i>विनियमनकारी उपचार</i>	भारतीय विधि
4	संक्रामी बासेल III नियम	टियर-II
5	(घनु कोष्टक खुला) बासेल III नियम	पात्र
6	एकल/ समूह/ समूह और एकल का पात्र	एकल
7	लिखत प्रकार	अधीनस्थ टियर-II
8	विनियमनकारी पूंजी के लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, रु मिलियन में)	10000
9	लिखत का सममूल्य	10000 मिलियन (प्रति बांड एक मिलियन)
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार
11	जारी करने की मूल तारीख	31.03.2017
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता की तिथि	31.03.2027
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	हाँ
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	31.03.2022
16	परिवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो <i>कूपन/ डिविडेंड</i>	प्रत्येक वर्ष
17	नियत या चल <i>डिविडेंड/ कूपन</i>	निश्चित
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	बांड की परिपक्वता तक प्रतिवर्ष 8.95% देय
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अंशतः विवेकाधीन
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन का/ के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	हाँ
31	यदि मूल्य- घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	भारतीय रिजर्व बैंक के विकल्प पर "प्वाइंट ऑफ नॉन वायबिलिटी ट्रिगर" नामक ट्रिगर का समय आने पर बांडों को स्थायी रूप से बड़े खाते डाला जा सकता है। पी ओ एन वी ट्रिगर का समय निम्नांकित से पहले आएगी: क) निर्णय कि स्थायी रूप से बड़े खाते डालना, जिसके बिना बैंक गैर अर्थक्षम हो जाएगा, आरबीआई के निर्धारण के अनुसार आवश्यक है; और ख) पूंजी की सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश या उसके समतुल्य का निर्णय, प्रासंगिक प्राधिकारी के निर्धारण के अनुसार जिसके बिना बैंक गैर अर्थक्षम हो जाएगा। ऐसे निर्णय का सीधा सा अर्थ यह होगा कि ट्रिगर की घड़ी के पश्चात बड़े खाते डालने की घटना किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के पूंजी निवेश से पहले ही होगी ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा प्रदत्तपूंजी का तनुकरण न हो।

32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	पूर्ण
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	स्थायी
34	यदि अस्थायी मूल्य- घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	बाँड धारकों के दावे (क) बैंक के टियर 1 कैपिटल में शामिल किए जाने के पात्र लिखतों पर निवेशकर्ताओं के दावे पर वरियता प्राप्त करेंगे, (ख) बैंक के सभी जमाकर्ताओं और सामान्य ऋणकर्ताओं के अधीन होंगे; (ग) कोई बैंक या संबंधित संस्था या अन्य व्यवस्था जो विधिक रूप से अथवा आर्थिक रूप से दावे के बरअक्स बैंक के देनदारों की वरियता को बढ़ाती है उसके द्वारा न तो तो प्रतिभूत होंगे और न ही कवर किए जाएंगे। बाँड धारकों को, दिवालियापन और परिसमापन की स्थिति को छोड़कर सूचीकृत भावी चुकौतियों (कूपन अथवा मूलधन) को आगे बढ़ाने का अधिकार नहीं होगा।
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

लिखत : अप्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तनीय गौण बासेल III अनुपालित टियर -II बांड 9.644% शृंखला II

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (जैसे सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी प्लेसमेंट के लिए ब्लूमबर्गपहचान कर्ता)	आईएनई 691 ए 08054 INE691A08054
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम <i>विनियमनकारी उपचार</i>	भारतीय विधि
4	संक्रामी बासेल III नियम	टियर-II
5	(घनु कोष्टक खुला) बासेल III नियम	पात्र
6	एकल/ समूह/ समूह और एकल का पात्र	एकल
7	लिखत प्रकार	अधीनस्थ टियर-II
8	विनियमनकारी पूंजी के लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, रु मिलियन में)	5000
9	लिखत का सममूल्य	5000 मिलियन (प्रति बांड एक मिलियन)
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार
11	जारी करने की मूल तारीख	28.06.2019
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता की तिथि	28.06.2029
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	हाँ
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	कॉल विकल्प नहीं
16	परिवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो <i>कूपन/ डिविडेंड</i>	प्रत्येक वर्ष
17	नियत या चल <i>डिविडेंड/ कूपन</i>	निश्चित
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	बांड की परिपक्वता तक प्रतिवर्ष 9.644% देय
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अंशतः विवेकाधीन
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन का/ के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	हाँ
31	यदि मूल्य- घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	भारतीय रिजर्व बैंक के विकल्प पर "प्वाईट ऑफ नॉन वायबिलिटी ट्रिगर" नामक ट्रिगर का समय आने पर बांडों को स्थायी रूप से बड़े खाते डाला जा सकता है। पी ओ एन वी ट्रिगर का समय निम्नांकित से पहले आएगी: क) निर्णय कि स्थायी रूप से बड़े खाते डालना, जिसके बिना बैंक गैर अर्थक्षम हो जाएगा, आरबीआई के निर्धारण के अनुसार आवश्यक है; और ख) पूंजी की सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश या उसके समतुल्य का निर्णय, प्रासंगिक प्राधिकारी के निर्धारण के अनुसार जिसके बिना बैंक गैर अर्थक्षम हो जाएगा। ऐसे निर्णय का सीधा सा अर्थ यह होगा कि ट्रिगर की घड़ी के पश्चात बड़े खाते डालने की घटना किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के पूंजी निवेश से पहले ही होगी ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा प्रदत्तपूंजी का तनूकरण न हो।

32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	पूर्ण
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	स्थायी
34	यदि अस्थायी मूल्य- घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	बाँड धारकों के दावे (क) बैंक के टियर 1 कैपिटल में शामिल किए जाने के पात्र लिखतों पर निवेशकर्ताओं के दावे पर वरियता प्राप्त करेंगे, (ख) बैंक के सभी जमाकर्ताओं और सामान्य ऋणकर्ताओं के अधीन होंगे; (ग) कोई बैंक या संबंधित संस्था या अन्य व्यवस्था जो विधिक रूप से अथवा आर्थिक रूप से दावे के बरअक्स बैंक के देनदारों की वरियता को बढ़ाती है उसके द्वारा न तो तो प्रतिभूत होंगे और न ही कवर किए जाएंगे। बाँड धारकों को, दिवालियापन और परिसमापन की स्थिति को छोड़कर सूचीकृत भावी चुकौतियों (कूपन अथवा मूलधन) को आगे बढ़ाने का अधिकार नहीं होगा।
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

लिखत : अप्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तनीय गौण बासेल III अनुपालित टियर -II बांड 9.71% शृंखला III

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (जैसे सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी प्लेसमेंट के लिए ब्लूमबर्गपहचान कर्ता)	आईएनई 691ए 08062 INE691A08062
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम विनियमनकारी उपचार	भारतीय विधि
4	संक्रामी बासेल III नियम	टियर-II
5	(घनु कोष्टक खुला) बासेल III नियम	पात्र
6	एकल/ समूह/ समूह और एकल का पात्र	एकल
7	लिखत प्रकार	अधीनस्थ टियर-II
8	विनियमनकारी पूंजी के लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, रु मिलियन में)	5000
9	लिखत का सममूल्य	5000 मिलियन (प्रति बांड एक मिलियन)
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार
11	जारी करने की मूल तारीख	17.12.2019
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता की तिथि	17.12.2029
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	हाँ
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	कॉल विकल्प नहीं
16	परिवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो कूपन/ डिविडेंड	प्रत्येक वर्ष
17	नियत या चल डिविडेंड/ कूपन	निश्चित
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	बांड की परिपक्वता तक प्रतिवर्ष 9.71% देय
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अंशतः विवेकाधीन
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन का/ के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	हाँ
31	यदि मूल्य- घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	भारतीय रिजर्व बैंक के विकल्प पर "प्वाईट ऑफ नॉन वायबिलिटी ट्रिगर" नामक ट्रिगर का समय आने पर बांडों को स्थायी रूप से बड़े खाते डाला जा सकता है। पी ओ एन वी ट्रिगर का समय निम्नांकित से पहले आएगी: क) निर्णय कि स्थायी रूप से बड़े खाते डालना, जिसके बिना बैंक गैर अर्थक्षम हो जाएगा, आरबीआई के निर्धारण के अनुसार आवश्यक है; और ख) पूंजी की सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश या उसके समतुल्य का निर्णय, प्रासंगिक प्राधिकारी के निर्धारण के अनुसार जिसके बिना बैंक गैर अर्थक्षम हो जाएगा। ऐसे निर्णय का सीधा सा अर्थ यह होगा कि ट्रिगर की घड़ी के पश्चात बड़े खाते डालने की घटना किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के पूंजी निवेश से पहले ही होगी ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा प्रदत्तपूंजी का तनूकरण न हो।

32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	पूर्ण
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	स्थायी
34	यदि अस्थायी मूल्य- घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	बाँड धारकों के दावे (क) बैंक के टियर 1 कैपिटल में शामिल किए जाने के पात्र लिखतों पर निवेशकर्ताओं के दावे पर वरियता प्राप्त करेंगे, (ख) बैंक के सभी जमाकर्ताओं और सामान्य ऋणकर्ताओं के अधीन होंगे; (ग) कोई बैंक या संबंधित संस्था या अन्य व्यवस्था जो विधिक रूप से अथवा आर्थिक रूप से दावे के बराबर बैंक के देनदारों की वरियता को बढ़ाती है उसके द्वारा न तो तो प्रतिभूत होंगे और न ही कवर किए जाएंगे। बाँड धारकों को, दिवालियापन और परिसमापन की स्थिति को छोड़कर सूचीकृत भावी चुकौतियों (कूपन अथवा मूलधन) को आगे बढ़ाने का अधिकार नहीं होगा।
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

Table DF-13

Main Features of Regulatory Capital Instruments

INSTRUMENT: Equity Shares		
1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A01018
3	Governing law(s) of the instrument	Applicable Indian statutes and
	<i>Regulatory treatment</i>	Regulatory requirements
4	Transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1
5	Post-transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Equity - common share
8	Amount recognised in regulatory capital (₹in million, as of most recent reporting date)	54233.982
9	Par value of instrument	₹10/- per common share
10	Accounting classification	Equity Capital
11	Original date of issuance	December'1969 and various dates thereafter
12	Perpetual or dated	Perpetual
13	Original maturity date	Not Applicable
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Not Applicable
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	Dividends
17	Fixed or floating dividend/coupon	Floating Dividend
18	Coupon rate and any related index	Not Applicable
19	Existence of a dividend stopper	Not Applicable
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Not Applicable
22	Noncumulative or cumulative	Noncumulative
23	Convertible or non-convertible	Not Applicable
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No.
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds 9.00% Series XII

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A09185
3	Governing law(s) of the instrument	RBI
	<i>Regulatory treatment</i>	
4	Transitional Basel III rules	Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules	Tier - II
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	3000.00
9	Par value of instrument	₹10,00,000/-
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	28.12.2012
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	28.12.2022
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	<i>Coupons / dividends</i>	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.00%
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No.
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity in the equity shares and subordinate to the claim of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Basel III Compliant Tier-II Bonds 8.95% Series I

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A08047
3	Governing law(s) of the instrument Regulatory treatment	Indian Law
4	Transitional Basel III rules	Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules	Eligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Subordinate Tier II
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	10000 .00
9	Par value of instrument	10000 million (1 million per Bond)
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	31.03.2017
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	31.03.2027
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	31.03.2022
16	Subsequent call dates, if applicable <i>Coupons / dividends</i>	Every Year
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.95% p.a. payable annually till maturity of Bonds
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	NO
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	The Bonds may, at the option of the RBI, be permanently written off upon occurrence of the trigger event called the "point of Non Viability Trigger". The PONV Trigger event shall be the earlier of: a) A decision that the permanent write off, without which the Bank would become non-viable, is necessary, as determined by the RBI; and

	b) The decision to make a public sector injection of capital, or equivalent support, without which the Bank would have become non-viable, as determined by the relevant authority. Such a decision would invariably imply that the write-off consequent upon the trigger event must occur prior to any public sector injection of capital so that the capital provided by the public sector is not diluted.
32 If write-down, full or partial	Full
33 If write-down, permanent or temporary	Permanent
34 If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA
35 Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the Bondholders shall be (a) senior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital of the Bank; (b) subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; and (c) neither secured nor covered by a guarantee of the Bank or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claims vis-à-vis creditors of the Bank. The Bondholders shall have no rights to accelerate the repayment of future scheduled payments (coupon or principal) except in bankruptcy and liquidation.
36 Non-compliant transitioned features	No
37 If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Basel III Compliant Tier-II Bonds 9.644% Series II

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A08054
3	Governing law(s) of the instrument Regulatory treatment	Indian Law
4	Transitional Basel III rules	Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules	Eligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Subordinate Tier II
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	5000 .00
9	Par value of instrument	5000 million (1 million per Bond)
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	28.06.2019
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	28.06.2029
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	No Call option
16	Subsequent call dates, if applicable Coupons / dividends	Every Year
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.644% p.a. payable annually till maturity of Bonds
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	<p>The Bonds may, at the option of the RBI, be permanently written off upon occurrence of the trigger event called the "point of Non Viability Trigger". The PONV Trigger event shall be the earlier of:</p> <p>a) A decision that the permanent write off, without which the Bank would become non-viable, is necessary, as determined by the RBI; and</p>

	b) The decision to make a public sector injection of capital, or equivalent support, without which the Bank would have become non-viable, as determined by the relevant authority. Such a decision would invariably imply that the write-off consequent upon the trigger event must occur prior to any public sector injection of capital so that the capital provided by the public sector is not diluted.
32 If write-down, full or partial	Full
33 If write-down, permanent or temporary	Permanent
34 If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA
35 Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the Bondholders shall be (a) senior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital of the Bank; (b) subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; and (c) neither secured nor covered by a guarantee of the Bank or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claims vis-à-vis creditors of the Bank. The Bondholders shall have no rights to accelerate the repayment of future scheduled payments (coupon or principal) except in bankruptcy and liquidation.
36 Non-compliant transitioned features	No
37 If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Basel III Compliant Tier-II Bonds 9.71% Series III

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A08062
3	Governing law(s) of the instrument Regulatory treatment	Indian Law
4	Transitional Basel III rules	Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules	Eligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Subordinate Tier II
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	5000 .00
9	Par value of instrument	5000 million (1 million per Bond)
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	17.12.2019
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	17.12.2029
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	No Call option
16	Subsequent call dates, if applicable	Every Year
	Coupons / dividends	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.71% p.a. payable annually till maturity of Bonds
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non-Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	The Bonds may, at the option of the RBI, be permanently written off upon occurrence of the trigger event called the "point of Non Viability Trigger". The PONV Trigger event shall be the earlier of:

		<p>a) A decision that the permanent write off, without which the Bank would become non-viable, is necessary, as determined by the RBI; and</p> <p>b) The decision to make a public sector injection of capital, or equivalent support, without which the Bank would have become non-viable, as determined by the relevant authority. Such a decision would invariably imply that the write-off consequent upon the trigger event must occur prior to any public sector injection of capital so that the capital provided by the public sector is not diluted.</p>
32	If write-down, full or partial	Full
33	If write-down, permanent or temporary	Permanent
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the Bondholders shall be (a) senior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital of the Bank; (b) subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; and (c) neither secured nor covered by a guarantee of the Bank or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claims vis-à-vis creditors of the Bank. The Bondholders shall have no rights to accelerate the repayment of future scheduled payments (coupon or principal) except in bankruptcy and liquidation.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

तालिका डीएफ - 14
नियमनकारी पूँजी आवश्यकताओं के पूर्ण नियम एवं शर्तें

क्र.सं.	लिखत	संपूर्ण नियम एवं शर्तें
1	ईविक्टरी शेयर (आईएनई691ए01018)	साधारण शेयर: असंचयी
2	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ टियर-II बांड 9.00% शृंखला XII (आईएनई691ए09185)	जारी प्रमात्रा: ₹1000 करोड़, आबंटन की तारीख: 28.12.2012, प्रतिदान की तारीख: 28.12.2022, सम मूल्य: ₹10 लाख, पुट एंड कॉल विकल्प: कॉल विकल्प की तारीख: लागू नहीं. ब्याज दर और आवृत्ति: 9.00%, 28 दिसंबर. सूचीकरण: एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।
3	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ बासेल III अनुपालित टियर II बांड 8.95% शृंखला I (आई एन ई 691ए 08047)	निर्गम मात्रा: ₹1000 करोड़, आबंटन की तारीख 31.03.2017, प्रतिदान की तारीख: 31.03.2027, सममूल्य ₹10 लाख, पुट एंड कॉल विकल्प: कॉल विकल्प की तारीख 31.03.2022 ब्याज दर एवं आवृत्ति: 8.95%, 31 मार्च. सूचीकरण: एन एस ई के पास सूचीकृत, सभी अमूर्त रूप में।
4	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ बासेल III अनुपालित टियर -II बांड 9.64% शृंखला II (आईएनई691ए08054)	जारी प्रमात्रा: ₹500 करोड़, आबंटन की तारीख: 28.06.2019, प्रतिदान की तारीख: 28.06.2029, सम मूल्य: ₹10 लाख, पुट एंड कॉल विकल्प: कॉल विकल्प की तारीख: लागू नहीं. ब्याज दर और आवृत्ति: 9.644%, 28 जून. सूचीकरण: एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।
5	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ बासेल III अनुपालित टियर II बांड 9.71% शृंखला II (आई एन ई 691ए 08062)	जारी प्रमात्रा: ₹500 करोड़, आबंटन की तारीख: 17.12.2019, प्रतिदान की तारीख: 17.12.2029, सम मूल्य: ₹10 लाख, पुट एंड कॉल विकल्प: कॉल विकल्प की तारीख: लागू नहीं. ब्याज दर और आवृत्ति: 9.71%, 17 दिसंबर. सूचीकरण: एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।

तालिका डीएफ - 15
पारिश्रमिक की प्रकटीकरण आवश्यकताएँ

राष्ट्रीयकृत बैंकों पर लागू नहीं हैं।

Table DF - 14
Full Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments

Sl. No.	Instruments	Full Terms and Conditions
1.	Equity Shares (INE691A01018)	Ordinary Shares, non-cumulative.
2.	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds 9.00% Series XII (INE691A09185)	Issue Size: ₹1000 Crore, Date of Allotment: 28.12.2012, Date of Redemption: 28.12.2022, Par Value: 10 Lakhs, Put and Call Option: Call option date Not applicable. Rate of Interest and frequency: 9.00%, 28th December. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form.
3.	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Basel III Compliant Tier-II Bonds 8.95% Series I (INE691A08047)	Issue Size: ₹1000 Crore, Date of Allotment: 31.03.2017, Date of Redemption: 31.03.2027, Par Value: 10 Lakhs Put and Call Option: Call option date 31.03.2022. Rate of Interest and frequency: 8.95%, 31st March. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form
4.	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Basel III Compliant Tier-II Bonds 9.64% Series II (INE691A08054)	Issue Size: ₹500 Crore, Date of Allotment: 28.06.2019, Date of Redemption: 28.06.2029, Par Value: 10 Lakhs Put and Call Option: Call option date Not Applicable. Rate of Interest and frequency: 9.644%, 28th June. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form
5.	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Basel III Compliant Tier-II Bonds 9.71% Series II (INE691A08062)	Issue Size: ₹500 Crore, Date of Allotment: 17.12.2019, Date of Redemption: 17.12.2029, Par Value: 10 Lakhs Put and Call Option: Call option date Not Applicable. Rate of Interest and frequency: 9.71%, 17th Dec. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form

Table DF - 15
Disclosure Requirements for Remuneration

Not applicable to Nationalised Banks.

तालिका डीएफ-16:

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंकिंग बही स्थितियों का प्रकटीकरण

- निवेश वर्गीकरण और मूल्यांकन पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों को खरीद की तारीख को कारोबार के लिए धारित (एचएफटी), बिक्री हेतु उपलब्ध (एएफएस) और परिपक्वता के लिए धारित(एचटीएम) की श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। जिन निवेशों को बैंक परिपक्वता तक धारित करना चाहता है उन्हें एचटीएम प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत धारित इक्विटी निवेशों को पूँजी पर्याप्तता के उद्देश्य से बैंकिंग बही के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सहायकों एवं संयुक्त उद्यमों की इक्विटी में निवेशों को एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत करने की जरूरत होती है। इनको कारोबार उद्देश्य से संबंध कायम करने के नीतिगत उद्देश्य से धारित किया जाता है।
- एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत धारित निवेशों का मार्केट-टू-मार्केट नहीं परंतु उनकी अधिग्रहण लागत पर निर्वाह किया जाता है। अस्थायी के अलावा इक्विटी निवेशों के मूल्य में आनेवाली किसी भी न्यूनता के लिए प्रावधान किया जाता है। एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत निवेश बिक्री से हुई किसी भी हानि को लाभ-हानि विवरण में व्यक्त किया जाता है। एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत निवेश बिक्री से हुए लाभ को लाभ-हानि विवरण में व्यक्त करके, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, कर एवं सांविधिक आरक्षित निधि को छोड़कर "पूँजी आरक्षित निधि" में विनियोजित किया जाता है।

गुणात्मक प्रकटीकरण

क) निवेशों का मूल्य

(राशि ₹ करोड़ में)

निवेश	तुलन पत्र के अनुसार मूल्य	उचित मूल्य	खुले में प्रस्तावित शेयर मूल्य (उचित मूल्य से तत्त्वतः भिन्न हो तो)
अनुद्धृत	108.16	108.16	लागू नहीं
उद्धृत	शून्य/NIL	शून्य/NIL	लागू नहीं

ख. निवेशों का प्रकार और प्रकृति

(राशि ₹ करोड़ में)

निवेश	आम कारोबार	निजी रूप से धारित
सहायक, सहभागी एवं संयुक्त उद्यम (आरआरबी के लिए) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/कारपोरेट के अन्य शेयर, जो 2 सितंबर, 2004 की स्थिति में बैंक की बहियों में मौजूद थे और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उन्हें उस रूप में धारित किया जा सकता है।		108.16 0.00

ग. लाभ/हानि विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	राशि
समीक्षाधीन अवधि के दौरान बिक्रियों और परिसमापनों से उत्पन्न संचयी रूप से प्राप्त लाभ (हानियाँ)	-
कुल अप्राप्त लाभ (हानियाँ)	-
कुल अव्यक्त पुनर्मूल्यांकन लाभ (हानियाँ)	-
पूँजी में निहित अप्राप्त लाभ (हानियाँ)	-
पूँजी में निहित अव्यक्त पुनर्मूल्यांकन लाभ (हानियाँ)	-

(राशि ₹ करोड़ में)

घ. बैंकिंग बही के लिए पूँजी आवश्यकता

इक्विटी समूहन	बासेल III के तहत व्यवहार	पूँजी आवश्यकता
सहायक	नियमनकारी पूँजी से कटौती	
सहभागी एवं संयुक्त उद्यम	भारत जोखिम दर /@ 250%	24.34
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/कारपोरेट के अन्य शेयर, जो 2 सितंबर, 2004 की स्थिति में बैंक की बहियों में मौजूद थे और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उन्हें उस रूप में धारित किया जा सकता है।	भारत जोखिम दर /@ 150%	0.00

Table DF - 16

Disclosure for Banking Book Positions

QUALITATIVE DISCLOSURES

- In accordance with the RBI guidelines on investment classification and valuation, Investments are classified on the date of purchase into Held for Trading (HFT), Available for Sale (AFS) and Held to Maturity (HTM) categories. Investments which the Bank intends to hold till maturity are classified as HTM securities. In accordance with the RBI guidelines, equity investments held under the HTM category are classified as banking book for capital adequacy purpose.
- Investments in equity of subsidiaries and joint ventures are required to be classified under HTM category in accordance with the RBI guidelines. These are held with a strategic Objective to maintain relationships for business purposes.
- Investments classified under HTM category are carried at their acquisition cost and not marked to market. Any diminution, other than temporary, in the value of equity investments is provided for. Any loss on sale of investments in HTM category is recognized in the Statement of Profit and Loss. Any gain from sale of investments under HTM category is recognized in the Statement of Profit and Loss and is appropriated, net of taxes and statutory reserve, to "Capital Reserve" in accordance with the RBI Guidelines.

QUANTITATIVE DISCLOSURES

A. Value of Investments

(₹ in crore)

Investments	Value as per Balance Sheet	Fair Value	Publicly Quoted Share Values (if materially different from fair value)
Unquoted	108.16	108.16	NA
Quoted	NIL	NIL	NA

B. Types and Nature of Investments

(₹ in crore)

Investments	Publicly traded	Privately held
Subsidiary, Associate and Joint Ventures (for RRBs)		108.16
Other shares of PSU/Corporate, which were in the books of the Bank under HTM category as on 2nd September 2004 and as per RBI guidelines, can be retained as such.		0.00

C. Gain/ Loss Statement

(₹ in crore)

Particulars	Amount
Cumulative realized gains (losses) arising from sales and liquidations in the reporting period	-
Total unrealized gains (losses)	-
Total latent revaluation gains (losses)	-
Unrealized gains (losses) included in Capital	-
Latent revaluation gains (losses) included in Capital	-

D. Capital Requirement for Banking Book

(₹ in crore)

Equity grouping	Treatment under Basel III	Capital Requirement
Subsidiary	Deducted from Regulatory capital	
Associate and Joint Ventures	Risk weighted @ 250%	24.34
Other shares of PSU/Corporate, which were in the books of the Bank under HTM category as on 2nd September 2004 and as per RBI guidelines, can be retained as such.	Risk weighted @ 150%	0.00

तालिका डीएफ- 17:
लेखांकन परिसंपत्तियों और लीवरेज अनुपात एक्सपोजर की सारांश तुलना

क्र.सं.	निवेश	राशि (₹ मिलियन में)
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणी के अनुसार कुल समेकित आस्तियां	2533361.09
2	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा या वाणिज्यिक उद्यमों में निवेश हेतु समायोजन जिन्हें लेखांकन के उद्देश्य से समेकित किया गया है परंतु जो नियमनकारी समेकन के दायरे से बाहर हैं	-
3	परिचालन लेखांकन ढांचे के अनुसरण में तुलन-पत्र में व्यक्त न्यासिक परिसंपत्तियों हेतु समायोजन परंतु लीवरेज अनुपात एक्सपोजर कार्रवाई से रहित	-
4	व्युत्पन्न वित्तीय साधनों हेतु समायोजन	15397.38
5	प्रतिभूतियों के वित्तपोषण लेनदेनों हेतु समायोजन (अर्थात् रेपो और इसी तरह के सुरक्षित ऋण)	-
6	तुलनपत्र से इतर मदों के लिए समायोजन (अर्थात्, तुलन-पत्र से इतर एक्सपोजरों की ऋण समतुल्य राशियों में रूपांतरण)।	65995.68
7	अन्य समायोजन	(95740.90)
8	लीवरेज अनुपात एक्सपोजर	2591013.25

तालिका डीएफ-18
लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण नमूना

क्र.सं.	मद	राशि ₹ मिलियन में
	तुलन पत्र में व्यक्त एक्सपोजर	
1.	तुलन पत्र में व्यक्त मदें (व्युत्पन्नों और एसएफटी रहित, लेकिन संपार्श्विक सहित)	25,33,361.09
2.	(बासेल III टियर 1 पूंजी के निर्धारण में कटौती की गई परिसंपत्ति राशियाँ)	(95740.90)
3.	तुलन-पत्र में व्यक्त कुल एक्सपोजर (व्युत्पन्नों और एसएफटी रहित) (पंक्ति 1 एवं 2 का कुल योग)	24,37,620.19
	व्युत्पन्न एक्सपोजर	
4.	सभी व्युत्पन्न लेनदेन के साथ जुड़ी प्रतिस्थापन लागत(यानी योग्य नकद विचलन मार्जिन को छोड़कर)	4499.43
5.	सभी व्युत्पन्न लेनदेन के साथ जुड़े पीएफई के लिए एड-ऑन राशियाँ	10897.95
6.	परिचालन लेखांकन फ्रेमवर्क के अनुसरण में प्रावधानकृत संपार्श्विक व्युत्पन्नों के लिए ग्रॉस-अप, जहाँ तुलन-पत्र परिसंपत्तियों से कटौती की गई	
7.	(व्युत्पन्न लेन-देन में प्रावधानकृत नकद भिन्नता मार्जिन के लिए प्राप्य परिसंपत्तियों की कटौती)	

क्र.सं.	मद	राशि ₹ मिलियन में
8.	ग्राहक द्वारा मंजूर व्यापार एक्सपोज़रों से छूट प्राप्त सीसीपी लेग	0.00
9.	लिखित ऋण व्युत्पन्नों की समायोजित प्रभावी नोशनल राशि	0.00
10.	समायोजित प्रभावी नोशनल ऑफसेट लिखित ऋण व्युत्पन्नों के लिए एड-ऑन कटौतियाँ	0.00
11.	कुल व्युत्पन्न एक्सपोज़र (पंक्ति 4 से लेकर 10 का कुल योग)	15397.38
प्रतिभूति वित्तीयन लेनदेन एक्सपोज़र		
12.	बिक्री लेखांकन लेनदेन के समायोजन के बाद सकल एसएफटी परिसंपत्तियाँ (नेटिंग पर ध्यान न देते हुए)	0.00
13.	सकल एसएफटी परिसंपत्तियों की छोड़ी गई नकद भुगतान योग्य और नकद प्राप्य राशियाँ	0.00
14.	एसएफटी परिसंपत्तियों के लिए सीसीआर एक्सपोज़र	0.00
15.	एजेंट लेनदेन एक्सपोज़र	0.00
16.	कुल प्रतिभूति वित्तीयन लेनदेन एक्सपोज़र (पंक्ति 12 से लेकर 15 का कुल योग)	0.00
तुलन पत्र से इतर अन्य एक्सपोज़र		
17.	सकल नोशनल राशि पर तुलन-पत्र से इतर एक्सपोज़र	166762.73
18.	ऋण समतुल्य राशियों के परिवर्तन के लिए समायोजन	(100767.05)
19.	तुलन पत्र से इतर मदें (पंक्ति 17 एवं 18 का कुल योग)	65995.68
पूँजी एवं कुल एक्सपोज़र		
20.	टियर 1 पूँजी	114111
21.	कुल एक्सपोज़र (पंक्ति 3, 11, 16 एवं 19 का कुल योग)	25,19,013.25
लीवरेज अनुपात		
22.	बासेल III लीवरेज अनुपात	4.53%

Table DF - 17

Summary Comparison of accounting assets and leverage ratio exposure

Sr No	Particulars	Amount (₹ in Millions)
1	Total consolidated assets as per published financial Statements	2533361.09
2	Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	-
3	Adjustment for fiduciary assets recognised on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	-
4	Adjustments for derivative financial instruments	15397.38
5	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	-
6	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off- balance sheet exposures)	65995.68
7	Other adjustments	(95740.90)
8	Leverage ratio exposure	2591013.25

Table DF - 18

Leverage ratio common disclosure template

Sr No	Item	Amount (₹ in Millions)
	On-Balance sheet exposure	
1	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	25,33,361.09
2	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	(95740.90)
3	Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	24,37,620.19
	Derivative exposure	
4	Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	4499.43
5	Add-on amounts for PFE associated with all derivatives Transactions	10897.95
6	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	-
7	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	-

Sr No	Item	Amount (₹ in Millions)
8	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures	-
9	Adjusted effective notional amount of written credit Derivatives	-
10	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	-
11	Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)	15397.38
Securities financing transaction exposures		
12	Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	-
13	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets	-
14	CCR exposure for SFT assets	-
15	Agent transaction exposures	-
16	Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)	-
Other off-balance sheet exposures		
17	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	166762.73
18	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	(100767.05)
19	Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18) 1	65995.68
Capital and total exposures		
20	Tier 1 capital	114111
21	Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)	25,19,013.25
Leverage ratio		
22	Basel III leverage ratio	4.53%

HONOURING YOUR TRUST IS THE PILLAR OF OUR SUCCESS



Thank You

*On the occasion of Bank's Foundation Day, 06 January, 2021,
we express our gratitude to Valued Customers, Stakeholders and Well-wishers for their trust.
We rededicate ourselves to the services of the nation with a renewed commitment
to honour the trust reposed on us.*



www.ucobank.com | Toll free no. - 1800 274 0123

यूको बैंक  **UCO BANK**
(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)
सम्मान आपके विश्वास का Honours Your Trust

SEND US AN SMS WITH THE BELOW KEYWORDS TO SHOW INTEREST IN OUR PRODUCTS




UCO EDU


UCO HOME


UCO AGRI


UCO CAR


UCO MSME


UCO PERS


UCO GOLD




UCO OTHER